



# आधुनिक भारतीय इतिहास

एक प्रगत अध्ययन

— भाग 3  
1920-1947

जी० एस० छावडा  
अनुवादक  
एस० डी० द्विवेदी



स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्राइवेट लि०

नई दिल्ली □ बंगलूर □ जालघर

वितरक

स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्राइवेट लि०

□ एल 10, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली 110016

□ 24 रेसकोर्स रोड, माधव नगर, बंगलौर 560001

आधुनिक भारतीय इतिहास एवं प्रगत अध्ययन—भाग 3 (1920-47)  
। 1986 जी० एस० छावडा

एस० वे० घई, मैनेजिंग डायरेक्टर, स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्राइवेट लि०,  
एल 10, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110016 द्वारा प्रकाशित एवं  
न्यू इंडिया प्रिंटिंग प्रेस, खुरजा 203131 द्वारा मुद्रित ।

मेरी पत्नी

राज

को समर्पित

## द्वितीय सस्करण की भूमिका

प्रथम सस्करण के निकलने के उपरान्त, यह सस्करण जब छपने के लिये प्रेषित किया जा रहा है उस समय तक दृष्टि में आने वाली नई खोज से पर्याप्त रूप में पूरित करके हुए इस एक नवीन रूप प्रदान किया गया है। वर्तमान अध्यायों को बढ़ाने एवं सुधारने के साथ ही इसमें कुछ नये अध्याय भी जोड़े गये हैं। लेखक इस बात के लिये आश्वस्त है कि भारत के इतिहास के लिये पाठक इस ग्रन्थ में तत्कालीन शोध का समावेश भी पायेंगे।

जो० ए० छाबड़ा

## प्रथम सस्करण की भूमिका

राष्ट्रीय स्वाधीनता हेतु गतव्य की प्राप्ति के लिये मध्य श्रेणी ने जो आंदोलन प्रारंभ किया, वही बाद में ब्रिटिशों के विरुद्ध शक्तिशाली जन-आंदोलन के रूप में बदल गया। ऐसा गांधी के राजनीति में प्रवेश काल से 20वीं सदी के दूसरे दशक से घटित होना प्रारंभ हुआ जिन्होंने इस आंदोलन को अहिंसा और असहयोग का जादुई स्वरूप प्रदान किया। गांधी को अपने उद्देश्य पूर्ति में सदा सफलता नहीं मिली वे प्रायः असफल भी हुए और महान भूलें करते रहे। भारत के कुछ आलोचकों ने उन्हें साधारण मानव स्वभाव से दूर एक 'अस्पष्ट रहस्यवादी' की सजा दी। उनके ऊपर यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने भारत को आजादी की ओर जाने में शीघ्रता लाने के स्थान पर देर ही लगाई। फिर भी 1920 से 1947 के मध्य का यह काल, जिसका विवरण यह पुस्तक प्रस्तुत करती है गांधी युग के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस काल में भारतीय दृष्टिपटल पर वे न छाये ही रहे बल्कि उन्होंने देश के भाग्य का निर्देशन भी किया। इस काल में भारत की राजनीतिक माँगें बढ़ती ही रही। 1935 के संवैधानिक सुधारों तथा भारतीय समस्या के समाधान हेतु नियुक्त मिशनो और समितियों ने जो रिपोर्ट दी उसके बाद अतएव 1947 में ब्रिटिशों ने भारत छोड़ा और इस तरह भारत ने विश्व के स्वाधीन सभ्य राष्ट्रों की विरादरी में स्थान प्राप्त किया। यह सब और बहुत कुछ इस पुस्तक का वष्य विषय है।

जो० ए० छाबड़ा

# विषय सूची

- |   |   |     |
|---|---|-----|
| 1 | विस्काउण्ट चेम्सफोड, 1916-1921<br>असहयोग, रोलट ऐक्ट, खिलाफत आंदोलन ।  | 1   |
| 2 | मार्क्सवस रीडिंग, 1921-26<br>स्वराज पार्टी ।  | 23  |
| 3 | लाड इरविन, 1926 1931<br>साइमन कमीशन, साइमन कमीशन रिपोर्ट एव मूल्यांकन,<br>नेहरू रिपोर्ट, टूटे वादे, स्वतंत्रता घोषित, पुन असहयोग<br>आंदोलन प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता<br>उत्तर पश्चिम सीमा और लाल कूर्ती वाले । | 39  |
| 4 | लाड विलिंग्डन 1931 1936<br>द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931-32, साम्प्रदायिक पंच निणय<br>पूना समझौता 1932, तृतीय गोलमेज सम्मेलन एव श्वेत<br>पत्र ।   | 68  |
| 5 | भारत सरकार अधिनियम (1935)<br>प्रस्तावित सघ सघीय कायपालिका, अनुदेश प्रपत्र, सघीय<br>विधायिका, राज्य एव सघीय सरकार, प्रांतीय स्वायत्तता,<br>दमन की दुहरी नीति ।   | 79  |
| 6 | मार्क्सवस लिनलिथगो, 1936 1943<br>प्रांतीय स्वायत्तता की कायवाही, अगस्त प्रस्ताव एव त्रिप्स<br>मिशन, त्रिप्स मिशन के प्रस्ताव ।  | 135 |
| 7 | 'भारत छोडो' आंदोलन<br>कांग्रेस प्रस्ताव, गांधी की भूख हड़ताल और जेल से मुक्ति,<br>अय घटनायें ।  | 169 |
| 8 | अल वावेल, 1943 47<br>सी० आर० फामूला, वावेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना,<br>मिशन की असफलता ।   | 191 |

- 9 लाइ सुई माउण्टबेटन, 1947 213  
 स्वाधीनता की ओर ए टर्ती का परवरी 1947 का वनाध्य,  
 'द्विती वड योजना' माउण्टबेटन योजना, भारतीय  
 स्वाधीनता अधिनियम ।
- 10 महान विभाजन 227  
 भारतीय राज्य, रेडविनप अवाड भारतीय सना, स्वाधीनता,  
 विध्वंस गांधी की हत्या ब्रिटिश न भारत बयो छादा ?
- 11 उस काल के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व 247  
 स्वामी दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, गुरदर नाथ  
 बैनर्जी लोबमान्य बालगगाधर तिलक बिपिन चंद्र पाल,  
 लाला लाजपतराय, एलेन आस्टोवियन ह्यूम महात्मा गोविं-  
 दानाड सर पीरोज शाह मेहता, स्वामी श्रदानंद श्रीमती  
 एनी बसण्ट गोपाल कृष्ण गोपाल, मोती लाल नेहरू, सरदार  
 वल्लभ भाई पटल, भीलाना अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष  
 चंद्र बोस मोहनदास कमचंद गांधी, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ।
- अथ सूची 286

# विस्काउण्ट चेम्सफोर्ड

(1916-1921)

## असहयोग

1920 से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक नवयुग का सूत्रपात होता है। इसी वर्ष गांधी जी ने भारतीय राजनैतिक क्षेत्र में प्रवेश किया, जिन्होंने अपने नवीन प्रयोगों के माध्यम से अत्यधिक दबाव और कठिनाई की स्थिति उत्पन्न कर देश को 1947 में स्वतंत्र कराया। देश में उनके असहयोग की चर्चा करने से पूर्व उनके अर्थ अनुभवा की संक्षिप्त पूर्वगाथा यहाँ शिक्षाप्रद होगी।

दक्षिणी अफ्रीका में उन्होंने अपने सत्याग्रह अस्त्र का प्रथम प्रयोग ट्रांसवाल के एशिया विरोधी कानून के विरुद्ध किया जिसमें उन्हें सफलता भी मिली और प्रसिद्धि भी। गोपाल कृष्ण गोखले उनसे प्रभावित हुए और उन्होंने गांधी जी को अपनी सहानुभूति और समर्थन प्रदान किया। 1914 में गाँधी जी जब भारत वापस लौटें तो उन्होंने गोखले की 'भारत सेवक समाज' नामक संस्था की सदस्यता ग्रहण की। इससे यह सिद्ध है कि गांधी जी भारतीय राजनीति में उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे। उस समय गांधी ने अपने को ब्रिटिश साम्राज्य का स्वामिभक्त नागरिक स्वीकार किया। तत्कालीन प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने भारत सरकार के ऐम्बुलेंस कोर में अपनी सेवाएँ अर्पित की और सैनिकों की भर्ती में भी काफी सहयोग किया। इस सबसे उपर्युक्त ही ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें 'कैंसरे हिन्द' की उपाधि प्रदान की।

1919 में रौलट बिल के विरुद्ध सत्याग्रह का प्रयोग करने से पूर्व उन्होंने इस अस्त्र का प्रयोग भारत में कई अवसरों पर किया और इसकी तकनीकी दृष्टि से सही किया। इस देश में उन्होंने अहमदाबाद के निकट सावरमती नदी के किनारे एक सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया। बिहार के चम्पारन जिले में किसानों की स्थिति की जानकारी के लिए उनकी यात्रा जहाँ पर यूरोपीय मालिकों के अधीन शोषित नील की खेती कराने वाले बृषकों की ओर ध्यान आकृष्ट हुआ संभवतः उनके सत्याग्रह का सबसे प्रथम व महत्वपूर्ण प्रयोग था।



कमिश्नर के उस आदेश की विवेक जिला तुरंत छोड़ दें, उन्होंने अवहेलना की और उन्हें मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होना पड़ा। वे अपनी कायवाही की सजा भुगतने को तैयार थे पर बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हस्तक्षेप करके उन्हें सूचनाएँ प्राप्त करने की छूट प्रदान की जिसके फलस्वरूप प्रांतीय विधायिका ने 'अग्नेरियन बिल' पारित किया और इसके अंतर्गत किसानों की बहुत सी कठिनाइयाँ दूर हो गईं। गांधी की यह सफलता जहाँ एक ओर उनमें सत्याग्रह की सफलता के प्रति आश्चर्यचकितता का कारण बनी, वहीं दूसरी ओर तमाम महत्वपूर्ण भारतीय नेताओं ने इस सफलता के लिए उनकी प्रशंसा भी की जिससे उनके इस नवीन अस्त्र का लोहा मानने का रास्ता साफ हो गया।

पर सत्याग्रह के इस प्रारम्भिक प्रयोग ने गांधी को ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति असहयोगी नहीं बनाया। वे व्यवस्था की कुछ निश्चित बुराइयों के विरुद्ध सघनपरत थे और उनका उद्देश्य देश की व्यवस्था को समाप्त करना नहीं था। सरकार के साथ सहयोग की उनकी प्रवृत्ति का परिचय उनके ब्रिटिशों के प्रति ईमानदारीपूर्ण सोद्देश्यता से स्पष्ट होता है जिसके कारण 1919 के सुधारों को उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस से स्वीकृति प्रदान कराई। नवम्बर 1918 में उदारवादियों ने इस दल का छोड़कर सुरेन्द्रनाथ बँसनी के नेतृत्व में नेशनल लिबरल फेडरेशन नामक एक दल बना लिया। दूसरी ओर 1919 की अमृतसर कांग्रेस भी इन सुधारों को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। तिलक ने इन सुधारों को 'असतोपजनक और निराशापूर्ण—सूयहीन उपाय' का विशेषण प्रदान किया और श्रीमती वेसण्ट ने इस "इंग्लण्ड द्वारा न देने के तथा भारत द्वारा इसे न स्वीकार करने के योग्य" बताया। गांधी के प्रयासों के फलस्वरूप ही कांग्रेस ने नवीन संविधान को आजमाना ही स्वीकार नहीं किया बल्कि ई० एस० माटेयु को इस सुधार ऐक्ट के सम्बन्ध में किये गये परिश्रम पर धन्यवाद ज्ञापन भी किया।

पर शीघ्र ही स्थिति में परिवर्तन हुआ और वह व्यक्ति जो सरकार का विश्वस्त सहयोगी था वह उसका कटु असहयोगी हो गया और उसने सत्याग्रह के तेज हथियार का प्रयोग उसका विरुद्ध किया जिसके फलस्वरूप देश में क्रांति हो गई। गांधी ने अपने गंग इंडिया में ब्रूमस्फील्ड के समक्ष जिसमें उनके विरुद्ध राजद्रोह का मुर्दमा देखा इस तरह के परिवर्तन का कारण स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि पहली कष्टप्रद घटना मेरे समक्ष रौलट ऐक्ट के रूप में आई जिसने जनता की स्वतन्त्रता का अपहरण कर लिया। पुनर्जलियावाला बाग की नरमेघ की घटना से पञ्जाब में आतंक का प्रारम्भ हुआ और इसकी पराकाष्ठा रंगने के जन्म लोगो को बाँडे लगाने और जय

अपमानजनक बायों से हुई। मैंने यह भी पाया कि प्रधानमंत्री द्वारा दी गई तुर्कों के प्रतिष्ठा के प्रति भारतीय मुसलमानों और उनके इस्लाम सवधी पवित्र धार्मिक स्थलों के प्रति दिये गये आश्वासन भी पूरे नहीं किये गये।" यहाँ यह शिक्षाप्रद होगा कि हम उपरोक्त घटनाओं की संक्षिप्त व्याख्या करें जिसने गांधी को असहयोगी बना दिया।

### स्वामिभक्ति से विद्रोह की ओर

प्यारे माहन के अनुसार, "इंग्लैंड की आजादी के समय भारत ने दौड़कर उसकी विश्वस्तता एवं स्वामिभक्तिपूर्वक सहायता की। विवाद की आवाज को दबा दिया गया और जनता की कठिनाइयों को एक ओर कर दिया गया।" अथवा जैसा कि लार्ड हार्डिज ने कहा कि भारत ने 'गोरा के लिए अपना खून बहा दिया' और धन और जन से उनकी पूरी सहायता की। और इस क्षेत्र पर और प्राप्ति से अधिक पंजाब ने उनको लिये किया।

ब्रिटिश साम्राज्य के लिये युद्ध करने हेतु 10 लाख भारतीय समुद्र पार भेजे गए जिस पर 31 मार्च 1919 तक इस युद्ध का व्यय का भाग भारतीयों के हिस्से में 1278 लाख पौण्ड आया। युद्ध में भेजे गये भारतीय सैनिकों में 60% पंजाबी थे और व्यय हुए धन में भी पंजाब ने धनी प्रांतों से होड़ लेते हुए धन की अदायगी की। पंजाब में भर्तियों बढ़ाने के लिए हर प्रयास किया गया। 1914 के अंतिम 4 महीने में जब 21 हजार लडाकू सैनिकों की भर्तियों के लिए गृह सरकार से आदेश मिला तो 28 हजार सैनिकों की भर्तियों की गई जिनमें से 14 हजार केवल पंजाब के थे। इसके अतिरिक्त 3 हजार नेपाल, 3 हजार सीमा व सीमापार से और 8 हजार शेष भारत से थे।

1915 में 93 हजार सैनिक भर्तियों किये गये जिसमें 46 हजार पंजाब 14 हजार नेपाल 6 हजार पठान क्षेत्र से तथा 28 हजार शेष भारत से थे। युद्ध के प्रथम दो तथा एक तिहाई वर्षों में लगभग सवा लाख पंजाबियों को अति प्रतिष्ठा प्रदान की, वे "लड़ने वाला में श्रेष्ठ जाति के हो गये" और उनकी संख्या युद्धकाल बढ़ने के साथ ही बढ़ती गई।

"युद्ध की घोषणा के बाद पंजाब की विधायिका ने अपनी प्रथम बैठक में एक स्वर से प्रांत के लोगों की ओर से सम्राट के प्रति भक्ति की घोषणा की और सम्राट के प्रति सेवा का निश्चय दुहराया। यह सेवा सम्राट के साम्राज्य के शत्रुओं के विरुद्ध समर्पित की गई। इस विधानसभा में मुसलमान, हिंदू और

1 मोहन प्यारे एन एनाउंट ऑफ द पंजाब डिस्ट्रिक्ट एंड वरिंग ऑफ भागल सा प 121।

2 ओटापर सर एम० इंडिया ऐज आई नो इट प 216 222।

सिख वग के चुने हुये और नामित सदस्य सम्मिलित थे । इस प्रस्ताव न पूरे प्रात के लोग की स्वामिभक्तिपूण भावना का परिचय दिया ।”<sup>1</sup>

युद्ध म लाहौर की तुलना म अमृतसर न अधिक बलिदान किया । इसका इतना प्रभाव था कि कसूर मे एक भाषण म, सर एम० ओडायर ने, जो पजाव का लेफ्टीनेंट गवर्नर था यह घोषणा की कि युद्ध म उसकी सेवाआ के आधार पर वह अपनी सरकार का बेद्र लाहौर से हटाकर अमृतसर करेगा । यह पजाविया के लिए इनाम होगा और लाहौर वाला के लिए एक दड जिहानि सेना म भर्ती मे सरकार का बडा असहयोग किया ।

पर शीघ्र ही स्थिति म परिवर्तन हुआ । पजाव 1919 आत-आत स्वा मिभक्ति से विद्रोह के क्षेत्र म बदल गया और अमृतसर का वह नगर जिस पर सर डायर को इतना धमड था वही पहला विद्रोह स्थल सिद्ध हुआ । पजाव म इन विद्रोहा के कई आधार बताय जाने लग जिनम से कुछ का समयन सर डायर स्वय करते थे ।

प्रारम्भ मे ता यह विश्वास किया जाता था कि भारत म ब्रिटिश राज्य को गिराने का एक बहुत बडा पडयन चल रहा है तथा भारतीय सेना को फुसलाने की चेष्टा हो रही है । यह सोचा जा रहा था कि इस पडयन के लिय बाल्शेविक रुस घन दे रहा है और इसकी शाखायें पूर दश म फन चुकी है । पजाव चकि विजेताआ का प्रात है इस कारण पडयन यहा पर अधिक तीव्र है । पर चूकि बाल्शेविक सिद्धात क लिये कोई प्रमाण नहीं मिल पाये इसलिए यह बात जहा की तहा घरी की घरी रह गई ।

इसके बाद यह कहा जाने लगा कि अफगानी तत्वो का हाथ है पर प्रमाणा के जभाव मे यह सिद्धात भी जागे नहीं बढ पाया । इसके बाद गाधी पर आरोप लगाया गया कि वे ही मुख्य पडयनकर्ता हैं जो अपराधपूण ढग से सरकार को आतकित करना चाहते है जिससे सरकार रीलट ऐक्ट वापस ले ले । पजाव के लेफ्टीनेंट गवर्नर ने गाधी के पजाव प्रवेश पर प्रतिवध लगा दिया । उसे उसके एक हिन्दू मित्र ने सूचित किया था कि, गाधी यह कहते हुय मुन गये है कि ब्रिटिश अपने विजय के नशे म चूर हैं और अपने को विश्व का नियता समझने लगे हैं पर उनके पास एक ऐसा अस्त्र है जो उन्हें घुटने टकने के लिये वाध्य करेगा । सच म उनका वह अस्त्र सत्याग्रह का था ।”<sup>2</sup> पर यह सिद्धात भी सफल नहीं हुआ ।

उसके बाद स्थानीय रूप से विरोध करने वाला को पडयनकारी बताया गया जिसका काय प्रातीय स्तर का नहीं था पर जिनकी कायवाहिमा पान्तीय

1 वही प 253 ।

2 वही प 363 ।

स्वरूप ग्रहण कर रही थी। ऐसे लोगो में नाम था—लाला हरकिशनलाल लाला दूनीचन्द डॉ० किचलू, डॉ० सत्यपाल, मि० लाभसिंह और दीवान मंगल सेन। पर यह मत भी इसलिये जोर नहीं पकड़ पाया क्योंकि लाड हटर की समिति की छानबीन से यह बात गलत सिद्ध हो चुकी थी। और इन सब बातों के परिणामस्वरूप नैराश्य म पडयन की बात को ही पूणतया गलत मान लिया गया।

पर सब स्वीकृत मत यह था जिसे 14 अप्रैल 1919 के प्रस्ताव के द्वारा भारत सरकार ने भी समयन प्रदान किया कि रौलट ऐक्ट के विरुद्ध काय-वाहिया ही इन विद्रोहों की जड़ में हैं। पर सही कारण यह था कि उस समय पूरा वातावरण ही विस्फोटक था और रौलट ऐक्ट के प्रति विद्रोह ने इस में आग म धो की तरह काम किया। इसके अतिरिक्त भी कई विध्वंसकारी शक्तिया कायरत थी।

पंजाब से भारतीय सेना के लिए अत्यधिक भर्तियों की गई थी। जैसा कि हमने देखा है कि पंजाब ने पूरे देश में भर्तियों की गई सेना का 60% अपन यहा स योगदान किया। इसका अर्थ यह है कि यदि इसकी 1911 के जनगणना के अनुसार पंजाब की 2 करोड़ जनसंख्या न (देश की पूरी जनसंख्या का 1/15वां भाग) युद्ध के लिए ब्रिटिशों के पक्ष में लड़ने हेतु अपने यहाँ के 4,60,000 उत्तम लोगो को सेना में भर्तियों करा दिया। सेक्रेट्री आफ स्टेट ने स्वयं स्वीकार किया कि, "बहुत से परिवारों में कोई रोटी कमाने वाला या एक भी रोटी कमाने वाला नहीं रहा।" पंजाबिया ने किसी राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए लड़ाई नहीं की। दासता के बंधन और मजबूत कर दिये गये और 7 अप्रैल 1919 को सर ओडायर ने यह स्वीकार किया कि 'इसके कारण मुल्तान क्षेत्र तथा शाहपुर में कई जगहों पर गंभीर विद्रोह और व्यवस्था समाप्त करने वाले क्षणों हुए हैं।'<sup>1</sup>

पंजाब में भर्तियों की विधि, जो सर ओडायर के शासन में अपनाई वह भी इतराज के लायक थी। सर ओडायर ने पंजाब के प्रत्येक जिले के लिए सेना में भर्तियों की एक निश्चित संख्या निर्धारित कर दी जिसके आधार पर जिलाधिकारियों को विशेष योग्यता प्रदान की गई। जो अधिकारी जितने ही अधिक सैनिक भर्तिया कराता उमकी उतनी ही उन्नति हा जाती थी। जिन गांवों से कम सैनिक भर्तिया होते वहाँ के नागरिकों का बूढ़े पुत्रिम केना में फसा दिया जाता था। इस तरह पंजाब के भर्तियों के सैनिक पारितोषिक और प्रतिष्ठा अजन हेतु श्रम व विक्रय की वस्तु हो गये और इस तरह इस क्षेत्र में विन्मृत व्यापार प्रारम्भ हुआ। जो लाग स्वतंत्रता प्रेमी व राष्ट्रवादी थे उन्हें य चीजें

पसन्द नहीं थी।

भारत में युरोपीय अलौकिक शक्ति वाल माने जाते थे। पर भारतीय सैनिकों ने युरोप में उन्हें लगड़े अर्धे और भिद्यारी के रूप में भी देखा ता उनका धामक भाव समाप्त हुआ। बहुत स भारतीय सैनिकों को फ्रांस के पुरुषा और स्त्रिया ने जान बचान वाले सैनिकों के रूप में पाया था। पर जब व अपने देश वापस आये तो उन्होंने उसी तरह के पुराने घमडी और दभी साहब के सामने अपने को पाया।

युद्ध श्रृण एकत्रित करने में अति क्रूरता का प्रदर्शन किया गया। जिलों के राजस्व अधिकारियों ने इसकी वसूली के लिए गावा पर बड़ा दबाव डाला। वस अधिकारी अपने सहायकों को इस घन वसूली के लिए बाध्य नहीं करते थे तो भी उनका परामशमात्र ही उनकी निगाहा में उन्हें ऊँचा बनाये रखने के लिए उन्हें जबरदस्ती घन वसूली के लिय बाध्य करता था और पुन अपड जादमी सरकार द्वारा श्रृण प्राप्ति की बात को समझ नहीं पाता था। उसके लिए यह तथाकथित सरकार का दिवालियापन था जो जनसाधारण व्यक्ति से भी श्रृण माग रही थी।

इसके अतिरिक्त आर्थिक कारण थे। वस्तुओं के दाम बढ़ रहे थे। 1912 में जो गेहूँ एक रुपये का 12 सेर 4 छटाक के भाव में बिक रहा था उसका भाव 1919 में 5 सेर 9 छटाक का हो गया। मकई का भाव 1912 में 16 सेर 3 छटाक का था जो 1919 में 6 सेर 6 छटाक का हो गया। वस्तुओं के भावों के शत प्रतिशत बढ़ने की तुलना में मजदूरी में केवल 50% की वृद्धि हुई।

इसके अतिरिक्त सेना में नागरिकों की अत्यधिक भर्ती ने काम करने वालों की संख्या में कमी कर दी जिससे प्रति एकड़ उपज में कमी आ गई। बाहर से भगाई जाने वाली वस्तुयें महंगी हो गई। इन्फ्लूँजा फैल गया। मानसून ने सहायता नहीं की और सच्चाई तो यह थी कि रेलव कमचारों हड़ताल करने ही वाले थे कि अशांति का बोलबाला हो गया। बेकन न ठीक ही लिखा था कि 'रोटी के लिए होन बाता विद्रोह सबसे भयानक होता है।'

पञ्जाब का आशा थी कि युद्ध में ब्रिटिशों की विजय वरदान सिद्ध होगी पर ऐसा नहीं हुआ। छून जनसाधारण का बहा, जबकि पद गरिमा व गौरव पूजीपतियों व उच्च सरकारी अधिकारियों के भाग में गई जिन्होंने सैनिकों की भर्ती में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। पर युद्ध के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति की जगह उन्हें मिला रौलट एक्ट।

इस तरह जब रौलट एक्ट पारित हुआ उसी समय स्थिति विम्फोटक हा गई थी। इसकी धारयें इतनी बेहूदी थी कि कोई भी स्वाभिमानी

भारतीय इनके साथ अपने वा सुविधा से जोड नहीं सकता था । यह भारतीय स्वामिभक्ति के माथे पर एक कलक का टीका था जिमे भारतीया ने इतनी विश्वस्तता स सिद्ध किया था । इसके विषय मे ब्रिटिश सम्राट ने भारतीय राजाओ और जनता को एक सवाद मे सम्बोधित करत हुए कहा था कि “भारत ने मेरे और मेरे साम्राज्य के प्रति मेरे विश्वास के अनुसार काय किया है जिससे उसकी स्वामिभक्ति के प्रति मेरा विश्वास और दढ हो गया है ।”

युद्ध काल मे ब्रिटिश सरकार को भारत द्वारा कठिनाई मे डालने की कोई इच्छा नहीं थी और इसी कारण बिना किसी आपत्ति के उसने डिफेंस आफ इंडिया एक्ट' की धाराये स्वीकार कर ली थी । पर युद्ध के समाप्त होने के एक वष पूव ही उसके ऊपर रौलट ऐक्ट की बौछार कर दी गई । युद्ध काल मे ब्रिटिश सरकार ने कुछ आपातकालीन अधिकार प्राप्त कर लिए थे जिसे वे रौलट ऐक्ट के अतगत बनाये रखना चाहते थे । इसके लिए उहाने बहाना यह बनाया कि देश म कुछ गुप्त रूप से काय करने वाले आतकवादियो ने जम ते लिया है जो विदेशी शक्ति की सहायता स सरकार को गिराना चाहते है । पर भारत मे भूतपूव सेनापति सर आमूर न भी ऐसे किसी कदम को उठाने की आवश्यकता से इकार किया था ।

## रौलट ऐक्ट

इस ऐक्ट के बेहूदपन का परिचय इसकी विभिन्न धाराआ स प्राप्त हो सकता है । यह ऐक्ट पाच भागो मे बाटा गया था—

भाग 1—यह भाग उस परिस्थिति मे काम मे लाया जाता था जब कौंसिल मे गवनर जनरल इस बात से सतुष्ट हो कि देश के किसी भाग मे आतक फल गया है और जनहित म अपराधो को रोकने के लिए शीघ्रता म मुकदमो को निपटाने की आवश्यकता है ।

ऐसे मुकदमे विशेष रूप से बनाये गये ट्रिब्युनला मे चलते थ । याया धीशा म मतातर होने पर किसी का मौत की सजा नहीं दी जा सकती थी । पर आशा यह थी कि सदेहपूण अपराधो म ही मतातर होगा । इस ऐक्ट का एक अतकपूण भाग यह था कि इस टिब्युनल के निणय के विरुद्ध कहीं अपील नहीं हो सकती थी ।

मुकदमा गुप्त रूप से चलता था जिसका अर्थ यह था कि जनता या अपराधी के सम्बधी को यह अवसर प्रदान नहीं किया जाता था कि वह अपने रक्षाथ कोई व्यवस्था कर सके ।

इस दुर्भावनापूण ऐक्ट की अति यह थी कि स्थानीय सरकारा का यह

अधिकार दे दिया गया कि वे इस ऐक्ट की धारा के अनुसार ऐक्ट के पारित होने के पूर्व के मुकदमा को भी इस ऐक्ट के दायरे में ले सकते थे।

भाग 2—इस धारा में निरोधात्मक व्यवस्था थी। यदि कौंसिल में गवर्नर जनरल इस बात से सतुष्ट होता कि किसी क्षेत्र में ऐसी स्थिति है जिसमें कानून और व्यवस्था के प्रति सावधानी बरतना आवश्यक है तो वह इस ऐक्ट की इस धारा के अंतर्गत कायवाही प्रारम्भ कर देता।

इसके अनुसार यदि कोई स्थानीय सरकार यह अनुभव करती कि कोई व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण अपराधी है तो वह उससे संबंधित बागजात उच्च 'यायालय में बठने योग्य किसी 'यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत कर देती। पर संबंधित व्यक्ति को मुकदमे में पैरवी करने का अवसर नहीं दिया जाता था और न ही स्थानीय सरकार 'यायाधीश के मतानुसार काय करने को ही बाध्य थी।

'यायाधिकारी का मत पाने के बाद स्थानीय सरकार लिखित रूप में उस व्यक्ति का ऐसा इकरारनामा लिख कर देने के लिए कह सकती थी कि वह अनुसूचित अपराध न करे। उसे अपन बदले हुए पते की सूचना सरकार को देने का कहा जाता उस सरकार के निर्देशानुसार एक निश्चित क्षेत्र में रहने को कहा जाता और एक वर्ष तक उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन पर समय समय पर जाने को कहा जाता। इन जादेशों को लागू करने के बाद स्थानीय सरकार इस मामले का दो सेशन 'यायाधीशों व एक सम्मिट की सलाह में काय न करने वाले व्यक्ति के पास छानबीन करने और अपना मत देने के लिये भेज सकती थी।

यह छानबीन भी गुप्त रूप से की जाती थी जिसमें संबंधित व्यक्ति को उपस्थित होने का अवसर नहीं दिया जाता। इसके लिये उस सूचना तक नहीं दी जाती थी।

पर ड्रम रिपोर्ट के आधार पर भी स्थानीय सरकार कायवाही करने को बाध्य नहीं थी और वह उस व्यक्ति पर एक वर्ष की कायवाही और बढा सकती थी। इस तरह एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाये सजा दी जा सकती थी।

भाग 3—जन सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली उपरोक्त परिस्थिति उत्पन्न होना पर इस भाग की धारा काम में लाई जाती थी। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को सदेह पर सीधे कद किया जा सकता था और जेलखाने भेजा जा सकता था। ऐसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा सकती थी और उसके बाद भाग 2 के अनुसार कायवाही की जा सकती थी।

भाग 4—इस भाग की धारायें अधिक कठोर थीं।

भाग 5—इस भाग के अंतगत "इस ऐक्ट के अंतगत कोई भी प्रसारित आज्ञा किसी न्यायालय में नहीं ले जायी जा सकती थी ।"

यह आश्वासन कि इस ऐक्ट का प्रयोग जन सुरक्षा में ही किया जायगा सही नहीं सिद्ध हुआ । सरकार का यह कहना था कि ऐक्ट की कायवाही केवल आतंकवादी और क्रांतिकारी अपराधों तक ही सीमित थी, पर सरकार ने ऐसे अपराधों को परिभाषित नहीं किया जिसके फलस्वरूप इसकी धाराओं की कायवाही में मूखता का भी लाभ जाती थी । एम० ए० जिना ने लिखा कि यह एक ऐसा प्रयास है जिसके अंतगत 'यह शांतकाल के लिए एक निश्चित रूप से घृणित और अवपीडक काय था जिसके फलस्वरूप 'यायिक शक्ति का कायपालिका का अनुगामी बना दिया गया था ।'<sup>1</sup>

इस कायवाही का स्वाभाविक परिणाम विरोध सभाओं का आयोजन और प्रस्तावों का प्रेषण था । पर जहाँ अय प्राप्त में इसके फलस्वरूप विद्रोह हुये पंजाब में एक भी हिंसा की घटना नहीं हुई । 6 अप्रैल को वह पराकाष्ठा का दिवस देखने को मिला जब लाखा लोग विरोध सभाओं में सम्मिलित हुये और तब भी एक हिंसा की घटना नहीं हुई ।

पर ओडायर का क्रूर शासन इस विराध भाव को भी कठोर हाथों से दबाना चाहता था । डायर को पटे लिखे लोगों से अधिक घणा थी और उसने ऐक्ट में परिवर्तित होने से पूर्व ही प्रांत के समाचार पत्रों का गला दबाने का प्रयास किया था उनकी स्वतंत्र आलोचना की शक्ति को आगे बढ़ने से रोका था और पंजाब का शेष भारत की धारा से अलग कर दिया था । मुसलमान तुर्कों के भाग्य और खिलाफत के कारण जैसे भी जावेश में थे । सरकार के विरुद्ध असंतोष का एक विशेष वातावरण था और उसके प्रति अविश्वास था । जब लोगों ने इस ऐक्ट के प्रति विरोध व्यक्त किया तो उसने अपनी सरकार के विरुद्ध चुनौती के रूप में इसे लिया । जैसे जैसे विरोध और जुलूस शांति पूर्ण ढंग से बढ़ता गया डायर हिंसात्मक रुख अपनाता गया । जनता के बीच स्वतंत्रतापूर्वक भाषण और 100 किचलू और डॉ० सत्यपाल जैसे लोगों का स्वतंत्र लेखन प्रतिबंधित कर दिया गया । उसने 4 अप्रैल को एक आदेश प्रसारित किया जिसके अंतगत गांधी के पंजाब में प्रवेश को रोक दिया गया । पर गांधी को यह आदेश तब दिखाया गया जब वह पंजाब सीमा पर 'पालवाल नामक छात्र स्टेशन पर पहुँचे । गांधी ने जब शिष्टता से आदेश मानना अस्वीकार किया तो उन्हें कद करके बम्बई भेज दिया गया । यह घटना 9 अप्रैल

1 देखें 'द इंडियन एण्ड एम्पाइरोर' ए स्प्रींग एण्ड डाक्यूमेंट्स ऑन द इंडियन का स्टडीयशन (2 भाग), भाग 1 चतुर्थी ए भी इंडियन का स्टडीयुशनल डाक्यूमेंट्स 3 भाग भाग 3 1949 प 158-67 ।



को हुई और इसकी सूचना लाहौर 10 अप्रैल को पहुँची। लोग स्तम्भित रह गये। आधे घण्टे में पूरे नगर में पूरा हड़ताल हो गई और सरकार की इस कायवाही के विरुद्ध विरोध व्यक्त करने के लिए एक भीड़ एकत्रित हो गई पर गोली चलाकर भीड़ को तितर बितर कर दिया गया।

पूरे पंजाब में विद्रोह की यह निशानी थी। जिस तिथि को लाहौर में गोली चलाकर भीड़ को तितर बितर किया गया था, उसी दिन अमृतसर में एक भीड़ एकत्रित हुई और वह ब्रिटिश कमचारियों व गैर कमचारियों के निवास क्षेत्र में सिविल स्टेशन होकर जाने का प्रयास करने लगी। पर इस भीड़ को नगर और सिविल स्टेशन को जोड़ने वाले रेलवे के निकट पुल पर एक छोटी ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी ने रोक दिया। इस भीड़ ने जो विनाशलीला उपस्थित की और तबाही मचाई उसके दुहराये जान की आवश्यकता नहीं है। इसमें सदेह नहीं कि शोध में तमाम लोग अपने मस्तिष्क का सतुलन खो बैठे। लाखों रुपया का सरकारी धन बर्बाद कर दिया गया। कुछ युरोपिया को बर्तल कर दिया गया और उनकी सम्पत्ति को आग लगा दी गई। पर विदेशी सरकार का प्रतिशोध और अधिक दूर था।

1921 में पंजाब विधायिका के एक सरकारी सदस्य जोसेफ ने कहा

यदि आपके घर में आग लगी हो और आप अग्निशामक इंजिन बुलवायें और वह आग बुझाने के लिए इतना तेज पानी फेंके कि आपका सभी पर्नीचर और कारपेट बर्बाद हो जाय तो बाद में यह विवाद करना किसी मतलब का नहीं है कि कितना बाल्टी पानी आग बुझाने के लिए पर्याप्त होता।<sup>1</sup> पर यह कोई उचित तक नहीं था।

### जलियावाला बाग की घटना

चूँकि विरोध जुलूस निकलना जारी रहा इसलिए 13 अप्रैल 1919 को पूरे प्रांत के प्रतिनिधि अमृतसर में जलियावाला बाग में एकत्रित हुये। एक दिन पूरा नगर निवासियों का सभा न करने के लिए सचेत किया गया था। पर खुराफानी त्रिगेडियर जनरल डायर के अनुसार उन्होंने उसकी अनसुनी कर दी। उसी के ही शब्दों में '13 अप्रैल को सायंकाल 4 बजे पुलिस ने मुझे सूचित किया कि उपरोक्त स्थान पर लोग एकत्रित हो रहे हैं। मैं नगर द्वारा नाकेबंदी के लिए सैनिक टुकड़ियाँ भेजी, (जिससे कि 10 तारीख की तरह भीड़ ब्रिटिश निवासा पर पुन आक्रमण न कर दे) और 25 राइफ्लें 9 वी मुरदा और 54 वी सिख एफ० एफ० के 25 राइफिल टुकड़ी एक 59 राइफिल एफ० एफ० को लेकर जा सब मिलाकर 50

<sup>1</sup> वेजिस्लेटिव कौंसिल रिपोर्ट पंजाब 1921।

राइफलें होती थी तथा 40 गोरखा का उनकी खुशरी सहित मे जलियावाला बाग मे एक ऐसी मकरी गली से पहुचा जिसके कारण हमे अपनी हथियार लैस कार को पीछे ही छोडना पडा । वहा पहुँचने पर मैने एक घनी भीड देखी जो लगभग 5 हजार रही होगी (जो वहा उपस्थित थे उनका कहना है कि यह 15 से 20 हजार के बीच रही होगी) । एक ऊँचाई पर एक व्यक्ति उहे संबोधित कर रहा था और अपने हाथ हिला हिलाकर कुछ समझा रहा था ।'

'मैने अनुभव किया मेरी सना छाटी है और हिचकिचाहट म आक्रमण सम्भव है । मैने तुरत गोलिया चलाई और भीड को तितर बितर किया । मुझे लगा कि भीड के 200 300 लोग गोली से मारे गये । मेर दल ने 1650 राउड गोलियाँ चलाई ।''<sup>1</sup>

मारे गये लोगो की यह सख्या बहुत ही कम है । और साथ ही इस घटना मे घायलो की सख्या भी बहुत थी । रुपट फर्नी लिखता है कि जनरल डायर "जब बाग से वापस लौटा तो वहा का दश्य दिल हिला देने वाला था । कम से कम 15 हजार भारतीय या तो मारे गये थे या छोटे या बडे धावा के कष्ट से कराह रहे थे । इनम बहुत स तो बच्चे थे । बीस हजार से अधिक लोगो ने तो इस मौत के घेरे से निकलन की चेष्टा की वाद के 2 1/2 घटा म जब तक कपयु रहा गलियो म भी डूढ-डूढ कर उहे मार डाला गया । व भारतीय जो उस रात बाग वापस लौट जिससे कि वे अपन सबधियो या मित्रा की तलाश कर सकें या घायलो को राहत द सकें उनकी भी मौत का खतरा था ।"-

पजाब के सैकडो नायको का, जिन पर उस दिन गोली चलाई गई, उनका खून आज भी उस बाग के पीधो म दौडता है और हमे पजाब के उन स्वतन्त्रता प्रेमी पुत्रा के दुख जार बलिदान की कहानिया बताता है जिहाने अपने जीवन का बलिदान किया ।

पर विदेशी प्रतिशाध की यह समाप्ति नही थी । 14 अप्रल को गुजरानवाला मे एक भीड पर हवाई जहाज से मशीनगनो मे गोली बर्पा की गई । गुजरानवाला, गुजरात लायलपुर गुरदासपुर और प्रात मे अन्य स्थाना पर विद्रोह को झूरता से दबाया गया । 15 अप्रैल को अमृतसर और लाहौर मे माशल ला लगा दिया गया जिसके अत्याचारा के विषय म काफी

1 हायस टस्टीमनी टु द हटर कमिटी—मो फर्नी रिपोट मसेकर एट अमृतसर लदन, 1963, प 17 24 108 11 दत्ता बी एन —जलियावाला बाग सुधियाना 1969 तु 111 118 भी देखें ।

2 फर्नी रुपट पूर्वोदत पृ 25 ।

कहा भी गया है जोर दिया भी। हम सबध में हटकर हमें ही रिपोर्ट का सर्दमित किया जा सकता है—

जहाँ तक मांगल तों का सबध है और तत्संबंधी आत्मिक मुक्तता का जा लागा व विच्छेद दूसरी अवहता व कारण जला पड़े, हम यह साचत है कि तमाम महत्वपूर्ण मामला में यह दुर्भाग्यपूर्ण था। भारत का अपन स्वल्प में अत्यधिक महत्त्व था कुछ पारित आदेश अत्याय युक्त व। इनमें कोई अच्छा उद्देश्य पूरा नहीं होता था और हमारे मतानुसार जनता की कठिनाइयाँ पर चानाही से विजय पाते व तिय दाम कुछ नहीं किया गया था।<sup>1</sup>

आग व फिर सक्षम दत्त है—

1 जनरल डायर का रॉयल फौज आदेश जिसकी बिसी ने भा तरफ्तारी नहीं की।

2 जनरल कम्पेन का मलामी आदेश जिसमें गुजरानवाला व सागा को कहा गया कि व ब्रिटिश अधिकारियों से जहाँ भी मिलें उनसे उम्मी तरह से सलाम करें जस व भारतीय उच्चवर्ग व सागा में मिलता पर करत हैं। इसमें भारतीय परम्परा को अपनाया जाय।

3 कनल फौज जानसन ने यह आदेश दिया कि लाहौर व 10 बालजा में से 4 बालजा के छात्र जिन्होंने बलवा में भाग लिया था व तिन में 4 बार उपस्थिति दें जिससे व पढ्यक्त में सम्मिलित न हों।

4 उसी अधिकारी व एक बालजा के 50 व 100 लठवा का 24 घंटे में लिय किल में बंद किया जिन्होंने मासल का की प्रतियाँ पाठ डाली थी।

5 लाहौर में लागा को सबवे सामने काड़े लगाय गय और सामान्यतया जय स्थाना पर भी लागा पर काड़े बरसाय गय।

6 'कमूर में कैंपेन डाक्टन व हास्यास्पद दंडा की व्यवस्था की जैसा अपराधियों को मारने से भूमि छुन का कहना और उछल बूट करन का कहना। यह करने के बाद उन्हें बोड़े अय दंड और बंद से छूट जैसी साधारण पर कठोर दंड से मुक्ति मिल जाती थी।'

पर जोर अधिक रुचिकर बात यह थी कि जिन्होंने इस आंदोलन में महती भूमिका अदा की उन्हें बतल करन के बाद और जिन्होंने इस आंदोलन में कम महत्वपूर्ण भाग लिया था उन्हें 'यायालयों के माध्यम से दंडित करान के बाद अब अमृतसर नगर में हुई हानि के लिए उन लागा को भी हजाना दान को बाध्य किया गया जिनका इस आंदोलन से कोई ताल्लुक ही नहीं था।

1 देखें जोहायर पूर्वोक्त प 302-03 वाली एस थी एडविन माटथ्य प 206-09 मुकूर्जो हीरोरेड नाथ इण्डियाज स्ट्रगल फार फ्रीडम प 110।

बीस लाख छप्पन हजार रुपये का हर्जाना लगाने का निश्चय किया गया जिसमें से 1,43,000 रु० पुलिस के लिए और शेष जिनकी हानि हुई थी उनके लिये था। अमृतसर नगरपालिका इसे अस्थायी उच्च चुगियो द्वारा वसूलने वाली थी और अचल संपत्ति की बिक्री पर अलग से एक उच्च अधि-भार लगाया जाने वाला था। यह हर्जाना जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सेक्शन 15 ए (2) (c) के पुलिस ऐक्ट के अंतर्गत लगाया जाना था जिसमें परिवर्तन या तो क्षेत्रीय कमिश्नर कर सकता था या स्थानीय सरकार। इसी तरह पुलिस को देय हर्जाना भी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सेक्शन 15 (4) के पुलिस ऐक्ट के अंतर्गत लगाया जाना था।

सर रवींद्र नाथ टैगोर ने सरकार के इन अमानवीय कार्यों के विरुद्ध अपने नाइटहुड का परित्याग कर दिया और एक पत्र म वाइसराय को लिखा, "जब ऐसा समय जा गया है जब प्रतिष्ठा का तमगा इन अपमानजनक काय-वाहिया के सद्भ में पहनना असंगत लगता है।" सर शंकरन नायर ने वाइसराय के कायपालिका के सदस्यता से इन्कार कर दिया। इस सबके कारण सरकार के जलियावाला बाग की दुष्टना पर पदा डालने के काय पर बड़ी आच आई। इसी के कारण सरकार को अक्टूबर 19 9 में लाड हण्टर के अधीन एक जाच समिति बठानी पडी जिसकी रिपोट का प्रकाशन माच 1920 में हो पाया। रिपोट में अपराध करने वाला को मुक्त करने का शमनाक प्रयास किया गया तथा उनका तिरस्कार भी नहीं किया गया। ब्रिटिश ससद के हाउस आफ लाड्स के सदस्य ने जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का नायक ही नहीं स्वीकार किया बरिक्त उसे 12000 पौण्ड व एक तलवार भेट में दी। हीरेन्द्र नाथ मुखर्जी ने ठीक ही कहा कि, "साम्राज्यवाद का असली चेहरा अब भारतीयों के लिए वेनकाव हुआ और हम अपने मस्तिष्क से रज क्रूरता और नरमेध को कभी नहीं निकाल सके।" श्रीमती एनी बसेट हटर कमेटी के समक्ष सनिक अधिकारियों की गवाहिया पढकर दग रह गई। हाउस आफ लाडस की कायवाही ने तो उनका माथा शम से नीचा कर दिया।

इसी बीच कांग्रेस ने अपनी छानवीन की एक अनग समिति बनाई जिसमें गाधी, पंडित मालवीय, पंडित मोतीलाल नहरू और अया को रखा गया। इस कमेटी ने अमृतसर के सैनिक अधिकारियों के क्रूर व्यवहार की आलोचना की और मर हुए व घायल लोगों के परिवार के लिए हर्जान की माग की तथा अपराधियों को दंड देने को कहा। इस रिपोट पर न ता ध्यान दिया गया और न रसकी परवाह की गई। इसी बीच सरकार ने इ डेमनिटी ऐक्ट पारित कर दिया जिसके अंतर्गत गोली चलान वाले सभी लोग दोषमुक्त हा

गये। इस तरह यह वह एक घटना थी जिसने सरकार के ईमानदारी से वाय करने के प्रति विश्वास का गांधी जी के मन से तिराहित कर दिया और फल स्वरूप उन्हें असहयोगी बना दिया।

## खिलाफत आंदोलन

युद्ध की समाप्ति पर भारत के मुसलमान तुर्की के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार से परेशान थे। पर उनका भय उस समय जाता रहा जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने यह आश्वासन दिया कि उससे एशिया माइनर और प्रस के घनी मानी क्षेत्रों का न ता अपहरण ही किया जायगा और न उसके विरुद्ध प्रतिशोध की नीति ही अपनाई जायगी। सतुष्ट मुसलमानों ने इसीलिए ब्रिटिश युद्ध योजनाओं में दिलोजान से सहायता की। पर जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया वादा पूरा नहीं किया जायगा। इस स्थिति में गांधी मुसलमानों के समर्थन में जुटे जिससे हिंदू मुस्लिम दूरी में भी कमी आय। 24 नवम्बर 1919 को गांधी के नेतृत्व में दिल्ली में एक खिलाफत सम्मेलन हुआ जहाँ से एक शिष्टमंडल मि० असादी के नेतृत्व में गवर्नर जनरल से मिलने को भेजा गया पर इसका कोई सुपरिणाम नहीं हुआ। मौलाना मुहम्मद अली और उनके भाई शौकत अली को 1920 में इंग्लैंड भेजा गया, पर इसमें भी कुछ हासिल नहीं हुआ। जब मई 1920 में सेवरे की सधि घोषित हो गई तो भारतीय मुसलमानों का भय सच सिद्ध हुआ। 10 अगस्त 1920 में होने वाली सधि में पूरा एशिया माइनर और प्रस को तुर्की से छीन लिया गया। उसके अरब प्रांत इंग्लैंड व फ्रांस के हाथ चले गये। तुर्की का सुल्तान मुसलमानों का आध्यात्मिक नेता कदी की तरह जीवन बिताता अपने खिलाफत के प्रतिष्ठापण पद का गवा बैठा। 'तुर्की के साम्राज्य को इसी तरह बर्बाद करने की योजना ही बनी थी जिससे वह केवल एक भूतकालीन शीय के रूप में शेष रह जाय। और इसने भी गांधी को ब्रिटिशों का असहयोगी बना दिया।'

इन परिस्थितियों में मई 1920 में गांधी के परामर्श पर अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने उनके असहयोग आंदोलन की योजना को अपना लिया। ऐसा ही चार महीने बाद कलकत्ता के कांग्रेस सम्मेलन ने भी किया। चूँकि उदारवादियों ने इसे 1912 में ही छोड़ दिया था इसलिये यह सस्था अति वादियों के नियंत्रण में थी। पर फिर भी गांधी के असहयोग के प्रस्ताव की स्वीकृति आसानी से नहीं हुई। इसका विरोध प० मालवीय श्रीमती एनी बेसेन्ट,

सी० आर० दास वी० सी० पाल और जिना ने किया। पर अतत असहयोग के पक्ष में सात मतों के बहुमत से प्रस्ताव पारित हो गया। इस परिस्थिति ने गांधी को कांग्रेस सगठन का अति महत्वपूर्ण व्यक्ति सिद्ध कर दिया और दिसंबर 1920 में नागपुर में जब इसका सम्मेलन हुआ तो प्रचण्ड बहुमत से उनकी योजना को पुनः स्वीकृति प्रदान की गई। के० एम० मुंशी ने लिखा है कि नागपुर का कांग्रेस सम्मेलन “राजनतिक सगठन से अधिक एक ऐसा धार्मिक सम्मेलन लगता था जिसमें एक नये मसीहा के आगमन का स्वागत किया जा रहा था।”<sup>1</sup>

1920 का कांग्रेस का नागपुर सम्मेलन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में, तीन कारणों से एक महत्वपूर्ण घटना थी। प्रथम, इस समय से राजनतिक सुविधा प्राप्त करने के लिए पुराने सवधानिक पथ का परित्याग कर दिया गया और अब उद्देश्य की प्राप्ति के लिये हर सम्भव शांतिपूर्ण और वैधानिक रास्ता अपनाने का निश्चय हुआ। दूसरे, ब्रिटिश साम्राज्य के अतगत स्वशासन के उद्देश्य का परित्याग कर दिया गया और “यदि सभव हो तो ब्रिटिश साम्राज्य के अतगत और यदि आवश्यक हो तो इसके बाहर स्वराज” को गतव्य निश्चित किया गया और तीसरे 31 जुलाई 1920 को तिलक की मृत्यु के बाद गांधी कांग्रेस के नेता हो गये और अपने नये नये प्रयोगों के आधार पर कांग्रेस की नौका अपनी मृत्यु तक खेते रहे।

### असहयोग आ दोलन

नागपुर में असहयोग के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पारित हुआ उसके दो भाग थे। प्रथम देश से यह आग्रह किया जाना था कि वह निम्नलिखित का बहिष्कार करे—

- (1) 1919 के गवर्नमेण्ट ऑफ इंडिया ऐक्ट के अधीन होने वाले चुनाव का
- (2) सरकार द्वारा स्थापित न्यायालयों का,
- (3) सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों एवं न्यायालयों का
- (4) विदेशी माल का
- (5) नामित पदों से इस्तीफा दे दिया जाय और सरकारी पद व प्रतिष्ठा को वापस कर दिया जाय
- (6) कोई सरकारी दरवार में उपस्थित न हो तथा सरकारी अधिकारियों

1 मुंशी व एम पूर्वोद्धृत भाग I प 23। मि जि ना व कुछ अन्य लोगों ने इस सम्मेलन के बाद कांग्रेस का त्याग कर लिया। उनका निश्चित मत था कि ऐसा असवधानिक आंदोलन निश्चित ही अत्यधिक हिंसा को आमंत्रित करेगा।

के स्वागत में किये जाने वाले सरकारी या असरकारी वायत्रमा में सम्मिलित न हुआ जाय

(7) सनिक मजदूर और लिपिक के रूप में कार्य करने वाले वे लोग जो मेसोपोटामिया भेजे जा रहे हैं वे जान सं इकार करें। इसके अतिरिक्त यह निश्चय हुआ कि—

- (अ) सरकारी न्यायालयों का स्थान लेने के लिए प्राइवेट न्यायालय स्थापित किए जायें
- (ब) शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेज स्थापित किए जायें,
- (स) हाथ से कताई और बुनाई प्रारम्भ की जाय और पूर्ण स्वदेशी अपनाई जाय,
- (द) छुआछूत की बुनाई में सघन किया जाय।

1921 के प्रारम्भ से असहयोग आन्दोलन अपनी पूर्ण तीव्रता से प्रारम्भ हुआ। मोतीलाल सी० नार० दास, विठ्ठल भाई राजेन्द्र प्रसाद बल्लभ भाई पटेल जैसे लोगो ने अपनी चलती बकालत छोड़ दी। गवर्नमेण्ट स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले न रहे और उनके स्थान पर वंगाल नेशनल विश्व-विद्यालय दिल्ली का जायिया मिलिया, नेशनल मुस्लिम युनिवर्सिटी (जलीगढ़), लाहौर का नेशनल कॉलेज, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ आदि में शिक्षा दी जाने लगी। स्वदेशी कपड़े का प्रयोग बढ़ा और विदेशी कपड़े का घटा। बीस हजार चरखे बनाये गये और लगभग 40 लाख लोग कांग्रेसी बालटियर हो गये। चरखा को कांग्रेस झण्डे में भी स्थान मिला। लोग कितने उत्साह में थे इसी से स्पष्ट है कि मार्च 1921 में जब कांग्रेस ने एक करोड़ रुपये की आवश्यकता बताई तो यह धन शीघ्र ही वसूल हो गया। एक लाख रुपये वार्षिक में जमनालाल बजाज ने प्रकटित करने वाले बकीला के लिये देने की घोषणा की। उपाधियाँ वापस कर दी गई और न्यायालयों का परित्याग किया जाने लगा। कांग्रेस में चुनावों में भाग नहीं लिया जिससे असहयोगियों के सरकार भक्तों का चुनाव हो गया। 774 सीटों में से 6 सीटों पर कोई न लड़ा।

चेम्सफोर्ड सरकार ने बदले की भावना से काम लिया और इस आन्दोलन को दबाने के लिए कठोर कदम उठाये। सेडीसस मीटिंग्स ऐक्ट पारित किया गया और बहुत से नेता जेल में बंद कर दिये गये। पर इससे आन्दोलन और हिंसात्मक हो गया। इसी समय चेम्सफोर्ड पद मुक्त हो गया और वायसरॉय के रूप में रीडिंग उत्तराधिकारी हुआ। उसने काल में हिंसा पर बाधों को पहुँच गई। 20 अगस्त 1921 का मालाबार में मोपलो ने धनधोर बदला लेकर प्रशासन को वृद्धित कर दिया। मोपला विद्रोह का एक दुर्भाग्य

शाली पक्ष यह भी था कि इसके शिकार बहुत से हिंदू भी हुए। मोपला विद्रोह इतना सफल था कि सरकारी शासन के स्थान पर खिलाफत गणतंत्र की स्थापना कर दी गई। 17 सितम्बर 1921 को अलीभाइयो को पकड़कर सरकार न कायवाही प्रारम्भ की। कांग्रेस की कायसमिति न इसकी आलोचना की और इसके विरोध में भारत में राजकुमार वेल्स के आगमन पर उस समय देशव्यापी हड़ताल का निश्चय किया जब वे नवीन सविधान के प्रारम्भ का उद्घाटन करने वाले थे। 17 नवम्बर को जैसे ही वेल्स बम्बई पहुँचे नगर के हड़ताल न उसका स्वागत किया। पर इस हड़ताल के कारण दुर्भाग्य से कुछ सहयोगियों और असहयोगियों के बीच हिंसात्मक चगड़े भी हुए जिससे गांधी को एक शिक्षा मिली और उन्होंने कट्टु शब्दा में इन घटनाओं की निंदा की।<sup>1</sup> सरकार भी कठोर हो गई और उसने खिलाफत गठन को अवध घोषित कर दिया। गोली और लाठी की बौछार होने लगी और जनसभाओं पर रोक लगा दी गई। पर सरकार विरोधी कायवाहिया अब भी चलती रही।

दिसम्बर 1921 में राजकुमार कलकत्ता आने वाले थे। इसके पूर्व लाड रीडिंग ने कांग्रेस से समझौता करने का प्रयास किया पर कांग्रेस न अली भाइयो को छोड़े जाने में पूर्व कुछ भी मानने से इन्कार कर दिया। के० एम० मुशी के अनुसार लाड रीडिंग ने कहा कि कलकत्ता में राजकुमार के पहुंचने के एक सप्ताह पूर्व वहाँ एक गोलमेज सम्मेलन बुला ली जाय जिसमें वह ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा और भारत गांधी जी सहित अन्य राज नीतिज्ञा के नेतृत्व में बात करेगा।<sup>1</sup> रीडिंग ने आगे कहा कि "इस सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार की ओर से प्रांतीय स्वशासन को स्वीकार कर लिया जायगा तथा केन्द्र सरकार में भी द्विमतक की सभावना पर विचार करेगा। सभी राजनीतिक बहिया को मुक्त कर दिया जायेगा।"<sup>2</sup>

तमाम नेताओं ने गांधी से इसे स्वीकार कर लेने को कहा पर गांधी ने जाधे दजन मौलविया के प्रभाव में यह कहकर इसे अस्वीकार कर दिया कि जब तक खिलाफत आन्दोलन के बंदी नहीं मुक्त किए जायेंगे इस बात को नहीं स्वीकार किया जायेगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण था। सी० आर० दास क्रोध से भरे उनकी बगल में ही थे। उन्होंने कहा कि 'जीवन का एक अभूतपूर्व अवसर खो दिया जा रहा है।' जो भी हो 1921 का अंत आते-आते जहमदाबाद में कांग्रेस का सत्र हुआ जिसमें यह निणय किया गया कि सविनय अवज्ञा आन्दोलन को प्रारम्भ किया जाय और असहयोग आन्दोलन को और भी तीव्र

1 मोतारमय्या की बी। स्टूडी आफ इण्डियन नेशनल काँग्रेस भाग 1 प 221।

2 मनी पूर्वोद्धत भाग 1 प 23।



बनाया जाय। कांग्रेस की सम्पूर्ण वायकारिणी शक्ति एक व्यक्ति, गांधी का पूणतया सौंप दी गई। इस तरह यह आदालत सरकार की श्रुत नीति की छाया में तीव्रतर होता गया। जहाँ-जहाँ राजकुमार गय याली सडका न उनका स्वागत किया और उनका स्वागत म किया गय सभी वायत्रमों म लोग न भाग नहीं लिया। लगभग 30 हजार राष्ट्रवादिना का जेल म डाल लिया गया जिनम मोतीलाल नहर, साजपतराय अब्दुल कलाम आजाद, असी भाई एक अय लोकप्रिय नेता सम्मिलित थ। लोकप्रिय नेताओं म गांधी मात्र बाहर थे।

### आदोलन का स्थगन

पर यह आन्दोलन ऊपर से सफल दिखाई पडने के बावजूद तजी से टुकड़े टुकड़े हो रहा था। गांधी का नारा अहिंसात्मक असहयोग का था पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए यह मुश्किल म अहिंसात्मक था। जब सभी नता जेल म डूंग दिय गये तो अनुशासनहीनता का वेग और अगगटन का भाव तीव्रतर हा गया। पंडित नेहरू<sup>1</sup> न लिखा है कि सधप का सिद्धांत व उद्देश्य निरूपित नहीं हुआ था और एक अस्पष्ट स्वराज जिसके पीछे कोई स्पष्ट आशय न हो और वह भी अहिंसात्मक विधि पर आधारित हो, लोग का लोकप्रिय उत्साह अजित नहीं कर सकता था। सरकार की ओर स भयानक रूप स दवाव न इस और अनुत्साहित कर दिया। इस आदोलन के प्रभाव का मापला<sup>2</sup> विद्रोह ने और हीनता प्रदान कर दी। पर मापला विद्रोह मात्र हिंसात्मक ही नहीं था। 26 अगस्त 1920 को एक मुस्लिम बटटर पथी न उत्तर प्रदेश म मेरी के डिप्टी कमिश्नर मि० आर० डब्लू० डी० विलोवी की हत्या कर दी। हिंदू मुस्लिम समूह मे दरार नजर आन लगी और इसकी सभावना लगने लगी कि पूरे देश मे साम्प्रदायिक व धर्म सधप प्रारम्भ हो जायगा। स्थिति उस समय और दयनीय हो गई जब अहमदाबाद के कांग्रेस सत्र के बाद फरवरी 1922 म गोरखपुर जिले के एक गांव चौरी चौरा म सामूहिक हिंसा भडक उठी। यहा पर काफी लोग का कांग्रेसजनों का समूह लगभग एक हजार किसानों की सहायता स अधिकारियों से भिड गया। इस पर जब पुलिस ने गाली चलाई तो उन्होंने प्रतिशोध म 2। पुलिस वालों और एक सब इस्पेक्टर को घाने म ही धर कर जला दिया। इस घटना न गांधी जी को आतंकित कर दिया जिस पर उन्होंने घोषणा कर दी कि जनता अभी अहिंसात्मक आदोलन के योग्य नहीं है। उन्होंने आदोलन को स्थगित कर देने की घोषणा की।

1 नेहरू ज एक आदोबाईदाफी प 269।

2 इंग्लिश का रटीच्यशनल डिकू मेण्टल 1757-93 (तीन भाग) भाग 3 1917 1939 एडिड बाई ए सी बनर्जी 1949 प 164।

कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए यह घोषणा अत्यधिक आश्चर्यपूर्ण घटना थी। माती लाल नेहरू, सी० आर० दास, लाजपत राय, अली भाई और जवाहर लाल नेहरू सरीखे महत्वपूर्ण नेताओं ने गांधी की इस घोषणा की आलाचना की। गांधी के एक प्रशंसक रोमा रोला ने इन नेताओं की भावनाओं को इन शब्दों में चित्रित किया है, 'राष्ट्र के सभी तत्वों को एकत्रित कर उन्हें निर्धारित आंदोलन में सम्मिलित कर उन्हें हाथ उठाने का आदेश देना व पूरे राष्ट्र को हाकने की स्थिति में छोड़ देना खतरनाक था। इसके बाद उनको हाथ नीचा करने का आदेश देकर तीन बार रुकने को कहना वैसे ही था जैसे कोई मशीन बड़ी मुश्किल से चलने लगी हो तो उसे रोक दिया जाय।' सचमुच एकाएक इस अवसर पर गांधी लोगों की दृष्टि में गिर गये और सरकार ने उन्हें कैद कर लिया और 10 मार्च 1922 को उन पर आरोप लगा दिये गये। यह ऐतिहासिक मुकदमा अहमदाबाद के सेशन जज मि० ब्रूम्सफील्ड के न्यायालय में प्रारम्भ हुआ। गांधी ने अपनी गलती स्वीकार की और उन्हें 6 वर्ष की कैद की सजा हुई। इस तरह उस समय असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ। गांधी को 5 फरवरी, 1924 को जेल से रिहा कर दिया गया। उनकी सजा का काल अभी शेष था इसलिये उन्हें अस्वस्थता के आधार पर मुक्त किया गया और फिर असहयोग आंदोलन की क्रिया भी पूरी हो गई थी।

### मूल्यांकन

अहिंसात्मक असहयोग का गांधी का नवीन प्रयोग पर्याप्त आलोचना का विषय बना हुआ है। सर सी० वार्ड० चित्तामणि ने कहा है कि "दो नवरात्रत्मक बातें एक सकारात्मक बात की रचना नहीं करती।"<sup>1</sup> श्रीमती एनी बेसेंट ने बताया कि असहयोग मान 'भारत की गिरी हुई अवस्था के विरुद्ध असतोष अभिव्यक्तिकरण का एक फूहड़ तरीका था।" इस सम्बन्ध में एनी बेसेंट ने आगे लिखा है कि "ईसाई पुरातन ग्रंथों में एक स्थान पर आग्रह किया गया है कि शतानुप्रकाश के देवदूत के रूप में भी उतर कर सामने आ सकता है। यह उदाहरण इस आंदोलन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है जिसके अहिंसात्मक गुणों के विषय में प्रारम्भ से ही बताते समय मक्खन से भी मुलायम शब्दों का प्रयोग किया गया। जबकि सच यह था कि इसके प्रारम्भ होने के काल से ही इसके हृदय व व्यवहार में युद्ध की एक ज्वाला थी।"<sup>2</sup>

1 चित्तामणि सर सी वार्ड इण्डियन पार्लियामेंट सि स द इण्डियन प 187।

2 बेसेंट एनी द इण्डियन रट शल बी प 25।

3 वही प 114।

सच यह था कि प्रारम्भ से ही हड़ताल और असहयोग झगड़े और खून खराबी को प्रोत्साहित करता था। प्रथम अखिल भारतीय हड़ताल ने मिल्ती में दगा ला दिया। पुन राजकुमार वेल्स के बम्बई आगमन के अवसर पर गभीर बलवा सा उपस्थित किया। इसी हड़ताल के अस्त्र ने पंजाब में कठिनाइया प्रारम्भ कर दी।<sup>1</sup> नवीन सविधान के अन्तगत जो चुनाव हुये असहयोगियों ने बड़े ही अपमानपूर्ण ढंग से दुसाहसी चुनाव अम्याथिया पर कीचड उछाला। चित्तामणि ने लिखा है मैं व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कहता हूँ कि अहिंसात्मक हिंसा या हिंसात्मक अहिंसा का कोई अंत न था जिसके माध्यम से अपने विषय में सोचने वालों को परेशान किया गया।” चूँकि हड़ताल और असहयोग की मित्रता डराने घमसान से थी इस कारण यह अस्त्र भारतीयों के योग्य नहीं था। पर गांधी वेस्ट के मतानुसार, अस्पष्ट स्वप्निल, गूढ़ और माधारण मानव स्वभाव पान से दूर थे।”

इस जादोलन ने हजारों परिवारों के लिए मुसीबत ला पड़ी की। बहुता न अपनी नौकरी छोड़ दी युवकों ने विद्यालय छोड़ दिया और विद्यालया में अधिकारिया माता पिता शिक्षकों और सरकार के विरुद्ध विरोध के विद्रोह भावना व्यक्त हो गई। यदि वकीला और अय लोग ने अपना पेशा त्याग दिया या नौकरी छोड़ दी तो उनके देव भाल के तिये कोई धन एकत्रित नहीं किया गया। और लोग के इतने त्याग और कष्ट ने उन्हें स्वराज दिलान में सहायता न देकर पुन कौसिना की जार वापसी का पथ दिखा दिया गया। इस परिस्थिति में दल का केवल यह लाभ मिला कि उसने अपन विरोधी दल के विरुद्ध हथियार साफ किये। सच तो यह था कि उन्होंने कुछ ऐसी भयानक भूलों की जिससे कि कई कठिनाइया आ उपस्थित हुई। यदि गांधी सुधार की इस पूव सध्या पर अपने जादोलन को लेकर न कूद पडते तो भारतीय राष्ट्रवादी नेता संगठित बने रहते और विधायिका तथा अय स्थानों पर पद प्राप्त कर लेते और उस माध्यम से सरकार पर समुचित दबाव डालने में समर्थ हो सकते थे जिसके फलस्वरूप कहीं बेहतर परिणाम सामने आते। सच तो यह था कि गांधी न ‘विभिन्न मतावलम्बियों के बीच शांति और शांत ढंग से वार्ता का शानदार अवसर हाथ आन से गवा दिया।’<sup>2</sup>

गांधी की यह आश्वस्तता कि वे स्वराज एक वष में प्राप्त कर लेंगे, समवतया असंभव था। ऐसा इसलिए था कि संपूर्ण राष्ट्र को एक वष के भीतर अहिंसा की बुलदियों पर पहुँचा देना सरल न था और न ही नौकरशाही का वे अपनी

1 वही प 150, 174।

2 चित्तामणि पूर्वोद्धत प 84।

3 वही प 137।

जाहू की छड़ी स, इतन ही काल म भयभीत कर सकते थे ।<sup>1</sup> पर यदि हम यह मान भी लें कि वे सफल भी हो जाते तो उसके बाद ? हम मालूम है कि इसके पहले क्या किया गया था । मालावार म खिलाफत राज्य ने, जिसकी कूरता को अनेक समयक न नजरदाज किया, हिंदू मुस्लिम समझौते तथा असहयोग को मार डाला यदि उनके हाथ यह (स्वराज) लग भी जाय तो वे शांति कायम नहीं रख सकते । फिर तो हमार सामने होगी अव्यवस्था हत्या आगजनी बलात्कार लूटपाट निधनो का विद्रोह और धनीमानी लोगों का कत्ल ।

कानून की अवहलना के परिणाम की भी अनदेखी नहीं की जा सकती थी । श्रीमती एनी बेसेट के अनुसार यह अशिक्षिता म तथा अपराधियों म ही अव्यवस्था करने के भाव को प्रोत्सहित करता है जो समाज के आधार की जड़े काटना प्रारम्भ कर देता है । यदि वतमान सरकार इस भाव को बढ़न देती और इस पर रोक् न लगाती तो वह भारतीय उत्तराधिकारियों को कानून के मानन वाली जनता की जगह अव्यवस्था स पूरित जनता को सौंप कर जात ।”

गांधी रीसामसीह के सिद्धान्त के प्रयोग म विश्वास करते थे । (यदि आपके एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो आप उसके सामने दूसरा भी गाल कर दे ।) इस पर विशप भागी न अपना वक्तव्य दिया कि यदि कोई राष्ट्र इस शिक्षा का पालन करेगा तो वह एक सप्ताह म ही नष्ट हो जायेगा । विशप की बात यदि बाट म होने वाले भारत चीन सघप के सम्बन्ध म देखी जाय तो खरी ही उतरती है । यदि यह कहा जाय कि गांधी की नीति क कारण भारत जागरूकता व तैयारी की स्थिति म नहीं रहा और उसका अपमा हुआ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी ।

गांधी की खिलाफत समिति समझौता भी एक भयानक भूल थी । यदि ब्रिटिश प्रधानमंत्री अपन वादे से मुकर भी गया हो और खिलाफत की माग पूणतया सच भी रही हा तो भी पूणतया एक धार्मिक प्रश्न का उठाया जाना जिसस केवल मुसलमान ही प्रभावित होता था और उस भारतीय राजनीति का एक अभिन जग बनाना एक नवीन त्रासदायी बहुकाव का कदम था जिसके कारण तत्कालीन परिस्थिति म ऐसा माड आया कि देश की स्थिति म विचित्र सभवतया श्री गोखले ने सच ही म श्रीमती बेसेट से कहा था कि गांधी

1 क्वींग्वर पूर्वोद्धत प 112।

2 देखें बेसेट एनी पूर्वोद्धत प 139 144।

हमारे राजनतिक आदोलन को एक गहरा आघात प्रदान कहुँगे ।'<sup>1</sup> यहा तक कि जब डा० टगार से उनक एक मुरापीय मित्र ने गाधी की तीन अच्छाइया और तीन बुराइया गिनाने को कहा तो उन्हाने उनके सारे गुण-दोषा को एक ही शब्द म बताते हुय कहा कि वह है "असमति ।"<sup>2</sup>

पर जब यह सब कहा जाता है तो हमे यह भी नही भूलना चाहिय कि गाधी के इस नवीन आदोलन ने साधारण जन मे जागृकता पैदा कर दी । जनता म वीरता, भयहीनता और आत्म निभरता का गुण उत्पन्न हो गया, ला आफ सडीसन की खुलआम आलोचना होन लगी, जेल को तीथ स्थल के रूप म माना जान लगा और कार्गसजना को अधिकारिया के विरुद्ध खुले संघर्ष की सफल अनुभूति हो गई । रचनात्मक क्षेत्र मे शराबबंदी को प्रोत्साहित किया गया हाथ स सूत कातने पर जोर दिया और हाथ से कपडा बुनना लोकप्रिय हो गया । लोकप्रिय नताभा का प्रिय वस्त्र खादी हो गया ।

1921 म चेम्सफोड भारत स पद निवृत्त हो गया और इंग्लंड वापसी पर विम्पाउष्ट बना दिया गया । 1924 म लेबर सरकार न उसे ऐडमिराल्टी का प्रथम लाड बना दिया । उसने और भी कई महत्वपूर्ण पदा पर काम किया और 1932 म एकाएक उसकी मृत्यु हो गई । चेम्सफोड के उत्तराधिकारी वायसराय रीडिंग न उसक विषय म तिष्ठा मरी समझ स उसमे बने ती ध्यक्तिगत आक्षेप और सदध्यवहार का अभाव था, जिसने उसके रास्त को भूतकाल म बटकाकीण बनाया होगा पर उसम उच्च उद्देश्य का न तो अभाव था और न भारत के लिए बहुत कुछ कर गुजरन की इच्छा की कमी ।<sup>3</sup>

1 बरी पृ 103 ।

2 क्वीन्सर मानव मिद् इण्डियात्र पारट चार व्रीडम 1936 प 109 ।

3 हारड एच० मान्टगोमरी साइ रीडिंग पृ 340 ।

# माक्विस राडग

(1921-1926)

वह फला के व्यापारी फिसबरी स्ववायर का लडका था। उमकी माँ सारा डैनियल डेविस, रयुफस डैनियल जाइजक्स की पुत्री थी। वह बाद में माक्विस का रीडिंग हा गया। रीडिंग का जन्म 10 अक्टूबर 1860 को हुआ। आइजक्स का परिवार यहूदी जाति से संबद्ध था। उमें यूनीवर्सिटी कॉलेज व स्कूल व ब्रसेल्स तथा हनोवर में शिक्षा मिली। पर वह इससे भी ऊँची डिग्री पान में सफल न हो सका। फलस्वरूप 16 वष की ही आयु में जहाज पर एक छोटी सी नौकरी कर ली। उसने इस तरह दक्षिणी अमरिका और भारत की यात्रा की। इंग्लैंड की वापसी पर उसने पारिवारिक धाय करन का निश्चय किया पर सफन न हो सका। इस कारण 1887 में उसने बवालत करन का निश्चय किया और मिडिल टम्पुल में कायरत हा गया। इसी वष उसने एक हेम्ब्रग व्यापारी की पुत्री एलिस यडिय से विवाह कर लिया। बवालत में उसने अभूतपूर्व सफनता प्राप्त की। यहाँ तक कि 1904 में जब वह एम० पी० हुआ तो उसकी वार्षिक आय 28 हजार पाण्ड की थी। कामस में अपनी सफलता के बाद उस एस्क्विय न पहले सालिमिटर जनरल और फिर एग्जिक्यूटिव जनरल नियुक्त कर दिया। 1912 में उमें प्रीवी कौंसलर बना और फिर बैबिनट स्तर का मंत्री। दूसरे वष उमें इगर्नट का एग्जिक्यूटिव जस्टिस बना दिया गया। कुछ ही महीना के बाद उमें लाइ गेजिटिव के स्तर से बरा बना दिया गया। 1915 में उमें जी० सी० वा०, ए० ए० ए० म गवर्नर बन गए। अतः 1921 में लाइ चेम्सफोड के उत्तराधिकारी व गवर्नर का धायसराय बना लिया गया।

धायसराय के पद पर उमकी नियुक्ति की माँग करने वाले पत्रों ने आलोचना की ब्यापि वह यहूदी था। यहूदों के प्रति पक्ष में थे ब्यापि उह आशा थी कि जर्मनी के गवर्नर के रूप में वे भारत के लिये रवाना हुआ ता उमें भारत के गवर्नर के रूप में कार्य करने का अवसर मिले।



नवीन सुधारा के अतगत शांतिपूर्ण एव मवैधानिक तरीके से काय करने की दिशा मे एकाग्र प्रयास करना चाहिए जो पहले मे ही पूणता की स्थिति म पहुच जाने को है ।”<sup>1</sup>

भारत म राजनैतिक वातावरण को शांत बनान के लिए उसने प० मदन मोहन मालवीय की सेवाजा का लाभ उठाया—जिहने गाधी व वायसराय के बीच साक्षात्कार करवाया । मई 1921 म शिमला म महात्मा ने 6 बार वायसराय से भेंट की । गाधी के बाह्य वशभूपा मे वायसराय तनिक भी आकृष्ट नही हुआ पर उनके धार्मिक और नैतिक विचारो की प्रशसा की । गाधी न सम्पूर्ण भाव मे वायसराय के प्रति आदर व्यक्त किया । जब वायसराय ने गाधी से पूछा कि किस बात ने उन्हें सरकार के प्रति असहयोगी रुख अपनाने को बाध्य किया है, तो उन्होंने कहा कि सरकार का प्रत्येक काय जो देखने मे तो ठीक लगता है पर उसके पीछे भारत पर ब्रिटिश सरकार की सत्ता को और शक्तिशाली बनान का उद्देश्य है । उन्होंने कहा कि उनके वतमान दृष्टिकोण का यही प्रमुख आधार है । य वठकें अत्यधिक अच्छे वातावरण म हुई पर इससे असहयोग आंदोलन पर कोई प्रभाव नही पडा और वह चलता रहा ।

17 नवम्बर 1921 का वल्स क राजकुमार भारत की यात्रा पर जाय । उनके साथ उनके नवसना सहायक ए० टी० मी० सब-लेफ्टीनेट लाड लुई माउटबेटन भी आय जा बाद म भारत के अंतिम वायसराय हुय । गाधी न अपन समथका स राजकुमार वेल्स के स्वागत म सहयोग न करने का आह्वान किया । सम्राट के उत्तराधिकारी ने पूरे महाद्वीप म पोलो खेल के मैदाना मे घोडा के टापा की आवाजे सुनी और खाली व सूनी सडका क दशन किये जो कि गाधी के हडताल जाह्वान का परिणाम था । छ सप्ताह बाद वम्बई मे जब वह कलकत्ता पहुचा ता राजकुमार का मोह भग हुआ और उसे अपनी यात्रा पर होन वाले 25 हजार ब्रिटिश पौण्ड तथा लाख भारतीय रुपये के व्यय पर शम आई । इस कारण ऐसा और हुआ कि यह यात्रा सफल नही मानी जा सकती थी । सच तो यह था कि बाद म राजकुमार ने खुने तौर पर माटग्यु से कहा कि भारत जब किसी गोरे आदमी के रहन योग्य नही रह गया है । समाचारपत्रा मे सबद्ध एक बडे व्यक्ति नाथकिनफ न भी इसी तरह के भाव व्यक्त किये । उसन वायसराय म कहा कि भारत जस नीरस दश की परवाह उस नही है । उसने पूछा ‘हम भारत के लिय चाहत क्या हैं ? प्रतिष्ठा ? या शायद धन ? पर निश्चित रूप मे इसमे हम कुछ नही मिल रहा । हमारे दश के हजारों याम्य लाग कही अन्यन्न और बेहतर काय कर सकते थ ।”

भारत म राजकुमार वल्स की यात्रा असफल रही । पर जैमा हमन पहले



ही देया है कि गांधी का असहयोग आन्दोलन जा 1920 म ही प्रारम्भ हो गया था वह भी सफल नहीं हुआ। जैसे जैसे आन्दोलन धीरे धीरे हिसक होता गया, महात्मा ने इस स्थिति कर दिया और खुलआम इसकी असफलता को स्वीकार कर लिया। 10 मार्च 1922 को उह पडयत्रकारी बताकर कैद कर लिया गया। रीडिंग ने इंग्लड के प्रधानमंत्री को लिखा कि 'महात्मा साधु प्रकृति के व्यक्ति के स्थान पर राजनीतिज्ञ हो गया है।' वायसराय के अनुसार उसने मुस्लिम व पंजाब असतोप का नेतृत्व प्राप्त कर लिया है और स्वराज के पक्ष में एक सगठित आन्दोलन चलान की चेष्टा कर रहा है। इस तरह उसकी शक्ति बढ़ गई है पर उतनी ही मात्रा में उसके राजनतिक विचारों में उसकी कठिनाइया बढ़ा दी हैं।<sup>1</sup> तीन महीने में स्वराज प्राप्ति की उसकी चुनौती अपूण रह गई है और समझदार लोग आश्चर्य में यह सोचने लगे हैं कि 'क्या वे आन्दोलन और उधम से अधिक कुछ प्राप्त कर सकेंगे?' 1924 में गांधी का आल्लशोध का जापरेषन हुआ। इस अवसर का लाभ उठाकर रीडिंग ने उह जेल से मुक्त कर दिया। उसे प्रसन्नता इस बात की थी कि गांधी पहले की तरह जब लाकप्रिय नहीं रह गये थे। वायसराय ने कहा, यह देखकर कितना कार्णिक लगता है कि गांधी की लाकप्रियता की शक्ति का कितना तीव्र पतन हुआ है और अब वे अपन अब तक के प्रस्तुत सभी सिद्धांतों की कीमत पर उस नेतृत्व का प्राप्त करने के प्रयास में जुट हुये हैं।<sup>1</sup>

वायसराय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इसके नेता गांधी को कमजोर करने का हर प्रयास करते हुये विभाजित करके शासन करने की नीति अपनाते हुये मुसलमानों को फुसलाकर अपनी आर मिलाया और लोकप्रिय राजनतिक आन्दोलन से उह अलग कर दिया। रीडिंग का विश्वास था कि यदि भारतीय मुसलमानों को शांत किया जाना था तो तुर्की के मामले में उह सतुष्ट किया जाना आवश्यक था। 28 फरवरी 1921 का सेक्रेटी आफ स्टेट माटेग्यु को उसने तार भेजा भारत सरकार समस्या की जटिलता से पूणतया परिचित है। पर युद्ध में भारत की सेवाये जिसमें तमाम मुस्लिम सैनिकों ने भाग लिया तथा पूरे देश में मुस्लिम समस्या को जो समथन मिल रहा है अत उनके 'यायोचित मांगों के पूणतया पूरे किये जाने की आवश्यकता है।' उसने जोर दिया कि सबसे की सधि में भारतीय मुसलमानों की इच्छानुसार कुछ परिवर्तन होना चाहिए और यह प्रस्ताव करते हुये कि इसे कस किया जाय उसने निष्कप रूप में कहा, भारत सरकार के लिए खुतेजाम मुसलमानों का समथन करना इतना आवश्यक है कि हम उपरोक्त विवरण प्रकाशित करने की अनुमति चाहते हैं तुरत अनुमति दी जाय।<sup>2</sup> माटेग्यु ने शीघ्रता में इस

तार को प्रधानमंत्री लायड जाज से अनुमति प्राप्त किये बिना प्रकाशित करा दिया जिसके कारण उस अपन पद से हाथ धोना पडा। पर इस विषय पर बार-बार किया गया रीडिंग का प्रयास अतत सफल हुआ। सेक्स की सधि अतत परिवर्द्धित की गई और इसकी कठोर शर्तें या तो उदार बना दी गई या समाप्त कर दी गई। यह काय 1923 में लौसाने में सम्पन्न हुआ।

मिण्टो की तरह रीडिंग का भी विचार था कि मुसलमानों को हिन्दुओं के विरुद्ध सतुलन के लिये तैयार किया जाना चाहिए। पर साथ ही वह राजाओं की एक तीसरी शक्ति पुनसर्गटित व शक्तिशाली करना चाहता था जो उपरोक्त दोनों शक्तियों के विरुद्ध सतुलन बनाये रखे। रीडिंग ने राजाओं को लुभान के लिए विशेष प्रयत्न किये और राष्ट्रवादी आन्दोलन के विरुद्ध एक शक्तिशाली प्रतिश्रियावादी शक्ति के रूप में उन्हें तैयार किया। उसने कश्मीर<sup>1</sup> से प्रारम्भ करके कई राज्यों की सरकारी यात्राओं की। अपन पूर्ण वायसरायत्व काल में उसने 20 से अधिक राजाओं की मित्रता अर्जित की। मैसूर में उसने हाथी का शिकार किया, महाराजा खालियर के साथ प्रथम बार बाघ का शिकार किया तथा बीकानेर पटियाला और नवानगर के राजाओं के साथ मंत्री की। रीडिंग और उसके पूर्व के वायसरायों से प्रोत्साहन प्राप्त के फलस्वरूप बीकानेर का महाराजा सर गंगासिंह ने भारतीय राजाओं के वार्षिक सम्मेलन को 'चैम्बर ऑफ प्रिंसेज' में बदल दिया। 1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का उद्घाटन हुआ। इसमें 120 सदस्य थे जिसमें 12 लोग 127 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते थे। जय राज्य इसके वैसे ही सदस्य थे। पर 327 राज्यों को प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हुआ। यह चैम्बर प्रारम्भ में वष में एक बार एकत्रित होता था जिसका सभापतित्व वायसराय करता था। इसका एक चांसलर चुना जाता था जो वायसराय की अनुपस्थिति में सभापतित्व करता था। वह चैम्बर की स्टैंडिंग कमेटी का स्थायी प्रेसीडेंट भी होता था जिसकी बैठक दिल्ली में वष में दो बार होती थी और वह चैम्बर के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता था। इसके अतिरिक्त राजा दिल्ली सत्र में आने पर औपचारिक सम्मेलन भी करते थे।

वैसे तो चैम्बर एक विचार विमर्श करने वाली सभा से अधिक कुछ नहीं कर सका, पर इससे राजा सर्गटित हो गये और वे सरकार से सीधे बातचीत करने की स्थिति में हो गये और जपन हित के कारणों में भी लग गये और इसके अतिरिक्त साइमन कमीशन ने कहा 'चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की स्थापना ने सम्राट और राज्यों के बीच सम्बन्ध स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसने पहले की नीति से हटकर एक नयापन भी जोडा जिसके अनुसार

सम्राट का उद्देश्य यह रहता था कि सामूहिक वायवाही का हनात्साहित किया जाय और राज्या में सामूहिक विचार विमर्श का प्रोत्साहित किया जाय तथा एक राज्य का उमके पड़ोसी राज्य से अलग न माना जाय ।'

अक्टूबर 1924 में जो सामान्य चुनाव हुए उसमें अनुदारयादिया की जीत हुई और वाल्डविन डम्लंड में नेता हो गया । लार्ड चर्चनेट्टेड का भारत का सेक्रेटरी आफ स्टेट बनाया गया । बस तो यह भारत कभी नहीं आया था पर भारतीय इतिहास के सम्बन्ध में उसका अध्ययन विस्तृत था । भारतीय समस्या के प्रति उसका मूल्यवान रचिवर हागा जिसका प्रभाव भारत सम्बन्धी-वायसराय के दृष्टिकोण पर भी पड़ा । माटग्यु सुधार की चर्चा करते हुए उनमें वायसराय की सूचित करते हुए लिखा, कि भारत, आयरलैंड व मिस्र में मुद्द के कारण, कोई अपनी बमजारी के कारण नहीं हमन बहुत कुछ दे दिया है, इस कारण यदि आप किसी बात के समय में बड़ा रूढ़ अपनाते हैं तो हमारा समयन खो सकते हैं । पुन मैं यह नहीं साच पाता कि भारत कभी भी स्वशासन के योग्य सिद्ध होगा । अतत हमारी स्थिति इसलिए मजबूत है क्योंकि हम भारत में भारतीयों के हित के लिये हैं । इस स्थिति की सत्यता का प्रमाण यह है कि उस महाद्वीप में जहाँ हम शासन कर रहे हैं वहाँ अनक राष्ट्रीयता के धर्म के लोग हैं ।

मैंने, जता कि आप जानते हैं माटग्यु चेम्सफाड सुधार का न तो पसन्द किया और न विश्वास किया । मैं द्वितय पर अविश्वास किया जैसे मैंने यह अनुभव किया कि द्वितय को पश्चिमी ससदीय सस्या के स्थान पर लाने का प्रयास अभिनव है जो पूर्वी जनसस्या पर किया जा रहा है और जो इसे लेने के लिए पूणतया अशिक्षित है ।''<sup>1</sup>

'एक प्राय दुहराई जान वाली घटना का जिसे यहाँ किया जा सकता है । वायसराय भवन (शिमला) में एक शाम नृत्य के अवसर पर श्रीमती गीडिंग ए० डी० सी० से मुखातिब हुई जिसको प्रथम रात ड्यूटी दी गयी थी और उससे पूछा कि बड की आवाज कौनसी धुन बजा रहा है । ठीक उसी क्षण धुन रुक गयी । एक मिनट की चुप्पी के बाद ए० डी० सी० ने जो बात फुसफुसाकर कही वह बालरूम तक स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ी जब आप मेरा नाम भी याद न रखेंगे तब भी मैं आपका चुम्बन स्मरण रखूंगा । वहाँ एकत्रित लोगों पर इसका प्रभाव कितना सनसनाखेज हुआ होगा इसकी कल्पना ही की जा सकती है ।'

1 हाइड एक माटगोमरी लार्ड रीडिंग प 381 383 ।

2 वही पृष्ठ 348 ।



पार्टी के लिये रास्ता साफ कर दिया। 2 नवम्बर 1922 की सरकार की यह घोषणा कि संविधान में शीघ्र परिवर्द्धन सम्भव नहीं है, गवर्नर जनरल रीडिंग का राजाआ व 'प्रिंसिपल प्रोपोज़िशन एक्ट' का कानून में बदलना जब कि सदन ने इस जस्वीकार कर दिया था और उसका नमन कर को दूना करने के लिए असाधारण शक्ति का प्रयोग जब कि बजट व इस मद को सदन ने जस्वीकार कर दिया था—य कुछ सरकारी कदम थे जिसमें सरकार के अतकपूर्ण कठोरता के दशन होत थे।

22 अगस्त 1922 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लायड जॉर्ज का 'स्टील प्रम' विशेषण से विभूषित भाषण भी इस सगठन को बनाने में कम सहयोगी नहीं हुआ। उसका इंडियन सिविल सर्विस का गुणगान और यह जोर देना कि इसका बहुत दिना तक भारतीय प्रशासन पर प्रभाव रहेगा, कुछ भारतीय नेताओं को यह सोचने को बाध्य करने लगा कि सरकार की एंगी नीति के समक्ष सहयोग असम्भव है और उसका विरोध को रोज टोक की नीति से ही लाभ हो सकता है।<sup>1</sup> अफ्रीका में क्वीनिया क्षेत्र व प्राउन् कालनी में भारतीयों के साथ जा अयाय हुआ उस सबध में भारतीय सरकार की असफलता न उह दुग्ध कर दिया। सरकार की नीति में स्वराजिया का उत्तेजित कर दिया। भारत में प्रगतिशील आदालत के विरुद्ध प्रतिक्रियावादी राजाआ का दी गई शक्ति ने भी इसके नियम भूमि तयार की।

एक दूसरी बात यह भी थी कि मुस्लिम समुदाय का अहिंसावादी आंदोलन के सिद्धांत के नतिक पक्ष को समझने में कठिनाई हो रही थी। अहिंसा उनके दशन के ही विपरीत पडता था। यदि प्रारम्भ में इस उहोने स्वीकार किया तो ऐना खिताफ्त आंदोलन के लिए हिंदू ममथन प्राप्त करने के लिये ही उहोने किया। पर जब इस सहायता की आवश्यकता न रही तो अहिंसा की कीमत घटती गई और अंत में यह उनके लिये हास्यास्पद हो गया। और अतत गांधी का वह तात्कालिक निणय सामने आ गया जिसमें उहाने इतनी बड़ी आशा से प्रारम्भ किये गये असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। एक निराशापूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई और भीती साल नेहरू और ताला राजपतराय ने जेल में गांधी को उनके निणय की भत्सना में पत्र लिखे। 24 फरवरी 1922 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में गांधी का घोर आलाचना जेवनी पडी। अपनी नीति के पक्ष में उनका तक सफल नहीं हुआ और इस तरह सहयोगिया और असहयोगिया के बीच की खाई और चौडी हो गई।

इस तरह ये परिस्थितियाँ आ जिनमें स्वराज पार्टी का सगठन स्थापित

1 देखें बीएम एस सा द इंडियन स्टूडेंट्स प 143।

हुआ।

1922 के अंत में गया में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। सी० आर० दास इसके अध्यक्ष थे जिन्होंने सरकार से लड़ने के उद्देश्य से विधायिका में पहुँचने का आह्वान किया और वहीं पर जाकर सरकार का काम ठप करने की चेष्टा करने को कहा। पर गांधी के समर्थक चूँकि अधिक थे इसलिये उनका यह मत समर्थन नहीं जुटा सका। सी० आर० दास ने इस्तीफा दे दिया और यह घोषणा की कि वे स्वराज पार्टी की स्थापना करेंगे जो चुनावों में भाग लेगी। मोती लाल नेहरू ने उन्हें पूर्ण समर्थन दिया और इस तरह स्वराज पार्टी की स्थापना हुई जो इसके सगठनकर्ताओं के अनुसार सरकार में ससदीय मैदान में लड़ने की तैयारी करने लगी।

सितंबर 1923 में मौलाना आजाद के नेतृत्व में दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। इस समय तक स्वराज पार्टी के पक्ष में परिस्थिति ने और मोड़ लाना चाहा। इन्हीं दो सत्रों के बीच सदन के विरोध के बावजूद नामक कर दो गुना कर दिया गया था। जो सरकार से भिड़ना चाहते थे इस तरह शक्ति प्राप्त करने लगे और 'कौंसिल में प्रवेश की याजना को कांग्रेस ने भी औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। फरवरी 1924 में गांधी जेल से रिहा किये गये। उस समय उन्होंने कांग्रेस की नई योजना को असतोपजनक बताया। पर परिस्थितियाँ ऐसी थी कि उसमें जनता का सहयोग के लिए तयार करना बठिन था। इसीलिये 1925 में एक तरह का समझौता हो गया जिसके अंतर्गत कांग्रेसियों को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वे यह स्वयं तय करें कि वे कौंसिल में प्रवेश चाहते हैं या कौंसिल के बाहर रहकर रचनात्मक कार्य करना चाहते हैं। गांधी ने 1924 में स्वराजियों को बेलगाव में आशीर्वाद दिया और इस तरह रास्ता से अन्तिम राड़ा दूर हो गया।

### स्वराजियों का कार्यक्रम

जहाँ तक स्वराज पार्टी के कार्यक्रम का संबंध है, उसकी घोषणा 1923 के चुनाव घोषणा पत्र में की गई। बताया गया कि कौंसिल में प्रविष्ट होत ही यह मांग की जायगी कि भारतीयों को अपनी सरकार पर नियंत्रण का स्वयं अधिकार प्राप्त हो। यह कहा गया कि चुनाव में सीटें जीतना आवश्यक है जिससे कि गलत व्यक्ति सदन में न पहुँचें और वे ब्रिटिश सरकार में सहयोग करना प्रारम्भ कर दें। स्वराजियों का यह आशा थी कि चुनावों में भाग लेकर वे जनता में एक नई आशा का संचार करेंगे। कौंसिल में प्रवेश के बाद उनकी यह योजना थी कि 'मोण्टेग्यू-मुंधारा की वेबार् करार लिया जाय और

प्रशासन को ठप कर दिया जाय। व सरकारी मगठान म न सम्मिलित होन का भी निश्चय कर चुके थ। सरकारी कायक्रम या सरकारी अधिकारिया के स्वागत के कायक्रम के बहिष्कार का भी उनका निश्चय था।

पर उनके कायक्रम का और रचनात्मक रग था कि व मविधान की प्रगति के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे। वे ऐसे कानून का प्राप्ति भी प्रस्तुत करेंगे जिससे सम्भ्यता का विकास हो। कौमिल के बाहर व गांधी के रचनात्मक कायक्रमा म सहयोग करेंगे। और उहाने यह भी काना किया कि मणि उनका सरकार को गिराने का कायक्रम सफल नहीं हुआ और वे उम भारतीय चिन्तन के अनुसार माड नहीं पाय तो वे वापस आ जायेंगे और गांधी के काय क्रमा म सम्मिलित हो जायेंगे।

### चुनाव के मदान मे

1919 के नवीन सविधान के अंतगत 1923 म स्वराजिया ने दूसरा चुनाव लडा। इस चुनाव म उहान 145 सीटा म स 45 सीट प्राप्त की और केन्द्रीय एसेम्बली म वे सबसे बडे दल के रूप म सामन आय। इनमे अनु शासन भी खूब था। वस तो उह काय हेतु बहुमत नहीं मिला, पर नशनल पार्टी तथा आजाद लोगो के सहयोग स ब्रिटिश सरकार का काय करना इहाने कठिन कर दिया। प्राता के चुनाव म स्वराजिया न मध्य प्रात म पूरा बहुमत प्राप्त कर लिया बगाल म प्रातीय एसेम्बली म व सबसे बड दल के रूप म उभरे, अय स्थाना पर उनकी सफलता बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी।

### उनके काय

जहा तक मध्य प्रात मे स्वराजिया के काय का सबध था, चूकि वे स्पष्ट बहुमत म थ इस कारण द्वितन का कायकलाप सचमुच असभव कर दिया गया और गवर्नर को परिवर्तित विषया का नियंत्रण अपन हाथो मे लेना पडा। बगाल म भी कुछ मुस्लिम सदस्य सी० आर० दास के समथन म आ गये इस कारण वहा भी द्वितन का काय करने म कठिनाई उत्पन्न की गई। 29 फरवरी 1924 को सी० आर० दास ने घोषणा की कि वह सरकार के साथ तब तक सहयोग नहीं करेगे जोर बगाल के मंत्रिमडल म सम्मिलित नहीं हंगे जब तक तत्कालीन सबैधानिक रूपरेखा मे परिवर्तन नहीं किया जाता पर श्रेय प्राता म जहा स्वराजिया को पर्याप्त सीटे नहीं मिली, उनके इक्के दुक्के सदस्या ने विधान सभा म सविधान म परिवर्तन की माग बार-बार उठाई।

केन्द्रीय सदन म 1924 म स्वराजिया ने यह प्रस्ताव रखा कि सरकार

माकिवस रीडिंग (1921 1926)

उद्देश्य के लिए प्रस्ताव प्राप्त  
ब्रिटिश भारतीय प्रतिनिधियों के साथ बैठें और सस्तुतिया प्राप्त करें। इन प्रस्तावों को केन्द्रीय असेम्बली से पारित किया जाय और फिर इसे ब्रिटिश

संसद में कानून बनाने के लिये प्रेषित किया जाय। इस बीच चुनावों में मजदूर दल की विजय हो गई भारत के प्रति सहानुभूति रखने वाले रैम्जे मैकडानल्ड जनवरी 1924 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री हो गए। यह आशा की जाती थी कि केन्द्रीय सदन से पारित प्रस्ताव उसके हाथों सहानुभूति व समय प्राप्त करेगा। पर स्वराजी हतोत्साहित थे। उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया और उद्दान सरकार के प्रति अपना रुख कठोर कर दिया। इस तरह उनके प्रयासों से 1924 25 में एसेम्बली ने आर्थिक बिल को पारित नहीं होने दिया। इस पर गवर्नर जनरल रीडिंग ने अपने विशेषाधिकार से इसे वापरूप में बदला। इसी तरह की वापसी गवर्नर जनरल को 1925 26 व 1926 27 के अपारित बजट के संबंध में भी करनी पड़ी। स्वराजियों ने सरकार के गहन विरोध के बावजूद 1818 के तीसरे नियम के वापसी का प्रस्ताव पारित कराने में सफलता प्राप्त की जिसमें कुछ राजनीतिक कदियों की रिहाई का प्रश्न निहित था। सदन त्याग आम बात थी सरकार के संगठना की सदस्यता से इन्कार प्राय होता था और गवर्नर जनरल से संबंधित कार्यक्रमों का बहिष्कार प्राय किया जाता था। ऐसा भी नहीं था कि सरकार पर इसका प्रभाव न पड़ा हो। सरकार में कट्टरपथी भी इससे हिल गयी और फरवरी 1924 में प्रसिद्ध गृह सदस्य सर जलेकजाडर मुद्दीमैन के नृत्व में मुद्दीमैन रिफॉर्म इनक्वायरी कमेटी की स्थापना कर दी गई जिस द्वितंत्र की वाप शली पर रिपोर्ट देनी थी।

### मुद्दीमैन कमेटी रिपोर्ट

इस तरह 'मुद्दीमैन कमेटी' स्थापित हो गई। कुछ भारतीयों को भी इसमें सम्मिलित होने के लिए आमन्त्रित किया गया। जैसे तो मोतीलाल नेहरू ने इसे अस्वीकार कर दिया, पर सर तेजबहादुर सप्रू और एम० ए० जिना इसमें सम्मिलित हो गए। पर समिति में सरकारी बहुमत बनाय रखा गया। 1919 के एक्ट के अंतर्गत होने वाले सुधार के सम्बन्ध में छानबीन की गई पर सरकारी बहुमत गैर सरकारी अल्पमत से इस छानबीन की रिपोर्ट पर सहमत नहीं हो पा रहा था। इस कारण दो रिपोर्टें तैयार की गईं। सरकारी बहुमत की रिपोर्ट न द्वितंत्र व्यवस्था की प्रशंसा की और कुछ इधर-उधर



धोडा सा परिवर्तन करके इस चरते रहने की सस्तुति की। पर अल्पमत रिपोर्ट में द्वितंत्र को कायरूप में परिणत न होने योग्य पद्धति मानत हुए इसकी भत्सना की गई और इसे शीघ्र से शीघ्र समाप्त करने की सस्तुति की गई। अल्पमतीय रिपोर्ट के अनुसार द्वितंत्र ठीक से काय नहीं कर रहा था और 'हमारे विचार से उचित प्रश्न यह था कि क्या कोई और अर्थ व्यवस्था संभव थी या इस मन्विधान को अस्थायी रूप से चलन देकर इसमें कुछ धारारे जोड़कर उत्थान के माग को प्रशस्त करते हुये सरकार का स्थायित्व और जनता का सहयोग बनाये रखा जाय।'<sup>1</sup> सरकार ने बहुमत की रिपोर्ट को स्वीकार किया और उसकी सस्तुतिया के आधार पर काय करना प्रारम्भ कर दिया। सितम्बर 1925 में इस तरह के द्वीय विधान सभा में इस रिपोर्ट को विचाराय प्रस्तुत किया गया। प० मोतीलाल नेहरू ने द्वितंत्र पद्धति की धार आलोचना वहाँ प्रस्तुत की। उन्होंने वहाँ एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सरकार के विरोध के बावजूद बहुमत से पारित हो गया। इस प्रस्ताव में अर्थ वाता के अतिरिक्त निम्न मार्गों की गई—

(अ) वर्तमान मन्विधान में सरकार को उत्तरदायी बनाने के लिये कुछ परिवर्तन तुरत तात्कालिक रूप से किया जाना चाहिए और (ब) एक गोलमेज सम्मेलन बुलाकर इस उद्देश्य के लिये योजना तैयार की जानी चाहिये जिसे सदन के समक्ष रखकर उसका अनुमोदन किया जाना चाहिये और फिर ब्रिटिश ससद में अनुमोदनाय इस प्रेषित किया जाना चाहिए। पर सरकार भारतीय इच्छा का विरोध करती रही और 24 जनवरी 1924 को लाड रीडिंग ने यह घोषणा की कि ब्रिटिश ससद इन दवावों के आगे घुटने नहीं टकेगी। पर फिर भी स्वराजिया की कायवाही बेकार नहीं गई। लाड रीडिंग की घोषणा को 9 माह भी नहीं बीते कि गृह सरकार ने 1919 के 'रिफॉर्म ऐक्ट' के अन्तगत वादे के अनुसार 'रॉयल कमीशन' की नियुक्ति की घोषणा की। ऐक्ट के अन्तगत निर्धारित अवधि से दो वर्ष पूर्व ही यह काय कर दिया गया।

### एक मूल्यांकन

इस पार्टी के सम्बन्ध में विचार व्यक्त करते हुए श्रीमती एनी बेसेन्ट ने लिखा है 'असेम्बली में स्वराज पार्टी की सफलता ने देश में एक विस्मयकारी स्थिति पैदा कर दी है। चुनाव के पूर्व वे शेरों की तरह दहाड़ते थे, अब वे बूजत पड़किया स भी अधिक शांत हो गये हैं।' पार्टी का मुख्य उद्देश्य स्वराज था, पर जिस क्षण वे एसेम्बली में प्रविष्ट होत थे यह उद्देश्य तुरत भुला

1 रिफॉर्म इन्वेंशनरी कमेटी रिपोर्ट प 201-03।

दिया जाता था। उच्च आदर्श से नीचे से की ओर उनका खिसकना इसी से सिद्ध है कि वे भारत के लिये एक नवीन संविधान की रचना हेतु एक सम्मेलन करने का प्रस्ताव ल आया और इस सम्मेलन में वे सरकार को 1/3 सीटें देने को भी तयार हो गये। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा, "यदि मैं एक स्वराजी होती तो मैं जोर से चिल्ला पड़ती और कहती कि उन्हें सरकार ने खरीद लिया है।"<sup>1</sup>

सच तो यह था कि वे सब, जिन्होंने पार्टी में प्रवेश किया और उसके माध्यम से एसेम्बली में पहुँचे राष्ट्रीय हित के लिये समर्पित नहीं थे। इसके सदेह नहीं कि 1924-26 में स्वराजिया न जेल की यात्राएँ की पर उनमें से सभी को लाठी की चोट नहीं आई। उनमें से बहुत से एसेम्बली के सदस्य होने के योग्य नहीं थे। ये लोग सामाजिक और राजनतिक क्षेत्र में उच्च पदों की आकांक्षा रखते थे और राष्ट्रीय आजादी उनके लिये गौड थी। पर स्वराजी पराकाष्ठावादी कदम उठाने में सक्षम नहीं थे। इसी कारण ससदीय पद्धति को माध्यम के रूप में उन्होंने अपना कायक्षेत्र चुना। इसीलिये आश्चर्य नहीं कि सदन में प्रवेश करते ही वे पुरानी बातें भूल जाते थे। उनमें से एक महत्वपूर्ण वग उत्तरवारी सहयोग का पक्ष लेने लगा। इस कारण वे लोग जो पूर्ण रोक छूट में विश्वास करते थे उन्हें यह पसन्द नहीं आया जिसके कारण उनमें विभाजन की संभावनायें नजर आने लगीं।

सच तो यह था कि वह पूर्ण नीति जिस स्वराजी अपनाना चाहते थे उसके पीछे सदेखा भी नहीं थी और अच्छा उद्देश्य भी नहीं था। वे प्रशासकीय मशीनरी को रोक देना चाहते थे। पर वह प्रशासकीय मशीनरी जो चल रही थी उसे रोकना सरल न था और इससे स्वराजियों की महत्वाकांक्षा को आघात लगता था। सरकार वहीं भी रुकने की स्थिति में नहीं आई। यहाँ तक कि मध्य प्रांत और बंगाल जहाँ वे बहुमत में थे सरकार पूर्ववत् काय करती रही।

1925 में सी० आर० दास की मृत्यु ने पार्टी को बहुत कमजोर कर दिया। कहा जाता है कि अपने जीवन के संध्याकाल में उन्हें भी रोक छेँक के दर्शन पर सदेह होने लगा था। फिर भी इस तरह की नीति उन्हीं सदन में लाभ के साथ चल सकती थी जहाँ स्वराजियों का बहुमत हो। पर ऐसे प्रांतां में जहाँ उनका बहुमत नहीं था वहाँ उनकी रोक-टोक की नीति बेकार थी।

इसके अतिरिक्त गांधी के कट्टर समर्थकों का विरोध भी उन्हें झेलना पड़ता था। प्रारम्भ में स्वराजिया के पास जा साहस था वह धीरे धीरे ढीला

<sup>1</sup> बसेंट ए, इंग्लिश दट शत बी प० 59।

पडने लगा। सरकार की ललचान वाली नीतियाँ भी अपना प्रभाव डाल रही थी और धीरे धीरे स्वराजो मह अनुभव कर रहे थे कि आँख मूँदकर सरकार का विरोध करना दशहिन म नहीं है।

पर एक अन्ध बात एवाएव सामने प्रकट हुई। जब तक खिलाफत समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ हिन्दू और मुसलमान आपस में कधे स कधा मिलाकर लडत रहे। पर तुर्की म 1922 म खिलाफत की समाप्ति के बाद अधिकतर भारतीय मुसलमानों के लिए कोई लालच देने का साधन न रहा कि व हिन्दुआ स मिलकर भारतीय समझाओ के लिय लडें। खिलाफत आन्दोलन के समय मुस्लिम लीग लगभग नहीं दिखी थी पर अब वह फिर साँसें लेन लगी। सरकार की 'बाँटो और राज करो' की नीति और सरकारी एजेण्टो द्वारा भेदभाव फैलान के प्रयास के कारण हिन्दू मुस्लिम भेदभाव बढ गये। जसहयोग आन्दोलन जो हिन्दुआ मुसलमानों को निकट लाने का एक कारण था अब फीका पडता जा रहा था। इस तरह धीरे धीरे हिन्दुआ और मुसलमानों का भेदभाव बढता ही गया। 1922 मे मोपला विद्रोह मे हिन्दुआ की हानि हुई और 1923 म 11 हिन्दू मुस्लिम दग हुय। इन दाना बर्गों मे राजनतिक एक्ता एक भूतकाल की चीज लगन लगी। स्वराज पार्टी इस स्थिति म राब-टोन की नीति अपनाकर सरकार स अपने को दूर करने का खतरा नहीं मोल लेना चाहती थी। क्योंकि ऐसा करने स सरकार मुस्लिम लीग को अपनी ओर मिलाकर और हिन्दू व मुसलमानों म भेदभाव की खाई को बढाकर बढिनाई पदा कर सकती थी। और पुन गांधी भी तो स्वराजिया से प्रसनमन नहीं थे। 5 फरवरी 1924 को स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें जेल से रिहा किया गया तो वे पुन जनता के बीच बडी तजी से लोकप्रिय होने लगे। उनकी रचनात्मक नायवाहियो और हिन्दू व मुस्लिमों मे एक्ता लाने के उनके प्रयास न उनके प्रति सामान्य सद्भाव ही नहीं उत्पन्न किया बल्कि 1925 म उनके द्वारा हिन्दू और मुसलमानों के साम्प्रदायिक दगा मे भाग लेन के पाप से मुक्ति के लिये आरम कष्ट प्राप्ति के प्रयास ने उह पुन एक लोकप्रिय राष्ट्रीय नेता बना दिया।

दूसरी ओर स्वराजिया की स्थिति धीरे धीरे खराब होती गई। उनकी रोक टोक की नीति तेजी से परिवर्तित होने लगी। 1924 मे इही परिस्थितिया म उहान 'स्टील प्रोटेक्शन कमेटी' की सदस्यता स्वीकार कर ली। 1925 मे 'स्किन कमेटी' बनी जिसका उद्देश्य सेना का भारतीयकरण था। इसकी सदस्यता प० मोती लाल नेहरू ने स्वीकार की। मि० बी० जे० पटेल न केन्द्रीय एसेम्बली का स्पीकर का पद स्वीकार करन म कोई आपत्ति नहीं मानी। एस० बी० ताम्बे मध्य प्रांत के कायवारिणी के सदस्य हो गये।

और इस सबने धीरे धीरे स्वराजिया की शेर की गजना की नौनि को समाप्त कर दिया। नि स्वार्थी कायकर्त्ताओं को स्वेच्छापूण साहसी व्यक्ति माना जाने लगा। 1926 के चुनावों में स्वराजिया की स्थिति अच्छी नहीं रही। उनकी सारी प्रतिष्ठा जाती रही और गांधी धीरे-धीरे लोकप्रिय होत जा रहे थे और 1926 तक वे पुन कांग्रेस के निर्विवाद नेता हो गये थे।

इस तरह स्वराज पार्टी असफल हो गई। पर स्वराज पार्टी के काय व सफलताओं की आलोचना करते समय हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये जब इनका संगठन हुआ उस समय इन्होंने राष्ट्रीय हित व सेवा के कुछ काय अवश्य किये। यह पार्टी उस समय बनी जब गांधी का असहयोग आंदोलन असफलता की बगार पर पहुँच गया था। जनता के बीच प्रस्फुटित उत्साह को कोई दिशा नहीं मिल रही थी जिससे होकर वे उसका प्रदर्शन कर सकें। स्वराज पार्टी ने ही भारतीय जनता को विकल्प में रास्ता व कार्यक्रम प्रदान किया। इस तरह जनता का उत्साह बनाय रखा गया और सरकार के विरोध की भावना बनाये रखी गई जिसके कारण सरकार के साथ उदारवादियों व सहयोग की भावना को आघात पहुँचा। इससे स्वराजिया की महत्ता में भी वृद्धि हुई क्योंकि उन्होंने सरकार के अनुत्तरदायी और निरकुश विचारों के विरुद्ध विधान सभाओं में प्रस्ताव रखे। सरकारी बजट की अस्वीकृति और पूर्ति में सरकार न स्वराजिया की प्रतिष्ठा बढ़ा दी थी क्योंकि इससे जहाँ एक ओर सरकार की प्रतिष्ठा गिरी वहीं साथ ही जनता भी जागृत हुई। हम यह भी नहीं भूलना चाहिय कि सरकार के सामन गोलमेज सम्मेलन करन का प्रस्ताव जिसे 1930 में सरकार ने स्वीकार किया, स्वराजी ही प्रारम्भ में लाये थे। मुद्दीमन कमेटी की स्थापना भी इही की सफलता थी। अल्पमतीय रिपोर्ट भी इही की मूल्यवान देन थी जिसन अतत द्वितन व्यवस्था को दफन कर दिया। समय से दो वष पूव साइमन कमीशन की नियुक्ति भी इही की सफलता थी। इस तरह, स्वराजिया ने भले ही आशानुरूप पूरा काय न किया हो, पर भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में एक खाली स्थान को उन्होंने भरा जिसके अभाव में स्वतन्त्रता की प्राप्ति कुछ और दिना के लिये टल सकती थी।

इस अध्याय को समाप्त करने से पूव स्वराज पार्टी के सम्बन्ध में लाड रीडिंग को लिखे गये मेनेट्री आफ स्टेट बर्केनहेड के पत्र का हवाला देना उपयुक्त होगा जिससे इस पार्टी के प्रति सरकारी दृष्टिकोण का परिचय मिलता है 'इस कार्यालय के और आपके निष्कर्षों में कोई भेद नहीं है। मेरा भी अभिमत वही है। मैं कई चिह्न देख रहा हूँ जिससे लग रहा है कि स्वराजी फिसल रहे हैं। मेरी दृष्टि में उन्हें न तो यह पता है कि वे कहाँ हैं और न

यह कि वे कहा जा रहे हैं। उनके व स्वतंत्र उम्मीदवारों के बीच मतभेद आशा के विपरीत एक अच्छी बात है। मुझे आशा है यह और बढ़ेगा। पर मेरी आशा का सबसे उच्च व स्थायी केन्द्र सद्व बनी रहन वाली साम्प्रदायिकता है। जितना ही हिंदू राजनतिक प्रगति करता जायेगा मेरे मत म, मुसलमान उतना ही उसके प्रति अविश्वासी व विरोधी हाता जायेगा। पूरे विश्व के सभी सम्मेलन इस खाई को नहीं पाट सकत जोर इन दो सम्प्रदाया के बीच बनी दरार किसी भी आधुनिक राजनतिक इजीनियरिंग के तरीके से समाप्त नहीं हो सकती।<sup>1</sup>

1926 म रीडिंग भारत से पदमुक्त हो गये और उन्हें मार्किवस का पद प्रदान किया गया। उन्होंने बाद म भी भारतीय मामला म रचि बनाये रखी और उनका मत था कि भारत को स्वतंत्रता नहीं प्रदान की जानी चाहिये। 1930 मे लिबरल प्रतिनिधि के रूप मे भारतीय गोलमेज सम्मेलन मे वे सम्मिलित हुय। दूसरे बप उन्हें विदेश सचिव का पद प्राप्त हो गया और राष्ट्रीय सरकार के अंतगत उन्हें हाउस आफ लाडस का नेतापद प्रदान किया गया। पर इस पद पर वे कुछ महीने ही रह पाये। 1930 म उनकी पत्नी का दहावसान हो गया। जगले बप उन्होंने स्टला से विवाह किया जा उनकी पत्नी की व्यक्तिगत सचिव रही थी। 1935 म दिसम्बर माह म 75 बप की आयु म उनका देहांत हो गया।

## लार्ड इरविन

(1926-1931)

एडवर्ड फ्रेडरिक लिडले वुड जो बाद में लार्ड इरविन और अल आफ हैलीफाक्स कहलाया, 16 अप्रैल 1881 को पैदा हुआ। उसके पिता का नाम चार्ल्स द्वितीय विस्काउण्ट हैलीफाक्स था और वह उसका चौथा पुत्र था। उसकी मां लेडी एग्नीज एलिजबेथ वोट्टेने एक अच्छे परिवार से संबद्ध थी और देवोन के ग्यारहवें अल विलियम की अकेली पुत्री थी। एडवर्ड वुड की शिक्षा ईटन और क्राइस्ट चर्च में हुई जहाँ उसे 'फेलो आफ आल सोल्स' चुना गया। वह अभी लड़का ही था कि उसके सभी बड़े भाई मर गये और वह अपने पिता के पदों का उत्तराधिकारी हो गया। उसने 28 वर्ष की आयु में लेडी डोरोथी आनस्लो जो आनस्लो के चौथे अल की पत्नी थी स विवाह किया। 1910 में वह ससद सदस्य हो गया और थोड़े ही दिनों में अपने साहस व गुणों के लिए प्रसिद्ध हो गया। 1917 में वह राष्ट्रीय सेवा मंत्रालय में सहायक सचिव हो गया। 1921 में उसे उपनिवेश कार्यालय में अडर सैक्रेटरी के पद पर भेज दिया गया और 1922 में वह प्रीवी कौन्सिलर व बोर्ड आफ एजुकेशन का प्रेसिडेंट बना दिया गया। दूसरे वर्ष उसे कृषि व मत्स्य विभाग का मंत्री बना दिया गया और इसके दो वर्षों के बाद उसे भारत में लार्ड रीडिंग का उत्तराधिकारी वायसरॉय बना दिया गया। अप्रैल 1926 में वह इंग्लैंड से भारत यह पद ग्रहण करने के लिए रवाना हुआ।

जसा कि हम देख चुके हैं भारत में 1917 में माटेयु घोषणा के अंतर्गत चरणा में उत्तरदायी सरकार की स्थापना का वायदा किया गया था और यह कहा गया था कि इस दिशा में शीघ्र ही कार्यवाही होगी। 1919 के सुधार अधिनियम के अंतर्गत प्रा. ता. में द्वितंत्र की स्थापना हुई थी। ब्रिटिशों ने 1917 के वादे के अनुसार जो कार्य किया उससे उग्रवादी नेता तक सतुष्ट हो गये और बालगंगाधर तिलक ने चुनाव में अपने को एक अभ्यर्थी के रूप में खड़ा किया। वैसे तो 1919 में जो मसदीय प्रणाली सामने लाई गई वह काफी कटी छटी थी, पर इसे कांग्रेस तक ने स्वीकार करने का निश्चय किया और चुनाव में अपने अभ्यर्थी खड़े किये। पर जल्दी ही रौलट एक्ट और जलियावाला बाग के हत्याकांड ने परिस्थिति में जो परिवर्तन ला दिया उसके

कारण गांधी ने अहिंसात्मक असहयोग का अभिनव आंदोलन प्रारंभ किया। राजनीति में विरोध का यह तरीका इस विश्वास पर आधारित था जिसे गांधी ने स्वयं बताते हुए कहा कि, एक अप्रेज आपका आदर तब तक नहीं करता है जब तक आप उसके समक्ष खड़े न हो जाय। फिर वह आपसे प्रसन्न होता है। वह आपकी शारीरिक शक्ति से नहीं डरता। पर यदि आप उसकी अंतरात्मा को प्रभावित करें तो उससे वह दुरी तरह डरता है। उसे यदि आप यह बतायें कि वह गलत कर रहा है तब भी वह डरता है। प्रारंभ में तो वह गलत कार्य करने के लिये डाटा जाना ठीक नहीं मानता है, पर वह इस पर विचार करता है और यह बात उस पर प्रभाव जमा लेती है और वह जब तक उसे ठीक नहीं करता, उसे तबलीफ होती रहती है।<sup>1</sup>

गांधी ने सभ्यत अप्रेजों के चरित्र को ठीक ही समझा था पर उन्हें यह नहीं मानूँ था कि क्या भारत का जनसाधारण व्यक्ति भी इस अभिनव आंदोलन में जोड़ होना आरंभ किया है सहयोग करेगा। उनका अहिंसात्मक आंदोलन शीघ्र ही हिंसात्मक हो गया। गांधी इससे परेशान हो गये और यह समझकर कि भारत अभी इस भाव को ग्रहण करने की स्थिति में नहीं है, उन्होंने इस आंदोलन को रोक दिया। इसके शीघ्र बाद उन्हें बंदी बना लिया गया और जेल में सीकचो के पीछे डाल दिया गया। एकाएक आंदोलन वापस लेने ने उनके तमाम अनुगामियों को दिग्भ्रमित कर दिया जिसने कारण स्वराज पार्टी की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य विधान सभाओं में पहुँचकर आंदोलन करना था। पर यह दल भी कुछ बहुत ठीक परिणाम लाने में सफल नहीं हुआ।

इही परिस्थितियाँ में इरविन भारत आया। उस समय कांग्रेस जिस राजनीति पर चल रही थी उसे अनिश्चय की राजनीति का ही नाम दिया जा सकता है। सभ्यत टाइम्स आफ इंडिया ने परिस्थिति का जायजा लेते हुए ठीक ही लिखा कि 'कांग्रेस समाप्ति की कगार पर है। कांग्रेस की तथा कथित पथ की बात बेकार सिद्ध हो गई थी और कांग्रेस के समर्थकों में एक उत्तरदायी राजनैतिक विचार का अभाव हो गया था।<sup>2</sup> जब इरविन भारत पहुँचा दश में लगभग राजनैतिक शांति थी। कांग्रेस ही निम्नता की ओर नहीं थी कोई अन्य दल या समूह भी समय नहीं था। वैसे तो 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी जन्म ले चुकी थी पर इसे आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिला था। उत्तर पश्चिम सीमा पर भी शांति थी।

1 गोपान एल वायसरॉयटी आफ लाड इरविन प 5 द्वारा उद्धृत।

2 वही प 50।

इरविन को यहाँ पहुँचते ही जिस समस्या से जूझना पड़ा वह साम्प्रदायिक दंगों की समस्या थी। यह समस्या कितनी गंभीर थी, वह इससे सिद्ध है कि उसके शासन के प्रथम वर्ष में 40 साम्प्रदायिक दंगे हुए जिसमें हिंदुओं ने मुसलमानों को और मुसलमानों ने हिंदुओं को कत्ल किया। तमाम संपत्ति का विनाश किया गया और देश के तमाम भागों में वातावरण तनावपूर्ण हो गया। इसलिये इरविन ने पहला कार्य यह किया कि उसने दोनों वर्गों से धर्म के नाम पर मिलजुल कर रहने की अपील की। मौलाना अबुल कलाम आजाद और पंडित मोती लाल नेहरू जैसे लोगों ने इस अपील पर कार्य किया और एक 'इण्डियन नेशनल यूनियन' नामक एक गैर राजनैतिक संगठन स्थापित किया गया जिसकी शाखाएँ भी स्थापित की गईं। इसका उद्देश्य साम्प्रदायिकता से लोहा लेना था। पर इस सस्या को बहुत सफलता नहीं मिल पाई और 1926 में एक आदरणीय हिंदू स्वामी श्रद्धानंद को एक कट्टर मुस्लिम ने मार डाला। इसकी प्रतिक्रिया भी हुई जिसके कारण मुसलमानों पर भी हमले हुये और जन व धन की हानि हुई। यह साम्प्रदायिक विद्रोह उत्तर पश्चिम सीमा में भी फैला जहाँ से तमाम हिंदू अफरीदिया द्वारा निकाल दिये गये। बाद में जब सद् बुद्धि का वातावरण पैदा हुआ तो कुछ हिंदू अपने घरों को वापस जा सके। पर सामान्यतया साम्प्रदायिक स्थिति विगड़ती ही गई और अगस्त 1927 में इरविन ने सदन में यह चेतावनी दी कि यदि लोग अपने व्यवहार को सही नहीं करते तो उनका स्वशासन का नारा खोखला ही सिद्ध होगा। पर शीघ्र ही स्थिति ने पलटा खाय़ा और जो कार्य इंडियन नेशनल यूनियन और वायसराय नहीं कर सके वह काम 8 नवम्बर 1927 में नियुक्त भारतीय सविधान सुधारार्थ नियुक्त एक कमीशन की घोषणा में किया।

### साइमन कमीशन (1927)

1919 के सुधार अधिनियम की धारा 84 के अनुसार वैधानिक आयोग की नियुक्ति की जानी थी। "यह कार्य अधिनियम के पारित होने के 10 वर्ष बाद होता था जिसका उद्देश्य सरकार की कार्यवाही की जांच करना था और यह देखना था कि भारत में प्रतिनिधि सस्थाओं का कितना विकास हुआ है जिससे उसके विस्तार परिवर्तन तथा रोक टोक लगाकर इसे भारत में एक उत्तरदायी सरकार बनाया जा सके।" पर जैसा कि बताया जा चुका है कि यह आयोग दो वर्ष पूर्व ही नियुक्त कर दिया गया। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण तो यह था कि केन्द्रीय सदन के बाहर और आदर जनमत का बड़ा दबाव था जिसने सरकार को ऐसा कदम उठाने को



वाध्य किया। हमारे, यह आशा थी कि अगले आम चुनाव में अग्नि सरकार निश्चित ही जीतगी और अनुत्तरवादी सरकार तमीशन की नियुक्ति जगद द्वारा करना पसंद न करगी। लाड बर्नहट्ट जो भारत का सेक्रेटरी आफ स्टेट था, भारतीय गवर्नर जनरल लाड रीडिंग का स्पष्ट रूप से लिखा 'इस देश में राजनीतिक स्थिति का दृश्य दृश्य, मरत यह निश्चय है कि आयोग की नामित करने का काम हम अपने ही हाथ में रखा चाहिए। इस मामले में हम तनिक भी लापरवाही नहीं करते सकते।' इस तरह के कारण थे जिस स्थिति में आयोग की नियुक्ति पहले हो गई।

**भारतीय विरोध**—इस तरह से नियुक्त आयोग 1928 में परवरी में बम्बई में उतरा। इस काम सौंपा गया था कि यह रिपोर्ट करे कि किस सीमा तक भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जा सकती है। पर भारतीय जो इस आयोग की नियुक्ति के प्रति थेताय थे, इसका स्वागत करने के स्थान पर गम्भीर रूप से इसका विरोध प्रारम्भ से ही करने लगे। इसका सबसे प्रमुख कारण यह था कि इस आयोग की रचना में किसी भारतीय को स्थान नहीं दिया गया था। इस आयोग में इंग्लैंड के विभिन्न दलों के प्रतिनिधि थे जयंत दा सदास्य मजदूर दल के एक उदार दल का तथा चार अनुदारवादी दल के। इस आयोग का सर जान साइमन, जो उत्तर दल के थे के सभापतित्व में काम करना था। इस आयोग में किसी भारतीय को सदस्य न बनाने के लिये ब्रिटिश तक यह था कि 1919 के सुधार अधिनियम के अनुसार इसके सदस्य केवल ब्रिटिश संसद सदस्य ही हो सकते थे। पर उस बहाने का भारत में कहीं भी ठीक नहीं माना गया क्योंकि ब्रिटिश संसद में दो भारतीय भी थे—एक लाडस ने लाड सिंहा और दूसरे कामस में मि० सकलाटवाला कि यह आयोग में रखा जा सकता था। भारतीय इच्छाओं और स्वाभिमान के लिये यह सचमुच अपमानजनक था कि बाहरी लोग उनकी योग्यता की परीक्षा के लिये बैठें कि वे उत्तरदायी सरकार चलाने के योग्य हैं या नहीं। घाव पर नमक छिड़ाने का काम वायसराय की घोषणा ने किया जिसमें उसने कहा 'यह सामान्य रूप से स्वीकार किया जायगा कि आवश्यकता आयोग का है जो असम्बद्ध और कायक्षम्य हो और जो संसद के समक्ष स्थिति का सही चित्र प्रस्तुत कर सके। इसके अतिरिक्त संगठित आयोग ऐसा भी होना चाहिए जिसकी सत्सुतिया पर कायवाही के लिये संसद की इच्छा हो और जो उचित रिपोर्ट भी दे।' सर स्टनले रीड ने लिखा है कि वे भारतीय राजनीति में इस दश को काफी अनुभवी हो गये थे उह मुख्य केन्द्र पर बुलाया गया और उनसे कहा गया कि वे गवाहों के रूप में

उपस्थित हो सकते हैं। पर उन्हें सरकार के स्वरूप को निर्धारित करने का अधिकार नहीं होगा। किसी स्वाभिमानी राष्ट्र को इससे अधिक और क्या अपमान प्रदान किया जा सकता था।”<sup>1</sup>

दूसरे, यह अनुभव किया गया कि लाड बर्कनहेड अपने को विजेता के रूप में पेश कर रहा है और अपनी इच्छा जनता को अवीन मानकर उन पर लाद रहा है। भारतीय नेता 1927 में आक्सफोर्ड छात्रों के समक्ष उसके भाषण को अब भी नहीं भूले थे जिसमें उसने कहा था, “भारत पर हमारा पारितोषिकीय अधिकार है। इंग्लैंड में हमें उसी के आश्रित रहना है और भारतीयों को वहाँ हमारे आश्रित यह काम आप युवा लोगों का है कि आप अपने खून की अंतिम बूँद तक भारत पर अधिकार बनाये रखने की चेष्टा करें।”

भारतीय राष्ट्रवादियों के लिये मजदूर और उदार सदस्यों का अनुदारवादियों को इस मामले में सहयोग भी कम कष्टदायी नहीं था। इसने “ब्रिटिश उदारवादियों व समाजवादियों के प्रति उनके विश्वास को हिलाकर रख दिया।”<sup>2</sup>

1927 में ही वु० कैथरीन मेयो की पुस्तक ‘मदर इंडिया’ प्रकाशित हुई जिसमें विशेष प्रयास करके भारतीय समाज की सामाजिक व धार्मिक बुराईयाँ ढूँढकर एत्रलित की गई थी। इसे पश्चिमी जगत के समक्ष इस तरह उजागर किया गया जैसे कि यही भारतीय समाज की विशेषता हो। भारत को एक अत्यधिक पिछड़े और बदर देश के रूप में पेश किया गया जिससे भारतीय नेताओं को ग्लानि व क्रोध का अनुभव हुआ। इसमें उन्हें ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की चाल दिखाई पड़ी जो इस तरह की चालों के द्वारा भारत पर अपनी पकड़ बनाये रखना चाहते थे। इसके अतिरिक्त, आयोग भारत की ओर किसी नीति के अपनाने की योजना नहीं रखता था और इस अभाव को सभी संप्रदायों के वृद्धि वाले नापसंद करते थे।

इस तरह सभी गौरा युक्त बना हुआ आयोग पूर्ण असफलता की ओर आगे बढ़ा। कांग्रेस सहित सभी भारतीय दल मुस्लिम लीग और उदारवादियों ने आयोग की रचना का विरोध किया। और सर तेजबहादुर सप्रू, एनी बेसेण्ट, श्री एम० ए० जिन्ना, श्री याकूब हुसन और अन्य अखिल भारतीय नेताओं ने 16 नवम्बर 1927 के एक स्वहस्ताक्षरित मांग पत्र में हर तरह के असहयोग की घोषणा की। श्री एस० श्रीनिवासन आयर जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ने इस भारतीय विरोध के कई कारण बताये

1 रीड, सरस्टनले द इंडिया आई दिव (1897-1947) प 191 92।

2 बनर्जी ए सी इंडियन वास्टीन्यूशनल डायमंडस, भाग 3, प 196।

(1) 'भारतीय ताग अपन सविधान की रचना के अधिकारी हैं इस अधिकार को निश्चित ही नकार दिया गया है।' (2) " हम ऐसी किसी छानबीन से अपने को नहीं जोड़ना चाहते जो हमारे स्वराज की योग्यता पर पश्नचिह्न लगाये।' (3) 'तीसरा कारण निश्चित रूप से भारतीय स्वाभिमान को पहुँचाई गई वह चोट है जिसके अतगत आयोग म किसी भारतीय को स्थान नहीं प्रदान किया गया है।' (4) आयोग हम पर धोषा गया है जिसे हम नहीं चाहते और इस समय तो बिल्कुल नहीं।' (5) 'बहिष्कार का अंतिम कारण इन प्रस्तावा के पीछे छिपा अस्ताव व पृष्ठभूमि है। इससे यह नहीं लगता कि हमारे प्रति उदारता के दशन हुये हैं बल्कि उनके बठोर होने का चित्र सामन आया है।'<sup>1</sup>

पर आयोग न दश की यात्रा से अपना कार्य करना प्रारभ किया और नौकरशाही तथा उनके चमचो से तथ्य प्राप्त करना प्रारभ किया। पर ये जहा भी गये घूमघाम से इनका काले अडा, हडतालो और बहिष्कारो से स्वागत हुआ। 'साइमन वापस जाओ' ही इनका नारा था जिसे इसे हर जगह झेलना पडा। पुलिस को बम्बई जीर मद्रास म गोली चलानी पडी और लाहौर जसे स्थान पर जन विरोध को शांत करने के लिये लाठी चार्ज करना पडा। पर यह सब बेकार गया। लाला लाजपतराय को लाहौर म लाठी से ही चोट लगी तथा पंडित जवाहरलात नेहरू और जी० बी० पत उत्तर प्रदेश म विरोध का नवृत्त करते हुये बुरी तरह घायत हुये। पर आयोग अपन काय म लगा रहा और अतत उमन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जो दो भागो म प्रकाशित हुई—प्रथम 11 जून को और द्वितीय 24 जून, 1930 को।

### साइमन कमीशन रिपोर्ट

परिस्थिति के अध्ययन के बाद अपनी रिपोर्ट म नये सविधान पर जोर दत हुये कहा गया कि "इसम एसी धारार्यें होनी चाहिय जिससे इसका विकास अपने आप हो' एव इसके ध्ययो पर विचार करते समय यह निश्चित नहीं करना चाहिये कि इसके लिये कितना कुछ करना होगा और कितन चरणा से होकर गुजरना होगा।' आयोग ने बहुत सी सस्तुतिया की।

1 द इंडियन एनुअल रजिस्टर 1927 भाग 2, प 98-99।

2 नेहरू जवाहरलात आटोबाईयाकी प 174।

प्रातों के सम्बन्ध में

प्रान्तों के सबध में आयोग ने सरतुत किया कि (1) द्वित्तत्र का उद्देश्य पूरा हो गया है इसलिये अब इसे समाप्त कर दिया जाय और गवन्रो के द्वारा बहुमत दल में से मन्त्री नामजद किया जाना चाहिये जो प्रांता का शासन अपने हाथ में ले । ये मन्त्री जिनके बीच गवन्र को पोटफोलियो का विभाजन करना चाहिये, और जिनकी बैठको में गवन्र को मभापतित्व करना चाहिये उह विधायको के प्रति उत्तरदायी होना चाहिये । पर मन्त्रि मडल की रचना लचीली होनी चाहिये जिससे कि आवश्यकतानुसार गवन्र उसमें नौकरशाही के तत्वा का भी समावेश कर सके । (2) केन्द्रीय सरकार अनावश्यक रूप से प्रांत के प्रशासकीय व वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप न करे । पर साथ ही गवन्रो को आवश्यकतानुसार मन्त्रिया के नियमों को न मानने का भी अधिकार होना चाहिये । कुछ आवश्यक उद्देश्यों जैसे अल्पमत बनाने की रक्षा के लिये गवन्र की शक्ति निश्चित हो जानी चाहिये । सविधान की अक्षमता की स्थिति में उह गवन्र जनरल से निर्देश तथा शक्ति दोनों प्राप्त होना चाहिये । (3) प्रांतीय विधान सभाओं में मताधिकार का विचार किया जाना चाहिये और इसमें अधिक से अधिक महिला मतदाताओं को सम्मिलित किया जाना चाहिये । (4) जब तक कोई और बेहतर तरीका न निकल आयें कुछ महत्वपूर्ण अल्पमत बनाने को ठीक से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिये । इसके लिये साम्प्रदायिक चुनाव क्षेत्र बनाये जान चाहिये । पिछड़े वस्त वर्ग के सागा का सीट सुरक्षित करके सहायता दी जानी चाहिए । (5) विधान सभाओं को विस्तृत किया जाना चाहिए और विधायक क्षेत्रों की सीमा घटा दी जानी चाहिए जिससे उसकी ठीक से व्यवस्था की जा सके । प्रांतीय परिषदों को केवल विधायिका के ही अधिकार न देकर अपन प्रति निधित्व प्रणाली पर भी कुछ करन का अधिकार होना चाहिए । (6) प्रांतों को विस्तृत आर्थिक साधन प्रयोग में लाना चाहिए । (7) प्रांतीय क्षेत्रों के पुनर्वितरण का मामला फिर से प्रारंभ करना चाहिए और सिंधी व उडिया लोगों का मामला सबसे पहले हाथ में लेना चाहिए । (8) बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाना चाहिए और तुरंत उसके लिये एक अलग में सविधान की व्यवस्था की जानी चाहिए । (9) उत्तर पश्चिम सीमाप्रान्त की एक अलग विधान सभा होनी चाहिए और इस व बसूचिस्तान दोनों को केन्द्र में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए । (10) भविष्य में आयोग के अनुसार प्रत्येक प्रांत को जहां तक संभव हो अपने घर का मातृक होना चाहिए ।

## केन्द्र

केन्द्रीय विधायिका के संवर्धन आयोग ने निम्न सस्तुतियाँ की—

- (1) 'केन्द्रीय विधायिका को सघीय एसेम्बली' नाम प्रदान किया जाय जिसकी रचना प्रांता के प्रतिनिधित्व के आधार पर तथा ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों के आधार पर हो। पर इसका आधार जनसंख्या हो। (2) प्रांतीय गवर्नरों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के प्रांतीय कौंसिलों से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुना जाना चाहिये जिससे पर्याप्त अल्पमतीय लोग का प्रतिनिधित्व हो जाय। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और अरुणक्षेत्र से बाहर भेजे जाने वाले सदस्य उचित रीति में चुनकर भेजे जाने चाहिए। (3) सघीय एसेम्बली के सदस्य गवर्नर जनरल के कौंसिल के ऐसे सदस्य हों चाहिए जो अरुण नामांकित सदस्यों के साथ सदन में बैठ सकें। (4) गैर चुने और चुने सदस्यों के बीच का अनुपात अपरिवर्तित रहना चाहिए और (5) विधान सभा का काल 5 वर्ष का होना चाहिए।

## राज्य परिषदें

(1) अपने चुने गये और नामित सदस्यों सहित राज्य परिषदों का वही अधिकार चलते रहना चाहिए। (2) चूंकि इनके सदस्य जो चुने जाते हैं अत्यधिक योग्य होते हैं, उनका चुनाव प्रांतीय निम्न सदनो से अप्रत्यक्ष रीति से होना चाहिए। पर यदि य संस्थाएं चुनाव के लिये न हों तो इनका चुनाव परिषदों द्वारा होना चाहिए। (3) इस परिषद का जीवनकाल 7 वर्ष होना चाहिए। (4) केन्द्र के दोनो सदनो के आर्थिक तथा अध्यात्मिक अधिकार चलते रहने चाहिये। पर सघीय एसेम्बली को केन्द्र द्वारा एकत्रित किये जाने वाले अप्रत्यक्ष करों पर मत देने का विशेष अधिकार होना चाहिए जिसकी आय पूर्णतया विभाजनाथ प्रांतों में जान थी।

## कायपालिका

(1) केन्द्रीय कायपालिका के रूप में कौंसिल में गवर्नर जनरल को ही सब अधिकार प्राप्त हों चाहिये। पर अब से गवर्नर जनरल को काम कारिणी के लिये सदस्य नियुक्त करने चाहिये। (2) कायकारिणी के सदस्यों की वर्तमान योग्यता बनी रहनी चाहिये। (3) इन सदस्यों में से कोई एक ऐसा होना चाहिए जो सघीय परिषद में मतदान करे। (4) सेनापति को अब न तो कामकारिणी परिषद और न ही केन्द्रीय विधायिका का सदस्य बनाया जाना चाहिये। (5) केन्द्र में द्वितंत्र की स्थापना की जानी चाहिए क्योंकि केन्द्रीय कायकारिणी में एकता की रक्षा अति आवश्यक है।”

## सेना

सेना व भारतीयकरण की आवश्यकता स्वीकार की गई। पर आयोग ने यह भी सस्तुत किया कि भारत की सुरक्षा गवर्नर जनरल के उत्तरदायित्व क्षेत्र में माना जाना चाहिए जो सम्राट की और उसके अधिकारियों की जोर से मेनापति के परामर्श से काय करेगा। यह भारत सरकार के उत्तरदायित्वों के अंश में नहीं होगा और न इसका केन्द्रीय विधायिका से ही संवध होगा।

## नागरिक सेवायें

आयोग ने कहा (1) इंडियन सिविल सर्विस तथा इंडियन पुलिस सर्विस की सुरक्षा सेवाओं की तरह भर्ती अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में सक्लेटी आफ स्टेट व हाथ स ही होनी रहे। ऐसे ही निचाई सेवाओं व जंगल सेवाओं के विषय में भी विचार हाना चाहिए। (2) आयोग के अनुसार भारतीयकरण की क्रिया चलती रहनी चाहिए। (3) वतमान लोक सेवा आयोग के अतिरिक्त प्रान्ता में भी सेवाओं के चयन के निये ऐमे ही सगठन बनाय जाने चाहिए।

## इंडिया आफिम के संवध में

यह सस्तुत किया गया कि (1) कौंसिल में गवर्नर जनरल को सिद्धान्तत सर्वैधानिक रूप से सक्लेटी आफ स्टेट के अधीन रहना चाहिए। यह नियंत्रण कितना ढीला रिया जाय, इसे भविष्य के अनुभवा के लिय छोड़ दिया जाय। (2) सक्लेटी आफ स्टेट प्रान्तीय सरकारों पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा सिवाय इसके कि वह गवर्नर में निहित अपने अधिकार का प्रयोग करे। (3) भारत की कौंसिल का काय न उमकी रचना में परिवर्तन होना चाहिए, इसके आकार को छोटा किया जाना चाहिए और इसके बहुल सदस्यों की वात्कालिक भ रतीय अनुभव की योग्यता होनी चाहिए। कौंसिल को परामर्शदायी सगठन के रूप में काय करना चाहिए। पर इसकी स्वतंत्र शक्ति सेवा शर्तों पर नियंत्रणाय चलती रहनी चाहिए। इसका नियंत्रण ऐस व्यय पर भी होना चाहिए जिस पर मत न लिया जाता हो।

## भारतीय राज्य

आयोग ने 'कौंसिल फार प्रेटर इंडिया' नामक मन्था की स्थापना की मस्तुति की जिममें राजाओं के राज्य का प्रतिनिधित्व हो और ब्रिटिश भारत के सदस्यों का भी जो सामान्य हित के मतला पर विचार करे। आयोग के अनुसार यह एक ऐसी शुम्भान हागी जिसके आधार पर बहतर भारत का

एक सघ बन सकेगा। पर तुरंत भविष्य में ऐसे किसी सघ की रचना संभव नहीं होगी।

### एक मूल्यांकन

इस तरह की सस्तुतियां थी आयोग की। जसा कि स्पष्ट है, आयोग ने भारत के भविष्य के गत-प का जिक्र नहीं किया जिस पर स्वाभाविक रूप से जनता ने इतराज किया। केन्द्रीय सदन के लिये अप्रत्यक्ष चुनाव की सस्तुति स्पष्ट रूप से एक प्रतिनियामादी कदम था। प्रांतों में गवर्नरों के अधिकार शक्तिपूर्ण थे क्योंकि वह मंत्रियों को नामित कर सकता था, उनके बीच काय का विभाजन कर सकता था और उनकी बैठकों की अध्यक्षता करता था। पर फिर भी भारतीयों के आयोग की सस्तुतियां की भत्सना के बावजूद यह महत्वपूर्ण था। कीय का विचार है कि भारतीयों की मभवत यह गलती थी कि उन्होंने रिपोर्ट को पूणतया ठेकार समझा। यदि यह स्वीकार कर लिया गया होता

तो प्रांता में उत्तरदायी सरकारें काफी पहले स्थापित हो गई होती।<sup>1</sup> पर यह स्मरण रखा जाना चाहिए कि वसे तो रिपोर्ट पर कोई कायवाही नहीं हुई, पर उसकी सस्तुतियां ध्यान में रखी गई। इनमें से कुछ को 1935 के एक्ट में स्थान दिया गया। इस रिपोर्ट की यह भी महत्ता थी कि इसमें सघ के संवध में भी अपने विचार प्रस्तुत किये और यह भी बताया कि राजा भी इसमें भूमिका जदा कर सकते हैं। इस राय के आधार पर बाद में काय किया गया और सघ योजना पर भी कायाबयन हुआ। 1919 के सुधारों की जसफलता को सरकार ने स्वीकार किया और इसके लिए भी रिपोर्ट का ही जिम्मेदार माना गया।

### नेहरू रिपोर्ट

अनुदारवादी सेक्रेट्री ऑफ स्टेट लाड बर्कनहेड ने 1925 और पुन 1927 में भारतीयों को चुनौती दी कि वे ऐसा संविधान दें कि जो देश के सभी दलों को स्वीकार्य हो। कांग्रेस ने चुनौती स्वीकार की और उमने 28 फरवरी 1928 को एक सर्वदलीय सम्मेलन दिल्ली में आमन्त्रित किया जिसमें 29 सगठनों ने अपने प्रतिनिधि भेजे। सम्मेलन में कुछ प्रारम्भिक बातों पर दिल्ली में विचार किया और यह तय किया कि 19 मई 1928 को इसकी दूसरी बैठक जिसमें 9 सदस्यों की एक छोटी समिति पं० मोती लाल नेहरू की

1 कीय कांस्टीट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया प 293-94।

अध्यक्षता में बनी बम्बई में बरन का निश्चय हुआ। समिति से कहा गया कि वह जुलाई 1928 तक भारत के लिए एक सविधान तैयार कर दे। नेहरू समिति नाम से विख्यात इस समिति ने 25 बैठकें की और अंततः सबसम्मति से एक रिपोर्ट तैयार की जिस मबदलीय सम्मेलन के समक्ष जिसके अध्यक्ष डा० अंसारी व लघनऊ ने रखा जाना था। डा० जकारिया व अनुसार रिपोर्ट 'उत्तम और राजनीतिकुशलतापूर्ण' थी और यह इस बात का प्रमाण थी कि भारतीय नेताओं की वैधानिक मामलों में कितनी सूझ-बूझ व पकड़ थी। इस रिपोर्ट की सस्तुतियाँ अधोलिखित थी—

### सस्तुतियाँ

सविधान के सामान्य सिद्धान्तों के विषय में कहा गया कि (1) रिपोर्ट ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन को अगला तुरंत का कदम मानता है पर यह उसका अंतिम गंतव्य नहीं है। सच यह था कि यह दो विचारधाराओं का एक सामंजस्यस्थल था। बहुमत में लोग ब्रिटिशों के अधीन स्वशासन चाहते थे। पर दूसरे यह चाहते थे कि सम्पूर्ण राष्ट्रीय आजादी प्राप्त हो। पर शेष सस्तुतियाँ पर सदस्य एकमत थे। (2) सविधान को घम निरपेक्ष होना था जिसके अंतर्गत किसी भी राज्य को किसी घम को आधार नहीं बनाना था। (3) साम्प्रदायिक चुनाव क्षेत्रों की प्रणाली के सिद्धांत का परिहारा कर दिया गया। सामूहिक चुनाव पद्धति को स्वीकार किया गया और अल्पमत वालों को प्रतिनिधित्व मिले इसके लिए उनकी सीटें रिजर्व कर दी गईं। इसका आधार जनसंख्या में उनका औसत बनाया गया। इसके अतिरिक्त भी उन्हें अथवा सीटों पर चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान किया गया। पर पंजाब और बंगाल में किसी सम्प्रदाय के लिए सीटें रिजर्व नहीं होती थीं। (4) सविधान के अंतर्गत 19 मौलिक अधिकार रखे गए और यह घोषित किया गया कि सरकार को सभी अधिकार जनता से प्राप्त होते हैं। व राष्ट्रीय कार्यकारिणी के संबंध में सविधान में कहा गया कि (1) भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट करेगा और उसके बतन का भुगतान भारतीय कोष से होगा। उसके कार्यकाल में उसके बतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। (2) गवर्नर जनरल कार्यकारिणी सरकार के परामर्श से कार्य करेगा। वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। इस तरह स बनी कार्यकारिणी सरकार ससद के प्रति उत्तरदायी होगी। (3) इस तरह स बना के राष्ट्रीय मंत्रिमण्डल बनने के तीसरे वर्ष के अंतर्गत नहीं हटाया जायगा। पर घट्टाचार धाट्टि के आरोप पर इस विशेष परिस्थिति में पहले भी हटाया जा सकता है। तीन वर्ष के बाद निम्न सदन के 2/3 सदस्यों के विरोध से उस



हटाया जा सकता था। इसी तरह का प्रावधान प्रांतीय मंत्रिमण्डल के लिए भी किया गया। (4) केंद्र में गवर्नर जनरल को रक्षा समिति नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया जिसमें रक्षा मन्त्री व विदेश मन्त्री, सेनापति, वायु सेनाधिपति व जल सेना प्रधान के अतिरिक्त प्रधान सेनाध्यक्ष तथा इस क्षेत्र में प्रमुख दो जानकार व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सकती थी। इस समिति को प्रधानमन्त्री के सभापतित्व में कार्य करना था और इसे सरकार को रक्षा समस्याओं पर परामश देना था। सेना व सगठन, अनुशासन और रख रखाव के संबंध में नियम बनाने के लिए यही समिति सस्तुतियाँ करती थी। रक्षा बजट पर केन्द्र के निचले सदन की सहमति आवश्यक थी। पर वाह्य आक्रमण या इसकी संभावना पर आपातकाल में सरकार बिना मत प्राप्त किये ही व्यय कर सकती थी।

रिपोर्ट में यह भी सस्तुत किया गया कि (1) केंद्र में दो सदन की संसद का प्रावधान होना चाहिए। इनमें से एक सदन सीनेट या उच्च सदन 200 सदस्यों का और दूसरा हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स या निम्न सदन 500 सदस्यों का होना चाहिये। उच्च सदन का काल 7 वर्ष और निम्न सदन का 5 वर्ष होना चाहिये। (2) निम्न सदन के सदस्यों का चुनाव वयस्क प्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर होना चाहिये और उच्च सदन के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से प्रांतीय कौंसिलों द्वारा होना चाहिये।

प्रांतों के संबंध में रिपोर्ट में कहा गया कि (1) प्रांतों का निर्माण भाषाई आधार पर किया जाय। (2) पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता की आवश्यकता स्वीकार की गई और रिपोर्ट में कहा गया कि (3) संघीय आधार पर केंद्रीय और प्रांतीय शक्ति का विभाजन होना चाहिये जिससे केंद्र मजबूत हो सके। इस मामले में कराळा के संविधान को आदर्श माना गया। (4) प्रांतों के गवर्नरों की नियुक्ति सम्राट करेगा पर उनका वेतन प्रांतीय कोष से देय होगा। (5) गवर्नर प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद के मत के आधार पर कार्य करेगा जिसमें 5 सदस्यों से अधिक नहीं होंगे। मुख्यमंत्री गवर्नर द्वारा चुना जायगा और अयमत्री मुख्यमन्त्री के परामश पर गवर्नर द्वारा नियुक्त किये जायेंगे। (6) प्रत्येक प्रांत में एक विधानसभा होगी जिसे लेजिस्लेटिव कौंसिल कहा जायगा जिसके सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष प्रणाली से चुने जायेंगे। प्रांतीय सदन 5 वर्ष के लिए होंगे। पर गवर्नर उन्हें पहले समाप्त भी कर सकता था और इसका काल बढ़ा भी सकता था।

राजाना के सम्बन्ध में रिपोर्ट में कहा गया कि (1) उनके अधिकारों की रक्षा और आन्तर भारत सरकार करेगी, पर उन्हीं समय के अनुसार अपने में कुछ परिवर्तन करना चाहिये और अपनी जनता को प्रजातांत्रिक अधिकार

दिलान म रोक-टोक नहीं करनी चाहिये। (2) एक तरह से प्रभुता ब्रिटिशों की उत्तराधिकारी भारत सरकार मे निहित हो जावेगी क्योंकि यह बताया गया कि राजाशा पर सम्राट अधिकारो का प्रयोग करेगा।

रिपोट म सुप्रीम कोर्ट की रचना का भी प्रावधान किया गया। यह 'यायालय भारत म अंतिम अपील'ीय 'यायालय होना था। इसके बाद किसी भी मुकदमे की अपील इंग्लैण्ड की प्रीवी कौंसिल म नहीं जानी थी। भारत के अर्सेनिक और सनिक कमचारियो की सेवायें पहले जैसे ही चलती रहनी थी और यह प्रविधान किया गया कि गवनर जनरल नागरिक सेवाओ म भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करेगा।

इस तरह यह नेहरू रिपोट थी जिसे लखनऊ के सबदलीय सम्मेलन म स्वीकार किया गया। इस पर दिसम्बर 1928 मे कलकत्ता म सबदलीय सम्मेलन न विचार करना प्रारम्भ किया। पर यहा पर प्रत्यक्ष रूप से पूव प्रदर्शित प्रगतिशील विचार पूणतया दब गये और वह आशा कि संक्रेट्री आफ स्टेट की चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया जायेगा सबकी सब टुकडे टुकडे हो गइ। बोस ने लिखा है कि इस सम्मेलन मे 'वे सभी जिनका नेहरू रिपोट तैयार करने म हाथ नहीं था, इसके सख्त विरोध मे हो गये।' एम० ए० जिना जि'होने एक वप पूव कलकत्ता के मुस्लिम लीग के सम्मेलन मे प्रगतिशील राष्ट्रीय विचारो का प्रदगन किया था अब अपने 14 सूत्रो के साथ सामने आ गये जिसके माध्यम से वे नेहरू रिपोट मे निहित साम्प्रदायिक समझौते म परिवर्तन करना चाहते थे।'

जिन्ना के चौदह सूत्र

यहा जिना के चौदह सूत्रो मे से कुछ महत्वपूर्ण सूत्रो का परिचय बाछनीय होगा जिसने साम्प्रदायिक सदभावना के सारे प्रयासो को दफन कर दिया। कितनी विचित्र बात थी कि सेक्रेट्री आफ स्टेट की चुनौती को दफन कर करते हुए तुरन् जिस साम्प्रदायिक एकता का परिचय दिया गया था वह भारतीय गौरव की पराकाष्ठा थी। (1) जिना चाहते थ कि भारत के लिए एक सघीय सविधान बने जिसम अवशिष्ट अधिकार प्राता को सौंप दिए जायें। (2) सभी विधायिकाओ व अन्य चुने गय सगठनो की रचना अल्पमतय प्रति-निधित्व के उचित व प्रभावी आधार के सिद्धान्त पर हो। पर बहुमत को अल्पमत या समानता के जाघार पर न लाया जाय। (3) केन्द्रीय सदन मे चुने गये मुस्लिम सदस्या की सख्या 1/3 स कम न हो। (4) साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली चलती रह। (5) कोई विल या प्रस्ताव या इसका

1 बोस, एन सी इण्डियन स्ट्रगल पार पीठम प 218 219।

कोई भाग किसी विधायिका से तब तक माय न माना जाय जब तक किसी सम्प्रदाय के 3/4 सदस्य उसका विरोध करें। (6) सविधान में इसका प्रावधान किया जाय कि मुसलमानों को राज्य की सवाभा में और स्थानीय सगठनों में योग्यता व कायसमता को ध्यान में रखा हुआ उचित भाग प्रदान किया जाय। (7) मुस्लिम ससृति की रक्षा का उचित प्रावधान सविधान में होना चाहिए। मुस्लिम शिक्षा के विकास की भी व्यवस्था की जानी चाहिये। (8) केन्द्रीय या प्रांतीय मन्त्रिमण्डल में 1/3 से कम मुस्लिम मंत्री नहीं होने चाहिए। (9) सविधान में कोई परिवर्तन केन्द्र प्रांता में भी स्वीकृति प्राप्त करके कर सयत्ता है।

जिन्ना के दृष्टिकोण ने उनके अपने प्रतिश्रियावादी सम्प्रदाय में उन्हें साक प्रिय तो बना दिया पर इससे रिपोर्ट के मूल्य व महत्ता दोनों को आघात लगा। जिन्ना ने रिपोर्ट में सशोधन के लिए कई प्रस्ताव रने जिससे उनके उपरोक्त उद्देश्य पूरे हो सकें जिसमें से सविधान में सशोधन के प्रस्ताव को छोड़कर सभी अस्वीकार कर दिए गए। जिन्ना के दृष्टिकोण पर अपनी व्याख्या देते हुए सर तेज बहादुर सप्रू ने कहा 'यदि वह सिर चढ़े नटखट बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि उन्हें वह सब कुछ द दिया जाय और उसी के साथ सब कुछ समाप्त समझा जाय।' जिन्ना की तकल जल्दी ही और सम्प्रदायों जैसे सिखा न की जो इस मामले में पिछड़ना नहीं चाहते थे। ऐसी स्थिति में एक अव्यवस्था स्वाभाविक थी। हिन्दू महा सभा मुसलमानों के विरुद्ध तन कर खड़ी हो गई और प्रतिश्रियावादियों का बातवाला हा गया।

पर मुस्लिम लीग इस रिपोर्ट को लेकर आपस में विभाजित थी। सर मुहम्मद शफी के नेतृत्व वाले समूह ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर देने और साइमन कमीशन से सहयोग करने को कहा। राष्ट्रवादी समूह ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने तथा नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने को कहा। और जिन्ना के नेतृत्व में तीसरे समूह ने प्रतिश्रियावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए साम्प्रदायिक प्रश्न उठाने पर साइमन कमीशन का बहिष्कार करने को कहा। मार्च 1929 में दिल्ली में जब लीग की बैठक हुई तो तीनों समूह आपस में लड़ने लगे और अजीब अव्यवस्था का दृश्य उपस्थित हो गया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी इस मामले पर एकमत नहीं थी। कांग्रेस की कायसमिति ने सितंबर 1928 में रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था। पं० जवाहरलाल नेहरू ने रिपोर्ट को स्वीकार कर डोमिनियन स्टेटस स्वीकार करने व गतव्य का टोक न मानते हुए कांग्रेस के सचिव पद से त्याग पत्र दे दिया। दिसंबर 1928 में जब कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में रिपोर्ट को

स्वीकृति के लिय रखा गया तो मुभापचद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने उदारवादियों की भत्सना की और पूण स्वतन्त्रता का उद्देश्य सबके सामने रखा । गांधी ने बड़ी चालाकी से हस्तक्षेप करके स्थिति को विगडने से बचाया । एक सुलह हो गया और विभाजन टल गया । प्रस्ताव मे यह पारित किया गया जिसमे सरकार को चेतावनी दी गई कि यदि नेहरू रिपोर्ट जो मान डोमीनियन स्टटस की माग करता है उसे सरकार द्वारा पूण रूप से 31 दिसबर 1929 तक स्वीकार नही कर दिया जाता ता कांग्रेस को बाध्य हाकर देश को अहिंसात्मक असहयोग करन को समझाने को बाध्य हाना पडेगा जिसमे जनता से कर दन से रकार करने को कहा जायगा और ऐसे ही अय बढम उठान की प्रेरणा दी जायगी ।” मुभाप चद्र वास ने रिपोर्ट म पूण स्वतन्त्रता की माग का एक सशोधन रखा जिसका समथन अय लोगो के अतिरिक्त जवाहर लाल नेहरू न किया । पर मत पडने पर इसके पक्ष मे केवल 273 मत और विपक्ष म 1350 मत पडे । इस तरह गांधी न पुन विजय प्राप्त की और उनकी समझौते की नीति सफल हो गई ।

### एक मूल्यांकन

सामान्यतया नेहरू रिपोर्ट के विषय म कहा जाता है कि सत्रेटी आफ स्टट ने भारतीय नताभा का सविधान रचना की चुनौती दकर एक शरारतपूण बढम उठाया था जिसम सभी दला की सहमति की आवश्यकता बताई गई थी और कांग्रेस न इस चुनौती को स्वीकार कर जति शीघ्रगामी बढम उठाया था । सच तो यह था कि ऐसे राजनीतिक प्रश्नो पर प्रजातान्त्रिक प्रणाली मे एकमत हान की सभावना कम थी । इंग्लैण्ड मे भी महत्वपूण राजनतिन समस्याये बहुमत स ही निर्णित होती थी । भारत म भी सविधान रचना का एकमात्र अधिकार उन स्वतन्त्रता सेनानिया को ही था जा देश को आजादी के लिये लड रहे थ । सभी दला का सविधान के प्रति समथन असभव था, तब ता और भी जब देश विदेशियों के हाथ म था और यह आशा थी कि एक या दूसरा दल शासन के अगूठे के नीचे है ।

पर इस इकार नही किया जा सकता जसा कि जकारिया न मत व्यक्त किया है नेहरू रिपोर्ट पूण रूप स विस्तार म पठनीय है कयाकि जिस भी विषय पर इमन कलम बलाई ह उस पर राशनी डाली है । उस सवध म काल्पनिक आदर्शो का सहारा भी नही छाडा गया है और माथ ही यह भी दिखाया गया है कि किसी को इसके माध्यम से प्रसन करन की चेष्टा भी नही की गई है ।<sup>1</sup> भारतीय नताभा द्वारा अपन दश के लिय सविधान रचना

का यह प्रथम प्रयास था और वैसे तो ब्रिटिश सरकार ने इस ओर कोई आकषक निगाह नहीं फेरी, पर यह वह मस्तिष्क मथन था जिससे वतमान सविधान न भी आवश्यक तत्व ग्रहण किये । यदि और कुछ नहीं तो अपने म यही पर्याप्त है कि हमारा देश के नताआ न इस रिपोर्ट का तयार कर अपनी वधानिक बुद्धि का परिचय दिया ।

## टूटे वायदे

मई 1929 भारतीया के लिए भाग्यशाली समय था क्याकि इंग्लैंड मे इसके पक्ष मे कुछ परिवतन हुये । लेबर पार्टी चुनाव जीत गई और इसका नेता रैम्जे मैकडानल्ड वहाँ का प्रधानमंत्री हो गया और वेजवुड बिउन भारत का सेक्रेट्री ऑफ स्टेट । चुनाव के पूव मैकडानल्ड ने यह आशा व्यक्त की थी कि कुछ ही महीनो म भारत भी कामनवेल्थ का एक राज्य हो जायगा । भारतीयो के लिये यह एक नई आशा की किरण थी और वे आशा करत थे कि शीघ्र ही कुछ जाशानुरूप घटित होगा । लार्ड इरविन ने शीघ्रता मे इंग्लैंड की यात्रा की और अपनी वापसी पर 31 अक्टूबर 1929 को उमने घाषणा की कि 1917 की घाषणा म ही यह प्रस्तुत है कि भारत की सबधानिक प्रगति की अतिम सीढी डोमीनियन स्टेटस है ।' और इसके अतिरिक्त साइमन रिपोर्ट प्रकाशित हाने से पूव ही उसन बताया कि इसम यह मस्तुति की गई है और इसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है । इसके लिए उसने बताया कि एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जायगा जिसमे विभिन्न भारतीय और ब्रिटिश होंगे जिममे एक उचित समझौता हो मने ।<sup>1</sup>

वायसराय के विचार अच्छे थे, पर भारतीय नता इमसे प्रमन नहीं थे । डॉमीनियन स्टेटस एक इच्छित म तथ्य था जिस पर समझौता हुआ था पर यह किसी को पता नहीं था कि उसका आगमन नव होगा । यह विचार सभवत काप्रेस के उस चेतावनी के उत्तर म प्रस्तुत किये गये थे जिसे नेहरू रिपोर्ट क जाधार पर 31 दिसंबर 1929 तक देने को कहा गया था । पर यह अस्पष्ट था । य विचार कुछ अग्रेजा की दष्टि मे उचित नहीं थे । उदार दल के नेता साइमन न एकाएक पाया कि रिपोर्ट के प्रकाशन से पूव ही उसकी मुख्य बातें पदों के पीछे खिसका दी गई ।

भारत म भी इस रिपोर्ट पर अतिशीघ्र प्रतिक्रिया हुई । दिरली म काप्रेस

1 सा वाई चितामणि न बताया कि लार्ड इरविन 'ईमानदार और ईश्वर से डरने वाला व्यक्ति था लार्ड रिपन के बान सबसे पवित्र वायसराय इसे बताया गया । पूर्वोक्त प 173 ।

की काय समिति की बैठक में महत्वपूर्ण भारतीय नेताओं की बैठक हुई जहाँ गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहर लाल नेहरू, डॉ० आसारी, प० मदन मोहन मालवीय, सर तेजबहादुर सप्रू, श्रीमती एनी बेसेंट और अय लोका के हस्ताक्षर से एक घोषणापत्र तैयार किया गया जिसमें ब्रिटिशों के प्रति विश्वास प्रकट करते हुये यह कहा गया कि उह विश्वास है कि प्रस्तावित गोलमेज सम्मेलन केवल उस तिथि को निश्चित करने के लिये ही नहीं बुलाया जायगा कि कब से डॉमीनियन स्टेटस प्रदान किया जाय बल्कि इसे तत्संबंधी सविधान रचना की योजना भी तैयार करनी चाहिए। इस सम्मेलन में अधिकतर कांग्रेस सदस्यों के सम्मिलित किये जाने की आशा थी और घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि राजनैतिक आंदोलन में भाग लेने वालों को छोड़ दिया जाय जिससे जनता यह समझे कि एक नया युग प्रारंभ हो गया है।

पर काले भारतीय क्षितिज पर आशा की यह किरण मुरझा गई और घोषणा पत्र में निहित भय सच सिद्ध हुआ। कांग्रेस में उग्रवादी तत्वों ने इस घोषणा पत्र पर असंतोष व्यक्त किया था कि पूर्ण स्वराज से कम किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करना चाहिए और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस काय समिति से इसके विरोध में इसीलिए स्तीफा भी दे दिया था। पर पर्दे में छिपा और सीमित आश्वासन जो वायसरॉय के वचन में था वह व्यवहार में काय रूप में बदलने के नाम पर पिघलकर बहता हुआ नजर आया। उदारवादियों ने साइमन रिपोर्ट के प्रति अविश्वस्तता प्रकट करके पर सरकार के विरुद्ध नाराजगी प्रकट की और चर्चिल ने अपनी विचित्र शैली में घोषणा की कि भारत के लिये डॉमीनियन स्टेटस की घोषणा "एक अपराध" है। इंग्लैंड की लेबर सरकार जो स्पष्ट बहुमत में नहीं थी भारत के कारण अपने मंत्रिमंडल के काल को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। चूकि नटखटपना के बादल और राजनैतिक चोरी इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी, इस कारण गांधी ने 21 दिसंबर 1929 को वायसरॉय से भेंट की। प० मोतीलाल नेहरू, सर तेज बहादुर सप्रू और एम० ए० जिना भी गांधी के साथ थे। पर वायसरॉय के उत्तर अस्पष्ट और अनिश्चित थे। इस तरह स्पष्टतया चिंतावनी की तिथि समाप्त होते ही नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकृत मान लिया गया और यह समझ लिया गया कि सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं है।<sup>1</sup>

### स्वतंत्रता घोषित

1929 के दिसंबर के अंत में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का

1 सीताराम्या पूर्वोद्धृत, भाग 1 प 351।

सम्मेलन हुआ। श्री नहरू जा सदा सही सुरत पूण स्वतंत्रता की घोषणा की काग्रेस का गतव्य मात्र था और जिहान कांग्रेस का सपना की अध्यक्षाता भी यही की उद्धान प्रिजली की सजी और गर्मी सहित 31 दिसंबर 1929 को अद्वारात्ति की पूण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित कराया। इसी समय से विभिन्न लोगो के हितो का टकराव प्रारंभ हुआ और छून पगौना बढ़ात हुय भारत न विजय की ओर कदम बढ़ाया। प्रस्ताव नये तुने प्रस्ताव म घोषित किया गया

' कांग्रेस का अभिमत है कि वर्तमान परिस्थितियां म प्रस्तावित गोलमेग सम्मेलन म कांग्रेस का भाग लेना स कोई लाभ नहीं है। कांग्रेस यह घोषित करती है कि इसका सविधान के धारा 1 म स्वराज' प्रस्ताव का ना प्रयोग किया गया है उसका जय पूण स्वतंत्रता होगा और यह और जाग यह घोषित करती है कि नहरू रिपोर्ट की संपूर्ण योजना समाप्त हो चुकी है। राष्ट्रीय आन्दोलन म भाग लेना वाले कांग्रेसियों और गर कांग्रेसियों से इसका आग्रह है कि वे भविष्य म प्रत्यक्ष या पराक्ष रूप से चुनाव म भाग न लें। यह कांग्रेसियों को निर्देश देती है कि विधान सभाओं व समितियों म जा लाग भी काम कर रहे हैं व अपने पद से त्यागपत्र दें। जब भी उचित अवसर आय उस समय के लिये कायस अदिल भारतीय कांग्रेस समिति का अधिकार प्रदान करती है कि वह सविनय अवज्ञा आन्दोलन का कायम प्रारंभ करे जिसमें कर न देना का निर्णय किया जा सकता है। यह काय किसी विशेष क्षेत्र या पूरे देश म प्रारंभ किया जा सकता है और आवश्यकतानुसार इस पर उचित राक-शिव भी लग सकती है।'

पर इसका यही जत नहीं था। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाना का निश्चय हुआ। इस दिवस पर लोग एकत्रित होत और निम्न शपथ लेते

यह भारतीय जनता का अमूल्य अधिकार है कि वह स्वतंत्र हो और अपने काम का फल भोग करे, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके जिससे उसकी प्रगति का अवसर प्राप्त हो। हमारा विश्वास है कि यदि कोई सरकार जनता के अधिकारों को छीनती है और उसका विरोध करती है तो जनता को यह अधिकार है कि वह इसे बदल दे या समाप्त कर दे। ब्रिटिश सरकार न भारत म भारतीय जनता की स्वतंत्रता छीन ली है और जनता के गोपण पर अपनी शक्ति की आधार शिला की स्थापना कर भारत को आर्थिक, राजनतिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बर्बाद कर दिया है हम ऐसे व्यक्ति व ईश्वर के विरुद्ध एक जपराध मानते हैं और ऐसी सत्ता के समक्ष जिसने देश की चौतरफा बर्बाद कर दिया है झुंने को तयार नहीं हैं। हम इस कारण कर न देना सहित सविनय अवज्ञा के लिये अपने को तैयार करेंगे हम

इसलिये यह शपथ लेते हैं कि हम समय समय पर कांग्रेस के निर्देशों का पालन करेंगे जिससे पूरा स्वराज की स्थापना हो सके।<sup>1</sup>

### पुन असहयोग आंदोलन

नहर् रिपोर्ट की अस्वीकृति के अतिरिक्त अग्रे वाते भी थी जिहान वातावरण को घनीभूत कर दिया और सघष म भी शीघ्रता ला दी। बीसवीं सदी के प्रथम 20 वर्षों के अंत तक पूरे विश्व में आर्थिक आकाश पर आर्थिक मंडी के बादल मडराने लगे थे जिसके जुग के नीचे किसान और मजदूर दोनों कराहने लगे। व्यापारी वर्ग भी अपने भाग्य पर हाय-हाय करने लगा भारत इसका अपवाद कैसे होता। किसानों ने अपने संगठन स्थापित किये मजदूरों ने सघष की तैयारियाँ की और कम्युनिस्टों ने इसमें सबसे अधिक लाभ उठाने के लिये सरकार के कठोर दंड विधान के प्रयोग को आमंत्रित कर दिया। मार्च 1919 में प्रशासकीय मशीनरी का कठोर शिक्का बसता हुआ सामने आया। भारत के कई कम्युनिस्ट नेता मेरठ में पकड़े लिये गये जिन पर 4 वर्ष स ही मुकदमा चलान की प्रतीक्षा थी। इनमें स मुकदमा म कुछ को आजीवन वारावास तथा अग्रे की और कठोर सजाय प्रदान की गई। सभी ओ वातावरण गरम हो गया। नवम्बर 1929 में इंडियन ट्रेड युनियन कांग्रेस का समापन करत हुए पं० जवाहर लाल नहर् ने एक प्रस्ताव पास कराया, जिसमें कहा गया कि भारत में समाजवादी गणतंत्र की स्थापना हो। इसी समय गुजरात के सूरत जिले में बारदोली के शेर सरदार बल्लभ भाई पटेल के नवृत्तव म बारदोली के किसानों ने कर देने से तव तक इकार कर दिया जब तक उनकी कठिनाय्या स उन्हें मुक्त न कराया जाय। स्पष्ट था कि सत्याग्रह के द्वारा वे भी राजनीति में विजय की आशा करत थे। सधेष म उस समय स्थिति विस्फोटक थी जब कांग्रेस ने पूरा स्वराज की घापणा की और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। यदि कोई अनुशासित अहिंसात्मक आंदोलन को गति देने के लिये तयार न हो, तो जनता से यह अपेक्षा की गई कि वह सव जगह अव्यवस्था का वातावरण पैदा कर दे। गांधी को घापणा करने पड़ी 'जनता जाती है हम उनका अनुगमन करना चाहिये क्योंकि मैं उनका नता हूँ।' उन्होंने आंदोलन क ज्वार भाटा के तिरमौर का काय किया और आंदोलन प्रारंभ हुआ। गांधी ने पुन अंतिम प्रयास के रूप में इरविन को लिखा कि क्या अब भी

<sup>1</sup> सीतारमय्या पूर्वोद्धत भाग 1 प 351 53, मुन्गी पूर्वोद्धत भाग 1 प 26।



इस स्थिति से बचा जा सकता है। पर निराशा ही भविष्य के गम म थी। 11 फरवरी को कांग्रेस वाय समिति ने गांधी को सत्याग्रह प्रारंभ करने के लिये अधिकारित किया। 11 मार्च, 1930 को गांधी न वायसराय को एक ब्रिटिश मित्र रेजीनॉल्ड रेनॉल्डस के माध्यम से पुन लिखा कि वह सहायता करे और स्थिति को बिगड़ने से बचाये। पर सब बेकार गया। 12 मार्च को उन्होंने ऐतिहासिक दांडी यात्रा के कार्यक्रम प्रारंभ करने की नोटिस वायसराय को दी। और एसन भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में एक नवीन अध्याय खोल दिया।

### दांडी यात्रा

अहमदाबाद से 200 मील दूर समुद्रतट पर दांडी नामक जगह थी जहां से गांधी की यात्रा प्रारंभ हुई। गांधी ने अपने साथ अपने चुने हुये 79 साथियों को लिया और योजना यह थी कि इस दूरी को पद चल तय करने के बाद और समुद्रतट पर पहुँचने के बाद वह नमक कानून को तोड़ेंगे। नियमानुसार खारे पानी से भी नमक बनाना वैधानिक अपराध था। नमक कर 1923 में दो गुना कर दिया गया था और चूँकि यह कर जनता पर एक बहुत बड़ा भार था, इस कारण नमक कानून तोड़ने का निश्चय सबसे पहले किया गया।

यात्रा 12 मार्च को प्रारंभ हुई। हर जगह गाँव वाला न उह तथा सत्याग्रहियों को घर लिया और प्रसन्नता व उत्साह से उनका स्वागत किया। समाचार पत्रों ने पूरे 24 दिनों तक, जब तक यात्रा जारी रही यात्रा के विवरण छाये और 5 अप्रैल को जब गांधी जी दांडी पहुँचे पूरे देश में एक नवीन तरह की देशभक्ति व उत्साह की भावना का संचार हो गया। एक दिन के प्रार्थना व व्रत के बाद 6 अप्रैल को सविनय अवज्ञा का उम समय प्रारंभ हुआ जब महात्मा ने समुद्रतट पर नमक का एक टुकड़ा तयार किया।

एक अंग्रेज पत्रकार मि० ब्रेल्सफोर्ड ने इस धारणा का ही यह कहते हुये उपहास किया था कि 'क्या सम्राट एक केटिल में समुद्र के पानी के खोलान से पद से हट जायेगा?' पर उसने गांधी के प्रतीकात्मक काम की कीमत नहीं समझी जिसका अर्थ था कि पूरे देश में इसी समय नमक कानून को तोड़ दिया जाय और साथ ही शराब की दूकानों पर घेरा डाल दिया जाय। नशे की दूकानों पर घेरा डालने का काम गांधी ने महिलाओं को सौंपा। कलकत्ता में लोग सबके समक्ष दशद्रोह के कानून को तोड़ने के लिये दशद्रोह का साहित्य पढ़ने लगे। मध्य प्रांत में इसी तरह जंगल के कानूनों की अवहेलना की गई। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाने लगी जिसके कारण विदेशों से वस्त्रों के

आयान में 3/4 की कमी आ गई और जिससे भारतीय मिलों को अपना उत्पादन दा दो शिपटा में काम करके बढ़ाना पड़ा जिससे आवश्यकता की पूर्ति हो सके ।

### क्रूर प्रतिशोध

सरकार का प्रतिशोध भी समान रूप में शक्तिशाली था, पर था क्रूर । प्रशामकीय मशीनरी के हाथ मजदूर कर दिये गये, यहाँ तक कि दिल्ली ही में 1600 महिलाएँ जेल में बंद कर दी गई । सबसे भयावह प्रतिशोध पेशावर में दखने में आया जहाँ जलियावाला बाग की कहानी दुहराई गई । गोली चलाने और लाठी चार्ज में सैकड़ों मारे गये । 12 जून, 1930 के 'पग इटिया में दिल दहानान वाली कहानी छापी गई जिसमें कु० मेडलेन स्लेड की गवाही छापी गयी थी । उसने बताया कि गुजरात में बुल्सर नामक स्थान पर अहिंसावादी प्रतिनिधियों पर प्रहार किया गया । उसने कहा कि उसके पास इस घान का प्रमाण था कि (1) लाठियों जान बूझकर पट सीने, सर और जोड़ा पर मारी गईं (2) पट व हिंसे में तथा शरीर के गुप्त अंगों में नुकीली चीजें चुभाई गई (3) कपड़े फाड़ डाले गये और हाथों पर डंडे से प्रहार किया गया । (4) पान को तब तक दबाया गया जब तक कि लाग वेहाभ न हो जाय । (5) पिन और काटे लोहा के शरीर में घसाये गये । (6) घायल लोगों को निंदयता से घसीटा और मारा गया । ऐसा वहोशी की हालत में भी किया गया । (7) उन्हें भेदी गालियाँ दी गईं, और (8) उन्हें बैठा और लिटाकर उन पर घाडे दौड़ाये गये ।

16 अप्रैल, 1930 का जवाहरलाल नेहरू को कैद कर लिया गया । इसके बाद 5 मई को गांधी को पकड़कर यरवदा जेल भेज दिया गया । पर इस सबने सचिनय अक्ला आंदोलन को हतोत्साहित करने के रथान पर प्रोत्साहित ही किया । एक ओर जिन्ना के अनुगामी मुसलमानों ने अपने नता के अनुसार इस एक एमा आंदोलन माना जो मुस्लिमों को हिंदुओं की दया पर छोड़ देगा, पर दूसरी ओर सरहदी गांधी खान अबुल गफ्फार खान ने अपने लाल कुर्ती वाले मुसलमानों के साथ इस आंदोलन में कूदकर काफी बलिदान किया । सरकार ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और स्थानीय कांग्रेस कमेटियों को अवैध घोषित कर दिया । दजन से अधिक आपातवालीन अध्यादेश जारी किये गये । लगभग 60 लाख लोगों जेलों में भर गये जिससे वहाँ जगह की भी कमी पड़ गई । फिर भी आंदोलन घीमा नहीं पड़ा । एक प्रकार जाज सोलोकाम्बो और सर तेजबहादुर सप्रू तथा श्री जयकर का अगस्त 1930 का यह प्रयास कि व कांग्रेस नताओं और लाड इरविन के बीच

मध्यस्थता करके शांति की स्थापना करे उसका कोई फल नहीं हुआ। पर एकाएक 25 जनवरी 1931 को कांग्रेस नेताओं को मुक्त कर दिया गया। वही समय 6 फरवरी 1931 को पूरे देश में शांति की लहर उस समय दौड़ गयी जब भारत में एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू का 6 फरवरी, 1931 को देहांत हो गया। 17 फरवरी 1931 को प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुये और 5 मार्च को महात्मा ने आन्दोलन को रोकने की घोषणा कर दी।

यहाँ यह बाछनीय है कि हम उन घटनाओं की ओर मुड़ें जिसमें फलस्वरूप प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ और जिसके फलस्वरूप उपरोक्त समझौते पर हस्ताक्षर हुये।

### प्रथम गोलमेज सम्मेलन

कांग्रेस द्वारा वर्हिष्ट प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवम्बर, 1930 को लंदन के जेम्स महल में हुआ। इसमें 89 प्रतिनिधि थे। 57 इसमें से ब्रिटिश भारत के थे 16 वायसराय द्वारा नामित राजा अपने राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आर शेष ब्रिटिश संसद के तीन दलों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ब्रिटिश भारत से जो लोग गये थे वे भी लगभग वायसराय द्वारा नामित किये गये थे। उन्हें हिन्दुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, शूद्रों, मजदूर संघों, जमींदारों और व्यापारियों का प्रतिनिधि बनाकर बुलाया गया था। और शेष ब्रिटिश संसद के तीन दलों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस बात पर पूरा ध्यान दिया गया था कि कहीं राष्ट्रवादी मुसलमानों व भारतीय विधायकों से तत्संबंध में कोई परामर्श न किया जाय। ब्रिटिश प्रधान मंत्रों ने सम्मेलन के शुभारंभ में यह बताया कि किन समस्याओं पर विचार किया जाय उदाहरणार्थ (1) भारत के लिये संघीय राज्य (2) केन्द्र पर आर्थिक उत्तरदायित्व (3) कुछ प्रतिबंधों सहित प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता।

विचारार्थ जब भारत के लिये संघीय भांति की सरकार का प्रश्न जाया ता एक भी व्यक्ति ने इस पर इतराज नहीं किया और आश्चर्यजनक रूप से राजाओं तक ने इसके पक्ष में मर हिला दिया और उस शासन से सहयोग करने की इच्छा जाहिर की। यह कहा जाता है और यह सच भी था कि राजाओं ने ऐसा ब्रिटिशों के खुराफातों इशारे पर किया जिससे कि संघीय राज्य में सदा प्रतिक्रियावादी तत्व बना रहे और यह शासन इतना प्रगतिवादी न हो जाये कि उस पर नियंत्रण संभव न हो। उपरोक्त दूसरी व तीसरी संद्धान्तिक समस्याओं का समाधान भी संभव हो गया। पर अतहीन और निन्दनीय वादविवाद का जन्म तब हुआ जब सम्मेलन ने विभाजन अधिकार

को हाथ में लिया। जिन्ना ने अपने पूर्व घोषित 14 सूत्रों को स्वीकार करने पर जोर डाला। डा० जम्पेदकर हरिजना के लिए साम्प्रदायिक चुनाव से कम कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। पर हिंदू इनमें से कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। इस पर प्रधानमंत्री ने स्वीकार किये गये तीनों सूत्रों के साथ सभा की कार्यवाही समाप्त कर दी और इस तरह जनवरी 1931 में यह सम्मेलन विजयभाव के साथ समाप्त हो गया।

### गांधी-इरविन समझौता

प्रतिनिधि घर वापस आ गये। और सरकार ने धीरे धीरे कांग्रेस से समझौता करने की आवश्यकता का अनुभव किया। कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के कारण—यथा, रूस का चीन से आगे बढ़ना, इटली की समस्या तथा पूरे विश्व में सामान्य आर्थिक समस्या—यह और आवश्यक हो गया। इन्हीं परिस्थितियों में 25 जनवरी को तमाम बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं को जेल से रिहा कर दिया। गांधी ने तुरंत लाड इरविन से भेंट करनी चाही जिसे स्वीकार कर लिया गया और 17 फरवरी 1931 को प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता हो गया जिसने पुनः एक बार भारतीयों की आशाओं को उत्साहित कर दिया था कि अब उनका गंतव्य निकट है।

समझौते की वे शर्तें जिन्हें वायसरॉय ने स्वीकार किया था निम्न थी—  
 (1) कि देश के सभी राजनतिक बन्धु तुरंत मुक्त किये जायेंगे (2) कि देश में एक संघराज्य की स्थापना की जायगी तथा भारतीयों को हस्तान्तरित की जाने वाली प्रत्येक शक्ति में भारतीयों का ध्यान में रखा जाएगा, और (3) कि सरकार को शराब, अफीम और विदेशी वस्त्रों की दूकानों पर शांतिपूर्ण ढंग से धरना देने पर आपत्ति नहीं होगी। गांधी ने अपनी ओर से यह स्वीकार किया, (1) कि वे कांग्रेस में तुरन्त नागरिक असहयोग स्थगित करने को कहेंगे, (2) कि कांग्रेस द्वितीय गोलमज सम्मेलन में भाग लेगी और (3) कि कांग्रेस पुलिस ज्यादातियों की छानबीन की मांग पर अधिक जोर नहीं डालेगी।

जहाँ एक ओर अधिकतर भारतीय नेताओं ने गांधी के कदम की सराहना की वहाँ जवाहरलाल नेहरू और सुभाषचंद्र बोस जैसे कांग्रेस के वामपंथियों को समझौते की शर्तें खली। यह आश्चर्यजनक कि पुलिस के अत्याचार के छानबीन की मांग पर जोर नहीं दिया जायगा दुर्भाग्यपूर्ण था जोर महामा की सरदार भगत सिंह तथा उनके साथियों को फाँसी के तग्न में उतारकर जाजी वन गंगावाम दिलवाने की अक्षमता अत्यधिक खलन वाली थी। रक्षावाचक के



नीति' अपनाई गई। रजमक और वाना के युद्ध के दूर पूरे किये गये जोर पहा डियो म मोटर के रास्ते बनाकर सामान की पूर्ति की व्यवस्था की गई। वैसे तो यह नीति अत्यधिक व्ययशील और भद्दी थी, पर पर्याप्त समय तक इसके कारण सफलता प्राप्त हुई और शांति स्थापित हुई। पर शीघ्र ही कुछ नई शक्तियो ने सर उठाया और एक बार फिर सीमा की शांति समाप्त हो गई।

1919 के ऐक्ट के अतगत स्थापित द्वित्त को सीमा प्रांत मे नही लागू किया गया था क्योंकि यह कहा गया कि वहा के लोग पर्याप्त रूप से राज नतिक रूप से शिक्षित नही हैं। सरकार की शिया मुसलमानो के पक्ष की नीति ने भी ऐसी स्थिति बनाये रखी। प्रशासित व अप्रशासित राज्या के बीच आवागमन के साधन के कारण एक ओर तो सबध स्थापित हो चुके थे और दूसरे विकसित ब्रिटिश भारत के प्रांता से भी उनका सबध हो चुका था। इस क्षेत्र के क्वीला मे यह स्वर भी उभर रहा था कि उनका भत्ता पिछले 30 वर्षों से नही बढ़ाया गया है। भारत मे राजनैतिक आदोलन की अफवाह वहा जगली आग की तरह फैल जाती थी और यह आमतौर से कहा जाता कि ब्रिटिश भारत मे अब अधिक दिना तक नही रहगे। शारदा ऐक्ट जसे सरकारी कानूनो ने पूरे क्षेत्र मे इस समाचार की धूम मचा दी थी कि भविष्य मे अब कोई भी सरकार की अनुमति के बिना विवाह नही कर पायेगा।

इही परिस्थिनियो मे सीमा क्षेत्र का 6 फीट 4 इंच लबा अब्दुल गफफार खान नामक पठान गाधी व नेहरू के सपक म आया जो पठान आक्रोश को छोड कर गाधी के सत्य व अहिंसा का पुजारी हो गया। 1929 मे उसन प्रसिद्ध 'खुदाई खिदमतगार' नामक सस्था सगठित की। इसमे युवा पठान भर्ती किये जाते और उह ब्रिटिश शासन से लडने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता। चूकि एक निश्चित तरह के वस्त्र धारण की क्षमता इनमे नही थी इसलिए ये इंट के रंग की लान कुर्ती पहनते थे। इसी कारण इ हे लाल कुर्ती वाले कहा गया। इस सगठन मे निश्चित फीजी परपरा की भांति लोगो को बैज व रैक प्रदान किये जाते थे। गफफार खान के एजेट केवल सीमा के ही प्रांता म कायरत नहीं रहते थे बल्कि अप्रशासित क्षेत्रो मे भी प्रविष्ट हो जाते थे। पेशावर जिले मे उहान भूमिगत सरकार स्थापित की और उनकी प्रतिष्ठा बडी ऊँची हो गई। 20 अप्रैल 1929 को खान को एकाएक बंद कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। खान को उनके कुछ साथियो के साथ कैद करने से पूरे पेशा वर नगर मे सामाय आदोलन प्रारभ हो गया। असैनिक सरकार जब परि स्थिति पर काबू नही पा सकी तब सेना बुलाई गई। गोली चलाई गई जिससे सरकार के अनुसार 30 लोग मारे गये और 33 लोग घायल हुए। वैसे यह सस्था निश्चित रूप से और अधिक थी। पेशावर से आदोलन बोहाट मे फैल

प्रति उनकी मोन सम्मति भारतीय आजादी के गन्तव्य प्राप्ति के लिये विनाशकारी हुआ। जसा कि सुभाषचंद्र बास ने कहा, कि "इस समझौते ने जिसमें तमाम छोटी छोटी व अनावश्यक बातों को विस्तार दिया गया था स्वराज की बात पर कुछ नहीं कहा गया।" गोलमेज सम्मेलन में होने वाले निणय सभी उपस्थित दलों को आवश्यक रूप से मानने होते हैं। पर महात्मा ने गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होना तो स्वीकार कर लिया जिसके निणय सम्मिलित दलों में लागू होने के लिये बाध्य नहीं करते थे। सम्मेलन में प्रतिनिधियों का चुनाव भी भारतीयों का नहीं करना था। इस लाया को सरकार नामित करना था। उन्होंने सरकार का इसके लिए बाध्य नहीं किया कि सम्मेलन में केवल सघपरत दो दलों में लागू ही सम्मिलित है। बल्कि इसके स्थान पर इसमें ऐसे तमाम लोगों के सम्मिलित होने की स्वीकृति दे दी जिन्होंने स्वतंत्रता सघ में भाग भी नहीं लिया था। और अतः जिस तरह के सघीय सरकार को स्वीकार किया गया था जिसमें तानाशाह राजा राष्ट्रीय आकाशाओं के विरुद्ध सम्मिलित होने को तयार थे, वह एक ऐसा कदम था जो स्वतंत्रता प्रयास को और पीछे धकेल ले गया।<sup>1</sup>

कांग्रेस का अगला अधिवेशन मार्च 1931 में जब कराची में हुआ तो सुभाषचंद्र बोस सहित कई लोगों ने ये बातें कहा उठाई। सच तो यह था कि यह अधिवेशन अत्यधिक निराशा के वातावरण में हुआ। इस कांग्रेस के अधिवेशन की पूर्व संध्या पर भगतसिंह और उनके साथियों को फासी पर चढ़ाकर सरकार ने गांधी की उदार नीति का मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा भी कि "गांधी के समझौते ने भगतसिंह को फासी के कुएं में डाल दिया।" गांधी का बाले झंडा से स्वागत हुआ और उनके विरुद्ध नारे लगाये गये। कांग्रेस अधिवेशन के साथ ही साथ बोस के नेतृत्व में युवा कांग्रेस की बैठक हुई जहाँ खुले तौर पर सिंध और पंजाब के युवकों ने कांग्रेस से अलग होकर एक अलग संगठन बनाने की चेष्टा की। पर गांधी ने अपने पूर्ववत् उदार भाव से विरोधियों को शांत किया और समझौता अतः स्वीकार कर लिया गया। इस तरह नाटक के एक दृश्य का समापन हुआ और कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने का निश्चय किया।

## उत्तर पश्चिम सीमा और लाल कुर्ती वाले

तृतीय अफगान युद्ध के बाद सीमा के प्रति एक सशोधित प्रगतिशील

1 और विस्तार के लिए देखिए गोपाल एस ५ बायसरायल्टी आक लाई इरविन प 89 122 ।

नीति' अपनाई गई। रजमक और बाना के युद्ध के दूर पूरे किये गये जोर पहाड़ियों में मोटर के रास्ते बनाकर सामान की पूर्ति की व्यवस्था की गई। वैसे तो यह नीति अत्यधिक व्ययशील और भद्दी थी, पर पर्याप्त समय तक इसके कारण सफलता प्राप्त हुई और शांति स्थापित हुई। पर शीघ्र ही कुछ नई शक्तियों ने सर उठाया और एक बार फिर सीमा की शांति समाप्त हो गई।

1919 के ऐक्ट के अंतर्गत स्थापित द्वितंत्र को सीमा प्रांत में नहीं लागू किया गया था क्योंकि यह कहा गया कि वहाँ के लोग पर्याप्त रूप से राजनतिक रूप से शिक्षित नहीं हैं। सरकार की शिया मुसलमानों के पक्ष की नीति न भी ऐसी स्थिति बनाये रखी। प्रशासित व अप्रशासित राज्यों के बीच आवागमन के साधन के कारण एक ओर तो सबध स्थापित हो चुके थे और दूसरे विकसित ब्रिटिश भारत के प्रान्तों से भी उनका सबध हो चुका था। इस क्षेत्र के कबीलों में यह स्वर भी उभर रहा था कि उनका भत्ता पिछले 30 वर्षों से नहीं बढ़ाया गया है। भारत में राजनैतिक आंदोलन की अफवाहें वहाँ जगली भाग की तरह फल जाती थी और यह आमतौर से कहा जाता कि ब्रिटिश भारत में अब अधिक दिनों तक नहीं रहेंगे। शारदा ऐक्ट जैसे सरकारी कानूनों ने पूरे क्षेत्र में इस समाचार की धूम मचा दी थी कि भविष्य में अब कोई भी सरकार की अनुमति के बिना विवाह नहीं कर पायेगा।

इही परिस्थितियों में सीमा क्षेत्र का 6 फीट 4 इंच लंबा जब्दुल गफफार खान नामक पठान गांधी व नेहरू के सपक में आया जो पठान आक्रोश को छोड़ कर गांधी के सत्य व अहिंसा का पुजारी हो गया। 1929 में उसने प्रसिद्ध 'खुदाई खिदमतगार' नामक सस्था संगठित की। इसमें युवा पठान भर्ती किये जाते और उन्हें ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता। चूँकि एक निश्चित तरह के वस्त्र धारण की क्षमता इनमें नहीं थी इसलिए ये ईंट के रंग की लाल कुर्तियाँ पहनते थे। इसी कारण इन्हें लाल कुर्तियाँ वाले कहा गया। इस संगठन में निश्चित फौजी परंपरा की भाँति लोगो को बैज व रैंक प्रदान किये जाते थे। गफफार खान के ऐजेण्ट केवल सीमा के ही प्रांतों में कार्यरत नहीं रहते थे बल्कि अप्रशासित क्षेत्रों में भी प्रविष्ट हो जाते थे। पेशावर जिले में उहाँन भूमिगत सरकार स्थापित की और उनकी प्रतिष्ठा बड़ी ऊँची हो गई। 20 अप्रैल 1929 को खान को एकाएक कैद कर लिया गया जोर जेल भेज दिया गया। खान को उनके कुछ साथियों के साथ कैद करने से पूरे पेशावर नगर में सामान्य आंदोलन प्रारंभ हो गया। असीनिक सरकार जब परिस्थिति पर काबू नहीं पा सकी तब सेना बुलाई गई। गोली चलाई गई जिससे सरकार के अनुसार 30 लोग मारे गये जोर 33 लोग घायल हुए। वैसे यह सस्था निश्चित रूप से और अधिक थी। पेशावर से आंदोलन कोहाट में फैल



गया और वहाँ से अय नगरो मे । यहा तक कि मोहमडस, जोराकजाई, अफरीदी जादि कबीला के क्षेत्र भी इस आदोलन से अछत न रहे । हवाई सेना सहित पैदल सेना को उस क्षेत्र मे शांति स्थापना म पर्याप्त समय लगा ।

पंजाब के एक मुस्लिम नेता फजल हुसेन न जो अप्रैल 1930 म इरबिन की काँसिल म सम्मिलित हुये थे यह परामश दिया कि सीमा प्रांत मे तीव्र होती राजनतिक चेतना को सवैधानिक दिशा दी जानी चाहिये । लोगो की कठिनाइयो की जोर ध्यान दिया जाना चाहिये और उह दूर किया जाना चाहिए । वायसराय न तुरंत इस पर ध्यान देते हुये यह घोषणा की कि सीमा के लोगो की समस्याओ का अवलोकन करने हेतु एक समिति शीघ्र ही स्थापित की जायेगी । इस प्रांत के चीफ कमिश्नर पियस ने स्थानीय सस्थाओ के चुनाव करान का वादा किया तथा प्रशासन के सहायताथ एक परामशदात्री समिति स्थापित करने को कहा । वसी क्षण एक तेज कुप्रचार यह प्रारंभ किया गया कि कांग्रेस एक हिंदू संगठन है जिसम मुसलमानो का कोई स्थान नही है ।

फुसलाहट की नीति के साथ शक्ति के प्रयोग तथा वायदो ने सीमा प्रांत को शांत कर दिया । पर वादे पूरे नही किय गये जिसके फलस्वरूप 1930 के अंत तक महमूदा अफरीदिया और अय कबाइलियो ने एक बार फिर हथियार उठा लिया । स्थिति इतनी बिगड गई कि प्रांत म माशत ला लगाना पडा । सरकार की गिरती प्रतिष्ठा बचाने के लिये कबीले के क्षेत्र पर सनिक जाक्रमण किया गया जिसस तमाम बर्बादी हुई । पंशावर पहुंचन वाले तमाम मार्गों पर अधिकार कर लिया गया । पर शांति स्थापना मे बडा समय लगा । मार्च 1931 म वायसराय व गांधी के समझौते के अंतगत अब्दुल गफफार खान का जेल स रिहा कर दिया गया । पर इसी वष 24 दिसंबर को सरकार न जापातकालीन शक्ति अपन हाथ म ले ली जिससे कि उस क्षेत्र म जन सबाओ धन और शांति की रक्षा हो सके । लाल कुर्ती वालो का संगठन गर कानूनी घोषित कर दिया गया तथा गफफार खान को उनके चार साथियो सहित भारत के विभिन्न जेला मे रखा गया । 1932 के वसंत तक लाल कुर्ती वाला जादालन सीमा प्रांत म समाप्त हो गया ।

पर गफफार खान का आजादन बंकार नही गया । 1932 म उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का चीफ कमिश्नर क क्षेत्र क स्थान पर गवनर का प्रांत घोषित कर दिया गया तथा भारत के प्रांतो क सस्थाओ के समान ही इस राजनतिक अधिकार प्रदान कर दिया गया । 1935 म दम प्रांत को जय प्रान्त व माय एकाधिकार प्राप्त हो गया और गफफार खान क भाई डॉ० खान साहब यहाँ क मुख्यमंत्री बनाय गय । खान साहब गांधी के अनुगामी

और कांग्रेस के सदस्य थे और उह आगे के सघप में अहम भूमिका अदा करनी थी।"<sup>1</sup>

### राजा

वैसे तो लाड मिण्टो के समय में राजाओ का फुसलान और राष्ट्रीय आंदोलन के विरोध में खड़ा करन का काम प्रारंभ कर दिया गया था पर ब्रिटिश सदा उनकी सर्वोपरि शक्ति से ईर्ष्या रखते रहे। 1921 में 'चैम्बर आफ प्रिंसज' की स्थापना की गई जिससे राजा आपसी विचार विमर्श हेतु एकत्रित हो सकते थे। इरविन ने तो उह 'चैम्बर की स्टैंडिंग कमेटी' तक स्थापित करन की अनुमति दे दी जो वायसराय से बात कर सकती थी और आवश्यकता होने पर उसके परामर्शदाताओं से बात कर सकती थी। पर फिर भी राजाओ को कभी भी अनावश्यक रूप से निकट नहीं लाया गया। इरविन के पूर्वाधिकारी रीडिंग ने हैदराबाद के निजाम को एक पत्र में घोषित करत हुये लिखा था 'भारत में ब्रिटिश ताज का राजत्व अत्यधिक श्रेष्ठ है और इसी लिये, भारत का कोई भी राजा ब्रिटिश सरकार से समान स्तर पर बातचीत करन की स्थिति में नहीं है। इसकी श्रेष्ठता सधिया और युद्ध से आबद्ध नहीं है बल्कि स्वतंत्र रूप से भी विद्यमान है।' इरविन इसी नीति का अनुगामी बना रहा। वह राजाओ से सदा यह कहते नहीं थकता था कि वायसराय ताज का प्रतिनिधि है जिसके कारण वह कौंसिल को विश्वास में लिये बिना ही उसका जनता पर शासन के प्रति उत्तरदायित्व है। वह उनसे बार-बार कहता था कि वे अपने क्षेत्र में एक कानूनी व्यवस्था स्थापित करें और इसी से उह जनाकाक्षा का पान हो जायगा।

सच तो यह था कि वायसराय द्वारा व्यक्तिगत रूप से पालीटिकल डिपार्ट-मट के माध्यम से ताज की प्रभुसत्ता के प्रयोग से एक आवेशपूर्ण स्थिति का जन्म हो रहा था। 1927 में राजाओ ने अपने प्रतिनिधि बोकानेर के महा राजा के माध्यम से एक समिति बनाने का निवेदन किया जो ताज और राज्यों के संबंधों की जांच करे। राजाओ ने इंग्लैण्ड में अपने सहायताय एक वकील भी रखा। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ब्रिटिशों से सधि की थी तब वे प्रभुता संपन्न और स्वतंत्र राज्य थे। इस तरह उनके तथा ब्रिटिश ताज के बीच का संबंध सविदात्मक था और इस तरह कोई भी पक्ष एक दूसरे से राय लिये बिना इस तोड़ नहीं सकता था। प्रशासन करने का उनका कर्तव्य ब्रिटिशों के शासन से अयो-याश्चित रूप से जुड़ा था। इस कारण एक सीमा थी जिसके

<sup>1</sup> स्वतंत्र आंदर नाथ वेस्ट फ्रंटियर प 319 देख, गोपाल, एस पूर्वोक्त प 67 88।

बाहर ब्रिटिश राजाओं के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे।

राजाओं की मांग के उत्तर में, इरविन ने सर हर्बर्ट बटलर के नेतृत्व में एक समिति दिसंबर 1927 में बनाई जिसे इस सबंध में रिपोर्ट देनी थी। बटलर समिति की रिपोर्ट फरवरी 1929 में सामने आई। इसमें यह कहा गया कि प्रभुसत्ता के सिद्धांत को स्थायी नहीं माना जाना चाहिये "ताज के राज्य से सबंध सविदात्मक न होकर परिस्थिति और नीति के आधार पर निर्धारित होते हैं। इस सबंध में कोई स्पष्ट प्रभुसत्ता के सिद्धांत की रचना या व्यवहार का विस्तृत लेखन संभव नहीं है।" स्पष्ट था कि राजाओं के सविदात्मक सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया था। बटलर समिति ने भी राजाओं के पक्ष में बहुत अधिक कुछ नहीं कहा। रिपोर्ट के आधार पर राजाओं और भारत सरकार के बीच कोई सीधा सबंध संभव नहीं था जो भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी हो। ऐसा राजाओं से समझौता करने ही संभव था। रिपोर्ट ने सन्तुष्ट किया कि वायसरॉय की कौंसिल में राजाओं से निवृत्तों के लिए एक अलग से सदस्य नियुक्त करने के स्थान पर राज्य का उत्तरदायित्व वायसरॉय को ताज के प्रतिनिधि के रूप में स्वयं ग्रहण करना चाहिये।

स्पष्टतया समिति की सन्तुष्टियाँ का उद्देश्य भारतीय राज्यों और ब्रिटिश भारतीय जनता के बीच एक दीवार खड़ी करना था। इसने भारतीय राजाओं को ब्रिटिश भारत के राष्ट्रीय और प्रजातांत्रिक आंदोलन से अलग कर दिया और इस तरह स्वाभाविक रूप से लोकप्रिय भारतीय नेताओं की नाराजगी मोल ली।

इस सबंध में चिंतामणि ने ठीक ही कहा था, 'बटलर समिति अपनी उत्पत्ति नियुक्ति के काल के चुनाव सीपे गये काय प्राप्त सदस्यों तथा निष्कर्षों सभी में बुरी थी।'<sup>1</sup>

ब्रिटिश भारत के लोग बटलर समिति की रिपोर्ट से प्रसन्न नहीं हो सकते थे। पर राजा भी प्रसन्न नहीं थे। ऐसा इसलिये था कि प्रभुसत्ता प्राप्ति के लिये केवल जोर ही नहीं दिया गया बल्कि इसकी सीमाएँ और बढ़ा दी गई जिन्हें जब तक स्वीकार किया गया था। इ ही कारणों से बाद में राजा गोलमेज सम्मेलन में दूसरे मत प्रस्तुत करने लगे। उनके मस्तिष्क में ब्रिटिश भारतीय प्रांता के साथ संध की कल्पना थी। उन्होंने सोचा कि इससे वे अपने को ब्रिटिश प्रभुसत्ता के दबाव से ही नहीं बचा ले जायेंगे बल्कि ब्रिटिश भारत के प्रगतिशील व राष्ट्रवादी शक्तियों के आश्रय में हस्तक्षेप से

1 गोपाल लाल पूर्वोद्धृत प 127।

2 चिंतामणि की बाई इंडियन पार्लियामेंटरी सिस्टम प 97।

भी भुक्त रख सकेंगे । पर उनकी कल्पना सही नहीं थी ।

1931 में इरविन भारत से पदभुक्त हो गया । 1932 में शिक्षा बोर्ड का प्रेसीडेंट नियुक्त किया गया । 1934 में उसके पिता की मृत्यु हो गई और वह हैलीफैक्स का तीसरा काउण्ट हो गया । 1935 में युद्ध का सेक्रेट्री ऑफ स्टेट हो गया और फिर साइ प्रीवी सील । 1938 में वह विदेश सेक्रेट्री हो गया । 1944 में उसे अल की उपाधि प्राप्त हुई और हाउस ऑफ लॉर्डस में उसकी पूर्ण प्रतिष्ठा बनी रही ।

बाहर ब्रिटिश राजाओं के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे।

राजाओं की मांग के उत्तर में, इरविन ने सर हरकोट बटलर के नेतृत्व में एक समिति दिसंबर 1927 में बनाई जिसे इस सबंध में रिपोर्ट देनी थी। बटलर समिति की रिपोर्ट फरवरी 1929 में सामने आई। इसमें यह कहा गया कि प्रभुसत्ता के सिद्धांत को स्थायी नहीं माना जाना चाहिये 'ताज के राज्या से सबंध सविदात्मक न होकर परिस्थिति और नीति के आधार पर निर्धारित होते हैं। इस सबंध में कोई स्पष्ट प्रभुसत्ता के सिद्धांत की रचना या व्यवहार का विस्तृत लेखन संभव नहीं है।'<sup>1</sup> स्पष्ट था कि राजाओं के सन्निदात्मक सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया था। बटलर समिति ने भी राजाओं के पक्ष में बहुत अधिक कुछ नहीं कहा। रिपोर्ट के आधार पर राजाओं और भाग्य सरकार के बीच कोई सीधा सन्ध संभव नहीं था जो भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी हो। ऐसा राजाओं से समझौता करके ही संभव था। रिपोर्ट ने सन्तुष्ट किया कि वायसराय की कौंसिल में राजाओं में निवटने के लिए एक जलज से सदस्य नियुक्त करने के स्थान पर, राज्य का उत्तरदायित्व वायसराय को ताज के प्रतिनिधि के रूप में स्वयं ग्रहण करना चाहिये।

स्पष्टतया, समिति की सन्तुष्टियाँ का उद्देश्य भारतीय राज्या और ब्रिटिश भारतीय जनता के बीच एक दीवार खड़ी करना था। इसने भारतीय राजाओं को ब्रिटिश भारत के राष्ट्रीय और प्रजातान्त्रिक आंदोलन से अलग कर दिया और इस तरह स्वाभाविक रूप से लोकप्रिय भारतीय नेताओं की नाराजगी मोल ली।

इस सबंध में चिन्तामणि ने ठीक ही कहा था, 'बटलर समिति अपनी उत्पत्ति नियुक्ति के काल के चुनाव सीपे गये काय, प्राप्त सदस्या तथा निष्कर्षों सभी में बुरी थी।'<sup>2</sup>

ब्रिटिश भारत के लोग बटलर समिति की रिपोर्ट से प्रसन्न नहीं हो सकते थे। पर राजा भी प्रसन्न नहीं थे। ऐसा इसलिये था कि प्रभुसत्ता प्राप्ति के लिये केवल जोर ही नहीं दिया गया, बल्कि इसकी सीमायें और बढ़ा दी गई जिन्हें अब तक स्वीकार किया गया था। इ ही कारणों से बाद में राजा गोलमेज सम्मेलन में दूसरे मत प्रस्तुत करने लगे। उनके मन्तिष्क में ब्रिटिश भारतीय प्राता के साथ संध की कल्पना थी। उन्होंने सोचा कि इससे वे अपने को ब्रिटिश प्रभुसत्ता के दबाव से ही नहीं बचा ले जायेंगे बल्कि ब्रिटिश भारत के प्रगतिशील व राष्ट्रवादी शक्तियों के आक्रामक हस्तक्षेप से

1 गोपाल एम पूर्वोक्त प 127।

2 चिन्तामणि भी वार् इंडियन पार्लियामेंट सि स इण्डियन प 97।

भी मुक्त रख सकेंगे । पर उनकी कल्पना सही नहीं थी ।

1931 म इरविन भारत मे पदमुक्त हो गयर । 1932 मे शिक्षा बोर्ड का प्रसोडेंट नियुक्त किया गया । 1934 म उसने पिता की मृत्यु हो गई और वह हैलीफैक्स का तीसरा काउण्ट हो गया । 1935 म युद्ध का सेक्रेट्री ऑफ स्टेट हो गया और फिर लाड प्रीवी सील । 1938 मे वह विदेश सेक्रेट्री हो गया । 1944 म उसे अल की उपाधि प्राप्त हुई और हाउस आफ लाडस मे उसकी पूण प्रतिष्ठा बनी रही ।

## लार्ड विलिंग्डन (1931-1936)

वायसराय के एक समकालीन विक्टर ट्रेच ने अपन एक पाल्पनिक नाम से लिखा कि लार्ड विलिंग्डन भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के समय विक्ट काल में भारत में प्रबिष्ट हुआ और उसने अपने अनुभव का अधिकतर भाग ब्रिटेन के अत्यधिक उत्तरदायित्व के बहन में लगाया। उसने सर्वैधानिक महत्वाकांक्षा के विकास का अवलोकन किया और इसे एक उपयोगी दिशा दी। उसे स्वराज के कठोर व दबावपूर्ण सप्रता का भी भान हुआ। उसने स्थानीय निकाया को शक्ति बाटकर तथा प्रांतों को दिये गये अधिकारों को एक लचीली परिभाषा प्रदान कर इसे एक रचनात्मक दिशा प्रदान की। उसने असहयोग आंदोलन के उत्ताल तरंगों का भी अवलोकन किया और माटेगु सुधारों के उदारता के मतलहम से इसे दबाया। भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय की हैसियत से उसने आर्थिक दुरावस्था के विनाश का ही अनुभव नहीं किया बल्कि सविनय अवज्ञा की रासनतिक भाव मुखरता के दर्शन भी किये। पर उसने इस पर अपने राजनैतिक व आर्थिक क्षेत्र के विस्तृत कार्य क्रमों की सीमेट लगाई।<sup>1</sup>

फ्रीमन टामस जो बाद में अल और विलिंग्डन का भाक्विस हो गया, 12 सितम्बर 1836 को पदा हुआ। उसका पिता फ्रेडरिक फ्रीमन टामस था और मा हैम्पडेन के विस्काउट की लडकी मावेल ब्र ड थी। उसने ईटन और कम्ब्रिज में शिक्षा प्राप्त की। 1892 में मरी ऐडलेड से विवाह किया जो ब्रासी के प्रथम जल की पुत्री थी। 1895 में जब लार्ड ब्रासी विक्टोरिया का गवर्नर नियुक्त किया गया तो विलिंग्डन भी उसके सहायक के रूप में साथ चला गया। इंग्लैंड वापस हान पर वह ससद सदस्य हो गया और इस तरह उसने अपने को सौम्य स्वभाव 'चतुर और अच्छा व्यक्ति' सिद्ध किया। 1905 और 1912 के बीच उसने ट्रेजरी के जूनियर लार्ड के रूप में कार्य किया। 1913 में उसे बम्बई का गवर्नर नियुक्त किया गया और 1918 में उय मद्रास रसी पद पर भेज दिया गया। दोना प्रेसीडेसियो में उसे अपनी कमठ व आकपक पत्नी से बडा सहयोग प्राप्त हुआ जिसे वह 'अनवरत प्रेरक व साहसदाता'

1 ट्रेच विक्टर लार्ड विलिंग्डन "न इंडिया 1934, प 21।

पुकारता था, "और वह भारत व अपने देश दोनों में सामान्य रूप से एक आदर्श गवर्नर स्वीकार किया जाता था।" मद्रास के गवर्नर के रूप में उसने माटेग्यु सुधारों को सफलता का जामा पहनाया। हम यह देख आये हैं कि किस तरह 1920 में गांधी ने असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ किया जो मालाबार जैसे स्थानों पर हिंसा के कारण बर्बाद हो गया। मालाबार में मोपला विद्रोह तभी हुआ जब विलिग्डन मद्रास का गवर्नर था। यह विद्रोह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जो इस गवर्नर के कूटनीति और दूरदर्शिता के अभाव में जलिया-वाला बाग का दूसरा संस्करण हो जाती। 19 नवम्बर 1921 में एक टन दुग्धना ने पूरे देश में आतंक की ज्वाला फैला दी। मोपला विद्रोह के लिये आरोपित 100 लोगों को तिरुूर में एक मालगाड़ी में लाद दिया गया जिस कोयबटूर जाना था। पर जब यह ट्रेन पोदनूर पहुँची तो वहाँ सभी अपराधी बेहोश ही नहीं पाये गये बल्कि उनकी स्थिति मृत्यु के अत्यधिक निकट थी। इनमें से 46 श्वासावरोधन से मर चुके थे। छ तो ट्रेन से निकलते समय मर गये। शेष को अस्पताल ले जाया गया पर इनमें से दो न रास्त में ही दम तोड़ दिया। अस्पताल में अच्छी से अच्छी दवा भी उन सभी को नहीं बचा सकी और सौ बच्चों में से इस तरह 70 की जान चली गई। इस पर पूरे देश में छानबीन और दोषी को दंडित करने की मांग न जोर पकड़ा। लाई विलिग्डन ने जनता की मांग से सरकार को इस घटना को गंभीरता से लेने की आवश्यकता का अनुभव कराया और उन्होंने तुरंत छानबीन के लिए एक समिति बनाने की घोषणा कर दी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 30 अगस्त 1922 को प्रस्तुत कर दी और विलिग्डन ने रिपोर्ट की सस्तुति के अनुसार दोषी लोगों को दण्डित कर स्थिति बिगड़ने से बचाई। इसी तरह के कार्यों ने उसे जनता से प्रशंसा दिलाई और उसकी लोकप्रियता में वृद्धि की।

मद्रास से पदमुक्त होकर विलिग्डन को कनाडा गवर्नर जनरल बना कर भेज दिया गया। उसने वहाँ कई प्रतिष्ठा और उपाधियाँ अर्जित की और लाई इरविन के पद से हटने पर 1931 में उस भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया।

दिल्ली में विलिग्डन के पदाधिकारी होने पर देश में आर्थिक अस्वस्थता पराकाष्ठा पर थी तथा राजनैतिक कठिनाई भी थी। गांधी इरविन समझौते में शांति तो ला दी थी पर इसके पीछे दुराग्रह का तूफान छिपा बैठा था। अब भी यह एक विशाल प्रश्नचिह्न था कि क्या गांधी लंदन जाकर द्वितीय मोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होंगे? यह समझौता हृदय परिवर्तन नहीं कर सका



था। हिंदू मुस्लिम समस्या थी और यह आरोप था कि कमचारी इस समझौते का उल्लंघन कर रहे हैं। नय वायसराय और भारत में शांतिदूत के बीच सम्झौता पत्र व्यवहार हुआ। वायसराय के पास स्थानीय कमचारियों के विरुद्ध एक तम्बा आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें कहा गया कि उन्होंने समझौते का उल्लंघन किया है। वायसराय से कहा गया कि यदि वह कांग्रेस से सहयोग चाहता है तो दाधी लोगों को दण्डित करे। विंलिंगडन को पता था कि यदि गांधी लंदन नहीं गये तो कहा होने वाला द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पहले वाले की ही भांति असफल हो जायेगा। पर स्थिति पेचीदी थी और वायसराय अपनी सरकार के लिये योग्यता और साहस से काम करने वाले अधिकारियों का बलिदान नहीं करना चाहता था। गांधी ने शिमला काय में देरी कर दी गई। प्रतिनिधियों का प्रथम बैठक बम्बई में चल चुका था। और दूसरा जाने की तैयारी में था। गांधी ने इसी समय इसे समाप्ति की घोषणा की। जहाज पकड़ने के लिए अंतिम मल गांधी छूट चुकी थी। वार्ता और अधिक उत्तेजक स्थिति में पहुँच चुकी थी और जब उत्तेजना पराकाष्ठा को पहुँच चुकी थी और स्थिति नाटकीय हो चुकी थी तो गांधी ने विंलिंगडन की बात स्वीकार करने की घोषणा की और इतजार में खड़ी एक विशेष ट्रेन में मैदानी इलाका को पार करके उन्हें बम्बई समुद्र तट पर पहुँचाया। इसे विंलिंगडन की प्रथम कूटनीतिक विजय माना गया क्योंकि उसने अपनी स्थिति को न तो खराब किया और न ही सरकारी कमचारियों को ही बलि वेदी पर चढ़ाया। उसने एक ऐसा समझौता करने में सफलता प्राप्त की जो ऐसे सभी लोगों को सन्तुष्ट करती है जो उत्तम हृदय वाले हैं।<sup>1</sup>

### द्वितीय गोलमेज सम्मेलन (1931-32)

पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन प्रारम्भ होने से पूर्व टम्स नदी में बहुत पानी बह चुका था। भारत में लाड इरविन का स्थान लाड विंलिंगडन ले चुका था जिसका यह विश्वास था कि इरविन ने गांधी के प्रति आवश्यकता से अधिक उदारता दिखाई। कम तो इंग्लैंड में मैकडानल्ड ही सरकार का नेता था पर उस लेबर दल ने अपने दल से निकाल दिया था और वह स्वयं सदन में विरोधी का स्थान ग्रहण किये हुए थे, जब कि दूसरी ओर उनका पूर्व नेता अनुदार राष्ट्रीय सरकार का नेतृत्व कर रहा था। अनुदार सदस्य सर समुअल ह्योरे को वेजगुड के स्थान पर भारत का संकेद्री आफ स्टेट बनाया गया। गोलमेज सम्मेलन अब शुरू हुआ, और अभी जब इसकी

बैठकें चल रही थी इंग्लैण्ड में आम चुनाव हुए और मॅकडानल्ड के नेतृत्व में पूणतया एक अनुदारवादी सरकार नवम्बर 1931 में काय भारत ग्रहण किया। सम्मेलन का पूण माहौल परिवर्तित हो गया और ऐसा लगने लगा कि आगे बढ़ती गांधी ने पीछे की ओर चलना प्रारम्भ कर दिया है।

सम्मेलन का सभापतित्व मॅकडानल्ड ने किया जिसमें सम्मिलित होने के लिए कांग्रेस ने एक सदस्य के रूप में गांधी का भेजा था। श्रीमती सरौजिनी नायडू और प० मदन मोहन मालवीय ने सरकार के नामित सदस्यों के रूप में इसमें भाग लिया। अण्डा सम्प्रदायों के प्रतिनिधि भी पूर्ववत् बुलाये गये। सम्मेलन का महत्वपूर्ण कार्य दो उपसमितियों को सौंप दिया गया। इनमें से एक को 'संघीय संगठन' तथा दूसरे पर 'अल्पमतवाला' का कार्य सौंपा गया। पहले सम्मेलन के कार्य का पुनरावलोकन किया गया। संघीय संगठन वाली समिति में जब रक्षोपाय के नाम पर ब्रिटिश शासन का बनाये रखने की चेष्टा की गयी तो गांधी जाश्चयचकित रह गये और इस तरह इरविन समझौते का गला घाट दिया गया।

पर और बुरा तो अभी आगे घटना था। 'अल्पमतीय उपसमिति' में साम्प्रदायिकता की खिचड़ी पूणरूपेण पकाई गई। डा० जसारी जैसे राष्ट्रवादीयों को इस समिति से सपरिश्रम अलग किया गया। शीघ्र ही जहर सामने प्रकट होने लगा। मुस्लिम प्रतिनिधियों ने अपने इस निश्चय की घोषणा की कि वे पंजाब और बंगाल में अपने पूण बहुमत, तथा जहां उनकी सदस्यता कम है वहां अपने वग के अधिक सदस्यों का चुनाव तथा केन्द्र में कम से कम एक तिहाई सीटा से कम पर सतुष्ट नहीं होंगे। उनका मत था कि वे खायमे भी और बचा भी रहेंगे। पंजाब में सिखा ने भी वसी ही मांग की जसी मुसलमानों ने मद्रास, बम्बई, यू० पी० और आसाम में की थी। पिछड़े वग के लोग अलग प्रतिनिधित्व चाहते थे। युरोपीय लोग बंगाल में अलग से अपना विशेष प्रतिनिधित्व चाहते थे जो मुसलमानों के विरोध में जाता था। वे बुरी तरह से लड़ने पर आमादा थे। नेहरू जी ने लिखा है कि यह सब भ्रष्टाचार था, बड़ा भ्रष्टाचार, छोटा भ्रष्टाचार, हिन्दुओं, मुसलमानों, सिखा, आंग्लभारतीयों और युरोपियों के लिये सीटा की मांग थी पर यह सब मांग उच्चवर्ग के लोगों के लिये ही थी जनता की आरंभिकी की दृष्टि नहीं थी। अवसरवादिना का दोसबाला था और विभिन्न दल भूले भेडिया की भांति गिनाकर के लिये दाव लगाये बैठे थे—जो उन्हें सविधान के आधार पर प्राप्त होना था। स्वतंत्रता का भाव भ्रष्टाचार भाव में परिवर्तित हो चुका था।<sup>1</sup>

1 नेहरू के आठोवाइयाँ प० 294।

यूरोपिया और मुसलमानों के बीच एक वेशर्मी भरा समझौता हो चुका था जिसके अंतर्गत वे एक दूसरे के सहायतापथ तैयार थे और कांग्रेस स मध्य हनु उद्धान दंड निश्चय कर रखा था ।<sup>1</sup> गांधी का यह कहना कि कांग्रेस दश के 85% लोगों का प्रतिनिधित्व करती है बकार था और इसलिए इसे ही केवल एक पार्टी नहीं माना जा सकता था ।<sup>2</sup> तथा यह सोचना भी गलत था कि भारत की साम्प्रदायिक समस्या ब्रिटिशों की उपस्थिति में ही हल हो सकती थी ।

और जब सब कुछ असफल हो गया तो अपन को नतिकवाणी कहने वाले मकडानलड ने कहा कि सबसे बिकट समस्या साम्प्रदायिक समस्या थी । उसने कहा कि 'इस सम्मेलन में दो बार इस समस्या को हाथ में लिया पर दोनों बार यह असफल हो गई । इसका अर्थ है कि ब्रिटिश सरकार आपके लिये प्रतिनिधित्व की समस्या का समाधान ही नहीं करेगी बल्कि 'यामपूर्ण तथा बुद्धिमत्ता से सविधान में अल्पमत वाला के लिए रक्षोपाय तथा सतुलन बनाय रखने का प्रयास करेगी जिससे बहुमत वर्ग की आतङ्कवादी शक्ति में उद्द वचाया जा सके ।' इस घोषणा का परिणाम था साम्प्रदायिक पचनिर्णय । गांधी ने प्रधानमंत्री को धमकी देते हुए खेद व्यक्त किया कि उनका और प्रधानमंत्री का रास्ता अलग-अलग हो गया है ।'

### अकेला प्रतिनिधि

गांधी निराश घर वापस लौटे । उन्होंने कांग्रेस के लाभ के लिए पूरा चेष्टा की पर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इस बात की आलोचना की कि उद्द अकेले कांग्रेस का प्रतिनिधि बनाकर क्या भेजा गया । सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि सरकार द्वारा कांग्रेस के लिए 15 सीटें देने को अस्वीकार कर महात्मा सम्मेलन के '107 प्रतिनिधियों के बीच अकेले ही मोर्चा सभाले हुय थे ।'<sup>3</sup> वे अपने साथ परामशदाता नहीं ले गए । उनकी गूढ विधि तथा आधिक्य मामलों में महानता की स्वीकारोक्ति उनकी प्रसिद्धि नहीं प्रदान कर सकी क्योंकि वहाँ ता व ऐसे प्रतिनिधियों के बीच थे जो जितने बुद्धिमान थे उससे अधिक दिखते थे ।

सच ता यह था कि गांधी की इंग्लण्ड यात्रा ठीक ढग से नियोजित नहीं थी । स्वाभाविक रूप से ऐसा इसलिए था क्योंकि गांधी अंतिम क्षणा तक

1 एक यूरोपीय प्रतिनिधि मि० बेंचल के गुप्त पत्र में इसकी चर्चा है जिसे कई स्थानों पर भेजा गया ।

2 गांधी महात्मा इंडियन केस फार स्वराज (सेलेक्ट डोक्यूमेंटस) प० 155 ।

3 देखें बोस, एन पर्वोद्धत प० 226-31 ।

सम्मेलन में जाने के सबंध में अनिर्णय की स्थिति में थे। वह लंदन देर में पहुँचे और इस तरह उन्हें अपने विरोधियों की तुलना में बाता की जानकारी कम थी और तैयारी भी कम। इसके अतिरिक्त वे वहाँ दो तरह की प्रतिनिधित्व शक्ति लेकर गये—एक तो विश्व गुरु के रूप में और दूसरे कांग्रेस नेता के रूप में—और उनके ये दोनों महत्वपूर्ण आश्चर्यजनक ढंग के एक दूसरे में मिल गए थे। सम्मेलन के बाहर वे मिशनरियों, पत्रकारों, राजनयज्ञा और सोसाइटियों की महिला प्रतिनिधियों से आध्यात्म और नतिकता की बात करत फिर रहे थे जब कि उह सम्मेलन की समस्याओं से जूझना चाहिए था और भारतीय सदस्यों के पास राय मशविरे के लिए उपस्थित होना चाहिए था। सच तो यह था कि वे पहले सम्मेलन के अवसर पर उस समय अधिक शक्तिशाली स्थिति में थे जब वे जेल में थे न कि इसमें जिसमें कि वे स्वयं उपस्थित थे

यदि महात्मा का समय लंदन में सही ढंग से उपयोग में नहीं लाया गया तो साथ ही इसका उपयोग उनके द्वारा यूरोपीय देशों में भी ठीक से नहीं किया गया। पेरिस में वे उनमें से किसी से नहीं मिल पाय जिनसे उह मिलना चाहिए था और जेनवा में भारतीयों के प्रति सहानुभूति का वातावरण पैदा होने का अवसर ही नहीं आ सका क्योंकि राष्ट्र संध के ऐसे लोगों में व नहीं मिल सके जो महत्वपूर्ण थे। स्विटजरलैण्ड में रोमा राला से तथा इटली में उसके अधिनायक मुसोलिनी से उनकी भेंट भारत के लाभ के लिए जति उत्कृष्ट थी, पर अ य स्थानों पर उन्होंने चुस्त राजनीति की जगह पर एक मिशनरी की तरह काय किया।

इधर 28 दिसंबर 1931 को गांधी जब भारत वापस लौटे तो उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से पाया कि लार्ड विंलिग्डन न समय स प्रहार प्रारंभ कर दिया है। बंगाल में माशाल ला लगा हुआ था। इस प्रांत के अतिरिक्त यू० पी० और सीमा प्रांत में आर्डीनेंस से शासन होता था। श्री जवाहर लाल नेहरू नजरबंद थे जबकि सीमा प्रान्त के खान अब्दुल गफ्फार खान और उनके भाई जेल में थे। महात्मा ने वायसराय से भेंट करनी चाही पर उह इसके बदले फटकार ही मिली।<sup>1</sup> अब कांग्रेस वकिंग कमेटी न उह सत्याग्रह जारी करने का अधिकार दिया। पर यह काय प्रारंभ होते ही गांधी सहित सभी सदस्य जेल में भर दिए गए। सरकार की बदले की नीति यही समाप्त नहीं हुई। तमाम नये आर्डीनेंस ने कायपालिका का निरकुश बना दिया। छोट बड़े कांग्रेस के कायकर्त्ता और यहाँ तक कि उनसे सहानुभूति रखने वाले लोग जेल में डाल दिये गये। सगठन गर कानूनी घोषित कर दिया गया। प्रेस पर

1 देखें गांधी महात्मा इंडियाज केस फार स्वराज (सेलैक्ट डोक्यूमेंट्स) पृ० 23 33।

परिपक्वता आई और इसी आधार पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया और परीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया। इसकी रिपोर्ट ससद की ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को दी जाती थी।

इस पत्र की महत्वपूर्ण शर्तें निम्न थी—(1) भारतीय प्रांता और राज्यों की मिली जुली एक सघीय सरकार की रचना की जानी थी और केन्द्र में दो सदनों सहित इसे स्थापित किया जाना था। (2) प्रांतों को कुछ रक्षोपायों सहित पूर्ण स्वायत्तता दी जानी थी। (3) केन्द्रीय और प्रांतीय विधायिकाओं में अंतर स्पष्ट किया जाना था। (4) सघीय 'यायालय रिजर्व बैंक तथा रेलवे जसी सघीय संस्थाओं की स्थापना की जानी थी।

हाउस ऑफ कामन्स तथा हाउस आफ लाड्स' प्रत्येक से 16 सदस्यों की बनी ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी द्वारा जिसका चेयरमैन लार्ड लिनलिथगो का बनाया गया था, श्वेत पत्र की जाँच हुई। इसके समक्ष इंडियन एसोसियेशन आदि ने स्मृति पत्र प्रस्तुत किए और गवाही दी। इस समिति ने कुछ परिवर्तन भी प्रस्तुत किये जैसे (1) केवल तीन प्रांतों के स्थान पर छ प्रांतों में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना (2) केन्द्र और प्रांतों में उच्च सदन का सदा बना रहना (3) सघीय सदन के लिए प्रत्यक्ष चुनाव के स्थान पर अप्रत्यक्ष चुनाव तथा (4) सघीय 'यायालय की शक्ति पर भविष्य में प्रतिबन्ध।

इन प्रस्तावों के आधार पर एक बिल तैयार किया गया और इसे ही 1935 के 'गवर्नमेण्ट ऑफ इंडिया ऐक्ट' के रूप में पारित कर दिया गया।

## भारत सरकार अधिनियम (1935)

1935 का भारत सरकार अधिनियम एक लंबा सविधि था जिसमें 321 खंड और 10 अनुसूचियां थीं। इसकी विषय-वस्तु निम्न स्रोतों से प्राप्त की गई थी—(1) साइमन कमीशन रिपोर्ट (2) नहरू समिति रिपोर्ट, (3) गोलमेज सम्मेलनों में हुए विचार विमर्श (4) श्वेत पत्र, (5) ज्वाइंट सलेक्ट कमेटी रिपोर्ट, एक (6) नाथियन रिपोर्ट। अंग्रेजों के अतिरिक्त दो विशेष कारण थे जिनके फलस्वरूप यह ऐक्ट इतना लंबा था। प्रथम यह एक अत्यधिक विचित्र तरह की सरकार के विषय में रचा गया था और दूसरे इसमें यह चेष्टा की गई कि विधायिकाओं और मंत्रियों के द्वारा चलन काय किए जाने के विरुद्ध रक्षोपाय किये जाय।

इस ऐक्ट की सक्षिप्त रूपरेखा जिसमें से कुछ का विस्तार जगने पृष्ठा में प्रस्तुत किया गया है यथा प्रस्तुत है।

इस ऐक्ट के संवोध में एक सूचिकर बात यह थी कि इसका अपना कोई आमुख नहीं था। इसमें 1919 ऐक्ट का ही आमुख लाकर रख दिया गया था। आमुख में भारत को शर्त-शर्त डोमोनियन की स्थिति प्रदान की जानी थी और चूंकि इस नीति का आधारभूत सिद्धान्त नहीं बदला गया, इसलिए इस ऐक्ट के रचना करने वाला न 1919 का ऐक्ट समाप्त करते हुए 1935 के ऐक्ट में पुराने आमुख को ही जोड़ दिया।

### ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता

ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता बनाए रखी गई। ऐक्ट के अनुसार भारत द्वारा डोमोनियन की स्थिति की शर्त-शर्त प्राप्ति, जो उसका अंतिम उद्देश्य था, इस संवोध में ब्रिटिश संसद को ही निश्चय करना था कि कब और कैसे इस दिशा में कदम बढ़ाया जाय। बस तो संघीय और प्रांतीय विधायिकाओं कुछ विशेष बातों में परिवर्तन सम्मतु कर सकती थीं पर भारतीय सविधान में परिवर्तन या वापसी का अधिकार ईश्वरानु ढंग से ब्रिटिश संसद के ही हाथ में रखा गया था।

परिपक्वता आई जोर इमी आधार पर एक श्वेत पत्र तयार किया गया और परीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया। इसकी रिपोर्ट ससट की ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को दी जानी थी।

इस पत्र की महत्वपूर्ण शर्तें निम्न थीं—(1) भारतीय प्रान्ता और राज्यों की मिली जुली एक सघीय सरकार की रचना की जानी थी और केन्द्र में दो सदना सहित इस स्थापित किया जाना था। (2) प्रातो को कुछ रक्षोपायों सहित पूण स्वायत्तता दी जानी थी। (3) केन्द्रीय और प्रातीय विधायिकाओं में अंतर स्पष्ट किया जाना था। (4) सघीय न्यायालय, रिजर्व बैंक तथा रेलवे जसी सघीय संस्थाओं की स्थापना की जानी थी।

'हाउस ऑफ कामंस' तथा 'हाउस ऑफ लाड्स' प्रत्येक से 16 सदस्या की बनी ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी द्वारा जिसका चेयरमैन लार्ड लिनलिथगो को बनाया गया था, श्वेत पत्र की जाँच हुई। इसके समक्ष इंडियन एसोसियेशन आदि ने स्मृति पत्र प्रस्तुत किए और गवाही दी। इस समिति ने कुछ परिवर्तन भी सस्तुत किए जसे (1) केवल तीन प्राता के स्थान पर छ प्राता में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना, (2) केन्द्र और प्राता में उच्च सदन का सदा बना रहना, (3) सघीय सदन के लिए प्रत्यक्ष चुनाव के स्थान पर अप्रत्यक्ष चुनाव तथा (4) सघीय न्यायालय की शक्ति पर भविष्य में प्रति बध।

इन सस्तुतिया के आधार पर एक बिल तैयार किया गया और इस ही 1935 के 'गवर्नमेण्ट आफ इंडिया एक्ट' के रूप में पारित कर दिया गया।

## भारत सरकार अधिनियम (1935)

1935 का भारत सरकार अधिनियम एक लंबा सविधि था जिसमें 321 खंड और 10 अनुसूचियां थीं। इसकी विषय-वस्तु निम्न स्रोतों से प्राप्त की गई थी—(1) साइमन कमीशन रिपोर्ट, (2) नेहरू समिति रिपोर्ट, (3) गोलमेज सम्मेलन में हुए विचार विमर्श, (4) श्वेत पत्र, (5) ज्वाइंट सलेक्ट कमेटी रिपोर्ट, एवं (6) लोथियन रिपोर्ट। अने कारणों के अनिश्चित दो विशेष कारण थे जिसके फलस्वरूप यह ऐक्ट इतना लंबा था प्रथम यह एक अत्यधिक विचित्र तरह की सरकार के विषय में रचा गया था और दूसरे इसमें यह चेष्टा की गई कि विधायिकाओं और मंत्रियों के द्वारा गलत काम किए जाने के विरुद्ध रक्षापाय किये जाय।

इस ऐक्ट की संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें से कुछ का विस्तार अगले पृष्ठों में प्रस्तुत किया गया है, यहाँ प्रस्तुत है।

इस ऐक्ट के संवध में एक शर्तिका है कि इसका अपना कोई आमुख नहीं था। इसमें 1919 ऐक्ट का ही आमुख लागू रख दिया गया था। आमुख में भारत को शर्त-शर्त डोमिनियन की स्थिति प्रदान की जानी थी और चूंकि इस नीति का आधारभूत सिद्धांत नहीं बदला गया, इसलिए इस ऐक्ट के रचना करने वालों ने 1919 का ऐक्ट समाप्त करते हुए 1935 के ऐक्ट में पुराने आमुख को ही जोड़ दिया।

### ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता

ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता बनाए रखी गई। ऐक्ट के अनुसार भारत द्वारा डोमिनियन की स्थिति की शर्त-शर्त प्राप्ति जो उसका अंतिम उद्देश्य था, इस संवध में ब्रिटिश संसद का ही नियंत्रण करना था कि कब और कैसे इस दिशा में कदम बढ़ाया जाय। जैसे तो मधीय और प्रांतीय विधायिकाओं कुछ विशेष बातों में परिवर्तन मस्तुत कर सकती थी पर भारतीय सविधान में परिवर्तन या वापसी का अधिकार ईर्ष्यालु ढंग से ब्रिटिश संसद के ही हाथ में रखा गया था।



### सेक्रेट्री आफ स्टेट और उसको कीर्ति सल

भारत के ताग सेक्रेट्री आफ स्टेट के इडिया कौंसिल के विरुद्ध लगे अरसे से आदोलन करत जा रह थे । 1858 म स्थापित कौंसिल इस ऐक्ट द्वारा समाप्त कर दी गई । अब सेक्रेट्री ऑफ स्टेट को यह अधिकार दे दिया गया कि वह कम से कम तीन और अधिक से अधिक छ परामशदाताओं की नियुक्ति कर ले जो उस सौंप गय मसला पर उसे परामश दे । इनम स कम से कम जाधे लोग ऐस ही जो भारत मे 14 वष तक सेवा कर चुके हो और अपन नियुक्ति के समय स 2 वष पूव तक भारत के बाहर न रहे हा । "ह केवल परामश देने का काय करना था वे ससद मे नही बैठ सकते थे । उनके परामश पर सेक्रेट्री आफ स्टेट काय करने को बाध्य नही था । पर नागरिक सेवाआ हेतु नियम बनात समय इनम से आधे लागी की स्वीकृति आवश्यक थी ।

प्रातीय मसलो पर सेक्रेट्री ऑफ स्टेट की शक्ति वैसे भी कम थी क्यकि इसे लोकप्रिय मंत्रिया ने हाथ म सौंप दिया गया था । पर फिर भी गवनर जनरल व गवनरा की विशेष शक्ति उसके हाथ म होन से सेक्रेट्री आफ स्टेट अब भी सबप्रमुख था ।

### सघ और सघीय सरकार

ऐक्ट के अंतगत भारत म एक सघ की स्थापना होनी थी जिसमे तत्का लीन 11 प्राता छ चीफ कमिश्नर के प्रातो और उन राज्यों को जो इनम आना चाहत थे सम्मिलित होना था । प्रातो के लिए सघ मे सम्मिलित होना आवश्यक था, पर राज्यों के लिए ऐसा नही था । यदि राज्य सघ म सम्मिलित हाना चाहते ता उह सघ म मिल जान के इकरारनामे पर हस्ताक्षर करना होता और अपनी नियन्त्रण शक्ति सघ को सौंप देनी पडती । केन्द्र को एक बार प्रदान की गई शक्ति वापस नही ली जा सकती थी । पर यदि वे बाद म इसम सम्मिलित होना चाहते तो एक पूरक सूचना पत्र सहित यह काय हा जाता ।

सघ सरकार एव प्राता की कायवाहियो, म सीमा रेखा खींचने के लिए ऐक्ट ने 3 सूत्रियाँ तैयार की यथा—(1) सघीय सूचा जिसमे 59 विषय थे जसे सेना रेलवे सिक्के आदि जिसके सबध मे सघीय सदन ही कानून बना सकती थी, (2) प्रातीय सूची जिसमे 54 विषय थे । तत्सबध मे प्रातीय विधायिकाये ही विधान बना सकती थी और (3) समवर्ती सूची जिसके सबध म सघ सरकार व प्रात दोना कानून बना सकते थ । पर सघप की स्थिति मे सघीय कानून ही सर्वोपरि होता था । जवशिष्ट बातो के लिए जिनका

विवरण किन्हीं सूची में नहीं था उसे गवर्नर जनरल के अधिकार में कर दिया गया जा सध या प्रात किसी को भी कानून बनाने का आदेश दे सकता था ।

संघीय कार्यपालिका में गवर्नर जनरल, कौंसिलरों और मंत्रियों को रखा गया था । गवर्नर जनरल को ताज की आर स शक्ति प्राप्त थी । उसकी शक्ति उन कानूनों की सीमा तक पहुंचती थी जिसके संवध में संघीय विधायिका कानून बनाती थी जैसे सैनिकों की भर्ती, सध करना और युद्ध करना । इसके अतिरिक्त उसे कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त थे जा सभी चीजों से संवधित थे और जो सध व प्रात दाना से जुड़े थे ।

संघीय विधायिका द्विसदनीय होती थी । उच्च सदन का नाम कौंसिल आफ स्टेट तथा निम्न सदन का फेडरल असेम्बली था । संघीय विधायिका सभी सध सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों पर विधान बना सकती थी । गवर्नर जनरल की अनुमति से वह समवर्ती सूची संवधी मसलों पर भी कानून बना सकती थी ।

राजा द्वारा केन्द्रीय विधायिका के दोनों सदनों के संमक्ष एक संवोधन प्रस्तुत होने पर ही अखिल भारतीय सध का श्री गणेश होना था । यह संवोधन तभी प्रस्तुत हो सकता था जब सभी राज्यों की आधी जनता सध में संमिलित हो जाय और राज्यों के उच्च सदन की आधी सीटें भर जाय और चूंकि ये शर्तें नहीं पूरी हुई, इसी कारण संविधान का संघीय भाग कभी प्रयोग में नहीं आया ।

### केन्द्र के द्वितंत्र

1919 के ऐक्ट के द्वारा प्रातों में स्थापित द्वितंत्र समाप्त कर दिया गया । पर वर्तमान ऐक्ट ने केन्द्र में द्वितंत्र की स्थापना की जिसके द्वारा संघीय कार्यपालिका का एक भाग सुरक्षित घोषित किया गया, जब कि दूसरा भाग बदल दिया गया । सुरक्षित भाग में सुरक्षा विभाग, कबोले क्षेत्र और धार्मिक मसले जसी महत्वपूर्ण बातें थीं । ये विषय गवर्नर जनरल के नियंत्रण में बन रहते थे । पर वह अपनी स्वेच्छा का प्रयोग करते हुए उनके प्रशासन के लिए अधिक से अधिक तीन कौंसिलर नियुक्त कर सकता था जो उस सहायता करते और उसके प्रति उत्तरदायी होते थे । परिवर्तित भाग का प्रशासन गवर्नर जनरल मंत्रियों की सहायता से करता था जो विधायिका में संनियुक्त होते और उन्हीं के प्रति उत्तरदायी होते थे । गवर्नर जनरल को अलग से सूचित किया गया था कि वह मंत्रियों की नियुक्ति उस व्यक्ति की राय से करे जो विधायिका में बहुमत बनाय रखने की क्षमता रखता हो तथा

मंत्रिया व कौंसिलरा के बीच सामूहिक विचार विमश को प्रोत्साहित कर सकता है।

### द्विसदनीय विस्तृत विधायिकायें

ऐक्ट के अंतगत केन्द्र तथा ग्यारह प्रांत म से छ में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना हुई। विधायिकाओं की सदस्य मख्या बढा दी गई। इस तरह केन्द्रीय विधान सभा म 375 सदस्य होते थे और राज्य सभा म 260। बंगाल की राज्य सभा सबसे बडी होती थी जिसम कम से कम 63 और अधिक से अधिक 65 सदस्य हात थे। जासाम की राज्य सभा सबसे छोटी होती थी जिसम कम से कम 21 और अधिक से अधिक 22 सदस्य होते थे। पुन बंगाल की विधान सभा 250 सदस्या सहित सबसे बडी होती थी जब कि उत्तर पश्चिम प्रांत की 50 सदस्या सहित सबसे छोटी।

### निर्वाचक समूह

मतदाधिकार की योग्यता घटा देने से निर्वाचका की सख्या बढ गई। प्रातीय विधायिका के लिए मतदान हेतु 10% जनसख्या को अधिकार प्राप्त हो गया। पर साथ ही साथ साम्प्रदायिक चुनाव क्षेत्र का पाप भी पलना प्रारभ हो गया। 1919 म निर्वाचक 10 भागा म विभाजित था, पर अब यह 17 असमान रूपो म बट गया। स्त्रिया के लिए तथा भारतीय ईसाइयो के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए।

### सघीय न्यायालय

ऐक्ट के अनुसार सघीय न्यायालय को मुकदम देखने और अपील सुनने के अधिकार प्राप्त हुए। इसे क्षेत्र निर्धारण, सघ की इकाइया के झगडे निबटाने का तथा सविधान की विवेचना करने का अधिकार प्राप्त हुआ। पर अंतिम न्यायालय जब भी प्रीवी कौंसिल ही बनी रही।

### रिजर्व बैंक

एक गवर्नर और 15 डाइरेक्टरा के नेतृत्व म एक रिजर्व बैंक की स्थापना की गई जो सिक्के बनाने व नोट छापने पर नियंत्रण रखती थी और देश की स्थिरता का उत्तरदायित्व वहन करती थी।

### प्रातीय स्वायत्तता

पर ऐक्ट की सबसे बडी विशेषता प्रांत म स्वायत्तता की स्थापना थी।

प्रातो मे पुरानी द्वितरीय परपरा समाप्त कर दी गई और परिवर्तित और आरक्षित विषया का अतः भी समाप्त कर दिया गया। पूरा प्रातीय शासन मंत्रियों के अधीन कर दिया गया। मंत्रियों की नियुक्ति गवर्नर विधान सभा के बहुमत दल वाले नेता के परामर्श से करता था। व विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होते थे और उनमें सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहित किया जाता था।

पर इस ऐक्ट का एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह था कि इसने गवर्नर को कुछ विशेष विस्तृत उत्तरदायित्व सौंप रखा था जो इन उत्तरदायित्वों के पदों के पीछे स मंत्रियों की भारी कायवाही समाप्त कर सकता था और अधिनायक की शक्ति प्राप्त कर सकता था। इसीलिये कुछ लोगों का यह विचार है कि प्रातीय स्वायत्तता क्या थी, यह तो गवर्नर की ही स्वायत्तता थी।

### क्षेत्रीय परिवर्तन

इस ऐक्ट ने कुछ अति दूरगामी क्षेत्रीय परिवर्तन किये। बर्मा को भारत से अलग करके उपनिवेश कार्यालय के नियंत्रण में कर दिया गया। यह हस्तांतरण 1 अप्रैल 1937 को हुआ। अदन को भारत के प्रशासकीय नियंत्रण से हटा कर ताज के एक उपनिवेश के अधीन कर दिया गया। बरार जैसे तो निजाम के अधिकार में प्रतीक के रूप में रह गया, पर यह भी गवर्नर के एक प्रांत का भाग बना दिया गया जिसे मध्य प्रांत व बरार का नाम दिया गया।

### रक्षोपाय

इस ऐक्ट की सब विशिष्ट चीज इसके रक्षोपाय थे। एक सविधान में रक्षोपाय की आवश्यकता ऐसी बानों को रोकने के लिए होती है जिसे सविधान के अंतर्गत उचित नहीं माना जाता। इस रक्षोपाय सभी सविधानों में जुड़े होते हैं उदाहरणार्थ अमेरिका के सविधान में ऋतिकारी कायवाहियों पर पाबंदी के लिए रक्षोपाय की व्यवस्था की गई है। भारत में जहां 1935 का सविधान सदेह व अविश्वास पर आधारित था, वहां रक्षोपायों की मात्रा निश्चित रूप से अधिक होनी थी।

यहां संक्षेप में भारत में रक्षोपाय के विचार की उत्पत्ति और विकास पर विचार करना रुचिकर होगा, जहाँ पर भिन्न भिन्न लोग यथा ब्रिटिश, राजा, सम्प्रदायवादी और विभिन्न वर्ग निवास करते थे और वे सभी विक्ट भयान्ता के शिकार थे। इसीलिये सविधान को उनके लिए रक्षोपाय की व्यवस्था करनी थी। लगता है इस विचार का प्रारंभ साइमन कमिशन में हुआ, पर इस पर विस्तार में विचार जनवरी 1931 के प्रथम गोलमेज

सम्मेलन में हुआ। यहाँ पर सर तेजबहादुर सप्रू ने इनकी आवश्यकता उभरी सीमा तक स्वीकार की जहाँ तक वे प्रजातंत्र और धर्म निरपेक्षता पर जाघात न करे। मार्च 1939 में गांधी इंग्लैंड समझौते में कहा गया कि ऐसे रक्षोपाय बसल भारत के हित में होंगे। सितंबर 1931 में हुये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी ने इन्हें इस शर्त पर स्वीकार किया कि यह लग कि ये भारत के हित में हैं। साथ ही ये ब्रिटेन के अहित में भी न हों। संयुक्त संसदीय रिपोर्ट में विस्तार से इस पर विचार हुआ और रक्षोपायों का आवश्यक माना गया। इसीलिए 1935 के ऐक्ट में रक्षोपाय जोड़ दिये गये।

ये रक्षोपाय तमाम और विभिन्न तरह के थे जिनके जनेक विषय थे (1) रक्षा विदेशी मामलों कबीले के क्षेत्र और धार्मिक मामलों गवर्नर जनरल के हाथ ही में रखे गये जा स्वमति से इन मामलों पर कार्य करता था तथा इस सब में अपने पति (विधायिका के प्रति नहीं) उत्तरदायी कौंसिलरों से परामर्श करता था। राष्ट्रीय महत्ता की दृष्टि से इन्हें आरक्षित विषय घोषित किया गया था और इस मन्त्रियों की शक्ति सीमा के बाहर रखा गया था। बस मन्त्रियों से भी परामर्श लिया जा सकता था पर गवर्नर उसे मानने को बाध्य नहीं था। पुन (2) गवर्नर जनरल और गवर्नरों की लिम्ब मामलों में विशेष जिम्मेदारियाँ थी (अ) देश में अशांति व उपद्रव को दवाना, (ब) राजाओं और उनके राज्यों की हित रक्षा, (स) अल्पसंख्यकों के बंधु हितों की रक्षा, (द) जनहितों की रक्षा, (य) ब्रिटिश व्यापार हितों के विरुद्ध भेदभाव की रोकथाम और (3) बस तो जयव्यवस्था का कार्यभार मन्त्रियों को सौंप दिया गया था पर गवर्नर जनरल का यह विशेष उत्तरदायित्व था कि वह सध में आर्थिक स्थिरता बनाए रखे। इसके लिए वह एक आर्थिक परामर्शदाता नियुक्त करता था जिसका मत वह मानने या न मानने को स्वतंत्र था। वह अथ मन्त्रियों के किसी भी प्रस्ताव पर निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता था। रिजर्व बैंक मुद्रा नीति का नियंत्रण करता था जिसका गवर्नर गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होता था। (4) गवर्नर जनरल की सहमति से गवर्नर अपने प्रांत के सविधान के समाप्त होने की घोषणा कर सकता था और इसके बाद पूरे प्रशासन का अपने नियंत्रण में ले सकता था। पुन (5) सविधान में संशोधन का अधिकार केवल ब्रिटिश संसद के अधिकार में ही रखा गया था, (6) पुलिस और उच्च सेवाओं का मन्त्रियों व नियंत्रण व बाहर रखा गया था, (7) कुछ प्रांतों में द्वितीय सदन स्थापित किए गए, (8) सम्प्रदाय और वर्गों के आधार पर कुछ विशेष निर्वाचना की व्यवस्था की गई (9) राजाओं का संघीय विधान सभा में अपने प्रतिनिधि नामित करने का अधिकार दिया गया, और (10) इस विधायिका में कुछ राज्यों को आवश्यकता से अधिक

सौदों प्रदान की गई । उस तरह का यह रक्षापाय किए गए ।

उपरोक्त रक्षापाय स्पष्टतया ये सिद्ध करत है कि एक ओर तो एक हाथ स दिया गया तो दूसरी ओर दूसरे हाथ से लिया गया । सच तो यह था कि इन रक्षापायों की उपस्थिति में पूरा ऐक्ट बखेडा और अविश्वासपूर्ण लगता था । गांधी का यह विचार था कि यह रक्षोपाय भारत के हित में होने चाहिए, इस ओर शायद ही ध्यान दिया गया । उसमें एक ही बात का ध्यान रखा गया कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का हित किस हा । प्रथम तो रक्षा और विदेश जैसे महत्त्वपूर्ण मामले ब्रिटिश मुट्ठी में ही बंद रखे गए । दूसरे, गवर्नर जनरल और गवर्नर के विशेष उत्तरदायित्वों का उद्देश्य लोकप्रिय प्रतिनिधियों पर अक्रुश लगाना था । तीसरे, अब के मामले में किये गए रक्षोपाय तो अथमत्नी का मजाक उड़ाते थे । चौथे प्रांता में गवर्नर द्वारा सविधान समाप्त करने का अधिकार ही तो सदा मंत्री की गदन पर तलवार की तरह लटकता रहता था । पाचवे, भारतीयों की अपन सविधान बदलने की असमर्थता अपमानजनक थी और स्वतन्त्रता प्राप्ति की आशा रखने वाले भारतीयों के लिए एक पाठ । सेवा क्षेत्र में रत लागा और पुलिस के काय पर अनियंत्रण मंत्रियों को अक्रायक्षम सिद्ध कर सकती थी । दूसरा सदन बना ही इसलिए था कि वह निम्न सदन के प्रगतिशील कार्यों में बाधा पदा करे, नये बग को प्रोत्साहन तथा सम्प्रदायवाद का उत्साहबद्धन स्पष्टतया 'बाटो और राज्य करो' की नीति की ओर इशारा करत थे, मधीय सदन में राजाओं के नामित सदस्य चुन हुये सदस्यों की बराबरी में बैठते थे किन्हीं किन्हीं प्रांतों को जनसंख्या अनुपात से अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दे दिया गया था । यह सब एक ऐसा सम्मिलित प्रयास था जिसमें प्रजातान्त्रिक विचारों के विकास में बाधा आ उपस्थित हो । उस तरह कुछ लेखकों का रक्षोपाय का दो भागों में बांटना—एक ब्रिटिशों के हितार्थ रक्षोपाय तथा दूसरा भारतीयों के हित रक्षार्थ रक्षोपाय—समीचीन नहीं लगता । सच तो यह था कि यह सभी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हितार्थ बने थे । श्री नेहरू ने ठीक ही कहा था कि भारतीयों के लिए 'पूणतया यह ब्रेक था इजन नहीं ।'

### प्रस्तावित सघ

1935 व भारत सरकार अधिनियम ने एक अखिला भारतीय सघ स्थापित करने का प्रस्ताव किया जिसमें ग्यारह गवर्नरों के प्रांत छ चीफ

1 दखें पूनिया कानस्टीच्युशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया प 352 इत्यादि ।

2 नेहरू पूर्वोद्धत प 297 ।

कमिश्नर के प्रात और ऐसे भारतीय राज्य जिन्होंने सम्मिलित होना हेतु हस्ताक्षरित पत्र दिया। गवर्नर के प्रात थे मद्रास बम्बई, मध्य प्रात, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, आसाम, ५०० पी० मिघ पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमा प्रात। तथा चीफ कमिश्नर के प्रात थे कुग, अजमेर मारवाड, ब्रिटिश बलूचिस्तान दिल्ली, पथ पिप लोदा और अडमान व नीकोवार द्वीपसमूह।

प्रस्तावित सघ की सदस्यता प्रात के लिए आवश्यक था और भारतीय राज्या के लिए एच्छित थी। ऐसे राज्य जो सघ में मिलना चाहते थे उन्हें एक सहमति प्रपत्र पर हस्ताक्षर करना होता था। इस प्रपत्र में राज्य को उन विशेष विषयों का विवरण देना होता था जिस सबध में सघीय अधिकारियाँ को हस्तक्षेप का अधिकार था। ऐम हस्तक्षेप का क्षेत्र अतिरिक्त सहमति पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा बढ़ाया जा सकता था जिस पर ताज से स्वीकृति माँगी जाती थी पर पुन इसमें कटौती नहीं हो सकती थी। कोई राज्य प्रपत्र पर हस्ताक्षर के बाद सघ से अलग नहीं हो सकता था।

पर इस विधि की सबसे रुचिकर बात यह थी कि सघ में मिलन के लिए राज्या में एकरूपता नहीं थी। प्रत्येक राज्य को यह स्वयं तय करना पड़ता था कि वह सघ में सम्मिलित होगा या नहीं और इस तरह एक राज्य द्वारा सघ को प्रदान किये गये विषय निश्चित रूप से वही नहीं थे जो दूसरे राज्य के थे। पर राज्यों को इतनी स्वतन्त्रता प्रदान करने का कारण भी था। 1935 के ऐक्ट के पूर्व भारत का गवर्नर जनरल तो ब्रिटिश भारत का मुख्य शासक होता था उसमें राज्या की प्रभुसत्ता पर स्वामित्व का अधिकार भी निहित था। पर इस ऐक्ट ने दो अधिकारियाँ में अंतर स्पष्ट कर दिया। राज्यों की प्रभुसत्ता अब ताज में निहित हो गई और इसका प्रयोग गवर्नर जनरल को राज्याध्यक्ष की हैमियत से नहीं करने को मिलता था बल्कि ताज के नाम पर वायसराय के रूप में। राज्यों को इस तरह ब्रिटिश भारत से अलग कर, उन्हें यह अवसर दे दिया गया कि वे चाहें तो सघ में सम्मिलित हो या न हाँ और यदि सम्मिलित भी हों तो अपनी इच्छानुसार विषयों को सघ को अर्पित करें।

इस ऐक्ट की एक विशेषता यह थी कि जहाँ इसके पूर्व ब्रिटिश भारत में एकात्मक सरकार थी जिसमें केन्द्रीय व प्रांतीय दोनों सरकारें सेज्रेटी आफ स्टेट के निर्देशन में चलती थी प्रांतीय सरकारों को केन्द्र से प्राप्त अधिकारों के आधार पर कार्य करना था, वहाँ नई व्यवस्था में भारत सरकार से सबधित ससद के सभी ऐक्ट बदल गये तथा केन्द्र व प्रांता पर ताज का पूरा अधिकार हो गया। इसके बाद प्रात केन्द्र से अलग कर दिये गये, उन्हें स्वतन्त्र इकाई बना दिया गया और उन्हें केन्द्र की भाँति ऊपर से शक्ति प्राप्त हुई और पुन

वे फिर एक सघ में आवद्ध हो गये, चाहे उहान इस पसन्द किया या नहीं।

इस भाति निर्मित सघ का कायकारिणी अधिकार ताज की ओर से गवर्नर जनरल में निहित किया गया तथा विधायिका शक्ति ताज के प्रतिनिधि गवर्नर जनरल एवं विधान सभा व राज्य सभा के हाथों में सौंप दी गई। एक सघीय न्यायालय की स्थापना की गई जा सघ व उसके इकाइयों के बीच, इकाइया तथा इकाइयों के बीच उठने वाले झगड़ों का निणय करता था तथा सघीय सविधान की रक्षा करता और उस परिभाषित करता था। एक रिजर्व बैंक नोट छापने और सघ में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए स्थापित किया गया। एक सघीय रेलवे की भी स्थापना की गई।

सम्राट के द्वारा सघ की घोषणा उस समय होनी थी जब दोना सदनों के प्रतिनिधियों की ओर से एक निवेदन प्रस्तुत हो। और केन्द्रीय विधायिका यह निवेदन तभी प्रस्तुत करती जब (1) भारत के राजाओं के राज्यों में से कम से कम आधे सघ में सम्मिलित हो जाते और (2) यदि सघ में सम्मिलित होने वाले राजा राज्य सभा के लिए 52 सदस्यों को चुनने के अधिकारी होत। सघ की स्थापना के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई। राजाओं को फसला लन के लिए 20 वष प्रदान किया गया। स्पष्ट था इस काल के बाद यह योजना समाप्त हो जाती।

पर भारत के किसी शासक ने सघ में सम्मिलित होना उचित नहीं समझा। गोलमेज सम्मेलनों में जा रचि उहाने दिखाई थी वह ब्रिटिश इशारे पर हुआ था। जब सघ में सम्मिलित होने की बारी आयी तो उहाने अपना अस्तित्व ही खतरे में अनुभव किया। वे प्रगतिशील तत्वा वाले ब्रिटिश भारत में जुड़ने से डरते थे। प्रभुसत्ता का मसत्ता भी उनके मनोनुकूल तय नहीं हुआ। इसलिए वे इसमें सम्मिलित नहीं हुए और अखिल भारतीय सघ कभी नहीं बना। वैसे रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हो गई और सघीय न्यायालय ने अपना काय 1 अक्टूबर 1937 से प्रारंभ कर दिया।

### सघीय कार्यपालिका

यदि अखिल भारतीय सघ स्थापित होता तो इसके अतगत केन्द्र में जा कायपालिका स्थापित होती उसके तीन भाग होत—(1) गवर्नर जनरल, (2) कौंसिलर, एवं (3) मन्त्रिमंडल।

#### गवर्नर जनरल

सघीय कायपालिका में सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय गवर्नर जनरल का था



जो ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधित्व करता था और जिसके हाथ में ताज की काय पालिका शक्ति निहित थी। उसकी नियुक्ति ब्रिटिश मन्त्राट करता था और इस काय में वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री की राय लेता था। उसका कायकाल कम से कम 5 वर्ष का होता था। भत्ते के अतिरिक्त उसे वार्षिक बतन क रूप में 250 800 रुपये मिलता था जिसे सघ ने कोष से प्रदान किया जाता था। उस दिल्ली में एक महान, दूसरा शिमला में तथा एक अन्य शिमला के निकट ही मशोबरा में प्रदान किया गया था।

अपनी शक्ति के आधार पर गवर्नर जनरल सभ्यत विश्व का सबसे बड़ा अधिनायक था। ये शक्तियाँ तीन तरह की थीं यह शक्ति जो वह अपनी इच्छानुसार प्रयोग में लाता था, वह शक्ति जो वह व्यक्तिगत नियम में प्रयुक्त करता था तथा वह शक्ति जो वह मंत्रियों के परामश से प्राप्त करता था।

गवर्नर जनरल द्वारा स्वेच्छा से शक्ति प्रयोग का जो अधिकार था, वह विस्तृत था और सघ शासन के दायर का लगभग प्रत्येक क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाता था। इन शक्तियों के प्रयोग में वह चाहता तो मंत्रियों से परामश कर सकता था पर वह उनकी राय मानने के लिए बाध्य नहीं था।

य अधिकार थे—(1) मुद्रा कबोने शक्त विदेशी मामलों तथा धार्मिक कार्यों पर नियंत्रण। ये आरक्षित विषय थे और इनके संबंध में वह भारत के सेनेटी आफ स्टेट के प्रति उत्तरदायी था। (2) वह कौंसिलरों, जार्जिक परामशदाता चीफ कमिश्नरों चयनमैत्र सघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों गवर्नर व रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर व रेलवे ट्रिब्यूनल के प्रेसीडेंट की नियुक्ति करता था। (3) वह मंत्रियों की नियुक्ति व बर्खास्तगी भी करता था और मन्त्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता भी।

इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल निम्न उद्देश्यों के लिए नियम भी बनाता था (1) सरकार के काय का सुचारु रूप से चलान तथा इन कार्यों को मंत्रियों को सौंपने हेतु। यह काय वह मंत्रियों के परामश से पर अपनी इच्छा से करता था। इन नियमों को बनाते समय वह इस बात का ध्यान रखता था कि प्रत्येक मंत्री सघ के अर्थ पर प्रभाव डालने वाले मामलों पर अथमत्री से परामश करेगा तथा यह भी कि कोई मंत्री किसी अनुदान की सीमा में अथ मंत्री से पूछे बिना पुनर्विनियोग नहीं करेगा और यदि इस मामले पर कोई मत भेद हुआ तो इस मामले को मन्त्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। गवर्नर जनरल को इस संबंध में नियम बनाना था कि (2) वह उसे कायवाही की सूचना देता रहेगा, तथा (3) सरकार के आदेशों का सत्यापित करता रहेगा। वही क्षेत्र में उसने ये अधिकार भी आने थे कि वह (4) संविधान का निरस्त कर सकेगा, (5) अध्यादेश व जापातवालीन घोषणाये कर सकेगा (6) बिलों

पर सहमति रोक सकेगा, उह प्रस्तुत करने से रोक सकेगा और तत्सवध म समाचार भेज सकेगा, (7) निम्न सदन को बुला समाप्त तथा स्थगित कर सकेगा, (8) गवर्नर जनरल के ऐक्टो को काय रूप मे बदल सकेगा, और (9) जब गवर्नर स्वच्छा स या व्यक्तिगत विचार के आधार पर काय को करे तो वह उसको नियन्त्रित कर सकेगा ।

गवर्नर जनरल की वे शक्तिया जिसे वह व्यक्तिगत दृष्टि से करता थ, उह ऐक्ट की 32वीं धारा म प्रस्तुत किया गया था । ये शक्तिया थी (1) भारत मे शांति या व्यवस्था के विरुद्ध प्रस्तुत समस्या की रोकथाम या देश के किसी भी भाग म एसा ही काय, (2) सावजनिक सवाओ म अधिकार व उचित हिता की रक्षा, (3) अल्पसंख्यका के बध हिता की सुरक्षा, (4) आर्थिक स्थिरता को सुरक्षित बनाये रखना व सघ सरकार को सहयाग, (5) व्यापारिक भेदभाव की रोकथाम, (6) इंग्लैंड या वर्मा क्षेत्र स आने वाली सामग्रियो के साथ भेदभाव को रोकना, (7) भारतीय राज्या तथा वहा के राजाआ के अधिकार व प्रतिष्ठा की रक्षा, (8) गवर्नर जनरल द्वारा स्वच्छा या व्यक्तिगत मत से लिय गय निणय पर कायवाही करना । इसके अतिरिक्त कुछ और काय भी थे जो इसी श्रेणी मे जात थे, जैसे (9) सघ के एडवोकेट जनरल की नियुक्ति, वेतन निर्धारण और पद मुक्ति । पर ऐम मामला म उसकी कुछ सीमाएँ थी । उदाहरणार्थ ऐसी नियुक्ति मे वह उसी को यह पद दे सकता था जो किसी सघीय न्यायालय म न्यायाधीश पद प्राप्त करन के योग्य हो ।

पर इन अधिकारो के प्रयोग मे उसे मन्त्रियो से परामश करना होना था । वस उसे यह अधिकार था कि वह उस मत का माने या न माने । इस तरह यह स्पष्ट था कि मन्त्रिया की स्थिति यहाँ कुछ बेहतर थी । पर पूण रूप से देखन पर यह शक्ति अति महत्वपूर्ण नहीं थी ।

मन्त्रियो स परामश करके गवर्नर जनरल की प्राप्त अवशिष्ट कायकारिणी शक्तिया उचित तो थी पर व अतिमहत्वपूर्ण न थी । सभी महत्वपूर्ण शक्तिया प्रथम दो भागा म आती थी और मन्त्रियो की दी गई शक्तिया नहीं के बराबर थी और यहा पर भी गवर्नर जनरल को अंतिम और श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त था । इसके अतिरिक्त मंत्री तो उसकी हा मे हा मिलान वाले ही लोग थे जिह वह चुनता नियुक्त करता, उह बनाय रखता तथा पदमुक्त करता था । व उसके अधिकार की अवहेलना करेगे ऐसी उनमे आशा नहीं थी ।

पर उसे यह भान कराया गया था कि अपने स्वच्छा से किये जान वाले कार्यों, जिससे निकट सहयोग और ठीक ढग से काय हो सके और जिसके लिय वह सेक्रेनी आफ स्टेट के प्रति उत्तरदायी था तथा वे अथ काय जो उमे मन्त्रियो के परामश स करना था तथा जिसके लिए वह सघीय विधायिका के प्रति उत्तर-

दायी था उससे यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने-अपने परामशदाता तथा मंत्रियों के बीच सामूहिक मतव्यवस्था की स्थिति बनाय रखेगा। विशेषकर सुरक्षा के मामले में भारतीयों की रूचि बढ़ती जा रही थी।

**आर्थिक अधिकार**—यहाँ पर गवर्नर जनरल के आर्थिक अधिकारों की चर्चा भी समीचीन होगी। उससे आदर्श पर ही वास्तविक आय व्यय का अनुमानित बजट सघीय विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता था। बिना उसकी संसुक्ति के कोई अनुदान नहीं मागा जा सकता था तथा वह विधायिका द्वारा आरोपित किसी कटौती का समाप्त करने का अधिकार भी रखता था। वह व्यय व उन मदों का भी नियंत्रण करता था जिन पर मत लिये जाते थे या नहीं और आपातकाल में किसी सीमा तक व्यय करने का उसे अधिकार था। सघ की आर्थिक सहायता और स्थिरता को बनाय रखने के लिये वह एक आर्थिक परामशदाता की नियुक्ति करता था तथा उसकी सलाहों व वक्तव्यों को निर्धारित करता था। और यह आर्थिक परामशदाता अयमत्रियों की ही भाँति शास्त्रिणाशी होता था। बस यह जनमन की आलाचना का विषय था कि इन दोनों के कार्यालयों के बीच और अधिकार विरोधाभासी थे।

**विशेष विधायिका शक्तियाँ**—गवर्नर जनरल की विशेष विधायिका शक्तियों की भी अनदेखी नहीं की जा सकती थी। (1) ऐक्ट की 45वीं धारा के अनुसार गवर्नर जनरल को सघ में संपूर्ण सविधान को स्थगित कर देने का अधिकार था। वह इस शक्ति का प्रयोग तब कर सकता था जब वह यह समझे कि तत्कालीन परिस्थितियाँ सघीय सरकार चलाने में व्यवधान उपस्थित कर रही हैं। और जब वह इस तरह की घोषणा करता तो वह सघीय न्यायालय को छोड़कर सघ के सम्पूर्ण या कुछ हिस्से का अधिकार अपने हाथ में ले सकता था। पर ऐसी घोषणा की सूचना भारत के सेनेट्री आफ स्टेट को तुरन्त देनी पड़ती थी जो ससद के दोनों सदनों में इसे प्रस्तुत करता था। ऐसी घोषणा 6 माह तक लागू रहती थी। पर इस दूसरी घोषणा इससे पूर्व ही समाप्त कर सकती थी। (2) और उसकी अन्य विशेष शक्ति दो तरह के अधिघोषणा से संबंधित थी जिसमें प्रथम तो वह थी जिसे वह अपनी स्वेच्छा या व्यक्तिगत नियंत्रण के आधार पर घोषित करने का अधिकार रखता था। ऐसी अधिघोषणा पूरी विधायी शक्ति सहित 6 माह तक लागू रह सकती थी और इससे वह 6 माह के लिये और बढ़ा सकता था। दूसरी शक्ति के अंतर्गत वह सघीय विधायिका के सत्र में न होने पर घोषित कर सकता था। ये अधिघोषणा उसकी इस शक्ति से संबंधित थे जो वह मंत्रियों के परामश से प्रभावित करता था और जिसे सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर विधायिका से स्वीकार कराना पड़ता था अन्यथा यह अपने-आप समाप्त

हा जाता था ।

द्वितन

यहा ऐक्ट के अनुसार केन्द्र में स्थापित द्वितन का सक्षिप्त विवेचन समीचीन होगा। पूण कायकारिणी काय दो भागा मे विभाजित था प्रथम के अतगत आरक्षित विषय जैसे सुरक्षा, विदेशी मामले क्वील क्षेत्र व धार्मिक काय आते थे तथा दूसरे म हस्तातरित विषय जिसम अवशिष्ट विषय भी सम्मिलित था ।

आरक्षित विषयो के मामले पर गवनर जनरल स्वेच्छा से तीन व्यक्तियो की परामशदात्री समिति की राय से काय करता था । इन लोगो की नियुक्ति ताज द्वारा होती थी, पर वे मंत्री की तरह काय नहीं करत थे । व गवनर जनरल को साधारण राय देन वाले थे जिसके प्रति वे उत्तरदायी भी होत थे और गवनर जनरल ब्रिटिश ससद के प्रति उत्तरदायी होता था । इसके लिय ऐक्ट ने कोई भी याग्यता तथा काल नहीं निर्धारित कर रखा था । व सघ के किसी भी मदन म बठ सकत थ पर उह मत दन का अधिकार नहीं था ।

दूसरी ओर अवशिष्ट या हस्तातरित विषया पर गवनर जनरल मंत्रिया की सहायता मे जिनकी सख्या दस से कम होती थी काय करता था । ये मंत्री इस दष्टि से लोकप्रिय नहीं थे क्यकि वे सघीय विधायिकाआ के प्रति उत्तरदायी नहीं थे । वैसे तो वे विधायिका के नियमित सदस्य थ, पर गवनर जनरल उह चुन व बर्खास्त कर सकता था क्यकि उह अविश्वास प्रस्तावो की धार पर खडा किया जा सकता था और इसी कारण वे उसने प्रति उत्तरदायित्व रखते थ । सच तो यह था कि वे गवनर जनरल के समथक थे जा उनस सामूहिक रूप से या अकेले परामश करता था । उनके स्थायी सचिव गवनर जनरल तक सीधे पहुच सकते थे तथा गवनर जनरल उनके विषय म मंत्रिया से भी अधिक ज्ञान रखता था । सघीय विधायिकाआ की आर से तय वतन इह भारतीय खजान त देय था तथा इस पर मतदान नहीं कराया जा सकता था । और न ही उनके कायकाल मे इसम कटौती हो सकती थी ।

पर अनुदेश प्रपत्र के अनुसार गवनर जनरल को मंत्रिया को अधिक में अधिक स्वतंत्रता प्रदान करनी पडती थी और उनके चुनाव के समय भारतीय राज्या और अल्प सट्यका को उचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करनी पडती थी । उनसे यह भी कहा जाता था कि जिह चुना जाय वे विधायिका म स्थायी बहुमत बनाये रख सकें जिससे कि कायवाही उचित रीति मे चल सके । पर ये अनुदेश वह अपनी सुविधा से मानता था । इस सबध मे कई बाध्यता नहीं थी । जो मंत्री लगातार सघीय विधायिका का 6 माह तक

सदस्य न होता उसे मंत्रीपद से हटा घोना पड़ता था। गवर्नर जनरल का जा परामश मंत्री दता था उस सबध में 'यायालय में कोई छानबीन नहीं हो सकती था।

### अनुदेश प्रपत्र

अनुदेश प्रपत्र का मक्षिप्त विवचन यहाँ आवश्यक है। अपनी उपरोक्त शक्तियाँ के उपयोग के लिये गवर्नर जनरल को एक अनुदेश प्रपत्र प्रदान किया जाता था जिसके आधार पर उससे अपक्षा की जाती थी कि (1) वह एम ही लागू को मंत्री चुन जा स्यायी बहुमत बनाय रख सक। वह उनमें सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास कर तथा उनकी राय से काम कर। पर आवश्यकतानुसार वह उनकी बात न मानने का भी स्वतन्त्र था। (2) उसके द्वारा समर्थित बजट व ऋण नीति एसी नहीं होनी चाहिये जिसमें नि सरकार का अपन आर्थिक उत्तरदायित्व के निर्वाह में बाधा न हो और न ही विश्व बाजार में इसकी साथ की ही आघात लगना चाहिये। (3) उन अल्पसङ्ख्यकों की उचित मांगों की रक्षा भी करनी थी। (4) उस भारत में आने वाले इंग्लैण्ड की वस्तुओं के प्रति भेदभाव की नीति का रोकना था। पर इससे सघीय विधायिका की तत्संबंधी नीति पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये था और न ही उसकी आर्थिक नीति के विकास करने पर। उस देश की कर संबंधी नीति में तब हस्तक्षेप करने का अधिकार था यदि उस लग कि इंग्लैण्ड के आर्थिक हितों का साधन नहीं हो रहा है। (5) भारतीय राज्या के आर्थिक जीवन के निश्चित अधिकारों पर आघात करने वाले मंत्रियों की कार्यवाही व सघीय विधायिका के कानूनों को रोकना। (6) यह वाछनीय था कि भारतीय सना में भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति या भारतीय सना को देश से बाहर काम पर भेजने संबंधी सामान्य नीति के सबध में मंत्रियों का मत प्राप्त कर लिया जाय। (7) गवर्नर जनरल का अपन कौंसिलरों और मंत्रियों के बीच सयुक्त परामश को प्रोत्साहित करना चाहिए। (8) स्वेच्छाधिकार के अंतगत उस सुरक्षा व्यय पर नियंत्रण रखना था। पर एसे नियंत्रण का मामले सघीय जयविभाग से भी संबद्ध होना चाहिए। (9) उसे सघ, प्रांता व सघीय राज्या के बीच परामश को प्रोत्साहित करना चाहिए, और (10) प्रांता व सघीय राज्या के रुचि के विधायिका प्रस्तावों में सबध में उसे तत्संबंधी लोगों के विचार भी जानने की चेष्टा करनी चाहिये। (11) सघीय विधायिका में किसी भी बिल पर बहुमत को वह तब तक नहीं रोकेगा जब तक कि शांति व्यवस्था को कोई खतरा न हो। (12) कोई भी बिल जा अर्थ किसी कानून के वापसी की स्थिति पदा करता या इंग्लैण्ड की संसद के किसी कानून के

विरुद्ध पड़ता उसे ब्रिटन के राजा की स्वीकृति के लिए आरक्षित कर दिया जाता था। (13) गवर्नर जनरल को 'भारत व इंग्लैंड के बीच सहयोग को साम्राज्य के अतमत विकसित करना था जिससे कि भारत को हमारे राज्या के मध्य उसका उचित स्थान प्राप्त हो सके।"

पर अनुदेश प्रपत्र का उद्देश्य इसके सिद्धांतों के आधार पर विकास था और यह स्पष्टतया कहा भी गया था कि किसी भी कायवाही पर इस आधार पर प्रश्न नहीं किया जा सकता था कि अनुदेश प्रपत्र के आधार पर इस अवघटन कायवाही नहीं की गई है।

मूल्यांकन—“इस तरह सघीय सरकार सचचाई में एक व्यक्ति का शासन हो जायेगा जो कई दृष्टि से पूर्ण निरकुशता या आधुनिक अधिनायकवाद को भी पीछे छोड़ देगा।”<sup>1</sup> सच तो यह है कि विवरणों का सूक्ष्म अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि पूरी कार्यकारिणी की मशीनरी भारतीयों के ऊपर अविश्वास पर आधारित थी तथा जिसके माध्यम से सीधे शब्दा में यह स्पष्ट किया गया था कि ब्रिटिश एक भी अधिकार अपने हाथ से जान नहीं देना चाहत थे।

गवर्नर जनरल केवल प्रशासन का केन्द्र ही नहीं था, बल्कि पूरी मशीनरी के धुरे की कील था। वह ताज का प्रतिरूप गृह सरकार का प्रतिनिधि तथा भारत भाग्यविधाता सभी का एक ही में सम्मिश्रण था। वह भारत के भाग्य का विधाता इस कारण भी था कि उससे मद्रास, बम्बई और बंगाल को छोड़कर अन्य स्थानों के गवर्नरों की नियुक्ति में सम्राट परामर्श करता था। उसके पास विस्तृत सरक्षत्व के अधिकार थे। कौंसिलरों, मंत्रियों और स्थायी सचिवों, आर्थिक परामर्शदाताओं, चीफ कमिश्नरों, लाक सेवा आयाग के सदस्या व सभापति के चयन में वह स्वेच्छाधिकार या व्यक्तिगत निणय का सहारा लेता था। वह किसी प्रांत के भाग पर प्रशासनाय डिप्टी गवर्नर भी नियुक्त कर सकता था। वह सम्राट की सहमति से लेफ्टीनेंट गवर्नर तथा उनके कार्यकारिणी के सदस्या भी नियुक्ति करता था। वह अपनी कौंसिल के लिये उपाध्यक्ष व उच्च सदन के लिए सभापति की नियुक्ति कर सकता था।

इसके अतिरिक्त कौंसिल की कायवाही की पूर्ति के लिए वह नियम भी बना सकता था। उसे कौंसिलरों और मंत्रियों में विभाग बांटने का भी अधिकार था। उसे स्वेच्छाधिकार तथा स्वनिणय के अधिकार भी प्राप्त थे। यदि उसने कौंसिलर उसके द्वारा ही नियुक्त किये जाते थे तो मंत्रियों की स्थिति भी बेहतर नहीं थी। प्रो० वे० टी० शाह न लिखा है कि उनकी स्थिति सीधे सीधे 'श्रृंगारिक' थी जिसका कोई उपयोग नहीं था। व जनता

1 अहमद जङ्ग ए इन्डियन फाइरेशन प 43।

को सहायक कम कष्टसाध्य अधिक सिद्ध होते थे। उनसे यह आशा की जाती थी कि वे शक्ति के बिना उत्तरदायित्व का वहन करें, बिना अधिकार के जिम्मेदारी, बिना किसी शांति के अधिकार तथा बिना नाम के प्रभाव ज्ञापन करें।<sup>1</sup> हस्तातरित व आरक्षित विभागों में संपत्ति की सभावनार्यें नहीं के बराबर थी। अपन विभागों के अद्विनियंत्रण के कारण आरक्षित विषयों के प्रति उहे अथा बना शिथा जाता था जिसके कारण उत्तरदायित्व का हस्तातरण एक खेल ही बन जाता था।

गवर्नर जनरल का देश में शांति व व्यवस्था बनाय रखन के लिए प्रदत्त आपत्तिजनक उत्तरदायित्व कानून व व्यवस्था विभाग की शक्ति को मंत्रियों के हाथ में हस्तातरण एक मजाक बना देता था। एसा इसलिये था क्वाकि जनसभा के रक्षाय इसका विशेष उत्तरदायित्व हस्तातरित विभाग के काय सचालन को मंत्री के इच्छानुसार सभव बना देता था।

उसकी विधायी शक्तिया भी कम निरकुश नहीं थी। वह किसी बिल या उसके किसी भाग पर विवाद को रोक सकता था और दोना सदना का समुक्त अधिवेशन इस पर विचाराय बुला सकता था। किसी भी पारित बिल को वह पुन विचाराय वापस कर सकता था। वह विधायिका से बिल के एक निश्चित रूप को पारित करने के लिये कह सकता था, और यदि विधायिका ऐसा न करती तो वह स्वयं इस करके कानून का रूप प्रदान कर सकता था। वह किसी बिल को स्वीकार कर सकता था या उसे सम्राट के लिए आरक्षित कर सकता था। पर उसके पास सबसे महत्वपूर्ण शक्ति अध्यादेश जारी करने की तथा सविधान को स्थगित करने की थी। इसका विवेचन हम कर आये हैं।

गवर्नर जनरल के आर्थिक अधिकारों का मूल्यांकन भी यहा किया जा सकता है। आर्थिक बाजार में विश्व में भारत की साख को बनाये रखने के लिये उसका बजट सवधी व व्यवस्था सवधी विशेष उत्तरदायित्व जानबूझकर अपरिभाषित छोट दिया गया था। उसे राय देने के लिए एक अथपरामशदाता की नियुक्ति का गई थी। पर चूकि वह कौंसिलर या मंत्री नहीं था इस कारण वह कठिनाई से राष्ट्रीय नीति को समझ सकता था। उमका परामश भी गवर्नर जनरल के लिये मानना आवश्यक नहीं था जो इस मसले पर मंत्रियों के बहुमत तक को अस्वीकार कर सकता था। वह 80% बजट पर नियंत्रण रखता था उसकी सस्तुति के बिना विनियोग का कोई प्रस्ताव नहीं आ सकता था और आपातकाल में वह अपनी इच्छानुसार जितना चाहे व्यय कर सकता था। सचमुच ही यह सब महत्वपूर्ण था।

“यायिक क्षेत्र में भी उससे अधिकार कम न थे। वह किसी हाइकोर्ट के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता था वह विशेष काल के लिये अतिरिक्त “याया-धीशा की नियुक्ति कर सकता था, तथा मुख्य “यायाधीश के कार्यालय या किसी हाईकोर्ट के किसी स्थान के रिक्त होने पर उसके लिये वह अतिरिक्त व्यवस्था कर सकता था।

गवर्नर जनरल की शक्ति केन्द्र तक ही सीमित नहीं थी। इसे प्रांतों पर निरीक्षणात्मक अधिकार प्राप्त था एवं उसे गवर्नरों को स्वेच्छाधिकार व स्वनिर्णय के सबंध में दिशा निर्देश देने का भी अधिकार था। किसी बिल को प्रांतीय विधायिका में लाने के लिये उसकी स्वीकृति की भी आवश्यकता पड़ती थी। गवर्नर जनरल को देश में शांति व व्यवस्था सबंधी जो अधिकार प्राप्त था उसमें प्रांतों के एकाधिकार का मजाक उड़ाना प्रारम्भ कर दिया था। वह किसी भी प्रांत की सीमा में परिवर्तन कर सकता था तथा किसी भी प्रांत का शासन सीधे अपने हाथ में ले सकता था। उसे लोगों को व्यक्तिगत या पत्रक उपाधि पूरे देश में देने का अधिकार था।

गवर्नर जनरल सेना को भी नियंत्रित करता था। देश की सुरक्षा उसका अभिन्न कायक्षेत्र और विदेश नीति उसका प्रमुख विषय था। प्रेसीडेंट लाबेल न तक ठीक ही रहा जब यह विचार व्यक्त किया कि “भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय और रूस का जार कभी कभी जाधुनिक विश्व के दो प्रमुख निरंकुश व्यक्ति स्वीकार किये जाते हैं। मि० विंस्टन चर्चिल ने स्वयं स्वीकार किया कि गवर्नर जनरल हिटलर या मुसोलिनी के सभी अस्त्रों से सुसज्जित था।”

## संघीय विधायिका

एक ही प्रस्तावित किया गया था कि देश में द्विसदनीय संघीय विधायिका की रचना की जायगी जिसमें से उच्च सदन को राज्य सभा तथा निम्न सदन का संघीय परिषद कहा जायगा।

### राज्य सभा

राज्य सभा के सम्पूर्ण सदस्यों की संख्या 260 निश्चित की गयी। इसके 104 सदस्य या 40% भारतीय राज्यों से जाने थे जिनका वर्गीकरण समूहों का व्यक्तिगत आधार पर उनकी महत्ता वंशीय उच्चता या ऐसी ही अन्य बातों से निर्धारित होती थी। हैदराबाद जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ 44 लाख थी और जिस 21 तोषा की सलामी मिलती थी उसे 5 सीटें मिलीं। मसूर जिसकी



जनसंख्या 56 लाख थी व जिस 21 तोपों की सलामी मिलती थी दूसरे स्थान पर था जोर उस 3 सीट मिली। पटियाला वीकानेर एवं उदयपुर में स प्रत्येक का दो सीट मिली जिनकी जनसंख्या क्रमशः 16 लाख, 9 लाख और 16 लाख थी। नाभा जिसकी जनसंख्या 3 लाख और जिसे 13 तोपों की सलामी मिलती थी उस भी 1 सीट प्राप्त हुई। ऐसा ही जलवर के साथ हुआ पर उसकी जनसंख्या 8 लाख थी और उस 15 तोपों की सलामी मिलती थी। राज्यों की ओर से तब तक प्रतिनिधि नामित किये जाते थे जब तक कि उन क्षेत्रों में प्रजातन्त्रीय व्यवस्था लागू हो जाय।

शेप ब्रिटिश भारत के हाथ 156 सीटें आयी जिनमें 6 गवर्नर जनरल द्वारा नामित हात थे। 75 हिंदुओं द्वारा सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाने थे। इसके अतिरिक्त 49 मुसलमानों 4 सिखा 7 युरोपीयों, 2 भारतीय ईसाइयों 1 आंग्ल भारतीयों, 6 महिलाओं तथा 7 परिगणित जातियों के द्वारा चुने जाते थे। विभिन्न प्रांतों में जो सीटें निर्धारित की गईं उनमें लिये कई आधार बनाये गये जैसे जनसंख्या, व्यापारिक महत्ता एवं ऐतिहासिक महत्त्व। इस तरह बंगाल मद्रास तथा यू० पी० में प्रत्येक को 20 सीटें मिली जब कि बम्बई, बिहार तथा पंजाब को 16 सीटें मिली। मध्य प्रांत व बरार में स प्रत्येक को 8 सीटें मिली। उड़ीसा, आसाम तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत व सिंधु को 5 सीटें मिली और अतंत दिल्ली ब्रिटिश बलूचिस्तान अजमेर मारवाड़ तथा कुंग को 1-1 सीटें प्राप्त हुईं।

राज्यसभा व प्रतिनिधि इस तरह सीधे बहुत अल्पमतीय मताधिकार से चुने जाते थे। व सदन में 9 वर्षों तक के लिए होते थे जिनमें 1/3 प्रति तीन वर्षों पर पद से हट जाते थे। इस तरह राज्य सभा एक स्थायी सदन था।

### संघीय परिषद

संघीय परिषद निम्न सदन था जिसमें 375 सीटें थीं। इनमें से एक तिहाई या 125 सीटों पर भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि आते थे। तथा शेप 250 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए निर्धारित थीं। यहाँ पुनः राज्यों के प्रतिनिधि राजाओं के द्वारा नामित किये जाते थे जबकि ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि चुने जाते थे।

राज्यों में स्थानों का विभाजन लगभग जनसंख्या पर आधारित किया गया था। पर सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों का प्रतिनिधित्व थोड़ा थोड़ा घटा दिया जाता था जिससे कि सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सके। इस तरह हैदराबाद को 16 सीटें मद्रास को 7 पटियाला का 2 तथा नाभा वीकानेर तथा जलवर को एक-एक स्थान प्राप्त हुए।

पर राज्य सभा की भाति सघीय परिषद में मनमान ढंग से सीटों व विभाजन में प्रान्ता में जनसंख्या का आधार नहीं बनाया जाता था। इस तरह बंगाल अपनी 5 करोड़ 1 लाख आबादी के साथ मद्रास के समकक्ष आ गया था जिसकी आबादी 4 करोड़ 42 लाख थी। यू० पी० जिसकी आबादी 4 करोड़ 84 लाख थी, भी इसी के समकक्ष था। इन सभी प्रांताओं को 37 सीटें प्रदान की गईं। और इसके अतिरिक्त ब्रिटिश भारत में विभिन्न हिताओं को ध्यान में रखते हुए 82 सीटें मुसलमानों, 8 सीटें भारतीय ईसाइयों तथा यूरोपीयों को अलग अलग, 6 सीटें सिखाओं को, 4 मजदूरों को 7 जमींदारों को, 9 महिलाओं को तथा 105 सामान्य निवाचनार्थ हिन्दुओं के लिये तथा अन्य जातियों के लिए रखी गईं जिन्हें प्रतिनिधित्व नहीं प्रदान किया गया था। इस सूची में अनुसूचित जाति के लोगों को भी सम्मिलित किया गया।

आश्चर्यजनक तो यह था कि सघीय परिषद के लिये चुनाव जहाँ अप्रत्यक्ष था वहाँ राज्य सभा के लिये प्रत्यक्ष। इस संबंध में संयुक्त समिति का तर्क यह था कि 35 करोड़ जनसंख्या वाले देश में प्रत्यक्ष चुनाव या तो तमाम विधायकों को इसमें ला फसायेगा या क्षेत्र ही नियंत्रण के बाहर हो जायेंगे। स्पष्टतः ये दोनों चीजें बुरी होंगी। इस तरह प्रत्येक प्रांत में हिन्दुओं मुसलमानों और सिखाओं के लिये निर्धारित सीटें उस प्रांत में उस जाति के लोगों के द्वारा अलग-अलग आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर चुनी जाती थीं। अनुसूचित जाति के लिये यह व्यवस्था अलग से थी। यह प्रारंभिक चुनाव में योग्य व चुने अभ्यर्थी प्रांतीय सघीय परिषद के लिये एक सीट पर चार लोगों को चुनते थे। इस तरह से चुने गये लोग ही चुनाव लड़ने के अधिकारी होते थे। यूरोपीयों, आंग्ल, भारतीयों भारतीय ईसाइयों तथा महिलाओं के प्रत्येक प्रांत में प्रतिनिधि पूरे ब्रिटिश भारत के लिये निर्वाचकीय मंडल का रूप ग्रहण कर लेते थे जो सघीय परिषद के लिये निश्चित सीटें पूरा करने का काम करती थीं।

इस तरह से बनी सघीय परिषद 5 वर्ष के लिए होती थी पर गवर्नर जनरल इसे पहले भी समाप्त कर सकता था।

### विधायी शक्तियाँ

सघीय विधायिका तथा प्रांतीय विधायिका के मध्य विधायी शक्तियों के विभाजन का प्रश्न जब गोलमेज सम्मेलन में सामने आया, तो कुछ कठिनाइयाँ सामने आयीं। उदारवादी जो दश की एकता की शक्तिशाली बनाने की इच्छा रखते थे उनका मत था कि अवशिष्ट शक्तियाँ बनावा की भांति केन्द्र में निहित हानी चाहिये, जबकि दूसरी ओर मुसलमान जो मुस्लिम बहुल प्रांत

को एकाधिकार प्रदान करने के पक्ष में थे उनका विचार था कि अमरिका की तरह प्राता को अधिक अधिकार प्रदान किया जाय । पर अतत इस परामश के आधार पर काय किया गया कि केंद्र व प्राता के अधिकारों की व्याख्या इतनी स्पष्ट व विस्तृत कर दी जाय कि अवशिष्ट अधिकारों की आवश्यकता ही न रहे । पर परिस्थिति के सही आकलन से जात होता है कि कुछ एम विषय थे जिसे न ता पूर्णतया केंद्रीय और न प्रातीय क्षत्र में ही रखा जा सकता था । परिणाम यह हुआ कि तीन सूचिया तैयार की गई (1) सघीय सूची जिसमें रक्षा, विदेशी मामले तथा टक्साल थे, (2) प्रातीय सूची जिसमें शिक्षा साव जनिक काय सिंचाई और नहरें थी, और (3) समवर्ती सूची जो दो भागों में विभाजित थी । इसमें से प्रथम में फौजदारी मामले और सविदायें तथा दूसरे में ट्रेड युनियन । औद्योगिक झगड़े आंतरिक जलागमन तथा विजली थे । दानों में विवाद होने पर प्रात में सघीय कानून माय होता था ।

पर सघीय विधायिका किसी राज्य या प्रात के लिये वहाँ के राजा या गवर्नर की राय से कानून बना सकता था । गवर्नर जनरल द्वारा आपातकाल की घोषणा के बाद सघीय विधायिका प्रातीय सूची के किसी मसल पर कानून बना सकती थी । पर चीफ कमिश्नरों के प्राता के सबध में सघीय विधायिका किसी भी मसले पर कानून बना सकती थी ।

राज्यों के सबध में कोई जलग सूची नहीं तैयार की गयी थी । सघीय विधायिका अनुदेश प्रपत्र द्वारा प्रदत्त केंद्र को प्रदान किसी भी विषय पर कानून बना सकता था । पर ये विषय समवर्ती सूची में रहते थे क्योंकि इस सबध में प्रात भी तब तक ही कानून बना सकते थे जब तक कि केंद्र का इन पर एकाधिकार न हो जाय ।

एक्ट ने सघीय विधायिका शक्ति पर कुछ विशेष पाबंदिया भी लगायी । यह ब्रिटेन सम्राट और उसके परिवार को प्रभावित करने वाले विषय पर कानून नहीं बना सकता था, इसके अतिरिक्त 'जार्ज एक्ट', 'एजर फोस एक्ट' तथा 'नेवल डिफेंस एक्ट' के विरुद्ध कोई नियम भी यह नहीं बना सकता था । यह एक्ट के विरुद्ध, गवर्नर जनरल के स्वेच्छाधिकार के विरुद्ध या उसके द्वारा घोषित अधिघोषणा के विरुद्ध कोई कानून नहीं बना सकता था । सघ क्षेत्र में कायरेत ब्रिटिश कम्पनी' 'शिपिंग एअर क्राफ्ट आदि के विरुद्ध कोई नियम यह नहीं बना सकती थी । कुछ बिल ऐसे भी थे जिन्हें किसी भी सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व गवर्नर जनरल की स्वीकृति प्राप्त करनी होती थी । कोई भी बिल दोनों सदनों में पारित होने के बावजूद गवर्नर जनरल की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता था । उसके द्वारा स्वीकृत एक्ट को भी ब्रिटिश सम्राट रोक सकता था । गवर्नर जनरल किसी भी बिल को सदन को पारित करने के

लिये वह सक्त था, और यदि वह ऐसा करन से इन्कार करे तो वह उसकी ही सस्तुति पर कानून का रूप ग्रहण कर सक्त था। वह सदन को आमंत्रित, स्थगित या समाप्त कर सक्त था। दोनों सदना मे मतभेद की स्थिति मे वह सदन की सयुक्त बैठक बुलाकर बहुमत से उस पर निणय दिला सक्त था।

कायपालिका शक्ति के रूप में सघीय परिषद अपने सदस्यों में से स्पीकर एवं डिप्टी स्पीकर का तथा राज्य सभा अपने सदस्यों में से प्रेसीडेंट व वायस प्रेसीडेंट का चुनाव कर सक्त था। ऐसे चुने गये अधिकारियों को बराबर के मत आने पर निर्णायक मत देने का अधिकार था। राज्य परिषद के प्रेसीडेंट या वायस प्रेसीडेंट को सदन का सदस्य न रहने पर अपना पद छोड़ना पडता था, पर सघीय परिषद का अधिकारी सदन के समाप्त होने पर भी अपने पद पर काय कर सक्त था और नये सदन की प्रथम बैठक तक अपने पद पर रह सक्त था। पर ये चुने गये अधिकारी अपने सदन के बहुमत से पद से हटाय जा सक्त थे जिसके लिये उहे 14 दिन की नोटिस देनी पडती थी। सदन की सुचारु कायवाही के लिये दोनों सदनों को नियम बनाने का भी अधिकार था।

इसके अतिरिक्त कायकारिणी अधिकार पर दोनों सदना में प्रस्तावों र्थगन प्रस्ताव प्रश्नों और पूरक प्रश्नों द्वारा रोक लगाई जा सक्त थी। सघीय सदन को इस दृष्टि से कुछ अतिरिक्त अधिकार भी थे क्यकि यह मन्त्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर सक्त थी और उह पद से हटा सक्त थी। पर गवर्नर जनरल को स्वेच्छाधिकार व स्वनिणय द्वारा प्राप्त अधिकार के अतगत दोनों सदना की कायवाही हेतु कानून बनाने का अधिकार था। वह ऐसे नियम भी बना सक्त था जिसके अतगत भारतीय राज्यों के चरित्र पर दोषारोपण न किया जा सके। यह सयुक्त सदनों की बैठक के लिये भी नियम बना सक्त था। पर ऐसे नियम बनाते समय उसे प्रेसीडेंट व स्पीकर से परामश करना पडता था। विधायिका को यह अधिकार नहीं था कि वह सघीय न्यायालय के न्यायाधीश को या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर विवाद करे।

दोना सदनों के आर्थिक अधिकार कुछ भिन्न कोटि के थे क्यकि आर्थिक बिल पहले परिषद में ले जाय जाते फिर राज्य सभा में प्रस्तुत किये जाते थे। पर सघीय विधायिका के आर्थिक अधिकार जति सीमित थे। गवर्नर जनरल के आदेशानुसार दोनों सदना के पटल पर वार्षिक आर्थिक विवरण प्रस्तुत करना पडता था। पर सघीय राजस्व पर किय जान वाले व्यय पर मतदान नहीं हो सक्त था। इसन सघीय विधायिका को 80% व्यय के मसला पर कमजोर बना दिया। शेष 20% व्यय माग के अनुदान के रूप में प्रस्तुत किया

जाता था। इस पहल सघीय परिषद फिर राज्य सभा में प्रस्तुत किया जाता था। पर परिषद द्वारा अनुदान की अस्वीकृति पर भी गवर्नर जनरल की इच्छा पर राज्य सभा के समक्ष इसे पेश किया जा सकता था। और अनुदान के परिषद द्वारा कम किए जाने पर, इस इसी प्रकार में राज्यसभा के समक्ष रखना पड़ता था। राज्यसभा भी इसमें कभी तरफ़ सक्ती या अस्वीकार कर सकती थी। पर गवर्नर जनरल को सभी मामला में अस्वीकृत अनुदान का स्वीकार करने या घटाने का अधिकार था।

**दो सदन—**आपसी संबंधों में दोनों सदन परस्पर सहयोगी और समान अधिकार रखते थे। पर जार्जियन बिल केवल सघाय परिषद में पहले प्रस्तुत हो सकता था। इस अपवाद को छोड़ बाई भी बिल किसी भी सदन में रखा जा सकता था और यह गवर्नर जनरल के समक्ष दोनों सदनों से पारित हान के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता था। यदि एक सदन एक बिल को पारित कर देता और दूसरा नहीं तो यह समाप्त हो जाता था। ऐसे ही यदि एक जगह यह पारित होता और दूसरी जगह सशोधित होता तो सशासन के अस्वीकृत होने पर भी वही स्थिति होती। इस एकट न उच्च सदन को अनुदान पूति का अधिकार प्रदान दिया। यह स्मरणीय है कि इस सदन को प्रदत्त यह अधिकार 1919 के एकट में नहीं प्रदान किया गया था। दोनों सदनों में मतभेद दूर करने के लिए गवर्नर जनरल समुपत बैठक बुला सकता था जिसमें दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों के बहुमत के मत से निणय लिया जाता था।

**भूत्यासन—**दोनों सदनों की रचना और शक्ति के विरोध में बहुत कुछ कहा जा सकता है। उच्च सदन के 40% और निम्न सदन के 1/3 सदस्य चूकि भारतीय गणतंत्रा द्वारा नामित होते थे इस कारण सघीय विधायिका की महत्ता बढ गई थी, जिससे इकी प्रगति अति धीमी हो गई। प्राता की सीटें पूर्णतया जनसदस्या पर आधारित नहीं थी। तथाकथित ऐतिहासिक एक भौगोलिक महत्त्व का अधिक महत्ता दी गई थी जिसका अर्थ दूसरे शब्दों में ब्रिटिश राज के प्रति विश्वस्तता थी। वग व साम्प्रदायिक हित साधन भी कम दुर्भाग्यपूर्ण नहीं था। लोगो जातियों और वर्गों में कवल बाट ही नहीं दिया गया था बल्कि इसे महिलाओं को प्रदान कर चूल्हे तक पहुँचा दिया गया था। विभिन्न लोगो के लिए निर्धारित सीटें भी समानता पर आधारित नहीं थी। ब्रिटिश भारत में मुसलमान केवल 26% थे पर उह दोनों सदनों में 33% सीटें पदान की गई थी।

एक अन्य दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि उच्च सदन में आश्चयजनक रूप से प्रत्यक्ष चुनाव और निम्न सदन में अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया

था। इसमें कोई तर्कसंगतता नहीं थी। लोकप्रिय सदन के लिये यह अप्रत्यक्ष चुनाव अपन ढंग का विश्व में बिलकुल नया तरह का था। और पुन अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित सदन का काल समाप्त हो जाता था और सीधे चुना गया सदन स्थायी था। उच्च सदन के सदस्य का 9 वर्ष का काल असंगत था। इससे चुन गये प्रतिनिधि अनुत्तरदायी हो सकते थे।

निम्न सदनार्थ हान वाले अप्रत्यक्ष चुनाव की बुराईया का भी अनदेखी नहीं की जा सकती थी। इस सदन के सदस्य प्रांतीय सदन से चुन जाते थे जहाँ की प्रांतीय व साम्प्रदायिक राजनीति सघीय सदन पर प्रभाव डालती थी। जो प्रांतीय मसला के आधार पर चुनाव लड़कर जाते थे उनसे केन्द्र राष्ट्रीय भावना की आशा नहीं की जा सकती थी। एकमतीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से प्रांतीय सदन में भेदभाव की स्थिति पैदा होती थी। इससे भ्रष्टाचार का भी बोलवाला हो जाता था क्योंकि केवल 8 प्रांतीय निर्वाचक एक सघीय सदस्य का चुनाव करते थे जिनमें से बहुत से लोगों के या धन के दबाव में आ सकते थे।

यह तर्क कि सघीय सदन के लिये प्रत्यक्ष चुनाव निर्वाचन क्षेत्रों पर नियंत्रण असंभव कर देंगे, ठीक नहीं लगता जो स्वतंत्र भारत के चुनाव से ही स्पष्ट है। पुन अप्रत्यक्ष चुनावों के बहुत से दोष व प्रत्यक्ष निर्वाचन के बहुत से गुण थे। प्रत्यक्ष चुनाव जितना शिक्षाप्रद होता है, इसका अनुभव हम स्वतंत्र भारत में हुआ है, यही अपने में एक महत्वपूर्ण गुण है। यदि ब्रिटिश सचमुच ही भारतीय हित में रुचि रखते थे तो इस पर उन्हें अमल करना चाहिये था।

दोनों सदन की सह समान विधायी शक्तियाँ पूरे संविधान में एक रोड़ा थी। इसी अनुदारवादी उच्च सदन को विश्व के द्वितीय सदन में सबसे शक्तिशाली बना दिया था। सघीय विधायिका पर आरोपित सीमाय सामायतया गभीर एवं तिरस्कार योग्य थी। गवर्नर जनरल की वह अपार शक्ति कि वह सदन की अस्वीकृति पर स्वयं बिल को एक्ट में बदल सकता था कम दुर्भाग्यपूर्ण नहीं थी। विधायिका और कार्यकारिणी में असहमति की स्थिति में कार्यपालिका विधायिका को समाप्त कर नया चुनाव करानी थी। पर इस क्षेत्र में जो सिद्धांत अपनाया जाता वह बड़ा विचित्र था जो संवैधानिक नियमों या ब्रिटेन में भी प्रयोग में नहीं आता था।

इसके अतिरिक्त सघीय सदन का उन मन्त्रियों पर भी पूर्ण नियंत्रण नहीं था जो उन्हीं के थे और जिनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वे उसके प्रति उत्तरदायी होंगे। विधायिका पर गवर्नर जनरल के स्वेच्छाधिकार पर विचार न करने का अधिकार भी तिरस्कारयोग्य था। विधायिका के आर्थिक अधिकार

भी प्रशासयोग्य नहीं थे। लगभग 80% धन इसके अधिकार क्षेत्र के बाहर थे और शेष 20% पर भी शक्ति सीमित थी। किसी अनुष्ठान के परिपद की अस्वीकृति पर राज्य सभा में अपील की जा सकती थी। निम्न सदन द्वारा कटौती प्रस्तुत करने पर गवर्नर जनरल द्वारा इसे ठीक किया जा सकता था। वैसे तो यह प्रावधान किया गया था कि विल केवल सघीय परिपद में ही प्रारंभ हो सकता था पर सच तो यह था कि व्यवहार में इसकी शक्ति राज्य सभा से बेहतर नहीं थी।

### सघ के अर्थ अंग

सघीय न्यायालय—एक सविधान में जहाँ स्वतंत्र इकाइयाँ मिलकर एक केन्द्रीय सघीय सरकार का निर्माण करती हैं, उसमें एक सघीय न्यायालय की व्यवस्था आवश्यक हो जाती है जो इन इकाइयों के बीच होने वाले झगड़ों का निबटारा करती है। भारत में 1935 के ऐक्ट में एक ऐसे न्यायालय का प्रावधान था।

भारत के सघीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 6 न्यायाधीशों से अधिक नहीं होते थे। पर इनमें ब्रिटिश सम्राट गवर्नर जनरल के माध्यम से वृद्धि कर सकता था। ये कम से कम तीन होने थे, पर इस सद्यः का नियम गवर्नर जनरल के अधिकार में था।

न्यायाधीश का पद प्राप्त करने वाले की योग्यता थी—(1) उस प्रांत के हाईकोर्ट या सघीय राज्य के कोर्ट का 5 वर्ष तक न्यायाधीश हुआ होना चाहिए, (2) या उस इंग्लैंड या उत्तरी आयरलैंड में 10 वर्ष तक बरिस्टर होना चाहिए (3) या स्कॉटलैंड के फक्ल्टी आफ ऐडवोकेट्स का 10 वर्ष तक सदस्य होना चाहिये, (4) या किसी प्रान्त या सघीय राज्य के हाईकोर्ट में उस 10 वर्ष तक वकालत किये हुए होना चाहिये। मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम व्यक्ति को 15 वर्ष तक एडवोकेट बरिस्टर या वकालत का अनुभव होना चाहिये। अस्थायी पद के रिक्त होने की स्थिति में गवर्नर जनरल किसी भी सघीय न्यायाधीश को पदेन मुख्य न्यायाधीश का पद प्रदान कर सकता था।

पद प्राप्ति के बाद कोई भी न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक काम कर सकता था। पर वह जपन पद से स्तीफा पहले भी दे सकता था। उसे प्रीवी काउंसिल के न्यायिक समिति की सत्तुति पर ब्रिटिश सम्राट द्वारा पद से हटाया जा सकता था जिसके आधार के रूप में व्यवहार दोष अथवा शरीर या मस्तिष्क का दोष एक कारण हो सकता था। उनका वेतन काउंसिल में सम्राट द्वारा निर्धारित होता था जो सघीय राजस्व से प्रदान किया जाता था। इस पर

विधायिका म मत नहीं लिया जा सकता था और न ही उसका कायकाल ही घटाया जा सकता था।

सघीय न्यायालय का कायक्षेत्र तीन तरह का था—अर्थात् मूल, अपीलीय एवं परामर्शी। मूल क्षेत्र के अंतगत प्रातो के आपसी झगडे, या एक प्रात से दूसर प्रात क झगडे तथा 'किनी तथ्य या कानून के प्रश्न को लेकर" सघीय सरकार के झगडे जात थ। अपीलीय क्षेत्र के अंतगत प्रातो के हाईकोर्टों के निणय तथा सघीय राज्या के न्यायालया के निणय जात थे। पर इसकी शत यह थी कि क न्यायालय म कह कि इसम 1935 के भारत सरकार अधिनियम का परिभाषित करन का प्रश्न इसस जुडा है। राज्या की अपीले भी वहा के शासक की स्वीकृति स होती थी। सघीय न्यायालय को नागरिक क फौजदारी मामला म अपील का अधिकार न था। पर एक निश्चय किया गया कि सघीय विधायिका न्यायालय को यह अधिकार नागरिक कानून के सबध म प्रदान कर सकती है यदि उनका मूल्य 50 हजार रुपय से कम न हा। यह काय गवनर जनरल से पूण अनुमति लेकर एक ऐक्ट पारित करके किया जा सकता था।

गवनर जनरल भी कानून के मसले पर न्यायालय से परामश ले सकता था। यह परामश खुली अदालत मे दिया जाता था और इस पर भी मुकदमे की तरह पंरवी होती थी। दोनों पक्ष के वकील अपनी दलीले प्रस्तुत करते थे और तब परामश दिया जाता था। गवनर जनरल इस तरह से दिये गये परामश को मानने को बाध्य नहीं था, पर उसे अस्वीकार करना भी बडा सरल नहीं था।

सभी मसला पर न्यायालय बेच क रूप मे बठता और बहुमत से निणय लेता था। विरोध मत देन वाले न्यायाधीशो का अपना मत देने का जबसर प्रदान किया जाता था। न्यायालय का काय दिल्ली म अग्रेजी म होता था।

अपन यायिक कार्यों के अतिरिक्त, न्यायालय अपन काय करने की पद्धति क नियम भी निर्धारित करना था। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश भारत और सघीय राज्यों म न्यायालया के लिये भी यह नियम बनाता था। इसके अतिरिक्त सघीय न्यायालय का कोई न्यायाधीश भी गवनर जनरल द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर काय करने के लिये नियुक्त किया जा सकता था।

पर भारत का सघीय न्यायालय देश का अंतिम उच्च न्यायालय का केन्द्र नहीं था। इसमे अनुमति लिये बिना ही प्रीवो कौंसिल मे निम्न मसला पर अपील की जा सकती थी—(1) अनुदेश प्रपत्र के अंतगत राज्य के द्वारा प्रदत्त सघीय शक्ति को सौंप गये अधिकार के झगडे को लेकर, (2) सघीय कानून के सघाय राज्य पर लागू किय जाने के विवाद, एवं (3) एक्ट के सही अर्थ



लगाने के सबध में । इसके अतिरिक्त और सब मसला पर अपील हेतु 'यायालय की अनुमति आवश्यक थी ।

1 अप्रैल 1937 को प्राता में यह एक्ट लागू किया गया और दिसंबर 1937 से सघीय 'यायालयों का कार्य प्रारंभ हुआ । पर चूकि कोई भी राज्य सघ में सम्मिलित नहीं हुआ और चूकि दश में सघ की स्थापना ही नहीं हो पाई इसलिये 'यायालय में मुख्य 'यायाधीश के अतिरिक्त बस दो 'यायाधीश ही नियुक्त किये गये और इसी संख्या सहित 'यायालय कार्यरत रहे ।

इस तरह में वन सघीय 'यायालय में 'यायाधीशों की नियुक्ति एक विदेशी अधिकारी सबट्री आफ स्टेट द्वारा होती थी और वे 0 टी 0 शाह के मतानुसार, इन परिस्थितियों में यह पूरा सम्भव था कि वे बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप से इस शक्ति या वग से प्रभावित होते रहे हों और अपन जीवन में उनकी महत्ता का अनुभव करते रहे हों ।<sup>1</sup> इस योजना का एक दोष यह था कि भारत में प्रीवी कांसिल का अपीलीय अधिकार बना रहा और अंतिम 'यायिक अधिकार सघीय सविधान के सघीय 'यायालय में बना रहा ।

पर फिर भी यह कहा जा सकता है कि इस तरह की अधिकार प्रदत्त संस्था का निर्माण भारत के 'याय संस्था के विकास में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी थी । भारत का प्रथम मुख्य 'यायाधीश सर मारिस ग्वेरेन ने 'यायालय का श्रीगणेश करत हुये कहा 'सरकार और दला से स्वतंत्र रहकर 'यायालय का प्रथम वक्तव्य सविधान को परिभाषित करना है । यह शरीरशास्त्री की दृष्टि से सविधान को जय नहीं प्रदान करेगा बल्कि एक जीवित सात लते जीव की भांति दृष्टि रखेगा जो भविष्य के विकास को भी ध्यान में रखता है । परिभाषा के सिद्धांत सविधान के विकास पर रोड़ा नहीं अटकायेगा बल्कि राजनीतिविज्ञान को मनोभाव व्यक्त करने का अवसर प्रदान करेगा ।

सघीय 'यायालय के प्रारंभ के साथ अंतर्प्रतीय झगड़े राष्ट्रीय स्तर पर निबटाय जाने लगे जिसमें देश में राष्ट्रीयता के विचार को समेटित होने का अवसर मिला ।

इसके अतिरिक्त उच्च नैतिक चरित्र के प्रसिद्ध अधिकारियों के निदेशन व अध्यक्षता में दश में कायपालिका से स्वतंत्र उच्च 'यायिक अधिकारियों की शक्ति का विकास हुआ । भारत सुरक्षा अधिनियमों को नियम विपरीत घोषित कर 'यायालय ने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान 'यायपालिका की स्वतंत्रता की धार जमा दी जिसमें लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा हुई । इसके अतिरिक्त बहुत से उदाहरण थे जिसके द्वारा कायपालिका अधिकारियों के निरंकुशता को तक की दिशा में चलने को कहा गया । इनसे कायपालिका की रीति से ठीक ढंग से कार्य करने

1 शाह के ही फडरत स्ट्रुक्चर प 389 ।



गया कि यह सघ सरकार की आर्थिक स्थिरता व साघ को बनाय रम, और चूकि सरकार की आर्थिक स्थिरता व साघ का मज्ज मित्रता ढालन व विनिमय स है, इस कारण इम उद्देश्य की पूर्ति के लिय रिजर्व बक की स्थापना की गई ।

गवर्नर जनरल के अतिरिक्त एक व्यवस्था क लिय 15 डाइरेक्टरा का एक वाड बनाया गया । डाइरेक्टरा म स 8 बक व भागीदारा द्वारा चुा जात व और शेष गवर्नर जनरल द्वारा नामित किय जात थ । गवर्नर जनरल स्वच्छा स उनका कायकाल व बतन आदि निर्धारित करता था । बह वाड का स्थान ल सक्ता था और उस परिममाप्त कर सक्ता था । सिक्क ढालन नाट छापन और बक व सवध म गवर्नर जनरल की पूव अनुमति क बिना सघीय विधा यिका म कोई प्रिल प्रस्तुत नही कर सक्ता था । यह बक 1935 म प्रारभ हुआ ।

आर्थिक परामशदाता एव एडवोकेट-जनरल—इसक अतिरिक्त एकट क अनुसार गवर्नर जनरल अपन व्यक्तिगत निणय स इन दा अधिकारिया की नियुक्ति करता था । उनका वेतन और कायकाल भी वही निर्धारित करता था । आर्थिक परामशदाता गवर्नर जनरल और सघीय विधायिका को आर्थिक मसला पर राय देता था और एडवोकेट जनरल कानूनी मसल पर राय दता था । इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल द्वारा प्रदत्त अय वक्तव्य का भी वह पालन करता था । एडवोकेट जनरल किसी भी सघीय विधायिका के सदन के समक्ष भाषण दे सक्ता था । पर उस देश के सामान्य राजनीतिक जीवन म भाग लेन का अधिकार नही था ।

## राज्य एव सघीय सरकार

हम पहले ही बता जाय हैं कि जहा प्राता क लिए सघ म सम्मिलित होना अनिवार्य था वहा राज्या को सावभौम स्वतंत्र इकाई माना गया और उह सघ म सम्मिलित होने या न होने की सुविधा प्रदान की गई । यदि किसी राज्य का शासक सघ म सम्मिलित होन की इच्छा रखता तो उस अनु देश प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने होते । उसम उस स्पष्ट रूप से बताना हाता कि वह किन किन विषया का नियंत्रण सघ सरकार को सौपना चाहता है । सघ म सम्मिलित होने वाले राज्यों के लिये 260 राय सभा की साटा म स 104 निर्धारित थी तथा सघीय परिषद की 375 सीटा म स 125 सीट । केन्द्रीय विधायिका मे राज्य प्रतिनिधि जलग जलग राज्या का शासक नामित कता था । सघ म राज्य की स्थिति शक्तिशाली बना दी गई थी क्यकि यह बहा गया कि सघीय सविधान म परिवर्तन केवल ब्रिटिश ससद ही कर सक्ती थी ।

पर इसमें कोई मूल परिवर्तन सभ में सम्मिलित होने वाले राज्या के पूर्ण सहमति के बिना संभव नहीं था।

### केन्द्र और राज्यों के बीच संघ

यहाँ हम पुनः कह सकते हैं कि राज्य चूँकि स्वतंत्र सावभौम इकाई के रूप में स्वीकार किये गये थे इसलिए गवर्नर जनरल उनके साथ दाढ़ग से व्यवहार करता था—प्रथम, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में वह राज्या के उन विषयों के संघ में कार्यवाही करता जिस राज्या न अनुदेश प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर संघ को सौंप दिया था, और द्वितीय ताज के प्रतिनिधि के रूप में वह भारतीय राज्या तथा ब्रिटिश सत्ता के राजस्व रेखा को विभाजित करने संघ में करता था। पर एस० एम० बोस के शब्दों में कहा जा सकता है कि वस तो भारतीय राज्या और ब्रिटिश सत्ता के राजत्व के विभाजन का लक्ष्य इनके आपसी संबंध 'लगभग-अंतर्राष्ट्रीय' स्वभाव के हो जाते थे पर राज्या का स्वतंत्र राजत्व शेष नहीं रह गया था जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय कानून में उन्हें 'व्यक्तिगत' व परिभाषा सीमा में लाया जा सकता है।<sup>1</sup>

सच तो यह था कि राज्या के पास एक समर्थ राजत्व था। इस तरह उन्हें भारत सरकार द्वारा एक विद्वशी शक्ति से किये गये अंतर्राष्ट्रीय समझौते का अनुपालन करना हाता था। आन्तरिक क्षेत्र में ताज का राज्या के यूरोपीय ब्रिटिश निवासियों पर पूर्ण अधिकार था। इसी तरह की बात रेलवे भूमि और खण्डों के लिये भी थी। शासक की अल्पसंख्यता पर ब्रिटिश शासन अस्थायी तौर पर पूरे अधिकार ग्रहण कर सकता था। ताज आन्तरिक व बाह्य विद्रोहों को दबाने के लिये उत्तरदायी था जिसके लिये राज्या को भारतीय सेनाओं रखनी पड़ती थी। ताज राज्या के आन्तरिक शासन में भी हस्तक्षेप कर सकता था। उसे ही सलामी देना व अय नियम तय करने का अधिकार था। और इन सब मामलों में, चाहे राज्य संघ में सम्मिलित हुआ हो या न हुआ हो गवर्नर जनरल ताज के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ अपना अधिकार जता सकता था।

पर जिन राज्या न संघ में सम्मिलित होने की घोषणा की उनके अतिरिक्त संघ सरकार की केन्द्रीय संस्थाओं, जिनका कि वह नेता था, उसे कुछ अतिरिक्त उत्तरदायित्वों का निवाह करना पड़ता था। इस तरह विधायिका क्षेत्र में राज्य में केन्द्रीय विधायिका की अधिकार सीमा बढ़ा तक पहुँच जाती थी जहाँ तक के अधिकार राज्य न अनुदेश प्रपत्र में हस्ताक्षरित कर केन्द्र को सौंप दिये थे।

1 बोस एस एम द बकिंग आफ कास्टीयूशन इन इंडिया ए कम ट्री ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प 38-39।

कायपालिका क्षेत्र में सघीय अधिकार की सीमा वहाँ तक बढ़ जाती थी जहाँ तक केन्द्रीय विधायिका को कानून बनाने का अधिकार था। पर यह तब सम्भव नहीं था जब यदि राज्य ने अनुदेश प्रपत्र में इस तरह के कुछ अधिकार अपने हाथ में सुरक्षित कर लिये हों। जहाँ तक अनुदेश प्रपत्र के निष्पत्तियों केन्द्रीय कायपालिका अधिकार को स्वीकार किया गया था उसमें कोई कठिनाई नहीं थी। यदि वह इसमें असफल होता तो गवर्नर जनरल इसके लिये आवश्यक कार्यवाही हेतु कह सकता था। पर यदि उसकी आज्ञा का पालन न होता तो गवर्नर जनरल को उच्च सत्ता को सूचना भेजनी पड़ती क्योंकि उसके पास इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं था।

‘याय’ के क्षेत्र में सघ राज्य के उच्च ‘यायालय’ से सघीय ‘यायालय’ में अपीलें की जा सकती थी। पर ऐसा अनुदेश प्रपत्र के सम्बन्धित के अनुसार ही किया जा सकता था और सघीय ‘यायालय’ का निष्पत्तियाँ राजा के माध्यम से ही घोषित किया जाता था। सघीय ‘यायालय’ का चूँकि सीधा सम्बन्ध राज्य के उच्च ‘यायालय’ से नहीं था, इस कारण इनका निष्पत्तियाँ राजा को केवल सन्तुष्टियाँ के रूप में थी।

एक पुनरीक्षण—सघ में राज्या को जो स्थिति प्रदान की गई स्पष्ट रूप से देश में प्रजातंत्र के विकास में एक बाधा ही थी। सघ में सम्मिलित होने का स्वरूप राजा का ही तय करना था। राज्य की जनता का उसमें कोई आवाज नहीं थी। सघीय विधायिका के लिए राज्य के प्रतिनिधि राजाओं द्वारा ही नामित होते थे पर उन्हें ब्रिटिश भारत के उन प्रतिनिधियों के साथ बैठने का अवसर मिलता था जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते थे। उनके साथ वे समान अधिकार के भागी थे। सघीय परिषद में राज्या की 1/3 का मत प्राप्त था जो सांप्रदायिक तथा स्वार्थी तत्वों के साथ सदन में ब्रिटिश अधिकारियों की सहायता करते थे तथा लोकप्रिय व प्रगतिशील सरकार के गले का फंदा बन जाते थे।

यदि राज्य सघ में सम्मिलित होते तो और कई लाभ प्राप्त होते। उनका जातिगत राजत्व सुरक्षित रहता और केन्द्रीय अधिकार सीमित। यह अनुदेश प्रपत्र के अनुसार ही था। सघ के प्रारम्भ होने के 10 वर्ष बाद तक राज्या को सीधे कर से मुक्त रखा गया था। सघीय ‘यायालय’ राज्य में अपना अधिकार यहाँ के राजा के माध्यम से ही रखता था एवं सघ के कानून का प्रशासन राज्य पर बड़ा के राजा के माध्यम से ही लागू किया जाता था। गवर्नर जनरल को राजाओं के अधिकार व प्रतिष्ठा की रक्षा करने की पड़ती थी। काउंसिल में गवर्नर का प्रदत्त सावधानी अधिकार राजा को सौंप दिया गया। गवर्नर जनरल अब इस स्वेच्छा के अधिकार से ही प्रयोग कर सकता था ‘वह

अनुदश प्रपत्र की शर्तों का उल्लंघन नहीं करता था, इसके बाहर की बातें सम्राट के प्रतिनिधि के प्रभाव क्षेत्र में आती थीं। 'राज्यों की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा गवर्नर जनरल सुरक्षा विभाग के माध्यम से सीधे अपने हाथ में रखता था।

राज्यों की स्थिति निश्चित रूप से पहले से बेहतर थी। जहाँ सघीय विधायिका में राज्य के प्रतिनिधियों को ब्रिटिश भारतीय मसलों पर प्रभाव डालने का अवसर था, प्रांतीय प्रतिनिधियों को राज्य के मसलों पर ऐसा अधिकार नहीं प्राप्त था। राज्या का अपने देय करो के निर्धारण में अपना मन प्रस्तुत करने और इसे धीरे धीरे देने का अवसर था। मघ राज्य के राजाओं व प्रजा का ब्रिटिश भारत में कोई भी नागरिक पद प्राप्त करने का अधिकार था। यदि गवर्नर जनरल चाहता तो यह पद ऐसे राज्य के लोगों को भी प्रदान किया जा सकता था जो सघ में सम्मिलित भी न हों। राज्या और केन्द्र, राज्या और प्रांतों तथा राज्यों व राज्या के बीच उठने वाले झगड़े जो अभी तक कौंसिल में गवर्नर जनरल तय करता था जब सघीय न्यायालय के हाथों में चला गया, जिसकी अपील प्रीवी कौंसिल में की जा सकती थी। सघ में सम्मिलित राज्या को भारत के हाई कमिश्नर की सेवाएँ सुलभ हुईं।

मघीय राज्या को जो सबसे प्रतिक्रियावादी शक्ति सौंपी गई वह यह थी कि उनमें से कोई भी सविधान के विकास में बाधा खड़ी कर सकता था, जिसमें भारत के स्वतंत्रता का काल अनिश्चित समय के लिये टल सकता था। ऐसा इसलिए था कि सविधान में लिखा था कि सविधान में कोई संशोधन सघ राज्यों के एक स्वर से स्वीकृति के बिना नहीं संभव था। यह सौभाग्य ही था कि मघ को अपना स्वरूप धारण करने का अवसर ही नहीं मिला।

### सघीय योजना का सामान्य मूल्यांकन

सघीय सरकार की तीन विशेषताएँ थी—(1) लिखित सविधान (2) केन्द्र और इकाइयों के बीच शक्ति विभाजन, एवं (3) उच्चतम न्यायिक केन्द्र की स्थापना जो इकाइयों और केन्द्र तथा इकाइयों व इकाइयों के बीच झगड़े तय करे। यह सब ऐक्ट के अंतर्गत सघीय योजना में प्रस्तुत किया गया। पर इस योजना में सघ का निचोड़ नहीं था, क्योंकि इसमें सभी आवश्यक चीजें गायब थीं।

सघ की आधारभूत बातें हैं कि (1) इसकी इकाइयाँ स्वतंत्र होनी चाहिये और इन्हें स्वयं मिलकर सविधान की रचना करनी चाहिये, और (2) केन्द्र और इकाइयों को एक दूसरे से स्वतंत्र होना चाहिये और सघीय सरकार को विभिन्न इकाइयों का एक तार में जाड़ने का कार्य करना चाहिये।

स स्तर पर 1935 की सघ योजना का परीक्षण करने पर हम इसमें ऐसी चीजाँ के दखन हात हैं जिसका सबंध म सघीय परिषद के अध्यक्ष सर अब्दुल रहीम न ठीक ही कहा था, पूणतया अस्वाभाविक, बनावटी और किसी भी सविधान के लिय अनात चीज ।" प्रथम तो इस तरह जो इकाइयाँ सगठित हुईं उनके राजनतिक चरित्र व परंपरा में एकरूपता न थी । भारतीय राज्याँ पर निरबुध शासन का अत्यधिक नियंत्रण था जो जनता का राजनतिक अधिकार प्रदान करने के प्रति अत्यधिक ईर्ष्यालु थे । इसकी तुलना में सघ में सम्मिलित हान वाले प्रांताओं को कुछ प्रजातान्त्रिक अधिकार भी प्राप्त थे और उन स्थानों की जनता भी कुछ प्रगतिवादी विचारों की थी । सघ में सबंधित इकाइयाँ में समानता एक एकरूपता को एक मुख्य आधार प्रदान किया जाता है, पर दुर्भाग्य से इन दोनों विशेषताओं का इस योजना में अभाव था ।

सघ में सम्मिलित हान वाली इकाइयाँ अपने क्षेत्र में स्वतंत्र भी नहीं थीं । एक सच्चा सघ एकता की ओर अग्रसर होता है पर यहाँ तो एक आश्चर्यजनक चीज सामने दया में आई कि तत्कालीन एकात्मक व्यवस्था इकाइयाँ में बिखर गई तथा उन्हें मनमाने ढंग से अपनी इकाई में स्वतंत्र मान लिया गया । पर उन्हें अपनी सविधान रचना का अधिकार नहीं प्रदान किया गया और न तो उन्हें सविधान में परिवर्तन करने के अधिकार ही प्रदान किए गए, और उन्हें तथाकथित स्वतंत्र इकाई मान जाने के बाद उनमें जो सगठन स्थापित किया गया वह स्वैच्छिक न होकर बाध्यतापूर्ण था । प्रांताओं की कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं थी । उन्हें केवल साधारण रूप से एक साथ बंधे सघ का स्वरूप प्रदान कर दिया गया था ।

प्रांताओं का अपने क्षेत्र में स्वतंत्र शक्ति भी प्रदान नहीं की गई । गवर्नर जनरल और गवर्नरों की शक्तियाँ स्वायत्तता की छिलनी उड़ाते थे । सघीय, प्रांतीय और समवर्ती तीनों सूचियों केन्द्र व प्रांतों की विधायी शक्ति के विभाजनाय बनाई गई थी । पर अवशिष्ट शक्तियों केन्द्र के पास ही थीं जिसके अंतर्गत दायाँ उसमें अधिक प्रांतों के प्राथमिक पर केन्द्र प्रांतीय सूची से सबंधित कानून भी बना सकता था । प्रांतों को प्रदत्त साधन महंग नहीं थे जो आवश्यकताओं की वृद्धि के बावजूद टूटने की स्थिति में नहीं थे । दूसरी ओर केन्द्र की आर्थिक स्थिति मजबूत थी । इसका सात कर क्षेत्र से विस्तृत था ।

दूसरी ओर राज्यों के प्रति अधिक ध्यान दिया गया था । राज्यों ने सघ में सम्मिलित होने या न होने की छूट प्रदान की गई । यदि वे सघ में सम्मिलित होते तो सघ के नियंत्रण में देने वाले विषयों का निर्णय भी वही करते थे । पूण ब्रिटिश भारतीय जनसंख्या का 1/4 होने के बावजूद केन्द्रीय विधायिका में इन्हें निम्न सदन में 33 1/2 % सीटें और उच्च सदन में 40% सीटें प्रदान

की गई। उनके प्रतिनिधि राजा द्वारा नामित होते थे पर ब्रिटिश भारत के चुन गये सदस्यों के समान ही उन्हें अधिकार प्राप्त था। इसीलिये मुस्लिम लीग तक ने इसकी आलोचना करते हुए कहा, "यह एक चालाकी भरा ऐसा प्रयास था जिसके द्वारा प्रगतिवादी और राष्ट्रीय शक्तियों की बलि दे दी गई।" जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, "कुछ दिना पूर्व तक राज्या की सधि या प्रभुता के विषय में कम ही सुना गया। राजाओं को अपनी शक्ति की जानकारी थी पर राष्ट्रीय आंदोलन के विकास ने भारत में इहे झूठी महत्ता प्रदान की जिसका कारण था ब्रिटिशों पर उनका विश्वास।"

पर राज्यों के संघ में कोई एकरूपता नहीं थी। ऐसा इसलिये था क्योंकि प्रत्येक राज्य को सघीय नियंत्रण में लीये जाने वाले विषयों के विषय में स्वयं नियंत्रण करना था। इस तरह संघ में राज्यों के मिलने की स्थिति के महत्वपूर्ण मसलों में फट पड़ जाता था।

सघीय शासन में पुष्पित असामाय द्वैत की योजना भी उचित नहीं थी। संघ का एक अंग ब्रिटिश ताज द्वारा नियंत्रित था जबकि इसके दूसरे अंग पर भारतीय विधायिका का नियंत्रण था। इस तरह की संघ व्यवस्था इसके पूर्व सुनी भी नहीं गई थी। पुन गवर्नर जनरल के विस्तृत अधिकार व विशेष उत्तरदायित्व इस बात की सूचना देते थे कि इसका संघ नाम ही गलत रखा गया था। यदि रचित प्रशासन सघात्मक था तो गवर्नर जनरल के अधिकार में उस एकात्मक बना दिया था। निम्न सदन के लिये अप्रत्यक्ष और अभिजातवर्गीय उच्च सदन के लिये प्रत्यक्ष चुनाव की परंपरा भी सघीय परंपरा से मेल नहीं खाती थी। यह भी समझ में नहीं आता था कि इस व्यवस्था को बदसूरत बनाने के लिये अनेक रक्षोपाय क्यों किये गये थे। सघीय विधायिका को काय करने की पूर्ण स्वतंत्रता भी नहीं थी। जिना ने लिखा है कि, "बजट व उसके आकलन, विधान रचना में उसने हस्तक्षेप, उसकी विशिष्ट शक्तियां व उत्तरदायित्व, विधायिका के लिये करने को शेष ही क्या रखा था। 80% व्यय इसके नियंत्रण के बाहर था और शेष 20% पर भी कटौती का नियंत्रण लादकर गवर्नर जनरल दूसरी स्थिति पदा कर सकता था।"

मंत्रियों को कृत्रिम अधिकार प्रदान कर कमजोर किया गया था। सुरक्षा और विदेशी मामलों को उनकी शक्ति दायरे के बाहर रखा गया था। राज्य रेलवे उनसे अलग कर दिया गया था। वे गवर्नर जनरल के समर्थक होते थे। सघीय विधायिका के सदस्य होने के बावजूद वे इसके प्रति पूर्णतया उत्तरदायी नहीं थे।

1935 के एक्ट के अंतर्गत 321 भागों और 10 अनुसूचियों में रेखांकित यह संविधान संभवतः विश्व का सबसे लम्बा और जटिल संविधान था।



इसमें प्रस्तुत समस्याओं के कुछ समाधान अभावधानिक थे। और इसमें ऊपर तुरंत यह था कि सघीय विधायिका किसी भी मसल पर इसमें सलाह नहीं कर सकती थी। सशोधन की शक्ति ब्रिटिश संसद में निहित थी। पर यह संस्था भी सशोधन की पूर्ण शक्ति नहीं रखती थी क्योंकि कुछ मामलों में सघीय राज्या की पूर्ण स्वीकृति के बिना ये भी सलाह नहीं कर सकता था। दूसरे शब्दों में छोटा से छोटा एक राज्य पूरे देश की प्रगति में बाधा डाल सकता था। इस तरह सबशक्तिमान शक्ति भी यहाँ असह्य हो जाती थी। सच्चे अर्थों में सघ राज्य में स्वायत्तशासी इकाइया भी सघीय सिद्धांतों की अवहेलना किये बिना अपने संविधान में सलाह करने की शक्ति रखती हैं। पर प्रांतों को इस तरह की कोई शक्ति नहीं प्रदान की गई।

इस तरह इससे इवार नहीं किया जा सकता कि सघ का उद्देश्य भारत को एक उत्तरदायी सरकार से दूर रखने की इच्छा से प्रस्तुत था। 11-12 अप्रैल 1936 के मुस्लिम लीग प्रस्ताव में कहा गया कि "केंद्रीय सरकार की अधिल भारतीय सघीय योजना ब्रिटिश भारत व भारतीय राज्या के हितों के विरुद्ध अत्यधिक प्रतिस्पर्धावादी, प्रतिगामी और हानिकारक थी। प्रस्ताव में आगे कहा गया कि संविधान की प्रांतीय योजना का उपयोग इन कठिनाइयों के कारण सरल न था। फरवरी 1937 की कांग्रेस की कार्य-समिति के प्रस्ताव में भी कहा गया कि कांग्रेस न विधायिका में नवीन संविधान के साथ सहयोग प्रवेश नहीं किया है बल्कि इस ऐक्ट में निहित नीति का विरोध करने के लिए आया है।"<sup>1</sup>

### प्रान्तीय स्वायत्तता

1935 के ऐक्ट भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत भारतीय राज्यों के अतिरिक्त भारत में तीन तरह की क्षेत्रीय इकाइया थीं। प्रथम तो दिल्ली और और अजमेर मांवाड़ की तरह की मुख्य कमिश्नर के प्रांत थे जिसमें मुख्य कार्यपालिका अधिकारी मुख्य कमिश्नर था जो गवर्नर जनरल कांसिल के द्वारा नियुक्त होता था और उसी के प्रति उत्तरदायी भी। दूसरे तरह के प्रांतों की संख्या 11 थी। पर इसमें भारत से अलग हुआ वर्मा सम्मिलित नहीं था पर नये निर्मित प्रांत उड्डासा और सिंध इसमें सम्मिलित थे। इसका अतिरिक्त कुछ प्रांतों में कुछ बहिष्कृत और अर्द्ध बहिष्कृत क्षेत्र भी थे। ये क्षेत्र तीसरी तरह के थे और चकि पिछड़ा होने के कारण इन्हें उत्तरदायी सरकार के योग्य

1 देखें क्लिप्स द इकायन ऑफ इंडिया एण्ड पाकिस्तान प 201-235, थमा ज एन सूचोपधत प 505-589।

नहीं माना जाता था, इसलिये उन्हें लोकप्रिय मन्त्रियों के हाथ में न रखकर गवर्नर के अतगत रखा जाता था। पर इन बहिष्कृत क्षत्रियों को छोड़कर उपरोक्त 11 प्रांतों में स्वायत्तता की स्थापना की गई थी। यहाँ प्रांतीय स्वायत्तता की मशीनरी की जानकारी कुछ विस्तार में आवश्यक है।

यह समझा जाता है कि एक सच्ची प्रांतीय स्वायत्तता ऐसी सरकार का नाम है जिसके ऊपर कोई बाह्य नियंत्रण व बोझ न हो और जो आंतरिक रूप से लोकप्रिय विधायिका द्वारा चुने गये लोगों के प्रति उत्तरदायी हो। इन दोनों आधारों पर परीक्षण करके हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि क्या प्रांतों में स्वायत्तता थी भी अथवा नहीं।

### बाह्य नियंत्रण

बाह्य नियंत्रण के मामले में जो स्वतंत्रता प्रांतों को प्रदान की गई उसका परिचय केन्द्र व प्रांतों के मध्य ऐक्ट के अतगत स्थापित कार्यकारिणी, विधायी और आर्थिक संबंधों में देखी जा सकती है।

कार्यपालिका संबंधी संबंध—जहाँ तक केन्द्र व प्रांतों के मध्य कार्यपालिका संबंधों संबंध का प्रश्न है 1935 का ऐक्ट निश्चित रूप से 1919 के ऐक्ट से बेहतर था जिसमें प्रांतीय हित का ध्यान रखा गया था। पुरानी परंपरा में प्रांतों की मजबूत कार्यपालिका शक्ति भारत सरकार द्वारा उन्हें सौंपी गई थी जो प्रांतीय प्रशासन में किसी सीमा तक हस्तक्षेप कर सकती थी। पर यह शक्ति नबली थी। विशेषकर मन्त्रियों को हस्तांतरित विभागों में तो यह कतई संभव नहीं था। पर 1935 के ऐक्ट ने इसमें विशेष परिवर्तन प्रस्तुत किया। कलम की एक नोक से इसने उस पुरानी एकात्मक प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया जिसके अतगत शक्ति केन्द्र से प्रांतों के हाथ में घूमती रहती थी। नई व्यवस्था में एक सघीय व्यवस्था प्रारंभ हो गई जिसमें स्वायत्तशासी इकाइयाँ अपनी इच्छा से सघ का सदस्य बन जाती हैं। पुराने प्रांत जो केन्द्र सरकार के मात्र एजेंट थे, उन्हें पहली बार व्यक्तिगत इकाइयों के रूप में स्वीकार किया गया जिन्हें जलग वैधानिक अधिकार प्राप्त हुए। पर इसके बाद ऐक्ट ने अर्थ का परिचय देते हुये और इस बात की प्रतीक्षा किये बिना कि प्रांत सघ में सम्मिलित हो रहा है या नहीं, इनके ऊपर सघ आरोपित कर दिया गया। पर इतना होने पर भी यह बहुत बुरा नहीं था क्योंकि प्रांतीय विधायिकाओं को उन सब मामलों पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया जिनके लिए वे सक्षम थे। पर असली कठिनाई तब खड़ी हुई जब प्रांतों पर कुछ एहतियाती प्रतिबंध लगा दिये गये जिसके कारण प्रांतीय स्वायत्तता ने व्यंगपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया।

इस तरह ऐक्ट में यह प्रावधान किया गया कि प्रांतीय कार्यकारी अधिकार इस तरह प्रयोग में लाये जायेंगे कि जिसमें वह प्रांत हेतु वन-केन्द्रीय कानून का उल्लंघन न करे। वह उनका एक ढंग से प्रयोग न करने को भी बाध्य थे जिससे कि केन्द्रीय कार्यपालिका अधिकार पर कोई आघात न हो। गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि अपने एजेंट के रूप में वह गवर्नर को अपनी इच्छानुसार काय कराने का वह। गवर्नर जनरल गवर्नर को यह निर्देश भी दे सकता था कि भारत या उसके किसी भाग में शांति व व्यवस्था की स्थिति को धरती पैदा होने पर उस रोकने हेतु किस तरह से अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करे। दूसरी ओर गवर्नर व्यक्तिगत ढंग से या अपनी इच्छानुसार काय करते समय गवर्नर जनरल के आदेशों का ध्यान में रखता था। गवर्नर जनरल या केन्द्रीय विधायिका गवर्नर की राय से प्रांतीय सरकार या उसके अधिकारियों पर केन्द्रीय विषयों संबंधी कृतव्य और शक्तियाँ सौंप सकता था। पर एसी स्थिति में सारा व्यय केन्द्र वहन करता था। यदि प्रांतीय सरकारें संधीय सरकारों के आदेशों का पालन न करती तो गवर्नर जनरल अपनी शक्ति के अंतर्गत गवर्नर को तत्संबंधी आदेश दे सकता था और एसी स्थिति में मंत्रियों के विरोध के बावजूद इसका पालन करना पड़ता था। सध या सभी प्रांतों के आपसी एगडा के संबंध में गवर्नर जनरल गृह अधिकारियों के पास अंतर्प्रांतीय कौंसिलों की रचना की सत्तुति कर सकता था। इस तरह के प्रतिबंधों प्रांतों पर आरोपित किये गये थे फिर भी प्रांतीय स्वायत्तता की बात की जाती थी।

**विधायिका संबंधी संबंध—** केन्द्र और प्रांतों के बीच विधायिका संबंधों में भी ठीक नहीं थे। तत्संबंधी विषयों की तीन सूचियाँ थीं। प्रथम संधीय सूची के अंतर्गत संधीय विधायिका को अपनी इच्छानुसार कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया था। द्वितीय प्रांतीय सूची के अंतर्गत प्रांतों को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। तृतीय समवर्ती सूची में केन्द्र और प्रांत दोनों कानून बनाने में सक्षम थे। सूचियों की इतनी विस्तृत रूप से व्याख्या की गई थी कि अवशेष सूची नहीं के बराबर रह जाती थी। केन्द्र अथवा प्रांत को अवशिष्ट शक्ति नहीं प्रदान की गई।

यह भी प्रावधान किया गया कि यदि समवर्ती सूची में केन्द्रीय और प्रांतीय कानून में विरोधाभास हो तो केन्द्रीय कानून ही सर्वोपरि होगा। इस प्रावधान में कोई कमी नहीं थी। पर इसके कारण प्रांत ईर्ष्यांतु केन्द्रीय नजरों से ओझल नहीं हो पाते थे। बहुत से विषयों में यह आवश्यक था कि प्रांतीय विधायिका में कानून बनने हेतु बिल लाने के पूर्व गवर्नर जनरल की सहमति ले ली जाय। उसके अतिरिक्त, जहाँ सच्चे प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत एसी

स्थिति में कि अमुक विषय केन्द्र से संबद्ध है या प्रांतों से, केन्द्रीय न्यायालय ही सभा नियम करती थी व इस स्थिति में जिसमें कि यह शक्ति मुद्रयतया यायिक थी, इसे गवर्नर जनरल को सौंपा गया। इसके अतिरिक्त यह प्रावधान किया गया कि गभीर आपातकाल में सघीय विधायिका को प्रांतीय सूची के किसी भी विषय के संबध में कानून बनाने का अधिकार होगा।

अथ संबंधी संबध—1919 के मोण्टफोर्ड सुधारों के अंतर्गत आर्थिक स्थिति के संबध में 1935 के ऐक्ट ने कई महत्वपूर्ण सुधार किये जिसके द्वारा प्रांतों को पर्याप्त आर्थिक स्वायत्तता प्राप्त हो गई। पुरानी व्यवस्था में प्रांतों को करारोपण का स्वतंत्र अधिकार नहीं था और न ही वे अपने राजस्व के आधार पर ऋण ही प्राप्त कर सकते थे। राजस्व के स्रोत अब अधोलिखित थे—(1) भू राजस्व, आमचारी कर आदि कुछ ऐसे कर थे जो प्रांतों द्वारा लगाये जाते और एकत्रित किये जाते थे। (2) मुद्रा और सिक्के ढालने, आयात व निर्यात आदि केन्द्र के अधिकार में थे। (3) इनमें से कुछ जिनमें नमक, गर कृषि आय आदि थे, उन्हें केन्द्र व प्रांतों के बीच विभाजित किया गया। (4) कुछ कर जिनमें रेल व वायुयानों द्वारा ले जाने वाली वस्तुओं और यात्रियों पर सीमा कर भी था तथा कृषि के अतिरिक्त आय सम्पत्ति पर लगने वाले कर भी, केन्द्र द्वारा लगाये और एकत्रित किये जाते थे पर इन्हें प्रांतों को सौंप दिया जाता था। प्रांतों को अपने राजस्व के आधार पर ऋण प्राप्त हो जाता था और आर्थिक स्थिरता प्रदान करने के लिये तथा भारत के अंदर व बाहर उसकी साख के लिये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जस अराजनतिक अधिकार को स्वीकार किया गया। इस तरह सघीय विधायिका द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐक्ट पारित किया गया और बैंक की स्थापना की गई जिसमें सविधान आदि की चर्चा पहले ही की जा चुकी है।

इस तरह से प्रांतों की आर्थिक शक्ति बढ़ा दी गई। फिर भी जो व्यवस्था स्थापित की गई वह पूर्णतया सतोपजनक नहीं थी। प्रांतों के ऋण लेने के अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाये गये। इसके अतिरिक्त प्रांतों को सौंपे गये राजस्व स्रोत न तो उनकी आवश्यकता के लिए पर्याप्त थे और न ही विस्तृत जिम्मे प्रांतों का विकास हो सके। बाद वाली बुराई का अनुभव पहले से ही किया गया जिसका दूर करने के लिए यह प्रावधान किया गया कि प्रांतों की आर्थिक कमी को दूर करने के लिए सघीय राजस्व स अनुदान दिया जाय। बाद में नीमेयर क्लॉड न यह भी निश्चित कर दिया कि किस दर पर यह सहायता प्रदान की जाय।

### वैश्व उत्तरदायित्व

प्राता को इस एक्ट के अंतर्गत जो कायपालिका और विधायिका की कन्या प्रदान की गई उसी के आधार पर प्रांतीय विधायिका व आंतरिक उत्तरदायित्व का बोध हो सकता है।

**कायपालिका सगठन—**1919 के एक्ट के अंतर्गत चलाय गये पुराने प्र सरकार को समाप्त कर दिया गया और उसका स्थान पर 1935 के एक्ट ने पूरा प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की। जहाँ पहले प्राता को कायपालिका शक्ति केन्द्र से दी हुई मिलती थी वहाँ अब प्रात और केन्द्र दाना सविधान से शक्ति मिलती थी और अपन-अपन क्षेत्रों में दाना की अलग कृत्या थी तथा प्रात केन्द्र का अनुगामी नहीं रहा था। प्राता की कायपालिका शक्ति सविधान के अंतर्गत उन सब क्षेत्रों पर लागू होती थी जिनमें की प्रांतीय विधायिका को धानून बनाने का अधिकार था। यह शक्ति नर में निहित थी जो प्रत्यक्ष रूप से या मंत्रिमंडल के माध्यम में उसका प्रयोग करता था।

**गवर्नर—**गवर्नर प्रात का मुख्य कायपालिका अधिकारी था। बंगाल, ब्रिटेन और मद्रास में यह पद किसी प्रतिष्ठाप्राप्त व्यक्ति को मिलता था जिसे राज के राज्य सचिव की सलाह पर राज द्वारा नियुक्त किया जाता था। यह प्राता के गवर्नर भारतीय सिविल सर्विस से लिया जाता था और उनकी नियुक्ति गवर्नर जनरल की सलाह पर होती थी। सामान्यतः पर इसकी अवधि 5 वर्ष होती थी पर उसका वेतन अलग अलग प्राता में अलग अलग था। एक प्रेसीडेन्सी का गवर्नर प्रतिवर्ष 120000 रुपये पाता था उड़ीसा गवर्नर को 66000 रुपये और पंजाब के गवर्नर को 100000 रुपये मिलते। बंगाल के गवर्नर को सत्ता सहित जो वेतन मिलता था वह 607300 रु० जबकि पंजाब के गवर्नर का 141200 रुपये। कोई भी प्रांतीय विधायिका नर के वेतन में परिवर्तन नहीं कर सकती थी।

**कायपालिका शक्तियाँ—**गवर्नर की शक्तियाँ विस्तृत थीं और प्रात की सभी कायवाहियाँ पर लागू होती थीं। गवर्नर की कायपालिका शक्तियाँ प्रत्यक्ष की थीं अर्थात् जो वह मंत्रियों की सलाह के बिना अपने मन से करता था, वह जो मंत्रियों से सलाह करने पर बिना बाध्यता के व्यक्तिगत रूप से आधार पर करता था तथा वह जो मंत्रियों की सलाह के आधार पर करता था।

गवर्नर की विवेकाधीन शक्ति जो वह गवर्नर जनरल के नियंत्रण में रह कर करता था के लगभग 32 तरह की थीं जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित थीं।  
(1) प्रारम्भ में यह गवर्नर का ही नियंत्रण करना होता था कि कौन सी चीज

उसके विवेकाधीन शक्ति के अतगत आती है (2) वह मंत्रिया को नियुक्त करता, बुलाता और बर्खास्त करता था तथा उनका वेतन निर्धारित करता था पर वेतन निर्धारण का काम जब प्रांतीय विधायिका करती थी तो उससे अधिकार कम हो जाते थे, (3) वह मंत्रिमंडल की बैठका की अध्यक्षता करता था, (4) वायपालिका वायवाही को सुगमतापूर्वक चलाने के लिए वह नियम बनाता था (5) सरकार को समाप्त करने के प्रयास वाले अपराधा का रोकता था, (6) वह विधायिका को बुला सकता था स्थगित कर सकता था तथा निम्न सदन का समाप्त कर सकता था, (7) वह किसी बिल या उसकी किसी धारा पर बहस का रोक सकता था, (8) वह यह तय करता था कि किस व्यय के मद पर मत लिया जा सकता था और जिस पर नहीं, (9) वह दोनों सदनों को आमंत्रित कर सकता था। द्विसदनीय सभा की स्थिति में भी उसे यह अधिकार था, (10) किसी व्यक्ति को जा चुनाव में खड़े होने के अयोग्य घोषित कर दिया गया हो उसे योग्य करार दे सकता था, (11) प्रांता के लोक सेवा आयोग के चेयरमन और सदस्य उसी के द्वारा चुने जाते थे (12) और उसे एक विशिष्ट विवेकाधीन शक्ति भी प्राप्त थी जिसके अतगत वह गवर्नर ऐक्ट पारित कर सकता था। यह शक्ति उसके अध्यादेश घोषित करने और नियम बनाने के अतिरिक्त थी जो वह बहिष्कृत व जदबहिष्कृत क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रयाग में लाता था। इसका विस्तृत विवरण आगे है।

पर सबसे बुरी थी इस ऐक्ट की 93वीं धारा जिसमें संविधान की समाप्ति की अवस्था में उसके विवेकाधीन शक्ति को परिभाषित किया गया था। यदि गवर्नर इससे संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जब ऐक्ट के अनुसार सरकार चलाना कठिन है, तो वह सारी शक्ति या शक्ति का कुछ भाग स्वयं ग्रहण कर सकता था। पर इस स्थिति में भी वह प्रांतीय उच्च न्यायालय को बंद करने में नहीं ले सकता था। इस तरह की उन्मोचना की सूचना भारत के राज्य सचिव को पहुंचानी पड़ती थी जो उस ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता था। यह घोषणा 6 माह के लिए लागू रहती थी, पर इसे इसकी समाप्ति की तिथि से 12 माह आगे तक और बढ़ाया जा सकता था। पर किसी भी स्थिति में यह 3 वर्षों से अधिक तक लागू नहीं रह सकता था। वैसे वाद में इसमें एक संशोधन जाड़ा गया जिसमें कहा गया कि यह घोषणा युद्ध के बाद तक चल सकती है। यह घोषणा गवर्नर जनरल की सहमति से ही की जाती थी और इसे दूसरी घोषणा द्वारा समाप्त या परिवर्तित किया जा सकता था। घोषणा काल में गवर्नर द्वारा पारित ऐक्ट इस घोषणा की समाप्ति के दो वर्षों बाद तक चलता रह सकता था।

व्यक्तिगत निणय के अतगत जो शक्ति गवर्नर को प्राप्त थी उसमें ऐक्ट की 52वीं धारा में गवर्नर के विशिष्ट उत्तरदायित्वा का उल्लेख किया गया। यह विशेष उत्तरदायित्व थे—(1) अल्पमह्यका के उचित हिता की रक्षा, (2) असमान व्यवहार से असैनिक बर्माचारिया की रक्षा, (3) प्रात में शांति व व्यवस्था व विरुद्ध स्थिति पैदा होने से लोगों की रक्षा, (4) किसी भेदभाव से प्रिटिश प्रजा की रक्षा (5) शासक के अधिकारों व प्रतिष्ठा की रक्षा और ऐसे उपाय जिससे पड़ोसी राज्या के अधिकारों में हस्तक्षेप न हो व भेदभाव न उत्पन्न हो, (6) वहिष्कृत व अद्वहिष्कृत क्षेत्रों में शांति व अच्छे प्रशासन की व्यवस्था, (7) गवर्नर जनरल द्वारा सीपे गये उत्तरदायित्व का भारवहन, और (8) प्रात में सिंचाई की व्यवस्था की सूचना देते रहना। ऐक्ट के अतगत राज्य सचिव के लिए यह एक विशेष रचि की चीज थी, एक (9) मध्य प्रात एक बरार के गवर्नर पर बरार व हैदरावाद के सबंध में विशेष उत्तरदायित्व थे।

गवर्नर जनरल को यह जानना के लिए कि उसके किसी विशेष उत्तरदायित्वा की अवहेलना नहीं हुई है मन्त्रिया तथा विभाग के सचिवों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे ऐक्ट के नियमों के अतगत उसे सब बातों की सूचना प्रेषित करते रहेंगे।

उसके उन उत्तरदायित्वा का जिसका विवरण हम ऊपर त्रम सख्या 2 पर दे आये हैं विशेष विवरण यहाँ आवश्यक है। असैनिक सवाय पूर्णतया गवर्नर के अधीन थीं जो उनके तबादला, उनको अवकाश और दंड के विषय में निणय करता था और उपरोक्त मसला पर होने वाले व्यय पर विधायिका में मत नहीं लिया जा सकता था।

गवर्नर को शेष अधिकारों का प्रयोग मन्त्रियों के परामश से करना होता था। पर चूँकि मन्त्री उसी के द्वारा नियुक्त होते और बर्पास्त किये जाते थे इसलिये इसमें भी उसकी इच्छा ही विशेष रूप से काय करती थी।

**विधायिका शक्ति**—गवर्नर की विधायिका शक्ति प्रत्यक्ष रूप से और साथ ही साथ प्रातीय विधायिका के नियंत्रण के माध्यम से कायपालिका शक्ति की ही भाँति उच्चकोटि की थी। वह किसी भी सदन को आमंत्रित कर सकता था स्थगित कर सकता था तथा विधान सभा को समाप्त कर सकता था। वह उन्हें अलग-अलग और एक साथ संबोधित कर सकता था, व दोनों सदनों में भेदभाव होने पर उन्हें एक साथ बैठक के लिए आमंत्रित कर सकता था, उनकी कायवाही के लिए नियम बना सकता था जिसमें उसे दोनों सदनों के अध्यक्षा से परामश लेना पड़ता था, विवाद के अतगत किसी बिल को विचार्य कुछ संदेश भेज सकता था, यदि किसी बिल के या उसकी किसी धारा के या उसमें किये गये किसी संशोधन के कारण सावजनिक शांति व व्यवस्था का

खतरा पैदा होने की संभावना होती तो वह उस पर विचार रोक सकता था, विदेशी मामला या किसी राज्य से संबंधित या किसी शासक के चालचलन के बारे में या किसी शासकीय परिवार के बारे में होने वाले विवाद या प्रश्नों पर वह रोक लगा सकता था और इससे वह बिल कानून का रूप धारण कर सकता था। ऐसे बिल को वह रोक सकता था या उसे पुनः विचाराय वापस कर सकता था या इसे ब्रिटिश शासक के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सुरक्षित रख सकता था। विधायिका में तमाम विषयों पर बिलों का प्रस्तुतीकरण उसकी अनुमति के बिना संभव न था।

सिधे कानून बनाने के संबंध में गवर्नर ऐक्ट के संबंध में उसके अधिकार रुचिकर थे। वह बिल के प्रारूप को विधायिका में पारित होने हेतु भेज सकता था, पर यदि विधायिका यह कार्य एक महीने में न करती, तो गवर्नर इस बिल को कानून का रूप देने का अधिकार रखता था। वैसे तो विधायिका और मन्त्रिमंडल का ऐसे ऐक्ट के संबंध में कोई उत्तरदायित्व न होता था, पर इस ऐक्ट की भी शक्ति वैसे ही होती थी जैसी विधायिका द्वारा पारित बिल की।

इसके अतिरिक्त गवर्नर को दो तरह के अध्यादेश घोषित करने का अधिकार था अर्थात् ऐसे अध्यादेश जो सदन के न चलने के काल में घोषित हों और मन्त्रिमंडल अपने उत्तरदायित्व पर उन्हें घोषित कराये तथा ऐसे अध्यादेश जो गवर्नर अपने विवेकाधीन घोषित करे जिसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी होता था।

**आर्थिक शक्ति**—गवर्नर के आर्थिक अधिकार भी कम महत्व के न थे। सदन में बजट के आकलन व मांगें उसके आदेश व सस्तुतियाँ से प्रस्तुत किये जाते थे, प्राप्ति में राजस्व मद का निश्चय उसी से होता था। उसे अस्वीकृत मांग को स्वीकृत करने का अधिकार था और कटौती को भी समाप्त करने का।

**अनुदेश का प्रपत्र**—स्वेच्छा से एक अपनी व्यक्तिगत शक्ति के सही प्रयोग के लिये, गवर्नर हेतु अनुदेश प्रपत्र जारी किया गया था जिस राज्य सचिव न तैयार किया था और सदन के दोनों सदनों में स्वीकार किया था। किसी प्रपत्र में भावी परिवर्तन भी सदन के दोनों सदनों द्वारा स्वीकार किया जाता था। पर अनुदेश प्रपत्रों की कोई कानूनी औकात न थी क्योंकि यदि गवर्नर इनमें से किसी की अवहेलना करता तो वह इसके लिये किसी याचालय में उत्तरदायी न होता। इस प्रपत्र का मूल उद्देश्य स्वस्थ संवैधानिक परंपरा का विकास करना था।

वैसे तो विवेकाधीन शक्ति से गवर्नर किसी मंत्री को नियुक्त व बर्खास्त कर सकता था पर प्रपत्र उन पर राय दत्त थे कि वह उन्हें उनके मत से नियुक्त



करे जिनका विधायिका में स्थायी बहुमत है। मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व देना का परामर्श प्रपत्र देता था और ऐसे ही मंत्रियों के सामूहिक उत्तरदायित्व की बात वह करता था। उसे यह भी परामर्श दिया गया कि मंत्री सामूहिक रूप से निम्न सदन का विश्वास अर्जित किये हूय थे।

**मंत्रिमंडल—**गवर्नर को सहायता व परामर्श देने हेतु ऐक्ट के अंतर्गत मंत्रिमंडल का प्रावधान था। प्रांतीय विधायिका से ही गवर्नर मंत्रियों की नियुक्ति करता था और वे उसकी इच्छाकाल तक इन पदों पर बन रहते थे। विवेकाधीन शक्ति के अनुसार वह उनकी बैठकों का सभापतित्व कर सकता था। पर मंत्री गवर्नर के मपूर्ण नियंत्रण में नहीं थे। उनकी विधायिका से जुड़ी अपनी इच्छाएं भी थीं। इसका प्रावधान था कि विधायिका अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उन्हें पदमुक्त कर सकती थी पर वह उनका वेतन उनके कार्यकाल में नहीं बढ़ा सकती थी। इसके अतिरिक्त अनुदेश प्रपत्र भी गवर्नर से यह अपेक्षा करता था कि वह मंत्रियों की नियुक्ति उस व्यक्ति के परामर्श से करे जो विधायिका में स्थायी बहुमत रखता हो। पर गवर्नर के लिये यह अनुपयुक्त परामर्श था कि वह महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक जातियों में से भी लोगों को अपने मंत्रिमंडल में रखे क्योंकि यह बात सामूहिक नवृत्त के विरुद्ध जाती थी।

ऐक्ट में प्रांत में मंत्रियों की संख्या की सीमा निर्धारित नहीं की। यह संख्या अलग अलग प्रांतों में अलग अलग थी। सबसे अधिक 12 मंत्री बंगाल में थे और सबसे कम 3 उड़ीसा में थे। संसदीय सचिव का प्रावधान नहीं था पर अधिकतर प्रांतों में बहुमतदलीय सदस्यों में से यह नियुक्त कर दिया जाता था जो संसदीय और प्रशासकीय मसलों पर सहायता करते थे तथा भविष्य में मंत्री पद हेतु प्रशिक्षित लोगों को सूची में रखते थे। कांग्रेस ने संसदीय सचिव का वेतन 250 ₹० महीने उन प्रांतों में निश्चित किया जहाँ उसने मंत्रिमंडल बनाया।

**मूल्यांकन—**इस तरह यह स्पष्ट है कि यदि प्रांतीय स्वायत्तता वास्तविक नियंत्रण के मसले पर मजाक थी तो यह कायपालिका मशीनरी के आंतरिक मसले में और मही थी। सिद्धांत रूप में ब्रिटिश संसद और राज्य सचिव प्रांतों में नियंत्रण अधिकार से पूर्णतया मुक्त कर दिये गये थे, पर व्यवहार में 1937 में राज्यसचिव लाड जटलडन स्वीकार किया, "इस देश की संसद सीमित पर स्पष्ट रूप से परिभाषित दायरे में अपने अपने हाथ में महत्वपूर्ण बातों पर नियंत्रण रखती है—जिस गवर्नरों का विशेष उत्तरदायित्व कहा जा सकता है। गवर्नर की विवेकाधीन शक्ति एक व्यक्तिगत निष्पक्ष गवर्नर



वनाने के उसके अधिकार उसकी अथ सवधी शक्ति जिसके अतगत वह उन मदा का निणय करता था कि किन पर मत लिया जा सकता है और किन पर नहीं व उह पारित करना अस्वीकार करना तथा कटौती समाप्त कर तत्सवध म कानून बनाना आदि सभी उत्तरदायी सरकार के योग्य प्रावधान नहीं थे । पर इनम सवस बेहूदी धारा 93 थी जिसके अतगत सविघात समाप्ति की घोषणा कर वह सपूण प्रशासकीय शक्ति अपने हाथ म ले लेता था । इन विवरणा क सदभ म यह कहना अतिशयावित न हागी कि प्रातीय स्वायत्तता गवनर की स्वायत्तता थी जिसकी प्रतिष्ठा परपराओ स ढकी थी और प्रशासन पर उसका प्रभाव अकथनीय था ।

गवनर के लिय निर्धारित अनुदेश प्रपन्न सोद्देश्य था । इस तरह के दस्तावेज स्वतन्त्र उपनिवेशो म विस्तार से प्रयोग मे लाये गये थे जिससे व्यवहार रूप म स्वायत्तता के दशन होत थे । पर स्वतन्त्र उपनिवेश के सवध म यह इसीलिय सभव हुआ क्योकि इसकी ससद द्वारा स्वीकृति आवश्यक नहीं थी । पर भारत के मामले म ससद ने गह सरकार को भी विश्वास मे नहीं लिया क्योकि इसस प्राता मे उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो जाती । दस्तावेज मे सशोधन का अथ था ससद द्वारा निश्चित रूप से उसकी स्वीकृति ।

**प्रातीय विधायिका**—ऐक्ट ने प्रत्येक प्रात म एक विधायिका का प्राव धान किया । असम, बंगाल, बिहार, यू० पी०, बम्बई और मद्रास मे ब्रिटिश ताज जिसका प्रतिनिधित्व गवनर करता था तथा बहा दो सदन थे—लेजिस्लेटिव कौंसिल तथा लेजिस्लेटिव असेम्बली । अथ प्राता मे गवनर के अतिरिक्त लेजिस्लेटिव असेम्बली नामक एक ही सदन होता था ।

लेजिस्लेटिव कौंसिल अथवा द्वितीय सदन—द्वितीय सदन की रचना का भारतीया ने इसलिय विरोध किया कि यह पूण रूप से निहित स्वार्थी प्रति क्रियावादी जीर रुढिवादी सदस्यो द्वारा नेतृत्व ग्रहण करेगा जो देश के प्रगतिवादी कानून को आगे बढने का अवसर नहीं प्रदान करेगा । इसके अतिरिक्त उनका तब था कि विधायिका द्वारा शीघ्र निणय के विरुद्ध आवश्यक सुरक्षात्मक कदम उठाये जा चुके थे जो गवनर अपन विवेकाधीन शक्ति एव व्यक्तितगत निणय के अतगत प्रयोग मे ला सकता था । इस तरह द्वितीय सदन की कोई आवश्यकता न थी । यह भी सरल न था कि इस सदन के लिय धान्य व वयोवृद्ध सदस्य सुलभ हो सके ।

सभवत इही कारणो से दिसदनीय व्यवस्था को 1919 म माटग्यु एव वेम्सफोर्ड ने अस्वीकार कर दिया था । पर 1935 के ऐक्ट न इन म कुछ और गुणा का अवलोप्न किया और इह कुछ प्राता म प्रतिरूपित किया । इसके प न म जो तक दिय गये थ, व थ इसम उन लोगो की सेवाय प्राप्त

की जा सकेंगी जो चुनाव लड़ना न पसंद करते, जमींदारों व पूजीपतियों का प्रतिनिधित्व आवश्यक था, गवर्नर की विशेष शक्ति उतनी सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकती थी जितना कि यह द्वितीय सदन और इसके अतिरिक्त इसके माध्यम से एक विशिष्ट और परिपक्व ज्ञान की प्राप्ति होगी जो अति उत्साही राष्ट्रीय प्रगति के लिये प्रतिभार होगा।

उस समय ये तक भारतीयों को नहीं भाते थे, पर आश्चर्यजनक रूप से द्विसदनीय परंपरा स्वतंत्र भारत के कुछ प्रांतों में आज भी चल रही है। ऐसा संभवतः इसलिए है क्योंकि आज द्वितीय सदन के लिये और सुयोग्य लोग उपलब्ध हैं, बुलीना, पूजीपतियों आदि के अनुभव से लाभ उठाया ही जाना चाहिये, और द्वितीय सदन तब तक तो चलता ही रहना चाहिये जब तक अनुभव से लाभ की जगह हानि न होने लगे। और अब ये सदन एक प्रांत से दूसरे प्रांत में समाप्त किये जा रहे हैं।

रचना और अधिकार—विभिन्न प्रांतों में लेजिस्लेटिव कौंसिलों का आकार प्रकार भिन्न था। बंगाल में जहाँ कौंसिल की सदस्यता 63 और 65 के बीच होनी थी वहाँ बम्बई में इसे 29 और उनके बीच मद्रास में 54 और 56 के बीच, असम में 21 और 22 के बीच बिहार में 29 और 30 के बीच तथा यू० पी० में 58 और 60 के बीच होनी थी। ऐक्ट के अंतर्गत कौंसिल में कुछ सीटों पर गवर्नर लोगों को नामित करता था। उदाहरणार्थ, बंगाल में गवर्नर 8 से 10 लोगों का नामित करता था। पर शेष सदस्यों का चुनाव होता था। बंगाल और बिहार की कौंसिलों में 2/5 सदस्यों को उनके लेजिस्लेटिव एसेम्बलियों से चुना जाता था जिसका आधार था एक हस्तांतरणीय मत के आधार पर जानुपातिक प्रतिनिधित्व। कौंसिल स्थायी संस्था थी जिसके 1/3 सदस्य प्रति तीसरे वर्ष पदमुक्त होते थे।

लेजिस्लेटिव एसेम्बलियों की संख्या भी प्रांतों में भिन्न थी। बंगाल में यह सदस्य संख्या 250 थी, बम्बई में 175, मद्रास में 215, असम में 108, बिहार में 152, यू० पी० में 288 सेंट्रल प्राविंसेज एंव वरार में 112 पंजाब में 175, सिंध और उड़ीसा में प्रत्येक में 60 तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 50। एसेम्बलियों में सरकारी गुट समाप्त कर दिये गये और उनकी सभी सीटें अब सीधे चुनाव से भरी जाने लगीं। इसका काल 5 वर्ष का हुआ। पर गवर्नर इस इसके पूर्व भी समाप्त कर सकता था।

1932 के रेम्जे मकडोनाल्ड के 'वेहूदे कम्युनल अवाइड' की सन्तुष्टियों के आधार पर दोना सदन में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत भिन्न भिन्न 16 सम्प्रदायों व वर्गों को अलग-अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, अर्थात् (1) सामान्य सीटें जा मुख्यतया हिंदुओं

क नियम थी, पर इसमें पारसी जसा कुछ और जातिया सम्मिलित थी जिन्हें अलग में प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हुआ (2) सामान्य सीटें जा अनुसूचित जाति क नियम लागू न थी जिनका कि पूना पैक्ट में मदभ आ चुका है (कम्युनल जनरल में पूना पैक्ट योजना को ही परिवर्तन के तौर पर जाड़ा गया) (3) मुसलमान (4) गिच (पंजाब तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में), (5) यूरोपीय (6) भारतीय इसाई (7) आंग्ल भारतीय (8) विछड़े क्षेत्र एक कर्बान (9) महिलायें (सामान्य) (10) महिलायें (मुसलमान) (11) महिलाय (गिच) (12) महिलायें (भारतीय इसाई) (13) महिलायें (आंग्ल भारतीय) (14) श्रमिक (15) जमींदार, (16) व्यापार एक उद्योग एक (17) विरवविद्यालय। इस तरह एक हिन्दू कवल हिन्दू मुसल मान कवन मुसलमान क नियम मत दे सकता था। और यह विभाजन प्रत्येक परिवार में कर दिया गया जहां पति कवल पुरुष को और पत्नी केवल महिलाओं का ही मत दे सकती थी।

राजस्वटिव एमम्बली में एक सदन क सदस्य अपन में से एक स्पीकर तथा एक डिप्टी स्पीकर का चुनाव करते थे। ये अध्यक्ष सदन को कायदाही का काय मभालत थे और किसी मसल पर बराबर मत आने पर अपना विणायक मत का प्रयोग करते थे। कोई भी व्यक्ति दादा मदाना का सन्म्य नहीं हो सकता था और न ही प्रांत क एक सदन का तथा केंद्र क सदन का भी। प्रत्येक सन्म्य को भाषण की स्वतंत्रता थी। यह प्रश्न आदि पूछ सकता था। सन्म्य का ध्यान व भत्ता विधायिका ही तय करती थी। मंत्री का किसी सदन का महाधिव करन का अधिकार था, पर वह मत यही दे सकता था जिन सदन का वह सन्म्य था। उम्मी तरह में एडवोकट जनरल किसी भी सदन में बैठ सकता था और कायदाही में भाग ले सकता था, पर उम मा दन का अधिकार नहीं था। गवर्नर का मत सन्म्य का कि सदन की बैठक 6 मां क अन्दर हो जाय।

महाधिवार एक घोषणापत्र—एक में महाधिवार एक घोषणापत्र का परिभाषित था। दिया गया था। जनरल विधायिका आंग्ल इन कीमिन्ट द्वारा हो ता था जो एक मसल में महाधिवार का मत पार कर अन्तर्गत में सन्म्य मासिकित्व सन्म्य की सन्म्यिका का आधार कर गया थी। 1919 क एक क सन्म्यिकार क सन्म्यिकार घोषणा का दावा रखा गया। पर सन्म्यिका का और सन्म्यिका का सन्म्यिकार कुछ सन्म्यिकार भी न था सन्म्यिकार उ म्य 10% अनुसूचित जाति गया सन्म्यिका सन्म्यिकार का सन्म्य 115000 में सन्म्यिकार 6000000 कर गया था। सामान्यतया सन्म्यिकार में सन्म्यिका का और सन्म्यिका का सन्म्यिकार सन्म्यिकार का सन्म्यिकार का

यायाधीश विश्वविद्यालय के सीनेटर सम्राट की सत्ता के पद निवृत्त व पेशनभोक्ता सैनिक तथा साम्प्रतिक योग्यता रखने वाले लोग व शिक्षा की योग्यता रखने वाले लोग (मैटीकुलट) को मत देने तथा चुनाव खंडन का अधिकार था। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को 21 वर्ष का होना चाहिए था, जहां मतदाता को मत देना हो वहां उसे कुछ काल तक रहा होना चाहिये था जैसे बम्बई में 180 दिन तथा मद्रास में 120 दिन, उसे ब्रिटिश प्रजा होना तथा एक राज्य की प्रजा होना चाहिये था, उसे मुस्लिम क्षेत्र में मुसलमान सिख क्षेत्र में सिख होना चाहिये था। विश्वविद्यालय क्षेत्र में सीनेटर या 7 वर्ष पुराने ग्रेजुएट ही मत दे सकते थे।

मताधिकार योग्यता में प्रातो प्रातो में अंतर था। कौंसिल के निये यह योग्यता एसेम्बली की तुलना में ऊंची थी पर मताधिकार में अब सामान्य विस्तार के कारण जहां पहले 3% लोगों को ही यह अधिकार था अब यह संख्या बढ़कर 14% हो गई।

**विधायी शक्तियाँ**—प्रातीय विधायिका की शक्तियाँ को तीन भागों में बाटा जा सकता है यथा विधायी, आर्थिक तथा कायपालिका संबंधी। अपनी विधायी शक्तियों में प्रातीय विधायिका प्रातीय व समवर्ती सूची के सब विषयों पर कानून बना सकती थी। प्रातीय सूची में स्थानीय महत्व के विषय थे जैसे स्थानीय स्वशासन एवं जन स्वास्थ्य, जबकि समवर्ती सूची में प्रातीय तथा राष्ट्रीय दोनों हितों के विषय थे जैसे बीमा, नौकरी की कमी तथा अपराध के निरोध हेतु कानून।

पर प्रातीय विधायिकाओं के कानून बनाने की शक्ति पर अकुश भी थे। उदाहरणार्थ, इसे ऐसा कानून बनाने का अधिकार नहीं था जो ताज की संप्रभुता पर प्रभाव डालता हो, इसे ऐसे कानून भी बनाने का अधिकार नहीं था जो ब्रिटिश प्रजा के विरुद्ध भेदभाव पैदा करे या ब्रिटिश व्यापार हितों को हानि पहुँचाय। समवर्ती सूची में प्रातीय एवं संघीय कानून के बीच संघर्ष की स्थिति में संघीय कानून ही सर्वोपरि होते थे चाहे वे प्रातीय कानून के बाद बने हों या पहले।

इसके अतिरिक्त विधायिका के ऐसे कानून, जो संघ के कानून पर प्रभाव डाल सकते थे, उनके लिये रचना से पूर्व गवर्नर जनरल से पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक था जिसमें आते थे—गवर्नर जनरल द्वारा विवेकाधीन पारित एक्ट या अध्यादेश, गवर्नर जनरल की विवेकाधीन स्वतंत्रता, यूरोपीय ब्रिटिश प्रजा के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा। विवेकाधीन पारित किसी एक्ट या अध्यादेश के लिये गवर्नर जनरल से पूर्व अनुमति लेना जरूरी था। ऐम ही पुलिस बल के लिये भी यह आवश्यक था।

विधान बनाने की प्रक्रिया वही थी जो ब्रिटिश संसद में थी। धन संबंधी बिल को छोड़कर कोई भी बिल किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता था। पर धन संबंधी बिल केवल लेजिस्लेटिव एसम्बली में ही प्रस्तुत हो सकता था। एक सदन जब दूसरे सदन का बिल भेजता था उससे पूर्व उसके तीन पाठन होते थे और यदि दूसरा सदन उस उरी रूप में बिना किसी संशोधन के पारित कर देता या एस संशोधन सहित पारित कर देता जो पहले सदन को माय होता तो एस बिल को गवर्नर के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर दिया जाता। दोनों सदनों में मतभेद एक स्थान पर बैठकर निवटाये जा सकते थे। ऐसी बैठकें गवर्नर अपनी विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत बुलाता था।

विधायिका से बिल पारित हो जाने और गवर्नर के पास उसे स्वीकृति हेतु प्रेषण के बाद विधायिका को पुनः अपनी शक्ति में सीमाओं का अनुभव करना पड़ता था। (1) यदि गवर्नर एस बिल को स्वीकृति प्रदान कर देता तो वह कानून हो जाता। पर यदि उस पर वह अपनी स्वीकृति रोक देता तो वह बिल समाप्त हो जाता और विधायिका का सारा परिश्रम बेकार जाता। (2) गवर्नर बिल को अपनी सस्तुतियां सहित विधायिका को वापस कर सकता था और उनमें सुधार करने के बाद उन्हें पुनः मांग सकता था। (3) वह बिल को गवर्नर जनरल के विचाराय सुरक्षित रख सकता था और गवर्नर जनरल उस स्वीकार कर सकता था या अस्वीकार या इसे विधायिका के पास वापस कर सकता था या इस ब्रिटिश ताज के लिये आरक्षित रख सकता था। (4) यदि ब्रिटिश ताज के लिये आरक्षित विचाराय बिल 12 माह के अंदर (गवर्नर जनरल द्वारा प्रस्तुत किये जाने के बाद) सबके समक्ष अधिमूर्चित हो जाता तो यह ऐक्ट बन जाता अथवा समाप्त हो जाता। (5) गवर्नर या गवर्नर जनरल की स्वीकृति से पारित ऐक्टों को भी ब्रिटिश ताज इसकी स्वीकृति के 12 महीने के भीतर अस्वीकार कर सकता था।

आर्थिक शक्तियां—वित्त वर्ष प्रारम्भ होने के पूर्व गवर्नर सदन या सदनों के पटल पर वार्षिक अथ विवरण प्रस्तुत करने को कह सकता था। इस विवरण में अलग से यह बताया जाना आवश्यक था कि प्राप्त राजस्व से उनके व्यय कसे पूरे पड़ेंगे तथा उन व्ययों की पूर्ति कैसे होगी जिसके लिये कोई वसूली नहीं हुई है। गवर्नर के उत्तरदायित्व के वहन पर होने वाले व्यय का अलग से दिखाया जाता था।

प्राचीन राजस्व के खाते से हानि वाले व्यय अधोलिखित थे (1) गवर्नर का वेतन भत्ता तथा उसके कार्यालय पर होने वाला व्यय (2) का जादि लेने के लिए किये जाने वाले व्यय, (3) मंत्रियों और एडवोकेट जनरल का वेतन

व भत्ता, (4) उच्च न्यायालय के चायाधीशो का वेतन व भत्ता, (5) बहिष्कृत धोत्रो मवधी व्यय, (6) न्यायालय के फैसले के जाधार पर धन अदायगी, (7) और अय कोई व्यय जो एकट के अतगत देय हो। प्रथम व्यय को छोडकर अय व्यया के सत्रध मे विधायिका मे विचार हो सकता था, पर इस पर मत नही लिया जा सकता था। दूसरा व्यय विधान सभा के समक्ष अनुदानो की भाग के रूप मे रखा जाता था और इस पर मतदान होता था। विधान सभा इसे स्वीकार कर सकती थी या इसमे कटौती कर सकती थी। पर वह न तो इसे परिवर्तित कर सकती थी और न बढ़ा सकती थी।

विधायिका की आर्थिक शक्ति पर कुछ गभीर सीमार्यो भी थी (1) व्यय का प्रस्ताव कायपालिका के माध्यम से ही आ सकता था, व्यक्तिगत रूप से इसे कोई सदस्य नही ला सकता था, (2) प्रा तीय राजस्व के रूप म जो धन लिया जाता उस पर विधायिका को मत देने का अधिकार नही था। गवनर के वेतन और भत्ते पर विचार तक नही हो सकता था। विधायिका के मताधिकार के अतगत मंत्रियो के वेतन व भत्ते को न रखना ससदीय नही था, (3) जिन व्यया पर मत लिया जाता था, गवनर उनके अस्वीकृत मद को वहाल कर सकता था और विधायिका द्वारा आरोपित कटौती को समाप्त कर सकता था, और (4) इसके अतिरिक्त गवनर की सस्तुति के बिना विधायिका निम्न विषयो पर किसी बिल पर विचार नही कर सकती थी—(अ) उधार लिय गये रुपये को नियमित करना, (ब) कर लगाना या बढ़ाना और (स) व्यय म वद्धि करके इसे प्रातीय राजस्व से प्राप्त करना।

जब विभिन्न मागो पर विधायिका अपना मत दे चुकती तो गवनर द्वारा हस्ताक्षरित एक अनुसूचित पत्र निम्न विवरणो के साथ आ जाता। (1) विधायिका द्वारा स्वीकृत अनुदान। (2) अस्वीकृत और कम किये गय तथापि अपने उत्तरदायित्वा के निर्वाह के लिये धनराशि को पूरा करने का आदेश। (3) प्रातीय राजस्व पर लिया गया व्यय। इसके बाद यह अनुसूचित पत्र विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता, पर इस पर विचार नही किया जा सकता था। पूरे वष के लिये व्यय इसी अनुसूचित पत्र के अनुसार करना पडता था। यदि उसमे वृद्धि की आवश्यकता पडती तो इसे पूरक मागो द्वारा पूरा किया जाता।

कायपालिका शक्ति—प्रातीय मंत्री वस्तुत विधायिका द्वारा नियुक्त किये जाते और हटाये जाते थे। ऐसा इसलिए था क्योकि वह जविश्वास का मत प्रस्तुत कर सकती या मन्त्रिमडल द्वारा प्रस्तुत कानूना को रोक सकती और इस तरह इसे हटा सकती थी। इसके अतिरिक्त दोना सदन प्रश्न और पूरक प्रश्न कर सकते थे, निश्चित विधि से काय करने का प्रस्ताव पारित कर



सकत थे, काय स्थगन का प्रस्ताव रखकर महत्वपूर्ण जन मसला की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर सकत थे और मुविधा म काय करन के लिय नियम बना सकत थे । इन तमाम विधिया स य मन्त्रिया का जीवन सुभर कर सकत थ ।

पर उनकी शक्ति की सीमायें भी थी । गवर्नर प्रांत म शानि और व्यवस्था को लेकर अपन उत्तरदायित्वा के निर्वाह के नाम पर वह अपनी विवेकाधीन शक्ति के द्वारा किसी बात पर विचार करना रोक सकता था । विधायिका को यह अधिकार नहीं था कि वह उच्च न्यायालय या सपीय न्यायालय के किसी न्यायाधीश के काय पर विचार करे । विवेकाधिकार का आधार पर वह आर्थिक कार्यों का पूण करन की कायवाही की व्यवस्था कर सकता था और विदेशी राज्य या राजा स सबध के विषय म फसला कर सकता था । इस अधिकार के अतगत वह किसी भारतीय राजा या उसका परिवार के किसी सदस्य तथा किसी कबीले या बहिष्कृत क्षत्र के विषय म भी निणय ले सकता था पर व्यय के आवलन के सबध मे उसका यह मत नहीं था । गवर्नर इन सभी विवेकाधिकारों का प्रयोग प्रमुख अधिकारिया की राय स करता था ।

एन मूल्याकन—इस तरह 1935 के एक्ट के अतगत बनाई गई प्रातीय विधायिका 1919 के एक्ट स बेहतर थी । सदन का आकार भी विस्तृत कर दिया गया, प्रत्यक्ष चुनाव प्रारंभ कर दिय गये एवं नामित गर सरकारी सदस्यों की परपरा विधान सभा से समाप्त कर दी गई । बसे परिपद म इस तरह के कुछ सदस्य बनाये रखे गये । मताधिकार की योग्यता घटा दी गई और इनके सदस्य का कायपालिका के नियंत्रण व आनोचना का अधिक अधिकार हुआ । मन्त्रिमंडल को सदन के अविश्वास मत द्वारा हटाया भी जा सकता था ।

पर अभी जीर भी बहुत कुछ होना था । ब्रिटिश सम्राट को विधायिका का अभिन जम बनाये रखना बेतुकी बात थी । प्रतिन्रियावाद का गठ द्वितीय सदन छ प्रांतो पर उनकी इच्छा के विरुद्ध आरोपित कर दिया गया । मन्त्रियों को माय का अधिकार था पर विधान सभा को समाप्त करने का अधिकार नहीं दिया गया । साम्प्रदायिक एवं वर्गीय प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया गया और कुछ सम्प्रदाया को आवश्यकता से कम प्रतिनिधित्व दिया गया । मद्रास जीर यू० पी० म रुमज अपने 71% जीर 14.8% जनसंख्या के बावजूद मुसलमानों को 13% और 27% प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया । अपन 13.5% म भी कम जनसंख्या के बावजूद युरोपीयों को प्रातीय विधायिका म 3% सीटें दी गई । मताधिकार की योग्यता घटने के बावजूद जब भी इतनी

ऊची थी कि वयस्को मे से 73% लोगो को मताधिकार नहीं प्राप्त था। कुछ मसला पर विधायिका के हाथ से शक्ति का अपहरण तथा प्रांतीय विधायिका में कुछ विला को प्रस्तुत करने से पूर्व गवर्नर जनरल एव गवर्नर से अनुमति देने की आवश्यकता तथा विधायिका पर अत्यधिक विधायी आधिकार और कार्यकारिणी सवधी सीमायें प्रांतीय स्वायत्तता को झुठला देते थे। प्रांतीय व्यय के अधिकतर भागो पर मत नहीं लिया जा सकता था और जिस व्यय के मद पर मतदान की आवश्यकता थी वह भी विधायिका के अधिकार की छिल्ली उडाता था। व्यय में किसी भी कटौती या जस्वीकृति को गवर्नर बहाल कर सकता था। यह कम दुर्भाग्यपूर्ण नहीं था कि पुलिस विभाग और उच्च सेवाओ को विधायिका की शक्ति परिधि के बाहर करके उस गवर्नर के हाथों सौंप दिया गया था। पर सबसे विचित्र बात यह थी कि गवर्नर को एक शक्ति के अतगत विधायिका की कार्य प्रगति रोक देने का अधिकार प्राप्त था।

इस तरह से चाहे बाह्य नियंत्रण की दृष्टि से देखा जाय अथवा जातरिख उत्तरदायित्व की दृष्टि से प्रांतीय स्वायत्तता में पूर्णता नहीं थी। बस महत्वपूर्ण प्रगति की जा चुकी थी पर पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता अभी कोसो दूर थी।

### दमन की दुहरी नीति

जसा कि निम्न विवरणा से स्पष्ट होगा ब्रिटीशमंडल में दमन एव राज नतिक-आधिक सुधारा की दुहरी नीति अपनाई।

#### 1931 का प्रेस ऐक्ट

जैसा हम देख आये हैं, गांधी जी ने द्वितीय असहयोग आंदोलन 1930 में प्रारंभ किया। यह बड़े भारतीय राजनैतिक जीवन में अत्यधिक उत्तेजना और साहसपूर्ण घटनाओं को लेकर उपस्थित हुआ। भारतीय प्रेस में इसने कम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं अदा की। इसीलिए इनकी स्वतंत्रता पर अकुश लगाने के लिए 1930 का प्रेस ऐक्ट पारित किया गया।

इस ऐक्ट में यह नियम बनाये गये कि (1) प्रेस और प्रकाशन के धारक का सरकार के पास सुरक्षा धनराशि जमा करने को बड़ा गया, (2) मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार 1,000 रुपये से 10,000 रुपये के बीच सुरक्षा धनराशि जमा करने पर ही छापेखाने को नवीन घापणा पत्र प्रदान किया जाना था (3) इतराजपूर्ण छपाई पर उपरोक्त सुरक्षा धनराशि जब्त की जा सकती थी (4) प्रांतीय सरकार भी कुछ प्रकाशना का जब्त कर सकती थी और सीमा शुल्क अधिकारियों का ऐम कागज पत्रों को रोकने का अधिकार

दे सकती थी। पर ऐसी जबती के विरुद्ध उच्च न्यायालय में प्रार्थनापत्र दकर निषेध लिया जा सकता था, (5) जो प्रेस या प्रकाशक बिना सुरक्षा धनराशि जमा किये अखबार निकालत या प्रेस रयत थे उन्हें दंडित किय जान की व्यवस्था भी इस ऐक्ट न की।

प्रातीय सरकारों को अखबार एवं प्रेसों के संबध में जो अधिकार इस ऐक्ट के अंतगत प्राप्त हुये वे बहुत विस्तृत थे। इससे बहुत से छापेखाना और प्रकाशकों को कठिनाइयां हुईं। कलकत्ता के 'लिवर्टी' से 6000 रुपये सुरक्षा धनराशि जमा करने का कहा गया जिसमें से अधिकतर जब्त कर लिया गया। इसी तरह बम्बई के 'बाम्बे ट्रान्जिक्लि के प्रकाशक को 3000 रुपये जमा करने को कहा गया जिसका कारण यह बताया गया कि उस अखबार में मि० हार्नीमैन ने एक इतराज भरा लेख लिखा था।

### 1932 का 'फारेन रिलेशंस ऐक्ट'

1932 में एक और प्रेस ऐक्ट पारित हुआ जिसमें ब्रिटीश सरकार ने 'फारेन रिलेशंस ऐक्ट पारित किया। इसके अंतगत ऐसे प्रकाशन को दंडित करने की व्यवस्था थी जो ब्रिटीश भारतीय सरकार और अन्य विदेशी मिन सरकारों के बीच संबध विगाडन में सहयोग करती थी। इस ऐक्ट की इसलिए आवश्यकता अनुभव की गई क्योंकि बहुत से अखबार पड़ोसी देशों के प्रशासकीय मसलों पर तत्कालीन लेख लिखते थे।

### 1934 का 'इण्डियन स्टेट्स प्रोटेक्शन ऐक्ट'

इस ऐक्ट को इसलिय पारित किया गया जिससे कि अखबार भारतीय राज्यों के प्रशासन की आलोचना न कर सकें। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य इन राज्यों में कार्य कर रहे अद्वैतवादी संगठनों का वह प्रयास रोकना था जो वहां अव्यवस्था पैदा कर सकता था। स्पष्टतः इस ऐक्ट का उद्देश्य इन राज्यों के लोगों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की धारा में सम्मिलित होने से रोकना था।

सिध—राजनैतिक आंदोलन को दबाने के लिए कूटनीति और कठोरता का प्रयोग करते हुए भी ब्रिटीश सरकार ने संबधानिक सुधारों की अनदेखी नहीं की। बम्बई प्रेसोडेसी से अलग होने के लिये सिध की मांग जोरों पर थी। मुसलमानों ने इस मांग को गोलमेज सम्मेलन में भी उठाया था और वे चाहते थे कि सिध एक पूर्ण प्रांत के रूप में स्वीकार किया जाय। इस मांग को करने के लिए एक समिति गठित की गई जिसमें सिध गवर्नर, विधायिका व सचिवालय सहित एक स्वतंत्र प्रांत बनाने की योजना तय करता था।

उत्तर पश्चिम सीमा प्रात—पर उसने उत्तर पश्चिम सीमा के लिए अधिक सुधार किया। यहाँ पर 1930 में लाल कुर्ती वाला के आंदोलन ने तूफान खड़ा कर दिया था। 1919 के सुधारों का लाभ देने के लिए उन्हें आश्वासन तो दिया गया था, पर उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। विर्लिग्डन ने इस ओर ध्यान दिया। वैसे तो प्रात में पूर्ण शांति स्थापित नहीं हो पाई थी पर मतदाता सूचिया इत्यादि तैयार की गईं, चुनाव सम्पन्न कराये गये और द्वैधशासन का लाभ इन्हें प्रदान किया गया। पर यह सब काय इन सदहों के बीच हुआ कि वहाँ के लोग उत्तरदायित्व की परंपरा से दूर हैं, वर्तमान सभ्यता उनसे बौंसो दूर है और शक्ति की अधीनता के वे आदी नहीं हैं। वातावरण में पूर्ण परिवर्तन आ गया और प्रात में सामान्य स्थिति उत्पन्न हो गई। पर इसे अत्यधिक खतरे का एक चिह्न माना गया।

कश्मीर समस्या—विर्लिग्डन सरकार को कश्मीर में एक लंबे अरसे के विद्रोह का सामना करना पड़ा। यहाँ पर अनाजों का भाव गिर गया था जिसके कारण मुस्लिम किसानों ने विद्रोह कर दिया। चूँकि अधिकतर जमींदार, व्यापारी और सौदागर हिंदू थे, इस कारण इन गरीब मुसलमानों की इस आर्थिक कठिनाई ने एक धार्मिक स्वरूप ग्रहण कर लिया था। एकाएक 'जिहाद' घोषित कर दिया गया जिसके फलस्वरूप कश्मीर महाराजा की उदारता और विशाल हृदयता भी कुछ खास प्रभाव न डाल सकी। पंजाब और उत्तर पश्चिम भारत से मुस्लिम जत्थे प्रकट होने लगे। "आगजनी और हत्या का नगा नृत्य होने लगा, इस हिंदू राज्य में हो रहे मुस्लिम प्रतिक्रियावादी आंदोलन से पूर्ण भारत के मुसलमान हमदर्दी जताने लगे। अत्यधिक उग्र मुस्लिम समाचार पत्रों ने मोटी मोटी सुखियों में हत्या और आगजनी के विवरण प्रसारणतापूर्ण मुद्रा में छापे और इस हत्यानाड की सफलता का बखान किया।"<sup>1</sup> महाराजा के निवेदन पर विर्लिग्डन ने स्थिति पर नियंत्रण हेतु एक शक्तिशाली सैनिक टुकड़ी भेजी। इस तरह की अपवाह थी कि सरकार महाराजा को पद से हटाना चाहती है। स्पष्टतया इन परिस्थितियों में मुसलमानों के जीवन की हानि देश की मुस्लिम राजनीति पर भी प्रभाव डाल सकती थी, पर दूसरी ओर यदि सरकार शांति और व्यवस्था स्थापित न करती तो हिंदुओं की सदेहशीलता में वृद्धि हो जाती। कट्टर मुस्लिम जत्था से सीधे सघप से बचा जाना था और ब्रिटिश सैनिकों को इस आदेश के अंतर्गत काय करना था कि वे जहाँ तक संभव हो एक नतिव शक्ति के रूप में काय करें। छ महीने में शांति की स्थापना हो गई और इस तरह मुस्लिम कठिनाइयाँ तथा हिंदुओं का भय जाता रहा। महाराजा को एक विम्वृत मताधिवार के आधार

पर चुनी गई विधान परिषद का उदघाटन करने को तयार किया गया तथा उससे विस्तृत रूप से राजक्षमा करने को भी कहा गया ।

**आर्थिक सुधार**—विलिंग्डन न आर्थिक सुधारों की ओर भी ध्यान दिया । भारत के किसानों की स्थिति में सुधार के लिये बहुत से व्यावहारिक कदम उठाये गये । विदेश व्यापार के विकास के लिए विश्व की आवश्यकतानुसार खेती की फसलों का प्रोत्साहित किया गया । आटावा म होने वाले 'इम्पीरियल इकोनामिक वाफे'स में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल भेजा गया जिससे भारतीय कृषि उत्पादन के लिए उचित शर्तों पर व्यापार की बात तय हो सके । सैनिक बजट में विस्तृत कटौती की गई और विलिंग्डन के अर्थ प्रयासों से व्यापार और उद्योग में काफी सुधार हुआ । विलिंग्डन ने इसीलिए गवर्नर कहा, 'आयात में कटौती इस बात का चिह्न है कि भारत अब अधिक अपने ही औद्योगिक उत्पादन पर निर्भर कर रहा है । इसके कारण ही देश सतुलन में भी बढ़ि हा गई है जिससे भारत की आंतरिक स्थिति शक्तिशाली हो गई है । हमारी स्थिति यह हो गई कि अब हमारा देश किसी और की तुलना में खड़ा हो गया है ।'

**वदेशिक संबंध**—विलिंग्डन का बर्मा और चीन के अनिर्धारित सीमा की समस्या का भी एकाएक सामना करना पड़ा जहाँ जटिल प्रशासित कबीले शांति के लिए समस्या बन जाते और इस तरह अंतर्राष्ट्रीय पेशीदगी पैदा कर देते थे । वायसराय ने चीन में ब्रिटिश प्रतिनिधि की सेवाओं की सहायता ली । चीन से बातचीत प्रारंभ की गई और कुछ सिद्धांत बनाये गये जिनके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ निर्धारित की गई । इसके परिणामस्वरूप बर्मा और चीन के बीच एक पुराना भेदभाव समाप्त हो गया ।

चीनी अधिकार में काशगर में कुछ विद्रोह हुये । एक अति गंभीर विद्रोह में टोगन विद्रोहिया ने ब्रिटिश कौंसिल के ऊपर आक्रमण कर दिया । उस नगर में स्थित भारतीय व्यापारियों को लूट लिया गया जिसके कारण उनमें से बहुतों का भारत में शरण लेने के लिये भागना पड़ा । विलिंग्डन सरकार ने तुरंत हस्तक्षेप किया । चीनी सरकार ने इस बात के लिए माफी मागी कि उसके कारण कमिनेट की तटस्थता का उल्लंघन हुआ है । चीनी सुविस्तान में भारतीय हिता की रक्षा के लिये कदम उठाये गये और इस तरह एक अंतर्राष्ट्रीय पेशीदगी समाप्त हुई ।

1933 में तिब्बत के दलाई लामा की मृत्यु हो गई । उसकी मृत्यु के कारण प्रभुत्व प्राप्त हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तरों की सभावनाएँ बढ़ गई । दलाई लामा का पुनर्जन्म होने तक एजेंट की नियुक्ति से ब्रिटिश मंत्री संबंध बहाल नहीं बन रहे जब कि दलाई लामा के बात में थे । इस तरह ब्रिटिशों के

विरुद्ध तिव्रत पर विदेशी प्रभाव टल गया ।

भारत सरकार और जापान के व्यापार में इसी बीच कुछ कठिनाइयाँ आईं पर इन पर 1905 के आग्ल जापानी कामर्सियल क वे शन द्वारा नियंत्रण कर लिया गया । ऐसा इसलिये हुआ कि जापानी धन का अवमूल्यन हो गया जिसके फलस्वरूप भारत में सूती माल का ढेर लग गया । इनकी कीमत इतनी घट गई कि उससे कम कीमत पर भारत में भी वह सामग्री मिलनी कठिन थी । प्रचलित कर भी भारतीय हिता की रक्षा नहीं कर सके जिसके फलस्वरूप सरकार ने करों में कुछ परिवर्तन करके दृढता से आग्ल जापानी कंवेशन की भत्सना की । जापान से नये सिर से बातचीत प्रारंभ हुई जिसके फलस्वरूप एक अन्वय कंवेशन किया गया और दोनों दलों के बीच अप्रैल 1934 में एक प्रोटोकॉल स्थापित हुआ । इसके परिणामस्वरूप भारत और जापान के बीच जा मतभेद पैदा हो गया था और जा बहुत गंभीर था समाप्त हो गया । भारतीय टक्सटॉल हिता की रक्षा हुई और जापान में बपास क स्थायी बाजारों की स्थापना हुई ।

**सीमा समस्याएँ—**उत्तर पश्चिम सीमा प्रायः म भी कुछ विद्रोह हुए । 1933 में जपान अर्द्ध स्वतंत्र राज्य से मोहमदा न एकाएक हलिनजाई पर आक्रमण कर दिया जहाँ के लोग ब्रिटिशों के प्रति स्वामिभक्त थे । सभासना होने लगी कि यह विद्रोह पूरी सीमा में बढ़ जायगा । सरकार ने शीघ्र बंदम उठाया और सेना भेजी जिसने विद्रोही तत्त्वों को तितर-बितर कर दिया ।

पर मोहमद क्षेत्र में प्रारंभ होने वाला विद्रोह और उत्तर पश्चिम में बाजौर में होने वाले विद्रोह की एक भूमिका मात्र थी । यहाँ पर बातें उतनी सीधी साधी न थीं क्योंकि यहाँ के गाँवों में पहुँचना सरल न था और इस तरह यहाँ कायवाही करना भी कठिन था । पूरी बात पर विचार क बाद कुछ एम प्युब्लिसिटी का नाटिसें जारी की गई जिनके पास शरण पान क लिय लागू गटारा रहे थे । उनसे विद्रोहियों को वापस करने को कहा गया । "स काय में सहायता कराने वाला का इनाम दान की भी घोषणा की गई । पर जब हमका कोई प्रभाव नहीं हुआ तो हवाई जहाज से कायवाही क आदेश दिया गया । इंग्लैंड में इस कायवाही की बड़ी आलाचना हुई कि बगुनाहा पर हवाई हमल किया गया और तमाम धन क जीवन की हानि की गई । लाड विनिंग्टन न हमका उत्तर में कहा और अपने आलोचकों का आश्चर्य किया कि "म आक्रमण में बचने के लिय पर आक्रमण किया गया है और यहाँ भी कम गिराव जाय क पूव आग्लयक आगाह करने की सूचनाएँ प्रसारित कर दी गई थी और लागू न अपने घराबाघाड दिया था । इस तरह हम आक्रमण का प्रभाव आर्थिक अधिक था । जा भी हा सरकार की एक गंभीर कायवाही में उन क्षेत्र में गुन हानि स्थापित हो गई ।

विलिंग्डन 1936 में भारत सेवा से पदमुक्त हो गया। इंग्लैण्ड पहुँचते ही उसे मार्क्स का पद प्रदान कर दिया गया। 1941 में उसने दक्षिणी अमेरिका में एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नतृत्व किया और 12 अगस्त 1945 में अपनी मृत्यु से पूर्व कई महत्वपूर्ण पद ग्रहण किये। 'उसने उत्तम स्वास्थ्य सदेच्छा एवं सुंदर स्वभाव से उसे जीवन-भर प्रसन्नता प्रदान की। वह जीवन के अंतिम क्षणों तक कार्य व्यस्त रहा।'<sup>1</sup>

1 भारत विस्फोट प्रबोधन प 144।

## मार्क्विस लिनलिथगो

(1936-1943)

### प्रान्तीय स्वायत्तता की कार्यवाही

विक्टर अलेक्जान्डर जान होप का जन्म 24 सितंबर 1887 को हुआ। वह लिनलिथगो के प्रथम मार्क्विस और होपटाउन के सप्तम अल का सबसे बड़ा पुत्र था। उसकी शिक्षा ईटन में हुई और 1908 में वह अपने पिता की उपाधिया का उत्तराधिकारी हुआ। 1911 में उसने सप्तम बरो सर फ्रेडरिक मिल्लर की पुत्री डोरीन माडस विवाह किया। वह 1922 में एडमिरैल्टी का सिविल साइ हो गया। 1924 में वह कजग्वेटिव दल का डिप्टी चेयरमैन हो गया तथा 1926 में वह भारत में कृषि के रॉयल कमीशन का चेयरमैन हो गया। उसने इस कार्यालय में 1928 तक काम किया और इसी समय उसे जी० ई० सी० आई० ई० बना दिया गया। उसे थिसिल के नाइट की उपाधि भी प्रदान की गई। जब 1951 में सदन के दोनों सदनों की संयुक्त समिति गठित की गई, जिसका उद्देश्य 1935 के भारतीय अधिनियम का पथ प्रशस्त करना था तो लिनलिथगो को इसका चेयरमैन बनाया गया। यह एक महत्वपूर्ण पद था, और जब 1936 में विरिग्डन पदमुक्त हुआ तो उसे ही स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना गया।

18 अप्रैल 1936 को लिनलिथगो ने अपने पद ग्रहण की शपथ ली और उसके बाद उसने भारत के लोगों के समक्ष अपना भाषण प्रसारित किया। प्रसारित भाषण में उसने कहा 'आप लोग अपने घरों में अपने प्रियजनों सहित मेरी बात सुन रहे होंगे। मरी यह इच्छा है कि मैं आपको यह बताऊँ कि मैंने सम्राट के प्रति स्वामिभक्त बने रहने का वादा किया है और साथ ही भारत की सेवा करने का भी। मैं इस बात के लिय सचेत था कि मैं मात्र अपने लिये ही नहीं बल्कि आपकी ओर से भी बोल रहा हूँ। मरी विश्वास है कि इस पुनीत अवसर पर हमारा साथ आप सभी अपनी मातृभूमि तथा साधिया की सेवा की शपथ लेंगे।' भारतीय बच्चा को संबोधित करते हुये उसने कहा, "बच्चा! मैं तुमसे सम्राट के प्रतिनिधि वायमरॉय के रूप में बोल



रहा हूँ, जोर एक मित्र की हैसियत से भी। यह याद रखा कि जब तुम बटे होगे तो तुम्हारे साथ ही देश की प्रतिष्ठा जुटी रहेगी। ईश्वर न मुझ पाच बच्चा का पिता बनाकर बड़ी कृपा की है। पर मैं अपने बच्चा में स किसी एक को सबसे अधिक प्यार नहीं करता।' भाषण का प्रसारण अग्रजी में किया गया पर उसी के परामर्श से इस हिंदी में वार वार प्रसारित किया गया। कायसराम के इस कायवाही की जनता में बड़ी प्रशंसा की।

लाड लिनलिथगो के काल ही में 1935 के एक्ट को काय रूप में बदला गया।

चूँकि भारतीय राजाशासन संघ में सम्मिलित होना संस्कार कर दिया था। इस कारण संविधान के संघीय भाग पर कायवाही नहीं हो पाई। एक्ट के तीसरे भाग जिसमें प्रांतीय स्वायत्तता का विवरण था पर कायवाही की गई और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ 1 अप्रैल 1937 को किया गया। एक्ट बनकर तयार होने तथा प्रांतीय स्वायत्तता के प्रारंभ होने के मध्यकाल के बीच चुनाव सूचियां बनाई गईं तथा की सीमाय निर्धारित की गई और चुनाव कराये गये।

जिन दलों ने चुनाव में भाग लिया उनमें कांग्रेस भी थी पर कांग्रेस ने ऐसा संविधान की भावना को आदर देने के लिये नहीं किया बल्कि उस ताड़न के लिये किया। पर लीग ने प्रांतीय योजना का स्वीकार किया और 'यह उसी के योग्य था ही'। वैसे उसने एक्ट के संघीय भाग को स्वीकार नहीं किया। उदारवादी संविधान की कुछ धाराशासन असंतुष्ट तो थे, पर इसकी परीक्षा करने का निश्चय किया। मद्रास की जस्टिस पार्टी और अन्य ने भी यही रास्ता अपनाया और इस तरह 1935 के एक्ट के अंतर्गत होने वाले चुनाव अति रुचिकर हो गये।

चुनाव परिणाम भी कम रुचिकर नहीं थे। कांग्रेस ने 1161 सीटों पर चुनाव लड़ा और 711 पर विजय प्राप्त की और 11 प्रांतों में से 5 में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर दिया। जहाँ बहुमत मिला वे प्रांत थे—मद्रास, बम्बई, सी० पी०, यू० पी० और बिहार। तीन प्रांतों में यह दल सबसे बड़े दल के रूप में चुनकर आया। दूसरा जोर मुस्लिम लीग ने 482 की अपनी पूरे भारत की सुरक्षित सीटों में से केवल 51 सीटों जीतने में सफलता प्राप्त की। इस पूरे मुसलमानों में से 48% मत मिले जिससे स्पष्ट था कि यह उतना शक्तिशाली अब नहीं था जितना 2 वर्ष पूर्व। कांग्रेसी मुसलमान 26 सीटों पर जीते जबकि बंगाल में स्वतंत्र, मुस्लिम लीग और प्रजा पार्टी का क्रमशः 46 40 और 35 मत प्राप्त हुए। पंजाब में 175 सीटों में से 106 सीटें हिंदू

मुसलमान और सिक्खा को मिली जुली युनिपनिस्ट दल को प्राप्त हुई तथा अय मुस्लिम सीटें अय विखरे हुये समूहो का प्राप्त हुइ। उदारवादी हार गये और ऐसे ही मद्रास की जस्टिस पार्टी भी जबकि 1922 से इसका विधायिका पर नियंत्रण था।

कांग्रेस का चुनाव लड़ने का उद्देश्य मविधान को ताड़ना था। पर एक बार इसन चुनाव म व्तनी जबरदस्त सफलता प्राप्त की ता पुरानी योजना पर फिर से विचार होन लगा। डा० सी० राजगोपालाचारी, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद और सरदार पटल पद पर अधिकार करन की नीति पर जार देने लगे। पर जवाहरलाल जसे कुछ महत्वपूर्ण नेताओ न इस विचार का विरोध किया। पर अतत गाधी ने एक बीच का फामूला निवासा जिसमे यह कहा गया कि कांग्रेस मन्त्रिमंडल का गठा वहा करेगी जहा बहुमत म है। पर यह तभी होगा जब गवर्नर जनरल इस बात का आश्वासन दगा कि प्रांतो के गवर्नर अपने विशिष्ट अधिकारो का प्रयोग नही करेग और दनिन प्रशासन मे वे मंत्रिया के परामश पर काय करेगे।

लाइ लिनलियगो के समक्ष कांग्रेस की उपरोक्त बात रखी गई पर उसने वस तरह का कोई आश्वासन देने से इन्कार कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस ने अधिकार प्राप्त करने से इन्कार कर दिया। इस पर गवर्नर न द्वितीय बडे दल के नेताओ को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित किया। इस तरह से अतरिम गर कांग्रेसी सरकारें बनाई गई, पर चूकि उनका विधायका पर पूण नियंत्रण नही था, इस कारण वे सही सरकारें नही चला सके। इसी बीच गवर्नर जनरल से बातचीत चलती रही जिसके फलस्वरूप यह घोषणा की गई कि वसे तो कोइ बधानिक आश्वासन नही लिया जा सकता पर इसम सदेह नही कि इस ऐक्ट की भावना के अतगत यह गवर्नरो के लिये उचित न होगा कि वह मंत्रिया की कायवाहियो मे हस्तक्षप करे जिस सबध मे विधान उस पूण नियंत्रण शक्ति प्रदान करता था और जिस क्षत्र म गवर्नर को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नही दिया गया था।<sup>1</sup> स्पष्ट था कि यह विवरण स्पष्ट रूप से कांग्रेस की माग की पूर्ति नही करता था पर गाधीजी न इसम सुलहभाव का तिनका खोज लिया। अतरिम सरकारो ने स्तीफा द दिया और कांग्रेस ने अक्टूबर 1937 मे छ प्रांतो मे सरकारें बनाली जिसका उद्देश्य यह था कि "एक जोर तो नय ऐक्ट से लडा जाय और दूसरी ओर रचनात्मक योजना मे बाधा डाली जाय।"<sup>2</sup> दूसरे वष कांग्रेस के नतृत्व मे

1 मार्क्सवादी आक लिनलियगो स्पोचेज एण्ड डाकुमेण्टन प 80-81।

2 देखें सोतारमेय्या पूर्वोद्धत, प 51-71।

आसाम में मिला जुला मन्निमडल बना और इसी बीच उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र में लीग मन्निमडल पराजित हो गया जिसके फलस्वरूप वहाँ भी कांग्रेस मन्निमडल ने शपथ ग्रहण की। बंगाल, पंजाब और सिंध प्रांतों में मिले जुले मन्निमडल बन जिसमें कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं थी।

### स्वायत्तता की काय प्रणाली

यहाँ स्वायत्त शासन प्रणाली की परीक्षा दृष्टिपूर्वक होगी। कांग्रेस मन्निमडल ने आठ प्रांतों में कायभार ग्रहण किया और अक्टूबर 1939 तक काय करती रही और इसके बाद युद्ध के प्रश्न पर स्तीफा दे दिया। इसका विस्तार से विवरण अगले अध्याय में आयागा। 1941 के अंत में उड़ीसा में एक गर कांग्रेसी मन्निमडल ने कायभार ग्रहण किया और इसी तरह का मन्निमडल उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त में भी स्थापित हुआ। पर शेष कांग्रेस बहुल प्रांतों में सेक्शन 93 के अंतर्गत गवर्नर का शासन चलता रहा 1946 में नवीन चुनाव होने पर यहाँ लोकप्रिय मन्निमडल पुनः स्थापित हुआ। बंगाल, पंजाब और सिंध के गर कांग्रेसी प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता 10 वर्षों तक फूलती फलती रही।

गवर्नरों की भूमिका—आठ कांग्रेसी प्रांतों में इस काल में प्रांतीय स्वायत्तता काय कर रही। गांधी के ही शब्दों में गवर्नर लंका के सविधान के अनुरूप काय करते रहे। चार अवसरों को छोड़कर प्रांतीय विधायिका से पारित विधायकों को गवर्नर ने अपनी सहमति प्रदान की और अनतिक्रम अति कारिया ने मन्त्रियों को उनके कायभार को सफल बनाने में पूर्ण समय प्रदान किया। पर इसका अर्थ यह नहीं कि इन कांग्रेस प्रांतों में कोई सवधानिक कठिनाई ही उत्पन्न नहीं हुई। सच तो यह था कि ऐसी कठिनाइयाँ सामने आइं पर उन पर आसानी से विजय प्राप्त करली गई। उनका संक्षिप्त सदन यहाँ उपादेय होगा।

उड़ीसा में जब गवर्नर ने अवकाश लिया तो वहाँ की सरकार के मुख्य सचिव को वृत्त गवर्नर बना देने का प्रस्ताव किया गया। उस प्रांत के कांग्रेस मन्निमडल ने कांग्रेस हाई कमान से समय प्राप्त कर एक कमचारी को पदोन्नति देकर उनके सर पर लादन की क्रिया का विरोध करत हुये स्तीफा देने की धमकी दी। पर स्थिति उस समय सभल गई जब गवर्नर ने अपनी छुट्टी रद्द करा दी।

मध्य प्रांत में तो गवर्नर ने मन्निमडलीय एकता की रक्षा के लिये रास्ते से हटकर भी काय किया। यहाँ मुख्यमंत्री डॉ० ए० बी० खरन अपने दा मन्त्रियों से स्तीफा मागा जिससे कि मन्निमडल का फिर सगठन किया जा सके।

मन्त्रियों ने यह कहकर ऐसा करने से इकार कर दिया कि उहे उच्च कमान से कोई आदेश नहीं मिला है जिसके फलस्वरूप मुख्यमंत्री ने स्वयं स्तीफा दे दिया। गवर्नर ने इस पर हस्तक्षेप किया और विरोधी मन्त्रियों को बर्खास्त करते हुये डॉ० खरे को पुनः मन्त्रिमंडल बनाने के लिये आमन्त्रित किया। गवर्नर ने यह काय तो उचित किया था, पर उसके काय के पीछे उत्तम दृष्टि नहीं थी। कांग्रेस हाई कमान ने कांग्रेस को विभाजित करने का आरोप गवर्नर पर लगाते हुये डॉ० खरे के विरुद्ध ही अनुशासनात्मक कायवाही करके उच्च पद मुक्त करके प० रविशंकर शुक्ल को मुख्यमंत्री बना दिया। यह गवर्नर के लिये एक ऐसा पाठ था जिसमें उसे बतलाया गया था कि उसे सहायता करने में या हानियाँ पहुँचाने में अधिक रुचि नहीं लेनी चाहिये।

युनाइटेड प्राविसेज और बिहार में फरवरी 1938 में उस समय पुनः कठिनाई सामने आई जब कांग्रेस सरकारों ने अपने वादे के अनुसार राजनीतिक केंद्रियों को रिहा करने का प्रश्न उठाया। गवर्नर को इसमें अशांति की गंध आई और गवर्नर जनरल ने धारा 126 के अंतर्गत हस्तक्षेप हेतु आदेश दे दिये। यह मन्त्रिमंडल के लिए एक चुनौती थी जिसे होने विरोध में स्तीफे दे दिये। यू० पी० के मुख्यमंत्री प० पंत ने अपने स्तीफे के पत्र में लिखा, "यह समझ में नहीं आता कि 50 राजनीतिक केंद्रियों की रिहाई, जिन में से कुछ तो ऐसे हैं कि जो दंडित किये जाने के समय लड़के थे तथा जिनमें से अधिकतर ने लम्बी अवधि तक जेलें काट ली हैं और कुछ ही महीनों में अपने आप रिहा होने वाले हैं, भारत के किसी प्रांत की सुरक्षा और व्यवस्था के लिये समस्या बन सकते हैं। हम हर दृष्टि से ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्होंने हिंसा के पथ का परित्याग कर दिया है। जेल अधिकारियों का भी ऐसा ही विचार है। हमने इस प्रश्न पर आप से अनेक अवसरों पर विचार विमर्श भी किया है।" इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल की इस कायवाही को प्रांतीय स्वायत्तता में एक गंभीर अपवादात्मक हस्तक्षेप माना गया। पर यहाँ पुनः स्थिति पर कांग्रेस उच्चकमान और वायसराय लार्ड लिनलिथगो के बीच समझौते के फलस्वरूप काबू पा लिया गया। इसके अंतर्गत यह तय हुआ कि केंद्रियों की रिहाई धीरे धीरे अलग-अलग केंद्रियों के मामले को ध्यान में रखकर की जायेगी। स्पष्टतया गवर्नर और वायसराय ने मामले को टाला था।

यू० पी० सक्कट एंड पीरपुर का प्रतिवेदन—यू० पी० में एक गंभीर और आवश्यक सक्कट उत्पन्न हो गया। कांग्रेस बहुल प्रांता में पद भार ग्रहण करते समय यह तय किया गया था कि कांग्रेस मुस्लिम लीग का सहयोग अर्जित करने के लिये उच्च भी अपने साथ सम्मिलित करले। परीक्षण के तौर पर यू० पी० में इसे प्रारंभ किया गया जहाँ कांग्रेस को प्रांतीय शाखाओं और

लीग के बीच दोनों के उच्च कमाना के आदेशानुसार वातचीत प्रारंभ हुई। कांग्रेस न मुस्लिम लीग के साथ मिलकर काय करन की इच्छा व्यक्त की पर उसने इसके साथ कुछ शर्तें जोड़ दी जैसे (1) कि मुस्लिम लीग अलग स काय न करवे कांग्रेस के नेतृत्व में काय करे, (2) कि मुस्लिम लीग ससदीय बोट यू० पी० अपना अस्तित्व समाप्त करदे और भविष्य में अपने अभ्यार्थी चुनाव हेतु नामित न करे। स्पष्टतया ये शर्तें कठोर थीं और इन मांगों को मानन का अर्थ था, यू० पी० की मुस्लिम लीग शाखा को समाप्त करना।<sup>1</sup> पर प्रात में कांग्रेस का बहुमत होन के कारण यह बात आश्चर्यजनक नहीं थी। यह बात तो रास्ते से हटकर लीग से सहयोगात्मक दृष्टि का प्रतीक थी। इसके अनिश्चित यदि इन शर्तों के बिना सविद सरकार बनाई जाती तो जवाहरलाल न ठीक ही कहा था कि कांग्रेस को इसमें पड़यत्न का भय था। उनके अनुसार 'अ य मंत्रिया के सिर पर सरकार के होन के कारण एकता का कोई सूत्र न होता, आपसी वफादारी न होती एक तरह की गतव्य दिशा न होती और मंत्री व्यक्तिगत रूप से भिन्न भिन्न दिशाओं की ओर दौड़ते होते।'<sup>2</sup> पर यह वाक्ता सफल न हुई और यू० पी० में कांग्रेस ने अकेले ही मंत्रिमंडल की रचना की।

यू० पी० में अब मुस्लिम अल्पवयस्कों की काल्पनिक कठिनाइया का चित्र प्रस्तुत कर लीग ने शिकार करने की चेष्टा की। जिना न एस कई कांग्रेस अत्याचारों की सूची तयार की और 20 मार्च 1937 के एक प्रस्ताव के अनुसार मुस्लिम लीग न पीरपुर (यू० पी०) के राजा के नेतृत्व में एक समिति इन मसला की छानबीन के लिये नियुक्त की। अपन आठ महीन के कठोर परिश्रम के उपरांत समिति न प्रतिबदन प्रस्तुत करत हुए यह बताया कि मुसलमानों की कठिनाइया सत्य थी। उसने अ य बातों के अतिरिक्त कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि (1) नौकरिया में मुसलमानों के साथ भेदभाव करता जाता है (2) मुस्लिम स्कूलों का सहायता कम दी जाती है (3) हिंदी के प्रचार के लिए सरकारी प्रयास होत हैं और उसमें अधिक रुचि ली जाती है (4) सरकार ने बड़े मातरम गान की छूट दे दी है जिस पर ब्रिटिश सरकार न प्रतिबंध लगा रखा था, एवं (5) कांग्रेस शब्दों का सावजनिक भवना पर प्रयोग किया जाता है। प्रतिबदन में निष्पक्ष रूप में कहा गया कि मुसलमानों के लिए कांग्रेस के शासन से ब्रिटिश शासन बेहतर था।

1 वेडरेलमन ने लिखा है कि यह बहुत बड़ी भूल सिद्ध हुई—पाकिस्तान रचना का एक प्रमुख कारण—पर उन परिस्थिति में यह स्वाभाविक ही था। डिवाइड एंड रूल पृ 15 [6]।

2 नेहरू आगेबाईपापी प 371।

इससे कांग्रेस हल्का में आग्रोश छा गया। कांग्रेस ने यह प्रस्ताव रखा कि इन ममला की छानबीन के लिए भारत के मुख्य-यायाधीश, जो एक अग्रेज था को नियुक्त किया जाय। पर इस स्वीकार नहीं किया गया। जिना न इस पर यह प्रति प्रस्ताव किया कि 'यायाधीशों का एक रॉयल कमीशन बनाया जाय जिसका अध्यक्ष प्रीवी कौंसिल का ला लाड हो। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को भी स्वीकार किया। पर वायसराय और गवर्नर चूँकि यह जानते थे कि इस मसले में सत्यता का कोई अंश नहीं है, हस्तक्षेप करके इस मसले को समाप्त कर दिया। यह एक अर्थ-जबसर था जब गवर्नर ने उत्तरदायित्वपूर्ण और तटस्थ ढंग से अपनी भूमिका अदा की।

पर गैर कांग्रेसी प्रांतों में गवर्नरों की भूमिका भिन्न कोटि की थी। इन स्थानों पर प्रशासकीय मसलों पर ये अधिक हस्तक्षेप करते थे। विशेषकर युद्ध काल में मद्रिया की स्थिति दयनीय हो जाती थी। 1938 में सिंध के मुख्य-मंत्री जल्लाह बख्श ने सरकार की युद्ध नीति के विरुद्ध अपनी खान वहादुर की पदवी का परित्याग कर दिया। इस पर गवर्नर न इसके बावजूद कि वह विधायिका में स्थायी बहुमत में था, उसे पद से बर्खास्त कर दिया। 1937-43 के बीच सिंध में पांच परिवर्तन किये गये और 1946 में गवर्नर न सबसे बड़े दल के नेता को वाय करने के लिये आमंत्रित किया जबकि सदन में स्थायी सविद कायरत थी। पुन वगाल में मुख्यमंत्री फजलुलहक को रतीफा देने के लिय गवर्नर ने उस समय बाध्य किया जब सदन में अनुदान पर मत लिया जाने वाला था। और 1945 में जब मुख्यमंत्री को अनुदान पर मत देने से ही रोक दिया गया था तो गवर्नर ने सदन के अध्यक्ष से सदन को स्थगित कराकर उसे पद पर बनाये रखा। सदन में बहुमत में न होने पर भी लीग मन्निमडल को गवर्नर ने शक्ति प्रदान की भले ही इसके लिय उसे वगाल, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में कांग्रेस सदस्यों को जेल में बंद करना पडा। इन प्रांतों में गवर्नर लीग की तरफदारी करते थे और वगाल के एक नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उचित ही कहा था कि यह बेहतर हाता कि इन प्रांतों में गवर्नर लीग की सीटों पर जा बटत।

पंजाब में गवर्नर न अपनी शक्ति इतनी बढा ली कि मुख्य मंत्री 6 माह के लिये व्यक्तिगत वाय से अनुपस्थित रहा, तब भी गवर्नर न उसके स्थान पर किसी को नियुक्त नहीं किया। इस प्रांत के मुख्यमंत्री सर सिक्कर ह्यात र्खों ने दिन प्रतिदिन की गवर्नर की निर्देशक शक्ति को रवीकृति प्रदान की। गवर्नर ने उनके साथ इतनी निर्भक्ता के साथ व्यवहार किया कि जब उसमें बिहार एवं पू० पी० के राजनतिक बदिया के रिहाई व सवध में मत मागा गया तो उसने गवर्नर जनरल का यह सूचना भेज दी कि प्रांत के मुख्यमंत्री

ने उसे परामर्श दिया है कि शांति और व्यवस्था के हित में ऐसा न किया जाय। जब इस सवध में सदन में मुख्यमंत्री से प्रश्न किया गया तो सर सिक्कर न कहा कि उ हान गवर्नर को इस तरह की सस्तुति कभी नहीं दी।

स्पष्ट है कि गर काग्रेसी प्रातो में गवर्नर का हस्तक्षेप प्रायः आपत्ति-जनक सीमा तक चला जाता था। सम्भवतः इसी कारण 1939 में जब काग्रेस प्राता पर गवर्नर का शासन लादा गया तो गर काग्रेसी प्राता में मन्त्रिमंडल काय करत रहे।

मन्त्रिमंडलों की काय प्रणाली—काग्रेसी और गर काग्रेसी प्राता में मन्त्रिमंडलों की काय प्रणाली सत्तापजनक थी। काग्रेसी प्राता में बहुमत वग के नेताओं को ही मन्त्रिमंडल बनाने के लिये आमन्त्रित किया गया। गर काग्रेसी प्राता में वस तो गवर्नर ही मुख्यमंत्री का चुनाव करता था पर उन्होंने काय ठीक ढंग से किया। विभिन्न विभागों का वितरण वसे गवर्नर को ही करना था, पर गवर्नरों ने यह काय मुख्यमंत्रियों को सौंप कर स्वस्थ परंपरा का श्रीगणेश किया। मन्त्री सदन के विश्वास प्राप्त काल तक काय करते रहते थे और अपने विरुद्ध अविश्वास का मत पारित होते ही पद त्याग कर देते थे। आसाम के मन्त्रिमंडल में सदन में एक महत्वपूर्ण कानून के अस्वीकार हो जाने पर स्तीफा देकर एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत की। इसमें अविश्वास के मत पडने पर जोर नहीं दिया, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का भी विनास किया गया और मन्त्रिमंडल में अल्पसङ्ख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। उड़ीसा में योग्य काग्रेसी मुस्लिम सदस्य के अभाव में ही अपवाद बरता गया। उड़ीसा के मुसलमानों ने गवर्नर से मुलाकात की और विरोध प्रकट किया। गवर्नर ने बुद्धिमत्ता से काय करते हुये उनके हित साधन को हानि न पहुंचाने के लिये जाश्वस्त किया पर साथ ही मन्त्रिमंडल के काय में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। काग्रेस प्रातो में मन्त्रिमंडल की बैठकें मात्र औपचारिक होती थीं क्योंकि सविधान के अनुसार इनकी अध्यक्षता गवर्नर करता था जिसकी उपस्थिति में नीति विषयक निर्णय नहीं लिये जा सकते थे। इसी कारण मंत्री अपनी व्यक्तिगत बैठकों में निर्णय लेकर ही ऐसी बैठकें में सम्मिलित होत थे। पर गर काग्रेसी प्रातो में गवर्नर की अध्यक्षता में होने वाली बैठकें मात्र औपचारिक नहीं होती थीं। यहाँ गवर्नर मन्त्रिमंडल की बैठकों में कायपालिका कार्यों में अत्यधिक रुचि लेता था जो कोई गुप्त बात न होती थी। पंजाब के सर सिक्कर हयात का जस मुख्यमंत्री तो इसका स्वागत तक करते थे।

इस काल में एक और स्वस्थ परंपरा का प्रारंभ हुआ जिसके अंतर्गत अवरमंत्री नियुक्त किये जाते थे। इन्हें ससदोप सचिव भी कहा जाता था।

इसका प्रावधान ऐक्ट में नहीं था। ससदीय सचिव सावजनिक सेवा के अधिकारी स्थायी सचिव से भिन्न था। स्थायी सचिव एक विभाग का प्रशासकीय मालिक होता था। ससदीय सचिव सदन का सदस्य होता था और शासक दल का हाता था। उसका कार्य उस मंत्री की सहायता करना होता था जिसकी सहायताय वह नियुक्त होता था। सविद मन्त्रिमंडल में ये सचिव सदन में शासक दल को मूल्यवान एव महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करते थे। यह परंपरा जो इंग्लैण्ड से ग्रहण की गई थी इसलिए अच्छी मानी जाती थी क्योंकि इसके कारण भविष्य में होने वाले मंत्रियों को कार्य करने का अवसर मिल जाता था।

**नागरिक सेवाएँ—**मंत्रियों के नेतृत्व में नागरिक सेवाएँ भी सत्तोपजनक रीति से चलती थीं। उच्च सेवाओं में नियुक्ति, पदभुक्ति और सेवा शर्तों का नियंत्रण सदन के राज्य सचिव द्वारा होता था और उनके जोर देने पर ही ऐक्ट के अंतर्गत उन्हें कुछ अतिरिक्त सुरक्षा भी प्रदान की गई थी जिससे कि वे ठीक से कार्य कर सकें। पर वे तीन श्रेणी में बंटे थे। प्रथम तो वे जिन्होंने प्रांतीय स्वायत्तता के प्रारंभ होने पर स्तीफा दे दिया, द्वितीय वे जो मंत्रियों को परेशान करने के लिए जब भी कार्य कर रहे थे और तृतीय वे जो सचमुच सहयोग करने को च्छुक्त थे। दूसरे तरह का उदाहरण यू० पी० के मुख्य सचिव में देखा जा सकता है जिन्होंने प्रशासकीय अधिकारियों को आदेश प्रसारित किया कि सरकार का आदेश तभी मान्य किया जाय जब उस पर सचिव के भी प्रति हस्ताक्षर हों। पर मुख्यमंत्री जी० बी० पंत की कठोर कार्यवाही उसे रास्ते पर ले आई जिसके बाद पूरे देश में अधिकारियों को अपनी स्थिति का ज्ञान हो गया और वे नई परिस्थिति में कार्य करने को तैयार हो गये। वैसे उनके लिए इन भारतीय नेताओं के साथ कार्य करने में कठिनाई जाती थी क्योंकि भूतकाल में इन अधिकारियों ने इन नेताओं के साथ दुर्व्यवहार कर रखा था। अधिकारी प्रायः कहते सुने जाते कि मंत्री प्रतिदिन के उनके कार्य में अत्यधिक हस्तक्षेप करते हैं। यह पूर्णतया असत्य भी नहीं था जो उनकी नेताओं के नीचे कार्य करने के क्षोभ का प्रतीक था जिसके प्रति वे धीरे धीरे अभ्यस्त होते जा रहे थे।

**कांग्रेस हाई कमान—**कांग्रेस प्रांतों में मंत्री स्वयं कांग्रेस हाई कमान के निर्देशन में कार्य करते थे जिसका निर्माण मार्च 1937 में किया गया था। इसमें तीन सदस्य थे—डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये कांग्रेस कार्य समिति के ससदीय उपसमिति के रूप में कार्य करते थे। मि० कूपलैण्ड ने यह कहे हुए कांग्रेस हाई कमान की जालोचना की है, “कांग्रेस एक्का की नीति प्रांतीय स्वायत्तता और उत्तरदायी



सरकार पर आघात करती थी।<sup>1</sup> पर यह आलोचना उचित नहीं है। यह आवश्यक था कि प्रांतीय कांग्रेस मंत्रियों पर एक नियंत्रण शक्ति दी जा भारतीय प्रशासन के स्तर एक व्यवहार में एकत्रता की स्थापना कर सक। इसके अतिरिक्त इस ही राष्ट्रीय स्तर पर दल का विकास हो सकता था और यह कोई गलत बात नहीं थी कि उस मंगल पर जर्मिया, बर्नाडा और आस्ट्रालिया से उदाहरण लिया जाता था।

1939 तक इस तरह कांग्रेस मंत्रिमंडल लगभग ठीक ढंग से कार्य करत रहे। इसमें वाद इ हान स्तीफे दे दिये और मंत्रिमंडलीय प्रणाली के आवश्यक सिद्धांत अब पढ़े के पीछे चल गये। जासाम के मुख्यमंत्री सदन में पराजय के बाद भी पद पर बने रहे। 60 सदस्यीय विधान सभा में उद्योग के मुख्यमंत्री का केवल 14 पर ही अधिकार था पर फिर भी उसका पद पर बने रहने में कोई अनौचित्य नहीं दिखाई पडा। दूसरी ओर बंगाल और सिंध के मुख्य-मंत्रियों को बहुमत में रहने पर भी पद से त्याग पत्र देने को बाध्य होना पडा। अब पहले की भांति सामूहिक उत्तरदायित्व की भी महत्ता नहीं रही क्योंकि जब मुख्यमंत्री स्तीफा देता था आवश्यक नहीं था कि उसके मंत्री साथी भी स्तीफा दें।

उपलब्धियाँ—फिर भी जब तक इ हान काय किया इन लोकप्रिय मंत्रिमंडलों ने बहुमुखी विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। प्रारंभिक शिक्षा के विकास का कार्य हाथ में लिया गया और बयस्कालों को शिक्षित करने के प्रयास किये गये। ग्राम विकास के कई कदम उठाये गये। ग्रामीण विधान बनाये गये सूदखोरा तथा ऋण से किसानों को मुक्त करने का प्रयास किया गया। भूमि के विकास के लिए ऋण प्रदान किये गये बाजार सुविधा का विकास किया गया, दुर्भिक्ष काल में सहायता कार्य को मजबूत आधार प्रदान किया गया तथा सिंचाई का विकास किया गया। उद्योग क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किये गये। कुटीर उद्योग धंधों को प्रोत्साहित किया गया तथा अल्प उद्योगों के विकास के लिए ऋण प्रदान किये गये। बिजली के सामान के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया। कांग्रेस प्रांतीय मंत्रिमंडल भारतीय स्तर पर शराब बंदी का महान कार्य प्रारंभ किया गया जिससे 18 करोड़ रुपये के आवकारी कर की हानि थी। बम्बई और मद्रास के शासन में बहुत आगे थे। बसे कदम बड़े सावधानीपूर्ण थे। राजनतिक क्षेत्र में भी विकास किया गया। गांधी में पचायत प्रथा को प्रोत्साहित किया गया और बम्बई के कांग्रेस मंत्रिमंडल ने विधायिका का पूर्ण समर्थन प्राप्त करत हुये अत्यधिक साहसपूर्ण कदम

उठाते हुये सविनय अवज्ञा आंदोलन में सम्मिलित होने वाले लोगों की वह भूमि वापस कर दी जो ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने उनसे छीन ली थी। मद्रास मंत्रिमंडल ने भी उस समय साहस का ही परिचय दिया जब उसने एक सावजनिक स्थान से खुराफाती जनरल नेह की मूर्ति को हटा देने का आदेश दिया। और कांग्रेस जिस रास्ते पर चल रही थी उसी रास्त पर गैर कांग्रेसी सरकारें भी चली। जे० एल० नहरू ने लिखा है कि, "महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे थे और देहात में लोगों में विजली सी दौड़ गई थी पुलिस का भय और गुप्तचरों की गुप्त सवाओं का डर जाता रहा और गरीब से गरीब किसान भी आत्माभिमान तथा आत्मनिभरता के भाव में मस्त हो गया।"<sup>1</sup>

पर मंत्रिमंडलों के संचालन में कुछ दोष भी थे। प्रायः यह रवया था कि अधिक से अधिक व्यय किया जाय। प्रायः बहुमत का शासन अल्पसंख्यक मत से पूछे बिना लाद दिया जाता था। विधान शीघ्रता में बनाये जाते, विलास गुणात्मक बातें न होती जिन्हें वाद में सशोधित करना पड़ता। कूपलण्ड लिखता है कि, "भारतीय राजनीति में कांग्रेस एक रचनात्मक शक्ति बन चुकी थी इसने अब यह दिखा दिया था कि इसकी संगठन शक्ति और इसके सदस्यों का अनुशासित उत्साह अधिक व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है।"<sup>2</sup> इसके अतिरिक्त लोकप्रिय मंत्री न जो व्यावहारिक अनुभव इस समय प्राप्त किया, वह भविष्य के लिए फलदायी सिद्ध हुआ।

## ‘अगस्त प्रस्ताव’ एवं क्रिप्स मिशन

### ‘अगस्त प्रस्ताव’

3 सितम्बर 1939 को यूरोप में द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ गया। अप्रैल 1939 में ही ब्रिटिशों ने भारतीय सेना की एक टुकड़ी अदन भेजी। कांग्रेस ने भारत पर युद्ध घोषण के विरुद्ध चेतावनी दी और यह भी कहा कि 'युद्ध में भारतीय साधनों का प्रयोग बिना भारतीय जनता की अनुमति में न किया जाय। पर इस चेतावनी की ओर अंग्रेजों ने ध्यान नहीं दिया और अगस्त में अदन, मिस्र और मिगापुर और भारतीय सेनाएँ भेजी गईं। उस समय तो बम की तरह घमावा ही हुआ जब भारतीय नेताओं से परामर्श किए बिना

1 नहरू अंगोबाइपापी प 378।

2 कूपलण्ड यूरोपियन प 165-68, जर्नल ऑफ एन यूरोपियन प 502-48।

लिनलिथगो ने भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। इस पर भी विचार किया जान लगा कि 1935 के भारतीय अधिनियम में संशोधन कर भारत सरकार के हाथ मजबूत किये जाय और जनता की स्वतंत्रता में घटौती की जाय।

कांग्रेस में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई और 14 सितम्बर को इसमें एक प्रस्ताव में घोषणा की "प्रजातांत्रिक स्वतंत्रता के नाम पर सड़े जान वाले ऐसे किसी युद्ध में भारत अपना सबंध नहीं रख सकता जिसमें उसके देश की जनता की स्वतंत्रता का ही हनन कर दिया हो और जो थोड़ी सी सीमित स्वतंत्रता उसके पास थी उसका भी अपहरण कर लिया हो। यदि ग्रेट ब्रिटेन प्रजातंत्र के रखरखाव और विकास के लिये लड़ रहा है तो उस आवश्यक रूप से अपने द्वारा फैलाये गये साम्राज्यवाद को समाप्त करना चाहिये। एक स्वतंत्र प्रजातंत्रित भारत प्रसन्नता में स्वतंत्र देशों की आश्रमकों से रक्षा में सहायता में भागीदार होगा और आर्थिक मामलों में सहयोग करेगा।" कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से यह मांग की कि यदि ब्रिटिश हमसे सहयोग चाहत है तो वे घोषित करें कि (1) युद्ध के बाद भारत को अपना संविधान बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की जायेगी तथा (2) ब्रिटिश तुरन्त भारत में लोकप्रिय शासन की स्थापना का अवसर देंगे।<sup>1</sup> उदारवादियों ने कांग्रेस का समर्थन करते हुये कहा कि सरकार वर्तमान केन्द्रीय सरकार के स्थान पर जनता के प्रति उत्तरदायी एक सरकार की स्थापना करे।<sup>2</sup> दूसरी ओर मुस्लिम लीग ने युद्ध का घोषणा में कोई अवगुण नहीं पाया और मांग की कि कांग्रेस को उनसे पूछे बिना कोई आश्वासन न दिया जाय।

### कांग्रेस मंत्रिमंडल के स्तीफे

मुस्लिम लीग की मांग ने वायसरॉय लार्ड लिनलिथगो को 'बाटो और राज्य करा' की नीति अपनाकर कांग्रेस को पराजित करने का अवसर प्रदान किया। उसने अपने मनोगम्य वग, रुचि और जाति के लोगों से साक्षात्कार करके अपने निष्कर्ष में यह बताना प्रारंभ किया कि भारतीयों में एकता नहीं है। उनकी इस कायवाही से ब्रिटिश लोक सभा के विरोधी दल के नेता मि० एटली तक असंतुष्ट हो गये और उन्होंने लिनलिथगो की यह कहकर जालोचना की कि वे सत्यता से काफी दूर हैं और उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति<sup>3</sup> को गवा दिया है। वायसरॉय ने 52 व्यक्तियों से परामर्श किया

1 नामन डोरोथी नेफरू द फर्स्ट सिविली इयर्स हिज स्टामेण्टस स्प्रीचेज इक्सेट्रा I प 643-46।

2 ग्रेडवैन, जॉन द वायसरॉय एट व लॉन 1975 प 155।

और अतन 17 अक्टूबर 1939 को यह घोषणा की। उसन अपने इस श्रुतपत्र मे कहा (1) यह सरकारी घोषित नीति है कि भारत और ब्रिटेन के बीच भागीदारी अत तब साम्राज्य की सीमा म बढ़ाया जायगा और वह अधिराज्य के रूप म बना रहेगा। (2) सरकार युद्ध समाप्ति के बाद भारत के लिये संविधान रचना के प्रश्न पर पुनर्विचार करेगी। (3) शक्ति हस्तांतरण की वायवाही करना तुरन्त संभव नहीं है। (4) सभी दला से सहायता व परामश प्राप्त किया जायगा। अल्प सरकारो को परशान नहीं होना चाहिये, और (5) युद्ध मचानन मे वायसराय के सहायताय महत्वपूर्ण सम्प्रदाया और हिता के प्रतिनिधिया का एक 'परामशदाता समूह' बनाया जायेगा।<sup>1</sup>

स्पष्टतया यह घोषणा भारतीयों को घाटन का एक बेहूदा प्रयास था। इसमे भारत के लिये अधिराज्य प्रदान करने की बातें अतिम उद्देश्य के रूप म दुहराई गईं। इस बीच कांग्रेस को 'परामशदाता समूह' की सदस्यता स अधिक और कुछ प्राप्त नहीं हुआ। दूसरे शब्दा म गांधी न ठीक ही कहा कि, "कांग्रेस ने रोटी मागी और उसे पत्थर प्रदान किया गया।" कांग्रेस काय समिति न मागी के प्रति टालमटोल की नीति अपनाय जात दरु कांग्रेस मन्त्रिमंडल को। अक्टूबर को स्तीफा दे देन को कहा। तुरन्त स्तीफे द दिय गये और नवम्बर मे इन 8 कांग्रेस प्रान्ता म धारा 93 लागू कर दी गई और वहा परामशदाताओं के माध्यम से शासन करना प्रारंभ कर दिया गया।

### पुन घातचीत

पर वायसराय लोकप्रिय मागा के प्रति विस्मरणशील नहीं बना रह पाया और उमने गांधी, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद एव जिन्ना जैसे नेताओं स पुन घात चीत प्रारंभ की। 2 नवम्बर 1939 को उमने डॉ० प्रसाद और जिन्ना का लिग्रा और अपनी घातचीत का स्मरण दिलाया। उसन कहा (1) युद्ध काल म जिस तरह की अस्थायी व्यवस्था स्थापित की गई थी जिसक अंतगन कांग्रेस और लीग के प्रतिनिधिया के अतिरिक्त कुछ और महत्वपूर्ण समूहों का साग सम्मिलित किया गय थे उह वायसराय की कौन्सिल म सम्मिलित किया जा सकता था। उन मामलों के अधिकार और बतव्य उमी तरह का हमें जस कि अन्य सदन के मददया का प्राप्त है और यह पूरी व्यवस्था बानून के तहत होगी। (2) पर यह सभी संभव है जब कांग्रेस और लीग आपस म

1 नामन शोरोषा पूर्वोक्त भाग 1 पृ 650-60।

2 लोकार्थव्या पूर्वोक्त भाग 2, पृ 124-44।

प्रांतो म शासन करने के किसी सिद्धांत पर समझौता करले । पर डॉ० प्रसाद ने 3 नवम्बर को वायसराय को अपने उत्तर में प्रथम यह घोषित करने को कहा कि “वह अपने युद्ध के उद्देश्यों को स्पष्ट कर जिसके बिना कांग्रेस के लिये कोई अय प्रस्ताव स्वीकारना दुष्कर है । हम साम्प्रदायिक प्रश्न को हल करना चाहते हैं पर इसे अनावश्यक रूप से लंबे समय तक के लिये न तो खींचा ही जाना चाहिये और न इसे भारत की स्वतन्त्रता की घोषणा में बाधा ही बनना चाहिये । दूसरी ओर जिन्ना का उत्तर अय तरह का था । वायसराय के प्रस्ताव ने प्रश्न के साम्प्रदायिक उत्तर को प्रोत्साहित किया था और उसने अपने 5 नवम्बर के पत्र में इस बात पर जोर दिया कि (1) सिद्धान्त रूप में या अय भाति की कोई घोषणा हिन्दुजा और मुसलमाना दोनों की सहमति के बिना नहीं की जायगी । उसने तो यहा तक कहा कि इसके लिये आश्वासन दिया जाय कि (2) ब्रिटिश सरकार फिलिस्तीन में अरबों की उचित मांगों का समर्थन करेगी, एव (3) यह कि कोई भारतीय सेना भारत के बाहर किसी मुस्लिम शक्ति या देश के विरुद्ध प्रयोग में नहीं लाई जायेगी । वायसराय ने डॉ० प्रसाद के प्रस्तावों को स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त की । दूसरी ओर जिन्ना के प्रथम दो प्रस्तावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिये आश्वस्त किया गया पर तीसरे के प्रति कोई गारंटी नहीं दी गई । पर भारतीय मुसलमानों की भावना का आदर करने के लिये फिर भी आश्वस्त किया गया । स्पष्ट है कि वायसराय और भारतीय नेता दोनों भिन्न भिन्न दिशाओं की ओर अग्रसर हो रहे थे । जहा वायसराय का उद्देश्य पूणतया राजनतिक प्रश्नों को साम्प्रदायिक रंग प्रदान करता था वहा कांग्रेसी साम्प्रदायिकता और राजनीति को अलग बलग रखना चाहते थे । इस तरह गतिरोध पैदा हो गया और बातचीत में कोई प्रगति सम्भव न रही ।<sup>1</sup>

इसी बीच कांग्रेस द्वारा प्रांतो में मन्निमडल से त्यागपत्र देने के बाद जिन्ना के प्रसन्नता की सीमा न रही । उन्होंने 2 दिसम्बर 1939 को पीरपुर प्रतिवेदन के आरोप पुन दुहराते हुये कांग्रेस सरकारों की भत्सना की और 22 दिसम्बर को पूरे भारत में मुसलमानों से मुक्ति दिवस<sup>2</sup> मनाने का आह्वान किया । इसके अन्तगत पूरे भारत में मुसलमानों की बैठकें आयोजित करने और प्रस्ताव पारित करने थे जिसमें यह लिखा जाना था कि ‘ कांग्रेस मन्निमडल ने अपने प्रशासकीय तथा विधायिका के शक्ति का प्रयोग इस बात

1 5 नवम्बर 1936 का वायसराय का स्टेटमेण्ट आदि स्रोतारम्या पूर्वोक्त भाग 2 पृ 145-49 ।

के लिये पूणतया लगा दी जिससे कि मुस्लिम सञ्चति बर्बाद हो जाय । उसने उनके धार्मिक एव सामाजिक जीवन म हस्तक्षेप किया है तथा उनके आर्थिक व राजनैतिक अधिकारा को रोद डाला है और यह सब इसलिये किया गया है कि जिससे हिन्दुओं के इस विश्वास को बल मिले कि देश मे हिन्दू राज्य स्थापित हो गया है ।” प्रस्ताव म इस बात पर प्रसनता व्यक्त की जानी थी कि काग्रेसी मन्त्रिमण्डल मे विभिन्न प्रान्ता ने स्तीफे दे दिये हैं । इसीलिये इस दिवस को निरकुशता, अत्याचार एव अत्याय के विरुद्ध मुक्ति दिवस’ के रूप मे मनाने को कहा गया । प्रान्तो के गवनरा से यह आग्रह करने को कहा गया कि वह मुसलमानो की उचित वैधानिक मागा को माने तथा छानबीन करे तथा उनके कष्टो को शीघ्रातिशीघ्र दूर करे ।<sup>1</sup>

जिन्ना के दष्टिकोण से खिन होकर ही नेहरू ने महादेव देसाई को लिखा, ‘राजनैतिक घोखाघडी एव अशिष्टता की भी आखिर एक सीमा है पर सारी सीमाएँ पार कर ली गई हैं ।’ काग्रेस मे आम धारणा यह थी कि वायसराय ही जिना मे इस धार्मिक उमाद और निदयता को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है ।

1940 के मध्य म युद्ध की स्थिति और बिगड गई । हालैण्ड, बेल्जियम और डेनमाक को जमनी के समक्ष नतमस्तक होना पडा और नार्वे का पतन निकट था । ब्रिटिश सेनाय स्वयं डक्क म बुरी तरह स पराजित हो गई थी और पूरा ग्रेट ब्रिटन बमबारी का शिकार हो रहा था । ब्रिटिश के प्रति सहा-नुभूति से जब गांधी का दिल भर आया उस समय प्रजातंत्र का जीवन ही अधर मे लटका हुआ था । गांधी ने ऐसी ही स्थिति म 1 जून 1940 को यह घोषणा की, ‘हम ब्रिटन के खडहरों मे से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहत है ।’ जिना की कायवाहिया गभीर रूप धारण करती जा रही थी । मार्च 1940 मे द्विराष्ट्र सिद्धात की घोषणा हुई और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की माग रखी । जिना भी वायसराय से वार्ता मे जुटे थे और इसकी सभावना थी कि काग्रेस की अनुपस्थिति म लीग सरकार मे प्रभावशाली हो जाएगी । इ ही कारण से 7 जुलाई 1940 को पूना म काग्रेस काय समिति ने प्रस्ताव म कहा कि, ‘पूरे देश मे काग्रेस अपनी पूण शक्ति और हृदय से व्यकिनया व धन से सरकार की सहायता करेगी’ यदि (1) सरकार यह स्वीकार कर ले कि भारत का गन्तव्य स्वतंत्रता है और (2) वह केन्द्र मे तुरत एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार स्थापित कर ले ।

1 श्री प्रकाश पाकिस्तान, बय एण्ड आर्गे टज प 57 कूपलण्ड इण्डियन कास्टीड्युशनल प्रान्तम भाग 2 प 184 85 ।

2 इण्डियन नेशनल काग्रेस रिजोल्युशनस प 74 75 ।

पर एमी बीच दृग्गण्ड में एक मन्त्रिमंडलीय सभक उत्पन्न हो गया। धार अनुत्तरवाणी चर्चित्र चम्बरनन की जगह प्रधानमन्त्री हो गये तथा जेट्मन्ड क स्थान पर एमरी भारत क लिए राज्य सचिव हो गये। इस अवसर पर चर्चित्र न स्पष्ट रूप से घोषणा की कि अटलाटिक चाट्टर के अंतगत मित्र राष्ट्रों को स्वशासन देन का जो वादा किया गया है वह भारत के लिए नहीं है। उगन यह घोषित करने में भी मन्त्रोच का अनुभव नहीं किया कि 'यह ब्रिटिश राज्य का एसा पहला मन्त्री नहीं बनना चाहता जो ब्रिटिश साम्राज्य की समाप्ति का श्रीगणेश करे।' 1 पर वायसराय को इस बात के लिए अधि कारित कर दिया गया कि वह भारतीयों से सहयोग प्राप्ति के लिए उन्हें और कुछ भी प्रदान कर सकता है।

8 अगस्त 1940 को नए प्रस्तावों की घोषणा की गई और इसी कारण इन वायसराय का 'अगस्त प्रस्ताव' कहा जाता है। इसमें निम्नलिखित बातें थीं (1) भारत के लिए ब्रिटिश धारणा उम अधिराज्य का दर्जा प्रदान करना की थी (2) सरकार ने प्रथम बार यह स्वीकार किया कि नवीन मन्त्रिमन्त्रियों की संख्या का वायसराय भारतीयों की स्वयं की प्रारम्भिक जिम्मेदारी है जो भारत के गानात्मिक आभार और राजनतिक जीवित के आधार पर भारतीय दृष्टि से यानी साहित्य। (3) युद्ध के तुरन्त बाद कम से कम समय में सरकार भारतीय राष्ट्रीय जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाली एक एमी मन्त्रिमन्त्रियों का एक मन्त्रिमन्त्रियों की स्थापना कर सके। (4) पर नई मन्त्रिमन्त्रियों का ब्रिटिश सामन्यवर्ष राष्ट्रों के अंतगत होगी। इसके प्रावधानों में यह भी आया कि मन्त्रिमन्त्रियों का भाग में ब्रिटिश के सब मन्त्रियों की बात ब्रिटिश लोगों की मन्त्रिमन्त्रियों ब्रिटिश भाग में अपने उत्तरदायित्वों से मुक्त नहीं होगा। (5) यन्त्रिमन्त्रिमन्त्रियों के मन्त्रिमन्त्रियों के समय अल्पमन्त्रिमन्त्रियों के विभागों का पूर्ण रूप से स्थान भर दिया जायगा। (6) वायसराय नीचे ही अपनी वायसरायों के परिषद के लिए कुछ भारतीय प्रतिनिधियों को आमंत्रित करेगा। (7) यह एक युद्ध परामर्श परिषद की भी स्थापना करेगा जो समय समय पर बैठक करेगा और ब्रिटिश भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि तथा पूर्ण भारत के राष्ट्रिय जीवन में युद्ध विभिन्न विधा के माग सम्मिलित होंगे। (8) सरकार सभी दलों और सम्प्रदायों के मन्त्रिमन्त्रियों को आमंत्रित करेगी जो ब्रिटिश सामन्यवर्ष राष्ट्रों के साथ उम समानता एवं स्वतन्त्र भागीदारी प्राप्त होगी। 2

1 मन्त्रिमन्त्रियों की सूची पृष्ठ 128 पर 2 व 128।

2 निम्नलिखित सूची पृष्ठ 240-52।

### एक मूल्यांकन

अगस्त प्रस्ताव अभी तक घोषित ब्रिटिश अधिकारियों के प्रस्तावों में निश्चित रूप से प्रगति का सूचक था। वायसरॉय के अक्टूबर 1939 की घोषणा में जहाँ युद्ध के बाद पूर्ण संविधान की योजना का पुनरीक्षण करने को कहा गया था वहाँ भारतीयों द्वारा अपना संविधान स्वयं बनाने की बात स्वीकार नहीं की गई थी। पर अब यह स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया गया था कि नवीन संविधान की रचना 'भारतीयों का स्वयं अपना मुख्य उत्तरदायित्व है।' युद्धोपरान्त अधिराज्य स्थिति का भी वादा किया गया। वायकारिणी प्रस्ताव और परामशदात्री समिति में भी जनता की इच्छाओं को समाहित करने की चेष्टा की गई।

पर ये प्रस्ताव कांग्रेस की भांगों की तुलना में कुछ नहीं थे। चर्चिल ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि अटलाटिक चाट्टर भारत पर लागू नहीं होगा और इस कारण वायसरॉय की घोषणा से यह अपेक्षा नहीं थी कि वह उपराज्य सिद्धांतों की आधारभूत बातों से हटकर वाय करेगा। प्रथम तो युद्ध के उपरांत अधिराज्य स्थिति प्रदान करने हेतु निश्चित समय नहीं बताया गया था। द्वितीय, यह वादा किया गया कि 'भारतीय राष्ट्रीय जीवनधारा का प्रतिनिधित्व करने वालों के द्वारा नवीन संविधान का ढांचा तैयार किया जायेगा', पर यह नहीं बतलाया गया कि यह सभा संविधान परिषद का वाय करेगी या केवल गोलमेज सम्मेलन का। तृतीय, यह पता नहीं था कि संविधान की उस धारा के अंतर्गत जिसमें यह कहा गया था कि 'ब्रिटेन के भारत से लंबे समय के कारण जो उत्तरदायित्व उत्तरे कंधों पर आये हैं वह उसे पूरा करेगा', क्या अर्थ है? चतुर्थ अल्पसंख्यकों के मतों को स्वीकार करने का वादा लीग की मांग स्वीकार करने के बराबर था जिसमें यह कहा गया था कि बिना लीग के परामश के भारत का उत्थान नहीं हो सकता। सच तो यह था कि ऐसा करने लीग को निषेधाधिकार प्रदान कर दिया गया था। भारत पर अपना स्वत्व बनाए रखने के लिए ब्रिटिशों ने साम्प्रदायिकता का यह हौवा खड़ा कर दिया था। कांग्रेस ने तो ब्रिटिश राजनयनता में विश्वास करना ही छोड़ दिया और उनके मन से "ब्रिटिश कामनवैल्व के अंतर्गत अधिराज्य की स्थिति में भी विश्वास जाता रहा। नहरू का यह कहना ठीक ही था कि अब यह विचार बसे ही समाप्त हो गया था जैसे दरवाजे की कील।" इसीलिए कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।

पर दूसरी ओर इस आश्वासन से प्रसन्न कि उनके परामश के बिना



सविधान भविष्य में नहीं पूरा हो सकता मुस्लिम लीग को भी इस प्रस्ताव को ठुकराना पड़ा। उनके अनुसार 'भारत का विभाजन ही भारत की समस्याओं का एकमात्र हल था। पर अगस्त प्रस्ताव में इसके विषय में कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

उदारवादियों ने इस प्रस्ताव को न तो स्वीकार किया और न अस्वीकार। प्रथम तो उनका विचार था कि ब्रिटिश नीति महत्वपूर्ण मसला पर स्पष्ट नहीं है। द्वितीय वे चाहते थे कि अधिगज्य स्वीकृति की एक निश्चित तिथि घोषित कर दी जाय चाहे एक सम्प्रदाय विशेष इसे माने या न माने। और तृतीय कायकारिणी परिषद में भारतीय सदस्य दल के ही नेता बनाये जाने चाहिये।<sup>1</sup>

### क्रिप्स मिशन

'अगस्त प्रस्ताव' जनजाक्षों को सतुष्ट नहीं कर सका। सी० राजगोपा लाचारी एवं जवाहरलाल नेहरू जैसे ब्रिटिशों को युद्ध में सहायता देने के समयक नेताओं ने भी उनका विरोध प्रारंभ कर दिया और जयिल भारतीय कांग्रेस ने गांधी जी को पुन सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार प्रदान कर दिया। पर युद्ध की कठिन स्थिति के कारण गांधी न सावजनिक सविनय अवज्ञा के स्थान पर 'यवितगत जवना आदालन का प्रारंभ किया जो सवथा नवीन बात थी। इसके अतगत गांधी जी द्वारा व्यवितगत तौर पर 'यवितया का चुनाव किया जाता था। इस तरह से चुना गया व्यक्ति जिला अधिकारी को यह सूचना देता कि वह अपन जिले के लोगों को सरकार के युद्ध कार्यों से विरत करने के लिय काय करना प्रारंभ कर रहा है क्योंकि यह उनकी इच्छा के विपरीत उन पर थोपा गया है। इसके बाद वह सभाय आयोजित करके उसमें भाषण देगा और जय कायविधिया अपनायगा।<sup>2</sup>

यह नवीन आंदोलन नवम्बर 1940 में प्रारंभ हुआ और इस काय के लिये विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक सूचना भेज दी और एक युद्ध विरोधी सभा को संबोधित किया जिसके बाद उन्हें कद करके जेल में डाल दिया गया। अय कद किये जाने वाला की लाइन

1 और विस्तार के लिये देखें स्वेर एवं अफगोराई (संपादित) स्पीचेज ऐण्ड वाकु मेण्टस आन द इण्डियन का स्टीच्युशन भाग 2 इण्डियन एनुअल रजिस्टर (1940) भाग 2 प 244।

2 देखें नामन डी गांधी ट नेहरू पूर्वोक्त भाग 2 प 43।

लग गइ । नेहरू जी को अक्टूबर 1941 मे जेल भेज लिया गया और उनके बाद कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता एक के बाद एक जेल के अंदर ठूस दिये गये । जेल भेजने के लिये सभा मे भाषण देने की आवश्यकता भी न रही । अब तो केवल अधिकारी को सूचना ही इसके लिये पर्याप्त थी । इस तरह से लगभग 30 हजार लोग जेल भेज दिये गये । "इनमे से 6 प्रातो के भूत पूव मुख्यमंत्री थे 29 मंत्री और 290 प्रातीय विधान सभाओ के सदस्य थे ।"<sup>1</sup>

कुछ लोगो न गांधी के इस कदम की इसलिये आलोचना की कि उन्होंने यह काय तब प्रारभ किया जब ब्रिटिश अपने जीवन व मरण के प्रश्न मे उलझे हुये थे । सर सिकंदर हयात खा ने इस काय को 'ब्रिटिशो के पीठ मे छुरे' की सजा प्रदान की । पर जिन्हाने गांधी के इस काय की आलाचना की उन्होंने दूसरा कोई बेहतर रास्ता नहीं सुझाया जिसके द्वारा ब्रिटिशो ने उस काय की भत्सना की जाती जो उन्होंने भारतीया की वैधानिक महत्वाकांक्षा और अधिकारो को रौंदकर किया था । साथ ही विरोधाभासी तौर से अपने दश के बाहर के इन्ही अधिकारो की रक्षा के नाम पर लड़ाई कर रहे थे । यह भी नहीं कहा जा सकता था कि कांग्रेस के नेता युद्ध के खतरों से भिन्न नहीं थे और न यह ही कि वे मित्त राष्ट्र की कठिनाई बढ जाने से परिचित नहीं थे । पर बात सच मे यह थी कि इन्ही कारणो स जिसमे ब्रिटिश का दृष्टिकोण भारतीयो के प्रति इस बात की अपेक्षा करता था कि जोरदार आंदोलन प्रारभ किया जाय, तब केवल एक साधारण सा प्रतीकात्मक आंदोलन प्रारभ किया गया ।

कुछ काल तक तो ब्रिटिश सरकार को कोई दिक्कत नहीं हुई । पर जैसे-जैसे वैदियों की सत्या बढती गई आंदोलन जोर तत्सवध मे विस्तृत सूचनायें समाचार पत्रो मे प्रतिदिन आने लगी । जनता की दृष्टि युद्ध की ओर से आंदोलन की ओर मुडने लगी । अब ब्रिटिश सम्राट को भय ने सताना प्रारभ किया और उन्होंने जनता के मत को अपनी ओर मोडने का प्रयास किया ।

### परिषदीय विस्तार

इसी कारण वायसराय ने अपनी वायकारिणी परिषद एव परामशदात्री समिति का विस्तार किया । यह काय अक्टूबर 1941 की घोषणा के अंतगत किया गया । वायकारिणी परिषद मे अब 13 सदस्य हो गये जोर इस तरह 2 भारतीय सदस्य इसमे और जोड दिये गये । सभी भारतीया की सदस्या अब 8 हो गई । पर यह सब अब बहुत महत्व का नहीं था । कांग्रेस

और सींग ने चूँकि इस सदस्यता को अस्वीकार कर दिया था, इसलिये डा० जम्बदकर ही एक सगठित दल के प्रतिनिधि के रूपमें वहाँ थ और शेष तो वायसराय की हीर् में हा मिलान वाले लोग ही वहाँ थ । ये सदस्य गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे, विधान सभा के प्रति नहीं । उह गवर्नर जनरल ही पदासीन और पदमुक्त करता था और उनके हाथ में कोई शक्ति नहीं था । विदेशी मामले, रक्षा गृह और जय—ये सभी विभाग ब्रिटिशों के हाथ में सुरक्षित रह और कुछ महत्वहीन विभाग जिनमें कुछ का रक्षा पूति के लिये बनाया गया था भारतीयों को प्रदान किया गया । इस तरह स्पष्टतया जनमत को आर्कषित नहीं किया जा सका ।

### जेल से रिहाई

कायकारिणी परिषद के विस्तार के लगभग एक माह बाद एकाएक लगभग सभी बंदी सत्याग्रहियों को छोड़ देने का आदेश दिया गया । किसी को यह समझ में नहीं आया कि सरकार ने ऐसा क्यों किया । पर कुछ लोगों का मत था कि ऐसा नय कौंसिलरों के लिये जनमत जीतने के लिये किया गया जो विश्वासघाती माने जाते थे । यह बात सच भी लगती थी, क्योंकि जेल से मुक्ति का प्रस्ताव वायसराय के तीन भारतीय कौंसिलरों ने ही प्रस्तुत किया था । वायसराय को एक विचित्र स्थिति से बचाने के लिये ऐसा करना पड़ा । वैसे चर्चित यह नहीं जाहिर होना चाहता था कि गांधी और उनका दल जीत गये हैं और एक चुनौती के बाद ही उसने माना, 'मान लो पर जब तुम भारत छो देना तो हमारे ऊपर आरोप मत लगाना ।' पर यदि ऐसा था, तो जो सत्याग्रह जनमत का निर्माण कर रहा था अब प्रभावकारी होता जा रहा था । जसा भी हो कांग्रेसिया न वायसराय के इस काय में प्रसन्न होने के किसी तत्व का प्रदर्शन नहीं किया । सी० राजगोपालाचारी ने जहा इस आदेश का राजनतिक चाल के रूप में रोक देना चाहा महात्मा जी ने इसे चलते रहने देना चाहा । अतएव इस मामले को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को निणयाथ सौंप दिया गया ।

### युद्ध और उसके प्रभाव

इस बीच युद्ध की स्थिति और बिगड़ गई । पल हावर पर बमबारी करते हुये नाटकीय रूप से जापान भी इस युद्ध में कू पड़ा । इण्डोचायना, इण्डोनेशिया और मलाया उसके सामने धराशायी हो गये और 1942 के फरवरी के

अत तक वर्मा के भी धराशायी हान की नौबत आ गई।<sup>1</sup> युद्ध इस तरह भारत का दरवाजा खटखटान लगा और भारत में साम्राज्यवादी शोषण के दूत मि० चर्चिल का स्पष्टतया स्वीकार करना पड़ा कि भारत में ब्रिटिशों के पास उसकी रक्षा का कोई साधन नहीं है। पर भारतीय नेताओं की बात कुछ और ही थी। साधन हो या न हो उनके लिये यह स्वीकार करना कठिन था कि यदि ब्रिटिश साम्राज्यवादी जाय तो उनका स्थान उनसे भी बुरे जापानी साम्राज्यवादी ग्रहण कर लें। कांग्रेस ने इस तरह अपना सत्याग्रह आंदोलन स्थगित कर दिया और वादौली में 30 दिसंबर 1941 को उनके ही निवेदन पर महात्मा गांधी को इसके नतृत्व से मुक्त कर लिया गया और अब जवाहरलाल को देश की रक्षा के संगठन का काय सौंपा गया।

पर कांग्रेस के बाहर गांधी ने अपना निश्चय व्यक्त करते हुये कहा कि 'मैं चाह अवेला ही रहूँ या मुझे किसी संगठन का या व्यक्ति का समयन मिले मैं अपना काय करता रहूँगा।' वादौली के 30 दिसंबर 1941 के प्रस्ताव में कांग्रेसजना से यह कहा गया कि वे व्यक्तिगत तौर पर गांधी के उद्देश्यों की पूर्ति या सविनय अवज्ञा में सहयोग दे सकते हैं। पर औपचारिक तौर पर कांग्रेस का मत था कि अहिंसा हर परिस्थिति की दवा नहीं है और न ही राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय समस्या का ही। गांधी में नेता पद अपहरित करते हुये प्रस्ताव में घोषणा की गई, 'वैसे तो भारत के प्रति ब्रिटिश नीति में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, फिर भी काय समिति का विश्व स्थिति का जायजा लेना चाहिये जो इस युद्ध में उत्पन्न कर दिया है। इससे एक विश्व सघप प्रारंभ हो गया है और भारत के प्रति इसकी दृष्टि की ओर देखना ही होगा। कांग्रेस की सहानुभूति निश्चित रूप से उस जनता के प्रति ही है जो इस आक्रमण का शिकार है और अपनी स्वतंत्रता के लिये सघपरत है। पर एक आजाद और स्वाधीन भारत ही राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा का बंदम उठान की स्थिति में हो सकता है और उन कारणों को दबाने में सहभागी हो सकता है जो युद्ध के तूफान के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। भारत में पूरी पृष्ठभूमि ब्रिटिश

1 1 जनवरी 1942 को उताहरनाथ बम्बई के गवर्नर सर आर० लुम्पे वायसरॉय निनलिथगो का लिखा पिछला पत्र युद्ध संबंधी "यद्यपि मैं चिंता हूँ और इसमें कि आंतरिक राजनतिक स्थिति में कितना उतार चढ़ाव आयागा। यद्यपि मैं राजनीति के प्रति कल्पनाशीलता को बड़ा दिया हूँ। जापानियों का मलाया की ओर अग्रसर होना कलकत्ता से समाम लोग का भयना और विशेषतया रंगून की बमबारी हम "यद्यपि पूर्वक उस ओर दृष्टि करने को बाध्य किए हुए हैं एवं भविष्य के प्रति भ्राश्य छाया हुआ है। मैं मरे निरोलस एवं लुम्बी ई० डब्लू० आर० २ टासकर आफ पावर 1942 7 भाग 1 पृष्ठ 1।

द्वारा विरोध और अविश्वास की ही है और अत्यधिक दूरगामी आश्वासन भी इसे समाप्त नहीं कर सकत। और कोई भारतीय अपने आप एक दुराग्रही साम्राज्यवादी की अपनी इच्छा से सहायता नहीं कर सकता जो बिल्कुल फासीवादी अधिनायकवाद से मिलता जुलता है।<sup>1</sup>

पर इसका जय यह नहीं कि कांग्रेस सत्याग्रह की कायवाहिया बेकार गई। सरकारी दृष्टिकोण में उदारता के दशन हा रह थ जो उनके जनमत को अपनी जार आकृष्ट किये जान के प्रयासा से स्पष्ट हैं। और अब यदि युद्ध की विगडती स्थिति न कांग्रेस का अपना आदालन स्थगित करने को बाध्य किया था तो इसन ब्रिटिश अधिकारियों को यहा यह सोचने को भी बाध्य किया था कि वे शीघ्र ही भारतीयों के लिये राजनतिक रियायतो की घोषणा करें जिसस कि युद्ध सबधी काय में तेजी आ सके और भारतीयों की इस क्षत्र में सहानुभूति अर्जित की जा सके।

### भारतीय उदारवादी

1941 के माच और जुलाई में गैर दलीय नेताओं का सम्मेलन आयो जित हुआ जिसका सभापतित्व अखिल भारतीय उदारवादी सघ के भूतपूर्व अध्यक्ष सर टी० बी० सप्रू ने किया। इन सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किय गय जिनमें यह माग की गई कि युद्ध कार्यों के प्रति भारतीय सहानुभूति अजन के लिए केन्द्रीय कायकारिणी परिपद को राष्ट्रीय सरकार में परिवर्तित कर दिया जाय। प्राता में लोकप्रिय सरकारें स्थापित की जाय इंग्लैण्ड के युद्ध सबधी मन्त्रिमंडल में भारत को भी स्थान दिया जाय और महत्वपूर्ण मसला पर भारत स भी जय अधिराज्यों की भाति परामश किया जाय। इसके लिय चर्चिल के पास तार भेजा गया जो इस समय वाशिंगटन में थे। इस पर सप्रू के अतिरिक्त वामसराय के कायकारिणी परिपद के सदस्या के भी हस्ताक्षर थे। ब्रिटिश सरकार ने इस तार की जोर उचित ध्यान दिया जिसने भारत का एक मिशन भेजन का रास्ता खोला।

### जापानियों से सम्पर्क

तथाकथित गहारी कायवाहिया ने भी स्थिति पर प्रभाव डाला। 21 जनवरी 1942 को लाड लिनलियगा न भारत के राज्य सचिव मि० एल० एस० ऐमरी की लिखा, 'पूर्वी भारत से सनिक अधिकारियों की सूचना के

1 मानसरे एय लुम्बो (संपादित) पूर्वोक्त भाग 1 प 879-884।

2 वही पृ 45।

अनुभार बगाल आसाम बिहार और उड़ीसा विस्तृत और छतराज देश द्रोहियो का समूह है जो शत्रुओ के प्रति सहानुभूति की दृष्टि रखता है। शरत बोस ने तो उदाहरण स्थापित कर दिया है। यु सा और तिन तुत (एक प्रचर नागरिक अधिकारी जो उत्तरदायी जगह पर था) अय है और गभीर समस्यायें उत्पन्न कर रहे हैं।<sup>1</sup>

वायसराय लिनलियगो ने जिस शरतचंद्र बोस का सदभ ऊपर दिया है वह 'अपने भाई सुभाषचंद्र बोस के साथ फावड ब्लाग के नेता थे। यह सग ठन बगाल के कांग्रेसियो ने बनाया था जो कांग्रेस दल की परंपरावादी विचार धारा को अस्वीकार करते थे। शरतचंद्र बोस जैसे तो अक्टूबर 1940 में कांग्रेस से निकाल दिए गए थे पर वे अब भी बगाल विधान सभा में कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। 11 दिसंबर 1941 को भारत सुरक्षा अधिनियम के अंतगत उन्हें कैद कर लिया गया। भारत सरकार ने यह घोषणा की कि वे इस बात से पूर्णतया आश्वस्त हैं कि उनके और जापानियों के बीच संपर्क था जिससे उनका पकड़ा जाना अतिआवश्यक था।'<sup>2</sup>

दूसरी ओर युसा जो बर्मा का प्रधानमंत्री था और यु तिन तुत उमरा परामशदाता, इन्हें ब्रिटेन और अमेरिका की यात्रा से वापसी के बाद कैद कर लिया गया। 10 जनवरी को 10 डार्जनिंग स्ट्रीट से यह घोषणा की गई, "इस दश में यात्रा के बाद यह रिपोर्ट मिली कि यु सा जापान से तम से संपर्क में है जबसे उस देश से हमारा युद्ध प्रारंभ हुआ है। इस तथ्य को उसी स्वयं स्वीकार किया है। इसीलिए उसे कैद कर लिया गया है और अब उसे बर्मा वापस जान की अनुमति नहीं दी जायगी।"<sup>3</sup>

### इंग्लंड में उदारवादी विचार

18 दिसंबर 1941 को इंग्लैंड के 'टाइम्स' में ससद सदस्य सर जार्ज स्वस्टर का पत्र प्रकाशित हुआ। वे वायसराय की वायवहारिणी परिषद में अथ सदस्य रह चुके थे। एष पत्र इसी समाचार पत्र में इतिहासकार डॉ० एडवर्ड टाम्सन का भी प्रकाशित हुआ। इस पत्र में 'भारत में नयीन थाय' की बवालत की गई, वे द्र में प्रतिनिधित्वपूर्ण मंत्रिमंडल की स्थापना के लिय कहा गया और प्राता में सविद सरकार का परामश दिया गया।<sup>3</sup> पर अग्रजा में भारत की समस्या के प्रति सबसे अधिप सहानुभूति रखने वान व्यक्तित्व मि०

1 वही प 48।

2 वही (फूटनोट) प 49।

3 वही प 54।

बलीमेण्ट एटली थे जा 10 फरवरी 1942 तक युद्ध मन्त्रिमंडल में लाड प्रीवी सील रह चुके थे। सच यह था कि उही की राय पर भारत में त्रिप्स मिशन भेजा गया। मन्त्रिमंडल और उसके बाहर जा कुछ उहाने भारत के सबंध में कहा वह अध्ययन का एक रचिकर विषय है। हम यहा पर 2 फरवरी 1942 के भारतीय राजनतिक स्थिति के सबंध में उनके स्मरण पत्र का जश प्रस्तुत करन का लोभ सवरण नहीं कर पा रहे है मैंने रचिपूवक भारत के राज्य सचिव के स्मरण पत्र का अवलोकन किया है तथा वायसराय का तार भी देखा है पर मैं इस निष्कप को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ कि इस समय न तो कुछ किया जा सकता है और न किया ही जाय। यह तो मुझे वतमान स्थिति के प्रति अवहेलना की दष्टि का फल मालूम पडता है भारत के ऊपर युरोपिया और एशियाप्यो के बदले हुये सबंधो का पर्याप्त प्रभाव पडा है जो उस सदी के प्रारंभ से उस समय से शुरू हुआ जब जापानियो ने रूसियो का पराजित किया हम और अमरिका के लोग वतमान समय में जापानिया से जो पराजय झेल रहे है वह भी इस स्थिति को और आगे बढायेगा

4 वर्षों से अधिक तक उसी शत्रु से चीनिया का मुकाबला उसी रास्ते की जोर इंगित करता है। यह तथ्य कि हम चीनिया से युद्ध की सहायता सामग्री स्वीकार कर रहे है और इससे चीन हमारे समक्ष आकर पडा हो गया है यही बात भारतीयो को यह प्रश्न करन के लिए बाध्य करती है कि वे अपने ही घर में अपने मालिक क्या नहीं हो सकते इसी तरह से अद्ध प्राच्य सासदो के विरुद्ध प्राप्त सफलता ने इस ओर इशारा करना प्रारंभ कर दिया है कि अब पूरब पश्चिम के प्रभाव को नकारने का प्रयास कर रहा है भारतीयो द्वारा अधिकाधिक बहाया जाने वाला खून और आसू भुलाया नहीं जा सकेगा और भारतीय उसका पूण उपयोग करेंगे। राज्य सचिव का विचार है कि हम कुछ न करके इस आधी को बल जाय, पर आने वाले तूफाना का क्या होगा? इस तरह की अदूरदर्शी नीति राजनयनता नहीं है शिक्षित भारतीय ब्रिटिशो की यायप्रियता और स्वतन्त्रता की नीति को स्वीकृति पदान करत हैं। हमारी अवमानना भारतीय नतिक विचारा का माध्यम नहीं करता, बल्कि वह बग करता है जिसे हमने ही भारत में पदा किया है वायसराय का फूहड साम्राज्यवादी दूर दृष्टि की अवहेलना कर नीति की ओर बढ़त बढाता आत्महत्या की बगार पर खडा है और अब वह बाल आ गया है जब हम कूटनीतिज्ञता का परिचय दें भारतीय राजनीतिक दला का एक करन का प्रयास होना चाहिये। यह इस तार से स्पष्ट है कि वायसराय वह व्यक्ति नहीं है जा यह वाय करगा। लाड डरहम ने कनाडा का ब्रिटिश साम्राज्य के लिये बचाया था। हम एक ऐसा

व्यक्ति चाहिये जो भारत में डरहम की भूमिका अदा करे इस तरह मेरा निष्कर्ष यह है कि भारत में एक ऐसा प्रतिनिधि भेजा जाय जिसके पास बातचीत करने के विस्तृत अधिकार हों। वह चाहे विशेष दूत हा या वतमान वायसराय का कोई स्थानापन्न। इसके अतिरिक्त एक मद्रिभन्तीय समिति नियुक्त की जानी चाहिये जो इन सब शर्तों को व शक्तिया को तय करे।"<sup>1</sup>

### विश्व जनमत

विश्व जनमत का भी इसमें कम योगदान नहीं था। सुदूरपूरव में ब्रिटेन और अमेरिका पर जापान के आक्रमण ने प्रेसीडेंट रूजवेल्ट को यह सोचने को बाध्य कर दिया था कि जापान के विरुद्ध भारत को ही युद्ध का आधार बनाया जाय। पर इसमें भारतीयों का सहयोग अपेक्षित था। चीन के जनरल चियांग काई शेक ने जो इस युद्ध में सम्मिलित थे और एक बड़े राज्य के नेता थे, एवाएच 1942 की बसत ऋतु में भारत की यात्रा की। अपनी इस यात्रा के दौरान इस नेता ने स्पष्टतया भारत की माग मान लेने की ब्रिटिशों से अपील की। लंदन के 10 डाउनिंग स्ट्रीट में चियांग की इस यात्रा से कितनी घबराहट पैदा हो गई वह चर्चिल के 3 फरवरी 1942 के एक पत्र से स्पष्ट है। इसमें उसने कांग्रेस सदस्यों की महत्ता को कम करने का प्रयास किया था, जिनसे वह मिलना चाहता था। शेक को सम्बोधित अपने पत्र में चर्चिल ने लिखा, "हम इस बात से अत्यधिक प्रसन्न हैं कि आप भारत की यात्रा पर आ रहे हैं जहां तक आपके गांधी या नेहरू से मिलने का प्रश्न है वे ब्रिटिश शासक में असहयोग की नीति पर चल रहे हैं। इस तरह यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर गंभीर विचार की आवश्यकता है किसी भी स्थिति में यदि आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों से मिलना प्रारंभ ही करते हैं तो यह आवश्यक है कि आप 8 करोड़ मुसलमानों के प्रतिनिधि मि० जिना से भी मिलें। इसके अतिरिक्त 4 करोड़ शोपित वर्ग के तथा करोड़ लोगों पर शासन करने वाले राज्यों के प्रतिनिधियों से भी आपको मिलना चाहिये जिनसे ब्रिटिश सरकार संधि के माध्यम से आबद्ध है। कांग्रेस पार्टी, वैसे तो कुछ वर्ष पूर्व प्रांतीय चुनावों में सफल रह चुकी है, पर किसी भी स्थिति में वह उन जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती जो युद्ध में इतनी कुशलता से लड़ रहे हैं।"<sup>2</sup>

1 मासरे एच लुम्बी द टाइम्स ऑफ़ पावर 1942 7 भाग 1 1970 प 110 112।

2 देखें धीरे-द्विनाय सन रिवोल्यूशन बाई व से ट प 215।

3 मासरे एच लुम्बी पूर्वोक्त भाग 1 प 113 114।



पुन लिनलिथगा को एक प्रेषण म 3 फरवरी 1942 म चर्चिल न लिया 'हम सभवतया किसी दश के नेता को एक तटस्थ व्यक्ति के रूप म गांधी व नहरू तथा ब्रिटिश सम्पाट क बीच प्रश्न हल करने वाले व्यक्ति के रूप मे स्वीकार नहीं कर सकते। मुझे यह आशा है कि जब वह आपस और आपकी कौंसिल स मिल चुकेंगे ता वे सूचित दल वाला से नहीं मिलेंग किसी भी स्थिति म उसे नहरू स न मिलन दिया जाय। जसा आपन लिया है इलाहाबाद म उतरकर या किसी जय स्थान पर। ऐसी किसी भेंट को गुप्त नहीं रखा जा सकेगा और यह बात पूरे भारत के बाजारा मे अखिल एशियाई भावना क साथ बीमारी की तरह फल जायगी।' <sup>1</sup>

आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री डा० इवाट न भी ब्रिटिश को इस मामल म आगे बढ़ने को कहा और यही बात ब्रिटिश ससद के बहुत स सदस्या न भी कही। 8 मार्च 1942 तक चर्चिल पर उस समय यह दबाव और बढ़ गया जब रगून का पतन हो गया जिसस इस मसले की महत्ता बढ़ गई। इस घटना के तीन दिन बाद चर्चिल को अपने पाव तले स धरती खिसकती नजर आई और उसने यह घोषणा की कि लाड प्रीवी सील सर स्टफड त्रिप्स जो सदन के नेता और समाजवादी हैं, एक एमे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस को मित्र राट्टो की तरफ युद्ध म लाने मे सफलता प्राप्त की है जिन्होंने इसके पूर्व ही दो बार भारत की यात्रा की है और भारतीयो म लाकप्रिय हैं और नहरू के मित्र हैं भारत जायेंगे और गतिरोध दूर करने का प्रयास करेंगे।

इस तरह ये परिस्थितिया थी जिन्होंने भारत के प्रति ब्रिटिश दृष्टिकोण को उदार बनाया जिससे त्रिप्स मिशन भारत भेजा गया।

सर स्टफड त्रिप्स दिल्ली 22 मार्च 1942 को पहुँचे और तुरत गवर्नर जनरल तथा उनके कौंसिलरो से बातचीत प्रारंभ कर दी। विभिन्न दला के प्रतिनिधि उनसे मिले तथा 20 दिनो तक उनसे विचार विमर्श और बातचीत चलती रही। इस बातचीत म कांग्रेस का प्रतिनिधित्व नहरू और मौलाना आजाद न किया लीग का प्रतिनिधित्व मि० जिना ने किया। अछूतो का नेतृत्व डा० अम्बेदकर और एम० सी० राजा ने किया। हिंदू महासभा का नेतृत्व सावरकर तथा उदारवादियो का सर टी० बी० सप्रू तथा जयकर न किया। इसके अतिरिक्त जय छोटे छोटे समूहो और राजाओ से भी परामर्श किया गया। लोगो ने सोचा कि त्रिप्स गतिरोध दूर करने की कोई योजना लेकर आये हैं और उहे अंतिम निणय का

1 वही भाग 1 प 114।

2 देखें आजाद, मौलाना ए के इण्डिया विज क्लाइम प 47।

अधिवार प्राप्त है। पर इस बार भी पुन जैसे समय बीतता गया, जाशयें निराशा में बदलती गईं और वे अतंत समाप्त ही हो गईं। क्रिप्स गतिरोध समाप्त करने में सफल नहीं हुये।

## क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव

अपने साथ जो प्रस्ताव लेकर क्रिप्स आया और जिस सबध में भारतीय नेताओं से बातचीत हुई उह दो भागों में बाटा जा सकता है (अ) वे जो लम्बी अवधि की व्यवस्था से संबंधित थे, और (ब) वे जो अंतरिम अथवा तुरन्त व्यवस्था के लिये थे।<sup>1</sup>

### लंबी अवधि संबंधित प्रस्ताव

(1) अधिराज्य स्थिति वाले नये भारतीय संघ का निर्माण जो ब्रिटेन तथा अन्य अधिराज्यों से सम्राट के प्रति स्वामिभक्ति के माध्यम से जुड़ा हो, पर जो हर भाति उनके ही समान स्तर का हो। यह व बदेशिक मामलों में वह सहायक स्थिति में न हो।

(2) युद्ध के तुरन्त बाद संविधान निर्मात्री सभा बने। संविधान निर्मात्री सभा की रचना निम्न तरह से की जाय। पर युद्ध के पूर्व ही यदि मुख्य संप्रदायों के नेता चाहे तो इसमें परिवर्तन कर सकते हैं (अ) प्रांतीय चुनावों के परिणाम घोषित होने के तुरन्त बाद प्रांत में निचल सदन के सभी सदस्य एक इलेक्टोरल कालेज के रूप में संविधान निर्मात्री सभा का चुनाव करने के लिये आगे बढ़ेगा जिसका आधार आनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा। यह नई सभा सद्य में इलेक्टोरल कालेज की एक दहाई होगी। (ब) भारतीय राज्यों को इस सभा के लिये आमंत्रित किया जायेगा कि वे अपनी संपूर्ण जनसंख्या के उसी अनुपात में प्रतिनिधि नियुक्त करें जिस अनुपात में ब्रिटिश भारत में नियुक्त किये गये हों।

(3) ब्रिटिश सरकार इस सभा द्वारा रचित संविधान को स्वीकार करेगी और लागू करेगी। पर उसकी निम्न शर्तें होंगी (अ) यदि भारत का कोई प्रांत नये संविधान को स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो उसे पुराने संविधान को बनाये रखने का अधिकार होगा। पर बाद में भी उस यह अधिकार होगा कि वह नये संविधान को स्वीकार कर ले। (ब) संविधान को स्वीकार न करने वाले प्रांतों को यदि वे चाहें तो यह अधिकार होगा कि वे एक अलग से अपना

1 स्टेफ़र्ड के प्रस्ताव 30 अप्रैल 1942 को प्रकाशित कर दिये गये।

सविधान तैयार करें जो उपरोक्त नियमों के अनुरूप होगा। उह भी भारतीय सभ की तरह उसी तरह का अधिकार प्राप्त होगा। (स) ब्रिटिश सरकार और सविधान निर्मात्री सभा के बीच एक समझौता किया जायगा। इस समझौते में वे सभी बातें सम्मिलित होंगी जो भारतीय हाथों में शक्ति हस्तांतरण से सम्बद्ध हैं, जस जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रदान की जान वाली रक्षा। भारतीय सभ के राज्यों पर यह प्रतिबंध नहीं लगाया जायेगा कि वे अपने भविष्य के संबंध को ब्रिटिश कामनवेल्थ से जुड़ा ही रखें जिसका दूसरा अर्थ था कि सभ चाहे तो कामनवेल्थ से अलग भी हो सकता था। (द) राज्य हर बात के लिये स्वतंत्र होंगे कि वे नया सविधान को मानें या न मानें। सविधान न मानने पर वर्तमान सभ में परिवर्तन की व्यवस्था की नई परिस्थिति के अनुसार आवश्यकता होगी।

### तात्कालिक व्यवस्था

अंतरिम काल के लिये ब्रिटिश सरकार रक्षा की व्यवस्था का नियंत्रण "विश्व युद्ध के प्रयास के एक भाग" के रूप में करेगी। पर वे तुरंत मुख्य दलों के नेताओं को आमंत्रित करके प्रभावी ढंग से सहयोग लेंगे तथा सहयोगी "अपने देश कामनवेल्थ और राष्ट्र सभ के विचारों के आधार पर कार्य करेंगे।"

एक मूल्यांकन—ब्रिक्स प्रस्ताव निश्चित रूप से अगस्त प्रस्ताव से एक आगे बढ़ा हुआ कदम था। प्रथम, इसलिये कि यह अधिक स्पष्ट और सक्षिप्त था। द्वितीय, इसलिये कि देश को निश्चित आश्वासन दिया गया कि उसे अधिराज्य का स्तर प्राप्त होगा। तृतीय ब्रिटिश कामनवेल्थ से अलग होने की छूट भी प्रदान की गई। चतुर्थ, सविधान बनाने का उत्तरदायित्व पूर्णतया भारतीयों के हाथों में सौंपा गया। 'अगस्त प्रस्तावों में भारतीयों को सिद्धांत व विधि संबंधी मतलों पर बातचीत का अवसर देना था जिसके आधार पर सविधान बनना था, पर वर्तमान प्रस्ताव ने एक निश्चित योजना ही प्रस्तुत की जिसमें युद्ध के बाद एक सविधान निर्मात्री सभा की रचना का निश्चय हुआ। यह भी तब जब सभ के पूर्व भारतीय यह कार्य न कर सकें। दूसरे शब्दों में यदि भारतीय सविधान पर राजी न होते तो भी ब्रिटिशों को भारत में बने रहने का अवसर न मिलता क्योंकि भारत को एक या अनेक इकाइयों में स्वतंत्रता प्राप्त ही होनी थी। पंचम लीग जैसे अल्पसंख्यक दलों को इससे अधिक सतोष हुआ क्योंकि पाकिस्तान के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया।

पर फिर भी प्रस्तावों में बहुत से दोष थे जिसके कारण यह असफल हो

गया और भारत के किसी राजनैतिक दल ने इसे स्वीकार नहीं किया। अपने 11 अप्रैल 1942 के प्रस्ताव में कांग्रेस काय समिति ने युद्ध मंत्रिमंडल के इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया जिसके निम्न कारण थे—(1) प्रस्ताव मुख्यतया भविष्य से जुड़े थे अर्थात् सघष की समाप्ति के बाद, जबकि समिति का विचार था कि "एक स्वतंत्र एक स्वाधीन भारत ही राष्ट्रीय स्तर पर देश की सुरक्षा व्यवस्था कर सकता है।" (2) जहाँ भविष्य की स्वाधीनता प्रस्तावों में अस्पष्टता थी, साथ ही धारा और प्रतिबंध ऐसे थे कि 'सच्ची स्वतंत्रता का पता ही नहीं था।' सविधान निर्मात्री सभा इस तरह रची गयी थी कि लोगों का आत्म निश्चय का अधिकार राज्यों के गैर प्रतिनिधित्व तत्वों के नीचे देव जाता। (3) वैसे तो भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व सविधान निर्मात्री सभा में जनसंख्या के आधार पर निश्चित किया गया पर राज्यों के लोगों को प्रतिनिधि चुनने का कोई अधिकार नहीं प्राप्त हुआ और न ही उनके मसलों पर उनसे मत लेने का प्रावधान ही किया गया चाहे उ ही के सबंध में ही कोई निणय क्यों न लिया जाना हो। भारतीय राजाओं के राज्य की 9 करोड़ की जनसंख्या "निर्जीव वस्तु की भाँति राजा की दया पर छोड़ दी गई।" (4) राज्यों को सघ स अलग हो जाने का प्रदत्त अधिकार दुर्भाग्यपूर्ण था। 'ऐसे राज्य भारतीय स्वतंत्रता के विकास में व्यवधान बन सकते थे, ऐसे स्थानों पर विदेशी अधिकार फलन की संभावनाएँ थी और ऐसे स्थानों पर विदेशी सेनाओं के आ जमन की संभावना थी जो राज्यों और भारत दोनों की स्वतंत्रता के लिये एक आघात थी।' (5) पहले से ही स्वीकृत प्रातों के लिए अलग होने के नवीन सिद्धांत भारतीय एकता की विचारधारा के लिये एक गंभीर आघात था और अय प्रातों में इस बीमारी को फला सकता था तथा अय प्रातों के भारतीय सघ में सम्मिलित होने में कठिनाइया उत्पन्न कर सकता था। फिर भी इसमें सदेह नहीं है कि यह भारतीय स्वतंत्रता और एकता के प्रति समर्पित था।

दूसरी ओर मुस्लिम लीग ने इन प्रस्तावों को अय कुरण से अस्वीकार कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि जिना ने लीग की स्वीकृति के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया, पर इस सबंध में उन्होंने कांग्रेस की प्रतिक्रिया जानने की चाही। जब इसे कांग्रेस में अस्वीकार कर दिया तो उन्होंने प्रस्ताव फिट डाले और एक नया प्रस्ताव उपस्थित किया जिसमें निम्न आलोचनाएँ थीं। लीग काय समिति ने अपने 11 अप्रैल 1942 के प्रस्ताव में भारत में दो या दो से अधिक स्वतंत्र राज्यों की स्थापना के आधार पर पाकिस्तान रचना की संभावना पर आभार व्यक्त करते हुये भी इन बातों के लिए क्षोभ व्यक्त किया, (1) प्रस्तावों में सुधार की संभावना नहीं है और इसी कारण अय प्रस्ताव

आमंत्रित नहीं किये गये हैं, (2) ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य घोषणा में यह था कि एक भारतीय संविधान तैयार किया जाय जिससे एक से अधिक राज्या के निर्माण की बात परदे के पीछे चली गई और शासक सगन लगी, (3) संविधान सभा के प्रस्ताव का मूल उद्देश्य एक भारतीय सभ की रचना थी। इस कारण मुसलमानों को इस संविधान सभा में सम्मिलित करना उचित नहीं था क्योंकि लीग ने अंतिम रूप में यह निश्चय कर रखा था कि भारतीय संविधान की समस्या का एकमात्र हल भारत का पूर्ण स्वतंत्र भाग में विभाजन ही है (4) संविधान निर्मात्री सभा के चुनावों में मुस्लिम अधिनारा की रक्षा हेतु अलग निर्वाचन की व्यवस्था नहीं की गई थी, (5) वसंतो पाकिस्तान के निर्माण की बात स्वीकार कर ली गई थी, पर जो विधि अपनाए का निश्चय किया गया था वह इसके विरोध में जाता था क्योंकि प्रस्तावों में राज्य से अलग होने का अधिकार पूर्व निर्मित प्रांतों को प्रदान किया गया था जो समय-समय पर प्रशासकीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। पर लीग की मांग का आधार साम्प्रदायिकता का सिद्धांत था जो पाकिस्तान के निर्णय का आधार था (6) जहां तक भारतीय राज्या का संघ था यह उनका ऊपर था कि वे भारतीय सभ में बन रहें या उससे अलग हो जायें, (7) जहां तक सम्राट और भारतीय सभ के बीच समझौते का प्रश्न था, प्रस्ताव में यह नहीं बताया गया था कि यदि दोनों के बीच समझौता नहीं होगा तो क्या किया जायेगा और न इस संघ में ही कोई प्रावधान था कि जब भेदभाव पैदा होगा तो नई परिस्थितियों में भारतीय राज्या की परिवर्तित संधि व्यवस्था के लिये क्या किया जायगा, और (8) अंतिम व्यवस्था के संघ में प्रस्ताव में अनिश्चयता थी।

पिछड़े वर्ग के लोगों ने भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उनका तर्क था कि उनके हितों को आवश्यक सुरक्षा नहीं प्रदान की गई है। उनके अनुसार इस योजना को पूर्ण रूप से अस्वीकार या स्वीकार किया जा सकता था, उसमें बातचीत का अवसर भी नहीं था तथा अगस्त प्रस्ताव के संघ में की गई घोषणा अनावश्यक थी। इस तर्क में यह कहा गया था कि "वर्तमान घोषणा का उद्देश्य किसी को उससे स्थान से हटाना नहीं है बल्कि इन घोषणाओं को स्पष्ट रूप से आरोपित करना है और भारत के लोगों को यह बताना है कि युद्ध मंत्रिमंडल को ऐसा करने में कितनी रचि थी।

अब दला में, उदारवादियों ने इस प्रस्ताव में भारत की प्रतिष्ठा और सुरक्षा का हित देखा। हिंदू महासभा ने इसे इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें पाकिस्तान की रचना को स्वीकार कर लिया गया था। सिखों को डर था कि पंजाब का मुस्लिम-बहुल इलाका पाकिस्तान में न चला जाय जिस



करे पर जैसा लीग न कहा यह नहीं स्पष्ट किया गया था कि यदि सधि करने वाले दोनों पक्षों में कोई भेदभाव पदा हुआ तो उसका निराकरण कौन करेगा। यदि ऐसा निणय ब्रिटिश सरकार का करना था तो निश्चित रूप से भारत पूर्णतया स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था।

प्रो० लास्की ने ठीक ही कहा है कि पूरा योजना 'अतिशीघ्रता में लाई गई थी और इसमें ब्रिटिशों की उस आदत का परिचय मिलता था जिसके विषय में किंग्सले मार्टिन ने ठीक ही विवरण दिया था कि वह उदाहरता से क्षमा करा की कला में माहिर हैं जो गभीर गस्तिया करत हैं।'<sup>1</sup> त्रिप्स के एक मित्र ने भी अपनी धारणा व्यक्त करत हुए कहा कि, "यह समय में नहीं आता कि त्रिप्स जसा व्यक्ति भी शताब्दी की कालत करन को तैयार हो गया।"<sup>2</sup>

साथ ही प्रस्तावा का अभाव व वह तरीका जिस तरह से इसे भारत पर लादने की चेष्टा की गई इसकी असफलता का कारण था। सर त्रिप्स को इस बात के लिये बड़ी प्रतिष्ठा मिली थी कि वह रूस को मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ने के लिये तैयार करन में सफल हुये थे। उसके समझाने के ढंग तथा भारत से उसके पुराने संबंधों से यह पूरा जाशा थी कि वह योग्य तरीके से भारतीय समस्या का हल निवाल लेंगे पर वास्तव में उनकी जल्दबाजी, अस्पष्टता और बात बात में अनिश्चय ने सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। जब पहली बार उहाने प्रस्तावा को परिभाषित किया तो उस समय का चित्र बड़ा आकर्षक था। इस संबंध में कांग्रेस प्रेसीडेंट मौलाना आजाद ने लिखा, 'प्रस्तावा का मूल परिणाम यह है कि वर्तमान कार्यकारिणी परिषद में ब्रिटिश सदस्यों के स्थान पर अब केवल भारतीय होंगे। ब्रिटिश अधिकारी अब कौंसिल के सदस्य न रहकर केवल सचिव बने रहेंगे।' पर युद्ध के पूर्व सरकार ने बदलेगी यह भी प्रस्तावित था। युद्ध के तुरंत बाद भारतीय स्वतंत्रता का संपूर्ण प्रश्न हाथ में लिया जाना था। इसके अतिरिक्त इस तरह से बनी कार्यकारिणी परिषद में वायसराय सविधान के अध्यक्ष के रूप में वैसे ही कार्य करेगा जस इंग्लैंड में सचिव। इंडिया आफिस यथावत बना रहेगा और उसका सचिव अथवा अधिराज्य सचिवों की तरह शक्ति प्राप्त किया रहेगा। ये सारे स्पष्टीकरण मौलाना आजाद को त्रिप्स ने प्रथम साक्षात्कार में दिये। पर दूसरे साक्षात्कार में उन्होंने इन सभी आश्वासनों से हाथ धींच लिया। उदाहरणार्थ, कार्यकारिणी परिषद के संबंध में उन्होंने दूसरे साक्षात्कार में बताया कि वह

1 लास्की पूर्वोक्त प 354।

2 और विस्तार के लिये देखिये सर एव मॉन्टगोमरी पूर्वोक्त, भाग 2।

केवल यह जाशा करें कि परिपद "युद्धकाल म भी मन्त्रिमडल की तरह बाय करेगी।" रक्षा के मामले में, त्रिप्स बड़ी सोच विचार क बाद एक भारतीय सुरक्षामंत्री को नियुक्त करन को तैयार हो गया। पर इस मंत्री को विदेशी मिशनो स मिलने की व्यवस्था, कैंपटीना, छपाई, स्टेशनरी आदि का बाय ही सीपा गया, सुरक्षा का काई मामला नहीं।

मौलाना आजाद बहुत परेशान थे कि आघिर त्रिप्स न अपनी दृष्टि में ऐसा परिवर्तन क्यों कर लिया। यहाँ मौलाना की बात विस्तार म उदघत है, "एक बात तो यह कही जा सकती है कि सर स्टेफड को यह आशा रही होगी कि वह अपना प्रस्ताव कांग्रेस स समझा बुझाकर मनवा लेगा, भले ही इससे स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता था। उसी कारण उसन प्रारंभ में स्पष्ट आश्वासन दिये थे जिससे उसके आन का अनुकूल प्रारंभिक प्रभाव पड़े। पर जब उसके प्रस्तावों की विस्तार से परीक्षा की गई और उससे इस पर विस्तार म तक वितक किया गया तो उसे लगा कि उसे सावधान रहना चाहिए तथा उसे ऐसी आशाएँ भारतीयों म नहीं जगानी चाहिय जिस पूरा करन की क्षमता ही उसमें नहीं है। एक अर्थ तक यह दिया जाता है कि भारत सरकार की अदरनी व्यवस्था ने उसे प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया था। वह लगातार वायसराय और उसके सहायका से घिरा रहता। सम्भवत यह स्वाभाविक था कि उनका दृष्टिकोण उसके विचारों पर अपना रंग चढा देता। तीसरा तक यह दिया जाता है कि इस बीच दिल्ली और लदन के बीच सम्म्या के सवध में विचार का आदान प्रदान हुआ और ब्रिटिश युद्ध मन्त्रिमडल ने उसके पास कुछ नई सूचनाएँ भेजीं जिसम उसम कटा गया कि यह आवश्यकता स अधिक आगे न बढ़े अर्थात् उस इमका उत्तरदायी होना पडेगा।" भारत के भूतपूर्व गवर्नर जनरल और अमेरिका म इंग्लंड के राजदूत लाड हेलीफाक्स का भाषण इस मसल पर महत्वपूर्ण था। उसन कहा यह चेतावनी दी कि यदि मिशन को सफलता नहीं मिली तो भारत का शक्ति का हस्तांतरण ही नहीं किया जायेगा।

मौलाना आजाद न उपरोक्त विवरण देत हुय यह निष्कप निष्कर्ष है कि "उपरोक्त सभी बातों न परिस्थितियों के परिवर्तन में सम्भवतया सहयोग दिया।" पर त्रिप्स के विषय में उहने निष्कर्ष है कि, 'त्रिप्स एक बरील थ, इस कारण उनकी आदत चीजा को अधिक जासूसी ढंग स प्रस्तुत करन की थी जो तथ्य से कोसो दूर होते थे मैंन बाद में मुना कि माम्को म भी



कभी कभी वे अपनी सीमा को लाघकर आगे बढ़ जाते थे।<sup>1</sup>

क्रिप्स ने आवश्यकतानुसार कांग्रेस और उसके अध्यक्ष के विरुद्ध बहूदे आरोप लगाने में भी कोताही नहीं की। पर यह उसने तब किया जब उसे लगा कि वे उसके प्रस्तावा की स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उसने उनके ऊपर एक अवसर पर यह आरोप लगाया कि वे प्रेसीडेंट रजवल्ड के व्यक्तिगत सहायक लुई जासन से सहायता लेने का प्रयास कर रहे हैं। जब कुछ समाचार पत्रों में कांग्रेस पक्षीय दृष्टि प्रकाशित करते हुए उसके प्रस्तावा की आलोचना हुई तो क्रिप्स ने मौलाना आजाद का जाहूत करने का प्रयास करते हुये कहा कि 'हिन्दू प्रेस' प्रस्तावा का स्वागत नहीं कर रहा है, जब कि कहा यह जाना चाहिए था कि प्रेस का एक वर्ग इसका स्वागत नहीं कर रहा है। मौलाना ने लिखा है कि 'हिन्दू प्रेस का यह सब हमारी समझ में नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि संभवतया वह 'हिन्दू प्रेस' पर इसलिए जोर दे रहा है क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ।'<sup>2</sup>

सच तो यह था कि क्रिप्स की भारतीय प्रेस के प्रति दृष्टि बढोर थी। प्रो० तास्को ने इस सब में लिखा है 'सर स्टेफड के लिये 'लेन और देन' की मनोदशा में जाना मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बिनाशकारी था, और वापसी पर यह सूचित करना कि हमने भेंट से अपना हाथ धो लिया है। इसमें यह निश्चित रूप से दिखता था कि मित्त राष्ट्रों के बीच प्रचार की एक कला की शरण ली जा रही है जहाँ अमेरिका फिलीपाइंस के सबंधों की तुलना ब्रिटेन भारत सबंधों में विरोधाभास से की जाती थी।'<sup>3</sup>

1 आजाद ए के पूर्वोद्धत प 52-53।

2 वही प 54-55।

3 तास्की पूर्वोद्धत, प 362। और विस्तार के लिये देव शर्मा ज एस पूर्वोद्धत प 589-613।

## ‘भारत छोड़ो’ आन्दोलन

### परिस्थितियाँ

11 अप्रैल 1942 को एवाएक त्रिप्स प्रस्ताव वापस ले लिया गया। त्रिप्स मिशन का नाटक अब केवल प्रचार लगने लगा जिसमें भारत की मांगों की अनदेखी कर दी गई। इस बात को भारत के राज्य सचिव द्वारा उसके 10 जून 1942 के पत्र में भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया। उसने वायसरॉय को लिखा “त्रिप्स मिशन अब तक उसके (चर्चिल) मस्तिष्क की पृष्ठभूमि में चला गया था। उसके लिए मुख्य बात यह थी कि इसका अच्छा प्रभाव अमेरिका में पड़ा है, शेष के लिए वह परेशान नहीं है। सच में वह इस समस्या को पहले की ही भांति नापसंद करता था।”<sup>1</sup> पर इंग्लैंड में जनमत को मूख नहीं बनाया जा सकता था और बी० बी० सी० के दृष्टिकोण से परेशान होकर लिनलिथगो ने राज्य सचिव को लिखा ‘मैं इस बात से इधर बहुत परेशान हूँ जो बी० बी० सी० ने गांधी और नेहरू की बातों को इतनी महत्ता दी है इससे पूरे विश्व में यह प्रभाव पड़ता है कि नेहरू और गांधी अखिल भारत की ओर से बोलने के अधिकारी हैं और हमारे स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं मेरी राय है कि यदि यह सम्भव नहीं है कि बी० बी० सी० को इस प्रचार से रोका जा सके और वह शत्रु साधनों की तरह यह कार्य करते रहे, तो कम से कम यह तो कर ही दिया जाय कि उनके ऐसे समाचारों की छानबीन कर ली जाय करे तथा उनको कम से कम प्रचार का अवसर प्रदान किया जाय।’ विश्व के अन्य क्षेत्रों में ब्रिटिश भारत की गद्दी तस्वीर प्रस्तुत करने में सफल हो जाते और वे यह तक देते कि भारत के विभाजित लोग तुरंत स्वतंत्रता प्राप्ति के योग्य नहीं हैं, भारत के अंदर स्थिति यह थी कि त्रिप्स मिशन का परिणाम निराशापूर्ण था। कांग्रेस के इस प्रयास को, कि भारत को पुनर्गठित करके जापानियों से प्रभावपूर्ण ढंग से लड़ने को तैयार किया जाय, धक्का लगा और दश के सामान्य लोगों में निराशा फैल गई जो देश के लिए पूणतया हानिकर सिद्ध हो सकती थी। मौलाना आजाद

1 मानसरे और लम्बी द टाइम्स आफ पावर 1942 47 भाग 2 पृ 198।

2 वही पृ 276 77।

ने इस सबध मे लिखा है कि "ब्रिटिशों का विरोध इतना तीव्र हो गया कि वे भारत पर जापानियों के विजय के परिणाम की कल्पना करना भी भूलने लगे।" इसीलिये जवाहरलाल को यह आवश्यक लगा कि 'जनता की सखी निष्क्रियता की भावना को अपरवशता और प्रतिरोध की भावना में परिवर्तित किया जाय। वस यह अपरवशता की भावना ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध जायगी जो एक आक्रमणकारी के विरुद्ध प्रतिरोध जसी दिखेगी। आत्माकारिता और सेवा भाव दूसरे के प्रति उसी भाव को जन्म दगी और इस तरह अपमान और पतन की स्थिति जा जायेगी।'<sup>1</sup>

इसी बीच भारत के विरुद्ध जापानी घतरा बढ़ गया और बंगाल पर उस का आक्रमण निश्चित लगने लगा। गांधी को किसी तरह इस समय यह विश्वास हो गया कि यदि ब्रिटिश इसी समय भारत छोड़ दें तो जापानिया के भारत पर आक्रमण का कोई कारण नहीं रहेगा। इसीलिये यह प्रस्तावित किया गया कि कांग्रेस तुरत भारत छोड़ो' का एक प्रस्ताव पारित करे। गांधी ने लुई फिशर से कहा भी, 'वापसी और गैर वापसी के बीच कोई स्थान नहीं है। सचमुच में ब्रिटिशों के पूण शारीरिक वापसी की माग नहीं कर रहा हूँ।'<sup>2</sup> माग केवल यह थी कि तुरत सत्ता हस्तांतरण कर दिया जाय। यदि ऐसा न किया गया तो कांग्रेस ब्रिटिशों के विरुद्ध एक अहिंसात्मक आन्दोलन चलायगी। गांधी का सम्वत यह विश्वास था कि जापान भारत के दरवाजे घटखटा रहा है। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश इस आन्दोलन के विरुद्ध कोई कदम उठाने के स्थान पर कांग्रेस से समझौता कर लेंगे।

### कांग्रेस प्रस्ताव

इसीलिए 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस काय समिति की बैठक हुई और इसके अध्यक्ष मौलाना आजाद के इस विचार के बावजूद कि 'अहिंसात्मक आन्दोलन नहीं छोड़ा जा सकता और न ही वर्तमान परिस्थितिया में चलाया ही जा सकता है'<sup>3</sup> और यह कि यदि तत्संबंधी प्रस्ताव पारित भी कर दिया जाय तो सरकार कांग्रेसी नेताओं के विरुद्ध कठोर कदम उठायेगी, प्रस्ताव पारित कर दिया गया। प्रस्ताव में निम्नलिखित मुख्य मुद्दे रखे गये (1) कांग्रेस ब्रिटिश विरोधी भाव का परित्याग कर उसके प्रति सदच्छा के लिए तैयार है तथा मित्रराष्ट्रों के पक्ष में युद्ध के मसलों पर भी उसका सहयोग करने को तैयार है

1 आजाद इंडिया वि स फ्रीडम प 71-72।

2 वही।

3 वही, प 76।

पर यह तभी जब “भारत का स्वतंत्रता की किरण की अनुभूति हो।” (2) भारत की साम्प्रदायिक समस्या का हल तभी होगा जब ब्रिटिश इस देश को छोड़कर चले जायेंगे। (3) “यह प्रस्ताव करके कि ब्रिटिश भारत को छोड़कर चले जाय, कांग्रेस की इच्छा यह नहीं है कि ब्रिटेन और मिस्रराष्ट्रों के युद्धकाय मे बाधा डाली जाय।” इसके प्रमाण के लिए कांग्रेस इस बात से सहमत है कि मिस्र राष्ट्रों की मना भारत मे रखी जाय यदि वे ऐसा करना चाह जिससे कि जापानिया के विरोध या आक्रमण की रोकथाम की जा सके तथा चीन की रक्षा व सहायता की जा सके।” (4) यदि इस अपील का कोई प्रभाव नहीं होता तो मजदूरन कांग्रेस को बाध्य होकर गांधी के नेतृत्व मे अहिंसात्मक आंदोलन करना पड़ेगा जिससे कि राजनतिक अधिकार और स्वतंत्रता की प्राप्ति हो सके।” (5) अखिल भारतीय कांग्रेस समिति 7 अगस्त को फिर बैठक करेगी और इस सवध मे अतिम निणय लेगी।

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने अपनी बैठक मे उपरोक्त काय समिति के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 7 अगस्त को कुछ और बातें स्पष्ट की। इसमे कहा गया कि (1) भारत की स्वाधीनता की घोषणा के समय भारतीय जनता के सभी महत्वपूर्ण वर्गों के प्रतिनिधि अस्थायी सरकार बनायेंगे। (2) इसका प्रमुख काय मिस्र राष्ट्रों के सहयोग से भारत की रक्षा होगा और यह जनता के हित मे काय भी करेगी। (3) अस्थायी सरकार एक सविधान सभा की योजना बनायेगी जो सभी के स्वीकार करने योग्य सविधान की रचना करेगी। (4) ब्रिटिशों से सत्ता हस्तांतरण की एक और अपील करन के बाद समिति ने ब्रिटिशों के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया। आवश्यकतानुसार इसका नेतृत्व गांधी को सौंपा जा सकता था।<sup>1</sup>

### सकट अवक्षेपित

कांग्रेस कायसमिति द्वारा जब पहले यह प्रस्ताव पारित किया गया तो गांधी ने 15 जुलाई को विदेशी पत्रकारों के समक्ष यह कहा कि यदि तुरंत शक्ति का हस्तांतरण नहीं किया जाता और कांग्रेस अपना आंदोलन प्रारंभ करती है तो यह ब्रिटिशों के विरुद्ध एक अहिंसात्मक आंदोलन होगा। गांधी इस बात से आश्वस्त थे कि चूंकि जापानी भारत का दरवाजा खटखटा रहे थे इस कारण जो भी कहा जायगा सरकार सकट को अवक्षेपित नहीं करेगी। पर गांधी की गोली निशाना पुन चूक गई जैसा उसके पूर्व भी कई बार हुआ था। प्रेस सम्मेलन के बाद मीरावेन (मिस स्लेड जो एक ब्रिटिश ऐडमिरल की पुत्री थी

और गांधी की शिष्या हो गई थी। उह ही यह नाम प्रदान किया गया था) को वायसराय के पास यह मसला समझाने को भेजा गया। पर यह अति आश्चर्यजनक बात थी कि कांग्रेस जब—चाहें हिंसात्मक हो या अहिंसात्मक—विद्रोह की बात कर रही थी, उस समय वायसराय न मीराबेन से मिलने तक स इकार कर दिया। पर गांधी को अब भी विश्वास था कि वायसराय सकेट बढ़ायेगा नहीं और 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने अपना प्रस्ताव पारित कर दिया।

पर जैसा मौलाना आजाद और जवाहरलाल ने सोचा था, दुःखद घटना घटी। 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव की प्रतिक्रियास्वरूप जो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 9 अगस्त की रात पारित किया था गांधी संपूर्ण कांग्रेस हाईकमान सहित जिनमें जवाहरलाल, मौलाना आजाद आचार्य वृपलानी, आसफअली, जी० बी० पंत और अय भी थे, एक ट्रेन में बठाकर जेल भेज दिया गया। गांधी को पूना में जागा खा महल में रखा गया जहाँ अय लागा को बम्बई प्रांत में अहमदनगर जेल में भेजा गया। डा० राजेन्द्र प्रसाद को जो किन्हीं कारणों से अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में सम्मिलित नहीं हुए थे पटना में रोककर कद कर लिया गया। इन सभी को 15 जून 1945 तक के लिये जेल में डाल दिया गया।

कांग्रेस की कायवाही को मुस्लिम लीग ने पसंद नहीं किया, जिसने इस आंदोलन को सरकार पर ऐसा दबाव डालनेवाला आंदोलन बताया, जो हिंदू अल्पतंत्र को शासन सौंपवाना चाहती थी, जिससे ब्रिटिशों को मुसलमानों के प्रति अपने उत्तरदायित्व बहन का अन्तर न रह जाता। लीग ने मुसलमानों को निर्देश दिया कि वे इस आंदोलन से अलग रहें। हिंदू इसके प्रति शिथिल रहे और जेल जाना स्वीकार नहीं किया। साम्यवादियों को भय था कि कांग्रेस आंदोलन युद्ध में मित्रराष्ट्रों की स्थिति को बिगाड़ देगा। वेबल समाजवादी दल ने इसका समर्थन किया पर वे गुप्त रूप से ही इसका समर्थन करने को तयार हुये।

पर जन सामान्य पर इसका प्रभाव विजली के करेण्ट जैसा हुआ। नेताओं के जेल में होने के कारण अहिंसा के आधार पर चलाया गया आंदोलन भयानकता की पराकाष्ठा तक हिंसात्मक रूप लेने लगा। ऐसी ही जाशा भी थी। हर जगह छात्र मजदूर, गृहणिया, व्यापारी और अय लोग अपने नेताओं के जेल जाने के विरुद्ध उद्वेगित हो उठे। जुलूस निकलने सभार्ये होनी और हड़तालें प्रारंभ हो गईं। दिल्ली, बम्बई, मद्रास, अमृतसर और अय तमाम नगरों में जनजीवन ठप हो गया। सरकार की प्रतिक्रिया अत्यधिक क्रूर थी पर इसके विरुद्ध जनता की प्रतिक्रिया भी उसी स्तर की थी, पर निश्चय लोग अधिक

समय तक लड़ नहीं सके। लाठी, हवाई जहाज से मशीनगना की गोली की बौछार, व्यक्तियों को नूरतापूण दंड, नारियों की खुले आम बेइज्जती अदि ने व्यक्तियों को असहाय करके शांत कर दिया और आंदोलन भूमिगत हो गया।

सरकार ने हानि का जो मूल्यांकन किया वह कहीं-कहीं बढ़ाकर बताया गया था और कहीं-कहीं कम करके। इसमें कहा गया कि 940 लोग मारे गये, 1630 लोग गोली चलाने में घायल हुये, 60229 लोग कैद किये गये और 18000 लोग पकड़े गये। पटना, नदिया, भागलपुर, मुंगेर, तामलुक और तलचैरा में बम बरसाये गये और 60 स्थानों पर सेना बुलाई गई। दूसरी ओर 318 स्टेशन जलाये या नष्ट किये गये, 12 हजार स्थानों पर टेलीफोन और तार सवध काटे गये, 90 डाकघाने पूणतया नष्ट कर दिये गये, 252 को गभीर हानि पहुंचाई गई और 633 को कम हानि पहुंची। 59 रेलगाडिया पटरी से उतारी गईं। धन, हथियारों, रूपयों आदि की संपूर्ण हानि लगभग 44 लाख रूपये की थी।<sup>1</sup> अथ स्थानों के अतिरिक्त बंगाल का चंदा जिला, उड़ीसा का बालासोर जिला, यू० पी० के पूर्वी जिलों, आसाम, बिहार तथा उड़ीसा का समुद्रतटीय क्षेत्र सरकार के क्रूर अत्याचारों का अत्यधिक शिकार हुआ।

### हिंसा का उत्तरदायित्व

इस सवध में विचारों में मतभेद है कि आखिर इस हिंसा के लिए कौन उत्तरदायी था जबकि कांग्रेस इस आंदोलन को अहिंसात्मक रूप में ही रखना चाहती थी। गांधी के अधानुगामी तो यही कहेंगे कि सरकार ने ही ऐसा किया। यदि गांधी ने अपने जेल जाने के पूर्व अपने अनुगामियों को यह निर्देशन दिया होता तो बात और ही होती। इसमें कहा गया था, “स्वतंत्रता के सभी अहिंसावादी सैनिक एक नारा कागज या कपड़े के टुकड़े पर लिख डालें ‘करो या मरो’ और इसे कपड़े में टाक लें जिससे कि यदि वे सत्याग्रह करते हुये मर जाय तो उसे अथ तत्वों के बीच पहचाना जा सके जो अहिंसा को नहीं स्वीकारते।

पर दुःख इस बात का है कि शब्द प्रायः वह अथ सामने लेकर खड़े हो जाते हैं जिसके विषय में कि हम सोचते भी नहीं, और उस अवसर पर भी यही हुआ जब ‘करो या मरो’ को एक नारा ही मान लिया। इतना ही

1 देखें गोविंद सहाय 42 रिविजियन प 21 सीताराम्या पूर्वोद्धत भाग 2 प 376-77।

नहीं गांधी ने अब की बार कहा था कि अब की बार स्वेच्छा से जेल जाने की विधि दूसर तरह की होगी। वायवर्त्ता जेल जान का विरोध करेंगे और वे जेल तभी जायग जब सरकार उ ह एसा करन के लिए बाध्य करगी।<sup>1</sup> गांधी के य शब्द कि सरकार के उत्तर न दन पर कांग्रेस एक अहिंसात्मक प्राति करेगी सचमुच तुरत रग लाई और कांग्रेस की मांगो के मामने नतमस्तक होन को कौन बहे वायसराय ने मीरा बेन स मिलने तब से इन्कार कर दिया।

सच मे यह कहना गलत नहीं होगा कि गांधी ने परिस्थिति का गलत मूल्यांकन किया और मौलाना आजाद की चेतावनी के बावजूद वे इस विश्वास पर अडे रहे कि वायसराय नताआ को बंद नहीं करेगा और न ही सवट को और बढ़ायगा। जब वायसराय न मीरा बेन मे मिलना जम्बीकार कर दिया तभी गांधी को यह सोचना चाहिए था कि उनकी बात का किस पर कितना प्रभाव पड रहा है और अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रस्ताव को पारित कर दिये जान के बाद वायसराय क्या करेगा। पर ऐसा हुआ नहीं। एक तटस्थ पय वेक्षक के लिये यह आशा करना सचमुच असभव है कि कांग्रेस के अहिंसावादी आदोलन के उत्तर म वायसराय नेताआ स शांतिपूर्ण ढग स बातचीत हेतु प्रतीक्षारत रहेगा। पर गांधी अपने सिद्धांत पर अडे रहे और अपन जेल जाने के 1 घटे पूव तक 9 अगस्त को उहाने महादेव दसाई स कहा, 'गत रात के मेरे भाषण के बाद वे मुझे बंदी नहीं बनायेंगे।'

सरकार निक्कट से परिस्थिति की ओर निगाह लगाय हुई थी और उसने 14 जुलाई के कांग्रेस काय समिति के प्रस्ताव के उपरांत ही बड़ी कायवाही की एक योजना बना ली थी। यह इस बात से सिद्ध है कि वायसराय ने प्रांतो के गवर्नरो को अलग-अलग एक पत्र तत्संबध म भेजा था। अपन 3 अगस्त 1942 के भारत के राज्य सचिव को प्रेषित पत्र मे वायसराय ने यह सूचित किया था कि किस तरह उसने प्रांतीय गवर्नरो की द्विस्तरीय योजना को अप नाने का निर्देश दिया है जिससे कि कांग्रेस के प्रस्ताव से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला किया जा सके। योजना के प्रथम चरण के अंतगत वे कायवाहिया थी जो कांग्रेस काय समिति के प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने से पूव की जानी थी, जिसके अंतगत भारत के अंदर और बाहर प्रचार पर अधिक समय दिया जाना था जिससे कि पक्ष म जनमत तैयार हो सके और इस प्रस्ताव के विरुद्ध कठोर कायवाही के लिए एक वातावरण तयार हो सके। बिना पर्याप्त सशोधन के काय समिति कं प्रस्ताव का अनुमादन (और कोई भी सशोधन तब तक पर्याप्त नहीं समझा जायेगा जब तक कि स्पष्टतया जन आदोलन की बात इससे

1. देखें आजाद ए व गूबेंदित प 74।

निवाल नहीं दी जाती) द्वितीय चरण की कायवाही का प्रारंभ करेगा। जैसे ही यह काय संपादित हो बम्बई सरकार भारत सरकार को प्रांतीय सरकारों को चीफ कमिश्नरों को और राजनैतिक रेजीडेण्टों को तार से सूचना भेजेगी जो कोड शब्दों में होगा। पर तब तक कोई कायवाही नहीं होगी जब तक कि भारत सरकार उपरोक्त सभी स्थानों पर कोड शब्दों में तार नहीं भेजती। भारत सरकार से तार प्राप्त करने के बाद—

- (अ) रक्षा अधिनियम 26 के अंतर्गत बम्बई सरकार गांधी और काय समिति के सभी सदस्यों को कैद कर लेगी।
- (ब) प्रत्येक प्रांतीय सरकार क्रिमिनल लॉ अमेन्डमेंट के अंतर्गत अपने क्षेत्र के कांग्रेस काय समिति, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति और प्रादेशिक कांग्रेस समिति को ले आयेगी। पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इसके अंतर्गत नहीं लाया जायेगा। प्रांतीय सरकारों को आवश्यकतानुसार अथ कांग्रेस समितियों या कांग्रेस से संबद्ध समितियों, कांग्रेस समाजवादी दल के विरुद्ध भी कायवाही करने का अधिकार होगा।
- (स) प्रत्येक प्रांतीय सरकार को किसी दफ्तर या किसी धनराशि को छीनने का अधिकार होगा या किसी ऐसे व्यक्ति का कैद करने का अधिकार होगा जो लोगों को संगठित करके यह आंदोलन तीव्र कर सकते हों।

यदि काय समिति का कोई सदस्य बम्बई की बैठक में जानबूझकर नहीं आता है सहायुभूति भी नहीं रखता तो उसे तुरंत कैद न किया जाय पर अथ लोगों के कैद होने पर उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जाय। यदि कोई व्यक्ति परिस्थितिवश बैठक में भाग न ले सका हो तो उसे उसके प्रांत में ही कैद कर लिया जाय।

गांधी को रक्षा अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत कैद करके बम्बई प्रेसीडेंसी में रखा जाय महादेव देसाई, मीराबेन और डा० सुशीला नैय्यर (महिला डाक्टर) को गांधी के साथ रहने की अनुमति दी जायेगी। पर शत यह है कि वे आवागमन के प्रतिबंधों को स्वीकार करें।”<sup>1</sup>

यह भी प्रस्ताव था कि गांधी और उनके कुछ साथियों को उगाड़ा, अदन या ‘यासालैंड’ भेज दिया जाय जिससे भारत की जनता की पहुँच वहाँ न हो सके और इससे उनकी समझ से संभवतः समस्या का समाधान ठीक से हो जायेगा। पर वायसराय परिषद के भारतीय सदस्य इसके लिये तैयार नहीं

1 मानसरे एव नुम्बी पूर्वोद्धृत भाग 2 प 534-36।



सभावना करता है, निश्चित ही उन्हें परामश देगा कि वे गांधी से नहट से मिलें। इस तरह का दबाव हमारी सरकार के लिए बड़ा हानिकार होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे यात्री साक्षात्कारों और व्यक्तिगत बातचीत में गैर जानकारी पूर्ण विचारों द्वारा हम अत्यधिक हानि पहुंचाते हैं। यह अधिकारियों से वापस सराय ने यह निवेदन किया कि अमेरिका के डा. भाबुक यार्जियों की भारत यात्रा पर अक्षुण्ण लगाया जाय जिससे कि हम अपना पाप गुणमतापूर्वक कर सकें।<sup>1</sup>

### गांधी की भूख हड़ताल और जेल से मुक्ति

कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के चौदह दिनों के ही भीतर देश की स्थिति सामान्य हो गई। अब ब्रिटिश न देश और विदेशों में यह प्रचार प्रारंभ किया कि देश में सारी हिंसा फलाने का उत्तरदायित्व गांधी का था। जब गांधी को इसका पता चला, तो वे दुःखी हुए और उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की कि उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है तत्सर्वम उन पर न्यायालय में मुकदमा चलाया जाय या उन्हें जनता में अपनी स्थिति को स्पष्ट करने का अवसर दिया जाय। पर सरकार ने जोर दिया कि भारत छोड़ो प्रस्ताव और गांधी की कुछ बातों के कारण हिंसा फली और जब तक 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव वापस नहीं लिया जाता, सरकार गांधी को नहीं छोड़ सकता।

पर इसमें वास्तव में गांधी में कुछ नैतिकता का अनुपात था ही और जैसा कि मौलाना आजाद ने लिखा है, गांधी ने दो मुख्य कारणों से 21 दिनों की भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी। ये कारण थे कि, 'उन्हें यह आशा नहीं थी कि सरकार कांग्रेस नेताओं की इतनी जल्दी पकड़ लेगी। उन्हें यह भी आशा थी कि वे इस बात का समय पायेंगे जिससे वे इस आंदोलन को विकसित करके अपने ढंग से एक अहिंसात्मक रूप प्रदान कर सकें। पर उनकी आशाओं पर तुफानपात हो गया। उ होना जो कुछ हुआ उसके लिए उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया और स्थिति के प्रति प्रायश्चित्त हेतु भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी।'<sup>2</sup>

10 फरवरी 1943 को उनकी भूख हड़ताल प्रारंभ हुई और 13 दिनों के बाद उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि जिन डाक्टरों ने उन्हें देखा उनका यह कहना था कि यदि उन्हें छोड़ा न गया तो वे 24 घंटे में मर जायेंगे। पर

1 मासरे एक सूची पूर्वोद्धृत भाग 2 प 853-54।

2 आजाद पूर्वोद्धृत प 75-76।

वायसराय लाड तिनलियगो क्रूरतापूर्वक तटस्थ ही नहीं बना रहा, बल्कि कौंसिल की आपातकालीन बैठक बुलाकर बहुमत से यह निणय करा लिया कि गांधी को मुक्त न किया जाय। केवल एम० एस० अण० एच० पी० मोदी और एन० आर० सरकार ने ही इसके विरुद्ध मत दिया और इन तीन लोगो ने कौंसिल से स्तीफा तक दे दिया। एक गैर दलीय सम्मेलन ने दिल्ली में जिसमें लोग नहीं सम्मिलित हुई, गांधी के रिहाई की माग की। पर इसका भी वायसराय पर कोई प्रभाव नहीं हुआ जिसकी यह माग थी कि गांधी सावजनिक रूप से क्षमा मागे और ‘भारत छोड़ो’ का प्रस्ताव वापस लिया जाय तभी उहे जेल से मुक्त किया जा सकता है। कौंसिल सदस्यो के बहुमत अस्त्र से सज्जित वायसराय इतना ध्रु हो गया था कि उसने गांधी की मृत्यु की कल्पना कर उन्हें जलाने के लिए आगा खां महल में चदन की लकड़िया तक एकत्रित कर दी थी। यह भाग्य की ही बात थी कि डाक्टरों और सरकार दोनों के आकड़े फेल हो गये और गांधी ने जो कष्ट स्वयं ओढा था उससे वे स्वयं उबर गये।

एक ऐसा विवरण इस सवध में है जिसे यहां प्रस्तुत करना रुचिकर होगा, “21 फरवरी को गांधी की हालत चिंताजनक हो गई और उनकी मृत्यु को अति निवट अनुभव किया गया। पर फिर उसी दिन से उनकी स्थिति सुधरने लगी। 25 तारीख तक वे खतरे से बाहर पाये गये। यह एक आश्चर्यजनक बात थी। बहुतो ने इसे ईश्वर की कृपा माना। कुछ ने इसे ग्लूकोज के कारण माना। सजन जनरल के अनुसार गांधी को उनके किसी सहायक द्वारा कोई औषधि दी गई जो उनका परम भक्त था और जो नियमों की अपेक्षा उनके जीवन का मूल्य अधिक मानता था। सच जो भी हो, पर गांधी के वजन की भी बात अत्यधिक रुचि की थी। 10 फरवरी को जब उन्होंने भूख हड़ताल प्रारंभ की तो उनका वजन 109 पौंड था। 16 तारीख तक यह 97½ पौंड रह गया। 24 तारीख को जब उनकी तबियत काफी ठीक थी तो वे 90 पौंड थे और अपने भूख हड़ताल के अंतिम दिन 2 माच को उनका वजन 91 पौंड हो गया। यह अत्यन्त आश्चर्य में डालने वाला तौल का विवरण था। एक भारतीय स्रोत से वायसराय को पता चला कि गांधी की दशा में सकट जान बूझकर लाया गया। उस समय नेताओं का सम्मेलन चल रहा था जो बिडला भवन और महात्मा के निवास के बीच था। जैसे ही यह पता चला कि भारत सरकार कुछ नहीं करने जा रही है वैसे ही गांधी को दवा देने का सवाद भेज दिया गया। संपूर्ण सत्य की जानकारी कभी नहीं हो पायेगी। हो सकता है कि गांधी को स्वयं न पता रहा हो कि उन्हें कोई दवा दी गई है।”

बम्बई के गवर्नर सर आर० लुम्बी ने अधिक स्पष्ट घोषणा करते हुए कहा कि गांधी ने "ऐसा परिणाम सामने रख दिया है कि डाक्टर भी आश्चर्यचकित हैं। इसके दो ही उत्तर दिखाई पड़ते हैं, प्रथम तो यह कि वे भूख हड़ताल के विषय में डाक्टरों से अधिक जानते हैं और दूसर यह कि किसी एक या दूसरे गैर डाक्टर ने उन्हें ग्लूकोज दे दिया है या सभवतः स्वीकार की गयी मात्रा से अधिक उन्होंने फल का रस ग्रहण कर लिया है।"<sup>1</sup>

गांधी के उपवास के अवसर पर प्रेसीडेंट रूजवेल्ट के भारतीय प्रतिनिधि को वायसराय की ओर से हर बात की सूचना दी जाती थी। प्रेसीडेंट ने बार-बार इस पर चिंता व्यक्त की और 19 फरवरी 1943 को उसने अपने प्रतिनिधि को यह लिखा कि वह वायसराय को यह बताये कि "भारत के राजनैतिक सक्कट से हम चिंतित हैं। उनसे यह भी कह दिया जाय कि हम आशा करते हैं कि स्थिति के विगड़ने से बचने का कोई रास्ता निकल आयेगा। यदि गांधी की मृत्यु हो गई तो उस सक्कट की स्थिति से नहीं बचा जा सकता।" वायसराय गांधी की मृत्यु की संभावना में क्या परिणाम देखता था यह उसके अमेरिकी प्रतिनिधि के व्यग्र पूछताछ में और तत्संबंध में वायसराय के उत्तर में निहित है। इस संबन्ध में उमदा मतव्य भारत के राज्य सचिव को लिखे गये पत्र में भी परिलक्षित होता है 'मि० फिलिप ने मुझ से पूछा कि यदि गांधी मर गये तो क्या होगा। मेरा उत्तर था कि छ महीने तक अवसाद का वातावरण जो धीरे-धीरे कम होता जायगा, और अंत में बहुत थोड़ा या कुछ भी नहीं। इसकी समाप्ति के बाद—जब भारत को पूर्वी क्षेत्रों में युद्ध के लिये तैयार होना पड़ेगा—तब तब भारत इस काय के आधार के लिए और विश्रस्त हो जायेगा। इसके अनिश्चित गांधी के न रहने से समझौते की संभावनाएँ बढ़ जायेंगी क्योंकि उन्होंने समझौते की हर जगह में अभी तक तारपिंडी ही लगाया है।"<sup>2</sup>

इस बीच, आन्दोलन को दवाने के प्रयास के साथ-साथ भारतीय समस्या के उचित समाधान के लिए खोज जारी रही। भारत के राज्य सचिव मि० एमरी द्वारा लिनलियगो को लिखे गये 19 अक्टूबर 1942 के इस पत्र में उसकी राजनयनता के दर्शन होते हैं। उसने लिखा, 'मैं जानता हूँ कि आपको भी वही कठिनाई होती होगी जो मुझे होती है कि इस रबी हुई स्थिति से मुक्ति के लिये कुछ किया जाय जा नई रचनात्मक नीति के रूप में हो। यह उन सोचा व लिये जा न तो कुछ कर सकता है और जिन्हें न किसी रचनात्मक आशा का ज्ञान है जो वह हम प्रेषित कर सके। पर जो यह अनुभव करते हैं कि

1 मानवरे एव सन्दी पूर्वांचन, भाग 3 प 755।

2 वही प 687 88 690।

हम या आप भारत को स्वशासन प्रदान कर सकते हैं। ऐसा करने से वे एक-चित्त होकर युद्ध में भी उत्साह से लग जायेंगे। मैंने सदा कूपलैंड की पुस्तक का महत्वपूर्ण स्थान दिया है (आर० कूपलैंड—द फ्युचर आफ इंडिया, आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस, 1943) और आशा करता हूँ कि इसके तीसरे भाग में संवैधानिक समस्या का जो विवेचन किया गया है अगले वर्ष तक सगत् रूप से सामने जा जायगा। मैं अमेरिका के राजनैतिक हस्तक्षेप का विरोधी हूँ

निष्पक्ष चाहे वह अच्छे हो, बुरे हो या तटस्थ भाव वाले हों, वे भारतीयों और अमेरिकियों का उतना ही मदद करते हैं, कम से कम वे यह तो जान जाते हैं कि समस्या क्या है हमारी जोर से स्पष्टतया एक कठिनाई सदा यह रही है कि हम सदैवशील हैं और इसकी पकड़ अमेरिकियों को तो क्या हमारी ही टीम कोई बढ़ा जाय तो उसे ही जायेगी। वैसे यह भारतीयों की ओर से आना चाहिए, पर अभी तक तो न पार्टी नेताओं न भारतीय छात्रों या व्यापारियों ने इस स्तर तक उतरने का प्रयास किया है।" इसके आगे राज्य सचिव ने परामर्श दिया कि वायसराय के कौंसिल के 3 या 4 भारतीय सदस्यों की एक समिति गठित की जा सकती है जो इस "संभावना का पता लगाये कि एक गर सरकारी राजनैतिक खोजबीन करने वाला का संगठन बनाया जाये जो एक तटस्थ चेयरमन की अध्यक्षता में कार्य कर जो किसी राज्य का यायाधीश हो। इहे यह कार्य सौंपा जाय —

(1) ऐसी सविधान निर्मात्री सभा की रचना कर अध्ययन एवं सस्तुनि जो प्रस्ताव में प्रस्तावित है, तथा जो ऐसा सविधान बना सके जिसे सभी लोग स्वीकार कर लें,

(2) निश्चित समस्याओं के अध्ययनाथ सामग्री तयार करना जो सविधान निर्मात्री सभा का ध्यान आकृष्ट कर सके और जो इनका निराकरण करने में भी अपनी सभा में सक्षम हो सके।

मुझे आशा है कि यह ऐसी भावना को उत्साहित करेगी और भारतीय मस्तिष्क को समस्याओं के समाधान की ओर अग्रसर करेगी। यह उद्देश्य असंभव के प्रति शोर मचाने से विरत ही नहीं करेगी क्योंकि उक्त भागों असंभव की आर इंगित करती हैं।" 10 नवम्बर के एक दूसरे पत्र में राज्य सचिव ने यहाँ तक प्रस्तावित किया कि अमेरिका सच सविधान के किसी जानकार व्यक्ति से, 'विशेष रूप से आमंत्रित किया जाय जो भारतीय संवैधानिक समस्या के मुद्दों के जानकारों की सहायता करे। उह और संभवतया एक स्वीडिश राजनीतिज्ञ के सविधानविद को भी इसका सदस्य बना दिया जाय और इस तरह की व्यवस्था से यह लाभ होगा कि अमेरिका के तटबंधी नाम का सुझाव आमंत्रित किया गया और इससे अमेरिकियों को भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप का अवसर न

10 नवम्बर 1943

रहेगा।”

पर वायसराय ने इस बात का विरोध किया कि उसने कौंसिल की एक समिति इस उद्देश्य के लिए बनाई जाय। उसने अपने उत्तर में कहा कि “इस आधार पर कार्य करना से मेरी सरकार ही जाती रहगी। ऐसा हान पर सप्ताह भर में ही सारे भारत में यह बात फल जायगी और उसी क्षण से जो मेरे साथी इस कार्य के लिए चुने जायेंगे वे जाच पढताल और प्रचार के विषय बन जायेंगे जिसमें हर तरह के विरोधाभासी लोग रुचि लेन लगे।”<sup>1</sup> वैसे भी इस प्रस्ताव का परिहारा कर दिया गया।

खेद का विषय यह है कि इस तरह के विचारों के आदान प्रदान करते समय राज्य सचिव और वायसराय यह पूर्णतया भूल गये कि कम से कम भारतीय नेताओं ने एक ऐसा सविधान बना लिया था जसा वे भारत में चाहते थे। यह 1928 की नेहरू रिपोर्ट के रूप में थी जिसे उस समय उन्होंने अनदेखा कर दिया था।

## अन्य घटनाएँ

### वर्धा शिक्षा योजना

लिनलिथगो के समय में हान वाली घटनाओं में कुछ शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी थी। वर्धा शिक्षा योजना का प्रारंभ 1936 में हुआ। यह योजना गांधी के बुद्धि का परिणाम थी जिन्होंने अपनी इच्छानुसार एक विशेषण समिति बनाई थी और उससे रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था। इस समिति ने जो रिपोर्ट राष्ट्र के समक्ष रखी उसमें शिक्षा की एक योजना प्रस्तुत की गई जिसे शिक्षा की वर्धा योजना या बेसिक शिक्षा योजना का नाम दिया जाता है। इस योजना को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1935 के सविधान सुधार के अंतर्गत अपने क्षेत्रों में लागू किया। इस योजना को बिहार और बंगाल में अत्यधिक सफलता मिली। पर द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारंभ हो जाने से कांग्रेस मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ा जिससे यह कार्य अवरुद्ध हो गया। इसके बाद इस संबंध में विचार भारत में स्वाधीनता के बाद ही किया जा सका।

यह पूर्ण योजना बच्चों की शिक्षा पर जोर देती थी जिसमें बच्चों के विकास की इन बातों पर जोर दिया जाता था (अ) बच्चों की मानसिक और बौद्धिक कार्यक्षमता (ब) उनमें नैतिक गुणों का विकास (स) उनमें ऐसी क्षमता की उत्पत्ति कि वे प्रारंभ से ही कुछ धन अर्जित कर सकें एव, (द) उन्हें

ऐसी शिक्षा देना जिससे कि व कला और सौंदर्य की ऐसी चीजें उत्पन्न कर सकें जिससे उन्हें आगे बढ़ने में सुविधा हो। इस तरह इस योजना के अंतर्गत (1) बच्चों को क्राफ्ट या किसी ऐसे काम की शिक्षा दी जानी थी जिससे वे कुछ उत्पादन कर सकें, जैसे बढ़ईगिरी लोहारगिरी कताई, बुनाई आदि जो स्थानीय रूप से लोकप्रिय हो (2) चुने हुए क्राफ्ट को केन्द्र बिन्दु बनाकर बच्चे का बौद्धिक और नैतिक विकास किया जाय, (3) विद्यालयों में तैयार की गई ऐसी वस्तुयें बाजार में बेच दी जायें और इससे होने वाली आय से आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जाय, (4) इस योजना के अंतर्गत प्राइमरी शिक्षा पर 7 वर्ष लगेगे, (5) एक विशेष व निश्चित आयु के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा दी जायेगी, (6) पढाई बच्चे की मातृभाषा में होगी, और (7) यह आशा की जाती थी कि शिक्षा की यह योजना बच्चे में बहुमुखी विकास—अर्थात् मानसिक, नैतिक, बौद्धिक और पेशे सबधी—करेगी।

### 1943 की सार्जेंट योजना

1943 में एक अन्य योजना भी सामने आई जिसे शिक्षा की सार्जेंट योजना कहा जाता है। इस योजना को इस उद्देश्य के लिए बनाई गई एक समिति ने तैयार किया था जिसका नेतृत्व भारत सरकार के शिक्षा परामर्शदाता सर जान सार्जेंट न किया था। इस योजना को द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के उपरान्त लागू किया जाता था।

सार्जेंट समिति ने इस मामले का विस्तार में अध्ययन किया। इसने वधा योजना की कुछ बातों को पसंद किया और इसे अपनी रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया। पर इस योजना में केवल प्राइमरी शिक्षा को ही नहीं लिया गया था बल्कि माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालयीय शिक्षा तकनीकी शिक्षा और शारीरिक शिक्षा को भी स्थान दिया गया था।

समिति ने सन्तुष्टि की कि (1) नसरी स्कूल 3 से 6 वर्ष के बच्चा के लिए खोले जाय। इन स्कूलों को महिलाओं द्वारा चलाने को कहा गया। यह भी कहा गया कि पाठ पढ़ाने के स्थान पर बच्चा को अच्छा सामाजिक व्यवहार सिखाया जाना चाहिए और ऐसी ही अन्य बातें जिसका माध्यम मंद और आपसी मैत्री होना चाहिए, (2) 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त होनी चाहिए जिसे दो भागों में विभाजित किया जाना चाहिए, (अ) प्रथम, जूनियर बेसिक जिसमें 6 से 11 वर्ष के बच्चा को शिक्षा दी जाय, और (ब) द्वितीय, उन बच्चों के लिए जिनकी योग्यता औसत हो जिन्हें सीधे जूनियर बेसिक से प्राइमरी शिक्षा दी जा सकता हो। इस सीनियर बेसिक का नाम दिया जाय, (3) 11 वर्ष से 17

यय की आयु के वच्च जिहान वैसिक प्रशिक्षण मे उत्साहपूर्वक प्रगति दिखाई हा और सीनियर वैसिक छात्रा म स कुछ जिहान अपनी कुशाग्र बौद्धिकता का परिचय दिया हो उह हाई या सेकडरी स्कूल म लिया जाय, (4) हाई स्कूल के लगभग 10% छात्र जिहाने अपन अध्ययनकाल म उत्तम बुद्धि का परिचय दिया हा उह कालेजा म विश्वविद्यालयीय शिक्षा के लिए लाना चाहिए जहा वे तीन वर्षीय डिग्री कोस पूरा करे, (5) इन छात्रा मे सश्रेष्ठ शोध मे लगाय जाय (6) शारीरिक स्वास्थ्य के लिए युवा लोगो म शिक्षा हेतु एक राष्ट्रीय युवा आदालन चलाया जाय (7) अध्यापन और परीक्षा का उच्च स्तर बनाये रखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाय। इस पथे मे अच्छे लोगो को लान के लिये अध्यापका के वेतन मे वद्धि की जाय। इस योजना ने 200 करोड व्यय की योजना बनाई। पर युद्ध समाप्ति के बाद चकि भारत ने स्वाधीनता अर्जित कर ली, इसलिये इस याजना का कायरूप मे परिणित नहीं किया गया। यसे स्वतन्त्र भारत की शिक्षा योजना मे इसकी तमाम बेहतर बातें सम्मिलित कर ली गइ।

### भारत का स्टर्लिंग सतुलन

नाड लिनलिथगो के काल की एक आक्षयक घटना भारत के स्टर्लिंग सतुलन से संबन्धित थी। युद्ध के पूव यह सतुलन इंग्लड के पक्ष मे था, पर युद्ध काल मे इसम नाटकीय परिवर्तन आ गया। भारत व्यक्ति और वस्तुपूर्ति के रूप मे जा प्रदान कर रहा था उसका परिणाम यह था कि वह अब इंग्लड और मित्रराष्टा का ऋणदाता हो गया था। 14 मार्च 1942 को सर किंग्सले ने लिखा कि "यदि निकट भविष्य म इस सतुलन को काफी कम करने का प्रयास किया गया तो ऐसी कठिन स्थिति उ पन हो जायगी कि निर्यात प्रारभ करन से भी इस पर कार् नहीं पाया जा सकेगा। हम ऐसी स्थिति मे नहीं रह जायेंगे कि स्टर्लिंग को सोन, डालर या अय सिक्को म नहीं बदल पायेंगे और यदि एसा कर भी पायेंग ता बहुत धीरे धीरे। इसलिए उनका राकना पडेगा और हमसे यह कहा जायगा कि लंदन नगर गरीब भारत से जबरदस्ती ऋण प्राप्त कर रहा है या हमारे ऊपर यह आरोप लगाया जायेगा कि हम भारत के ऋण की अदायगी सही समय पर नहीं कर रहे है। राजनीतिक दृष्टि स यह बहुत खतरनाक होगा।" यह प्रस्तावित किया गया कि ब्रिटेन को स्टर्लिंग मे जो देय हो वट सत्र प्रदान करे तीर भारत का वट सब जो रूपसे म दिया जाना हा दे।<sup>1</sup> यह दसलिए आवश्यक है क्योकि सभी साधनो को एकत्रित

किये जाने की आवश्यकता है।

लिनलिथगो निराश थे क्योंकि ‘भारत ने युद्ध में अपनी आर्थिक भूमिका ठीक से नहीं जटा की थी’ और उन्होंने मन्त्रिमंडल को इस बात के लिए मनाया कि वह उनके अधिसदस्य सर जे. एम. सेतलवाड से तत्संबंध में बात करे। यह तक दिया गया कि भारत चूँकि एक गरीब देश है इसलिए इंग्लैंड द्वारा ऋण की अदायगी का विरोध जो भारत का दृष्टी है, अतकसगत होगा। इस तरह के कदम से भारतीय नेताओं की सहानुभूति जाती रहेगी। ऐसा इसलिए और होगा क्योंकि भारत ने इन बलिदानों के बावजूद देश को अब भी आक्रमण से असुरक्षा ही प्राप्त थी। बातचीत के बाद रैसमन चांसलर से यह आश्वासन प्राप्त करने में सफल हुए कि वे मध्यपूर्व गये हुए प्रधानमंत्री चर्चिल को वापसी पर इस बात के लिए समझावेंगे कि भारत के पक्ष में कोई निणय लिया जाय। इसी बीच मन्त्रिमंडल की सस्तुति से निणय को टाल दिया गया। चर्चिल दूसरी तरह का व्यक्ति था। वह अपनी अनुपस्थिति में होने वाली घटनाओं से बहुत नाराज हुआ। राज्य सचिव एमरी ने वायसराय का लिखा—

“विंस्टन ने इस निरर्थक विचार के विरुद्ध लड़ा उग्र भाषण दिया और कहा कि हम लाखों रुपये भारत की रक्षा पर क्या व्यय करें और फिर उसने यह स्पष्ट करने को कहा। उसका यह भी कहना था कि भारत की जोर से हम इतना अधिक व्यय क्यों करें? मैंने असफलतापूर्वक उसे पूर्ण प्रयास सहित समझाने की चेष्टा की कि इस व्यय में मध्य पूर्व में भेजी गयी वस्तुओं की कीमत भी है तथा इस देश को भेजी गई वस्तु की कीमत भी। पर किन्हीं कारणों से इससे युद्ध के लिए भारत के रक्षा व्यय को अलग करना संभव नहीं है और इसके अतिरिक्त सुदूरपूर्व में हमने जो कुछ किया वह भी भारत की रक्षा के लिए किया गया”<sup>1</sup>

चर्चिल के तक सचमुच विचित्र थे। भारत अपनी इच्छा के विपरीत युद्ध रत देश घोषित किया जा चुका था। उसने ब्रिटेन और मित्रराष्ट्रों की रक्षा के लिये लड़ाई की और अब जब ब्रिटिश मूखता के कारण जापानी आक्रमण का भय दरवाजे पर खड़ा था तो प्रधानमंत्री ने यह स्वयं घोषणा कर दी कि उसके पास भारत की रक्षा के लिये साधन नहीं हैं। उससे एकाएक यह भी कहा गया कि ब्रिटेन ने युद्ध में जो कुछ किया उसकी रक्षा के लिये ही किया है और उसका व्यय उसे ही झेलना चाहिये। वार्ता चलती रही और मन्त्रिमंडल ने चर्चिल की यह शर्त स्वीकार कर इस मसले को टाल दिया कि संपूर्ण प्रश्न पर भारत के विरुद्ध प्रति अधिकार जताने के लिए फिर सखोलने का उसे अधि-

1 ग्ले डेवेन जान द वायसराय एट व पृ 255 द्वारा उद्धृत।



कार रहेगा। पर इसी बीच भारत में कांग्रेस आंदोलन ने प्रधानमंत्री का और उग्र कर दिया और इसीलिए वायसराय इस देश के लिये 'माय प्राप्त नहीं कर सका'।

### कृषि सबंधी समस्याएँ

वायसराय भारत की कृषि सबंधी समस्याओं में अत्यधिक रुचि लेता था। उसके नाम के शब्द में अंतिम अक्षर 'गो' का अर्थ हिन्दी में गाय था और भारत पहुँचने के कुछ ही दिनों के बाद उसने अपने व्यय पर हिसार से दो साइ मगवाये। यह वाय उसने दिल्ली के पास पड़ोस के किसानों के हित में किया जिससे कि वे अच्छे पशुओं का प्रजनन करा सकें। उसने तमाम भारतीय गावों को देखा और 1937 में उसने एक सफल अखिल भारतीय पशु मेले का आयोजन भी किया।

नवम्बर 1938 के अंत में वायसराय ने कृषि बाजारों के लिये मत्तिया का एक सम्मेलन बुलाया जिसमें उसने इस बात पर जोर दिया कि तत्संबंध में पर्याप्त और सूझबूझ वाली छानबीन की जाय। उसने स्तर बनाये रखने पर जोर दिया और इसका अर्थ भी स्पष्ट किया। चूंकि बाजार का अधिकारी यह जानता है कि बाजार में किस चीज की मांग अधिक है और किसकी कीमत वहाँ अधिक है इसलिए वह इस स्थिति में है कि वह किसानों का बता सके कि कौनसी फसल पैदा करने में उसका अधिक लाभ है यह विचारणीय है कि इस सामयिक चेतनावनी से तथा मांग में परिवर्तन से उसे कितना लाभ पहुँचगा।<sup>1</sup>

### दुर्भिक्ष

1943 में पुनः भारत में दुर्भिक्ष ने अपना भद्दा सर उठाया और इस बार बंगाल में 1½ लाख लोगों का अपने मौत के जवड़े में जकड़ लिया। विस्तृत आकड़ों का अभाव, घराबू संचार साधन, रेलवे पर मैनिक सामग्री का अधिक भार, व्यापारियाँ और सामान छिपाने वाला की लालच, लोगों का एक भोजन की वान्त छोड़कर दूसरा अपनापन में बठिनार, सरकार में अविश्वास बर्मा द्वारा चावल भजने से इन्कार करना फसलों, तूफान, बाढ़ और सरकार की अवायव्यता आदि इस दुर्भिक्ष का कारण थे। इसकी औपधि आयात की नीति थी, पर ब्रिटेन और मित्रराष्ट्र इस वाय के लिए जहाज नहीं दे पा रहे थे।

1 विस्तार के लिये देखें करें प 254-55।

2 करें प 107-108।

1935 के ऐक्ट के अतगत प्रा तीय स्वायत्तता के अतगत सबैधानिक दृष्टि से दुर्भिक्ष प्रांत के उत्तरदायित्व में आता था। इस कारण से और वायसराय द्वारा “व्यक्तिगत प्रचार के विरुद्ध घृणा होने से”, जसाकि वायसराय के पुत्र ग्ले डेवेन ने लिखा है, वायसराय न बंगाल की यात्रा तक नहीं की।<sup>1</sup>

जो भी हो, इस स्थिति में बंगाल दुर्भिक्ष आयोग की स्थापना की गई जिसने अपनी रिपोर्ट 1 सितम्बर 1945 में प्रस्तुत की जिसमें सरकार द्वारा इस क्षेत्र में कुछ न किये जाने पर खेद व्यक्त किया गया। यह कहा गया कि समाज को सामूहिक रूप से दुर्भाग्य के गड्ढे में जाने से रोकने की कोई चेष्टा नहीं की गई। इसने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया कि देश में, “नतिक्रता और सामाजिकता का जनाजा” निकल गया है। बहुत कम लोगों ने इस उत्तरदायित्व का अनुभव किया कि भूखे लोगों को किसी तरह में बचाया जाय।

आयोग ने यह सस्तुति की कि केन्द्रीय सरकार को खाद्य और कृषि विभाग को एक में मिला देना चाहिए। एक जखिल भारतीय खाद्य परिषद की स्थापना कर खाद्य प्रशासन को ठीक करने की भी सस्तुति की गई। स्तरीय भोजन सामग्री की पैदावार बढ़ाने को कहा गया। राज्य से कहा गया कि वह अनाज का व्यापार और वितरण अपने हाथ में ले ले। कृषि संबंधी वस्तुओं की कीमत ऐसी होनी चाहिये कि उससे उत्पादक तथा उसके प्रयोगकर्ता दोनों को लाभ हो। चावल और गेहूँ की अधिकतम और यूनतम कीमत युद्ध के बाद के 6 वर्षों तक कर दी जाय। युद्ध के बाद सरकार ने स्थिति से निवटने के लिये और ऊंची होती कीमत पर नियंत्रणार्थ सस्तुतियों के अनुसार काय किया। परिस्थिति से ठीक से निपटा गया। पर यह सब लिनलिथगो के वापसी के उपरांत वावेल के समय में हुआ।

### इपी का फकीर

लिनलिथगो का उत्तरपश्चिम सीमा क्षेत्र में भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा जहां पर इपी के फकीर ने विद्रोह कर दिया। यहां वजीरिस्तान का एक कबीला था जिसने बखड़ा शुरु किया। इपी तोरीखेल वजीरियों से सम्बद्ध था और 1890 में पदा हुआ था। वह 1936 में इपी के छोटी मस्जिद का इमाम था। यह स्थान टोपी घाटी और बनू के बीच सड़क के किनारे पड़ता था। जान ग्ले डेवेन लिखता है, “पट्टाडिया में यह अफवाह थी कि उसने दो सुअर पाल रखे थे जिसमें से वह एक को वायसराय तथा दूसरे को सनापति का प्रतीक मानता था। अपने उत्साह को बढ़ाने के लिए वह कभी एक से या

1 ग्ले डेवेन, जान पूर्वोक्त प 74-75।

कभी दूसरे से या कभी दोना के शरीर से एक छोटा टुकड़ा काट लेता था।'<sup>1</sup> इस कथन का प्रथम भाग तो सच हो सकता है पर दूसरा भाग सत्य स परे लगता है। आथर स्विसन लिखता है कि फकीर " गर मुस्लिमो का कट्टर विरोधी था और सदा अपने हित मे घम के नाम पर लोगो को भटकाया करता था।'<sup>2</sup>

1936 म इपी के फकीर के नतृत्व म, जा अग्रेजो से घणा करता था, यह वजीरी विद्रोह हुआ। फकीर ने धीरे धीरे महत्ता अर्जित कर ली थी। महसूद और बाना के वजीरी भी इस विद्रोह की आग म कूद पडे, घमयुद्ध घोषित कर दिया गया और 1937 तक ब्रिटिशो को इसक लिय 30 हजार सनिक मुद्द भूमि मे उतारने पडे। फकीर न अपनी लश्कर बडी सूझबूझ और चालाकी स तयार की। जो लोग भी उसकी सना म सम्मिलित हो के लिय आते थे उहे दस दिन के लिए अपनी खाद्य सामग्री भी लानी पडती थी। डूरण्ड लाइन इस विद्रोह क्षेत्र के निकट ही थी और इसीलिय जब घनघोर रूप से इनका पीछा किया जाता तो व अफगानिस्तान भाग जाते थे। अफगान सरकार गुप्त रूप से इनसे सहानुभूति रखती थी जिससे ब्रिटिशो के लिये इस समस्या का निबटारा और कठिन हो गया। फकीर ' स्वय सपमोन की भाँति गायब हो जाता था। उसने उस समय सीमा से 1 मील के पास ही दूर गोरबेहन की घाटी म अपने छिपने के लिये एक स्थान पहले ही बना लिया था, और उसके सह यक काफी पहले ही इसकी सूचना इसे दे देत थे कि शत्रु सना आ रही है।'<sup>3</sup> तोरीखेल लोगो की दी गई यह चेतावनी जब जनसुनी हो गई कि व फकीर को अपने क्षेत्र से निकाल दें तो फकीर के मूलकेन्द्र असलहट पर आक्रमण किया गया। विरोध तो तुरन्त समाप्त हो गया पर फकीर बच भागने मे सफल हो गया। तोरीखेल का विद्रोह दबाने के बाद 6 हजार भिटानिया का विद्रोह भी ब्रिटिशो को झेलना पडा। यहा से फकीर मछालेल चला गया और वहा से डूरण्ड सीमा के निकट पहाडी क्षेत्र रजमक के पश्चिम। यह समस्या चलती रही। वैस ता कबीले के लोगो ने बडी हानि उठाई क्यकि ब्रिटिशो ने हवाई जहाज से बम बरसाया था पर ब्रिटिशो को भी सक्डो सैनिका से हाथ धोना पडा और इसम हजारो सैनिक घायल हो गये। फकीर पकडा नही जा सका और बट बनू के क्षेत्र मे 1940 तक तूफान मचाये रहा। भारत विभाजन के बाद भी वह हाथ नही आया और ब्रिटिशो की तरह पाकिस्तान के लिए

1 वही प 48।

2 स्विसन आथर नाथ वेस्ट कठियर प 327।

3 वही प 328।

भी वह समस्या बना रहा। 1960 में उसकी मृत्यु हो गई जब टाइम्स अखबार ने उसके विषय में लिखा, “सिद्धांतवादी व्यक्ति और साधु कबीला विद्रोह उल्हास जोर सेनापति”। आयर स्विसन ने लिखा है कि इस निधन परिचय ने ‘चेतनहम में तथा सैनिक कलबा के लोगो के चेहरे पर व्यागत्मक मुस्कराहट ला दी होगी।’<sup>1</sup>

एक मूल्यांकन

1943 में लिनलियगो पदमुक्त हो गया। भारत में जो भूमिका उसने अदा की उसके कारण उसके और गांधी के बीच अच्छे संबंध नहीं रहे थे। 26 सितंबर को गांधी ने उसे एक पत्र में लिखा

“भारत से आपकी वापसी की पूव सध्या पर मैं आप से एक शब्द कहना चाहूंगा।”

“उन सभी अधिकारियों में जिनके सपके में मैं आया—किसी ने मुझे उतना दुखी नहीं किया जितना आपने। मुझे इसका बड़ा खेद है कि आपने असत्य का सहारा लिया, (यह बात गांधी ने लिनलियगो को सभवत इसलिए लिखी क्योंकि उसने यह कहा था कि 1942 की हिंसा का उत्तरदायित्व गांधी का है।) और उस व्यक्ति के प्रति आपने यह व्यवहार किया जिसे आपन कभी मित्र माना था। मुझे आशा है कि ईश्वर किसी दिन आपके हृदय में इस सत्य का भान करायेगा कि आप जसा एक महत्वपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधि महान गलती पर था।”<sup>2</sup>

भारत में लिनलियगो की राजनतिक नीतियों की बहुत आलोचना हुई है। उसकी इस बात के लिए बड़ी आलाचना हुई कि उसने अति धीमी गति से राजाओं को सध में सम्मिलित करने के लिये वायवाही की। लिनलियगो ने देश के नेताओं को तब विश्वास में नहीं लिया जब भारत को युद्धरत देश घोषित किया गया। भूख हड़ताल के समय गांधी के प्रति उसका दृष्टिकोण बड़ा कडा था जिसके लिए उससे अधिक सभवत गह विभाग की आलोचना होनी चाहिए। डी० एच० फिलिप्स और मेरी डोरीन वेनरिट का विचार है कि उसकी नीतियां वा औचित्य था। उसके अनुसार, “लिनलियगो के वायसराय व काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आंदोलन प्रारंभ किया, और मुस्लिम लीग ने बटवारे की घोषणा की। ये घटनायें एक वायसराय के लिए उसकी असफलता की सूचक होनी जिसे 1935 के ऐक्ट के अनुसार वाय करन

1 वही प 332।

2 एनडब्लू जान प 275-76।

का कायभार सौंपा गया था जिससे अतगत ब्रिटिशों का राजनैतिक स्वप्न पूरा होना था कि भारत पर उमने उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से शासन किया है।”<sup>1</sup>

आर० जे० मूर न लिनलिथगो के विषय में लिखा है कि “राजनैतिक दूरदर्शिता और रचनात्मक कल्पनिकता के अभाव ने उसके विकटोरियन गुणा को ढिलाई बनावटीपन और भावहीनता का जामा पहना दिया।” लेखक आगे लिखता है कि, ‘लिनलिथगो को देर में भारतीय समस्याओं की प्रकृति की जानकारी तब मिली, जब कांग्रेस और लीग की मांग ने उस इन मसला पर स्पष्टीकरण प्रदान किया। युद्ध का प्रारंभ और नतावा से साक्षात्कार न भी उसे इस दिशा में दिशा दी। पर फिर भी वह निणयानुसार बंदम उठान में अति धीमा था जबकि जेटलण्ड इस काम को करन के लिए उसकी सहायता भी करता था। ऐसा संभव है कि युद्ध की प्रारंभिक अवस्था में किसी महत्वपूर्ण कूटनीतिज्ञ न भारतीय समस्याओं के लिए कोई फार्मूला विकसित किया हो।”

अपनी पदमुक्ति के उपरांत लिनलिथगो को गार्डर का नाइट बना दिया गया। 1944 व 1945 में वह स्काटलण्ड के चर्च का लाड हाई कमिश्नर बनाया गया। इसके बाद भी उसे तमाम प्रतिष्ठा और पद दिये जाते रहे।

1 फिलिप्स एव वेनरिट (संस्मरण) पार्टीशन आफ इन्डिया प 18।

2 वहाँ प 80-84।

आर्चीबाल्ड पर्सीवल वावेल का जन्म 5 मई 1883 में हुआ। उसके पिता का नाम मेजर जनरल आर्चीबाल्ड ग्रैहम वावेल और मा का नाम लियान मेरी था। शिक्षा प्राप्ति के बाद उसे अपने पिता के रेजीमेन्ट, ब्लैक वाच में 1901 में भर्ती किया गया। कुछ समय तक वह अफ्रीका में सेवारत रहा और उसके बाद भारत आया। 1908 में वह स्टाफ कालेज में भर्ती हुआ जहाँ से उसे रूस भेज दिया गया। यहाँ उसने दूर दराज क्षेत्रों की यात्रा की और रूसी भाषा सीखी। प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस में उसने ब्रिगेड मेजर की हैसियत से सेवा की और इसके बाद ब्रिगेड और मिश्र में लायजेंट आफिसर के रूप में कार्य किया। 1930 में उसका युजेनी से विवाह हुआ जो एक सैनिक अधिकारी की पुत्री थी। वह शीघ्र ही ऊँचे दर्जे पर पहुँच गया और मिश्र के सैनिक कोर में ब्रिगेडियर जनरल और सेनापति बना दिया गया। जब युद्ध समाप्त हुआ तो उसका ओहदा घटा दिया गया और उसे मेजर बना दिया गया। 1930 में उसे ब्रिगेडियर बना दिया गया, फिर इंग्लैंड में कमाना, 1937 में उसने फिलिस्तीन में सेना का नेतृत्व किया और उसके पद से ही उसे कै० सी० बी० बना दिया गया। द्वितीय विश्वयुद्ध में उसने मूनिख अक्षांश की ओर उसे 1943 में फील्ड मार्शल बना दिया गया। द्वितीय विश्वयुद्ध के वायसराय के रूप में लिनलियगो का उत्तराधिकारी बन गया।

गांधी को कांग्रेस काय समिति के सदस्यों से उनके चाहने पर भी मिलन नहीं दिया जाता था।

## सी० आर० फार्मूला

अपनी रिहाई के 2 महीने बाद तब गांधी इतने बमजोर थे कि राजनीति में भाग नहीं ले सके। पर जैसे ही उन्होंने बेहतर अनुभव किया, उन्होंने दो और महान भूले की। प्रथम लंदन के 'यूज थ्रानिकल' की एक भेंट में उन्होंने घोषणा की कि यदि ब्रिटिश शीघ्र भारत को स्वतंत्र कर दें, तो यह देश ब्रिटिश युद्ध के काय को समयन प्रदान करेगा। यह एक आश्चर्यजनक घोषणा थी क्योंकि संपूर्ण युद्धकाल में वह इस दृढ़ विचार के थे कि यदि उनकी स्वतंत्रता भी युद्ध में रत रहने से जुड़ी हो तो भी वह इस युद्ध में सम्मिलित होने की बात स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए था कि वे हर प्रकार की हिंसा के विरुद्ध थे। इस बात से भारत में पूर्ण जनमत उलझ गया और गांधी जैसी आशा करते थे ब्रिटिशों से उन्हें कोई बाहवाही नहीं मिली। चूंकि मित्रराष्ट्रों की विजय लगभग निश्चित थी इसलिए ब्रिटिशों को भारत की सहायता की आवश्यकता नहीं थी। यह सोचा गया कि गांधी की यह घोषणा ब्रिटिश समयन प्राप्ति के लिए है पर जब इसकी कोई कीमत नहीं रह गई थी। इस तरह से जब गांधी ने अपने सिद्धांत में मूलभूत परिवर्तन किया तब भी उससे उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। गोली देर में चलाई गई थी और निशाना भी चूक गया था।

द्वितीय, गांधी ने जिन्ना से पाकिस्तान की मांग को लेकर मुलह के लिए पत्र व्यवहार प्रारंभ किया। इस सबंध में मौलाना आजाद ने जिस स्पष्ट रीति से इसका विवरण दिया है उसके लिए बिना क्षमा याचना के उसे प्रस्तुत कर रहा हूँ, "गांधीजी का इस अवसर पर जिन्ना के प्रति दृष्टिकोण भूल से भरा था। इससे जिन्ना को नयी और अति महत्वपूर्ण महत्ता प्राप्त हो गई जिसका उसने पूर्ण लाभ उठाया जिन्ना ने 20वीं सदी के दूसरे दशक में कांग्रेस छोड़ने के बाद अपनी राजनैतिक महत्ता गवा दी थी। उसने गांधी जी के भूल के कारण अपनी महत्ता पुनर्अर्जित कर ली देश का मुसलमान बहुमत जिन्ना और उसकी नीति के प्रति सदेहशील था। पर जब उन्होंने देखा कि गांधी उसके पीछे दौड़ रहे हैं और मना रहे हैं तो उनमें से बहुता के मन में जिन्ना के प्रति आदर पदा हो गया यह गांधी ही थे जिन्होंने उसे कायदे आजम कहा। जब भारतीय मुसलमानों ने गांधी जी को उन्हें 'कायदे आजम' कहते सुना तो उन्होंने सोचा शायद वह ऐसा हो ही।"<sup>1</sup>

तो भी हो गाधी न जिन्ना में पत्र-व्यवहार प्रारम्भ किया। पहले कांग्रेस में सी० राजगोपालाचारी न पाकिस्तान की माग मानने को कहा था। पर उनके प्रस्ताव को समर्थन न मिलने के कारण उन्होंने स्तीफा देकर इत बान के पक्ष में जनमत तैयार करना प्रारम्भ किया। अब कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य न रहने के कारण राजगोपालाचारी को कैद भी नहीं किया गया। उन्होंने पाकिस्तान के सबंध में एक निश्चिन् फार्मूला तैयार किया और गाधी जी की रिहाई पर इसे उन्हें दिखाया। गाधी ने इस फार्मूले को पसंद किया और इसी के आधार पर गाधी न जिन्ना में पत्र-व्यवहार प्रारम्भ किया। गाधी जिन्ना में सितंबर 1944 में मिले और सी० पार० फार्मूला पर उत्तरे बान की। सी० आर० फार्मूला की निम्न धारारे थे—

(1) मुस्लिम लीग भारत की स्वतंत्रता की माग का समर्थन करती है और कांग्रेस के साथ युगान्तर काल में सरकार बनाने में सहयोग करेगी। (2) युद्ध समाप्ति के बाद उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में जहां मुसलमान बहुमत में हैं वहां के लिए एक आयाग बनाया जायगा जो ऐसे जिलों को अलग करेगा। इन क्षेत्रों में यहां के सभी निवासियों से वयस्क मताधिकार के आधार पर मत लिया जायेगा कि क्या वे अलग रहना चाहते हैं। (3) मत लेने से पूर्व सभी दल के लोगों को अपना मत उनके समर्थ रखने का अधिकार होगा। (4) अलगगाव की स्थिति में रक्षा, व्यापार व संचार की रक्षा हेतु आपसी समझौता किया जायेगा। (5) जनसंख्या का स्थानान्तरण पूर्णतया स्वच्छा से होगा। (6) ये शर्ते सभी लागू हांगी जब ब्रिटिश पूरी शक्ति और उत्तरदायित्व भारत सरकार को सौंप देंगे।

पर जिन्ना न गाधी से कुछ समय तक बानचीत के बाद इस फार्मूले को मानने से इकार कर दिया। सप्रू कमेटी के प्रश्ना के उत्तर में गाधी ने निम्न बिन्दु बताये जिनको लेकर उनमें और जिन्ना में नहीं पट सभी (1) जिन्ना लीग के अध्यक्ष थे और गाधी को वह केवल एक व्यक्ति ही स्वीकार करते थे। (2) जिन्ना के पास कोई तैयार योजना नहीं थी। पर यह इस बात पर जोर दत थे कि यदि गाधी उनके पाकिस्तान के विचार से सहमत हो जाय तभी यह इस सबंध में और आगे बात करेंगे। (3) गाधी की राय थी कि केन्द्र में एक शासन की बान दोनों दल स्वीकार कर लें। पर जिन्ना का कहना था कि पहले विभाजन और दो राष्ट्रों की बात तय हो जाय और फिर दोनों के बीच विदशी मामला आदि पर बात हो। (4) जिन्ना दो भतग सावधौम राष्ट्र चाहत थे जिनके बीच कोई सबंध न हो तिषाय मति के। यदि कोई उन मधि को तोड़ द तो यद्ध हो। (5) जिन्ना ने सी आर फार्मूल के भाग 2 पर स्तराज किया जिसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर मत मागने की बान की



गई थी। जिन्ना मुसलमानों के मत लेने के पक्ष में नहीं थे क्योंकि वे मुस्लिम लीग की ही उनका प्रतिनिधि मानते थे और अब यह वे सांगे की बोलने का कोई अधिकार ही नहीं था क्योंकि पाकिस्तान मुसलमानों की आवश्यकता थी। (6) गांधी ने यह धारणा उस तरह से स्वीकार लीया जस एक परिवार में होता है और विशेष हित की बातें आरंभित रहती हैं। जिन्ना पूर्ण सप्रभुता गपन का रास्ता की बात करते थे। यह भी कहा गया कि जिन्ना इस जिद पर भी अड़े थे कि (7) पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र सिंध, बलूचिस्तान, बंगाल और असम पाकिस्तान के भाग हों तथा (8) पाकिस्तान को भारत से होकर एक गलियारा रास्त के रूप में प्रदान किया जाय जिसमें पूर्व और पश्चिम के बीच संपर्क स्थापित किया जा सके।<sup>1</sup>

सी० आर० फामूला की अस्वीकृति के बाद केन्द्रीय विधायिका में कांग्रेस के नेता भूलाभाई दसाई ने और लीग के महामंत्री लियाकत अली ने व्यक्तिगत आधार पर एक नया फामूला तयार किया।<sup>2</sup> पर यह फामूला भी कांग्रेस और लीग दोनों ने अस्वीकार कर लिया।

इस बीच गांधी को छोड़कर कांग्रेस के सभी नेता जेल में बंद थे और समय बीतने के साथ एतना विराध बढ़ता ही गया। 1945 में यूरोप के क्षेत्र में युद्ध की स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई। पर जापान से युद्ध लगता था अभी 2 वर्ष और चलेगा और दूसरे लिए भारत की सन्तुष्टि आवश्यक थी। यह आशा थी कि इस युद्ध के तिये भारत को ही मूल केंद्र बनाया जायेगा। इसीलिए अमेरिका का दबाव इंग्लैण्ड पर इस बात के लिए बढ़ता गया कि वह भारत की समस्याओं का समाधान करे। रूस ने भी इसी तरह का दबाव भारत पर डाला। भारत की विगडती जायिक स्थिति ने भी अपनी भूमिका अदा की। मजदूरों ने अपनी स्थिति सुधारने की मांग की। कृषकों की दशा भी बेहतर नहीं थी। पर्याप्त भोजन का भी अभाव था। उड़ीसा और बंगाल में अधिक और पूरे देश में भूखमरी व्याप्त थी। 1943 और 1944 में भूख से 1½ लाख लोग ने जान गवाई और 4½ लाख लोग इस कष्ट में फसे रहे। ये तो भारत सरकार के ही आंकड़े थे। पर भारतीय प्रशासन युद्ध में व्यस्त रहने के कारण इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसी बीच इंग्लैण्ड में भी चुनाव निकट आ रहे थे। चर्चिल की अनुदारवादी सरकार पर लेबर पार्टी द्वारा यह

1 फिलिप्स सी एच द इन्वेन्शन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान 1858 टु 1947 (सलेक्ट डॉक्यूमेंट) प 355-56 सीतारमैया पूर्वोद्धत भाग 2 प 631-33।

2 खेर अण्णादाराई पूर्वोद्धत भाग 2 प 556-57।

आरोप लगाया गया कि वह भारतीय स्थिति को सभालन में अक्षम है और यदि भारत को सतुष्ट करने का प्रयास नहीं किया जाता तो चुनाव में उनकी स्थिति खराब हो जायेगी।

इही परिस्थितियों में वावेल ने 1945 के वसंत में इंग्लैण्ड की यात्रा की और 1 1/2 महीने तक भारतीय समस्याओं पर वहाँ विचार विमर्श किया। इस काल में यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया और मिन राष्ट्रों की दृष्टि जापान की ओर गई। इससे भारतीय समस्या समाधान और महत्वपूर्ण हो गया। इसी कारण वायसराय के भारत वापसी पर लंदन से राज्य सचिव मि० एमरी और भारत में वावेल ने एक साथ बयान जारी किया। इस बयान को ही एमरी-वावेल योजना का नाम दिया जाता है या इसे वावेल योजना भी कहा जाता है।

### वावेल योजना

यह बयान मूलतः वायसराय के कायकारिणी परिपद से संबंध रखता था जिसमें निम्न परिवर्तन प्रस्तावित थे (1) कायकारिणी परिपद की इस तरह से रचना की जायेगी जिससे कि मुख्य सम्प्रदायों का इसमें सतुलित प्रतिनिधित्व हो जाय जिसमें मुसलमानों और हिन्दुओं का समान प्रतिनिधित्व हो। (2) इस उद्देश्य के लिए वायसराय एक सम्मेलन बुलायेगा जिसमें महत्वपूर्ण दलों के नेता या मुख्यमंत्री पद के अनुभव रखने वाले लोग तथा कुछ विशिष्ट अनुभव रखने वाले लोग होंगे। वायसराय इस सम्मेलन में कुछ नाम मांगेगा जिनका नाम वह सम्राट को सस्तुत करेगा कि उन्हें वायसराय के कौमिल का सदस्य बना दिया जाय। (3) पर ऐसी नियुक्तियों की सस्तुति का अधिकार वायसराय के हाथ में ही रहेगा जिस इस मामले में पूरी छूट रहेगी। (4) कायकारिणी के सभी सदस्य भारतीय होंगे। इसके अपवाद केवल वायसराय और सेनापति होंगे। सेनापति युद्ध सदस्य की हैसियत से इसका सदस्य होगा। "यह आवश्यक है जब तक भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिशों का है।" (5) इन प्रस्तावों में से कोई प्रस्ताव सम्राट और भारतीय राज्या पर प्रभाव नहीं डालेगा तथा वायसराय सम्राट का प्रतिनिधित्व करेगा। (6) यदि वेदों में इस तरह का सहयोग संभव हो गया तो इसकी छाया प्रांतों पर भी पड़ने की आशा थी। इसके द्वारा गवर्नर की सरकार 1935 के ऐक्ट के धारा 93 के अंतर्गत प्रांतों में विभिन्न दलों के सदस्य सरकारों के हाथ में चली जायेगी। (7) विदेशी मामलों (कबूल और सीमा) के मामले छोड़कर जो भारत की सुरक्षा की तरह मान जाते थे) जहाँ तक ब्रिटिश भारत का प्रश्न था वाय कारिणी के भारतीय सदस्य के हाथ में आना था। (8) यदि ऐसा हो जाता है

तो विदेशों में भारत के बाहर विश्वस्त भारतीय प्रतिनिधि भेजे जायेंगे। (9) ये सभी परिवर्तन कानून में बिना किसी परिवर्तन के किये जाने थे। पर 1935 के 9वें शेड्यूल में संशोधन किया जाना था जिसके अंतर्गत परिषद सदस्यों में से तीन सदस्यों को सम्राट की सेवा में कम से कम 10 वर्ष की सेवा का अनुभव होना चाहिए था। (10) बयान में घोषित किया गया कि "वर्तमान संविधान के अंतर्गत इससे अधिक कुछ कर सकना व्यावहारिक नहीं है।"

इस बयान के शीघ्र बाद ही कांग्रेसी नेता रिहा कर दिये गये और प्रस्तावित सम्मेलन शिमला में आयोजित किया गया। वैसे सम्मेलन तो बड़ी आशाओं के साथ प्रारंभ हुआ पर वे सारी आशाएँ जिन्ना के बड़े विरोध के कारण जहाँ की तहाँ रखी रह गईं। प्रस्तावित व्यवस्था पर जिन्ना का विरोध यह था कि यह पाकिस्तान के मामले को दफना देगा, इसका कांग्रेस की राष्ट्रीय एकता की योजना पूर्ण हो जायेगी, और अंतरिम व्यवस्था चूँकि असीमित काल के लिए चलेगी जिससे भारत में एकता की स्थापना हो सके और इस तरह मुस्लिम हितों की हानि होगी। पर इन सभी मांगों से जिन्ना की यह मांग जिसने इस योजना को समाप्त ही कर दिया, तगड़ी थी कि कौंसिल के लिए मुस्लिम सदस्यों को नामित करने का पूर्ण अधिकार मुस्लिम लीग को है। वायसराय ने ये कहते हुए इस अस्वीकार कर दिया, "मुझे ऐसी कार्यकारिणी का निर्माण करना है जो प्रतिनिधित्वपूर्ण, योग्य और सबको स्वीकार्य हो। इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया यह थी कि "वह एक साम्प्रदायिक संस्था द्वारा इस तरह के अधिकार प्राप्त को स्वीकार नहीं कर सकती और न ही यह अपने को एक सङ्घित साम्प्रदायिकता की निचाई तक गिरा सकती है।"

इस तरह बाबल योजना भी बेकार हो गई। यह योजना अभी तक प्रस्तावित योजनाओं में बेहतर स्थान रखती थी। अंतरिम काल के लिए यह प्रगतिशील भारतीयों की महत्वाकांक्षा का आदर करती थी पर मुस्लिम लीग की जिद ने इसे कहीं का न रखा। पर लीग के पीछे ब्रिटिश कूटनीति भी कायरत थी। आलाचक्राव ने कहा कि इंग्लैंड का अनुदारवादी दल पुरानी बातों और राज्य करने की नीति अपनाकर भारत पर अधिकार बनाये रखना चाहती थी। संपूर्ण योजना ब्रिटिश चुनावों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत की गई थी। इसी कारण चुनाव के एक माह बाद ही वार्ता एकाएक समाप्त कर दी गई। इसका उद्देश्य भारतीय साम्प्रदायिक भेदभाव को विश्वशक्तियों के सामक्ष उपस्थित करना था।

पर यदि यह योजना असफल हो गई तो भी इसने अपने पीछे कुछ प्रभाव छोड़ा। हो सकता है इसे हर तरह में पसंद न किया गया हो पर इसने देश

के राजनैतिक वातावरण को स्पष्ट कर दिया। पाकिस्तान मामले ने जोर पकड़ा और कांग्रेस ने अनुभव किया कि यह अब इसके निमाण को नहीं रोक सकती। 1942 के हिंसा के उत्तरदायित्व के विवाद ने भारत की जनता पर नराशय लाकर डाल दिया और उहान सदेह ब्यक्त करना प्रारंभ कर दिया कि शापद कांग्रेस अपने 'भारत छोडो' प्रस्ताव पर भी कही न ठहरे। कांग्रेसी नेताओं की रिहाई और नेहरू व पटल की इस स्पष्ट घोषणा न कि हिंसा उचित थी और वे 'भारत छोडो' प्रस्ताव पर चलते रहग, देश में गिराशा के बादल को छाट दिया और पूरे राष्ट्र में सघष करने के लिए पुन उत्साहित कर दिया। इसके कारण कांग्रेस के प्रति जनता पुन आदर से भर उठी जिसके फलस्वरूप आन वाले चुनावों में उसे भारी सफलता मिली। इसके कारण एक तरह से 1935 के ऐक्ट में कोई प्रगति सभव न रह गई और अब इसके स्थान पर किसी और विधान को लाने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी।

## कैबिनेट मिशन योजना

### परिस्थितिया

1945-46 का वष भारत में विकास की स्थिति को हमारे सामन प्रस्तुत करता है। शिमला सम्मेलन की असफलता के थोड काल के ही बाद पूणतया एक नये भारत का जन्म हो चुका था। कांग्रेस के नेताओं की रिहाई न देश के कोने-कोने में उत्साह की लहर ला दी। पर इसमें दो महत्वपूर्ण घटनाओं ने भी अति महत्वपूर्ण सहयोग किया जिसमें एक थी आई० एन० ए० का मुकदमा।

### आई० एन० ए० का मुकदमा

पर्याप्त भारतीय सैनिक ब्रिटिशों न सिंगापुर और मलाया भेजे थे। जब य क्षेत्र जापानियों के कब्जे में आ गए तो ब्रिटिश अधिकारियों ने इन्हें इनके भाग्य भरोस छोड दिया। एक बगाली प्रातिकारी रास बिहारी बोस न जो जापान में रह रहे थे, जापानी युद्ध के नताओं से कहा कि इन युद्ध बंदियों में भारतीय देशभक्तों की एक सेना तैयार की जाय। सुभाष चंद्र बोस 1941 की जनवरी में भारत में बचकर यहाँ पहुँचे और आई० एन० ए० में सम्मिलित हो गये और इसे एक शानदार लडन योग्य सेना में बदल दिया। 1944 में इस सेना न भारत पर आक्रमण कर दिया और इस क्षेत्र के कुछ स्थानों पर अधिकार कर लिया। पर जल्दी ही जापान की पराजय हो गई और बर्मा पर ब्रिटिशों का अधिकार हो गया जिसके कारण आई० एन० ए० के बहुत स

अधिकारी बंद कर लिए गये। ब्रिटिश उन्हें दंडित करना चाहते थे पर कांग्रेस ने यह कहकर इस पर इतराज किया कि इन लोगों को ब्रिटिशों से छोड़ दिया था और यदि वे आइ० एन० ए० के अंतर्गत संगठित न हो जाते तो उन्हें सड़क आदि के निर्माण में लगा दिया जाता और इससे जापानियों को भारत जीतने में सुविधा ही प्राप्त होती। इस तरह इन्होंने यह सबसे उत्तम पथ अपनाया क्योंकि जापानियों ने वायदा किया था कि जिन भारतीय क्षेत्रों पर आइ० एन० ए० का अधिकार होगा वे उसके अधिकारी होंगे। अतः ब्रिटिश इनमें सखुछ पर खुले तौर पर मुकदमा चलाने को तैयार हो गये।

इस तरह हिंदू, मुसलमान और सिख संप्रदायों के मेजर सहगल, मेजर जनरल शाहनवाज खा और कनल बिरला पर खुलेआम साल किले में मुकदमा चलाया गया। नवम्बर 1945 में मुकदमा प्रारंभ हुआ और कांग्रेस ने उनकी रक्षा का उत्तरदायित्व लिया और एक प्रसिद्ध वकील तथा कांग्रेस के नेता तथा केन्द्रीय विधायिका में कांग्रेस के प्रतिनिधि भूलाभाई देसाई ने उनके वकील का वाय किया। पर तीनों लोगों को अतः मौत की सजा दी गई। पर मुकदमा के चलने के समय एक निणय के समय जनमत इतना तीव्र विरोध कर रहा था कि सरकार को जनमत के समक्ष झुकते हुये इस दंड को स्थगित करना पड़ा। जनमत की यह एक बड़ी विजय थी विशेषकर इसलिए कि इससे तीन संप्रदायों में एकता के दर्शन हुए। दश की राजनीति में जनता की इस रुचि ने ब्रिटिशों को यह समझा दिया कि जनता में जागृति आ गई है और अंग्रेज भारत पर अधिकार अधिक समय तक बनाये नहीं रखा जा सकता।

### जलसेना का विद्रोह

इस काल में बम्बई में जलसेना का विद्रोह एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। कमचारियों में भेदभाव पहले ही पैदा हो चुका था और यहाँ भी राजनैतिक मसला को लेकर झगड़े प्रारंभ हो गये। इस विद्रोह की कहानी का तब प्रारंभ हुआ जब कर्तकत्ता के निकट दमदम हवाई अड्डे पर आर० ए० एफ ने विद्रोह कर दिया। इसमें वाद रायल इंडियन ऐअर फोर्स में भूख हड़ताल हुई और रायल इंडियन आर्मी में भी अनुशासनहीनता के दर्शन हुये। पर सबसे महत्वपूर्ण घटना तब घटी जब 18 फरवरी 1946 को बम्बई के जलसेना अधिकारियों ने विद्रोह कर दिया। 1857 के उपरांत यह पहला अवसर था जब सुरक्षा सेना के एक तबके ने खुले आम ब्रिटिशों के विरुद्ध राजनैतिक मसले पर विद्रोह कर दिया। और इन सभी घटनाओं ने ब्रिटिशों को यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक भारत की राजनैतिक समस्या का सत्तापजनक हल नहीं

निकाला जाता तब तक सेना भी विश्वस्त नहीं रहेगी।”<sup>1</sup>

**ब्रिटेन में श्रमिक दल की सरकार**

भारत के भाग्य से ग्रेट ब्रिटेन के इसी समय के चुनावों में ब्रिटिश लेबर पार्टी की विजय हुई जिसने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के आश्वासन पर चुनाव लड़ा था। चर्चिल के अधानुगामी पराजित हो गये और पद ग्रहण करते ही श्रमिक दल के नेता व प्रधानमंत्री मि० एटली ने 1945-46 के जाड़े में भारत एक ससदीय प्रतिनिधिमंडल भेजा जिसे भारतीय स्थिति पर प्रतिवेदन देना था। प्रतिनिधिमंडल इस बात से आश्चर्य हो गया कि भारतीय स्वतंत्रता को अब और अधिक नहीं टाला जा सकता और उसलिये इसी तरह का प्रतिवेदन गृह विभाग को दे दिया। 14 फरवरी को भारत कबिनेट मिशन भेजने के प्रस्ताव की घोषणा हो गई और 15 मार्च 1946 को एटली ने हाउस आफ कॉमन्स में यह स्वीकारत हुए घोषणा की कि (1) भूतवालीन भारतीयों और ब्रिटिशों दोनों ने गलतियाँ की, (2) कि कोई भी भूतवालीन फार्मूला 1946 की भारतीय परिस्थिति में नहीं लागू किया जा सकता, (3) आपस में बटे होने के बावजूद सभी भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के सबंध में एकमत हैं, (4) भारत में राष्ट्रीयता की नींव इतनी मजबूत हो गई है कि यह अब सैनिक क्षेत्रों तक पहुँच गई है (5) और यदि वहाँ कुछ सामाजिक और आर्थिक समस्याएँ हैं तो उसे भारतीय ही हल कर सकते हैं, और (6) इस लिये कबिनेट मिशन “भारत भेजा जा रहा है जिसका उद्देश्य यह है कि भारत को शीघ्र से शीघ्र स्वतंत्रता प्रदान कराये।”

इस मिशन के नेता थे राज्य सचिव लॉर्ड पेथिक लारेस (मिशन का नेतृत्व यही कर रहे थे), ऐडमिरैल्टी के प्रथम लॉर्ड मि० ए० वी० अलकजांडर और बोड आफ ट्रेड के अध्यक्ष सर स्टैफर्ड क्रिप्स। यह मिशन दिल्ली 24 मार्च को पहुँचा और यहाँ पहुँचते ही भारतीय नेताओं से तुरंत बातचीत करने लगा। पर इस बातचीत से कोई सवसाय फार्मूला सामने नहीं आया और अंततः मिशन को 16 मई 1946 को अपनी ही एक योजना की घोषणा करनी पड़ी जिसका विवरण नीचे है। इस योजना को लम्बी अवधि की योजना का नाम दिया जाता है। यह अल्पकालीन योजना के विपरीत थी जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे।

मिशन ने मुस्लिम लोग की माग के अनुसार पाकिस्तान बनाये जाने की सभावना से इन्कार कर दिया और इसके लिये निम्न कारण दिये (1) एक

ऐसा हल जिसमें पजाब और दगल प्रांत का विभाजन होना था, उस प्रांत के काफी लोगों की इच्छा जोर हित के विपरीत पड़ता था, (2) पजाब का कोई भी विभाजन सिखों को सीमा के दोनों ओर छोड़ देगा, (3) भारत में आवागमन, पोस्टल और तार व्यवस्था एक अखण्ड भारत के आधार पर की गई थी। इसकी विच्छिन्नता भारत के दोनों भागों का अहित करेगी। (4) भारतीय सेना पूरा भारत की रक्षा के लिये बनाई गई थी और उन्हें दो भागों में बाटना पुरानी परम्परा पर कठोर आघात करेगा और सेना की कार्यक्षमता को कम कर देगा। इससे खतरे भी बढ़ जायेंगे। भारतीय जल सेना और वायु सेना भी बहुत कम प्रभावी रह जायेंगी। (5) दो पाकिस्तान, भारत के दो छारों पर बनाने की जो योजना है उससे पाकिस्तान को सुरक्षित रखने में भी कठिनाई होगी। (6) यह विचार महत्व का है कि भारतीय राज्य विभाजित ब्रिटिश भारत से किम तरह से सत्रध स्थापित करेंगे। (7) इसके अतिरिक्त भौगोलिक स्थिति भी ध्यान देने की है। प्रस्तावित पाकिस्तान के दोनों अंगों के बीच दूरी लगभग 700 मील होगी। ऐसी स्थिति में युद्ध और शांति दोनों स्थितियाँ म इसे भारत पर निभर करना पड़ेगा और दोनों अंगों के बीच आवागमन के साधन की कठिनाईयाँ भी रहेगी।

### भारत सघ

इस सबके बावजूद मिशन ने कहा कि वह “मुसलमानों के सच्चे भय की ओर से जाब नहीं मूदेगा जिसमें उनकी संस्कृति तथा राजनैतिक व सामाजिक जीवन का एक भारत में डूब जाने का खतरा हो।” इसीलिये इन बातों का ध्यान में रखकर, मिशन ने भारत के सघ के सबंध में निम्न सस्तुतियाँ की—

(1) भारत का एक सघ होना चाहिये जिसमें ब्रिटिश भारत और राज्य सम्मिलित हो। यह सघ निम्न विषयों को अपने अधिकार में रखेगा विदेशी मामले, रक्षा और संचार। इस इन विषयों पर होने वाले व्यय के लिये धन की व्यवस्था करने का अधिकार भी होना चाहिये। (2) सघ की एक कार्यपालिका और विधायिका होनी चाहिये जिसमें ब्रिटिश भारत और राज्य के प्रतिनिधि होने चाहिये। किसी साम्प्रदायिक मामले के उठ खड़े होने पर विधायिका के बहुमत से इसे तय होना चाहिये जिसमें उपस्थित लोगों का बहुमत होना चाहिये। (3) सघीय विषयों को छोड़कर अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों के पास होनी चाहिये। (4) सघ को प्रदान की गई शक्तियाँ अतिरिक्त प्रांतों के पास शेष अधिकार चने रहेंगे। (5) अपना कार्यपालिका व विधायिका के साथ प्रांतों को अपना एक स्वतंत्र समूह बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिये। (इसका अर्थ यह था कि मुस्लिम

बहुस प्रान्त अपने को एक समूह में परिणत कर सकत थे और इस तरह एक सीमा तक सीमित पाकिस्तान की माग पूरी कर सकत थ। (6) सघ और समूहों के सविधान में एक यह प्रावधान होना चाहिये जिसके द्वारा कोई भी प्रांत विधायिका में अपन बहुमत से सविधान की धाराओं पर 10 वर्षों के बाद पुनर्विचार की माग कर सके और ऐसा ही आगे भी 10 वर्षों के बाद उसे करने का अधिकार हो।

मिशन ने यह आशा व्यक्त की कि स्वतंत्र भारत ब्रिटिश कामन्वेल्थ का सदस्य बना रहेगा। पर यह काम भारत का अपना है कि वह ऐसा करे या न करे।

### सविधान सभा

(1) उपरोक्त आधार पर सविधान बनाने हेतु सविधान सभा बनाने का प्रस्ताव निम्न विधि से किया गया (अ) सविधान सभा में 389 सदस्य होने थे जिसमें से 292 ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि, 93 भारतीय राज्य के प्रतिनिधि और 4 चीफ कमिश्नर के प्रांतों के प्रतिनिधि। (ब) ब्रिटिश भारत के प्रांतीय प्रतिनिधि 1 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि के अनुपात में भेजे जाने थे। (स) प्रत्येक प्रांत के लिये निश्चित की गई सीट का विभाजन विभिन्न सम्प्रदायों की जनसंख्या के अनुपात में होना था। इस उद्देश्य के लिये केवल तीन तरह के निर्वाचन स्वीकार किये गये थे अर्थात् सामान्य जिसमें मुसलमान और सिखों को छाड़कर सभी लोग आते थे, तथा पंजाब के सिख और मुसलमान। अल्पसंख्यकों को दी जानी वाली पुरानी सुविधायें समाप्त कर दी गईं। (द) भारतीय राज्य को भी प्रदान की जान वाली सीटें जनसंख्या के आधार पर की गईं। पर राज्य के प्रतिनिधियों की चुनाव विधि राज्य में स्थापित वार्ता समिति के माध्यम से होनी थी।

(2) सविधान सभा की प्रारम्भिक बैठक के बाद प्रांतीय प्रतिनिधि तीन वर्गों में बँट जाने थे अर्थात् बम्बई, मद्रास, उड़ीसा, बिहार, यू० पी० और मध्य प्रान्त के गर मुस्लिम बहुल प्रांत, पंजाब, सिंध, ब्रिटिश बलूचिस्तान तथा उत्तर प्रान्तीय सीमा क्षेत्र के मुस्लिम बहुमत के प्रांत एवं असम और बंगाल के उत्तर पूर्वी मुस्लिम बहुल क्षेत्र।

इसके बाद इन तीनों को अलग अलग बैठकर अपने प्रांत का सविधान तय करना था तथा उह यह भी निणय करना था कि उनके प्रान्तों के लिये कोई समूह सविधान भी बनाया जायेगा। यदि ऐसा था तो वह किन प्रान्तीय



विपयो को अपन अधिकार म लगा । जैसे ही नवीन सविधान काय करना प्रारम्भ कर देगा, प्रांत को अपना समूह छोड़कर अपन को अलग करन का अधिकार होगा । समूह से अलग होना का यह निणय नवनिर्मित प्रांतीय विधायिका द्वारा लिया जा सकता था । यह नवीन सविधान के अंतगत चुनाव के बाद ही होना था ।

(3) इसके बाद तीनो वर्गों के प्रतिनिधि भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ एकत्रित होकर सघीय सविधान बनायेगे । सघीय सविधान सभा मे केन्द्र और प्रांतों के विभिन्न विषयों के वितरण की बात होगी । यहां पर साम्प्रदायिक मतला तभी उठाया जा सकेगा जब बहुमत इसका समर्थन कर रहा है और दोनो सम्प्रदायों के लोग इसमें मत दे रहे हों ।

(4) ब्रिटिश सरकार इस सविधान सभा द्वारा बनाये गये सविधान को लागू करेगी ।

### संधि

यह आवश्यक होगा कि सघीय सविधान सभा और इंग्लैंड के बीच एक संधि की जाय जिसमें शक्ति हस्तांतरण से संबंधित बातें होंगी ।

### अंतरिम व्यवस्था

प्रमुख दलों के समर्थन से एक अंतरिम सरकार शीघ्र ही बनाई जायगी । युद्ध सदस्य सहित सभी पक्ष सरकार को सौंप दिये जायेंगे । ब्रिटिश उन्हें हर तरह की सहायता और सहयोग देंगे ।

### राज्य

राज्यों के संबंध में मिशन ने कहा कि ब्रिटिश भारत को शक्ति हस्तांतरण के बाद, ब्रिटिश सम्राट के लिये उन पर प्रभुसत्ता बनाये रखना कठिन हो जायेगा । और साथ ही इस प्रभुसत्ता को ब्रिटिश भारतीय सरकार को सौंपना भी संभव नहीं होगा ।

एक मूल्यांकन—16 मई 1946 के क्विंट मिशन प्रस्ताव भारत के टेढ़े मसले का ब्रिटिशों द्वारा हल करने का एक अच्छा प्रयास था । पर इस समस्या को भी उन्होंने उत्पन्न किया था । इन प्रस्तावों के माध्यम से विभिन्न नस्लों को संतुष्ट करने की चेष्टा भी की गई और राष्ट्रवाद के सिद्धांत को भी बचाव रखने का प्रयास किया गया । लॉड वावेल ने स्वयं कहा 'इन प्रस्तावों ने मुस्लिम सम्प्रदाय को अपन धर्म शिक्षा, संस्कृति और आर्थिक हित में रुचि लेने का अवसर प्रदान किया ।' द्वितीय व तृतीय वग के प्रांत तथा

उनको प्रदान की गई स्वायत्तता तथा सविधान बनाने का अधिकार एक तरह से लीग की पाकिस्तान की मांग की भूख को शांत करता था, पुन लार्ड वावेल ने आगे कहा कि प्रस्ताव "भारत की एकता की रक्षा करते हैं जो दो सम्प्रदायों के संघर्ष में तबाह होने की स्थिति में है और विशेष तौर पर इससे भारतीय सेना टूटन से बची जा रही है इसी की शक्ति एकता और कायधमता पर उसके भविष्य की सुरक्षा निर्भर करती है।" इसके अतिरिक्त "सिखों के लिये ये प्रस्ताव उनकी मातृभूमि पंजाब की एकता की रक्षा करते हैं" और इसके अतिरिक्त ये 'एक विशेष समिति का प्रावधान भी करते हैं जो सविधान निर्मात्री मशीनरी का एक जग है जिसके माध्यम से अल्पसंख्यक लोग अपनी आवश्यकता जाहिर कर सकते हैं और अपने हित की रक्षा कर सकते हैं।"

प्रस्तावित सविधान सभा में सभी भारतीय होने थे। इसके सदस्यों का चुनाव प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित जाणुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होना था। 1935 के ऐक्ट में जो वेहूदे ढग से साम्प्रदायिक वर्गों के विभाजन किये गये थे उसे समाप्त कर दिया गया और साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व केवल सिखा और मुसलमानों के लिये ही रखा गया। अल्पसंख्यकों के नाम पर दी जाने वाली सुविधायें समाप्त कर दी गईं। और यह भी स्पष्ट घोषित कर दिया गया कि सविधान सभा द्वारा बनाये गये सविधान को लागू किया जायेगा।

राज्यों के संघर्ष में भी जो प्रस्ताव किये गये वे पहले से अधिक प्रगति के सूचक थे। क्रिस्त योजना के अंतर्गत सविधान सभा के लिये राजा प्रतिनिधियों को नामित करता था पर अब राज्यों को वार्ता समितियाँ बनानी थी जो ब्रिटिश भारतीय प्रतिनिधियों से मिलकर प्रतिनिधियों के चुनने का तरीका तय करते थे। इस तरह स्पष्ट रूप से इन परिस्थितियों में राज्यों की जनता को अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजने में अधिक अधिकार प्राप्त हुआ।

संघीय सरकार को सभी विषयों में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी पर उन क्षेत्रों में नहीं जो वह अपनी इकाइयों का सौंप देता था। अतिरिक्त सरकार को सभी पोर्टफोलियो देने का निणय हुआ साथ ही ब्रिटिश सहयोग का आश्वासन भी।

पर फिर भी प्रस्तावों में खामियाँ थीं। वस तो मुस्लिम अल्पसंख्यकों का अधिकार की रक्षा की गई पर जय लोग जैसे सिखों की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। अपने 6-7 जुलाई 1946 के अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के भाषण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विशेष रूप से 'सिखा के प्रति होने वाले अन्याय की चर्चा की और कहा कि सिखों से पहले परामर्श नहीं किया गया और उन्हें हाथ पर बांधकर दूसरे समूह में फेंक दिया

गया और इसलिये व घट के भाव की अनुभूति कर रहे हैं। इस अतिरिक्त सिखा की वही सुरक्षा और साम्प्रदायिक निर्पेक्षाधिकार नहीं प्रदान किये गये जो मुसलमानों को मिले।<sup>1</sup>

बम तो मविधान सभा प्रजातांत्रिक आधार पर बननी थी, पर यह जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं करती थी क्योंकि सावजनिक व्यवस्था मताधिकार नहीं प्रारंभ किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतीय के लिये समूह का निर्माण अस्पष्ट था और कांग्रेस और लीग दोनों इसका अलग-अलग अर्थ लगाते थे। वर्गीय परिपदा को पहल अलग-अलग अपना सविधान बनाना था और इसके बाद उन्हें एकत्रित होकर सभ का सविधान बनाना था। प्रगतवादी तत्व यह मानते थे कि यह छोड़े के सामने गाड़ी ला घड़ा करन का एक प्रयास है। इस तरह जहाँ एक ओर केंद्रीय सविधान सभा विभाजन तत्वा का खेल का मैदान होन वाली थी दूसरी ओर प्रांतीय सविधान वर्गीय असेम्बली के द्वारा तय होना था। दूसरे समूह में कांग्रेस बहुत प्रान्त, उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र तथा तीसरे समूह के असम प्रान्त के हिता की साम्प्रदायिक लीग के हाथों बमर टूटनी थी।

भारतीय राज्यों पर नये प्रभुता समाप्ति की बात भी दुर्भाग्यपूर्ण थी। इस प्रभुता को भारतीय सभ को नहीं सौंपा गया और राज्यों को यह स्वतंत्रता दी गई कि वे चाहें तो सभ में सम्मिलित हों या न हों। इन राज्यों में आशा थी कि वे अलग ही रहना चाहेंगे जिस स्थिति में जनता का बहुत अहित था और राष्ट्रीय हित की भी हानि थी। होना तो यह चाहिये था कि राज्यों की वार्ता समिति राज्य का प्रतिनिधित्व करे पर ऐसा कहा होना था।

यह ठीक था कि एक प्रतिनिधित्वपूर्ण अंतरिम सरकार की स्थापना की जायेगी। पर यह स्पष्ट नहीं था कि यह कितने दिनों तक काय करेगी।

### मिशन की असफलता

18 जुलाई, 1946 को ब्रिटिश संसद में सर स्टफर्ड क्रिप्स ने भारत में क्विन्ट मिशन के इतिहास का अच्छा और विस्तृत विवरण दिया।<sup>2</sup> उसके अनुसार दलों से होने वाली बातचीत को चार भागों में बाटा जा सकता है (1) भारत

1 बनर्जी, ए सी एण्ड बास, डी आर (कम्पाइल्ड बाई) द क्विन्ट मिशन इन इंडिया।

2 फॉलियाने-टरी डिबेट्स वाम-स क्विप सीरीज भाग 425 प 1394 1416।

में मिशन के पहुंचने से लेकर अप्रैल तक, (2) अप्रैल के अंत से 16 मई तक जब मिशन ने अपनी पहली घोषणा की जिसका विवरण ऊपर आ चुका है, (3) 16 मई से 16 जून तक जब मिशन ने अपनी दूसरी घोषणा की और (4) 16 जून से 29 जून तक जब मिशन इंग्लैंड वापस हुआ।

### प्रथम काल

प्रथम काल में कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि अंतरिम सरकार का मसला पहले तय कर लिया जाय और इसके बाद सविधान सभा के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है। दूसरी ओर लोग इस बात पर जोर देने को अडो हुई थी कि वे अंतरिम सरकार के प्रश्न पर पहले बातचीत करने को तैयार नहीं हैं जब तक कि सविधान निर्मात्री सभा का प्रश्न न तय हो जाय। लीग पूणतया पाकिस्तान की रचना पर दृढ़ थी जबकि दूसरी ओर कांग्रेस उसी जोश व खरोश के साथ भारत की एकता को बनाये रखने पर तुली थी। पर उनका कहना था कि वे किसी क्षेत्रीय इकाई को उनकी इच्छा के विपरीत भारतीय सघ में बनाये रखने के पक्ष में नहीं हैं। मिशन ने इस पर यह निश्चय किया कि प्रथम लड़े जरसे वाले प्रश्न तय कर लिये जाय और उसके तुरंत बाद अंतरिम सरकार के प्रश्न से निबटा जाय।

### द्वितीय काल

इस काल में शिमला में एक बैठक आयोजित की गई जहां पर सभी अवधि की योजना पर विचार हुआ। कुछ प्रस्ताव पेश किये गये और दोनों दल अपने मत से कुछ हटकर आगे उठे। पर दो सप्ताहों के विचार विमर्श के उपरांत जब उन्हें और निवृत्त लाना संभव न रहा, बैठक समाप्त कर दी गई और विचार विमर्श के सदम में मिशन ने अपनी ही योजना को अंतिम रूप दिया और अपनी दिल्ली वापसी पर उसने इसे 16 मई को घोषित कर दिया।

### तृतीय काल

16 मई की घोषणा के उपरान्त, लोग ने 6 जून को इसे निश्चित स्वीकृति प्रदान की। वैसे इसने पाकिस्तान के मसले पर इस घोषणा की आलोचना भी की। पर कांग्रेस अब भी चाहती थी कि लम्बी अवधि और सक्षिप्त अवधि के प्रश्न एक साथ ही हल किये जाय और इसके अतिरिक्त 16 मई की घोषणा पर भी कुछ गलतफहमियां थीं। 25 मई का मिशन ने कांग्रेस की गलत फहमी दूर करने के लिये एक स्पष्टीकरण प्रसारित किया।

कांग्रेस ने जिन त्रिदुआ पर जोर दिया वे थे प्रथम, क्या प्रांतों को संविधान सभा के तीन वर्गों (बग, अ, ब, स) के रूप में पत्रों द्वारा ही आन को वाध्य किया जायगा या वे इच्छानुसार इंगम नहीं भी आ सकते थे। मिशन ने इस विस्तृत स्पष्ट कर दिया कि यह योजना का आवश्यक अंग है कि प्रांत वर्गों में बंटेंगे वम यदि वे किसी समूह में सम्मिलित हो गये तो उन्हें उससे बाहर निरालन का भी अधिकार होगा। इस बात का भय व्यक्त किया गया कि संविधान इस तरह से बनाया जा सकता है कि प्रांतवाद में समूह से न निकल सकें। पर त्रिपस ने व्यक्तिगत रूप से इस भय को आधारहीन बताया। दूसरा सदह युरोपीय मत को लेकर था। कांग्रेस ने कहा कि संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जायगा। युरोपीयों की इस भसले पर कोई स्थिति नहीं थी। बंगाल विधायिका में युरोपीय पार्टी ने तथा असम में उद्दिष्टि बिना पूछे ही यह स्पष्ट किया कि वे चुनावा में भाग नहीं लेंगे।

संक्षिप्त अवधि की व्यसस्था अथवा अंतरिम सरकार के प्रश्न पर वायसराय ने शिमला में इस प्रस्ताव पर विचार विमश करना प्रारंभ किया कि अंतरिम मन्त्रिमण्डल में कांग्रेस के 5 लीग के 5 और अल्पसंख्यकों के 2 प्रतिनिधि होने चाहिये। कांग्रेस ने दो मुख्य दलों की इस तुलनात्मक स्थिति को उचित नहीं माना। मिशन ने इस कठिनाई को दूर करने के लिए दलित वर्ग की ओर में एक प्रतिनिधि कांग्रेस में और सम्मिलित करने का कहा। इस तरह कांग्रेस के 5 के स्थान पर 6, लीग के 5 अल्पसंख्यकों के 2 (जिसमें से एक सिख) और सब मिलाकर 13 मन्त्रिमंडल के सदस्य होने को हुय। जिल्ला ने यह प्रस्ताव अपनी समिति के समक्ष रखना स्वीकार किया पर कांग्रेस अब भी संतुष्ट नहीं थी। जिल्ला और नेहरू के बीच एक वार्ता करने का प्रस्ताव किया गया, पर यह पूरा नहीं हुआ और कठिनाई बनी रही।

जब दोनों मुख्य दल अंतरिम सरकार को बनाने की योजना पर सहमत नहीं हो सके तो मिशन का पुन अपनी योजना प्रस्तुत करनी पड़ी जो दोनों दलों को स्वीकार्य हो। इसके परिणामस्वरूप 16 जून को दूसरी घोषणा करना पड़ी जिसके निम्न बिन्दु थे (1) 14 सदस्यों का एक अंतरिम मन्त्रिमंडल बनाया जायगा। इनमें से दलित वर्ग के एक प्रतिनिधि सहित 6 कांग्रेस के, 5 लीग के 1 सिख 1 पारसी और 1 भारतीय ईसाई होंगे। (2) वायसराय पोर्टफोलियो का वितरण दोनों प्रमुख दलों के परामश से करेगा। (3) अंतरिम सरकार की उपरोक्त रचना को भविष्य के किसी माम्प्रदायिक समस्या के हल के लिए आधार नहीं माना जायेगा। (4) यदि यह प्रस्ताव मान लिया गया तो वायसराय 26 जून के आस पास नई सरकार का प्रारंभ करेगा। (5) दोनों मुख्य दलों या उनमें से किसी एक के

इस योजना के अस्वीकृति की स्थिति में वायसराय अंतरिम सरकार की स्थापना की वायवाही के लिये आग बढेगा और यह चेष्टा करेगा कि जो इसे स्वीकार करते हैं उनका और जन्य का प्रतिनिधित्व इसमें हो। (6) वायसराय प्रांती के गवर्नर को निर्देश दे रहा था कि वह प्रांतीय विधायिकाओं को तुरन्त बुलाकर आवश्यक चुनाव कराये जिससे कि 16 मई की घोषणानुसार सविधान निर्मात्री सभा की रचना हो सके।<sup>1</sup>

स्पष्टतया द्वितीय घोषणा अब भी कांग्रेस और लीग के बीच अताकिक्क ढग से समान स्तर पर ही ले रही थी। पर इस घराब परिस्थिति में इससे बेहतर कुछ संभव न था। कांग्रेस में दलित वर्ग के। प्रतिनिधि सहित आशा थी कि सिख व पारसी भी उही का साथ देते। इस तरह मन्निमडल में कांग्रेस को विशेष कठिनाई न होती। इसके अतिरिक्त यह भी घोषणा की गई थी कि इस व्यवस्था को भविष्य के लिये उदाहरण नहीं माना जायेगा। प्रांता में चुनाव की आज्ञा देकर दीघकालीन योजना का चलते रहने दिया गया। इसके लिये यह प्रतीक्षा नहीं की गई कि सक्षिप्त काल की योजना को स्वीकृति मिल जाय।

#### चतुर्थ काल

जब की बार जिना ने यह कहा कि वे कांग्रेस के निणय की प्रतीक्षा करेंगे और तब लीग अपना निणय लेगी। दूसरी ओर कांग्रेस अब भी हिंदू और मुसलमानों में समान स्तर की बात को ठीक नहीं मानती थी। अनुसूचित जाति को वह हिंदुओं के समान मानती थी। इसके बावजूद क्रिष्ण ने बताया कि हा सक्ता है कांग्रेस ने इस दुर्भाग्यपूर्ण बात का स्वीकार किया हो और इसी समय जिना के कुछ पत्रों को प्रसारित किया गया जिसमें से एक में कहा गया था कि "मुस्लिम लीग कांग्रेस द्वारा किसी मुसलमान का नामित किया जाना स्वीकार नहीं करेगी।" इस तरह यह तुरन्त एक समस्या बन गयी। सच यह था कि कांग्रेस अपने सदस्यों में से एक हिंदू के स्थान पर एक मुसलमान को रखने पर विचार कर रही थी जिससे हिंदू मुस्लिम समानता की समस्या का समाधान हो जाय और क्रिष्ण के मतानुसार वे मुसलमानों को नामित करने की बात शायद स्वीकार कर लेते। पर जब यह चुनौती दी गई कि यह उाका अधिकार है तो कठिनाई आ गई। इस संबंध में क्रिष्ण ने कहा 'यह बात एक बार से अधिक जिना के सामने स्पष्ट की गई कि न तो वायसराय और न मिशन उसके इस अधिकार को स्वीकार करते हैं कि

1 क्रिष्ण, सी एच पूर्वोद्धत प 185-86।

मुस्लिम लीग के माध्यम से मुस्लिम नियुक्तिया की जाय । वैसे यह निश्चित रूप से माना जा सकता है कि वह मुस्लिम हितों की मुख्य प्रतिनिधि है ।”

अतत कांग्रेस ने 16 मई की बात मान ली, पर अतरिम सरकार की बात अस्वीकार कर दी । पर सिखा ने 16 मई की बात यह कहकर अस्वीकार कर दी कि मुसलमानों की भांति उन्हें सुरक्षा नहीं प्रदान की गई है । पर कांग्रेस ने सिखा को इसे यह आश्वासन देकर स्वीकार कराया कि उनके लिये सुरक्षा की व्यवस्था की जायेगी । त्रिप्स के अनुसार कांग्रेस ने एक उत्तम राजनयज्ञता का काय किया क्योंकि इससे नय सविधान के काय को आगे बढ़ने का अवसर आया ।

तब तक लीग 16 जून के प्रस्ताव पर किसी निणय पर नहीं पहुँची थी क्योंकि वे कांग्रेस के निणय की प्रतीक्षा कर रहे थे । पर अब जिन्ना ने लीग काय समिति की सहमति से 16 जून का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । जिन्ना ने सभवत सोचा कि इसके बाद ब्रिटिश लीग मात्र की सहायता से अतरिम सरकार की रचना करेंगे जैसाकि 16 जून के विवरण में कहा गया था कि वायसराय 'इसके बाद अतरिम सरकार की रचना करेगा जिसका प्रतिनिधित्व इसको स्वीकार करने वाले लोग करेंगे ।' पर जिन्ना को तब बड़ी निराशा हुई जब उन्होंने देखा कि ऐसा नहीं हुआ क्योंकि प्रमुख दल ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया है । इसी बीच मिशन ने 29 जून को इंग्लण्ड के लिये प्रस्थान कर दिया ।

## राज्य

16 मई के प्रस्तावों के सबंध में राज्यों की प्रतिक्रिया ठीक थी । उन्होंने सघ में सम्मिलित होने की उत्कट इच्छा प्रकट की । पर इस सबंध में वार्ता समितियाँ और मुख्य ब्रिटिश भारतीय दलों के बीच बातचीत आवश्यक थी क्योंकि इसी के आधार पर राज्यों का प्रतिनिधित्व सविधान परिषद में होना था और उसी से सघ में उनकी अंतिम स्थिति बननी थी ।

## अन्य गतिविधियाँ

सविधान सभा के लिये चुनाव के आदेश दे दिये गये थे और जिस दिन कैंब्रिज मिशन ने भारत छोड़ा नमचारियों की एक प्रभारी सरकार देश का प्रशासन चलाने के लिये बना दी गई । इस चुनाव की देखभाल भी करनी थी । इस बीच वायसराय लाड चावेल अतरिम सरकार बनवाने के लिये प्रयास करते रहे । 22 जुलाई का उद्घान कांग्रेस व लीग के अध्यक्षों को इस सबंध में नये प्रस्ताव भेजे जिसमें 16 जन के प्रस्तावों को दुहराया गया । इसमें जो नये

प्रस्ताव जोड़ गये थे—(1) कांग्रेस और लीग को किसी के द्वारा प्रस्तावित नाम का विरोध का अधिकार नहीं होगा। (2) वायसराय ने कहा कि वह “एक सभा के आयोजन का स्वागत करेगा यदि कांग्रेस भी इसे स्वीकार करे क्योंकि साम्प्रदायिक मसले दोनों दल मिलजुल कर ही निबटा सकते हैं।”

लीग ने इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह मन्निमडल के लिये कांग्रेस द्वारा किसी मुसलमान का नाम प्रस्तावित किया जाना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पर कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया और चूकि बड़े दल ने इसे स्वीकार कर लिया इसलिये वायसराय ने जवाहरलाल नेहरू को अपने मन्त्रियों के नाम भेजने को कहा। मन्निमडल के 14 सदस्यों का प्रस्ताव किया गया जिसमें से 5 मुसलमान होने थे।

### लीग की सीधी कायवाही

यह लीग के लिये बहुत बड़ी चोट थी जिस सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया गया था जबकि 16 जून का प्रस्ताव उसने स्वीकार कर लिया था। लीग ने अब बदले के भाव से काय किया, उसने कबिनेट मिशन की दीर्घ और अल्पकालिक दोनों योजनाओं की अपनी स्वीकृति वापस ले ली और पाकिस्तान प्राप्ति के लिये सीधी कायवाही करने की अपनी योजना व इच्छा की घोषणा की। 16 अगस्त 1946 को लीग द्वारा सीधी कायवाही दिवस मनाने का निश्चय किया गया और उस तिथि को जो कुछ हुआ उसमें राष्ट्रवादी नताओं की आँखें खुल गईं क्योंकि उस दिन पराकाष्ठा के साम्प्रदायिक दगे हुये। सीधी कायवाही दिवस का प्रारंभ कलकत्ता से हुआ जहा भीड़ ने कभी न घटने वाली हिंसा का ज्वलन्ब लिया। “पूरा नगर खून, हत्या और जातक म डूब गया। सक्डा जीवन’ बर्बाद हो गये। हजारों घायल हो गये और करोडा रुपय की संपत्ति स्वाहा हो गई।” यह विवरण मौलाना आजाद न दिया है। पर आश्चय यह था कि इस सबके बावजूद ट्रको पर लदी सैनिका की टुकडी तमाशबानि बनी रही। जब आजाद ने, जो उस समय कलकत्ता म ही थे, उनसे पूछा वे शांति स्थापना मे सहायता क्या नहीं कर रहे हैं तो उन्हाने उत्तर दिया कि उह आदेश दिया गया है कि वे तैयार खडे रह पर कोई कायवाही न कर।<sup>1</sup> सभवत एच० एस० मुहरावर्दी का लीग मन्निमडल यह दिखाना चाहता था कि यदि लीग की मागें न मानी गइ तो क्या कुछ हो सकता है। वेगुनाह हिन्दू मुसलमाना के हाथ कलकत्ता म शिकार हुये। पर अय म्थाना के हिन्दू कलकत्ता के मुसलमाना मे पीछे नहीं रहना चाहत थे, और उसी



वप अक्टूबर में उठोने नोआखाली के मुसलमानों पर प्रतिशोधात्मक आक्रमण किया। और इसकी प्रतित्रिया में पंजाब में भयानक खून चरावी हुई।

### लीग का सरकारों में प्रवेश

पर इस सबके बावजूद केन्द्र सरकार में लीग को सम्मिलित करने के प्रयास जारी रहे और अतंत मन्त्रिमंडल के लिये 5 सदस्य नामित करने के लिये जिन्ना तयार हो गये। पर यह कायवाही उठोने काई हृदय परिवर्तन के कारण नहीं की क्याकि जिन्ना ने 13 अक्टूबर 1946 को लाड वावल को लिखा कि वायसराय ने लीग के बिना ही काम करने का जो निणय किया उससे 'कांग्रेस के हाथ में शासन सौंपकर केन्द्र सरकार का प्रशासन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को पहुंच जायेगा। इसके अतिरिक्त आप अपनी अतिरिम सरकार में मुसलमान सदस्य भी नामित हुये पा सकत हैं जो मुस्लिम भारत का आदर और विश्वास अपने साथ नहीं रखते और जिसका परिणाम अति गभीर होगा और अतंत अय महत्वपूर्ण कारणों से जो स्पष्ट हैं और जिन्को यहां प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है हमने लीग की ओर से 5 सदस्य नामित करने का निश्चय किया है।" यहां अय महत्वपूर्ण कारणों को जिन्ना ने स्पष्ट नहीं किया था जिसका अर्थ था कि उसके मस्तिष्क में पर्दे के पीछे कुछ खुराफात थी। सच यह था कि लीग मन्त्रिमंडल में कांग्रेस से लड़ने के लिये सम्मिलित हुई। लीग के सदस्य लियाकत अली को अर्थ जैसा महत्वपूर्ण विभाग सौंपा गया। उसके नेतृत्व में अर्थ मन्त्रालय यह दिखाने पर तुल गया कि बिना उसके सहयोग के सारी सरकार ही पंगु हो जायेगी।

### सविधान सभा

परिस्थिति को और बिगाडने के लिये इसी बीच मुस्लिम लीग ने एक और चाल चली। कबिनेट मिशन के 16 मई के प्रस्ताव के अनुसार सविधान सभा के लिये चुनाव जुलाई 1946 में ही हो गये। इन चुनावों में 210 में से 199 सीटें जीतकर कांग्रेस ने महती सफलता अर्जित की। पर मुस्लिम क्षेत्रों में मुस्लिम लीग की सफलता भी कम महत्वपूर्ण नहीं थी। इन्होंने यहाँ 78 में से 73 सीटें प्राप्त की। सविधान सभा की बैठक के लिये वायसराय ने 9 दिसंबर की तिथि तय की। पर सभा की बैठक के पूर्व ही लीग ने इसमें सम्मिलित न होने की घोषणा कर दी। इसका कारण संभवतः 16 मई के कबिनेट मिशन के घोषणा के संवध में कांग्रेस और लीग का अलग अलग अर्थ लगाना था। कांग्रेस के अनुसार इसका सही अर्थ यह था कि प्रान्ता को यह निणय करने का अधिकार था कि वे अपना समूह भी बनायें और सविधान भी। पर लीग के

अनुसार वग में निणय साधारण बहुमत के आधार पर तिये जान थे जिम्मा अथ था कि तृतीय श्रेणी में आने वाले प्रांत असम को अपनी इच्छा के विरुद्ध उसी स्थिति में रखा जा सकता था यदि उस समूह के प्रतिनिधि वैसे ही निणय कर दें। असम जो एक हिंदू प्रांत था उसे भी अपने लिये एक सविधान बनाना था जो वग में साधारण बहुमत से तय होना था चाहे वह इसकी आवश्यकतायें न भी पूरा करता हो।

दोनों दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लंदन में बुलाई गई जहां वावेल भी साथ गया। पर यहां भी समझौता नहीं हुआ। ब्रिटिश सरकार ने वानुनी सलाहकारों की इस पर राय ली जो लीग के पक्ष में गई जिसके कारण लीग की मांग में उच्छ खलता और कडापन बढ़ गया। कांग्रेस ने जोर दिया कि यदि लीग सविधान सभा की बैठक में सम्मिलित नहीं होती है तो इसे सरकार से बने रहने का अधिकार नहीं है, लीग ने इसके उत्तर में छीटाकसी की कि कांग्रेस को भी सरकार में रहने का अधिकार नहीं है क्योंकि सही रूप में उसने 16 मई की घोषणा को नहीं स्वीकार किया है।

इस सब के बावजूद सविधान सभा की बैठक पूर्व निर्धारित तिथि 9 दिसंबर को हुई जिसमें लीग के सदस्य उपस्थित नहीं हुये। डॉ० राजेन्द्र प्रसाद इसके सभापति चुने गये, सभा ने अपनी कायवाही प्रारंभ की। पर सारी कायवाही अनिश्चित और अस्पष्ट थी। स्पष्टतया अंतरिम सरकार की कायवाही में बाधा पड़ गई थी, और सविधान सभा में एक मुख्य दल की अनुपस्थिति से लगा कि कॅबिनेट योजना असफल हो गई है। यदि किसी ने इस पूरे नाटक से कुछ प्राप्त किया तो वह थी लीग और पाकिस्तान का विचार क्योंकि आत्मकेन्द्रित और क्रुद्ध लीगियों के व्यवहार में सरदार पटेल जैसे कांग्रेसी नेता असहायता की स्थिति में हो गये और वे पुलेआम यह कहने को बाध्य हो गये कि लीग को उसका पाकिस्तान दे दिया जाय जिससे शेष भारत तो शांतिपूर्वक विकास कर सके। इसी बीच वावेल भारत से पदमुक्त हो गया।

1947 में वावेल जब भारत से वापस लौटा तो उसे अल की उपाधि से विभूषित किया गया और उसे लंदन टावर का वास्टेवुल नियुक्त किया गया। 1949 में विस्काउट मेरसे ने लिखा, "वह अपनी खेल और साहित्यिक अभि-ह्वि को बनाये हुये है। समय समय पर उसने अपनी दज्जा हडिडया तोडवा डाली हैं और सनिक विषय पर उसने कई पुस्तके लिखी है तथा कुछ कविताओं का संग्रह भी निकाला है।"

"लाड वानवालिस, हेस्टिंगज, हाडिज और वावल ही मूलरूप से ऊंचे पदों के सिपाही थे जिन्हें भारत में गवर्नर जनरल भी बनाया गया।" लाड

वाल "सुनता अधिक है आर बोलता कम । उसका एक तबिया कलाम है—  
आई सी (अच्छा) ।"<sup>1</sup>

---

1 मरवे त्रिस्ताउष्ट द बायमरायज प 151 52 ।

## लार्ड लुई माउण्टबेटन

(1947)

### स्वाधीनता की ओर

'बर्मा के अल माउण्टबेटन, गाटर के गार्ड, बाथ तथा भारत के नाइट ग्रैंड क्रॉस, तथा अनेक प्रतिष्ठित सेवा उपाधिया आदि के प्राप्तकर्ता (लगभग 30 के) माउण्टबेटन ने अपने को 600 ई० में पल्लवित होन वाले एक फ्रेंच सामंत ड्युक यडुल्फ की 41वीं पीढ़ी का मानत थे।'<sup>1</sup> महारानी विक्टोरिया एव एडवर्ड की पुत्री एलिस मॉड मेरी 1862 में हंस के राजकुमार लुई से विवाह किया। यही यकित बाद में हेस और राइन का ग्रैंड ड्युक लुई चतुर्थ कहलाया। इस दम्पति की 5 सताने थी जिनमें सबसे बड़ी विक्टोरिया ही हमारे नायक की मा थी। महारानी विक्टोरिया की पौत्री राजकुमारी विक्टोरिया का विवाह बटेनबर्ग के राजकुमार लुई से हुआ। यही आगे चलकर मिल्फोर्ड हेवन के प्रथम मार्क्विस् और पन्नीट के एडमिरल हुये। लुई माउण्टबेटन का जन्म 25 जून 1900 को हुआ। उसने पिता एक अति योग्य नाविक थे और प्रथम विश्वयुद्ध के प्रारंभ होन पर उसे प्रथम 'सी लाड की उपाधि प्रदान की गई। लुई को उत्तराधिकार में यह गुण प्राप्त हुये और जल सेना की सेवा में उसने अत्यधिक रचि ली। उसकी शिक्षा आसबन, डटमाउथ और क्राइस्ट कालेज में हुई। वह जल सेना सेवा में 1919 में प्रविष्ट हुआ। 1922 में उसने एडवीना एशले से विवाह किया। वह लार्ड माउण्ट टेम्पुल के विल्फ्रिड व प्रसिद्ध अयज्ञानी की पुत्री थी। 1921 में वह प्रिंस आफ वेल्स के साथ भारत आया। यहाँ उनका स्वागत हिंसा और झगडों से किया गया। गांधी ने राजकुमार की यात्रा का बहिष्कार करने का आह्वान किया था। इस यात्रा के दौरान राजकुमार को भारत के कई राजाओं से घनिष्ठ सवध स्थापित करने का अवसर मिला। वह गांधी से मिलना चाहता था पर भारत सरकार ने इसके लिये आज्ञा ही नहीं प्रदान की। इसी यात्रा के दौरान माउण्टबेटन

की भेंट दिल्ली में एडवीना से हुई और दोनों ने विवाह करने का निश्चय कर लिया। दोनों के बीच यह प्रणय परिचय वतमान दिल्ली विश्वविद्यालय के कक्ष संख्या 13 में हुआ। बाद में जब उस बात की सूचना लुई ने नेहरू का दी तो उन्होंने उत्तर दिया, उस क्षण तो मैं भी निकट के जेल में कोठरी संख्या 13 में था।”

↓

लुई के जीवन में उत्थान अति शीघ्र हुआ। 1942 में उसे कम्बोइण्ड आपरेशन का पियर नियुक्त किया गया और उसे ऐक्टिंग वाइस एडमिरल एवं आनरेरी लेफ्टीनेंट जनरल तथा एयर वायस मार्शल का पद प्रदान किया गया। 1943 में उसका पुनः उत्थान हुआ जब उसे दक्षिण पूर्वी एशिया कमान का सुपीम एलाइड कमांडर बनाया गया। इस कार्य के लिये उसने पहले नई दिल्ली, फिर लका में काड़ी और बाद में सिंगापुर को कार्य केन्द्र बनाया। इस पद पर उसने ब्रिटिश और अमेरिकन समुद्र स्थल और वायु सेना का सेनापतिवर्मा, मलाया और हिन्द महासागर में किया। उसे जनरल मैकआयर और स्टिलवेल के साथ भी काम करना पड़ा। जनरल आइजनहावर उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे। सिंगापुर में समर्पण की कार्यवाही के उपरांत, जब लुई के पास सेनापति का कार्य न रहा तो उसे कुछ राजनीतिक और मानवीय कार्य सौंपे गए। इसमें खाद्य सामग्री और औषधि के पूर्ति के अतिरिक्त नालियों के भरण का विभाग भी था। सिंगापुर के सरकारी निवास में केन्द्र बनाकर अब वह वर्मा, मलाया, सिंगापुर, स्याम, सुमात्रा, डच ईस्ट इंडीज, फ्रेंच इंडो चाइना आदि के 1 लाख वर्ग मील के क्षेत्र पर, जिसमें 1 करोड़ 28 लाख लोग रहते थे शासन करता था। उसकी पत्नी एडवीना सेंट जान ऐम्बूले से ब्रिगेड की मुख्य सुपरिन्टेण्डेंट थी। इसके अतिरिक्त वह “रडनास के संयुक्त युद्ध सभ की अध्यक्षता थी। उसी जमाने में मित्तराष्ट्रों के तमाम युद्धबंदियों को प्राप्त करने में भूमिका अदा की थी, इस तरह से यह कहा जा सकता है कि उसे इस क्षेत्र में पर्याप्त जानकारी थी।” भारतीय अंतरिम सरकार के प्रभावशाली यज्ञित प० जवाहरलाल नेहरू से इसी स्थान पर लुई का परिचय हुआ था। नेहरू वहां भारतीय सनातन से मिलने तथा वहां बस जाने वाले भारतीयों की स्थिति का पता लगाने गये थे। स्थानीय अधिकारी “नेहरू का परेशान करना चाहते थे, उनके आने जाने पर रोक लगाना चाहते थे और भारतीय समुदाय के लोगों से उनके मिलने पर रोक टाक की तैयारी में थे। मैंने साचा यह तो विनाशकारी होगा। यह व्यक्ति स्पष्टतया भारत का प्रधान

मन्त्री होने जा रहा था। ऐसा करने से भविष्य में आगल भारतीय सबध कैसे हो जाते। स्थानीय अधिकारियों ने नेहरू जी के लिये वार तक का इतजाम नहीं किया था इसलिये मैंने अपनी वार उनको दे दी।" यह विवरण लुई ने प्रस्तुत किया है।<sup>1</sup> माउण्टबेटन ने सरकारी निवास पर उनका स्वागत किया और सड़वा पर उनके साथ धूमे जहा जनता ने उनका शानदार स्वागत किया। यह लुई, एडवीना और नेहरू के बीच गहन मित्रता का प्रारंभ था जो बाद में उस समय जति लाभदायक सिद्ध हुई जब माउण्टबेटन भारत का वायसराय होकर आया।

भारतीय ममस्या का समाधान हाथ से निकलता जा रहा था। लाड चावेल ने गांधी और नेहरू दोनों का विश्वास खो दिया था और ब्रिटिश प्रधानमन्त्री भी उसे नापसंद करता था। जब चावेल के स्थान पर नियुक्ति होने वाली थी तो एटली ने कहा, "एकाएक मैं उत्साहित हो गया। मैंने माउण्टबेटन के विषय में सोचा।" वह आगे लिखता है कि, "अब माउण्टबेटन पूणतया एक उत्साही और शानदार व्यक्तित्व वाला हो गया था। अब उसमें ऐसे गुणों का सृजन हो गया था कि वह सब तरह के लोगो के साथ रह सकता था। इसका परिचय उसने दक्षिण पूर्व एशिया के सेनापतित्व काल में दिया भी था। उसे बहुत अच्छी पत्नी पाने का भी सौभाग्य प्राप्त था। इसलिये मैं यह काय उसे ही सौंप रहा हूँ। डिकी (लुई इसी नाम से जाना जाता था) के लिए यह कुछ कष्टकारक हो सकता है, आप जानते हैं।" माउण्टबेटन इस जगह की प्राप्ति के लिय आतुर नहीं था। उसकी महत्वाकांक्षा उस जल सेना की ओर थी जहा 1914 में उसके पिता को प्रथम सी लाड के पद से स्तीफा देना पडा था। माउण्टबेटन जमन जाति के थे। युद्ध के प्रथम सप्ताह में इंग्लैंड में तमाम जमन विरोधी भावना फैली। तमाम जमन दूकानों और चर्चा को लूट लिया गया और सरकारी सेवा में कायरता जमन अविश्वस्त मान जाने लगे। माउण्टबेटन परिवार पर भी आक्रमण हुआ और इ ही परिस्थितिया में उसके पिता को स्तीफा देना पडा था और इसी समय से इस परिवार ने अपना नाम बटनवग से बदलकर माउण्टबेटन रख लिया। लुई ने अपमानित अनुभव किया था और तभी से वह उस पद को प्राप्त करने के फिराक में था जिसकी सुविधा उसके पिता को नहीं मिल पाई थी। इसलिये जब भारत में उस यह उच्च पद प्रदान किया गया तो स्वाभाविक रूप से उसको कठिनाइयाँ थी। एटली को उस इसके लिय समझाना पडा। इस पद को स्वीकार करने से पूर्व लुई ने

1 वही प 139-40।

2 हेच अल्डन पूर्वोद्धत प 333।

तमाम शर्तें प्रदान की। उसने कहा कि वह इस पद का तभी स्वीकार करेगा जब भारतीय नेता उसे इसके लिये आमंत्रित करेंगे। पर उसे इसके बारे में कहा गया कि यह व्यावहारिक नहीं है। पर उसकी यह शर्त स्वीकार कर ली गई कि उस भारतीय नेताओं के निवास पर भी जान की अनुमति दी जाय। उसकी दूसरी शर्त थी कि उसे अपना काय करने के लिये अपने साथ अपने कर्मचारी ल जान की अनुमति दी जाय। इसको भी स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद उसने चाहा कि उसे लंदन के इंडिया हाउस के प्रतिबंधों से मुक्त हो स्वाधीनता से काय करने की छूट दी जाय। यह एसी पूर्णाधिकारी माग थी जिस अभी तक किसी वायसराय को नहीं सौंपा गया था। जब यह माग उसके सामने आई तो एटली हतप्रभ रह गया। पर अतंत इस बिंदु पर भी माउण्टबेटन को सफलता प्राप्त हो गई। माउण्टबेटन इस बात के लिये भी आतुर था कि उसके जल सेना के जीवन पर भी कोई प्रभाव न पड़े। एटली ने इसे भी स्वीकार कर लिया। उस जो नियुक्ति पत्र दिया गया उसमें लिखा गया था, बर्मा का रियर एडमिरल द विस्काउण्ट माउण्टबेटन, सेकण्ड टेम्परेरी ड्यूटी—वायसराय आफ इण्डिया।'

लुई को जैसे ही भारत का वायसराय नियुक्त किया गया, उसने भारतीय समस्याओं का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। पद को स्वीकार करने से पूर्व वह सम्राट से मिला था और उससे कहा था कि इस बात की पूरी संभावना है कि जिस काय के लिये मैं जा रहा हूँ उसमें मैं भारत में असफल हो जाऊँ और यह बात आपके राजपरिवार के लिए उचित नहीं होगी। पर राजा ने इसके उत्तर में कहा 'पर यह साचो कि कितना अच्छा होगा यदि तुम इस राजतंत्र के उत्तराधिकारी हो जाओ। माउण्टबेटन को पता था कि भारत की राजनतिक स्थिति पचीसी है। साइमन त्रिप्ट और कबिनेट मिशन द्वारा समस्या हल के तमाम प्रयास किये गये। पर साम्प्रदायिक भेदभाव और ब्रिटिशों के प्रति यह संदेह कि वे भारत छोड़ना नहीं चाहते रास्ते का रोड़ा बन चुके थे। माउण्टबेटन ने इसीलिये एटली से जोर देकर यह कहा कि भारतीयों में समझौता हो या न हो हमें जून 1948 का ब्रिटिशों को भारत से वापिस बुना लेने की तिथि घोषित कर देनी चाहिए। एटली ने इस मामले में भी माउण्टबेटन की बात स्वीकार कर ली। सामान्यतया यह समझा जाता था कि अंतरिम सरकार तथा सचिधान सभा की अनिश्चितता का वातावरण खतरनाक है और यह अधिक काल तक नहीं चल सकता। भारतीय नेताओं के मस्तिष्क से संदेह दूर करण और घटनाक्रम को तीव्रता से जाने बढ़ाने के ही लिये एटली ने लुई की बातें मानकर फरवरी 1947 को अपनी ऐतिहासिक घोषणा की।

## एटली का फरवरी 1947 का वक्तव्य

वक्तव्य में यह कहा गया कि, (1) "ब्रिटिश सम्राट की सरकार यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि उनका यह निश्चित उद्देश्य है कि भारत के उत्तर-दायी लोगों के हाथों में शक्ति का हस्तांतरण जून 1948 से पूर्व ही हो जाय।" (2) यदि पूरा प्रतिनिधित्व प्राप्त संविधान द्वारा कैबिनेट प्रस्तावों द्वारा तब तक संविधान नहीं बन पाता, तो सम्राट की सरकार को 'यह सोचना पड़ेगा कि ब्रिटिश भारत में निश्चित तिथि को केन्द्रीय सरकार किसके हाथों सौंपी जाय। यह ब्रिटिश भारत में पूरा रूप से किसी प्रकार के केन्द्रीय सरकार को, या कुछ प्रांत में प्रांतीय सरकारों को या किसी और को जो उचित लगे तथा जो भारतीय जनहित में हो।" (3) वैसे तो अंतिम अधिकार का हस्तांतरण जून 1948 तक संभव न होगा पर इसके लिये तयारी प्रारंभ कर दी जाय। (4) भारतीय राज्यों के संघ में ब्रिटिश भारत सरकार को सावधान शक्ति नहीं सौंपी जायगी और न शक्ति हस्तांतरण से पूर्व इस व्यवस्था को समाप्त किया जायेगा। पर यह विचाराधीन है कि इस बीच के काल के लिए सम्राट और इन राज्यों के बीच संघ हेतु कोई समझौता हो जाय।

यह वक्तव्य सचमुच भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर था। इसने ब्रिटिशों के प्रति सार सदेह को समाप्त कर दिया। पंडित नेहरू ने इसे जान कर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि, 'इसने न केवल सभी गलतफहमियाँ और सदेहों को ही दूर किया बल्कि इसने एक सत्य को आधार बना लिया है और भारतीय परिस्थिति के लिए यह एक उत्तम वक्तव्य है।' जिना ने इसके विषय में कहा, 'इस क्षण में कुछ भी कहने से इन्कार करता हूँ। पर साथ ही यह बता देना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग अपनी पाकिस्तान की मांग से एक इंच भी पीछे नहीं हटेगी।' इससे वह पाकिस्तान की मांग की पूर्ति के प्रति और आश्वस्त हो गया क्योंकि अब उस निश्चित तिथि के पूर्व कांग्रेस को उससे समझौता करना ही पड़ेगा जिससे कि तमाम विनाश से बचा जा सके। इंग्लैंड में इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएँ थीं। विस्टा चर्चिल ने कहा, 'तथाकथित राजनैतिक वर्गों के हाथों भारत सरकार का सौंपना, हम इसे गंज गुजर लोगों के हाथों सौंप रहे हैं, जिनका कुछ दिनों के बाद कहीं अता पता नहीं रहेगा।' जो भी हो, माउण्टबेटन ने भारत प्रस्थान से पूर्व पर्याप्त अधिकार अपने हाथ में प्राप्त कर लिये जिससे वह जैसा उचित समझे भारत के भाग्य का फैसला कर सकता था।



माउण्टबेटन को अपन कमचारी भारत ले जान की अनुमति मिली थी। एस लांगा म एक व्यक्ति उसन फील्ड माशल लाड इस्मे का चुना। इस्म इंग्लड म सनिक जीवन स कमशेत्त म बूदन वाला एव अनुदारवादी, चर्चित का युद्ध सहायक था और इंग्लड म उमरा बडा प्रभाव था। माउण्टबेटन न उस व्त लिय चुना जिसस कि वह टोरी विरोध का उसके माध्यम स झेल सके। इसके लिय वह इस व्यक्ति पर भरोसा कर सकता था जिम उसन चीफ आफ स्टाफ नियुक्त किया। दूसरा व्यक्ति जो पद म इस्म स नीचे था और जिस चुना गया वह था सर एरिक् मीविले। इस भारतीय प्रशासन का पर्याप्त अनुभव था। वह गवर्नर जनरल विलिग्डन का प्राइवट सन्नेट्री रह चुका था और बाद मे सभ्राट जाज पष्टम के असिस्टंट प्राइवट सन्नेट्री की हैसियत स काय किया था। अय जिन 4 लोग का चुना गया वे वर्मा मे उसक सहायक रह चुके थ। व थे, कॅप्टेन रामाल्ड ब्राकमन कमांडर जाज निवाल्स, लेफटीनंट बनल बनन अमकिन त्रम तथा एनेन काम्पवेल जासन। अन्तिम व्यक्ति उमरा प्रचार सहायक था जिसका काय भारतीय लोग मे तथा समाचारपत्रा म माउण्टबेटन के विचारा का प्रचार करना था। इसके अतिरिक्त उसके साथ उसकी सुन्दर पत्नी एडवीना भी थी जिसन शीघ्र ही नेहरू का विश्वास और मित्रता हासिल कर ली। इसके अतिरिक्त पटेल की पुत्री तथा जिन्ना की पुत्री स भी उनकी मत्री हा गईं जिनका भारतीय नेताआ पर बडा प्रभाव था। उनकी पुत्री पामेला सदा गांधी जी की प्रायना सभा मे जाया करती थी। वह स्वतंत्रता-पूवक लोग की मित्रता और सदाशयता प्राप्ति हेतु घूमा करती थी।<sup>1</sup>

जब माउण्टबेटन भारत पहुचा तो यहा की स्थिति दयनीय थी। लीग के सकुचित दृष्टिकोण के कारण अतरिम सरकार और सविधान सभा दोना उल झन मे थी। गत साम्प्रदायिक दगा न हिंजुआ और मुसलमाना दोना के दिलो म धाव कर दिया था तथा और इसी तरह की मुसुद्धत के लिये वातावरण तैयार हो रहा था। एटली के फरवरी के वक्तव्य ने भी स्थिति म परिवतन लान मे कोई विशेष सफलता अर्जित नहीं की थी। "यदि कोई जाशा की जाती थी कि इससे लीग और कांग्रेस भय के कारण एक दूसरे के अधिक निकट आ जायेंगे तो ऐसा नहीं हुआ। शक्ति सघप और तीव्र हो गया, विशेष कर क्षमडे बाल क्षेत्रा म तो और।"<sup>2</sup>

भारत पहुचत ही माउण्टबेटन ने 24 मई 1947 को पद ग्रहण किया। और उसके तुरत बाद महत्वपूर्ण भारतीय नेताआ स मिलाना प्रारभ किया। वह नेहरू स मिला और स्पष्ट रूप से उनसे कहा, 'मुझे आप ऐसा वायसराय

1. एवर एण्ड अप्पादाराई का स्टीचेशनल डिमोक्रेसी, प १३३।

न समझें जो ब्रिटिश राज को यहाँ समाप्त करने आया हुआ है बल्कि ऐसा व्यक्ति समझे जो नये भारत को नई दिशा देना चाहता है।' नरहृ इससे बहुत प्रभावित हुये और गदगद होते हुये उ होने उत्तर दिया, "अब मेरी समझ मे आया कि वे आपके आकषण के खतरे की जब चर्चा करते हैं तो उसका क्या जय है।" इसके बाद माउण्टबेटन जिना से मिले। साक्षात्कार की समाप्ति के बाद उसने कैम्पबेल जासन से कहा, 'हे ईश्वर ! वह तो भावशून्य था। सारे साक्षात्कार का समय उसे पिघलाने मे ही देना पडा।' वह गाधी से भी मिला और पहली ही बैठक म उनसे हसी मजाक प्रारभ हो गया। माउण्टबेटन को पता था कि गाधी का व्यक्तिगत प्रभाव पर्याप्त था। उसे यह पता था कि वह गाधी को सदा अपने साथ नही ले चल सकता पर उसे यह भी पता था कि यदि वह उसके विरोधी हो जाय तो वह कही नही पहुच सकेगा। माउण्टबेटन को लगा कि गाधी के विचार प्रायः अव्यावहारिक थे। उदाहरण के लिए दूसरी ही भेंट मे गाधी ने माउण्टबेटन से कहा कि उनकी इच्छा है कि केन्द्र मे अकेले जिना की ही सरकार बनान दिया जाय। माउण्टबेटन को पता था कि यह केवल बात की बात है और जब इसे वायसरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो उसने इस पर विचार तक करने से इकार कर दिया। पर फिर भी वायसराय ने गाधी से निकटता हासिल कर ली और गाधी वायसराय को सपत्नीक अपना मित्र मानते थे।

### 'डिकी वड' योजना

माउण्टबेटन प्रतिदिन नाश्त की मेज पर नाश्ते के बाद अपने साथिया से उस समय की स्थिति पर बातचीत करते थे और वायसराय की हैमियत से वह अम्पायर की तरह उस पर निणय भा देते रहते थे। अपने वायवर्त्ताओं के अतिरिक्त जिन्हें वह इंग्लड से लाये थे, उसके सहायताथ एक् भारतीय को भी रखा जिसका नाम था श्री० पी० मेनन और जो एक् भारतीय आई० सी० एस० अधिकारी थे। इसने वायसराय की बडी सहायता की।

भारत मे पहुचने के कुछ दिनों के भीतर ही, माउण्टबेटन ने एक् याजना तैयार कर ली जिसे भारतीय स्वाधीनता की 'डिकी वड योजना' कहा जाता है। यह योजना सचमुच कैबिनेट मिशन की उस योजना से मिलती जुलती थी जिसमे शक्ति का हस्तांतरण एक्तरफा इस सिद्धांत पर किया जाना था कि प्रांता को पहले स्वाधीन राज्य बना दिया जाय। इस योजना न भारतीय मध के विचार को या भारत एक् पाकिस्तान के उत्तराधिकारी अधिराज्य बनाय जाने के विचार को स्वीकार नही किया। मद्रास, बम्बई, यू० पी०, मध्य प्रान्त

विहार उड़ीसा, असम तथा बंगाल पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमा क्षत्र व मुस्लिम बहुल प्रांता को स्वाधीन घोषित होना था और वे सब अलग-अलग यह तय करन को थे कि भारतीय संविधान परिषद में सम्मिलित हुआ जाय या नहीं। इस याजना को अंतिम रूप देने में पूर्व माउण्टबेटन ने इसके विषय में विस्तार से बताया बिना अनौपचारिक रूप से भारतीय जनताओं में बातचीत भी की थी। उस ऐसा लगा कि वे सब उसकी इस योजना का स्वीकार कर लगे और इसीलिए उसने लाइ इस्म व जाज एबल को तदन मंत्रिमंडल से इस योजना का स्वीकृत कराने के लिये भेजा। इस योजना को इंग्लैंड प्रेषित करन के बाद माउण्टबेटन शिमला चले गये, जहाँ नहरू भी उनका महत्मान के रूप में उपस्थित हुए। एक दिन रात्रि के भोजन के बाद उसने नहरू को विश्वास में लेने के लिये इस योजना का मसविदा भावुकता में उनका सामन रख दिया। माउण्टबेटन ने सोचा था कि नहरू इसे पढ़ेंगे और देखकर प्रसन्न होंगे। पर उसे उस समय बड़ी निराशा हुई जब उसने नहरू का चेहरा धीरे धीरे श्राद्ध से लाल होता हुआ देखा। नहरू ने उस योजना को मेज पर फेंक दिया और कहा 'इससे कुछ नहीं होगा। मैं इस तरह की बड़ी योजना स्वीकार नहीं करूँगा।' दूसरे दिन माउण्टबेटन को नहरू जी का एक पत्र मिला जिसमें लिखा था "योजना के अंतगत जो प्रस्ताव के चित्र प्रस्तुत किये गये हैं वे अशुभ हैं। वे केवल भारत को ही जाखिम में नहीं डालेंगे बल्कि भविष्य के भारत इंग्लैंड सबको भी बर्बाद कर देंगे प्रस्तावों के फलस्वरूप भारत का बाल्बनीकरण तो हो ही जायगा साथ ही देश में इससे लोगो में सघप की भी बनावट मिलगी जिससे हिंसा व अव्यवस्था फैल जायेगी।"

माउण्टबेटन आश्चर्यचकित रह गया। ऐसा लगा कि उसका पूरा कार्य प्रारंभ होन के पूर्व ही भरभराकर गिर जायेगा। उसने तुरन्त इंग्लैंड को तार भेजा कि मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत योजना अब रद्द की जाती है। वहाँ से उत्तर आया "आखिर यह सब कस हो गया?"

माउण्टबेटन ने इस तरह की 'डिक्की बड योजना' इस तरह से बनाई की कि जिना पाकिस्तान के लिए अधिराज्य की स्थिति को स्वीकार कर सकता है पर कांग्रेस ऐसा कभी नहीं करेगी। पर शीघ्र ही उसे इस मसले पर भी मेनन द्वारा बताया गया कि उसने सरदार पटेल से बात की है और ऐसी आशा है कि कांग्रेस भी अधिराज्य की स्थिति को स्वीकार कर ले। सच यह था कि मेनन ने सरदार पटेल से इस मसले पर विस्तार से बातचीत की थी और उस यह बताया था कि अधिराज्य की स्वीकृति से शक्ति का हस्तांतरण शांतिपूर्वक संभव हो जायेगा और साथ ही इससे ब्रिटिशो की भारत में प्रति सदाशयता और मित्रता भी बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त इससे ब्रिटिश अधिकारियों को



इस पर लंबा चौड़ा विचार विमर्श हुआ पर जब इसे एटली के सामने प्रस्तुत किया गया तो उसने इसे स्वीकार करने में 5 मिनट भी नहीं लिया।<sup>1</sup> इस तरह से अतंत भारत की स्वाधीनता और विभाजन की प्रक्रिया को एक स्वरूप मिला।

### माउण्टबेटन योजना

इतिहास में जिसे 'माउण्टबेटन योजना' का नाम दिया जाता है उसके मुख्य प्रस्ताव अधोलिखित थे—(1) भारत का विभाजन अनिवार्य है। (2) बंगाल और पंजाब की विधायिका में मुस्लिम बहुल जिलों के प्रतिनिधि और वे (यूरोपीय सदस्यों को छोड़कर) जो शेष प्रान्त का प्रतिनिधित्व करते हैं अलग अलग बैठक करेंगे और बहुमत से निर्णय करेंगे कि उनका प्रान्त विभाजित हो या न हो। यदि एक भाग बटवारे का निश्चय करता है तो इसे मान लिया जायेगा। बटवारे के निश्चय के बाद ये फिर यह निर्णय करेंगे कि दिल्ली की सविधान सभा में सम्मिलित हुआ जाय या नई सविधान सभा बनाई जाय। (3) सिंध की विधायिका संपूर्ण रूप से एक विशेष बैठक में यह निश्चय करेगी कि दिल्ली की सविधान सभा में सम्मिलित हुआ जाय या नई सविधान सभा में जाने वाला का साथ दिया जाय। (4) असम में एक मुस्लिम बहुल जिले सिल्लहट में जनमत संग्रह कराया जाय और यह पता लगाया जाय कि यदि बंगाल का विभाजन हो तो वह बंगाल में सम्मिलित होंगे या असम में बने रहेंगे। (5) उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के मामले पर भी जनमत संग्रह कराया जाय कि वे दिल्ली के साथ रहेंगे या पाकिस्तान के साथ। (6) ब्रिटिश बलूचिस्तान को भी ऐसा ही उचित अवसर प्रदान करने की बात विचाराधीन थी। (7) भारत के प्रमुख दलों के द्वारा भारत की राजनैतिक समस्या के समाधान के लिये हो जाने वाले समझौते में शक्ति हस्तान्तरण के काल को 20 फरवरी के वक्तव्य की घोषित तिथि से पहले ला उपस्थित किया। इसीलिये "इंग्लैंड की सरकार ने अपनी ससद में यह बिल रखने का प्रस्ताव किया कि शक्ति का हस्तांतरण एक या दो अधिनियमों का इसी रूप 'अधिराज्य स्थिति' की दशा में प्रदान किया जाय।"

माउण्टबेटन की योजना के नियमांतगत बंगाल और पंजाब विधायिका के हिंदू सदस्यों ने बटवार के पक्ष में मत दिया और दिल्ली के साथ रहने का निर्णय किया। सिंध और उत्तर पश्चिम सीमाप्रांत ने पाकिस्तान में

1 मोरले रिपोर्टर पूर्वोक्त पृ 125-127।

सम्मिलित होने के लिये मत दिया। सिलहट ने भी पूर्वी बंगाल में जाना स्वीकार किया।<sup>1</sup>

यह प्रश्न हो सकता है कि कांग्रेस नेता जो लगातार भारत के विभाजन का विरोध कर रहे थे कैसे भारत के बंटवारे के लिये तैयार हो गये। लाड माउण्टबेटन का कहना था, 'मेरा अपना भी अभिमत था कि एक भारत ही सही उत्तर था पर देश में होने वाले बलवा और खून खराबी न इसकी जाशा को घूमिल कर दिया सभी मुस्लिम लीग के नेता जिनसे मैंने बात की उन सभी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे बंटवारे के इच्छुक हैं।' इसी कारण लाड माउण्टबेटन शीघ्र ही बंटवारे के पक्ष में हो गया। सरदार पटेल भी केन्द्रीय सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्यों के व्यवहार के कारण इस मसले पर दुलमुल हो चले थे। इस कारण लाड माउण्टबेटन के आक्षेप फुसलाव के भाव ने तथा श्रीमती माउण्टबेटन के सुदूर तर्कों ने अतत पंडित नेहरू को भी पाकिस्तान रचना को स्वीकार कर लेने के लिये बाध्य कर दिया होगा। पर मौलाना आजाद लगातार इस योजना का विरोध करते रहे। उन्होंने लाड माउण्टबेटन से कहा कि यदि देश का विभाजन हुआ तो इसके विभिन्न भाग में खून की नदिया बह जायेंगी। पर उनकी भविष्यवाणियों की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया एव वायसराय ने उन्हें असफलतापूर्वक आश्वस्त करते हुए कहा, "मैं यह देखूंगा कि दगा फसाद न हो। मैं एक सैनिक हूँ साधारण नागरिक नहीं हूँ।"<sup>2</sup> गांधी जिन्होंने इसके पहले मौलाना आजाद से कहा था कि पाकिस्तान का निर्माण उनके मरे हुये शरीर पर ही संभव होगा, वे भी मौन स्वीकृति की मुद्रा में थे। गांधी ने कहा, 'प्रत्येक व्यक्ति स्वाधीनता के लिए आतुर है। कांग्रेस ने व्यवहारत बंटवारा स्वीकार कर लिया है। इस योजना के द्वारा उन्हें एक काठ की रोटी पकड़ा दी गई है। यदि वे इसे खाते हैं तो पेट के दद से मरेगे। यदि वे इसे छोड़ देते हैं तो भूखे मर जायेंगे।'<sup>3</sup> पर उन्होंने जोर देकर कभी इसका विरोध नहीं किया।

पाकिस्तान के पक्ष में लाड माउण्टबेटन के तक जिसका विवरण मौलाना आजाद ने दिया है वे थे, "कांग्रेस ने एक कमजोर केन्द्र को इसीलिए स्वीकार कर लिया था जिससे लीग के दत्ताराजों का मुकाबला किया जा सके। प्रांतों को इसीलिये पूर्ण स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। पर एक ऐसा देश जो भाषा

1 और विस्तार के लिये देखें कम्पबल जा'सन एलेन मिशन विद माउण्टबेटन टरेन जान द लाइफ एण्ड टाइम्स आफ लाड माउण्टबेटन।

2 देखें टरेन जान पूर्वोद्धत प 142-153।

3 मोहले लियोनाड पूर्वोद्धत प 129।

4 वही प 128।

सम्प्रदाय सस्कृति मे इस तरह विभाजित हो, एक कमजोर के द्रव अलगवावादी प्रवृत्ति का प्रोत्साहित करता था। यदि मुस्लिम लीग न होती तो वह एक मजबूत केन्द्र की योजना बना सकता था और ऐसा संविधान भी रच सकता था जो भारतीय एकता पर नजर रखे। लाड माउटबेटन का मत था कि यह अधिक उत्तम होगा कि उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में कुछ टुकड़े त्याग दिये जाय और फिर एक मजबूत व सगठित भारत का निर्माण किया जाय।”<sup>1</sup> अपनी इच्छा के विपरीत जिन्ना का पंजाब और बंगाल का विभाजन स्वीकार करना पड़ा और इस तरह उन्हें एक क्षतविक्षत पाकिस्तान ही प्राप्त हुआ। इन्हीं परिस्थितियों में मौलाना आजाद तथा कुछ अन्य लोगों के विरोध के बावजूद अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने बटवारे का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

विल का अंतिम रूप प्रदान होने तक बीच में कुछ कठिनाइयाँ आईं। जिन्ना न दबाव डाला कि उन्हें पूरा और पश्चिम पाकिस्तान को मिलाने वाला 1000 मील लंबा स्थलीय रास्ता भारत के क्षेत्रों से होकर चाहिये। लीग नेता के इस प्रस्ताव ने कांग्रेस नेताओं को आश्चर्य में डाल दिया। पर माउटबेटन ने वातचीत करके इसे टाल दिया। कांग्रेस नेताओं ने भी कुछ आपत्तियाँ उठाईं। वे चाहते थे कि यदि भारत ब्रिटिश कामनवेल्थ को छोड़े तो उन्हें इसके लिये आश्चर्य नहीं किया जाय कि पाकिस्तान को भी उसकी सदस्यता से मुक्त कर दिया जायेगा। यहाँ पुनः वी० पी० मेनन ने वायसरॉय की सहायता की और भारतीय नेताओं को समझाया कि यह माग तकसगत नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने एक अन्य माग जो की वह उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से संबंधित थी जहाँ पर कांग्रेस समर्थक मुस्लिम नेता खान साहब अलग परन्तु निस्तान की माग के विचार का प्रचार कर रहे थे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करने के साथ ही साथ यह अवसर भी दिया जाय कि यदि वह चाहे तो स्वतंत्र रहे। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के अलग से सगठन बनाने से तमाम समस्याएँ पैदा होतीं इसलिए मेनन ने कांग्रेस नेताओं को इस माग से विरत रहने का सफलतापूर्वक निवेदन किया। एक अन्य समस्या तब आई जब सुहरावर्दी ने यह माग की कि बंगाल को स्वतंत्र राज्य घोषित किया जाय। पर जिन्ना इसके लिये तैयार नहीं हो सकते थे इसलिये इस माग को भी नहीं माना गया।

स्वीकृत योजना के विषय में तार से इंग्लैंड को सूचित कर दिया गया जहाँ एक विल जति शीघ्र तैयार किया गया और इसकी सूचना 22 जून को





धन नहीं कर दिया जाता या अधिराज्य में इनके स्थान पर नया सविधान नहीं लागू हो जाता। एक्ट के अंतगत गवर्नर जनरल के सुरक्षित और विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया। (8) भारतीय राज्या पर से ब्रिटिश प्रभुता समाप्त हो जायेगी और राज्यों को यह अवसर होगा कि वे दानो अधिराज्यों में से किसी एक के साथ सम्मिलित हो जाय या स्वतंत्र बने रहें। (9) 'इंडिया में इम्पेरेटर' तथा 'इम्पेरेर आफ इंडिया' शब्द को रॉयल स्टाइल और टाइटिल्स से निकाल देन की अनुमति प्रदान की गई। (10) उत्तराधिकारी अधिराज्य द्वारा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबीला के साथ समझौते का प्रयास किया जायेगा, और (11) भारत के राज्य सचिव का पद समाप्त हो जायेगा और उसका स्थान कामनवेल्थ मामला के सचिव के हाथ में चला जायेगा।

## महान विभाजन

### भारतीय राज्य

भारत का विभाजन साधारण काय नहीं था। भारत स्वाधीनता अधिनियम के अंतगत भारतीय राज्या पर ब्रिटिश प्रभुता समाप्त हो रही थी, और उन्हें यह स्वाधीनता थी कि वे किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित हो सकें या चाहे तो स्वतंत्र राज्य स्थापित करके रहें। यह प्रस्ताव भारतीय नेताओं की इच्छा के विरुद्ध रखा गया था और इसे वायसराय के राजनैतिक परामशदाता सर कोनराड कोरफील्ड के जोर देन पर रखा गया था जो इसकी सिफारिश के लिये लेबर सरकार से बात करने इंग्लैंड तक गया था। वायसराय लार्ड माउण्टबेटन के मन में इन 565 राजाओं के लिये कोई सहानुभूति नहीं थी जो स्वतंत्रता प्राप्त करके भारत की स्थिति बिगाड़ सकते थे। माउण्टबेटन उन्हें "उत्तुओं का समूह" कहता था और इस बात के लिये आशंका था कि भविष्यकालीन भारत में उनका कोई भविष्य नहीं है। इस कारण भारत व पाकिस्तान अधिराज्यों में उनका सम्मिलित किया जाना कष्टकारक भी था और रुचिकर भी।

राजनैतिक परामशदाता ने प्रभुता के सिद्धांत की दुहाई देते हुये तक दिया कि इस तरह का हर राज्य ब्रिटिशराज के साथ संधि से आबद्ध था और इसलिये ब्रिटिशों की वापसी पर उन्हें यह अधिकार था कि यदि वे चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक था कि वे अपने क्षेत्र से होकर जाने वाली रेल और तार लाइनों को रोक दें। उन्हें यह भी अधिकार था कि वे ब्रिटिश सेना को समाप्त कर दें और अपने राज्य के भीतर पड़ने वाले भारतीय डाकघरों को बंद कर दें। दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं का कहना था कि चूंकि उनकी वैदेशिक नीति भारत सरकार के पूणतया अधीन थी इसलिए इन राज्य इकाइयों को स्वाधीन नहीं माना जा सकता था। पर चूंकि सर कोरफील्ड के हाथ में शक्ति थी इसलिये वह इसकी अनुभूति कराना चाहता था। वह ब्रिटिश कटिजेट ट्रूप्स को निजाम हैदराबाद के राज्य से हटाना चाहता था पर रक्षा मंत्री वल्लेभ सिंह रास्त में आ गये। कोरफील्ड ने राजाओं को हर तरह का प्रोत्साहन दिया कि वे मगठित हो जायें और तीसरी शक्ति के

रूप में भारत में प्रकट हो। जब वह इंग्लैंड में वहाँ की सरकार से अपना मातृव्य मावाकर लौटा, तो उसने तुरंत अपने सहायकों को इस कार्य में लगा दिया कि वे पोलिटिकल विभाग की फाइलों की छानबीन करके ऐसे कागजात और पत्र व्यवहार ढूँढ कर दें जो राजाओं के चरित्र पर छीटाऊँसी करने हों। इस तरह के 4 टन कागजात जला दिये गये। तमाम रिवाज इंग्लैंड के इम्पीरियल आर्नाइज्ड भेज दिये गये। भारतीय नेता स्वाभाविक रूप से उत्तेजित हुये और एक बैठक में नेहरू ने कहा, "म पोलिटिकल विभाग और विशेषकर सर कोनराड कोरफील्ड पर अपकरण का आरोप लगाता हूँ। मेरा विचार है कि उनके विषय में एक उच्च स्तरीय जायिक जाच अति आवश्यक है।" वायसराय स्वयं गुप्त रूप से इस भारतीय दृष्टिकोण से सहमत था। उसी बैठक में यह भी तय हो गया कि जिना और नेहरू अपना-अपना स्टेट विभाग स्थापित करेंगे जो राजाओं का मामला देखेगा। भारतीय स्टेट विभाग सरदार पटेल के हाथों सौंपा गया जिन्होंने वी० पी० मेनन को अपना सचिव होने के लिये आमंत्रित किया।

श्री वी० पी० मेनन एक कूटनीतिक प्रतिभा थे। उन्होंने पहला काम तो यह किया कि सरदार पटेल को समझाया कि प्रभुता की समाप्ति अप्रत्यक्ष रूप से बरदान सिद्ध होगी क्योंकि उस समिति में भारत को भिन्न भिन्न तरह की सधिया तथा राज्यों से हुये त्रिटिशा के समझौते उत्तराधिकार में नहीं प्राप्त होंगे। राजाओं द्वारा उपभोग में लाये जाने वाले अधिकार और लाभ समाप्त हो जायेंगे और हम नये सिरे से सब कुछ कर सकेंगे। कुछ राजाओं ने जिन्होंने विद्रोही रुख अपनाया वे मेनन और पटेल के मिले जुले प्रतिभा के सामने नहीं ठहर सके। उनके चाल डाल पर दृष्टि रखी जाने लगी। इस तरह जब जोधपुर के महाराजा ने जिना राज्य पाकिस्तान और भारत दोनों की सीमाओं से मिला हुआ था, जिना से इसलिये सम्पर्क किया कि पाकिस्तान से उनका किसी तरह का सम्पर्क बन जाय तो मेनन ने इसकी सूचना वायसराय को दे दी और इसके उपरांत तुरंत बंदम उठाय गये जिसके फलस्वरूप महाराजा को भारत में सम्मिलित होने के कागजात पर हस्ताक्षर करना पड़ा। टावनकोर के राज्य में भी कुछ कठिनाई उत्पन्न हुई। यहाँ पटेल ने दूसरे अरुण का प्रयोग किया। उन्होंने इस राज्य में भूमिगत कांग्रेस कार्य समिति को रातों के विरुद्ध जुलूस निकालने के लिये प्रोत्साहित किया और थोड़े ही काल में महाराजा के सिम हतनी कठिनाइयाँ खड़ी हो गईं कि वायसराय को तार से सूचना दी गई और राजा ने भारत में सम्मिलित होने वाले कागज पर हस्ताक्षर कर दिये।

इन परिस्थितियों में यह आवश्यक हो गया कि राज्या को किसी न किसी

अधिराज्य में सम्मिलित होने के लिये 15 अगस्त की स्वाधीनता दिवस से पूर्व ही तैयार किया जाय। यदि इसे और दिना तक के लिये टाला जाता, तो प्रभुता समाप्त हो जाती और राज्य स्वतंत्र हो जाते तो उनसे बातचीत करनी भी बठिन हो जाती। इस कारण पटेल और मेनन दोनों उम बात के लिये व्यग्र थे कि यह ममला जितने शीघ्र हो निपट जाय तो अच्छा है। जैसे ही इन्होंने यह विभाग अपने हाथ में लिया उनका सघष सर कोनराड से हुआ। वे वायसराय के पास पहुँच और सर कोनराड से वापस जाने को कह दिया गया। राजाओ के प्रति वायसराय का विरोध भाव, जो उह इतिहास की एक अनावश्यकता मानता था, सभी को मालूम था। इसीलिय उससे भी इस मामले में सहयोग लिया गया।

माउण्टबेटन ने 25 जुलाई को 75 बड़े राजाओ की एक बैठक बुलाई। त्रियोनाड मास्ने लिखता है कि उस दिन की वायवाही "माउण्टबेटन की चतुराई, आकर्षण तथा समझाने बुझाने की परायाष्ठा की कला की सभवत शानदार मिसाल थी।" 1 जून बैठक प्रारंभ हुई तो राजाओ न वायसराय के ऊपर सभी तरह के मूखतापूण, अपमानजनक और बहूदे आरोपो के आक्रमण प्रारंभ कर दिये। पर माउण्टबेटन न अपनी मुस्कराहट जारी रखी और जैसा कि कैम्पबेल जानसन न लिखा है कि, "उसने किसी तरह अपना उत्साह उनमें भी उतारने की चेष्टा की तथा अपनी निणय की शक्ति को जताया।" 2 बीकानेर के महाराजा माउण्टबेटन के मित्र थे। यह मित्रता तब हुई थी जब प्रिंस आफ वेल्स के साथ वह भारत की यात्रा पर आया था। राजाओ से मजाक करने, उह धमकाने और श्रेोध दिखा देने के उपरांत, तथा इस सभावना का सुंदर चित्र खींचने के बाद कि यदि वे अधिराज्य में सम्मिलित हो जाते हैं तो उह इंग्लैंड के राजा से भी प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है क्योंकि य अधिराज्य ब्रिटिश सामन्तवैत्य के भाग रहेग, उसने बीकानेर महाराज से पूछा कि वह पहला राज्य नहीं होना चाहेगा जो इस पर हस्ताक्षर करे। बीकानेर ने इसे स्वीकार कर लिया और इस तरह काय प्रारंभ हो गया। बीकानेर के बाद बटीदा ने हस्ताक्षर किये और हस्ताक्षर करने के बाद राजा न, आश्चर्य चकित मेनन के गले में हाथ डाल दिया और फूट-फूट कर रोने लगा। एक अरय राजा को हस्ताक्षर के बाद ही दिल का दौरा पड गया। पर सभी इसके लिये तैयार नहीं थे। जब माउण्टबेटन ने एक दोबान का बुलाया जो एक प्रमुख राजा का प्रतिनिधि था और राजा विदेश में जा तो उम व्यक्ति न कहा

1 मोस्ले त्रियोनाड पूर्वोद्धत प 171।

2 कैम्पबेल जानसन मिशन विम माउण्टबेटन।

“मुझे अपने राजा से कोई निर्देश नहीं मिला है और मैं हस्ताक्षर नहीं कर सकता।”

इस पर लाड लुई न कड़ा, ‘निश्चित रूप से तुम्हें अपने राजा की इच्छा का ज्ञान होगा और तुम उनकी ओर स निष्ठा से सकते हो।’

‘मैं उनकी इच्छा नहीं जानता’ दीवान ने तजी व अखडपन से कहा, ‘और मैं तार से भी उनसे सपक नहीं कर सकता।’

माउण्टबेटन ने एक गोल शीशे का पेपरबेट उठाया और कहा, ‘मैं अपने क्रिस्टल में देखूंगा और तुम्हें उत्तर दूंगा।’

कई सप्ताह तक वह देखता रहा और राजा चीखें निपारते रहे। तब माउण्टबेटन ने धीरे से कहा ‘सम्राट की आज्ञा है इस पर हस्ताक्षर करिय।’

‘अतः मैं कमरे में हसी का ठहाका गूजा। और फिर सब सरल हो गया।’<sup>1</sup>

माउण्टबेटन के चतुराईपूर्ण व्यवहार, मेहनत की कूटनीतिज्ञता और पटल के बड़े निश्चय के कारण 565 में से 562 राज्यों ने अधिराज्य में सम्मिलित होने के पक्ष पर हस्ताक्षर कर दिया और वह भी 15 अगस्त के पूर्व। तीन राज्य जिन्होंने ऐसा नहीं किया वे थे जूनागढ़ हैदराबाद और कश्मीर और उनकी दूसरी ही कहानिया थी।

### जूनागढ़

जूनागढ़ काठियावाड़ में एक छोटा राज्य था। इसकी जनसंख्या 75% हिंदू थी, पर इसका शासक मुसलमान था। यह चारों ओर से हिंदू राजाओं के क्षेत्रों से घिरा था जैसे बड़ोदा और भावनगर जो पहले ही भारत में मिल चुके थे। उसका अपना क्षेत्र भी समृद्ध नहीं था क्योंकि उसके बीच में भी छोटे छोटे राज्य थे जिसमें हिंदुओं की बस्ती थी और वे भी भारत में मिल चुके थे। जूनागढ़ का नवाब रंगीन तन्त्रियत का व्यक्तित्व था जन्मे कि उनके कबीले में लोग प्रायः होते थे। उसकी चार पत्नियां थी, जिनमें रखले थी कई शिकारी कुत्ते थे और वह अत्यधिक खराब आदतों का शिकार था। जूनागढ़ का पाकिस्तान क्षेत्र से कोई सपक न था। सबसे निकट जूनागढ़ से पाकिस्तान पानी मांग (समुद्र) से पड़ता था जो 240 मील था। नवाब कांग्रेस नेताओं से एक ओर हसी मजाब करता रहा और दूसरी ओर गुप्त रूप से पाकिस्तान से सपक बनाये रहा। उसके पास भी भारत में मिलने के लिये कागज पर हस्ताक्षर कराने को भेजा गया। अंधे भारत सरकार उसके उत्तर की पत्नीक्षा में थी कि इसी समय समाचार पत्रों में छपा कि वह ता पाकिस्तान में सम्मिलित

हा गया है। पाकिस्तान सरकार को अपन इस मामले की कमजोरी का ज्ञान था। पर उन्होंने अपन क्षेत्र में राज्या को मिलान के लिये कोई कायवाही न करते हुये, भारत सरकार के तार का उत्तर उन्हीं नहीं दिया और इस तरह सदह अशांत पड़ा रहा। इसी बीच नवाब ने अपनी सेना भेजकर अपने राज्य के बीच कुछ मंगोल क्षत्रा पर अधिकार कर लिया। इस पर उस क्षेत्र के हिंदू निवासिया ने भारत सरकार को सहायता की अपील भेजी। वहाँ भारतीय सनार्ये भेजी गई पर उनसे राज्य में प्रवेश करने से पूर्व ही नवाब अपनी 4 पत्निया सहित, कुत्ता को साथ लिये तमाम कीमती सामान अपन निजी हवाई जहाज में भरकर उड़ान का तैयार था। उसकी एक पत्नी का इसी बीच अपन बच्चे को लान की भेजा गया जो पीछे छूट गया था। नवाब ने कुछ देर प्रतीक्षा की, और फिर दोन कुत्ता का लादकर वह उड़ चला। भारतीय मन्त्रा द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया, पर पाकिस्तान बहुत नाराज हुआ। पाकिस्तान ने इसे एक परीक्षा समझा और बाद में जब कश्मीर का प्रश्न हुआ, जहाँ की बहुमत जनता मुसलमान और शासक हिंदू था, तो उन्होंने इसी स्वरूप जूनागढ़ का मामला सामने रखकर वहाँ पर अपना अधिकार जमाने का प्रयत्न किया।

हैदराबाद

माजना को स्वीकार करन के लिये तयार है जिस उसने पहले अस्वीकार कर दिया था। इसका उत्तर उस यह दिया गया कि माउण्टबेटन योजना उसके साथ ही समुद्र से इंग्लड चली गयी है। इसके बाद ही भारतीय सेनाय आगे बढ़ी। अधिक विरोध नहीं हुआ और हैदराबाद पर अधिकार हो गया। अब निजाम का केवल पद मात्र ही बना रहा और उसकी सारी शक्ति जाती रही।

### कश्मीर

कश्मीर मुख्यतया एक मुस्लिम जनसंख्या बहुल राज्य था जिसका शासन राजा हरिसिंह के हाथ में था। राजा ने भारत या पाकिस्तान किसी के साथ सम्मिलित होने से इन्कार कर दिया और यह निणय ब्रिटिश शासन के अंत की घड़ी तक चलता रहा। पंडित नेहरू से जिनके पूर्वज इसी राज्य के रहने वाले थे, महाराजा के सवध अच्छे नहीं थे। इसकी सभावना थी कि यदि नेहरू या गांधी महाराजा से बात करन जायेंगे तो उन्हें बंद कर दिया जायेगा। माउण्टबेटन ने स्वयं श्रीनगर जान का निश्चय किया जहां वह महाराजा और उनके प्रधानमंत्री पंडित बाक से मिले। महाराजा को किसी निष्पक्ष पर पहुंचने को कहा गया और यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि वह पाकिस्तान में सम्मिलित होने का निणय करता है तो भी इसको अमंतीपूर्ण नहीं माना जायेगा। पर वह जपन दुराग्रह पर जडा रहा और उसने भारत और पाकिस्तान को आमंत्रित कर एक यथास्थिति संधि करन चाहा जिससे उसे कुछ सोच विचार का और अवसर प्राप्त हो सके। पाकिस्तान ने इस निमंत्रण का स्वीकार कर समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया पर भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। पर पाकिस्तान चाहता था कि महाराजा जल्दी ही इस सवध में निणय करें। जब महाराजा ने अब भी देर की तो सीमा के कबीलो को उसने कश्मीर पर आक्रमण करन के लिये उत्तेजित किया और 22 अक्टूबर 1947 को आक्रमण प्रारंभ हो गया। घाटी के कई महत्वपूर्ण नगरों को रौंद डाला गया। उरी और वारामूला पर अधिकार हा गया और आक्रमण करन वाले श्रीनगर से कुछ ही दूर रह गये। इन आक्रांताओं ने आगजनी और लूटपाट की इ तहा कर दी और इसाई मिशनरियो तक को मार डाला। महाराजा काप उठा और उसने भारत से शीघ्र सहायता की अपील की। माउण्टबेटन ने उस बताया कि जब तक वह भारत अधिराज्य में सम्मिलित नहीं हो जाता भारतीय मनाये कश्मीर में प्रवेश नहीं कर सकती। इस तरह 26 अक्टूबर को जल्दी में इस पत्र पर हस्ताक्षर हुये और उसे शेख अबदुल्ला ने भी स्वीकार कर लिया जो राज्य के सबसे बड़े राजनीतिक दल नेशनल काँग्रेस के नेता थे। भारत सरकार ने 27 अक्टूबर को सेना को हवाई माग से उस क्षेत्र में भेजा और थोड़े ही काल में उरी आदि नगरों पर फिर

में अधिकार कर लिया गया। 'निव स्टेट्समैन' और 'नशन' न 20 फरवरी 1948 को लिखा 'इसमें सदेह नहीं कि यदि भारत न पिछले अक्टूबर में हस्तक्षेप न किया होता तो श्रीनगर और सुंदर कश्मीर की घाटी बर्बाद हो जात और खडहरवत दिखाई देते।'<sup>1</sup>

कश्मीर घाटी में जब भारतीय सेना प्रवेश कर रही थी तभी भारतीय सरकार न घोषणा की कि उनका राज्य मरूकने का कोई इरादा नहीं है। और जैसे ही संभव होगा अधिराज्य में सम्मिलित होने के मामले पर जनमत लिया जायेगा पर अभी घाटी आक्रमणकारियों से खाली नहीं हो पाई थी कि जनरल सर क्लाइ औचिनलेक की मध्यस्थता के फलस्वरूप तथा संयुक्त राष्ट्र संधि के कहने पर, जिसे यह मामला माउण्टबेटन की राय पर सौंप दिया गया था, गोलाबादी बंद कर देने की घोषणा हो गई। स्पष्टतया जनमत सग्रह तभी हो सकता था जब आक्रमणकारियों द्वारा अधिकार में लिये गये क्षेत्र खाली किये जाय। बाद में पाकिस्तान ने यह भी स्वीकार किया कि इन कब्जे के आक्रमणकारियों की पाकिस्तानी सेना ने भी सहायता की थी। इस तरह के मताधिकार का प्रयोग संपूर्ण राज्य में ही संभव था, राज्य के एक भाग में नहीं। पर पाकिस्तान ने विजित क्षेत्रों को खाली करने से इंकार कर दिया और इस तरह यह पूरा मामला काफी समय तक अधर में लटका रहा और अंततः भारत सरकार ने यह घोषणा कर दी कि भारत में कश्मीर का विलय अंतिम है और यह अब भारत राज्य का एक भाग हो गया है। तब यह दिया गया कि कश्मीर पर पाकिस्तान इसलिये अधिकार जताता है कि यह एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। इस तरह स्पष्टतया यदि जनमत सग्रह किया जाय तो लोगों की साम्प्रदायिक भावनाओं को उभरने का अवसर मिलेगा और इससे संपूर्ण भारत में साम्प्रदायिक भावनाएँ प्रभावित होंगी जिससे एक बार पुनः बड़े स्तर पर साम्प्रदायिक झगड़े और खून खराबी प्रारंभ हो जायगी।

### रेडक्लिफ अंदाज

सीमांकन रेखा स्वाधीनता की प्राप्ति के पूर्व एक समस्या जिसका समाधान अति आवश्यक था वह थी पंजाब और बंगाल के क्षेत्रों में हिंदू और मुसलमान क्षेत्रों पर सीमांकन रेखा। इस तरह की समस्या उत्तर पश्चिम प्रान्त, सिंध, मध्य प्रांत, बिहार या असम में नहीं थी क्योंकि वहां अल्पसंख्यक अधिक मात्रा में नहीं थे। पर यहाँ इन प्रान्तों में एक सम्प्रदाय की जनसंख्या

1 कुलकर्णी की आर ब्रिटिश स्टेट्समैन इन इंडिया प 499।



लेगसंग दूसरे क बरोबर थी आर यह समस्या सचमुच अत्यधिक जटिल थी क्योंकि इस सीमांकन रेखा को लंबे अरस से बसे जीर घनी आवादी वाले क्षेत्रों में डाल कर राजपूतों के जिसके कारण उस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति और आवागमन के साधनों पर प्रभाव पड़ता। स्पष्टतया कोई भी सीमांकन रेखा किसी भी सम्प्रदाय के लिये याय नहीं प्रदान कर सकती थी और इस सबध में जो भी नियम होता उनको अलोकप्रियता मिलनी थी और एक विवाद खड़ा होना था। पर इसे अतिशीघ्र किया जाना जरूरी था और 6 सप्ताह में ही पूरा किया जाना था जिसके बाद 15 अगस्त की तिथि पड़ रही थी।

माउण्टबटन के परामश पर प्रत्येक अधिराज्य से दो दो सदस्य लेकर चार सदस्य का दो दल बनाया गया। इनमें से एक को पंजाब और दूसरे को बंगाल का वटवारा करना था। यह प्रस्तावित किया गया कि दोनों समूह मिलकर अपना चेयरमैन चुनेंगे। जिना और पंडित नेहरू इस बात से सहमत हुए कि आयोग के सदस्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। सदस्य नियुक्त कर दिये गए, पर चूंकि वे अपना चेयरमैन नहीं चुन सके इसलिये ब्रिटिश सरकार से कहा गया कि वह चेयरमैन की नियुक्ति करे। दोनों दलों की पूर्ण सहमति का वाद इंग्लैंड के प्रसिद्ध बकाल सर सी रेडक्लिफ को इस पद पर नियुक्त कर दिया गया। सर रेडक्लिफ इसके पूर्व भारत कभी नहीं आये थे और इस कारण वे किसी भी भारतीय नेता से परिचित नहीं थे। इससे जवाब में किसी के प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं थी। रेडक्लिफ के अतिरिक्त इस आयोग के सदस्य थे—एस० ए० रहमान और साकट मुहम्मद अकरम जो पाकिस्तान की ओर से थे तथा भारत की ओर से सी० सी० विश्वास व वी० के० मुकर्जी। इस दल को बंगाल का वटवारा करना था। दूसरा समूह जिसे पंजाब का विभाजन करना था उसमें कांग्रेस ने तेजासिंह और मेहरचंद महाजन का नाम प्रस्तावित किया तथा लीग ने माहम्मद मुनीर व दीन मुहम्मद का नाम। इनका काय यह था कि यह सीमा आयोग पंजाब का दो भागों में विभाजन मुसलमानों और गैर मुसलमानों के क्षेत्रीय बहुमत के आधार पर करे। ऐसा करते समय आयोग न्याय तथा को भी ध्यान में रखेगा। आखिर वे अर्थ तथ्य क्या थे? इसी तरह के निर्देश बंगाल के विषय में भी दिये गये। स्पष्टतया आयोग की सदस्यता पर ही बहुत कुछ छोट दिया गया और सभी सदस्य हिन्दू, मुस्लिम और सिख हान के कारण अपनी निश्चित धारणाएँ रखते थे। इस कारण सब कुछ इसके चेयरमैन रेडक्लिफ के हाथों में ही छोट दिया गया।

दोनों दलों ने काय प्रारंभ कर दिया, एक न ताहीयत में तथा दूसरे न बलवत्ता में। रेडक्लिफ ने स्वयं वायसराय भवन दिल्ली में अपना दफ्तर खोला। यह अत्यधिक कठिन काय था पर आयोग ने 9 अगस्त 1947 को

बगाल अवाड और 11 अगस्त को पञ्जाब अवाड की घोषणा कर दी। कमीशन के सीमा अवाड के कारण फट और निराशा की उत्पत्ति होनी ही थी। पूव में आयोग न चटगाय पवतीय क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया जिसका वाग्रह न बडा विरोध किया। इसी तरह से पञ्जाब का सिखो द्वारा बनाया गया क्षेत्र तथा नहरो वाला क्षेत्र जिसमें ननवाना साह्य का सिख तीथ भी सम्मिलित था पाकिस्तान को सौंप दिया गया। सिख और हिंदू बहुल क्षेत्रीय नगर लाहौर भी पाकिस्तान को दे दिया गया। मुस्लिमजन बहुल गुरदासपुर जिला भारत को सौंप दिया गया और मयाग से जश्मीर स भारत का रेल व सडक स सवध इसी क्षेत्र स होकर था। य अवाड माउण्टवेटन को सौंप दिये गय पर उसन इनकी घोषणा नहीं की। माउण्टवेटन न कहा कि यदि वह इस सवध में अपन मनतव्या का प्रयोग कर सकेगा तो ऐसा करेगा और इसे कम से कम स्वाधीनता दिवस के पूव लोगा व सामने प्रस्तुत नहीं करेगा क्योंकि इसकी प्रस्तुति एव निश्चित मनावैधानिक समय पर करना होगा तथा उसके अतिरिक्त इसकी घोषणा से जो विवाद और कष्ट उत्पन्न होगा उसस स्वाधीनता दिवस का क्या बवाद होने दिया जाय।<sup>1</sup> इसीलिये 16 अगस्त को दोना दलो को एव बैठक में आमन्त्रित किया गया और ये अवाड उनके समक्ष पेश किये गय। वहा कष्ट और भय की छाया दिखाई पडी, पर काम कर दिया गया था और गतव्य से वापसी का कोई प्रयत्न नहीं था।

वाद में इसी आशयचना हुई कि अवाड की घोषणा में देर क्यों हुई। चौधरी मुहम्मद अली जस कुछ पाकिस्तान ममथक मुसलमानो ने यह कहा कि माउण्टवेटन ने जानबूझ कर अवाड की घोषणा में देर की और इसी बीच इस्लामे भारत के पक्ष में कुछ परिवर्तन कर दिया। रेडक्लिफ का दफ्तर वायसराय भवन में था जहा पर उस निणय को प्रभावित करना माउण्टवेटन के लिये कठिन नहीं था। चौधरी मुहम्मद का कहना है कि उसने इस्लामे के कार्यालय में एक नक्शे पर पमिल की लाइन बनी देखी। "मैंने (इस्लामे से) कहा कि मेरे लिय यह अनावश्यक है कि मैं इसका उत्तर दूँ क्योंकि नक्शे पर बनी हुई यह लाइन उसी सीमा का निर्देश देती थी जिसकी मैं बात किया करता था। इस्लामे पीला पड गया और घबडाकर पूछा कि कौन उसके नक्शे से मजाब कर रहा था।"<sup>2</sup> पञ्जाब के गवर्नर इवान जेक्स के दफ्तर में उसके उत्तराधिकारी सर जान मूडी को जो पश्चिमी पञ्जाब का गवर्नर था,

1 कम्पनल जामसन पब्लिशर।

2 क्लिप्स सी एच एच मेरी डारिन वेनरिट (सस्मरण) पार्टीशन आफ इंडिया प 22 23।

8 अगस्त का एक नक्शा मिला जिसमें फीरोजपुर और जीरा व कस्ब पाकिस्तान में दिखाये गये थे पर जतिम अवाइड में यह भारत का मिला। यह दूसरा उदाहरण दिया जाता है कि वायसराय ने सभवतः निणया को प्रभावित किया। पर सी० एच० फिलिप्स और मरी डार्लिन वनरिट वायसराय के मनतब्धता पर सदेह करने से डकार करने हैं। उनके अनुसार 8 अगस्त का नक्शा जाज एबेल द्वारा आयोग के सचिव से उसके द्वारा की गई टेलीफोन की बात के आधार पर तैयार किया गया था। एबेल ने यह नक्शा पंजाब गवर्नर के आवश्यक निर्देश पर तैयार किया था जो सीमा रेखा के विषय में हल्की फुल्की जानकारी चाहता था। इसका प्रयोग वह सावधानी के तौर पर साम्प्रदायिक दंगा में करना चाहता था। उहाँ ने लिखा है, "प्रमाणा से यह सिद्ध है कि न तो माउण्टबेटन और न रेडक्लिफ व्यक्तिगत रूप से इस विवाद के भागी थे। जहाँ तक नक्शे पर लाइन खिचने की बात है इसका सबसे साधारण उत्तर यही है कि इस तरह की लाइनें तमाम नक्शे पर उस समय खींची गईं होगी। सरकारी दफतरों में तो इसकी प्रशासकीय आवश्यकता भी होती है। यह भी आश्चर्यजनक नहीं है कि विभाजन पूर्वकाल में इसी तरह की सूचनाएँ माँगी गईं हों और अगले सरकार के पास राष्ट्रीय सीमा के संबंध में इससे मिलती जुलती सूचना भेज दी गईं हों।"<sup>1</sup>

## भारतीय सेना

दूसरी समस्या थी भारतीय सेना का विभाजन जो 1857 के विद्रोह के बाद इतने परिश्रम से युद्ध के एक साधन के रूप में विकसित की गई थी। लाड कनिंगहम और लाड लारेन्स के काल में प्रतिभार की नई नीति के अंतर्गत भारतीय रेजीमण्टों को साम्प्रदायिक बटालियनों में बाँट दिया गया था अर्थात् दो हिन्दू एवं एक मुस्लिम दो मुस्लिम एवं एक हिन्दू या एक हिन्दू एवं मुस्लिम एवं एक सिख जिससे कि एकाएक होने वाले धार्मिक या जातीय विद्रोह हाथ से बाहर न निकल सकें। ऐसी स्थिति में एकाएक बटालियन झड़े व नीचे स्वामिभक्त बनी रहेगी।" जब भारतीय सेना के प्रधान जनरल सर ब्लाड ऑचिनलेक से इस विभाजन काय को करने को कहा गया, तो उसने इस पयास का रोकने की हर प्रकार से चेष्टा की क्योंकि उसका विचार था कि भारतीय सेना विश्व में एक उत्तम सेना है और उस पर गव किया जा सकता

1 वही भूमिका प 23।

2 मोस्ले लिगनाड प 137।

है। पर उसके सभी तय एक ओर रख दिये गये। माउण्टबेटन की यह योजना कि भारतीय उपमहाद्वीप के लिये ब्रिटिश नेतृत्व में मात्र एक सेना रखी जाय जिससे यह निरपेक्ष बनी रहे, पर इसे नेहरू और जिन्ना दोनों ने पूर्णतया अस्वीकार कर दिया। भारतीय नेता इस बात के लिये आतुर थे कि दोनों अधिराज्या के बीच कोई सबंध न हो और उन्होंने इस बात पर धल दिया कि 15 अगस्त को दोनों की अपनी-अपनी अलग सेना होनी चाहिये। नेहरू जी इस मसले पर विशेषकर इतने बड़े थे कि बाद में जब जिन्ना ने पूछा कि क्या स्वाधीनता के बाद ब्रिटिश सेना पाकिस्तान में रुक सकती है और जब माउण्टबेटन ने इस सबंध में भारतीय नेता से पूछनाछ की तो उन्होंने अति कटु उत्तर देते हुए कहा, "मैं भारत के प्रत्येक गांव में आग लगवा देना पसंद करूंगा पर भारत में 15 अगस्त को ब्रिटिश सेना रखना पसंद नहीं करूंगा।"<sup>1</sup>

आचिनलेक को अपना काय करना था। सेना दो चरणों में विभाजित की गई। प्रथम चरण में मुस्लिम बहुल सैनिक इकाइयाँ पाकिस्तान रवाना हो गईं और हिंदू बहुल इकाइयाँ भारत में जा गईं। दूसरे चरण में इकाइयों का निरोक्षण किया गया और प्रत्येक व्यक्ति में कुछ प्रतिबंधों सहित यह पूछा गया कि वह किस अधिराज्य में जाना पसंद करेगा। तुरन्त एक अधिराज्य के त्रिये तीन तीन अध्यक्ष नियुक्त किये गये। इस तरह एक एक अधिराज्य में जल सेना, थल सेना और वायु सेना के लिये एक एक अध्यक्ष चुना गया। पर सेना के मुख्य प्रशासन का काय प्रधान सेनापति के हाथ में रखा गया जो स्वयं सम्युक्त सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता में काय करता था। 15 अगस्त के बाद सी० इन० सी० को सुप्रीम कमांडर माना गया और वह इस पद पर तब तक बना रहा जब तक कि यह पूरा नहीं हो गया।

## स्वाधीनता

15 अगस्त से पूर्व होने वाले काम के पूरा हो जाने के बाद, वायसराय कराची के लिये उग जहाँ जिन्ना पाकिस्तानी अधिराज्य के गवर्नर जनरल का पद प्राप्त करने के लिये पहले ही रवाना हो चुका था। एक गुप्त सूचना के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह के बाद जैसे ही जिन्ना सड़कों से होकर निकलेंगे उनके ऊपर बम फेंका जायेगा। जब जिन्ना और माउण्टबेटन साथ साथ रवाना हुये तो बड़ी भीड़ थी। जिन्ना अत्यधिक घबराये हुये थे, पर कोई

बम नहीं फेका गया और जब दोनों सरकारी निवास में सुरक्षित पहुंच गये, जिन्ना ने भावुक होकर माउण्टबेटन का पैर पकड़ लिया और कहा, “खुदा का शुक्र है हम आपको जीवित वापस ल आये हैं।”<sup>1</sup> पाकिस्तान में समारोह की समाप्ति के बाद माउण्टबेटन उड़कर भारत वापस आ गये और 15 अगस्त की अद्वरात्रि में भारत के वायसराय की हैसियत से उसने अपना काम पूरा कर लिया, वायसराय ने अपने हाथों अपने सदूकें सवार दी और लिख दिया, ‘ब्रिटिश साम्राज्य निनेवा और टायर की भांति हो गया।’ इस बीच संविधान सभा में समारोह सबंधी आवश्यक कामवाहिया पूरी की जा रही थी जहाँ पर नेहरू ने अपना स्मरणीय भाषण दिया “बहुत वर्षों पूर्व हमने भाग्य के साथ एक खेल खेला था, और अब समय आ रहा है जब हम अपनी शपथ दुहरायेंगे, पूर्ण रूप से न सही पर पर्याप्त मात्रा में। अद्वरात्रि का घटा बजते ही जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता प्राप्त कर जाग उठेगा।” अद्वरात्रि के 20 मिनट बाद संविधान सभा के अध्यक्ष डा राजेंद्र प्रसाद और नेहरू जी वायसराय के पास गये और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पद के लिये उन्हें आमंत्रित किया। इस सबंध में माउण्टबेटन द्वारा इंग्लैंड की सरकार तथा वहाँ के विरोधी दल की स्वीकृति पहले ही प्राप्त कर ली गई थी। भारत के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद माउण्टबेटन ने यह चेष्टा की थी कि पाकिस्तान भी यह स्वीकार कर ले कि वह दोनों अधिराज्यों का संयुक्त गवर्नर जनरल कुछ काल के लिये बना रहे। पर जिन्ना ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और इस पर माउण्टबेटन से केवल भारत का ही गवर्नर जनरल बनने के लिये कहा गया। जैसे ही डा० प्रसाद ने औपचारिक रूप से उन्हें यह पद ग्रहण करने के लिये आमंत्रित किया, माउण्टबेटन ने उत्तर दिया, ‘मुझे इस पद प्राप्ति पर गद है और मैं संवैधानिक ढंग से आपके परामर्श को स्वीकार करूँगा।’

लाखों लोगों की भीड़ थी लोग प्रसन्न थे, हँस रहे थे, अद्वरात्रि से ही लोगों ने यह दिवस मानना प्रारंभ कर दिया और 15 अगस्त को प्रातः भारत ने एक स्वाधीन और संप्रभु राष्ट्र के रूप में आखें खोली और उसे विश्व के स्वतंत्र राष्ट्रों में एक वैधानिक स्थान प्राप्त हो गया।

1 टेरें जान प 157।

2 जवानरलात नहरूजी स्पीचेस भाग 1 दि० 1949 प 25।

## विध्वंस

15 अगस्त को भारत आजाद हो गया। लोग खुश थे पर यह खुशी खून खराबी और विनाश में गायब हो गई। इस तरह का विध्वंस विश्व में शायद ही पहले देखा हो। इसके पहले कलकत्ता और नोआखाली में बलबूते हो चुके थे जिसके कारण हजारों बेगुनाह लोग मार डाले गये। इस बार पंजाब में आफत मच गई। बच्चों को उठाकर जमीन पर दे मारा गया स्त्रियों के स्तन काट डाले गये, युवा लड़कियों के साथ व्यभिचार किया गया उन्हें सबसे अधिक कीमत देने वालों के हाथ बेच डाला गया और गाड़िया सीमाओं को हजारों लाशों को लेकर पार करती थी जिस पर लिखा रहता था 'भारत की ओर से एक भेंट' या पाकिस्तान की ओर से एक भेंट'। लियोनाड मोस्ले का कहना है कि यह सब सिखों ने प्रारंभ किया क्योंकि उनकी उपजाऊ भूमि हाथ से जाती रही थी तथा उनके घमस्थल पाकिस्तान के हाथों में चले गये थे। सिख जनसंख्या सीमा के दोनों ओर आधी-आधी बंट गई और उन्हें यह भय हुआ कि वे पश्चिमी पंजाब में मुसलमानों के हाथों और पूर्वी पंजाब में हिंदुओं के हाथों मार डाले जायेंगे। मास्टर तारारसिंह ने स्वर्ण मंदिर में जति उग्र भाषण दिया। मोस्ले ने लिखा है कि उन्होंने कहा "ओ सिखो तुम्हें मालूम होना चाहिये कि हमारे भाई पश्चिम में उन लोगों से खतरे में हैं जो उन्हें घम का विरोधी बताते हैं। हमारी भूमि पर कब्जा होने ही वाला है हमारी स्त्रियाँ की बेइज्जती होने ही वाली है और हमारे बच्चों की विदेशी शपथ दिलाई ही जाने वाली है" पूर्ण तैयारी के प्रमाण थे और जिना तथा लियाकतअली ने मास्टर तारारसिंह और उनके साथियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई करने की भाग की। पर पटेल रास्ते में जा गये और माउण्टबेटन को रकना पड़ा।

7 अगस्त 1947 को जिना के कराची खाना होने से पूर्व साम्प्रदायिक भावना को शांत करने की चेष्टा हुई थी। भविष्य की भारत सरकार की ओर से पटेल और डॉ० प्रसाद ने, भविष्य की पाकिस्तान की सरकार की ओर से जिना और लियाकत अली ने तथा सिखों की ओर से बलदेव सिंह ने 22 जुलाई को एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर कर प्रसारित किया जिसमें यह वादा किया गया था कि अल्पसंख्यकों के साथ समानता का व्यवहार किया जायगा, सभी के लिए समान नागरिकता के अधिकार की व्यवस्था की जायेगी तथा 15 अगस्त के पूर्व के राजनैतिक विरोधियों के लिये शांति, समान रूप से रक्षा और भद्रभाव न अपनाये की नीति अपनाई जायेगी। यह घोषणा विभिन्न सम्प्रदायों के लिए स्वतंत्रता का प्रमाणपत्र था। इसके अतिरिक्त, विभाजन

के समय जैम ही सभावित साम्प्रदायिक चगडे की अपवाह फँली वसे ही माउण्टबटन न 50 हजार की एक सीमा सना तयार की जिसका सेनापति मेजर जनरल रीस को बनाया गया। इसकी सहायता के लिये भारत की ओर से त्रिगेडियर दिगम्बर सिंह और पाकिस्तान की ओर से वनत अमुब खा को नियुक्त किया गया। इस सेना का काय रेडक्लिफ एवाड की घोषणा के समय क्षाति और व्यवस्था कायम करना था। पर इसके आगे माउण्टबटन ने और कुछ नहीं किया। इस तरह जब यह पता चला कि यदि ननकाना साह्य पाकिस्तान को सौंपा जायगा तो सिख बडे स्तर पर शगडे की तैयारिया प्रारम्भ कर देंगे तो वी० पी० मेनन ने प्रस्ताव रखा कि जिना से कहा जाय कि वे इस स्थल को वेटिकन के तरह की स्थिति प्रदान करे। सभी ने यह अनुभव किया कि सिखा का इसमें बडा बलिदान होगा। हिंदू बहुल नगर लाहौर निश्चित ही पाकिस्तान को सौंपा जान वाला था और यह राय दी जा रही थी कि नहट और पटेल से कहा जाय कि वे इस नगर से एवाड की घोषणा व पूव ही मुसलमाना के प्रति सदभावना व्यक्त करने हेतु इस नगर पर से अधिकार त्याग की घोषणा कर दें। पर वायसराम न एस किसी मत पर गभीरता से ध्यान नहीं दिया क्योंकि इससे सिखा को तथा अन्य लोग का जा प्रभावित थे उनके सतोप के लिये भी कुछ करना पडता।

चीजें नियंत्रण से बाहर इसलिये भी हो गई क्यकि भारतीय नेताआ न भी अनुत्तरदायी बातें कही। यह कहा जाता है कि जब जिना न पश्चिमी पजाव के लिय प्रस्थान किया उस समय वह गभीर मुद्रा में था और उसने गभी सप्रदाया से अपील की कि वे भूतकाल को भूल जाय"। पर उसके प्रस्थान के बाद पटेल ने इस बात के उत्तर में कहा कि 'भारतीय शरीर से विप निकल गया है।' कांग्रेस अध्यक्ष जूपलानी की कुछ बातों के कारण पश्चिमी पजाव में गनतफहमी पदा हुई जिस पर लियानत अली न कहा "मैं जूपलानी को बताना चाहता हूँ और अन्य हिंदू नेताआ को भी कि वे आग से खेल रहे हैं। यदि जूपलानी जैम हिंदू नेता जनता को भटका रहे हैं तो यह आगा करना बेरार है कि इसकी प्रतिश्रिया नहीं होगी।" पाकिस्तान के होना वां प्रधानमंत्री के व वाक्य उतन ही अनुत्तरदायित्व पूण थे जितन कि पत्रत में।

जम जस स्वाधीनता की तिथि निरुड आई तनाव बढता गया। यदि एवाड पत्र ही घोषित कर लिये जाने और यह काम स्वाधीनता के पहले ही हो गया होता तो जागा को यह पता चन जाता कि उत्र कहीं रहना है और पशाव सीमा गेता की सहायता से शातिपूर्वक लोग का आन जान की व्यवस्था भी हो जाती। पर लोग 16 अगस्त तक अपना घरों में निश्चिन्त पडे रहे जब

रक्तिसिन्धु एकादश धारित हुआ और उन्हें एकाएक बताना था कि जिस जमीन और महान नैव रू रहे हैं सब वह उत्त अधिकांश का नहीं है चित्तसे ये रक्षा चाहे हैं ता व एकाएक प्रदंडाकर हड्डयते हुये सीमा की ओर भागे लगे । पत्तों और गृह सान्निध्य सहित 60 से 70 मील की सारासे में शरणार्थी उन सीमा की समानुचितता का शिकार होने हुए जिन्होंने अपने गुरु पैगम्बर और अल्लाह राम और कृष्ण के नाम पर सब किया, सीमा की ओर भागे बटे । 6 लाख लोग तलवारों छुरा और अन्य हथियारों से काट डाले गये । 1 करोड़ 40 लाख लोग बेघर हो गये जिन्हें सिरे से जीता की शुरुआत करनी पड़ी । पता नहीं कितनों का धर्म परिवर्तन कर दिया गया । हाथों से अधिकतर मर गये और इनसे भी अधिक मरों की याद करके किये जीवित रहे और घृणा का जहर फैलाते रहे । स्वाधीनता का फल इस तरह का था । आदमी शैतान हो गया, ईश्वरभक्त ईश्वर की रक्षा आदमी को काट डालते पर आमादा हो गया । यह सब कुछ पंजाब और बंगाल दोनों स्थानों पर हुआ । वैसे पश्चिम में पूर्व से कुछ अधिन ही हिंसा के दशा हुये । इस भाग से केवल कलकत्ता बच साया जहा कुछ महीने पहले हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे की मदने काटी थी । पर अब की बार यहाँ 5000 हिंदुओं और मुसलमानों न सयुक्त जुलूस निकाला और हिंदू मुस्लिम भाई भाई का गारा लगाया । कलकत्ता पर इस समय गांधी का जादू था । सान्त्वना की पत्नीर बेलियाघाटा की गदी बस्तियों में इस समय उतरा हुआ था और वहाँ लोगों को शांति का संदेश दे रहा था । जो नाम 50 हजार की सीमा सीमा पंजाब में नहीं कर सकी वह नाम 'एक धर्मित की सीमा सीमा' में पत्तपत्ता में पर दिखाया ।

### गांधी की दृष्टि

गांधी ने स्वाधीनता समारोह में भाग नहीं लिया । उनका दिमाग नहीं था । वह हिंदुओं और मुसलमानों का एक गांधी रूप पाव में और उन्होंने दिल्ली इसलिय छोड़ दी थी कि ये सामान्य इस भाग में पहलू पर कुछ साधें । वे दिल्ली तक वापिस लौट जब इस स्वाधीनता मिल गई और दुर्भाग्यशाली शरणार्थियों की भीड़ दिल्ली में एकत्रित हो गई । मूठपाट और मोतों अब भी जारी थी । गांधी ने एक बार पुन दूसरा की गलती के नियम अपन का दृष्टित करना चाहा । 13 जनवरी 1948 का मत्स्यपयत्त तत्र व नियम 'भूय हृदताल' प्रारंभ कर दी । यह य तभी ताटा का तैयार य जब "मैं यह अनुभव कर लू कि अब सभी सम्प्रदायों में शान्ति हो गयी है और ऐसा भाव उनमें किसी



दवाव के कारण नहीं बल्कि अपने आप कर्तव्यभाव से आया है ।” इसने पाच ही दिनों के अंदर नेहरू ने 55 करोड़ रुपये जो भारत द्वारा पाकिस्तान को दिया जाना था, दे दिया । जब साम्प्रदायिक समितियाँ की स्थापना हो गई और वे विभिन्न सम्प्रदायों को एक करने का काय करने लगी । वातावरण म तनाव घटा और गांधी ने भूख हड़ताल तोड़ दी । पर इसके 12 दिनों बाद ही 30 जनवरी को एक हृदयारे की गाली ने उनके दुबले पतले शरीर को वीध दिया और उनकी मृत्यु हो गई । माउण्टबेटन तुरत वहाँ पहुँचे । किसी ने जोर से आवाज की कि “यह किसी मुसलमान का काम है ।” माउण्टबेटन को पता था कि यदि ऐसा था तो सब समाप्त हो गया क्योंकि फिर तो सारे देश में सिंध से ब्रह्मपुत्र तक की नदियाँ का पानी हिंसा के खून से लाल हो जायेगा । उसने तुरत चिल्लाकर उत्तर दिया “वेवकूफ तुम्हें पता नहीं वह हिंदू था ।” भाग्य से उसकी बात सच सिद्ध हुई, वैसे उसे इस बारे में कुछ भी स्पष्ट पता नहीं था । वैसे यह काय पूना निवासी एक युवा हिंदू नायूराम विनायक गोडसे ने किया था । वह महात्मा की जीवन लीला समाप्त कर हिंदू धर्म को बचाने की इच्छा रखता था ।

भारत में माउण्टबेटन का काय अब समाप्त हो गया था । 21 जून 1948 को अत्यधिक भीड़ और शोर शराबे के बीच तथा उसके भारत में छोड़ने के निवदन और चिट्लाहट के बीच उसने इस दश की अंतिम नमस्कार कर छोड़ा । अपने सरकारी निवास में जब वह खुली मोटर में सवार होकर निकला, तो चारों ओर भावुकतापूर्ण दृश्य द्रष्टव्य था, यहाँ तक कि इस दृश्य को देखकर उसका घोड़ा तक पागल हो गया । घोड़ा पिछले पैरों पर खड़ा हो गया “बूढ़ा, उछला और लगभग दुलक गया । अब इसके अतिरिक्त कोई माग न था कि घोड़े को खोल दिया जाय ।”<sup>1</sup> स्पष्ट था कि घोड़े तक चाहते थे कि माउण्टबेटन भारत न छोड़े ।

‘भूतपूर्व वायसराय, गवर्नर जनरल इग्लैंड वापसी पर रियर ऐडमिरल के नीचे पद पर भी काम करने को तयार हो गया और उस माल्टा में प्रथम क्रूजर स्ववाइन का नेतृत्व सौंपा गया ।’<sup>2</sup> ऐडमिरल सर आथर पावर जो एस० ई० ए० सी० में उसके अधीनस्थ काय कर चुका था अब उसका अधिकारी था । उस अधिकारी ने उसे ‘सर’ कहकर संबोधित किया और लुई ने भी उसे ‘सर’ कहा । इस तरह दोनों ने नियमा का पालन किया । 1951 में चर्चिल पुन चुनाव जीत गया और उसने उसे 1952 में मेडोटेरेनियन में सेनापति के स्थान

1 हेच अल्टन द माउण्टबेटन प 361 ।

2 टरेन जान द लाइफ ऐंड टाइम्स ऑफ माउण्टबेटन प 166 ।

पर पदान्त कर दिया। 1955 में उसे और पदान्ति देकर प्रथम सी लाइ नियुक्त कर दिया गया। यह माउण्टबटन के जीवन की परम अभिलाषा थी। अब वह वहाँ रहता था जिस पद में उसका पिता का स्तीफा देने की बाध्यता हुआ पड़ा था। बाद में उसके परामर्श पर ब्रिटिश गुरुणा सना का अमेरिकन ढंग पर पुनर्गठित किया गया और माउण्टबटन का सनापति बना लिया गया। पद निवृत्ति के बाद उसका जीवन मत्स्य और शांति में भरापूर रहा।

### ब्रिटिशों ने भारत क्यों छोड़ा ?

अब केवल यही शेष बच रहता है कि उन परिस्थितियों का अन्वेषण किया जाय जिनसे नाटकीय ढंग से एकाएक एटर्ली का भारत में ब्रिटिशों की वापसी की तारीख निश्चित करने की बाध्यता ही नहीं बनी बल्कि निश्चित समय में पूर्व ही उन्हें भारत में वापस भेज दिया।

माइकेल ग्रीवर ने लिखा है कि, भारत की स्वाधीनता ब्रिटिश राज द्वारा अचेतन अवस्था में लाई गई चेष्टा का स्वाभाविक और आसन्न परिणाम था जिसमें स्वाभाविक चेतना और सावजनिक उद्देश्यों की पूर्ति हुई। कांग्रेस ने एक लम्बे अरम में यही काम किया। 'एक दृष्टि में ब्रिटिशराज में ही हमारे विनाश के बीज छिपे थे।' भारत में ब्रिटिश शासन यदि साम्राज्यवाद के रूप में एक बुराई थी तो साथ ही अप्रत्यक्ष रूप में एक यत्न भी था। ब्रिटिश शासन के कारण ही भारत उत्तर में दक्षिण तट और पूर्व में पश्चिम तट इतिहास में प्रथम बार एक हो गया था। एक राजनीतिक व्यवस्था, एक भाषा एक सावजनिक मंचार के माध्यम एक सावजनिक टांग व तार व्यवस्था तथा एक भाँति के आर्थिक शासन ने जो ब्रिटिश द्वारा देश को जितना तब भारत में चलाया गया भारत में राष्ट्रवाद की भावना को गभीरता से दान के जीवन में स्वाधीनता के भाव की उत्पत्ति तब ही एक नया शक्तिशाली बना दिया कि ब्रिटिश उमरों के तब ही गए। 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीय के द्वारा चलाय गये आन्दोलन तब भारत को आजादन तथा आर्थिक एन० एन० की भूमिका तब एक महान परिवर्तन आ चुका था। 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में राष्ट्रवादी भावना 1857 की भावना के समान न रह गई थी। आर्थिक एन० एन० के मुक्तता के समय प्रारम्भिक आजादी 19 नवम्बर 1945 में पुनित गौरी और माटी चेतन के सायबुद केतकता के लाला के टकरावों के बाद तब ही जो आजादी प्रदान 19 पर्यन्त का दिन था 3000

जलसैनिकों का हिंसात्मक विद्रोह तथा इसका कराची, मद्रास, बलकत्ता और दिल्ली तक फैलना और इसकी सहानुभूति में नगरों में हड़ताल, इस सबसे यह दिखता है कि विद्रोह भाव छात्रों से होकर मजदूरों, किसानों, दूकानदारों और जब ता सामान्य सैनिकों तक पहुँच चुका था जिनके समयन के बिना ब्रिटिश एक दिन भी भारत में नहीं रह सकते थे। अब यह स्पष्ट था कि ब्रिटिश भारत छोड़ देंगे और वह भी समय से छोड़ देंगे अथवा उन्हें इस आग में जलकर खाक हो जाना पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त इंग्लैंड के लार्ड स्पेसर, मिल, मैकाले एव वक ने प्रजातान्त्रिक संस्था को केवल इंग्लैंड के लिये ही उपयोगी नहीं बताया था। मानव जाति की प्रतिष्ठा का संदेश देने वाला बडस्वथ और स्वतंत्रता को अर्घ्य चढ़ाने वाला बायरन केवल इंग्लैंड की सीमा में ही बंधे नहीं रह गये थे। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से वे भारत की यात्रा पर पहुँच चुके थे। इन नवीन विचारों का उत्साह लिये और नशा खाये बुद्धिजीवियों का एक नया वर्ग राजा राममोहन राय के काल से प्रारंभ होकर गांधी, जवाहर सुभाष, आजाद एव पटेल के समय अस्तित्व में आ चुका था। अब इंग्लैंड के चर्चिल और साइमन भारतीयों से बेहतर तकदीत न रह गये थे और न ही मोतीलाल जोर सप्रू से अधिक बुद्धिमान। इस तरह इस देश पर शासन करते रहने की ब्रिटिशों की योग्यता नहीं रह गई थी। भारत का मध्य वर्ग व आधुनिक काल में ब्रिटिशों द्वारा उत्पन्न बुद्धिजीवी वर्ग अब पर्याप्त शक्तिशाली हो गया था जो उत्तरदायित्व ग्रहण कर सकता था। इस तरह ब्रिटिशों के समक्ष देश छोड़ने के अतिरिक्त कोई चारा ही नहीं था।

पूण एक शताब्दी तक ब्रिटिश भारतीयों को आपस में बाटकर शासन करने में सफल रहे थे। अपने जन्मकाल से ही कांग्रेस साम्प्रदायिकता के विरुद्ध लड़ती रही थी और इसी कारण ब्रिटिशों से उनकी लड़ने की शक्ति बिखर गई थी। भारत ब्रिटिश शासन का इसलिये बर्दाश्त करता रहा क्योंकि उसे अपनी स्वतंत्रता चाहिये थी और उसका अंग भी बचना चाहिए था। पर अब चूँकि अंगभंग का निश्चय हो ही गया था और पाकिस्तान बन ही गया था तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बने रहने का अब कोई औचित्य नहीं था। राड और लेडी माउटबेटन के समझाने बुझाने की नीति को धन्यवाद दिया जाना चाहिये जिन्होंने कांग्रेस और लोग के बीच समझौता कराने में सफलता अर्जित की। इस कारण ब्रिटिशों के समक्ष भारत छोड़ने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था।

और भी बातें थी जिसके कारण भारत का स्वाधीनता प्राप्त हुई। कांग्रेस और लोग का अपना अपना जलग-अलग दिशाओं वाला दृष्टान्त था जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके बीच निराशा और असहमता का भाव घर कर

गया। इसके फलस्वरूप इन दोनों के साम्यवाद या किसी अन्य एकतन्त्रवाद के मुहू में चले जान की सभावना बढ गई। इसे केवल समझौते से ही रोका जा सकता था। यदि भारत साम्यवाद की बलि चढ जाता तो ब्रिटिशों को अपने ही लोग के बीच शम से गड जाना पडता और साथ ही गैर साम्यवादी देशों में भी उनकी बदनामी होती। यह भाग्य की बात थी कि एटली ने इस खतरे को भाप लिया और लाड माउण्टबेटन से कहा, "यदि हम सावधान न होते, तो हम भारत को केवल विद्रोह की आग में ही धाककर नहीं छोड देते, बल्कि एकतन्त्रवादी राजनैतिक शक्तिया भी वहाँ हावी हो जाती। इस स्थिति को ठीक करने के लिये कायवाही जति आवश्यक थी।"

बढते हुए विश्व के दबाव को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत युनियन लम्बे जरसे से भारत को स्वतन्त्र करने के लिये इंग्लैंड पर दबाव डाल रहे थे। युद्धकाल में चांग काई शेक द्वारा भारत की यात्रा ने ब्रिटिशों को क्रुद्ध अवश्य किया था, पर उह यह जता भी दिया था कि भारत की स्वतन्त्रता में देरी भले ही की जा सकती है, पर इससे इंग्लैंड की प्रतिष्ठा को घक्का ही लगेगा।

अब भारत पर अधिकार बनाये रखना पहले की भांति उपादेय भी नहीं था। भारत में उद्योग के विकास ने ब्रिटिश औद्योगिक माला के बाजार को भारत में निहायत कम कर दिया था। एक स्वतन्त्र और मित्र भारत सभवत कुछ मैत्रीपूर्ण आर्थिक सवध रखकर ब्रिटिशों का हित कर भी सकता था, पर एक ऐसा भारत जा असतोप और घणा से भरा हुआ हो वह उनके लिय एक कठिन उत्तरदायित्व ही हो सकता था, विशेषकर एस समय जब युद्ध ने उसकी अयशक्ति को कही का न छोडा हो। भारतीय मनिक ब्रिटिशा के नेतृत्व में लडन से इन्कार कर रहे थे और इस तरह अब भारत के दल ब्रिटिश सेना की सहायता से ही ब्रिटिश हाथा में रखे जा सकते थे जिनकी सभ्या पहले ही अति अल्प रह गई थी।

युद्ध के अवसर पर भारत और उसके सनिवा को दिये गये आस्वात्मन स भी अधिक दिन तक के लिय मुकरा नहीं जा सकता था। भारतीय जवानों का खून युद्ध में बहाया गया था और भारत के भूगेहारा १ युद्ध पर होन वाले घ्यय में सहयोग किया था। भारत ने यह सब कुछ इसलिये किया था कि रसवा वह वादा पूरा होगा कि वह जिस उद्देश्य की चवान के लिये ब्रिटिशा और मित्र राष्ट्रा की ओर में लड रहा है भारत के भी उस उद्देश्य की पूर्ति की जायगी। इन आस्वात्मना का अधिक काल तक के लिय टालने के अरुदे नतीजे होन की सभावना नहीं थी।

अब यह सब कहा जाता है तो हम यह भी नहीं भूसना चाहिये कि

ब्रिटिश जनता न भी इस अतवपूर्ण प्रूर ब्रिटिश शासन की महक पा ली थी इसीलिये उहाने वहाँ अनुदार दल को पराजित कर दिया। एसा उहान इसलिय भी किया था क्याकि लबर सरकार न 1945 के चुनाव मे भारत को स्वाधीनता प्रदान करन का आश्वासन भी दिया था। हम अपनी स्वतन्त्रता की घडी म एटली जीर लेबर सरकार के उनके मित्रा को साधुवाद दना चाहिय जिनके दब उद्देश्या और सच्चाई न भारत को स्वतन्त्रता का दिन दियाया।

भारत म चीनी राजदूत चिया लुएन लो न स्वतन्त्र भारत को नमन करते हुए लिखा—

भारत स्वाधीन हा  
 क्या ऐसा न होगा  
 यह एक दिवास्वप्न है ?  
 कितना मोहक  
 कितना असगत विचार  
 मैं तो ऐसा कभी नहीं सुना  
 एकाएक एक अविश्वसनीय बुद्धि विजय  
 जहा पूव और पश्चिम एक जगह मिले  
 कितना आश्चयपूर्ण है  
 कि स्वतन्त्रता मिल सकती है  
 युद्ध के बिना । इतिहास साक्षी है  
 ऐसा पहले कभी नहीं हुआ ।  
 बहादुर बनो जागे बढो  
 समय के रथ पर चढ चलो ।  
 पवत शिखर पर पहुचते समय  
 चढने की शक्ति द्विगुणित कर तो ।  
 उच्च जीर सुन्दर  
 महान एक भव्य  
 विचारां तक तुम स्वयं पहुच जाओगे ।<sup>1</sup>

## उस काल के कुछ भारतीय व्यक्तित्व

### स्वामी दयानन्द सरस्वती

भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिम कोने पर मारवाड़ी के वैभवपुत्र नगर (काठियावाड़) में 1854 में स्वामी दयानन्द का जन्म हुआ था। उनके पिता एक उच्चकुलीन ब्राह्मण थे और राज्य सरकार में एक उच्च पद पर थे तथा वे एक कट्टर पवित्र और पूजातन्त्र परम्परावादी तथा अपने धार्मिक विश्वास और व्यवहार में अपनी ही बातों पर अटल रहते थे। दूसरी तरफ उनकी माँ उदारता अच्छादया और मिष्टभाषिता की बख्तर थी।<sup>1</sup>

दयानन्द की शिक्षा जिनका प्रारम्भिक नाम मूलशार था, 5 वर्ष की आयु में प्रारम्भ हुई। उनके पिता ने अध्यापन की भूमिका स्वयं भरी थी। जब वे 14 वर्ष के थे तभी उनके पिता का पवित्र भाव से शिवरात्रि के व्रत रटने के जोर देने पर उनका पुत्र 'उस काल का सबसे बड़े रूढ़ि पूजा का विरोधी हो गया। एक के बाद एक दयानन्द को 19 वर्ष की आयु में उसी प्रिय माता तथा चाची की मृत्यु ने जीवन में निराशा भर दी, और जब उसी पिता ने उससे विवाह की व्यवस्था कर दी तो वह घर से भाग गया और गेरभा वस्त्र धारण कर 1845 से 1860 तक पूरे 15 वर्ष उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक पूरे भारत में ज्ञान और सत्य की तलाश में घूमता रहा।<sup>2</sup> अतः उसने अपनी शिक्षा को स्वामी विरजानन्द की छाछाया में 2½ वर्ष तक उत्तम अंतिम स्वरूप प्रदान किया। और फिर यह सावजनिक जीवन में प्रसिद्ध हुआ और 1875 में बम्बई में आय समाज की स्थापना की। उनके ताहीर पढ़ाने पर 1877 में पंजाब में यह एक शक्तिशाली आंदोलन के रूप में परिणत हो गया। 1883 में उनकी मृत्यु हो गई।

राजा राममोहन राय के विपरीत जो पश्चिम से हर अच्छी चीज प्राप्त करना चाहते थे, स्वामी जी ने मात्र भारतीयता में ही सब कुछ प्राप्त करना चाहा। कुछ सोमा तक तो यह ठीक था क्योंकि भारत धीरे धीरे ज्ञानदायक नृत

1 साजपनराय द आय समाज प 4।

2 वही पृ 18, से सप्त पूर्वोद्धत प 534।



## दादा भाई नौरोजी

“उत्तम कोटि की देशभक्ति के सही प्रतीक’ दादा भाई का जन्म बम्बई में एक सत पारसी परिवार में 4 सितंबर 1825 में हुआ। जब वे 4 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। आ० पी० मसानी ने लिखा है कि, ‘उनकी गुणवती माँ ने पिता की भूमिका भी उचित रीति से निभाई।’<sup>1</sup> ग्यारह वर्ष की आयु में उनका विवाह सरोबजी थोफ की पुत्री गुलवाई से हुआ। उनकी शिक्षा एल्फिंस्टन सस्या में हुई जो बम्बई प्रेमीडे सी में सिरौती स्कूल के नाम से जाना जाता था। उस विद्यालय में वे सबसे तेज छात्र थे। एक छात्र साथी के सपन में बाप दादाभाई की पुस्तकों से सहायता करते थे। उस आयु में भी वे ‘शाहनामा’ पढ़ लेते थे, जिस पुस्तक को अत्यधिक ऊँचा स्थान प्राप्त था। एक अन्य पुस्तक जिसे वे सदा साथ रखते थे वह थी द ड्यूटीज आफ जोरो स्ट्रियस’। इसमें ‘विचारा, सही बोलने और सत्कर्म’ पर जोर दिया गया था।

1840 में उन्हें क्लेयर स्कॉलरशिप मिल गई और दो वर्ष बाद वे नामल स्कूल की नयी खोली गयी कक्षा में भर्ती कर दिये गए। वे नैसर्गिक दर्शन और राजनैतिक अर्थशास्त्र में अपने सामान्य विज्ञानों को टिकाने नहीं देते थे एवं बम्बई के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर अमकिन पेरी इनकी बुद्धि तजस्विता से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इंग्लैंड में इनकी शिक्षा का आधा व्यय अपनी ओर से देने की घोषणा की यदि शेष आधा व्यय दादाभाई सम्प्रदाय के लोग वहन करने को तैयार हों। पर इस सम्प्रदाय के रुढ़िवादियों ने इस उदार दान में विनाश की गंध की अनुभूति कर इस योजना को बर्बाद कर दिया।

अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद दादाभाई को एल्फिंस्टन स्कूल में हर्ड नेटिव असिस्टेंट मास्टर’ नियुक्त किया गया जिसके कारण दो वर्ष के बाद वे गणित व नैसर्गिक दर्शन के यही पर असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त कर दिये गये। बोर्ड आफ एज्यूकेशन ने उनकी नियुक्ति पर अपनी रिपोर्ट देते हुये 1850-51 में कहा कि ‘वे अति अनुभवी और योग्य व्यक्ति हैं जो इस मस्या में पहली बार आये हैं।’ सरकार ने भी बाड को ऐसी नियुक्ति करने के लिये बधाई दी और दादा ने स्वयं बाद में कहा, ‘मेरे जीवन में मुझे तमाम प्रतिष्ठा मिली, पर किसी अन्य पद ने उतना गौरव का अनुभव नहीं कराया जितना कि प्रोफेसर की पद प्राप्ति ने।’

4 अगस्त 1849 को बहरामजी खरशेद जी गांधी ने नारी शिक्षा पर एक



निवघ पढा जिसके कारण कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उत्साहित होकर 3 हिन्दी और 4 पारसी स्कूल मित्रों के लिये खोले। इन विद्यालयों में अध्यापक निशुल्क पढाते थे। दादाभाई बहारकोट स्कूल की देखभाल करते थे। उनका सामाजिक सुधार कार्य से यह पहला सपका था जो धीरे धीरे बढ़ता ही गया।

3 अगस्त 1851 को उन्होंने अन्ध लोगों की सहायता से 'रहनुमाये मजदयासतन सभा' की स्थापना की जिसके नौरोजी फदूनजी अध्यक्ष थे और दादाभाई सचिव। 'इस सगठन का मुख्य कार्य जारोस्ट्रीयन विचारधारा का प्रचार करना था, इस पर सगदमी को उतारना, मुख्य और आवश्यक तत्वों की जानकारी करना तथा इस पुराने धर्म का एक सही स्थिति प्रदान करना था।'<sup>1</sup> सभा कार्य करती रही, और दादाभाई इस हीरेक जयती देयन के लिये जीवित रहे।

26 अगस्त 1852 का पहली बार वे 'बम्बई सभा' के सपक में आये जहाँ उन्होंने अपना प्रथम भाषण दिया। इस सभा ने ब्रिटिश सम्राट को राजनैतिक सुधारों हेतु एक आवदन किया जिनमें से कुछ 1853 के चार्टर ऐक्ट में स्वीकार कर लिये गये। इससे दादाभाई उत्साहित हुए और अब वे एक बमठ राजनीतिज्ञ हो गये।

15 नवम्बर 1851 को एक सावजनिक क्षेत्र में उत्साही व्यक्ति खर्शेदजी नसरवाजी कामा की आर्थिक सहायता से दादाभाई ने एक पाक्षिक पत्र निकालना प्रारम्भ किया जिसका नाम था 'रस्त गोपनार' जो शीघ्र ही लोकप्रिय हो गया और पाठकों की मांग पर इस अब पाक्षिक के स्थान पर साप्ताहिक पत्र बना दिया गया। इस पत्र के माध्यम से दादाजी ने भारत और भारत के बाहर पारसियों की समस्याओं रखी और श्रोतियों के युद्ध में रूस के विरुद्ध इंग्लैंड और फ्रांस को नैतिक समर्थन दिया।

पर प्रोफेसर का जीवन ही दादाभाई की महत्वाकांक्षा का बाधे नहीं रह सका और कामा के साथ सहभागी बनकर उन्होंने इंग्लैंड में प्रथम भारतीय वाणिज्य फर्म की स्थापना की जो अफीम, शराब और स्पिरिट का व्यापार करती थी। पर इस व्यापार से हानि वाले लाभ से उन्हें आपात लगता था। इसी कारण तीन वर्ष बाद स्तोफा देवर के बम्बई वापस लौट आये। 1858 में वे पुनः इंग्लैंड गये और वहाँ दादाभाई नौरोजी एण्ड क० नामक फर्म बनाई और वहाँ भारत के राजनैतिक हितों के लिए कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने वहाँ 'जारोस्ट्रीयन परिषद' भी स्थापित की जो उस दश में पारसों छात्रों के लिये थी।

एक अशिक्षित पत्नी के माय ऊकी पारिवारिक जिम्मेदारी मुखी न थी। पर

उनका व्यापार पूण रूप से सफल था। उनकी मजबूत आर्थिक स्थिति का परिचय इसी से मिलता है कि उन्होंने तमाम समाजसेवी सस्थाओं को दान दिया। उन्होंने लाड कनिंग की स्मृति में 50 हजार रुपये की एक स्थायी निधि बम्बई विश्वविद्यालय को सौंपी जिसमें एक फेलोशिप की व्यवस्था होती थी। पर जल्दी ही अमेरिकी नागरिक युद्ध समाप्त होने के बाद उन्हें व्यापारिक घाटा हो गया। दादाभाई ने इस घाट को दार्शनिकता से लिया और अब पूण रूपेण भारतीय राजनैतिक अधिकारों और सघन की ओर अपना ध्यान लगा दिया।

डब्लू० सी० बनर्जी के सहयोग से उन्होंने 'लंदन इंडियन सोसाइटी' को प्रारंभ किया, पर इसमें पूण सहयोग न दे पाने के कारण उन्होंने 1 दिसंबर 1866 को 'ईस्ट इंडियन एसोसियेशन' की स्थापना की जिसका उद्देश्य भारतीयों की कठिनाइयों पर प्रकाश ही डालना न था, बल्कि भारतीयों और अंग्रेजों के बीच समझदारी व मैत्री की भावना पैदा करना था। भारत आने पर ही होने इस एसोसियेशन की शाखाएँ बलकत्ता, मद्रास और अन्य नगरों में स्थापित की तथा भारतीयों की आर्थिक दुदशा के विषय में लोगों को बताया और समाचार पत्रों में लिखा। उनकी सेवाओं का उत्तर बम्बई के लोगों ने दिया और एक समारोह में उन्हें 25 हजार रु० की एक थैली इसलिये भेंट की क्योंकि उन्होंने अपने व्यक्तिगत हित को भुना नजर-दाज किया। पर यह धन उन्होंने अपने एसोसियेशन के कार्याध्यक्ष सौंप दिया।

1870 में बड़ौदा के गायकवाड़ ने उन्हें अपना दीवान नियुक्त किया जहाँ पर उन्होंने प्रशासकीय सुधार के तमाम काम किये। पर वे यहाँ काम नहीं कर पाये और 13 महीने की सेवा के बाद स्तीफा दे दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद वे बम्बई के नगर काउंसिल के सदस्य चुन लिये गये जो बम्बई कॉर्पोरेशन की कार्यकारिणी समिति थी। पर उन्होंने 32 मध्ये दैनिक भत्ता लेना अस्वीकार कर दिया और मुफ्त ही रचनात्मक काम करते रहे।

1876 में उन्होंने 'पावर्टी इन इंडिया' नामक एक अति सुंदर लेख लिखा और इसी के उपरांत वह प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम था 'पावर्टी ऐण्ड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया'। 1882 में 'शिक्षा आयोग' ने दादाभाई को देश की शिक्षा समस्याओं पर उनका विचार जानने के लिये भेजा। 1883 की जनवरी में उन्हें 'जस्टिस आफ पीस' बताया गया और उसी वर्ष उन्होंने 'वायस आफ इंडिया' का प्रारंभ किया। उन्होंने रिपन के इल्बट विल को पूण समयन प्रदान किया और रिपन के पद मुक्ति के बाद उसकी यादगार बनाने के लिये चर्चा एकत्रित किया। अगस्त 1885 में बम्बई के गवर्नर ने दादाभाई को बम्बई लेजिस्लेटिव काउंसिल में अतिरिक्त सदस्य के रूप में सम्मिलित होने के लिये

आमंत्रित किया। अब तक भारतीय समस्याओं का प्रति गहन जागरण का प्रति दादाभाई की प्रतिष्ठा दल और विप्लव मण्डल चुकी थी और बहुत ग अग्रज भी परामर्श ला हेतु उक्त पाग आ था।

1886 में दादा हानियाँ में ब्रिटिश मसद के नियम चुनाव सभे, पर अपना उदार विचारों के कारण उम अगुआर्याणी धर्म में हार गये। 1886 के आ म उह द्वितीय भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की मध्या में सम्मिलित हो के नियम आमंत्रित किया गया। यहाँ पर वे दमक अध्ययन पुन लिये गये। दमक बाद वे काँग्रेस के सदस्य आजीवन बन गये। 1891 में वे पुन सधुन विप्लवकी में ब्रिटिश मसद के लिये चुनाव सभे और उपायकारियों की मर्यादा में जीत गये। दादाभाई अब तक अपनी प्रतिष्ठा की धारी पर पहुँच चुके थे।<sup>1</sup>

सप्ताह भर प्रथम भारतीय मण्डल सम्मेलन का मदन पाना रहा। ये सदन मित्रों और परिचितों में दुनिया के मक क्षेत्रों में उक्त मित। उम क्षेत्र का उपायकारियों में उक्त अगम चुनाव में फिर टिकट द लिये पर अब की मार में हार गये। पर पश्चिम हो ही उक्त उक्त मण्डल मण्डल का सम्मेलन बना लिया गया जिसका काय भारतीय अब प्रजासन की धानवीन करना था। यह एक एका काय था जिसमें उक्तों बड़ी उत्तम भूमिका आ की।<sup>1</sup>

जब भारत साठ बरन के राज्य की दूर नीतियाँ के विरुद्ध घटा हुआ तो उसी समय दादाभाई ने 1904 में सदन दृष्टियन मागास्टी के समक्ष धारणा करा हुये कहा कि “मैं भारतीय जातों का आह्वान करता हूँ कि वह बिना रने अपने जन्मसिद्ध अधिकारों की प्राप्ति की ओर बढ़े। उक्तों उक्त ब्रिटिश मण्डल रिक्तता लिलान के लिये ममयन व्यक्त किया और अपनी सरकार की प्राप्ति की ओर भी आग बढ़ने को कहा।” उक्तोंने दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों की जातिभेद की समस्या का भी हाया में लिया और दम मयध में गांधी की सहायता की।

1906 में वह ब्रिटिश मसद सदस्य के पद के लिये पुन चुनाव सभे पर पराजित हो गये, और इससे कुछ ही दिनों के बाद जब वे गभीर रूप से बीमार पड़े तो उक्तोंने वह दश छोटकर शेष जीवन अपनी मातृभूमि में बिताने का निश्चय किया। भारत में वापस आने पर, काँग्रेस में बदलाव हो गया था, जिसमें उक्तोंने उदारवादियों का पक्ष लिया। पर सामान्य रूप से वे पदनिवृत्त जीवन ही व्यतीत करते थे। 1915 में श्रीमती एनी बेसेण्ट ने भारत में होम रूल लीग संगठित करने का निश्चय किया जिसके समापति बनने के लिये दादाभाई राजी हो गये। पर लीग के नियमित रूप से बनने के पूर्व 30 जून

1917 को उनका देहावसान हो गया।

भारत के नायक वे ऐसे व्यक्ति थे जिनके विषय में सर एन० चंदावकर न लिखा, "यदि हम उनके जीवन की ओर देखें तो वे जोरास्टर घम के पैगम्बर के अवतार लगते हैं।" गांधी ने उनके विषय में लिखा कि, "मैं सदा नायक उपासक रहा हूँ। और दादाभाई सचमुच हमारे लिये दादा हो गये। मुझे उनसे कभी टाइप किया हुआ पत्र नहीं प्राप्त हुआ यह इतन उत्तम और सादे जीवन की कहानी है।"<sup>1</sup>

यह विवरण समाप्त करने से पूर्व हम सी० वाई० चिंतामणि का मत यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं, 'पूरे 61 लम्बे वर्षों तक इंग्लैंड और भारत में दिन रात पक्ष और विपक्ष की परिस्थिति में, अनुत्साही स्थिति के भ्रमक्ष जो किसी साधारण व्यक्ति का दिल ही तोड़ देती, दादाभाई ने अविचलित उद्देश्यों से, पूर्ण निस्वार्थ भाव से, शक्तिपूर्ण विश्वास से मातृभूमि की सेवा की जो आज के युवावर्ग के लिये एक चुनौती है। वे एक महान् आत्मा थे जो यात्रा मात्र में अति उदार थे और कभी किसी को व्यक्तिगत शत्रु नहीं बनाते थे। व्यक्तिगत चरित्र में उच्चता और सामाजिक सेवा में महानता के लिये देशवासियों के लिये दादाभाई नौरोजी उच्चतम आदर्श थे।'

### सुरेन्द्र नाथ बैनर्जी

'ए नेशन इन मेविंग' पुस्तक के प्रसिद्ध लेखक एस० एन० बैनर्जी के विषय में पी० सीतारमय्या ने लिखा है "भाषाधिकार, शब्दों के उचित प्रयोग, उत्तम काल्पनिकता, भावात्मक ऊँचाइयों, पुरपोचित चुनौती आदि में उनके भाषणों का कोई शानी नहीं था। वह लोगों की पहुँच के बाहर ही रहता था।"<sup>2</sup> एस० एन० बैनर्जी 1848 में एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में पैदा हुये और उनके पिता एक अत्यधिक सफल डाक्टर थे। बी० ए० करने के बाद 1868 में प्रतियोगिता के माध्यम से वे इण्डियन सिविल सर्विस में आ गये। पर अपने प्रगतिशील राष्ट्रवादी विचारों के कारण उन्हें इस सेवा से जल्दी ही मुक्त कर दिया गया। इस कारण उन्हें मेट्रोपालिटन इस्टीब्लिशमेंट, कलकत्ता में अग्रजी के प्रोफेसर पद से ही सतोष करना पड़ा। पर पत्न्यविरता और राजनीति में अपने बड़े परिश्रम के कारण वे शीघ्र ही जनमत मोड़ने वाले

1 गांधी एम के भाई एक्सपेरिमेंट्स विद द्र य प 233।

2 चिंतामणि पूर्वोक्त प 283।

3 सीतारमय्या प 59 62।



## लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक

चिरोल ने उह, "भारतीय वेचैनी का जनक" कहा है।<sup>1</sup> तिलक 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुये। हानम सहित ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने फर्ग्युसन कालेज पूना में प्रोफेसर के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया। 'एज आफ कंसेट बिल' के विरोध में इन्हें राजनीतिज्ञ बना दिया। दो साप्ताहिक पत्रों में इनके जोरदार लेखों ने (मराठी में 'वेसरी' तथा अंग्रेजी में 'मराठा') उन्हें अधिकारियों की नजर में चढ़ा दिया। बम्बई के गवर्नर ने उनके विषय में लिखा 'प्रमुख पडयत्नकारिया में से एक, संभवतः प्रमुख पडयत्नकारी तिलक भारत में ब्रिटिश सरकार के अस्तित्व का ही विरोधी है। उसने उनके हर कमजोर बातों का गहन अध्ययन किया है।'

तिलक कांग्रेस में 1889 में सम्मिलित हुये, पर अतिवादी विचारों के होने के कारण उनकी उदारवादियों के साथ ठीक से न निभ सकी क्योंकि वे राजनैतिक अधिकारों के लिये शर्त-शर्त-संवैधानिक संघर्ष के पक्ष में न थे और इसीलिये 1907 में उन्होंने इस सस्था से नाता तोड़ लिया। उन्होंने लाठी बलव, गोवर्ध विरोधी समितियाँ और अखाड़े स्थापित किये। 1893 में उन्होंने गणपति त्यौहार प्रारंभ किया और 1895 में शिवाजी त्यौहार। उनका उद्देश्य भारतीय नायकों की स्मृतियों के माध्यम से युवा लोगों को प्रोत्साहित करना था। उन्होंने कहा, "दूसरे लोगों के हित में दयामय विचारों से शिवाजी ने अपजल खा की हत्या कर दी। यदि चोर हमारे घर में घुस जाय और यदि हमारी कलाई में उह घर से निकाल देने की क्षमता न हो, तो हम घर में ही उह बंद करके जिंदा जला देना चाहिये।"

1882 में उन्हें 4 महीने के लिये कैद किया गया, 1897 में उन्हें 18 माह की कठोर कारावास की सजा दी गई, और 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा दी गई। 1897 में दुवारा उनका जेल जाना इस दृष्टि से महत्वपूर्ण था। कहा जाता है कि इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संग्राम में एक नया युग की शुरुआत की। तिलक के ऊपर राजद्रोह का आरोप लगाया गया और 6 यूरोपीयों व 3 भारतीयों की जूरी ने उन पर मुकदमा चलाया। भारतीयों ने उन्हें दोषभागी नहीं पाया पर यूरोपीयों ने उन्हें दोषी सिद्ध किया। तिलक ने क्षमा मागने से इंकार कर लिया और यह प्रथम उदाहरण प्रस्तुत किया कि कोई व्यक्ति राजद्रोह के लिये जेल गया हो।

तिलक के दूसरी बार की जेल यात्रा ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत में

1 चिरोल की इंडियन अनरेस्ट प 251।



नहीं रहेगी। हम उन्हें सीमा पार या भारत के बाहर युद्ध करने में सहायता नहीं देंगे और इसमें भारतीय खन व धन बर्बाद न करेंगे। हम उन्हें याय प्रशासन चलाने में भी सहायता नहीं करेंगे। हम अपने ढंग से काम करेंगे और जब समय आयेगा तो हम तकलीफ से मुक्ति भी मिलेगी। अगर यह काम आप सगठित रूप से कर सकें तो आप बल से ही स्वतंत्र हैं।” तिलक का इस तरह का विश्वास था। वे कांग्रेस में उदारवादियों को पसंद नहीं करते थे और वे जोर देकर कहते थे कि भारत मात्र प्रस्तावों को पारित करके और रियायतों की मांग करके स्वतंत्रता हासिल नहीं कर सकता। अपने गतव्य तक पहुँचने के लिये उसे दूसरे तरीके अपनाएँ होंगे। जब तक हमारा उद्देश्य उत्तम है, हमें इस बात की चिन्ता नहीं करनी चाहिये कि हम कैसा साधन अपना रहे हैं अच्छा या बुरा।

चिन्तामणि ने तिलक के विषय में लिखा है, “इतिहासकार इसे स्वीकार करने में सकोच नहीं करेंगे कि वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने उत्तम गुणों तथा जीवनभर की सवालों से भविष्य के भारत की ही नींव नहीं डाली बल्कि स्वराज की भी।”<sup>1</sup>

### विपिनचन्द्र पाल

वे अतिवादी विचारों के थे, अच्छे भाषणकर्ता थे तथा तिलक की विचार-धारा वाले थे। उनका जन्म 7 सितंबर 1858 को हुआ। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अध्यापन का पेशा अपनाया। उन्होंने अपना सावजनिक जीवन ब्रह्म समाज में सम्मिलित होकर प्रारंभ किया। वे एक अच्छे लेखक भी सिद्ध हुये और ‘निव इंडिया’ के संपादक भी हो गये। उन्होंने वगभग आंदोलन में प्रमुख भूमिका अदा की। 1906 के कलकत्ता कांग्रेस सम्मेलन में उन्होंने अतिवादियों का शक्तिशाली समर्थन करके अग्रिम पंक्ति में स्थान बना लिया। 1907 में सूरत के कांग्रेस अधिवेशन में तिलक को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिये उन्होंने प्राणपण से चेष्टा की। अन्य अतिवादियों की भाँति सूरत के विभाजन के तुरंत बाद उन्हें भी मद्रास प्रेसीडेन्सी छोड़नी पड़ी। उन्होंने एक बार ‘एथालाजी आफ बाम्ब’ पर एक लेख लिखा जिसके लिये उन पर मुकदमा चलाया गया, पर उन्होंने माफी माँग ली। वे 1932 में मृत्यु को प्राप्त

1. देखें चिन्तामणि इंडियन पालिटिक्स सिन्स द ग्रेटिनी प 118 तेहमानकर, डी भी लोचमाय तिलक भी देखें तिलक बी जी राइटिंग एण्ड स्पीचिंग (मद्रास) अथर्वे द लाइफ आफ लोचमाय तिलक।



हुये ।

विपिनचन्द्र पाल एक शक्तिशाली व्यक्तित्व थे और एक भोजपूण भाषण-कत्ता जिनका उद्देश्य देश हेतु तुरन्त और पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति था । स्वाभाविक ही था कि इन परिस्थितियों में वे उदारवादियों से लड़ी कांग्रेस से स्थायी मंत्री नहीं रख सकते थे और इसी कारण उन्हें इसे छोड़ना पड़ा । राष्ट्रीय शिक्षा और 'बॉयकाट' उनके अत्यप्रिय विषय थे और उन्होंने देश के अतिवादी आंदोलन के विकास में एक महती भूमिका अदा की ।

### लाला लाजपत राय

'पंजाब केसरी' के नाम से प्रसिद्ध लाला लाजपतराय 1865 में राजकीय स्कूल के एक अध्यापक श्री राधाकृष्ण के घर में लुधियाना जिले के जगरौन नामक स्थान पर पैदा हुये । लाजपतराय इस दृष्टि से भाग्यशाली थे कि उनके मा और बाप दोनों उच्च चरित्र और उत्तम बौद्धिक आदतों के थे जिसका प्रभाव उन पर पड़ा । लाला ने एक बार कहा भी, "जो भी मैं हूँ अपने माता पिता की वजह से हूँ ।"

अध्ययन समाप्ति के बाद उन्होंने हिसार में कालत प्रारंभ की और बाद में यहीं काय उन्होंने लाहौर में प्रारंभ किया । लाहौर में उन्होंने थोड़े ही दिनों में अत्यधिक प्रतिष्ठा अर्जित कर ली । उनके पिता स्वामी दयानंद के पुजारी थे और लाला की आयु जब बड़ी तो वे भी आय समाज की कायवाहियों में रुचि लेने लगे । लाहौर में तो यह काय उनका और बढ़ गया । वे आय समाज की सभाओं में भाषण करते थे और उन्होंने आय समाज की शाखाएँ कई स्थानों पर स्थापित कराईं और लाहौर में डी० ए० बी० कालेज स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभाई । उन्होंने स्वामी दयानंद की जीवनगाथा भी लिखी ।

पर चूँकि आयसमाज की कायवाहियों से ही वे सतुष्ट नहीं हुए इसलिये 1888 में वे राजनीति में कूद पड़े । जविल भारतीय कांग्रेस धीरे धीरे अपनी राष्ट्रीय कायवाहिया बढ़ा रही थी जिससे लाला जी भी आकृष्ट हुए और वे इसके इलाहाबाद सम्मेलन में सम्मिलित हुए । इसके बाद वे इस सस्था के एक अच्छे कार्यकर्ता हो गये । चूँकि वे परिश्रमी और साहसी कायकर्ता थे इस कारण वे राजनीति के आकाश को छूने लगे और उनका नाम और उनकी प्रतिष्ठा दूर-दूर तक फैलने लगी । उन्होंने जाग उगलन वाले भाषणकर्ताओं में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करली जिसके कारण 1905 में उन्हें तथा गोखले को इंग्लैंड की जनता में जनमत तयार करने के लिये भेजा गया । वहाँ जाकर इ होने के लिये सूपानी दौरा किया और भारतीय योग्यता व इच्छा का अंग्रेजों पर अच्छा

सिक्का जमाया ।

पञ्जाब में भी लाजपतराय ने सावजनिक हिता के कार्यों में गहन रुचि ली । वे अतिवादी विचारा के थे और जब कांग्रेस में उदारवादियों और अनुदारवादियों के मतभेद को लेकर विभाजन हो गया तो सरकार ने अतिवादियों को दंडित करने की नीति अपनाई । इसी नीति के अंतर्गत लाला जी को 1906 में माइले भेज दिया गया जहाँ उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'द स्टोरी आफ डिपोटेशन' लिखी ।

उनके अतिवादी कार्यों के कारण ब्रिटिश सरकार उनके विरुद्ध अति कठोर हो गई । युद्धकाल में उन्होंने यह देश छोड़ दिया और 1914 से 1920 के बीच अमेरिका में प्रवासी बने रहे । वहाँ वे लिखते रहे और शिक्षा देते रहे और अपनी पुस्तकों की आय से आदर्श जीवन व्यतीत करते रहे । उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें 'यंग इंडिया', 'द आय समाज' एवं 'इंग्लंडस डेट ट इंडिया' अमेरिका प्रवास के दौरान ही लिखी गई ।

1920 में अपनी वापसी पर कलकत्ता के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष चुना गया । पर बाद में जब गांधी का उत्थान हुआ तो उनके असहयोग आंदोलन के दशन को पसंद न करने के कारण वे स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे । स्वराज पार्टी के माध्यम से वे केन्द्रीय परिषद के सदस्य चुन लिये गये और वहाँ पर उन्होंने भारतीय स्वाधीनता हेतु साहसपूर्ण बकालत की । वह हिंदुओं के हितों में विशेष रुचि रखते थे और इसी कारण उन्होंने मालवोय जी के साथ 'हिंदू सगठन' आंदोलन चलाया । चिन्तामणि ने लिखा है, "उन्होंने हिंदू हितों की कभी बलि नहीं दी । उनकी जाय लोगों की तरह हिंदू मुस्लिम एकता में भी रुचि थी पर उनका विश्वास बहुत बड़ी कीमत चुकाकर हिंदू सम्प्रदाय को हानि पहुंचाकर इसे खरीदने का नहीं था ।"<sup>1</sup>

20 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमिशन के पहुंचने पर एक विरोध जुलूस का इन्होंने नेतृत्व किया । वह इस दौरान बुरी तरह से घायल हो गये और 17 नवम्बर को उसी वर्ष मृत्यु प्राप्त कर शहीद हो गये ।

भारतीय राजनसिक नेताओं में लाला लाजपतराय सचमुच एक नेतृत्वपूर्ण गुणों वाले व्यक्तित्व थे और चिन्तामणि ने उनकी तुलना एक सावजनिक भाषणकर्ता के रूप में लायड जाज से की । जनता में उनका जोर और प्रतिष्ठा कितनी थी इसी से सिद्ध है कि उन्होंने केवल दस दिनों में तिलक स्कूल कोष के लिये 9 लाख रुपये एकत्रित किया । कहा जाता है कि इन्होंने 'लक्ष्मी इन्डोरेस कम्पनी' तथा 'पञ्जाब नेशनल बैंक' की स्थापना में प्रमुख भूमिका

1 चिन्तामणि पूर्वोक्त प 231 ।

अदा की। उनके उद्द अखबार 'वदमातरम्' और अंग्रेजी पत्रिका 'द पीपुल' न उह वडी प्रतिष्ठा प्रदान की।

ज० सी० बंजदुड ससद सदस्य के कथनानुसार लाला लाजपतराय के मूल्यांकन के सवध म हम "स निष्प पर पहुच सकत हैं, "म समझता हूँ कि लाजपतराय अपने को रचनात्मक राष्ट्रवात् का यकील समझते रह हंगे, पर हमारी दष्टि म व राष्ट्रवात् ही नहीं थे वलिन अयाय और कष्ट से घणा करने वाले ऐसे व्यक्ति थे जिनकी रोशनी की ज्याति प्रत्यक युग का उदारवाद गव से अनुभव करेगा।' गाधी न उनके विषय म कहा, 'जब तक भारतीय आकाश म चद्रमा चमक रहा है तब तक लाला जी जस व्यक्ति मृत्यु को नहीं प्राप्त हो सकत।'<sup>1</sup>

## एलेन आवटेवियन ह्युम

भारत के यूरोपीय मित्रा म हम ए० वो० ह्युम का नाम नहीं भूल सकते जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता भी कहा जाता है। श्री ह्युम एक अंग्रेज थे जिहोने 1849 म बंगाल सिविल सर्विस म काय प्रारभ किया कई स्थाना पर सफलतापूर्वक काय किया और अतत भारत सरकार के सचिव पद को प्राप्त किया। डॉ० पी० सीतारमय्या ने लिखा है कि जिलाधिकारी के रूप मे उहोने लोकप्रिय शिक्षा, पुलिस सुधार शराब की रोकथाम, वर्नाक्युतार प्रेस, बाल अपराध सुधार गह और अय कायों के लिये परिश्रम से काय किया। उनकी एक रचि गावो मे थी तथा उसकी कृपि मे तथा उनका ध्यान जनता के सुख व उसके परवाह म था।

ह्युम ऐसे पुलिस अधिकारियों के पक्ष मे न थे जिनके पाम 'यायिक शक्ति थी। वह शिक्षा का विकास स्थानीय लोगो के माध्यम से करने के पक्ष म थे। उहोने आबकारी की आलोचना करत ह्ये लिखा, "हम जनता को गिराते हैं पर हम उनके पतन स कोई लाभ भी अर्जित नहीं करते। यह सारा राजस्व पाप की बमाई है और हर एक अतिरिक्त रुपया जो आबकारी के द्वारा आता है, उसमे से कम स कम दो रुपया अपराध होने तथा सरकार द्वारा उसे दवाने पर व्यय हो जाता है।"

1857 के विद्रोह के समय ह्युम इटावा जिले मे थे जहा के भारत मे ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने मे जुट हुये थे। विद्रोह की समाप्ति के बाद वह

1 गाधी पूर्वोद्धत प 214।

2 डा पी सीतारमय्या द हिस्ट्री आफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भाग 1, प 77।

उसके पक्ष में थे कि सहनशीलता की नीति अपनाई जाय, पर सरकार ने इसे पसंद नहीं किया। बल्कि इसके लिये सरकार से उद्देश्य चर्चा बनी दी गई। पर इससे कोई अंतर नहीं पड़ा और अपने मत पर वे आरूढ़ रहे। एन वर्नाक्युलर अखबार 'द पीपुल्स फ्रेंड का प्रारंभ भी उसने 1859 में किया। चार वर्ष बाद वह एक 'बाल अपराध सुधार गृह' स्थापित करने में लग गये जहाँ पर अपराधियों के प्रवृत्ति का सुधार होता था। 1879 में उन्होंने एक असफल कृषि सुधार की योजना का प्रारंभ किया जिसके अंतर्गत उन्होंने ग्रामीण जिलों में सिविल कोर्ट्स को सुदखोरा के चंगुल में कृषकों को फसाने के लिये उत्तरदायी बताया। उन्होंने परामर्श दिया कि, ग्रामीण ऋण के मुकदमों में तुरन्त और अंतिम रूप से निबटारे जाय जिसमें चुने हुये ईमानदार भारतीयों को रखा जाय।" उनका कहना था कि, "जब उसे जाय-यायालय में लाते हैं कोई भी गवाह सही बताने की स्थिति में नहीं होता क्योंकि उसके अपने ही गांव के पड़ोसी वहाँ जाते हैं तो वह असत्य नहीं कह सकता। हर एक व्यक्ति हर एक के विषय में जानता है।

ह्यूमन कुछ काल के लिये 'कस्टम कमिश्नर के रूप में भी कार्य किया और इस पद पर कार्य करते समय कुछ बरिष्ठ अधिकारियों के परामर्श पर उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण सुधार प्रारंभ किया जो नमक कर के संबंध में था जिस पर करारोपण अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग कोटि का था और उसकी दरें भी भिन्न थीं जिससे नमक की एक प्रांत या एक भारतीय राज्य से दूसरे राज्य में तस्करी होती थी। इस अपराध को रोकने के लिये 2500 मील लंबी सिंधु नदी के अटक से लेकर दक्षिण के महानदी तक फैली हुई एक पंक्ति बनाई गई जहाँ कहीं-कहीं दीवारें, कहीं कहीं कंकड़ों की झाली लगाई गई या कहीं कहीं गड्ढे बनाये गये। इतनी लंबी कस्टम पंक्ति की रक्षा के लिये 15 हजार आदमियों की आवश्यकता थी। यह सभी कस्टम लाइन अनावश्यक हो जाती यदि भिन्न-भिन्न प्रांतों के नमक कर में एक-रूपता आ जाती और यदि भारतीय राज्यों में नमक उत्पादन को नियंत्रित कर दिया जाता। ह्यूमन ने ये सुधार कर दिये और संपूर्ण कस्टम स्कावट और लाइन को समाप्त कर दिया गया।

1870 से 1879 के बीच ह्यूमन ने भारत सरकार के सचिव के पद पर कार्य किया। पर चूंकि उनके विचार अति प्रगतिवादी थे और स्वतंत्र थे इस कारण उन्हें इस कार्यालय में अधिक दिनांक तक बर्दाश्त नहीं किया जा सका और उन्हें इसीलिये हटा दिया गया। उन्हें अब पंजाब का लेफ्टीनंट गवर्नर का पद प्रदान किया गया जिसे लेने से उन्होंने इन्कार कर दिया और 1882 में पदमुक्त होने पर वह शिमला में बस गये।

पर पदनिवृत्ति के बाद ह्युम कार्यालय में काम करने वाले ह्युम से अधिक प्रभावशाली थे। विलियम वेडरबन के अनुसार पदमुक्ति के बाद उन्होंने "कष्टपूर्वक यह अनुभव किया कि वर्तमान सरकार का निरक्षुभता के आधार पर शासन कर रही है। घटने का रूप से जनता से दूर है।" वह लाड डफरिन से मिले जिन्होंने उम्हने समझाया कि इस समय देश में किसी तरह के एक राजनैतिक सघ की आवश्यकता है जो ब्रिटिश शासन के अवगुणा को उजागर करने का काम करे। वायसराय ने ह्युम से सहमति व्यक्त करते हुए कि यह आशा की जाती है कि भारतीय राजनीति में प्रति सघ मिलें और वहाँ सरकार को यह इंगित करे कि उसके प्रशासन में क्या दोष हैं और इनका समाधान कैसे हो।" या दूसरे शब्दों में एक ऐसे राजनैतिक सघ की आवश्यकता अनुभव की गई जो 'सेप्टी क्लव' के रूप में भारतीय राजनीतिज्ञों की महत्वाकांक्षाओं पर काम कर सके। ह्युम ने अब यह निष्कर्ष किया कि इस उद्देश्य के लिए संगठन बनाया जाय। इसी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया गया। उनके इस काम में सुरेन्द्रनाथ बँनर्जी ने सहायता की। दोनों ने मिलकर एक पत्र प्रसारित किया और 1885 में एक बैठक आयोजित की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक सिद्ध हुई। ह्युम को इसका प्रथम जनरल सत्रेटी बनाया गया। यह पद उनके पास 1907 तक रहा।

डा० रघुवशी की तरह के कुछ लेखक यह जोर देकर कहते हैं कि कांग्रेस को संगठित करने में ह्युम का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को बचाना था।" पर यह सच नहीं मालूम पड़ता। एक पत्र में, जिसका नाम था 'एन ओल्ड मैन होम', ह्युम ने अंग्रेजों को इस तरह संबोधित किया, "सभी बंधुओं, आप का पेट भरा है और आप प्रसन्न हैं। क्या आप यहाँ के लाखों लोगों के कष्ट का अनुभव करते हैं? कठोर परिश्रम, कठोर परिश्रम, भूख, भूख, बीमारी, कष्ट, आपदा, ये हाय, हाय इनके भाग्य में है एक यह इनके जदास जीवन का अंग है।" पुनः उन्होंने 1 मार्च 1883 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातक छात्रों को एक पत्र के माध्यम से संबोधित किया 'जसा कि विदित ही है कि आप लोग भारतीय उच्चशिक्षित युवा लोगों के समूह में से एक हैं इसलिये आप को भारत की बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक और राजनैतिक प्रगति का स्वाभाविक रूप से स्रोत बनना चाहिये। मेरा तरह बहुत से विदेशी भारत और उसके बच्चों को जो प्यार करते हैं वह, बेकार ही है क्योंकि उनमें राष्ट्रीयता का वह भाव नहीं है, और न उनमें वह बात ही है जो एक

1 वेडरबन ए को ह्युम प 142।

2 रघुवशी का पो एम द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट एण्ड पाठ प 44-47।

देश के नागरिक को अपने देश के लोग के लिये करनी ही चाहिए। और पुन अर्प्रैल 1888 का उनका उत्तेजक भाषण जिसमें भारतीय जनता में प्रचार का वैसे ही आह्वान करने को कहा गया जैसे 'इंग्लैण्ड में ऐंटीस्लान लॉ लीग' के विरुद्ध किया गया था। ये सब कायवाहिया सचमुच ही ऐसी थी जो उह 'ब्रिटिश साम्राज्य बचाओ' के सिद्धांत का अनुगमनकर्त्ता नहीं सिद्ध करती। यह बिना मतलब ही नहीं था जो उह ब्रिटिश अधिकारिया ने भारत से बाहर भेज देने की चेतावनी दी थी और अक्टूबर 1888 में सर ए० काल्विन ने, जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का लेफ्टीनेंट गवर्नर था, उनके पास 20 पन्ना का एक पत्र भेजकर उह उनका परिणामा के लिये आगाह किया था और ह्युम ने इस पत्र का उत्तर 60 पन्ना में दिया था।

पर यह सोचना भी अति ही होगी कि उस प्रारंभिक काल में ह्युम ने भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को तोड़ फेंकने की जिम्मेदारी का वहन किया होगा। उनका तुरंत का उद्देश्य यह था कि सरकार को भारत के लिये काय करना चाहिये इंग्लैण्ड के लिये नहीं, और इसका उद्देश्य यह होना चाहिये कि भारतीयों को इन सब मसला पर सारी जानकारी प्राप्त हो जाय।

## महादेव गोविन्द रानाडे

सी० वाई० चिन्तामणि ने उनके विषय में कहा कि वे "बौद्धिक दृष्टि से शक्तिशाली, अपूर्व रूप से क्षमताशील, बड़े क्षेत्रों में ज्ञानी, उत्तम विचारक और समर्पित देशभक्त थे।"<sup>1</sup> गाखले के राजनतिक गुरु रानाडे का जन्म 1842 में हुआ। अच्छे शैक्षिक जीवन की पृष्ठभूमि वाले महाराष्ट्रीय इस विद्वान ने बम्बई उच्च न्यायालय में यायाधीश का पद प्राप्त किया। सरकारी सेवा बसे तो उनके लिये कठिनाइया प्ना करती थी, पर उह विचार करने का अवसर मिलता था तथा सामाजिक सुधार की योजना बनाने का भी। भले ही वे राजनैतिक आंदोलन नहीं कर पाते थे। उन्होंने 'डेवन एजुकेशन सोसाइटी' का प्रारंभ किया जिसने पूना में एक स्कूल स्थापित किया। मही स्कूल बाद में फर्ग्युसन कालेज के रूप में बदल गया जिसके प्रिंसिपल के पद पर गोखले 20 वर्षों तक काय करते रहे। चूँकि वे रानाडे के शिष्य थे इसलिये वे 70 रूपय मासिक पर यहा काय करने रहे।

'यायाधीश रानाडे ने राजनैतिक आंदोलन में भाग नहीं लिया, पर फिर भी वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिये एक अजस्र शक्तिस्रोत थे। चूँकि

1 चिन्तामणि, सी वाई इण्डियन पार्लियामेंट सि स म्युटिनी प 37।

के एक सामाजिक सुधारक थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था 'सोशल रिफॉर्म ऐण्ड राइज ऑफ द मराठा पावर'। इस पुस्तक में उन्होंने मराठा जाति की बुराइयों की ओर इंगित किया और उसे सुधारने की आवश्यकता पर जोर दिया। भारतीय आर्थिक समस्याओं के प्रति उन्हें कितना गहन ज्ञान था इसका परिचय उनकी पुस्तक 'एसे आन इण्डियन इकोनामिक्स' से प्राप्त होता है। उन्होंने सामाजिक सुधार सम्मेलन आयोजित किये और इस सभ्यता के माध्यम से उन्होंने सामाजिक सुधार आदर्शों को एक स्वरूप प्रदान किया। 1901 में 59 वर्ष की आयु में वे नहीं रहे।

### सर फीरोजशाह मेहता

वे एक कट्टर उदारवादी थे जिनका यह विश्वास था कि अंग्रेज भले हैं। उनके अनुसार इस देश की स्वाधीनता के लिये संवैधानिक विधि से की जाने वाली कायदाही सबसे उत्तम थी। सर फीरोजशाह मेहता भारतीय स्वाधीनता के संघर्ष का प्रारंभिक भाग लेने वाले पूज्य नेताओं में से एक थे। सर फीरोजशाह ने प्रारंभिक कांग्रेस सभ्यता में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और 1890 में कलकत्ता के छोटे सम्मेलन में उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। उन्होंने कांग्रेस की विभिन्न समितियों में कार्य किया और उसमें अपना योगदान दिया। वे ऐसी ही उस समिति के भी सदस्य थे जिसे 1892 में कांग्रेस ने इस कार्य के लिये नियुक्त किया था कि वह ब्रिटिश संसद के पास भेजन हेतु एक मांग पत्र तैयार करे जो लोक सेवा आयोग के संबंध में हो। 1894 में वे कांग्रेस के उस प्रतिनिधिमंडल में सम्मिलित किये गये थे जो गवर्नर जनरल से मिला था और तत्कालीन समस्याओं पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया था। सूरत कांग्रेस में 1907 में उन्होंने अतिवादियों का जबरन विरोध किया था। अतिवादियों को जब कांग्रेस से निकाल दिया गया तो उनके जीवित रहते वे इस संस्था में वापस नहीं लौट सके। उनकी निस्वार्थ सेवाओं को तब पुनः स्वीकृति मिली जब लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में उन्हें पुनः अध्यक्ष चुना गया पर उन्होंने सम्मेलन प्रारंभ होने से पूर्व ही इस पद से स्तीफा दे दिया।

सर फीरोजशाह मेहता सचमुच, उत्तर 19वीं सदी के भारत के, एक वरदपुत्र थे, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की नींव डाली। अपनी आयु के अपने साथियों के साथ उन्होंने भारत की राजनतिक स्वतंत्रता का ताना बाना बुना जिसका स्वरूप आज हमारे समक्ष उपस्थित है।

## स्वामी श्रद्धानन्द

एक हिंदू सुधारक जिहान कभी कभी साम्प्रदायिक सन्भावना का परिचय भी दिया, स्वामी श्रद्धानन्द जो प्रारंभ में मुशीराम नाम से जाने जाते थे, 1856 में जालंधर जिले में तलवान में पैदा हुए। अपने बचपन और बाल्यकाल में कभी इस तरह के कार्यों का परिचय उन्होंने नहीं दिया कि वे भविष्य में एक ऐसे अनुशासित जीवन के पक्षधर हो जायेंगे। 1882 तक उनमें स्वाभाविक यौनाकषण का भाव भी था। इसी समय उनकी स्वामी दयानन्द से भेंट हुई और वे उन्हीं के रंग में रंग गये और एक प्रसिद्ध आयसमाजी हो गये। अपनी प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने नायब तहसीलदार के पद पर कार्य किया और 1885 से 1902 के बीच उन्होंने कालत की। 1892 में आयसमाज में इस बात पर मतभेद हो गया कि डी० ए० बी० कालेज, लाहौर को किस पद्धति पर चलाया जाय। मतभेद इस बात पर था कि इस संस्था में अंग्रेजी विज्ञान या वेदों में से किसे अध्ययन विषयों में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया जाय। जिन लोगों ने वेदों को प्रथम विषय बनाने को कहा उन्हें प्रतिक्रियावादी कहकर कालेज प्रबंध समिति से हटा दिया गया। स्वामी श्रद्धानन्द इस दल के नेता थे जिन्होंने 1902 में हरिद्वार में प्रसिद्ध गुरुकुल पद्धति का प्रारंभ किया और अपने आदेश को व्यावहारिक रूप प्रदान किया।

यू० पी० के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जेम्स मेस्टन ने 16 मार्च 1913 में अपना मत गुरुकुल के संबन्ध में व्यक्त करते हुए कहा, "गुरुकुल पद्धति एक अति नवीन और रचिकर प्रयोग है जो इस प्रांत में क्या पूरे भारत में पहली बार किया जा रहा है।" 1910 में चिरोल ने अपना विचार रखते हुए कहा कि गुरुकुल में "5 वर्ष से 10 वर्ष के बीच के शिष्या चलने के रूप में प्रवेश प्राप्त करते हैं। इसके बाद से उनका बाहरी विश्व से तब तक संबन्ध समाप्त कर दिया जाता है जब तक वे अध्ययन करते हैं। यह काल 16 वर्ष का होता है अर्थात् 10 वर्ष निचली कक्षा में तथा 6 वर्ष उच्च कक्षाओं में जिसमें ब्रह्मचारी के रूप में उत्तीर्ण करते हैं। इस काल में विद्यार्थी अपने परिवार में नहीं भेजा जा सकता। पर विशेष परिस्थितियों में वह परिवार में जा सकता है। माता पिता अपने बच्चों को गुरुकुल में अनुमति लेकर एक माह में एक बार देखने आ सकते हैं।"<sup>1</sup>

1 चिरोल की इन्विजन अनरेस्ट पृ 121, सेंसस रिपोर्ट आफ पंजाब भी देखें, 1911।



स्वामी जी का कहना था इस तरह थी जो उनके दशन और विचारों का परिष्कार हो सके। 1902 से 1917 के बीच वे गुरुकुल के लिये काय कर रहे और धौदूम के सँ यासी हो गये और स्वामी श्रद्धानन्द व नाम से जाना जान लगे। इसके पूर्व उन्हें महात्मा मुशीराम कहा जाता था।

पर समास धारण करने के बाद स्वामी जी जगल नहीं गये। वे दिल्ली में रोलट ऐक्ट आदोलन में सम्मिलित हुये और उन्होंने एक जुलूस का नेतृत्व किया जिसे गुरखा सैनिकों ने चादनी चौक में क्लॉक टावर के पास रोक दिया। स्वामी जी ने उनके गोली चतान से पूर्व अपना सीना उनके सामने खोलते हुये कहा कि वे गोली चलान से पूर्व उन्हें मार डाल। इस पर उनके जुलूस को जागे बढ़ने की अनुमति मिल गई।

रोलट ऐक्ट आदोलन के अवसर पर पुलिस अत्याचारों में मारे गये मुसलमान परिवार के प्रति उन्होंने हृदय से सहानुभूति व्यक्त की जिसके फल स्वरूप दिल्ली के मुसलमानों ने उनका जामा मस्जिद में स्वागत किया। 1919 में उन्होंने कांग्रेस को अमतसर में अपना सम्मेलन करने की दावत दी और उसकी सारी व्यवस्था की। दूसरे ही वर्ष उन्होंने सिखों के गुरद्वारा आदोलन के प्रति सहानुभूति व्यक्त की जिसके फलस्वरूप उन्हें माटगोमरी जेल जाना पडा। वे गांधी के असहयोग आदोलन में भी सम्मिलित हुये पर बाद में उन्होंने सत्याग्रह समिति से उस समय स्तीफा दे दिया जब गांधी ने कुछ अनुसरदायी लोगों की हिंसा के कारण इस आदोलन को रोक दिया। स्वामी जी का कहना था कि किसी और की गलती के लिए सत्याग्रहिया को दंडित नहीं करना चाहिये था। इसके बाद जो साम्प्रदायिक दंगे हुये और जिसमें मुसलमानों के हाथा हिन्दुओं की बड़ी हानि हुई उसके फलस्वरूप स्वामी जी प्रतित्रियावादी हो गये। वे इस परिस्थिति से निबटने के लिए हिन्दू संगठन आदोलन चलाने लगे। दिल्ली में उन्होंने अछूतों के सुधार के लिये दिल्ली सुधार सभा का आयोजन किया। उन्होंने भारत शुद्धि सभा का भी प्रारंभ किया। उनकी इन कायवाहियां न उन्हें मुसलमानों का शत्रु बना दिया और अतत 1926 में वे एक मुस्लिम हत्यारे की गोली के शिकार हो गये।

## श्रीमती एनी बेसेट

कु० बुड (बाद में श्रीमती एनी बेसेट) का जन्म 1847 में हुआ। पांच वर्ष की आयु की जब वे थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनका बचपन और कीमाय हर तरह की कठिनाइयाँ से भरा हुआ था। 1867 में जब उन्होंने एक धार्मिक व्यक्ति से विवाह किया तो उनका भाग्य बेहतर होने की

जगह पर कुछ और बिगड़ा ही। उनके पति घमपरायण व्यक्ति थे, पर उनमें अधविश्वास अधिक था और सत्य की अनुभूति कम। एनी वेसट का अपना अलग ढंग का रहन सहन था पर वह भी धार्मिक ही था। तत्कालीन समाज में वे ईश्वरवादी लगती थीं। इस विवाह से एक कन्या का जन्म हुआ, पर जीवन में नैराश्य और शोक ने उनका पल्ला नहीं छोड़ा। अतएव उन्होंने यह निश्चय किया कि इस जीवन से हट ही क्या न जाया जाय। उन्होंने सारी तैयारी कर ली और जब वे आत्महत्या करने ही वाली थी तभी उनके मन में आया और उन्होंने यह निश्चय किया कि वे अपने पति का साथ छोड़कर शेष जीवन सम्पूर्ण मानव की सेवा में लगा देंगी। 25 वर्ष की असहाय और विधन ईश्वरवादी इस महिला ने भौतिकी जगत में प्रवेश किया जो उसके विश्वासों से घृणा करता था। नियमित रूप से नौकरी की प्राप्ति सरल बात नहीं थी। पर वह भाग्यशाली थी कि उनके एक लेख ने उन्हें एक पत्रिका से कुछ पारिश्रमिक प्राप्त करा दिया और उन्होंने नये जीवन का प्रारंभ कर दिया। बाद में उनका संपर्क ब्रिटेन से हुआ जो विचारों से एक सज्जन व्यक्ति थे। उनके साथ पत्रकारिता और सामाजिक कार्यों में सहभागी होते हुए उन्होंने समाज सुधार का कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने माचिस फक्ट्रियों में काम करने वाली अग्रज लड़कियों के लिये जो सघन किया उससे पता चलता है कि उनमें संगठन की और संदेश देने की कितनी क्षमता थी।

कुछ दिनों के बाद ही वे मंडम ब्लावटस्की और वनल जॉल्काट द्वारा प्रारंभ की गई 'थियोसोफिकल सोसायटी' में सम्मिलित हो गईं। मंडम ब्लावटस्की का उन पर बहुत प्रभाव था जिन्होंने उन्हें गुप्तज्ञान भी प्रदान किया। इसी के फलस्वरूप 1803 में वे भारत आई और 20 वर्षों की अवधि तक उन्होंने देश में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में कार्य किया। श्रीमती वेसेट ने भारत के गौरवपूर्ण भूतकाल का अध्ययन किया और उसका साहित्य पढ़ा और वे इस निष्कर्ष पर पहुँची कि भारत कितना महान था और कितना महान हो सकता है। पर वे इस बात से बड़ी दुखी थी कि देश में अज्ञान की छाया है और लोग आपसी झगड़ों में फसे हैं। उन्होंने भारतीयों को अपनी शक्तिशाली भाषा में बताया, मा के बच्चा, एक ईश्वर उपासको अप्रुव शक्तिवालो, तुम धार्मिक और राजनतिक सघन में फसकर विश्व के समक्ष आने में क्यों नज्जित हो रहे हो? क्या तुम्हारा देश तुम्हारे दून से बड़ा नहीं है? क्या तुम्हारे धर्मों में धर्म बड़ा नहीं है?"<sup>1</sup> सी० वाई० चिन्तामणि ने उनके विषय में लिखा है "उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति महान, बुद्धि और अपार

ज्ञान भरा पडा था। उनमें के द्रीवृत सोद्देश्यता, अत्यधिक साहस, अति उत्साह और सदा काय करत रहने की भावना थी जब तक कि वह पूर्ण न हो जाय और इन सब के साथ सोने में सुहागा थी उनकी भाषण शक्ति।<sup>1</sup> भारत में घूम घूमकर वह लोगो को उनके पूजार्थ के विषय में बताती रही और यह भी कि आज भी देश में उनकी भूमिका हो सकती है। प्राचीन हिंदू साहित्य का उनको इतना ज्ञान था कि उनके भाषण के समय भारत के बड़े बड़े पंडित भी माथा झुका देते थे। उन्होंने भगवद्गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया और बनारस में सेण्ट्रल हिंदू स्कूल तथा कालेज प्रारंभ किया जो बाद में हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। उनके अनुसार भारत पश्चिमी भौतिकी प्रवृत्ति की चकाचौंध में खोता जा रहा था। श्रीमती वेसेंट ने शिक्षा दी कि भारत का अपना व्यक्तित्व अलग था जिससे पश्चिम आज भी बहुत कुछ सीख सकता था। उन्होंने भारतीय सर्वोच्च का श्रम किया उनमें साहस भरा और इच्छाशक्ति को जगमगा दिया। उन्होंने उस भारत का तयार किया जिसे जाने वाले दिना में विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी थी।

बाद में वे थियोसाफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष हो गईं और इस हैसियत से वह 1908 से 1913 के बीच कई बार इंग्लैंड गईं। उन्होंने रेडमांड के 'आइरिश होमरूल जादोलन' का अध्ययन किया, वह उससे प्रभावित हुईं और भारत वापस होने पर उन्होंने यहाँ भी उसी तरह का आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया। 1914 में वे भारतीय राजनीति में प्रविष्ट हुईं। 'उन्होंने घास को अपने पैरों के नीचे नहीं उगने दिया। स्वभाव से वे केवल 'साधारण' से संतुष्ट नहीं थीं। उन्होंने जल्दी ही बहुत से पुराने राजनीतिज्ञों को दौड़ में पीछे छोड़ दिया और 'यंग्स उन हू कल के जादमी' कहा। उन्होंने एक 'होमरूल लीग' बनाया और इसी के अंतर्गत पूरे देश में सगठन का जाल बिछाया, तत्संबंध में प्रचार के लिये बहुत से पर्चे बटवाये जिसमें सारे विवरण दिये गये और घूम घूमकर आशा जगान वाले और प्रतिबन्ध से मुक्ति दिलाने वाले भाषण दिये।'<sup>2</sup> 1916 में होमरूल लीग का प्रारंभ किया। इसी वर्ष उन्होंने कांग्रेस के उदारवादियों और अतिवादियों में समझौता कराया। इसके पूर्व उन्होंने 'निव इंडिया नामक एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली और बाद में उन्होंने 'निव इंडिया नामक एक दैनिक समाचार पत्र निकाला। इनके माध्यम से उन्होंने देश में अपने उदारवादी विचारों का प्रचार किया।

1 विज्ञानमणि सी बाइ एडिशन पार्लियामेंट सिस म्यटिनी प 102 ;

2 वही प 101-103 ;

उनकी इन कायवाहियों ने 1917 में उन्हें वाडिया और अस्पेंडेल सहित बंदी बनवा दिया। इससे उनकी प्रसिद्धि और बढ़ गई और जब तीन माह बाद उन्हें जेल से छोड़ा गया तो उन्हें 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर प्रतिष्ठा प्रदान की गई।

श्रीमती वेसेंट ने गांधी के असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को पसंद नहीं किया। उनके अनुसार इससे भारतीयों को अव्यवस्था की शिक्षा मिलती थी तथा इस अवसर पर अपराधियों और गलत कार्य करने वालों की बन आती थी। वह इसकी अवहेलना इस जोरदार तक के आधार पर करती थी कि यह दशन हिंसा को माध्यम बनाकर अहिंसा को प्रोत्साहित करता था। गांधी के विषय में उन्होंने लिखा, 'वे एक राजनीतिज्ञ नहीं हैं, वे अस्पष्ट स्वप्नवत गुह्य तथा साधारण मानव स्वभाव से विज्ञ नहीं हैं।' इसी कारण संभवतः गांधी की कायवाहिया का फल वह होता जो उनका उद्देश्य न होता। श्रीमती वेसेंट ने लिखा, 'भारत आने के बाद स गांधी का राजनीतिक प्रभाव सदा विनाशात्मक रहा है। मुझे रमरण है कि जब गांधी के भारत आने से पूर्व मैंने गोखले से उनके आगमन के संवध में प्रसन्नता व्यक्त की और यह आशा व्यक्त की कि वे भारत के लिये स्वतंत्रता अर्जित करने में बहुत सहायक होंगे तो उस बुद्धिमान और भविष्यदष्टा राजनयन उत्तर लिया नहीं आपको भ्रम है, गांधी हमारे आंदोलन के लिये जड़चनें ही उत्पन्न करेंगे।' उनकी वाणी चिंतापूर्ण ढंग से कितनी सच सिद्ध हुई। असहयोग एवं सविनय अवज्ञा के जोखिम भरे आंदोलन ने राजनीतिक क्षेत्र को बर्बाद कर दिया अर्थात् ही हुआ कि गांधी ने अपने जीवन के कार्यों की कोई भी फल बर्बाद होते देखने से पहले ही चल बस।'<sup>1</sup>

1919 के सुधारों के अंतर्गत स्वराजियों द्वारा सदन में प्रवेश की भी श्रीमती वेसेंट ने आलोचना की और कहा 'चुने जाने के पूर्व वे भेरी की तरह दहाड़ते थे, पर अब पडकी की तरह टुट-टूट करके सज्जन दिख रहे हैं। मभाआ में उन्होंने कहा कि चुने जाने पर वे कौन कौन से आश्चर्य प्रस्तुत कर देंगे। पर सदन में प्रवेश करने के बाद वे सारे वादे भूल गये।'<sup>2</sup>

श्रीमती वेसेंट भारत के लिये पूर्ण स्वतंत्रता की पक्षधर थी, पर वे इंग्लैंड से सभी संवधा के तोड़े जाने के पक्ष में नहीं थी। उनका उद्देश्य ब्रिटिश कामनवेल्थ राष्ट्र बनाने का था जिसके माध्यम से उनके अनुसार आने वाले दिनों में विश्व की राजनीति में इंग्लैंड और भारत प्रमुख भूमिका अदा कर

1 वही पृ 102-103।

2 वेसेंट एनी पूर्वोक्त पृ 103।

सकते थे। कामनवेल्थ राष्ट्रों की स्थापना हो चुकी है और हम आशा करते हैं कि श्रीमती बेसेट की भविष्यवाणी सही साबित होगी और इंग्लैंड तथा भारत भविष्य में आशानुकूल भूमिका अदा करेंगे।

## गोपाल कृष्ण गोखले

1866 में कोल्हापुर में उनका जन्म हुआ। 18 वर्ष की आयु में वे स्नातक हो गये जिसके बाद वे अध्यापक हो गये। शीघ्र ही वे फर्ग्युसन कॉलेज, पूना के प्रिंसिपल हो गये। गोखले को तिलक "भारत का हीरा, महाराष्ट्र का जवाहर और बमठला का राजा"<sup>2</sup> पुकारा करते थे। 22 वर्ष की आयु में ही बम्बई की विधायिका के वे सदस्य हो गये। ह्यायलण्ड ने गोखले के विषय में कहा कि, "वे सभावनाओं पर काय करने में माहिर, प्रथम श्रेणी के रचनात्मक दृष्टि से राजनीतिज्ञ, जरूरतमंदों की सामाजिक सेवा हेतु पूर्व और पश्चिम को एकत्रित करने वाले, एक आदर्शवादी, भविष्यद्रष्टा, मिली-जुली जातियों में सदेच्छा और सहयोग स्थापित कर नवयुग स्थापक एवं पैगम्बर'<sup>3</sup> थे जिनका राजनतिक क्षेत्र में उत्थान एकाएक हुआ। 29 वर्ष की आयु में वे बनारस कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिये गये। देश की अथ राजनीति के विषय में उनका ज्ञान तथा इस देश की सामान्य समस्याओं के संबंध में उनकी जानकारी इतनी विशाल थी कि 31 वर्ष की आयु में ही उन्हें इंग्लैंड में इस बात के लिये आमंत्रित किया गया कि वे वेल्बी कमिशन के समक्ष भारतीय ध्येय के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत करें।

गोखले का राजनतिक दशन तथ्यपरक था। उनकी समझ से ब्रिटिश भारत में देवी उद्देश्य की पूर्ति हेतु आय थी और वे यहाँ तक तक बने रहेंगे जब तक उनका यह उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। इस तरह जहाँ वे सरकार की प्रायः उसके दोषों के लिये आलोचना करते थे, वहाँ वे यह पसंद नहीं करते थे कि सरकार को हिंसात्मक रीति से हटा दिया जाय और देश में स्वाधीनता लाई जाय। वह सरकार और जनता दोनों को सदा सावधानी बरतने को कहते थे। सरकार से वे कहते थे कि वे जनहित को हानि न पहुँचाने दें और जनता से वे कहते थे कि वे आंदोलन न करें। दूसरे शब्दों में वे एक उदारवादी थे

1 देखें पाल की सी श्रीमती एनी बेसेट।

2 विस्तृत अध्ययन के लिये देखें तिलक राइटिंग्स एण्ड स्पीचेंज।

3 ह्यायलण्ड अ एंड गोपाल कृष्ण गोखले (हिज लाइफ एण्ड स्पीचेंज) बलकला 1930 प 235।

जो दोनो पराकाष्ठाओ को नापसद करता था। गांधी ने उनके विषय में कहा, "सर फीरोजशाह मुझे अपराजेय हिंजालय जैमा दिखते थे और लोकमाय एक समुद्र की भांति। पर गोखले तो गंगा थे जो अपनी गोद में सबको आमंत्रित करती है।"<sup>1</sup>

गोखले ने नमस्कार का विरोध किया जिसे वे गरीब आदमी की रोटी पर एक प्रहार मानते थे। उन्होंने सरकार की इस बात के लिये निन्दा की जिसने सिविल सेवाओं में तथा उच्च सरकारी सेवाओं में भारतीयों को उचित स्थान नहीं दिलवाया है। 1902 में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल में नामित एक सदस्य के रूप में उन्होंने लाड कजन की प्रतिप्रियावादी नीतियों की आलोचना की और वगभग के लिये उसकी भत्सना की। पर कजन जो हृदय से साम्राज्यवादी था, और जो भारतीयों को उनकी दुबुद्धि के कारण घणा करता था, गोखले के विषय में यह कहने को बाध्य हुआ, 'ईश्वर ने आपको असाधारण योग्यता प्रदान की है और उसे आपने अपने देश के लिये पूर्णरूपेण सौंप दिया है।'

1905 में गोखले भारतीय लोगों की लोकप्रिय इच्छाओं को इंग्लैंड के विचारकों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये गये। उसी वर्ष उन्होंने 'सरवेटस ऑफ इण्डिया सोसाइटी' की स्थापना की जिसका उद्देश्य "मातृभूमि की सेवा के लिये लोगों को अल्प वेतन पर कार्य करने के लिये प्रशिक्षित करना था जिन्हें कठोर अनुशासन में रहना होता था और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति स्वामिभक्त होना था।' 1909 के माले मिण्टो सुधारों को लागू कराने में उनकी प्रमुख भूमिका थी जिसे वे भारत के स्वाधीनता की ओर बढ़ते हुए कदम की एक ठोस कड़ी मानते थे। उन्होंने ५० मदन मोहन मालवीय की 1909 के ऐक्ट की उस आलोचना का उत्तर देते हुये, जिसमें उन्होंने इसे साम्प्रदायिक बताते हुये मुसलमानों को अधिक सीट देने की आलोचना की थी, मूक व आश्चर्यचकित कर दिया था, "महोदय, हमें सन्तुष्ट भाव से चीजों को नहीं देखना चाहिये। आखिर इसकी क्या महत्ता है कि इस सदन में कितने मुसलमान बैठते हैं और कितने हिंदू स्थापित पाते हैं? अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हममें से कितना लोग काम करते हैं और किस भाव से काम करते हैं?" गोखले ने 1912 में दक्षिणी अफ्रीका की यात्रा की और गांधी को उनके जातिभेद संघर्ष में उनकी सहायता की। जब 1919 के सुधारों की रूपरेखा तैयार हो रही थी तो उन्हें भी एक विशेषण के रूप में इंग्लैंड अपना विचार प्रस्तुत करने के लिये आमंत्रित किया गया था। गोखले ने सुधार की अपनी

1 गोंधी माई एक्सपेरीमेंट्स विद ट्रुथ प 236।

योजना प्रस्तुत की जिस 'पार्लियामेंट स्ट्रामण्ट आफ गोपले' के नाम से जाना जाता है। 1915 में प्रस्तुत इस योजना में प्रान्ता में पूर्ण स्वायत्तता की मांग की गई। और इम्पीरियल लजिस्लेचर में सना और नवसना के संघ में भी अन्य विषय की तरह प्रश्न करके और वादविवाद करके "प्रभाव बढान का अवसर प्राप्त हो गया।" उसी वर्ष गोपल की मृत्यु हो गई।

गोपले को "भूषी नगी सिक्की जनता" को देखकर बड़ा पट्ट होता था और इसीलिए व विलासी जीवन के निवृत्त तब तक नहीं गये जब तक कि दुर्भाग्यशाली जनता का भाग्य बेहतर करने में उठाने कुछ सहयोग नहीं कर दिया। 20 वर्षों तक जब तक व फग्युसन बालेज में प्रिंसिपल थे उन्होंने कभी भी 70 रुपये से अधिक वेतन नहीं लिया। उनका मन में इस देश की जनता के प्रति असौम्य प्रेम था। वे चाहते थे कि उन्हें राजनतिक स्वाधीनता प्राप्त होनी चाहिये जिससे कि एक दिन विश्व की मप्रभु शक्तियां में उनकी भी गिनती हो। पर वे उन्हें पेटू नहीं बनाना चाहते थे। उनका कहना था कि वे उतना ही पार्यें जितना की पचा सकें।<sup>1</sup>

## मोतीलाल नेहरू

भारत के महान पुत्र जवाहरलाल नेहरू के महान पिता श्री मोती लाल नेहरू का जन्म मध्य श्रेणी के एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ। अध्ययन में तो वे बड़े सफल नहीं थे बल्कि में स्नातक का अध्ययन ही छोड़कर वे भाग खड़े हुये पर बाद में बानून की डिग्री प्राप्त कर वे इलाहाबाद में वकालत का पेशा करने लगे। इस पेशे में उन्होंने स्तरी सफलता प्राप्त की कि उनकी मासिक आय तादाद रुपये थी। वह शीघ्र अनि सम्पन्न हो गये और वैभवशाली जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने अपन एकमात्र पुत्र जवाहरलाल को इंग्लण्ड अध्ययन करने के लिये प्रारम्भ से ही भेजा। पुत्र की अध्ययन से वापसी पर और उसके प्रभाव के फलस्वरूप पिता भी 1917 में राजनीति में कूद पडे।

भारत के लिये मोती लाल के वलिदान भी महान थे। वे प्रारम्भ में उदारवादी थे। पर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट की गिरफ्तारी और 1919 के जलियावाला बाग के हत्याकांड ने उन्हें अनुदार बना दिया। 1919 में ने अमतसर कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये गांधी के असहयोग आंदोलन में जेल गये पर वे सतुष्ट नहीं थे और इसीलिये सी० आर० दास के साथ मिलकर उन्होंने स्वराज दल की स्थापना की जिम्मे 1919 के चुनावों

में भाग लिया और केन्द्रीय सभा में प्रवेश किया। विधायिका में उनकी सख्खा आशा के अनुरूप तो नहीं थी, पर उन्होंने अपने भरसक बहुत किया। 1926-27 में बजट अस्वीकृत कर दिया गया, 1919 के ऐक्ट के संशोधन का प्रस्ताव पारित किया गया तथा एक गोलमेज सम्मेलन प्रस्तावित किया गया जिसकी सभा भी वाद में हुई। श्री नेहरू ने साइमन कमीशन को चुनौती दी तथा नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रतिवेदन तैयार किया जिसमें भारत के सभावित संविधान का विवरण था जो उसे प्राप्त करना था। यह सचमुच एक विस्तृत दस्तावेज था। जिसे सरकार ने अस्वीकार कर दिया जिसके फलस्वरूप कांग्रेस ने 1929 के अधिवेशन में स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया।

सविनय अवज्ञा आंदोलन में श्री मोतीलाल 1930 में पुनः जेल गये। पर अब अपनी बढ़ती उम्र के कारण कष्ट और थकान वे नहीं झेल पाते थे। इसी कारण गिरते स्वास्थ्य के जाघार पर उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। 1931 में 70 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई।

### सरदार वल्लभभाई पटेल

1857 के विद्रोह में ब्रिटिशों से लोहा लेने वाले झावेर भाई के पुत्र, वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 दिसंबर 1875 में हुआ। भारत में शिक्षा पूरी करने के बाद वे इंग्लैंड गये जहाँ से 1913 में उन्होंने बैरिस्टर एट ला की डिग्री प्राप्त की और वहाँ से वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करना प्रारंभ किया जहाँ उन्हें बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। 1916 में उन्होंने गांधी का आह्वान सुना और अपना आयुष्य काय छोड़कर राजनीति के दंगल में कूद पड़े। प्रारंभ में उन्हें गांधी का रास्ता पसंद नहीं आया, पर बाद में वे उनके इतने विश्वासपात्र समर्थक हो गये कि वे महात्मा जी को अपना आध्यात्मिक गुरु मानने लगे। उन्होंने अपने सारे स्वतंत्र विचार उनके कदमों पर चौंकाकर कर दिये और उनके निर्देश पर अधो की तरह काय करने लगे। 1918 में उन्होंने प्रसिद्ध अहमदाबाद मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया और गांधी के निर्देशों के अंतर्गत 1928 में उन्होंने बार्दोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्हें किसानों के हित के प्रति बड़ा प्रेम था जिसके विषय में बार्दोली में उन्होंने कहा, "यदि इस पृथ्वी पर भर सीधा करके चलने में कोई समय है तो वह किसान ही है। वह उत्पादक है और अर्थ तो उसे खाने वाले हैं।" बार्दोली किसान आंदोलन को सफलतापूर्वक सगठित करने के कारण गांधी ने उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की।



सरदार पटेल दृढ़ च्छा और लौह निश्चयी व्यक्ति थे। उन्होंने कांग्रेस दल में अपनी सगठनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया और 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उस पद पर वे 1934 तक बने रहे। जान गयर ने उनके विषय में कहा 'वे अति उच्च काटि के दलीय अध्यक्ष थे। वे जिम पार्सी की तरह बठोर रूप से दल की कायवाही करते और उस सगठित करते हैं।'<sup>1</sup> 1935 में कांग्रेस ने सरकार में सम्मिलित हान का निश्चय किया उस समय पटेल का कांग्रेस ससदीय उपसमिति का चयरमन पद प्रदान किया और वे इस पद पर 1940 तक काय करते रहे। इस काल में वे प्राता के मन्त्रिमंडल का निर्देश दते रहे और यह सिद्ध किया कि किस तरह से लोहानुशासन लागू किया जाता है। मंत्री उन्हें वे निर्देश पर काय करते रहे।

1941 में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सविनय अवज्ञा की और जेल गए। उन्हें जेल भेज दिया गया जहां से ग्यास्थ्य के आधार पर 1941 में उन्हें रिहा कर दिया गया। 1942 में उन्हें पुनः बंद कर लिया गया और अहमदनगर किल में भेज दिया गया जहां से उन्हें 1946 में ही छोड़ा गया। 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में उन्हें गृह मंत्री नियुक्त किया गया। वे इस देश के विभाजन के पक्ष में नहीं थे, पर मौलाना अबुल कलाम का तब बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने लार्ड माउण्टबेटन के प्रभाव में अपना मत बदल दिया और चुपचाप इस अवधि में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी।<sup>2</sup> गृहमंत्री के रूप में उन्हें मुस्लिम लीग का क्रूर साम्प्रदायिक रूप धेतना पड़ा जो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिये देश की शांति और व्यवस्था को बर्बाद करने पर आमादा थी। मभवत इसी कारण ही उन्होंने यह सोचा कि मुस्लिम लीग की मांग का मान बिना देश की शांतिपूर्ण पुनरचना संभव नहीं है।

स्वाधीनता के बाद 1947 में नेहरू मन्त्रिमंडल में सरदार को उपप्रधान मंत्री बनाया गया। उनके कारण ही भारत के राजाओं के राज्या का सफलतापूर्ण ढंग से विलीनीकरण संभव हुआ क्योंकि उनके ऊपर से ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त होते ही उनमें देश से अलग होने की प्रवृत्ति जोरों से काय कर रही थी। पुराना 'पोलिटिकल डिपाटमेण्ट' समाप्त कर दिया गया और उनके परामर्श पर एक राज्य मंत्रालय की स्थापना की गई जिसका नेतृत्व उनके हाथ में सौंपा गया। उस पद पर रहकर उन्होंने राजाओं को फुसलाया भी और धमकाया भी। यह उनके लिये गौरव की बात है कि बिना बहूत की एक

1 गंवर जान इनसाइक्लोपिडिया।

2 जाजब मौलाना ए के इण्डिया वि स कौन्सिल प 179-81।

गोली चलाये भारत के राजाजी को उहोने भारत मे सम्मिलित कर लिया । हैदरावाद और जूनागढ ही ऐसे दो राज्य थे जहा की स्थिति भिन होने के कारण वहा कडी कायवाही करनी पडी ।

जब उनका उद्देश्य पूरा हो गया और भारत मे एकता व सगठन की स्थापना हो गई तो भारत का यह बिस्माक 1950 मे इस भौतिक जगत को छोडकर चल बसा । सरदार पटेल की मत्यु से भारत ने अति विश्वस्त सेवक खो दिया जिसने भारत की लाखो करोडा जनता के लिये कोई भी बलिदान बडा नहीं समझा ।

### मौलाना अबुल कलाम आजाद

1888 मे मक्का मे एक शरणार्थी परिवार मे एक अरब महिला ने उह जन्म दिया । 1898 मे वे अपने पिता के साथ कलकत्ता आये । वहा उहोने शिक्षा प्राप्त की और 1905 म कैरो के जजरा विश्वविद्यालय मे उच्च शिक्षा के लिये भेज दिये गये । वे शीघ्र ही भारत वापस लौट आये और 1908 मे राजनीति म क्रूद पडे । वे अरबी भाषा के उच्च कोटि के विद्वान थे । एक निस्वाय कायकर्त्ता आजीवन मकुचित मुस्लिम साम्प्रदायिकता के विरोधी आजाद ने 1912 मे अत्रहिलाल साप्ताहिक प्रारभ किया जिसके माध्यम से लोगो को उहोन अपने विद्वतातृण और परिपक्व राजनतिक विचारो से प्रभावित किया । पर विदेशी सरकार उनसे क्रुद्ध ही हुई । 1915 मे उह राधी भेज दिया गया और वहा व 1920 तक जेल म पडे रह ।

मौलाना आजाद गाधी के विश्वस्त समथक तो थे पर अध समथक नहीं । 1920 म वे असहयोग आदोलन मे सम्मिलित हुये और जेल गये । बाद मे जब यह आदोलन वापस ले लिया गया तो कांग्रेस के दो दलो मे समझौता कराने म उहोन प्रमुख भूमिका जदा की । इसमे से एव दल कांसिल मे प्रवेश के पक्ष मे था और दूसरा इसके विपक्ष मे । उहाने महात्मा की जिन्ना को अत्यधिक महत्ता देने के लिये आलोचना की ब्योकि उनकी दष्टि मे मुस्लिम साम्प्रदायिकता के बढने का यही कारण था । वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बार बार अध्यक्ष चुने गये । वे द्वितीय विश्वयुद्ध काल म इसके अध्यक्ष रहू और इसी कारण उहाने त्रिप्स और कबिनेट मिशन से वातचीत की । वे सदा पाकिस्तान की रचना के विरोधी बने रहे । उह तब बडा कष्ट हुआ जब अपनी लाश पर पाकिस्तान बनन की वात करन वाले गाधी भी बदल गये । अपनी पुस्तक 'इंडिया विस फ्रीटम म उहाने आश्चय व्यक्त किया है कि किस तरह देश के नेता अपन स्वतंत्र विचारो से उस समय

महकूम हो जाते थे जैसे ही उनका सपका गांधी से हो जाता था। अंतरिम मंत्रिमंडल में उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया। इस पद पर वे अपने मृत्यु के समय 1958 तक बने रहे।

## सुभाष चन्द्र बोस

उनका जन्म 1897 में हुआ। वे पढ़ने लिखने में बड़े तीव्र थे। सुभाषचन्द्र बोस पढाई समाप्ति के बाद इंडियन सिविल सर्विस में चुन लिये गए। पर सेवाकाल में जब उनसे ब्रिटिश ताज के प्रति शपथ लेने को कहा गया तो उन्होंने ऐसा करने से इन्कार कर दिया और 1921 में नौकरी छोड़ दी। कॉलेज काल में ही उन्होंने दिखा दिया था कि वे क्या होना चाहते हैं जब उन्होंने भारतीय संस्कृति को बुरा भला कहने के लिये एक अंग्रेज को पीटना प्रारंभ कर दिया। नौकरी छोड़कर सुभाष ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। पर वे गांधी के पथ से सतुष्ट नहीं हुये और उहाँ को मोतीलाल और सी० आर० दास का समर्थन उनकी स्वराज पार्टी में करना प्रारंभ कर दिया। सी० आर० उँह बहुत स्नेह करते थे और जब वे बलवत्ता के मेयर हुये तो उन्होंने सुभाष को अपने अधीन मुख्य कायपालिका अधिकारी नियुक्त किया। पर सुभाष की प्रगतिशील कायवाहियाँ ने उँह सरकार का कोपभाजन बना दिया, उँहें भाड़ले भेज दिया गया, पर उनके देशवासियों ने उनके उपकार को ध्यान में रखकर उनकी अनुपस्थिति में ही उँहें बंगाल विधायिका के लिये चुन लिया।

सुभाष कांग्रेस में युवा और अनुदारवादी तत्वों का प्रतिनिधित्व करते थे। वे 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये और फिर 1939 में भी। जब वे गांधी और अणु लोका के साथ ठीक से अपने विचारों को नहीं ढाल सके, तो उन्होंने अध्यक्ष पद से स्तीफा दे दिया और प्रसिद्ध फावड ब्लाक को संगठित किया। सुभाष का विश्वास गांधी की अहिंसावादी नीतियों में नहीं था और उन्होंने भी गांधी की आलोचना श्रीमती एनी बेसेंट की तरह करते हुए कहा कि वे भारत की राजनैतिक प्रगति के लिये एक अडचन थे। उन्होंने 1931 में गांधी के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के तरीके की आलोचना की। उनका कहना था कि गांधी यदि प्रथम गोल मेज सम्मेलन में सम्मिलित होते तो एक शक्ति होते, पर दूसरे गोल मेज सम्मेलन में तो उनका अनुपस्थिति रहना ही उत्तम रहता। वे दबता से यह मानते थे कि भारत को स्वतंत्रता बिना बाह्य सहायता के नहीं प्राप्त हो सकती थी। द्वितीय विश्व युद्धकाल में उँह उनके घर में नजरबंद कर दिया गया था जहाँ सब वचन निकले और

अफगानिस्तान इटली और जर्मनी होते हुए वे जापान पहुँचे जहाँ पर उन्होंने भारतीय युद्धबंदियों तथा अन्य लोगों को संगठित कर इण्डियन नेशनल आर्मी की स्थापना की भारत की पूर्वी सीमा पर जात्रमण किया पर पराजित हो गये । व 1945 म एक हवाई दुघटना म मारे गये । भारत मे बहुत स लोगो का विश्वास है कि हवाई दुघटना से व घब निकले और जब भी यागी के वेप म कही रह रह हैं ।

### मोहनदास कमचद गाधी

रवीन्द्रनाथ टैगोर ने उनके विषय म लिखा 'एक राजनीतिज्ञ संगठन-कर्त्ता, लोगों के नेता तथा एक नतिक सुधारक के रूप म गाधी महान थे, पर इन सबसे बढकर एक व्यक्ति के रूप मे वे और महान थे।' मोहनदास कमचद गाधी जिनका नाम महात्मा गाधी के रूप मे लोकप्रिय है, एक वैश्य परिवार म 1869 म काठियावाड के पोरबंदर नामक स्थान पर पदा हुये । 12 वष की आयु म ही उनका विवाह हो गया । पर इसके कारण उनके जीवन काय म कोई रकावट नही आई और 19 वष की आयु मे अपन कट्टर पट्टीदारो के विरोध के बावजूद जो समुद्र पार जाना पाप समझते थे, वे इंग्लंड बैरिस्टर एट लॉ की उपाधि प्राप्त करने के लिये गये । वे 1893 म भारत वापस लौट आय और राजकोट मे वकालत प्रारभ कर दी । बाद मे वे बम्बई चले आये । उसके थोडे दिनों ही बाद वे एक भारतीय फर्म के मुकदमे के सबध मे दक्षिणी अफ्रीका गये । थोडे ही काल मे यहा एक बैरिस्टर के रूप मे प्रसिद्ध हो गय । इस तरह की प्रसिद्धि वे भारत मे पाने म सफल नही रहे थे । वहा वे पूव धन कमा रहे व कि तभी कुछ ऐसी घटनाये घटी जि होने उहें एक अहिंसक आंदोलनकारी बना दिया और वे दबे लोगों की रक्षा के लिये लडने लगे । यह घटना 1906 मे घटी जब एशियाटिक रजिस्ट्रेशन ऐक्ट पारित हुआ । इसके अंतगत अफ्रीका मे बसने वाले सभी एशियाइयो को अपन नाम का रजिस्ट्रेशन कराना पडता था और ऐसा करते समय पढे लिखे होने के बावजूद उह अगूठा लगाना पडता था । गाधी ने अफ्रीका म बसे हुये भारतीयो से आह्वान किया कि वे इस अपमानजनक ऐक्ट के अंतगत जाज्ञाओ का पालन न करें । गाधी एक प्रतिनिधिमंडल लेकर, इंग्लैण्ड गये जिससे वहा की सरकार को कुछ बुद्धि आ सके । पर उह अपने उद्देश्य मे सफलता नही मिली और उ होने दक्षिणी अफ्रीका लौटकर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारभ किया । यह एक दम नये तरह का आंदोलन था जिसके अंतगत भारतीय इस ऐक्ट का विरोध करते थे और अपने को बँद कराते थे ।

शीघ्र ही इन भारतीयों के द्वारा जेलें भरने लगीं। गांधी को स्वयं 2 महीने जेल की सजा हुई। पर सरकार इस तरह की कूटनीति जारी नहीं रख सकी और उसे गांधी से समझौता करने का वाध्य होना पड़ा। गांधी ने इसी तरह का आंदोलन दक्षिणी अफ्रीका में कुछ जातिभेद के अधिनियमों के विरुद्ध भी चलाया जिसमें उन्हें पर्याप्त सफलता मिली।

इस तरह अवज्ञा के अस्त्र का आविष्कार कर तथा सरकार की बुराइयों के विरुद्ध असहयोग का डंडा लेकर गांधी 1914 में भारत लौटे क्योंकि उनके ही अनुसार, मैं भारत को भी वह विधि बताना चाहता था जिसका प्रयोग मैंने दक्षिणी अफ्रीका में किया था और मेरी इच्छा थी कि मैं इनकी परीक्षा भारत में करूँ कि आखिर यह किस सीमा तक सफलता प्राप्त होती है।<sup>1</sup> 1915 में इसके योग्य सुअवसर उन्हें प्राप्त हुआ वैसे यह छोटा अवसर था जब वीरगाम के लोग न उनके नरुत्व में यह चेतावनी दी कि नयी चुंगी का घरा समाप्त कर दिया जाय। चेतावनी ने असर डाला और उनकी इच्छा के अनुरूप कायवाही हो गई। 1917 में उन्होंने इस प्रयोग का दूसरा परीक्षण किया जब उन्होंने इस देश के प्रतिनावद्ध मजदूरों को विदेश जाने से रोका। तीसरा प्रयोग चम्पारन के लोगों के कृषि बन्टा की छानबीन से जुड़ा था। चौथी परीक्षा इसकी अहमदाबाद में हुई जहाँ उन्होंने मित मजदूरों को उचित अधिकार दिलाये। जोर पाचवी परीक्षा उन्होंने उस समय की जब गुजरात में खेता के किसानों के लिये फसल खराब हो जाने के कारण कर में कमी कराने की उनकी मांग मान ली गई। इस तरह 1915 से 1920 के बीच उन्होंने इस अस्त्र का प्रयोग पांच अवसरों पर किया जिसका विवरण ऊपर आ चुका है और इस सब में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। इस तरह से प्रोत्साहित होकर उन्होंने अपने इस अस्त्र को 1920 में पूरे राष्ट्र के समक्ष पेश कर दिया जिसका उद्देश्य सरकार से स्वतन्त्रता की प्राप्ति करना था। इसके द्वारा बहुसंख्य भारतीयों में अपील की गई जोर इस तरह 1920 के बाद का आगे का इतिहास गांधी के जर्नल 'आंदोलन' की सफलता और असफलता का इतिहास हो गया जिसका वर्णन विस्तार में हम पहले ही कर आये हैं। गांधी 1948 में शहीद हो गये। यह काय एफ कट्टर हिन्दू हत्यारे नायूराम गोडसे की पिस्तौल से हुआ।

चूँकि 28 वर्षों तक (1920-1948) गांधी जी ही इस देश के राजनतिक आंदोलन के निदेशक थे, इसी के कारण उन्हें राष्ट्रपिता भी स्वीकार किया गया। यहाँ यह समीचीन लगता है कि हम उनके दर्शन 'गांधीवाद' के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करें।

1 विस्तार के लिये देखें गांधी एम क माई एक्सपरीमेंटल विद दूय (हिज आटोबाईपाकी)।

### गांधी का दशन

राजनैतिक दृष्टि से अपन जीवन के प्रारंभिक दिना में व ब्रिटिशों की सदाशयता और सदच्छा में विश्वास करते थे। इसीलिए उन्होंने कहा, "मैंने देखा कि ब्रिटिश साम्राज्य के कुछ आदर्श थे जिनसे मैं जाकर्षित हो गया हूँ और उन आदर्शों में से एक यह है कि ब्रिटिश साम्राज्य का प्रत्येक निवासी अपनी शक्ति अजन और प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिये पूर्ण स्वतंत्र है और वह जो कुछ भी सोचता है अपन विवेक से सोचना है और मैंने यह पाया है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कम से कम तो रहा ही जा सकता है।" पर बाद में रौलट एक्ट आंदोलन जलियावाला बाग की घटना और खिलाफत आंदोलन ने ब्रिटिशों के प्रति उनके विश्वास को डिगा दिया, वे जाश्वस्त हो गये कि ब्रिटिश भी 'वेईमान जनैतिक और अन्यायी हो सकते हैं, और वायसरॉय को लिखे एक पत्र में उन्होंने घोषणा की, "ऐसी सरकार के प्रति मेरे मन में न तो आदर है और न स्नेह।"

पर इसका अर्थ यह नहीं है कि उनके मन में ब्रिटिशों के प्रति घणा उत्पन्न हो गई। उन्होंने घोषणा की कि यदि ब्रिटिश भारत में कुछ गलतियाँ करते हैं तो उनमें परिवर्तन लाने के लिये प्रेम और सत्य का ही माग है। गांधी का विश्वास था कि "अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिये अच्छे साधन भी होने चाहिये," जिसका अर्थ था कि यदि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करनी थी तो एक अच्छा काय है तो इसे प्राप्ति के साधन के रूप में अच्छे पथ को ही अपनाना चाहिये। गांधी ने ऐसे जिन सत्पथों की चर्चा की वे थे—सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा और असहयोग। इस प्रोग्राम का आधार था अहिंसा, आत्म बलिदान और सत्य, और यदि किसी आंदोलन में ये चीजें न होती तो उस आंदोलन का व तुरंत समाप्त कर दते थे चाहे इस आंदोलन ने उन्हें गतव्य के कितने ही निकट क्या न पहुँचा दिया हो। आत्मबलिदान व व्रत के माध्यम से किया गया आंदोलन ही सत्याग्रह है जिसका अर्थ है कि सत्य के आधार पर चलन वाला आंदोलन जिसका उद्देश्य विरोधी को सत्य के रास्ते पर लाना है। अवज्ञा के लिये भी साहसपूर्ण आत्मबलिदान की आवश्यकता होती है क्योंकि जा नियम तोड़ता है उसे शांतिपूर्वक उसका फल भोगने के लिये भी तैयार रहना चाहिये। "असहयोग का विचार यह है कि अन्याय और निरकुशता को भोगन वाला व्यक्ति निरकुशता और निरकुश शासक से सहयोग का अपना हाथ खींचे। यदि वह गलत काय का बर्दाश्त करता है और उससे असहयोग नहीं करता तो वह भी गलत काय होने देने में भागी है।" स्पष्टतया जिन विधियों को उन्होंने अपनाने को कहा वे कमजोरा और कायरों की विधियाँ नहीं थीं। बल्कि इसमें अत्यधिक साहस और

जानी वृक्षों आत्म उल्लिखन की भावना का समावेश होता था। लोगों को यह जानत हुए भी सत्याग्रह जारी रखना पड़ता था कि जा लाग ऐसा कर चुके हैं उन्हें तमाम अमानवीय और खबर अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा है।

गांधी का विश्वास था कि ब्रिटिशों का बनाय हुए कानून का उल्लंघन कर, और सरकार से असहयोग कर, जिसका अंतगत ब्रिटिश माला का परिवर्तन, उनके द्वारा चलाय जा रहे विद्यालयों का त्याग तथा उन सारी सुविधाओं का त्याग जो उन्होंने मुलभ कर रखे थे आदि बातें सम्मिलित थी, पूरी सरकारी मशीनरी का एक दिन में टप किया जा सकता था और ब्रिटिशों को इस तरह सुरन्त देश छोड़ने को बाध्य किया जा सकता था। गांधी का इसी दशन से स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ जिसका अर्थ था भारतीय वस्तुओं का ही प्रयोग किया जाय। उनके अनुयायियों के लिये खान्सी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। खादी टोपी गांधी टोपी के नाम से प्रसिद्ध हो गई, जो लोग अपने सरों पर लगाते थे। चूंकि यह खादी कुटीर उद्योगों में तयार होती थी इसी-लिये चरखे का पहिया इस आंदोलन का चिह्न बन गया।

गांधी युग में राष्ट्रवाद पहले से एक दृष्टि से अलग हो गया। इसमें उदारवादियों के उस प्रशंसा की यह भावना निहित नहीं थी जो पश्चिम के प्रति उनके मन में थी और न ही इसमें राष्ट्रवादियों की साम्प्रदायिकता के प्रति इनमें प्रशंसाभाव ही था। 'महात्मा गांधी का राष्ट्रवाद केवल सन्तुचित अर्थ में राष्ट्रीय आजादी का सिद्धांत नहीं था। उनकी दृष्टि में यह एक जीवनधारा थी जिसमें प्राचीन देशों को ऐसे पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत करना था जो हिंसा व रंधिरपात से ग्रस्त था तथा जहां निरकुश व शत्रुभाव वालों का बोलबाला था।'

'महात्मा गांधी का मानव स्वभाव की अच्छाईयां में अत्यधिक विश्वास था।' गांधी के अनुसार लोगों का एक दूसरे से मतभेद अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण, झुकाव और सीमाओं के कारण था। इसी कारण वे स्वतंत्र भारत में व्यक्ति को स्वतंत्रता देने के अधिन पक्ष में थे और अधिकार के केन्द्रीय-कारण के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि वह सरकार उतनी ही उत्तम है जो सबसे कम प्रशासन का काय अपने हाथों करती है। वर्तमान राज्य को वे संगठित और एकीकृत हिंसा का स्वरूप मानते थे। उनके अनुसार यह एक आत्मरहित मशीन थी, 'जो हिंसा से अलग नहीं की जा सकती थी क्योंकि उसका जीवन ही उसी पर जाश्रित था। गांधी ने मशीनीकरण के आवरण को

व्यक्तित्व के हनन का कारण बताते हुये उसकी भत्सना की। उनके अनुसार वैसे तो मशीनीकरण को समाप्त करना संभव नहीं है, पर कुटीर उद्योग घघो को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। उनके अनुसार भारत की मुक्ति कुटीर उद्योग घघो और भूमि से ही संभव है।

गांधी की दृष्टि में व्यक्ति महान है, इसी कारण वे विज्ञान के शानदार उत्थान से प्रभावित नहीं होते थे। इसीलिये जहां तक संभव हो वे चीजां के स्वाभाविक प्रयोग में विश्वास करते थे और विज्ञानप्रदत्त सहायता व विलासिता को नहीं स्वीकारते थे। "उनके अनुसार भारत की समस्या का समाधान इसमें है कि पिछले 50 वर्षों में जो इसका सीखा है वह इसे भूल जाय। रेलवे, तार, अस्पताल, वकील, डाक्टर और ऐसी तमाम चीजें परित्याग कर दी जाय और तथाकथित उच्च वर्ग ईमानदारी धार्मिकता और साधारण किसानों की तरह रहना सीखे और इसे ही अपना आनंद का साधन समझे।"<sup>1</sup>

गांधी हिंदू मुस्लिम एकता की अच्छाईयों में विश्वास ही नहीं करते थे बल्कि दृढ़ मत थे कि इसे स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने पानइस्लामवाद उद्देश्य वाले मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन का समर्थन ही नहीं किया और टर्की के लिये प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक उचित संधि की बात ही नहीं की, बल्कि इसका नेतृत्व भी किया।

सामाजिक क्षेत्र में गांधी न जाति प्रथा बाल विवाह और नारियों की खराब स्थिति की आलोचना की। पर यह कहना गलत होगा कि वे हिंदू सामाजिक व्यवस्था में त्रातिकारी परिवर्तन करने के इच्छुक थे क्योंकि उनका विश्वास था कि समाज में पुरातनता का अपना मूल्य था जो कि ही कारणों से गलत रास्ते पर चला गया था। जाति के विषय में उन्होंने कहा, 'मेरी दृष्टि में हम जो कुछ आज हो गये हैं वह जाति के कारण नहीं है। हमारी लालच और अच्छाई के प्रति आख मूढ़ लेने की प्रवृत्ति ने हम दास बना दिया है। मेरा विश्वास है कि जाति न हिंदुओं को अनेक होने से बचाया। पर अयसस्थाओं की तरह इसमें भी बुराईयां आ गईं। मेरी समझ से समाज का चार भागों में विभाजन मूलभूत, स्वाभाविक और आवश्यक है। कभी कभी तो असह्य उपजातियां भी सुविधाजनक हो जाती हैं, पर कभी-कभी कठिनाई भी पैदा कर देती हैं। जितनी जल्दी ये मिल जाय उतना ही बेहतर होगा।'

गांधी हरिजनो के उद्धार के समर्थक थे। वे शिक्षा को और उपयोगितावादी बनाना चाहते थे। अपनी शिक्षा की वर्धा याजना में उन्होंने बताया कि बच्चे को प्रारंभ से ही स्थानीय त्रापट जादि की शिक्षा दी जानी चाहिये। और



उन्होंने शराबबंदी का भी पक्ष लिया चाहे इसका लिये रास्ता का कितना भी बलिदान क्या न करना पड़े।

एक समय था जब गांधी के दशन की कल्पना लागू का तीव्रता में प्राण्य थी। पर गांधी आलोचना के अनुसार उनका दशन न भारत की आजादी को कम से कम 20 साल के लिये टाल दिया और कम से कम कुछ काल के लिये 'इसने आधुनिक भारत में जांच पड़ताल और आलाचना की शक्ति पर भी रोक लगा दी।'<sup>1</sup>

गांधी के अधिकतर राजनितिक प्रोग्राम सत्य में कोसा दूर थे। उनका अहिंसात्मक सत्याग्रह का दशन तभी सफल हो सकता था जब इस झलन वाले लोग पूर्ण मानवीय गुणा वाले हो। पर चूँकि ऐसा नहीं था इस कारण उन्होंने इस सदी के दूसरे और तीसरे दशक में जब इसका जार शार में प्रयोग किया तो यह पूर्णतया असफल रहा। लोग अपने हृदय में हिंसा की अग्नि लिये अहिंसात्मक आंदोलन नहीं कर सकते थे। अमृतसर में भीड़ का अनुत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार जिसमें जलियावाला बाग कांड की सृष्टि की, इसका एक अच्छा उदाहरण है। गांधी के ऐसे दशन की भी प्रशंसा कैंस की जाती जो कानून को ताड़ देते थे और देश में अव्यवस्था ला देते थे। इसमें जपड़ और अपराधियों में गर जिम्मेदारी और कानून के प्रति घृणा की भावना को ही प्रोत्साहन मिलता था। श्रीमती एनी बेसेंट ने उह, 'एक अस्पष्ट स्वप्न देखने वाले रहस्यवादी और साधारण जन के स्वभाव से कोसा दूर रहने वाले व्यक्ति की सना दी।'<sup>2</sup> श्रीमती बेसेंट के अनुसार भारत की राजनितिक आजादी का सबसे उत्तम रास्ता अहिंसात्मक क्रियाहीनता में लग रहने से, जिससे हिंसा भड़काने की पूरी संभावना थी <sup>3</sup> बेहतर तरीके से सुधार की ओर जागे बढ़ना था।

सर सी० वार्ड० चिन्तामणि ने लिखा है कि 'यदि महात्मा गांधी वतमान सुधार (1919) की पूर्व संध्या पर असहयोग का रामबाण लेकर हाजिर न हो गये होते तो पिछले 15 वर्षों की राजनीति कुछ भिन्न ही होती। भारतीय राष्ट्रवादी संगठित बन रहे गये होते और कार्यालया, विधायिकाओं और सावजनिक जीवन में ऐसा कुछ करते कि उसका दबाव ब्रिटिश सरकार अनुभव करती जिसके परिणामस्वरूप मेरे मतानुसार उससे सब बातें भिन्न होती जो सावजनिक जीवन में भेदभाव के कारण देयन में जा रहा है और जिसके लिये

1 कल्याणकर के पी माडन इंडियन पोलिटिकल टिडशन प 26।

2 बेसेंट एनी द इंडिया दट शीव की प 194।

3 वही प 221।

गांधी की नीतिया ही उत्तरदायी थी।<sup>1</sup>

गांधी हिंदू-मुस्लिम एकता में विश्वास करते थे और यह एक अच्छी बात थी। पर आश्चर्य ही होता है कि इतने बड़े मस्तिष्क में यह बात कैसे आई कि उसने एकता के नाम पर सम्प्रदायवाद का समर्थन करने की भूलभरी नीति अपनाई। यह सभी लोग जानते थे कि खिलाफत आंदोलन पूर्णतया एक सम्प्रदायवादी आंदोलन है जिसका आधार भारतीय राष्ट्रवाद न होकर पान इस्लामवाद और उसमें भी कुछ ऊपर है।

अपने जीवनकाल में गांधी का बड़ा प्रभाव था। पर के० एम० पाणिक्कर का कहना है कि, "प्रश्न इसका नहीं है कि गांधी का उनके जीवनकाल में कितना प्रभाव था बल्कि स्वाधीन भारत में अब उसकी क्या स्थिति है।"<sup>2</sup> और यदि हम इस दृष्टि से विचार करें तो लगता कि गांधी का अधिक सफलता नहीं मिली। खादी जो गांधी के दशन का एक प्रमुख जादू था इस दश में ही पूर्णता से प्रयोग में नहीं है। महात्मा गांधी की नीति के स्थान पर भारत ने हथियार एकत्रित करना और बनाना प्रारंभ कर दिया है। राजनैतिक उद्देश्यों के लिये सत्याग्रह का जस्त्र अब बकार सिद्ध हो चुका है क्योंकि मास्टर तारासिंह को राजनैतिक भूख हड़ताल के बदले कुछ नहीं मिला। भारत में कहीं भी उनकी उपमागितावादी शिक्षा को उन्नति करते हुये नहीं देखा जा सकता।

यहाँ तक कि उनके जीवनकाल में ही महात्मा का दशन कई क्षेत्रों में असफल होने लगा। उनके अहिंसात्मक आंदोलन के फलस्वरूप हर जगह अमानवीय हिंसा भड़क उठी। और उनके हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयास को देश के विभाजन से असह्य चोट लगी। मौलाना आजाद का विश्वास था कि गांधी के तरीके ने मुस्लिम साम्प्रदायिकता को हतोत्साहित करने के स्थान पर प्रोत्साहित ही किया। यह गांधी ही थे जिन्होंने मुस्लिम राजनीति के द्वार पर एकाणक जिन्ना का लाकर खड़ा ही नहीं कर दिया बल्कि उन्हें कायदे आजम की उपाधि प्रदान कर दी।<sup>3</sup>

पर जब यह सब कहा जाता है तो डा० रघुवशी के ये कटु वाक्य हमारे समझ में नहीं आते कि, "उनकी वांछे इस इच्छा से लगी हैं जिसमें जगली ब बर साद जीवन की वृ आती है क्या एक व्यवस्था चाह वह पूजीवादी हा

1 चिन्तामणि सर सी काई इंडियन पार्लियामेंट सिंस इन्स्टीट्यूट 1871

2 पाणिक्कर के एम ए सर्वे आफ इंडियन हिस्ट्री।

3 आजाद, पूर्वोद्धत, प 112-15।

या साम्राज्यवादी, का परिवर्तन अहिंसा द्वारा संभव है ?<sup>1</sup> यह भी कहना 'यायसगत नहीं होगा कि उनका संपूर्ण दशन स्वतंत्र भारत ने अस्वीकार कर दिया है। अब भी सरकार छुआछूत की समाप्ति, पंचायता का विकास आदि क्षेत्रों में जो गांधी को बहुत प्रिय थे, व्यावहारिक रूप में कार्य कर रही है। अपना जीवनकाल में भी वे गांधी ही थे जिन्होंने देश की स्वाधीनता आंदोलन को मध्यवर्गीय दायरे से निकालकर इसे जन आंदोलन का रूप प्रदान किया। भारत में जो जन जागरण उन्होंने उत्पन्न किया वह अकथनीय था। उनके सादगी के दशन में भी कोई बुराई नहीं थी, क्योंकि आज भी शांतिपूर्ण जीवन के लिये इसकी महत्ता है। हम उनके अहिंसावादी नीति की भी बिना आधार के आलोचना नहीं कर सकते। यदि यह नीति असफल हो गई तो इसमें नीति का कोई दोष नहीं था बल्कि उस अपठ जनता का दोष था जो इसके तत्व को नहीं समझ सकी। गांधी की इस संवध में इतनी ही आलोचना की जा सकती है कि उन्होंने बीमारी के लिये एक ऐसी औषधि की सत्तुति की, जो ठीक तो थी पर तत्कालीन परिस्थितियों में जिसका प्रयोग सरल नहीं था। और यह दुःखपूर्ण ही है कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसने हिंसा से इतनी घृणा की, उसे अपनी कार्यवाहियों द्वारा उत्पन्न उसी हिंसा में रहना पड़ा और अंततः उसी हिंसा ने उसकी जान ले ली।

नेहरू जी ने लिखा है, 'अधिकतर उन्होंने इस देश को पिछले 30 या इससे अधिक वर्षों में बलिदान की ऐसी बुलदियों पर पहुंचा दिया कि उस क्षेत्र में कोई और देश तुलना में नहीं जा सकते। उन्हें उस कार्य में सफलता मिली। पर अंततः ऐसी घटनाएँ घटीं जिन्होंने निःसंदेह उन्हें अत्यधिक तक्लीफ दी। पर फिर भी वे अपने मासूम चेहरे पर मुस्कराहट कायम किये रहे और किसी के प्रति भी कटु शब्द का प्रयोग नहीं किया। पर उन्हें शायद इस बात का कष्ट हुआ हो कि इस पीढ़ी ने जिसे उन्होंने प्रशिक्षित किया वह असफल हो गई। ऐसा इसलिये हुआ कि हम उस रास्ते से भटक गये जो उन्होंने हमें दिखाया था'।

1 रघुवर्गी पूर्वोद्धृत प 311।

2 इंडियेड स एण्ड जापटर ए क्लबमन आफ ज एन नहृज स्पीचेज, प 21।  
और विस्तार के लिए दृष्टे तदुसकर महात्मा 8 भाग में प्यारेलाल  
महात्मा गांधी, 2 भागों में।

## डॉ० राजेन्द्र प्रसाद

डॉ० राजेन्द्र प्रसाद का जन्म 1884 में हुआ। वे पढ़ने में इतने अच्छे थे कि उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के सारे रिकार्ड तोड़ दिये। उन्हें इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त हेतु राज्य छात्रवृत्ति प्रदान की गई। पर उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया बल्कि उससे स्थान पर वे कालत करने लगे और शीघ्र ही इस पेशे में प्रतिद्धि भी प्राप्त की और धन भी। वे ऐसे लोग में से थे जिन्होंने अपना सब कुछ होम कर दिया। जब गांधी का आह्वान उहाने सुना तो वे अपनी कालत छोड़कर भारत के स्वाधीनता संग्राम में सम्मिलित हो गये। वे गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में सम्मिलित ही नहीं हुए बल्कि प्राणपण से इसमें निहित दशन को अंगीकार किया। उन्होंने बिहार में भूचाल से तबाही के अवसर पर सामाजिक सेवा का अभूतपूर्व काय किया। वे बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये और जब 1946 में सविधान सभा की बैठक हुई तो उन्हें इस सभा के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुन लिया गया जिससे कि वे भारत के सविधान रचना में सहायता कर सकें। नेहरू मंत्रिमंडल में कुछ काल के लिये उन्होंने खाद्य और कृषि मंत्री की हैसियत से भी काय किया और जनवरी 1950 में जब वर्तमान सविधान भारत पर लागू किया गया तो वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनाये गये। वे हिन्दी के एक महान लेखक थे और उन्होंने तत्संबंधी कई प्रतिष्ठा भी प्राप्त की। राष्ट्रपति की हैसियत से उन्होंने अपने कार्यालय पर सादगी की छाप डाली। उन्होंने अपने आप अपने वेतन और भत्ते में कटौती कराई। 1960 तक दो बार वे देश के राष्ट्रपति के पद पर आरूढ रहे। 1962 में उनका देहावसान हो गया।



कर्णसिंह, डॉ० प्राफेट आफ इंडियन नेशनलिज्म स्टडी आफ अरबिन्दो घोष, लंदन 1963 ।

करणाकरण, के० पी० रितीजन एण्ड पालिटिकल अवेकनिंग इन इंडिया, कलकत्ता, 1965 ।

माडन इंडियन पालिटिकल ट्रेडीशन ।

कौशिक, पी० डी० द कांग्रेस आइंडियालाजी एण्ड प्रोग्राम, बम्बई 1964 ।

कीर, धनजय वीर सावरकर, बम्बई, 1966 ।

कीय, ए० बी० ए कास्टीच्युशनल हिस्ट्री आफ इंडिया इलाहाबाद 1961 ।

स्पीचेज एण्ड डाकुमेण्ट्स आन इंडियन पालिसी, भाग 1 2 ।

केरल पुत्र वर्किंग आफ डयारकी इन इंडिया, 1919 29 ।

कोचानेक, स्टेनले ए० द कांग्रेस पार्टी आफ इंडिया, 1968 ।

कृष्णा, के० बी० द प्रान्तम आफ माइनारिटीज ।

कुलकर्णी, बी० बी० ब्रिटिश डामिनियन इन इंडिया एण्ड आफ्टर, बम्बई, 1964 ।

ब्रिटिश स्टेटसमैन इन इंडिया बम्बई, 1961 ।

कुमार, कृष्ण डिमोक्रेसी एण्ड नान वायलेंस नई दिल्ली ।

कुजूर पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया ।

कासवेल, डब्लू० ए० इंडिया इ डेप डेट लंदन, 1968 ।

कोटमन, जे० इंडियन रिडिल 1932 ।

कोटमन द रोड टु सेल्फ गवर्नमेण्ट ।

कोमिंग, सर जान पालिटिकल इंडिया दिल्ली 1968 ।

कोनेल, जान वावेल स्कालर एण्ड साल्जर, इंडिया, 1964 ।

काटन, सर हेनरी इंडिया ओल्ड एण्ड निव ।

इंडिया एण्ड होम मेमायम ।

निव इंडिया इंडिया इन ट्रांजिसन ।

कूपलंड, आर० इंडिया ए रिस्टेटमेण्ट ।

द इंडियन प्रान्तम, 1833 1935, 1945 ।

कावेल, हवट हिस्ट्री एण्ड कास्टीच्युशन आफ द कोट म एण्ड लेजिस्लेटिव जथाटीज इन इंडिया, 1936 ।

क्रेडक, रेजीयाल्ड डेलिमा इन इंडिया ।

कटिस, एल० डयारकी ।

कजन, जार्ज नथानियल ब्रिटिश गवर्नमेण्ट इन इंडिया, भाग 1 व 2 ।

रसा इन सेण्ट्रल एशिया ।

हिज स्पीचेज ।

कस्ट, रॉबर्ट लिम्बिस्टिक एण्ड ओरियंटल यसेज ।

खान, आगा, एच० एच० इंडिया इन ट्राजीशन, 1918 ।

खेडा, एस० एस० इण्डियन डिफेस प्राब्लम, बम्बई, 1968 ।

खुशवत सिंह हिस्ट्री आफ द सिण्ड भाग 2 ।

गांधी, एम० के० सोशलजिज्म आफ माई कांसेप्सन, बम्बई, 1966 ।

मन एण्ड मशीन बम्बई, 1966 ।

द विलेज रिक्स्ट्रक्शन बम्बई, 1966 ।

मेसेज आफ जीसस फ्राइस्ट, बम्बई 1966 ।

आल मेन आर ब्रदर, अहमदाबाद, 1960 ।

द साइस आफ सत्याग्रह, बम्बई 1962 ।

गास्वेल आफ स्वदेशी, बम्बई 1967 ।

सेल्फ रिस्ट्रेण्ट वर्सेज इडलजेस, अहमदाबाद, 1956 ।

टू एजूकेशन अहमदाबाद, 1962 ।

द क्लेक्टेड वक्स आफ महात्मा गांधी, अहमदाबाद, 1968,

भि न भिन्न जिल्दे ।

इंडिया आफ माई ड्रीम्स, अहमदाबाद, 1962 ।

बापूज लेटस टू मीरा अहमदाबाद, 1959 ।

माई गाड, अहमदाबाद 1962 ।

टु द स्टडेण्टस, अहमदाबाद, 1965 ।

माई एक्सपेरीमेण्टस विद टुथ ।

फ्रीडम्स बटिल, 1921 ।

इंडियाज स्ट्रगल फार स्वराज ।

गायकवाड, बी० आर० द ऐंग्लो इंडियंस, लंदन, 1967 ।

गरट, जी० टी० लीगेसी आफ इंडिया ।

गिब, एच० ए० आर० मोहम्मदिज्म ऐन हिस्टोरिकल सर्वे, लंदन,  
1949 ।

ग्लेडहिल, अलेन द रिपब्लिक आफ इण्डिया ।

गोपाल, एस० द वायसरायल्टी आफ लाड एर्विन, लंदन, 1967 ।

ब्रिटिश पालिसी इन इंडिया कैम्ब्रिज, 1965 ।

गोड, हरि सिंह गवर्नमेण्ट आफ इंडिया ऐक्ट, 1935 ।

ग्रेहम, पोल, मेजर डी० एण्ड गिवराम, बी० द प्राब्लम आफ इंडिया ।

- ग्रिफिट्स, परसीवल् द ब्रिटिश इम्पैक्ट आन इंडिया लन्दन, 1952 ।  
 गुप्ता, सुभाष चन्द्र अमेरियन रिलेशन्स एण्ड अर्ली ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कलकत्ता, 1963 ।  
 खेर, मारिस एण्ड अम्पादोराई, ए० स्पीचेज एण्ड डाकुमेण्टस आन द इंडियन कांस्टीच्युशन, 2 भाग ।  
 घोष, शंकर द वेस्टन इम्पैक्ट आन इंडियन पालिटिक्स, बम्बई, 1967 ।  
 घोष, दिलीप कुमार इंग्लैंड एण्ड अफगानिस्तान, कलकत्ता, 1960 ।  
 घोष, शंकर द रिनेशा टू मिलीटेड नेशनलिज्म इन इंडिया, बम्बई, 1969 ।  
 घोष, के० के० द इंडियन नेशनल आर्मी, मेरठ, 1969 ।  
 घोष, पी० सी० द डेवलपमेण्ट आफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कलकत्ता, 1960 ।  
 घोष प्रेस एण्ड प्रेस लाज इन इंडिया ।  
 घोपाल यु० एन० ए हिस्ट्री आफ इंडियन पब्लिक लाइफ, लन्दन, 1966 ।  
 चलपतिराव द प्रेस इन इंडिया, लन्दन, 1968 ।  
 चमन लाल द वैनिशिंग इम्पायर, नई दिल्ली, 1969 ।  
 चन्द्र, जगप्रवेश देल्ही, ए पालिटिकल स्टडी दिल्ली, 1969 ।  
 चॅटर्जी, अमिय द कांस्टीच्युशनल डेवलपमेण्ट आफ इंडिया, 1937-1947, कलकत्ता, 1958 ।  
 चॅटर्जी, अतुलचन्द्र द निव इंडिया, लन्दन, 1948 ।  
 चॅटर्जी, ए० सी० इंडिया स्ट्रगल फार फ्रीडम, 1947 ।  
 चॅटर्जी, बी० सी० द हार्ट आफ आर्यावत ।  
 चक्रवर्ती, असलानद हि दूज एण्ड मुस्लिम्स आफ इंडिया ।  
 चले, जे० ऐडमिनिस्ट्रेटिव प्रान्स्लम्स आफ ब्रिटिश इंडिया ।  
 चौधरी, रामनारायण नेहरू—इन हिज ओन वड्स, अहमदाबाद, 1959 ।  
 चिंतामणि, सी० वाई० इंडियन पालिटिक्स सिंस म्युटिनी ।  
 चेस्ने, जी० एम० इंडिया अंडर एक्सपेरीमेण्ट, 1918 ।  
 चेस्ने, सर जाज द इंडियन पालिटी ।  
 चिरोल, बाले टाइन इंडियन अनरेस्ट ।  
 इंडिया, ओल्ड एण्ड निव, लन्दन, 1921 ।  
 चौधरी, बी० एस० पी० इम्पीरियल पालिसी आफ ब्रिटिश इन इंडिया, कलकत्ता, 1968 ।



- चौधरी राधाकृष्ण, हिस्ट्री आफ बिहार, पटना, 1958 ।
- जगदीसन, जे० एन० लेटस आफ श्रीनिवास शास्त्री, बम्बई, 1963 ।
- जमनीदास, दीवान महाराजा, बम्बई, 1969 ।
- जयकर, एम० आर० द स्टडी आफ माई लाइफ ।
- जासन, एलेन कम्पबेल मिशन विद माउटवेटन, बम्बई, 1951 ।
- जकारिया, एच० रिनेसेट इंडिया, 1933 ।
- जेटलण्ड, लाड स्टेप्स टुवाड्स इंडियन होम रूल ।
- झा, जगदीश चन्द्र भूमिज रिवोल्ट, दिल्ली, 1967 ।
- टगोर, सर रवीद्रनाथ नेशनलिज्म, 1921 ।
- टेरेन, जॉन द लाइफ एण्ड टाइम्स आफ लाड माउटवेटन, लंदन, 1968 ।
- टामस, एफ० डब्लू० ब्रिटिश एजुकेशन इन इंडिया ।
- टामसन ई० द अदर साइड आफ द मेडल, 1925 ।
- टामसन, ई० सी० एम० इंडिया आफ टुडे, 1913 ।
- टिक्कर, ह्यू रीओरियंटेशन, 1965 ।
- द फाउंडेशन आफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेण्ट इन इंडिया, पाकिस्तान एण्ड बर्मा, बम्बई, 1967 ।
- टाइटस इंडियन इस्लाम, 1930 ।
- टोपा, आई० एन० द ग्रोथ एण्ड डेवलपमेण्ट आफ नेशनलिस्ट थॉट आफ इंडिया, 1930 ।
- टायनबी, आनल्ड वन वल्ड एण्ड इंडिया ।
- ठाकोर, बी० के० इण्डियन ऐडमिनिस्ट्रेशन टु द डॉन आफ सिपान्तिबल गवर्नमेण्ट ।
- डेवीस द प्रॉब्लेम आफ नाथ वेस्ट फ्रण्टियस 1932 ।
- डाडलेस, एच० एच० (संस्करण) द कम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, भाग 5 व 6, दिल्ली, 1964 ।
- डीक, जोसेफ जे० एम० के० गांधी, 1959 ।
- डीजरकेरी, एस० आर० मेमायस आफ द युनीवर्सिटीज बम्बई, 1966 ।
- डेबर, यू० एन० गांधीजी—ए प्रक्टिकल आइडियलिस्ट, बम्बई, 1964 ।
- ताराचंद हिस्ट्री आफ फ्रीडम मूवमेण्ट इन इंडिया भाग 1 व 2 ।
- तेन्दुलकर, डी० जी० अब्दुल गफ्फार खाँ बम्बई 1967 ।
- महात्मा 4, भाग बम्बई, 1960 ।
- दास, सी० आर० इंडिया फार इंडियंस 1918 ।

दास, एम० एन० द इकोनामिक एण्ड मोशल डेवलपमेंट आफ माडन इडिया, कलकत्ता, 1959 ।

इडिया अडर माले एण्ड मिण्टो, लदन, 1969 ।

द पालिटिकल फिलासफी आफ जवाहरलाल नेहरू, लदन, 1959 ।

दत्ता, बी० एन० जलियावाला बाग, लुधियाना, 1969 ।

देसाई, ए० आर० सोशल बैकग्राउण्ड आफ इडियन नेशनलिज्म, 1948 ।

दिवी प्रास्परस ब्रिटिश इडिया ।

दिवाकर, आर० आर० महायोगी श्री अरबिंदो, बम्बई, 1967 ।

दुर्गादास इडिया फ्राम कजन टु नेहरू एण्ड आफ्टर, 1969 ।

दुरानी, एफ० के० खान द मीनिंग आफ पाकिस्तान ।

दत्त, आर० पाम० इडिया टुडे, दिल्ली, 1955 ।

द्वारकादास कणजी इडियाज फाइट फार फ्रीडम, बम्बई, 1966 ।

धम कुमार लड एण्ड कास्ट इन साउथ इडिया, लदन 1966 ।

नारायण, जयप्रकाश माई लाइफ एण्ड स्ट्रगल, दिल्ली, 1969 ।

नटराजन, एस० ऐ सेचुरी आफ सोशल रिफार्म्स इन इडिया, 1959 ।

ए हिस्ट्री आफ द प्रेस इन इडिया, लदन, 1962 ।

नेहरू, जवाहरलाल डिस्कवरी आफ इडिया ।

एन आटोबाईग्राफी, बम्बई, 1962 ।

इडिया एण्ड द वर्ल्ड ।

इंडेपेंडेस एण्ड आफ्टर, ए कलेक्शन आफ स्पीचेज ।

पुटन, ए० पी० ए हर्ड्रेड इयर्स आफ द ब्रिटिश इम्पायर, लदन, 1967 ।

नामन, मुहम्मद द मुस्लिम इडिया ।

नोबिसन द निव स्पिरिट इन इडिया ।

पताडे, एम० आर० एन इंट्रोडक्शन टु इडियन एडमिनिस्ट्रेशन ।

पाडे, बी० एन० द इंट्रोडक्शन आफ इंगलिश लॉ इन टू इडिया, बम्बई, 1967 ।

राइज आफ द माडन इडिया 1967 ।

पाणिक्कर, के० एम० फाउंडेशन आफ निव इडिया ।

आइडियाज आफ सावरेन्टी एण्ड स्टेट इन इडियन पालिटिक्स थाट, बम्बई, 1963 ।

द नेटिव स्टेट्स आफ इडिया ।

रिलेशंस आफ इंडियन स्टेट्स ।

पाणिक्कर, के० एम० स्टडीज इन इंडियन हिस्ट्री, 1963 ।

इंट्रोडक्शन टु स्टडी आफ रिलेशंस आफ इंडियन स्टेट्स  
टु गवर्नमेण्ट आफ इंडिया ।

इवेलयुशन आफ ब्रिटिश पालसी टुवडस स्टेट्स, 1774  
1858

पजाबी, के० एल० द इनडामीटेबुल सरदार, बम्बई, 1962 ।

सिविल सर्वेण्टस इन इंडिया, बम्बई, 1965 ।

पावतें, टी० बी० मेक्स आफ माडन इंडिया दिल्ली, 1964 ।

पटेल, एम० एस० द एजूकेशनल फिलासफी आफ महात्मा गांधी,  
अहमदाबाद, 1958 ।

पवार, ए० जी० स्टडीज इन इंडियन हिस्ट्री, कोल्हापुर, 1968 ।

पर्सोवल स्पियर इंडिया एमाडन हिस्ट्री ।

पर्सोवल प्रिफिथ्स माडन इंडिया ।

द ब्रिटिश इम्पैक्ट आन इंडिया ।

पोल्स, डी० ब्राह्म डण्डिया इन ट्रांजिशन, लंदन 1932 ।

पाथर, पाल एफ० गांधी आन वल्ड अफेयर्स ।

पावेल प्राइस, जे० सी ए हिस्ट्री आफ इंडिया ।

प्रधान, आर० एस० इण्डियाज स्ट्रगल फार स्वराज ।

प्रसाद, अम्बा द इंडियन रिवोल्ट आफ 1942, दिल्ली, 1958 ।

प्रसाद, विश्वेश्वर ओरीजिनस आफ प्राविसियल जाटोनामी ।

प्रसाद, बेनी हिंदू मुस्लिम क्वेश्चन, इलाहाबाद 1947 ।

प्रसाद, विश्वनाथ द इंडियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दिल्ली, 1968 ।

पुन्निया, के० बी० द कास्टीच्युशनल हिस्ट्री आफ इंडिया, दिल्ली,  
1964 ।

पुरनी, ए० बी० श्री अरविंदो सम ऐस्पेक्टस आफ हिज विजन,  
बम्बई, 1966 ।

प्यारे साल महात्मा गांधी द लास्ट फेज, दो भाग, अहमदाबाद,  
1956 ।

पीलो, एम० बी० कास्टीच्युशनल गवर्नमेण्टस इन इंडिया, बम्बई  
1965 ।

फडनीस, उर्मिला टुवड्स इंटिग्रेशन आफ इंडियन स्टेट्स बम्बई,  
1968 ।

फिलिप्स, सी० एच० सेलेक्ट डाकूमेण्टस आन द हिस्ट्री आफ इंडिया  
एण्ड पाकिस्तान ।

द इवोल्युशन आफ इंडिया ऐण्ड पाकिस्तान—सेलेक्ट  
डाकूमेण्टस, 1962 ।

फर्कूहर, जे० एन० माडन रिलीजस मूवमेण्टस इन इंडिया, दिल्ली,  
1967 ।

फिशर, लुई द लाइफ आफ महात्मा गांधी ।

फिशर हिस्ट्री आफ यूरोप ।

बैस, जे० एस० इण्डियाज इण्टरनेशनल डिस्प्युट्स, बम्बई, 1962 ।

बनर्जी, ए० सी० इंडियन वाम्स्टीच्युशनल डाकूमेण्टस, तीन भागा मे,  
(1946) ।

बनर्जी, ए० सी० एच बास, डी० आर० द क्विनेट मिशन इन इंडिया ।  
बनर्जी, एस० एन० स्पीचेज ऐण्ड राईटिंग्स ।

ए नशन इन मॉविंग ।

बाकर, ए० जे० द माच आन देहरी, लंदन 1963 ।

द नेगलेक्टड वार मेसोपोटामिया 1914 18, लंदन, 1969 ।

बाकर, ए० टी० (संस्करण) द महात्मा लेटर्स ।

बाटन, सर विलियम द प्रिंसेज आफ इंडिया ।

बसु, धी० डी० मेजर राज आफ क्रिश्चियन पावर इन इंडिया ।

बसु, दुर्गादास वाम्स्टीच्युशनल डाकूमेण्ट्स, बलकत्ता, 1969 ।

बत्रा, एच० सी० द रिलेशंस आफ जयपुर स्टेट विद ईस्ट इंडिया कंपनी,  
दिल्ली, 1958 ।

बेल, सर चार्ल्स तिब्बत पास्ट ऐण्ड प्रेजेण्ट, लंदन, 1968 ।

द पीपुल आफ तिब्बत, लंदन, 1968 ।

बेलो, एच० डब्लू नाथ वस्त फ्रंटियर ऐण्ड अफगानिस्तान ।

बेसेट, एनी विल्डस आफ निव इंडिया, स्पीचेज ऐण्ड राईटिंग्स ।

इंडिया ए नशन, 1930 ।

इंडिया ऐण्ड द इम्पायर, 1914 ।

द फ्युचर आफ इंडियन पालिटिक्स ।

हाउ इंडिया फाट फार फ्रीडम ।

इंडिया टट शल बी ।

इंडिया वाउण्ड जार फ्री, 1926 ।

बडवुड, लेफ्टिनेण्ट कनल सी० धी० ए कान्टीच्युशनल एक्सपरीमेण्ट ।

बिष्णु दयाल, एस ए कसाइज हिस्ट्री आफ मारीशस, बम्बई, 1965 ।

याम्बवाल के० आर० द फाउन्डेशनस आफ इंडियन फेडरलिज्म, बम्बई, 1967 ।

बोस, एन० के कल्चर एण्ड सोसाइटी इन इंडिया, बम्बई, 1967 ।

बोस, नेमाई साधन द इण्डियन नेशनल मूवमेण्ट, कलकत्ता, 1965 ।

बोस, सुभाष चंद्र द इण्डियन स्ट्रगल, कलकत्ता, 1964 ।

ऐन इण्डियन पिताग्रिम, लदन, 1965 ।

बोस, सुरेश चंद्र डिसेम्बल रिपोर्ट कलकत्ता, 1961 ।

बोस, एस० एम० द वकिंग आफ वास्टीच्युशन इन इंडिया ।

ब्रेन्सफोर्ड, एच० एन० सबजेक्ट इण्डिया ।

श्रीचर, माइकेल नेहरू—ए पालिटिकल बाइग्राफी ।

ब्रोकवे, ए० एफ० ए थीक इन इंडिया ।

ब्रूस, जाज रिट्रीट फ्राम काबुल, लदन 1967 ।

बूचान लाड मिण्टो ।

बुद्ध प्रकाश इंडिया ऐण्ड द वर्ल्ड, होशियारपुर, 1964 ।

भगत, के० पी० डिक्लेड आफ इंडो ब्रिटिश रिलेश स, बम्बई 1959 ।

भाटिया, वी० एम० फेमीस इन इंडिया, बम्बई, 1967 ।

भाटिया, वी० पी० सिंह हिस्ट्री आफ इंडिया 2 भाग, नई दिल्ली, 1965 ।

भूट्टो, जुल्फिकार अली द मिथ आफ इन्डेपेंडेंस, लदन, 1969 ।

मकडानल्ड, जे० आर० गवर्नमेण्ट आफ इंडिया ।

मकडानल्ड, रमजे द अवेकनिंग आफ इंडिया ।

मकडानल इण्डियाज पास्ट 1927 ।

मकनिकस, एन० द मेकिंग आफ माडन इंडिया ।

मधोक, बलराज पोर्ट्रेट आफ ए मारदायर, बम्बई, 1969 ।

माहेश्वरी, एच० द फिलासफी आफ स्वामी रामतीर्थ, आगरा, 1969 ।

मजूमदार, ए० के० ऐडवेट आफ इन्डेपेंडेंस, बम्बई, 1963 ।

मजूमदार, बी० बी० इण्डियन पॉलिटिकल एसोसियेशंस ऐण्ड रिफॉर्म आफ लेजिस्लेचर, कलकत्ता, 1965 ।

मजूमदार, बी० पालिटिकल थाट फ्राम राम मोहनराय टू दयानंद ।

मजूमदार, बी० सी० ऐण्ड अदस एन एडवांस्ड हिस्ट्री आफ इंडिया 1963 ।

मजूमदार, आर० सी० हिस्ट्री आफ फ्रीडम मूवमेण्ट इन इंडिया, 3 भाग, कलकत्ता, 1963 ।

श्री फेजेज आफ इण्डियाज स्ट्रगल फार फ्रीडम, बम्बई, 1967 ।

- मामुन, ले० ज० सरजाज द इण्डियन स्टेटस एण्ड प्रिसेज, 1936 ।  
 मेरी, काउन्टेस आफ मिटी इंडिया मिण्टो एण्ड मालें 1905 19,  
 1934 ।  
 मसालदान, पी० ए० इवोल्युशन आफ प्राविंसियल आटोनामी इन  
 इंडिया ।  
 मसानी, एम० आर० द कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया, ए शाट हिस्ट्री,  
 बम्बई, 1967 ।  
 मसानी, आर० पी० त्रिटेन इन इंडिया ।  
 मेसन, फिलिप द मेन हु हल्ड इंडिया ।  
 माथुर, जे० एस० इण्डियन वकिंग क्लास मूवमेन्ट, इलाहाबाद, 1964 ।  
 माथुर एल० पी० हिस्ट्री आफ द अडमन एण्ड निक्वोबार आई लडस,  
 दिल्ली 1968 ।  
 माक्स आन इंडिया ।  
 मेनन, बी० एल० रस्किन एण्ड गांधी, वाराणसी, 1965 ।  
 मेनन, बी० पी० माटेग्यु चेम्सफोड रिफार्म्स, बम्बई, 1965 ।  
 द टासफर आफ पावर इन इंडिया ।  
 द स्टोरी आफ द कंटीग्रेशन आफ इण्डियन स्टेटस ।  
 मेरसे, विस्काइण्ट द वायासरायज एण्ड गवर्नर जनरलस आफ इंडिया  
 अहमदाबाद, 1949 ।  
 मोरा बेन द स्प्रिटस पिलग्रिमेज, लदन, 1960 ।  
 मिश्रा, के० पी० इण्डियाज पालिसी आफ रिकगनीशन आफ स्टेटस एण्ड  
 गवर्नमेण्ट, बम्बई, 1966 ।  
 मिश्र, गिशिर कुमार रिसर्जेण्ट इंडिया बम्बई, 1963 ।  
 मोदी, सर एच० फीरोजशाह मेहता ।  
 मोल्सवथ, जी० एन० अफगानिस्तान 1919, लदन, 1962 ।  
 माटेगु यडविन, एस० ऐन इण्डियन डायरी ।  
 मून, पेडरेल डिवाइड एण्ड विस्ट ।  
 मोरलड, डब्लू० एच० ए शाट हिस्ट्री आफ इंडिया ।  
 मालें, जे० रिक्लेम्शान्स, 2 भाग ।  
 स्पीचेज आन इंडिया ।  
 मोस्ले, लियोनाड द लास्ट डेज आफ ब्रिटिश राज लदन, 1951 ।  
 मुर्जो, हीरेन्द्र नाथ इण्डियाज स्ट्रगल फार फ्रीडम ।  
 मुर्जो, हरिदास श्री अरवि दो एण्ड हिज पाट इन इण्डियन पालिटिक्स,  
 कलकत्ता, 1969 ।

सिंह, गुरुमुख एन० लीडमात्रस इन इंडियन कास्टीटयुशनल ऐण्ड  
नेशनल डेवलपमेन्ट 1600 1919, बनारस, 1930 ।

इंडियन स्टेटस ऐण्ड ब्रिटिश इंडिया ।

सिंह, हीरालाल प्रोब्लम्स ऐण्ड पालिटिक्स इन इंडिया, बम्बई,  
1963 ।

सिंह, एस० एन० द सेन्ट्री आफ स्टेट फार इंडिया ऐण्ड हिज कौंसिल  
1858 1919, दिल्ली, 1962 ।

सिंह बी० बी० इकोनामिक हिस्ट्री आफ इंडिया बम्बई 1965 ।

सिंहल, दामोदर पी० नेशनलिज्म इन इंडिया ऐण्ड अदर हिस्टारिकल  
यसेज, दिल्ली 1961 ।

सिंहा, एन० के० ऐण्ड बनर्जी, ए० सी० हिस्ट्री आफ इंडिया, कलकत्ता  
1963 ।

सीतारमय्या, पी० हिस्टी आफ द इण्डियन नेशनल कांग्रेस 2 भाग,  
दिल्ली, 1969 ।

स्मिथ, विसेट ए० द आक्सफर्ड हिस्टी आफ इंडिया, लंदन, 1961 ।

स्मिथ, डब्लू० आर० नेशनलिज्म ऐण्ड रिफॉर्म इन इंडिया, 1938 ।

स्पीयर, पर्सीवल इंडियन माडन हिस्ट्री 1961 ।

द आक्सफोर्ड हिस्ट्री आफ माडन इंडिया, लंदन, 1965 ।

सुब्रमनयम, एम० हाइ थ्रिप्स फेड ?

सूद, जे० पी० इंडियन कास्टीच्युशनल डेवलपमेन्ट ऐण्ड नेशनल  
मूवमेन्ट ।

स्विसन, आथर नाथ वेस्ट फ्रण्टियर, दिल्ली 1967 ।

सिक्स मिनटस टू सनसेट, लंदन, 1964 ।

शर्मा, डी० एस० रिनेसेट हि दूइज्म बम्बई 1966 ।

शर्मा, बी० एम० फेडरल पालिटी बम्बई 1967 ।

द रिपब्लिक आफ इंडिया, बम्बई, 1966 ।

शर्मा बेणीशकर स्वामी विवेकानंद, कलकत्ता 1963 ।

शर्मा, जगदीश शरण इण्डियाज स्ट्रगल फार फ्रीडम, 3 भाग (डाकू  
मेण्टस) दिल्ली 1962 ।

शर्मा, एम० पी० लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट इन इंडिया ।

शर्मा, एस० आर० द फार्वाडिंग आफ मराठा फ्रीडम, बम्बई, 1964 ।  
स्वामी रामतीर्थ बम्बई, 1965 ।

इवात्युशन आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इलाहाबाद,  
1965 ।

- धीधरणी, कृष्ण साल वार विदाउट वायले स, बम्बई, 1962 ।  
 श्रीनिवासन, एन० डिमोक्रैटिक गजनेट इन इडिया, 1954 ।  
 श्री प्रकाश पाकिस्तान वय ऐण्ड अर्ली डेज, कलकत्ता, 1965 ।  
 हषरी, एस० ए० एच० (सस्करण) युनियन स्टेट रिलेशंस इन इडिया,  
 मेरठ, 1967 ।  
 हाल, डी० जी० ई० वर्मा, लदन, 1950 ।  
 हडा, आर० यल० हिस्ट्री आफ फ्रीडम स्टगल इन प्रिसली स्टेट्स, नई  
 दिल्ली, 1968 ।  
 हाडिज, साड माई इडियन इयस, 1910-16 ।  
 हाडिज, चाल्स विस्फाउण्ट विस्फाउण्ट हाडिज ।  
 हसनन, एस० ई० इण्डियन मुस्लिम, चेलेज ऐण्ड अपारच्युनिटी,  
 बम्बई, 1968 ।  
 हासण्ड, डब्लू० ई० एस० द इडियन आउटलुक, 1927 ।  
 हटर डब्लू० डब्लू० ए हिस्ट्री आफ ब्रिटिश इडिया, 2 भाग ।  
 द इडियन मुसलमास ।  
 हुसेन, जाकिर द टायनिमिक युनीवर्सिटी, 1965 ।  
 हस्यो सिह कृष्णा नेहरू धी नहुज, बम्बई, 1963 ।  
 हाडर, एच० एम० साड रीडिंग, लदन, 1967 ।

9653

98-4-87





